लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तेरहवां सत्र

(आठवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No. B.....60.....
Date.....5/3/90.....

(खंड 46 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य: चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

गुरुवार, 20 अप्रैल, 1989/30 चैत्र, 1911 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
विषय सूची प्रथम पृष्ठ	नीचे से 12	"67" के स्थान पर "76" पढ़िये।
विषय सूची (iii)	13	"गुआ" के स्थान पर "गुहा" पढ़िये।
26	नीचे से 2	"जा०देजा" के स्थान पर "जदेजा" पढ़िये।
48	3	"मनकुराम" के स्थान पर "मानकूराम" पढ़िये।
69	नीचे से 9	"(ख)" के स्थान पर "(घ)" पढ़िये।
94	8	प्रश्न संख्या "6237" के स्थान पर "6273" पढ़िये
128	नीचे से 11	"(क)" के स्थान पर "(ख)" पढ़िये।
129	नीचे से 13	"(ख)" के स्थान पर "(क)" पढ़िये।
132	16	प्रश्न संख्या "6313" के स्थान पर "6319" पढ़िये
135	3	"श्री" के स्थान पर "डा०" पढ़िये।
146	8	"एल०एम०गुरड्डी" के स्थान पर "एस०एम०गुरड्डी" पढ़िये।
173	15	"(ख)" के स्थान पर "(ख)" से "(घ)" पढ़िये।
221	नीचे से 7	"(मछली पालन)" के स्थान पर "(मछलीपटनम)" पढ़िये।

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 49, तेरहवां सत्र, 1989/1910-1911 (शक)

खंड 33, गुरुवार, 20 अप्रैल, 1989/30 चैत्र, 1911 (शक)

विषय		पृष्ठ
घोड़रिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य की सुप्रीम पीपुल्स असेम्बली के सभापति का स्वागत	...	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या : 657 से 659, 662 और 664 से 666	...	1-18
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
तारांकित प्रश्न संख्या : 656, 660, 661, 663 और 667 से 675	...	20-28
अतारांकित प्रश्न संख्या : 6180 से 6295 और 6297 से 6400	...	29-217
सभापटल पर रखे गए पत्र	...	218-221
प्राक्कलन समिति	...	221
71वां और 67वां प्रतिवेदन		
नियम 377 के अधीन मामले	...	222-225
(एक) इलैक्ट्रानिकी विभाग द्वारा गठित कार्यदल द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार भुवनेश्वर, दिल्ली, हैदराबाद और पुणे में तत्काल सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए जाने की आवश्यकता		
श्री श्री बल्लभ पाणिग्रही	...	222
(दो) हिमालय के समीपवर्ती पर्वतीय क्षेत्रों का समुचित विकास किए जाने और वहां अधिक पर्यटकों को आकर्षित किए जाने के लिए एक पृथक हिमालय पर्यटन विकास निगम बनाए जाने की मांग		
श्री हरीश रावत	...	222

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उस ही सदस्य ने पूछा था।

विषय		पृष्ठ
(तीन) राज्य सरकारों को निचले स्तर पर अधिक पदों का सृजन किए जाने हेतु निर्देश दिए जाने की आवश्यकता		
श्री मानकूराम सोडी	...	223
(चार) आयोडीन की कमी के कारण होने वाली बीमारियों की रोकथाम किए जाने हेतु प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता		
श्री चिन्तामणि जेना	...	223
(पांच) आवश्यक औषधियों पर करों से छूट दिए जाने की आवश्यकता		
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन	...	224
(छः) जन स्वास्थ्य रक्षकों की मांगों पर विचार किए जाने की आवश्यकता		
प्रो० मधु दंडवते	...	224
(सात) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर में उत्पन्न संकट का समाधान किए जाने की आवश्यकता		
श्री नारायण चौबे	...	224
(आठ) जनसंख्या नियन्त्रण उपायों के कार्यान्वयन हेतु समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किए जाने की आवश्यकता		
श्री ई० अय्यपू रेड्डी	...	225
(नौ) ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दिये जाने की आवश्यकता		
डा० गौरी शंकर राजहंस	...	225
नियम 193 के अधीन चर्चा		226
अखिल बोडो छात्र संघ द्वारा एक अलग राज्य के लिए चलाए जा रहे आन्दोलन से उत्पन्न स्थिति		
डा० गौरी शंकर राजहंस	...	226
श्री पराग चालिहा	...	227
श्री हरेन भूमिज	...	231
श्री वी० किशोर चन्द एस० देव	...	233
कुमारी ममता बनर्जी	...	236
श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर	...	239
श्री हरीश रावत	...	241
श्री नारायण चौबे	...	244
श्री विजय एन० पाटिल	...	247
श्री पीयूष तिरकी	...	248

विषय		पृष्ठ
श्री गिरधारी लाल व्यास	...	250
श्री अमर रायप्रधान	...	253
श्री सैयद शाहबुद्दीन	...	255
श्री संतोष मोहन देव	...	258
अनुदानों की मांगें, 1989-90	...	273-363
कृषि मंत्रालय		
श्रीमती बसवराजेश्वरी	...	273
श्री जनार्दन पुजारी	...	276
श्री शमिन्दर सिंह	...	281
श्री कृष्ण प्रताप सिंह	...	283
श्री बालासाहिब विखे पाटिल	...	285
श्री पीयूष तिरकी	...	289
डा० फूलरेणु गुआ	...	290
श्री आर० प्रभु	...	292
श्री अमर रायप्रधान	...	300
श्री डी० पी० यादव	...	301
श्री मोहम्मद अयूब खां (ऊधमपुर)	...	303
श्री आर० जीवरत्नम	...	309
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया	...	310
श्री अख्तर हसन	...	312
श्री तपेश्वर सिंह	...	313
श्री डी० बी० पाटिल	...	315
श्री जनक राज गुप्त	...	317
श्री के० डी० सुल्तानपुरी	...	320
श्री पी० अप्पालानरसिंहम	...	323
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	...	325
श्री मोहम्मद अयूब खां (झुंझुनू)	...	327
डा० गौरी शंकर राजहंस	...	329
श्री राम बहादुर सिंह	...	331
श्री गिरधारी लाल व्यास	...	334
श्री राम प्यारे पनिका	...	336

विषय		पृष्ठ
श्री एन० टोम्बी सिंह	...	339
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	...	340
श्री हरीश रावत	...	342
श्री भीष्म देव दुबे	...	345
श्री राम श्रेष्ठ खिरहर	...	347
श्री एम० सुब्बा रेड्डी	...	348
श्री आई० रामा राय	...	351
चौधरी लच्छी राम	...	353
श्री के० एस० राव	...	355
श्री जी० एस० बासवराजू	...	359
श्री वी० कृष्ण राव	...	361

लोक सभा

गुरुवार, 20 अप्रैल, 1989/30 चैत्र, 1911 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य की सुप्रीम पीपुल्स असेम्बली के अध्यक्ष का स्वागत

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मुझे एक घोषणा करनी है । अपनी ओर से तथा सभा के माननीय सदस्यों की ओर से कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य की सुप्रीम पीपुल्स असेम्बली के अध्यक्ष महामहिम श्री येंग ह्यांग सोप, जो हमारे सम्माननीय अतिथि के रूप में भारत की यात्रा पर आएं हैं, स्वागत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है ।

वह कल प्रात: दिल्ली पहुंचे । इस समय वह विशेष कक्ष में बैठे हैं । हम कामना करते हैं कि हमारे देश में उनका प्रवास आनन्दपूर्ण एवं लाभप्रद रहे । हम उनके माध्यम से महामहिम प्रेसिडेंट, सुप्रीम पीपुल्स असेम्बली तथा कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य की मित्र जनता को भी शुभकामनाएं भेजते हैं ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

मूंगफली के मूल्यों में गिरावट

*657, **श्री गोपाल कृष्ण घोटा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूंगफली के मूल्यों में वर्ष 1988-89 की तुलना में वर्ष 1988-89 के दौरान 100 से 150 रुपए प्रति क्विंटल की कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने मूंगफली के मूल्यों में इस भारी गिरावट के कारणों का पता लगाया है;

(ग) क्या किसानों को मूंगफली के लाभप्रद मूल्य प्राप्त नहीं होते जिसके फलस्वरूप वर्ष 1989-90 में मूंगफली की खेती अपेक्षाकृत कम भूमि में की जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का किसानों को अधिक मूल्य दिलाने हेतु मूंगफली के तेल का आयात बंद करने का विचार है ?

[हिन्दी]

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल) : (क) और (ख) मूंगफली के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि होने के कारण मूंगफली के मूल्यों में, 1987-88 में प्रचलित असाधारण रूप से ऊंचे स्तर के मूल्यों से कमी आई है ।

(ग) और (घ) चूंकि उचित औसत क्वालिटी की छिलके सहित मूंगफली के लिये किसानों को 1988-89 मौसम के लिये निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक मूल्य मिल रहे थे, इसलिए इस फसल के तहत क्षेत्र में कमी होने की कोई आशंका नहीं है । सरकार खाद्य तेल/तिलहनों की मूल्य संबंधी स्थिति की बारीकी से मोनिटरिंग कर रही है और खाद्य तेलों का आयात कम से कम किया जा रहा है ।

[अनुवाद]

श्री गोपाल कृष्ण थोटा : मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि खाद्य तेलों पर अधिक राशि खर्च करने की बजाय, सरकार इस राशि को मूंगफली उत्पादकों पर क्यों नहीं खर्च करती ?

[हिन्दी]

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने मूल्यों के बारे में चर्चा की है । जैसाकि मैंने कहा कि पिछले साल सूखा पड़ने की वजह से उत्पादन कुछ कम हुआ था, उससे भाव कुछ ऊंचे रहे । इस दफा फसल अच्छी है, उत्पादन अच्छा है, इसकी वजह से थोड़ी-सी भाव में कुछ कमी आयी है लेकिन सपोर्ट प्राइस से भाव नीचे नहीं गये हैं ।

दूसरे इन्होंने कहा कि हम बाहर से तेल क्यों मंगा रहे हैं, वह पैसा वहीं क्यों न खर्च किया जाए । इस बार आयलसीड्स का उत्पादन बहुत अच्छा है । हमारा टारगेट 155 लाख टन का था जिसमें मूंगफली, सरसों, तोरिया आदि हैं । इस बार उत्पादन 170 लाख टन होने की संभावना है जो कि एक रिकार्ड होगा । 130 लाख टन से कभी ज्यादा मुल्क में नहीं हुआ । इससे जो तेल बनेगा वह वन थर्ड के करीब तेल बनता है । देश में तेल की आवश्यकता 54 लाख टन की है । हमें पूरी उम्मीद है कि जितनी आवश्यकता है उतना तेल मुल्क में बनेगा और हमारी पूरी कोशिश है कि कम से कम तेल बाहर से मंगाया जाए ताकि देश के किसान को आयलसीड्स की कीमत मुनासिब और उचित मिल सके । जो बहुत ही जरूरी बाहर से मंगवाना होगा, वही मंगायेंगे, वरना नहीं मंगायेंगे ।

[अनुवाद]

श्री गोपाल कृष्ण थोटा : सरकार उत्पादकों को उतने ही क्षेत्र में मूंगफली की खेती करने और उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या प्रोत्साहन दे रही है ?

[हिन्दी]

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, किसान को प्रोत्साहन देने का जहां तक ताल्लुक है, इसके लिए प्रधान मंत्री जी ने एक क्रेश प्रोग्राम चालू किया है। कुछ जिलों और प्रदेशों को आयलसीड्स के लिए छांटा गया है। वहां पर किसान को खाद, अच्छा बीज, पूरी जानकारी देने की हम कोशिश करते हैं। पूरा प्रोग्राम है यह ताकि देश में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन किया जा सके। पिछले सालों में मूंगफली का उत्पादन 56 लाख टन हुआ। इस वर्ष 80 लाख टन से भी ज्यादा होगा, कम नहीं होगा।

श्री राम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, किसानों ने खेती की जो डवलपमेंट की है विशेष रूप से क्रेश क्राप्स, आयलसीड्स में नया रिकार्ड कायम किया है। उसकी वजह से फारेन एक्सचेंज बचाने के लिए काफी प्रयत्न किया गया है, लेकिन आज आइल सीड के भाव एग्रीकल्चरल प्राइसेस कमीशन ने सरसों के या मूंगफली के जो भाव तय किए हैं वह किसान की लागत के मुताबिक नहीं हैं। जिस चीज के लिए फारेन एक्सचेंज खर्च किया जाता है, उसके लिए एग्रीकल्चरल प्राइसेस कमीशन ने कम भाव तय किया है, जबकि किसानों को प्रोत्साहन देकर अधिक सरसों पैदा की गई, तोरिए की अच्छी फसल पैदा की गई, उनको 460 रुपए कीमत दी गई है। आज सरसों भारत के हर क्षेत्र में है, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान की हर मण्डी में सरसों है, लेकिन उसका भाव 460 रुपए से नीचे जा रहा है। अभी 20 तारीख तक आर्डर निकाला गया था कि 30 प्रतिशत सरसों का तेल वेजीटेबल आयल में रहेगा, ताकि किसान को उचित मूल्य मिल सके। पिछले साल मूल्य 1100 रुपए प्रति क्विंटल तक था जो कि आज 500 रुपए से भी कम है। इसके लिए किसानों को तखमीना लगाकर या मेकेनिकली समझाने की कोशिश करेंगे तो वह नहीं समझ सकते, उसको तो सही मूल्य दिलवाइए। 600-700 रुपय प्रति क्विंटल कीमत उसको मिलनी चाहिए, इसके लिए आप क्या कोशिश कर रहे हैं।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, बीच में आज से 10-15 दिन पहले, एक महीना पहले भाव कुछ नीचे आ गया था, इसको देखते हुए सरकार ने फैसला किया कि वनस्पति में 20 परसेंट सरसों का तेल हो, यह सेहत के लिए भी अच्छा है और किसानों को भाव भी मुनासिब मिलता है और तेल बाहर से भी नहीं मंगाना पड़ेगा। इसकी मियाद इस महीने की तीस तारीख तक है।

अध्यक्ष महोदय : इसके बाद क्या सेहत खराब हो जाती है।

श्री भजन लाल : यह विषय फूड मिनिस्ट्री के अन्तर्गत आता है, उनसे भी हम बात करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : इसको आगे भी जारी करवाइए।

श्री भजन लाल : हम इसकी कोशिश करेंगे कि यह आगे भी जारी रहे, यह विषय फूड मिनिस्ट्री के अधीन है, हम अपनी तरफ से कोशिश पूरी करेंगे। सरकार ने जो सपोर्ट प्राइस तय

की है, उससे नीचे मार्केट में भाव नहीं हुआ है। सरसों का भाव 460 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है, इसका भाव 500 रुपए प्रति क्विंटल के करीब आ गया था, लेकिन जब 20 परसेंट वनस्पति में मिलाने का ऐलान किया गया, उस दिन सरसों का भाव एकदम 500 से 600 रुपए हो गया। आज भी मैंने पता किया और भाव 625 रुपए प्रति क्विंटल मार्केट में है। मंदी होने का सवाल नहीं है, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि किसान को उचित मूल्य मिले। इसके लिए 1000 करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा खर्च करके एडीबल आयल मंगाया जाता है, उस 1000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और यह तभी बच सकेगा जब किसान को उचित मूल्य मिलेगा। इसलिए इसके बारे में सरकार की पूरी कोशिश रहेगी।

अध्यक्ष महोदय : राम सिंह जी के कहने का मतलब यह है कि जब एक महीना सेहत ठीक रह सकती है तो आगे भी सेहत ठीक रह सकती है, इसलिए इसको आगे के लिए जारी रखिए।

[अनुवाद]

श्री पी० कुलनदईवेलू : महोदय, अधिकांश राज्यों में मूंगफली असिंचित क्षेत्र में बोई जाती है। निःसन्देह, कभी-कभी यह सिंचित क्षेत्र में भी पैदा की जाती है परन्तु महंगी पड़ती है। उत्पादन लागत अधिक आती है। इसीलिए इसे असिंचित क्षेत्रों में ही उगाया जाता है। अच्छी वर्षा के बिना, यह फसल नहीं हो पाती। इसके मूल्य अब बहुत कम हो गए हैं। केन्द्रीय सरकार ने इसका उत्पादन बढ़ाने, तथा अधिक क्षेत्रों में मूंगफली की खेती शुरू किए जाने के लिए कई निगम स्थापित किए हैं। परन्तु फिर भी किसानों को लाभप्रद मूल्य नहीं मिल रहे हैं। लाभप्रद मूल्य न मिल पाने का कारण बिचौलियों का होना है। वास्तव में कृषि उत्पादों को सीधे ही फैडरेशनों को बेचना चाहिए। परन्तु ऐसा नहीं किया जाता। इसीलिए उन्हें लाभप्रद मूल्य नहीं मिल रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इस कृषि उत्पाद को अर्थात् मूंगफली सीधे ही किसानों से खरीदेगी ताकि उन्हें लाभप्रद मूल्य मिल सके ?

[हिन्दी]

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मूंगफली का रेट बीच में थोड़ा सा डाउन हुआ तो हमने नेफेड को कहा कि वह मार्किट में आए ताकि किसान को ठीक भाव मिल सके और एन०डी०डी० बी० को खासतौर से मार्किट में प्रवेश कराया कि वह भाव मंदा न होने दे। अगर सपोर्ट प्राइस न मिलता तो एफ०सी०आई० बीच में आती या सरकार परचेज करती लेकिन फिर भी हमने एन०डी०डी०बी० को आदेश दिया, मार्किट में आने की वजह से भाव ऊंचा चला गया और भाव कहीं भी कम नहीं है। इस समय मूंगफली का भाव सारे मुल्क में 550 रुपए से लेकर 750 रुपए क्विंटल तक है जबकि सपोर्ट प्राइस 430 रुपए है। उससे काफी ऊंचा भाव किसान को मिल रहा है और किसान के हित में सरकार भाव तय करती है तो बाकायदा लाभकारी मूल्य देने की कोशिश करती है और सारी बातों का हिसाब लगाकर, सारा खर्च लगाकर और प्रति हैक्टेयर किसान को क्या प्राफिट होना चाहिए, क्या बचना चाहिए सारी बातों को देखकर बाद में भाव तय करती है ताकि किसान को मुनासिब भाव मिल सके और उससे देश में उत्पादन बढ़ सके।

दक्षिणी राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं का सम्मेलन

[अनुवाद]

*658. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कर्नाटक सरकार से बंगलौर में दक्षिणी राज्यों की पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों का सम्मेलन आयोजित करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या कर्नाटक सरकार इस प्रस्ताव पर सहमत हो गई है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार सम्मेलन आयोजित करने में कर्नाटक सरकार की क्या सहायता करेगी ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) विकेन्द्रीकरण की अवधारणा और पंचायती राज संस्थाओं के बारे में निचले स्तर पर विचार-विमर्श आयोजित करने के उद्देश्य से, भारत सरकार देश के विभिन्न भागों में पंचायती राज सम्मेलनों की एक शृंखला आयोजित कर रही है। भारत सरकार ने कर्नाटक सरकार के सहयोग से मार्च, 1989 में बंगलौर में दक्षिणी राज्यों का सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव किया था। तथापि, कर्नाटक सरकार ने यह सुझाव दिया था कि उनके लिए अप्रैल, 1989 के अन्तिम सप्ताह में बंगलौर में सम्मेलन का आयोजन करना उचित रहेगा। भारत सरकार इस व्यवस्था पर सहमत हो गई है और दोनों सरकारों के बीच आपस में हुई सहमति के अनुसार, कर्नाटक सरकार को सभी आवश्यक (वित्तीय सामग्री और प्रबन्धकीय) सहायता मुहैया करेगी।

श्री वी०एस० कृष्ण अय्यर : मुझे खुशी है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के 42 वर्ष बाद सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने में पहल की है। अनेक रिपोर्टें आईं जैसे बलवन्तराय मेहता समिति रिपोर्ट और अशोक मेहता समिति रिपोर्ट।

देश के अनेक राज्यों, जैसे आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और अन्य कई राज्यों, में आज भी पंचायती राज्य संस्थाएं काम कर रही हैं। क्या मैं सरकार से जान सकता हूं कि क्या उन्होंने इन राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकरण का मूल्यांकन किया है ? मैं यह भी पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार इस विषय में किसी निष्कर्ष पर पहुंची है कि हमारे देश के लिए पश्चिम बंगाल, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में कार्यरत प्रणालियों में से कौन-सी बेहतर है।

श्री जनार्दन पुजारी : कुछ राज्यों में पंचायती राज संस्थाए सुचारु रूप से कार्य कर रही हैं और कुछ में पंचायती राज संस्थाएं कमजोर पड़ गई हैं। संसद के बाहर और भीतर आलोचना होती रहती है कि पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियां कम कर दी गई हैं और इन्हें धनराशि नहीं दी जाती। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिला मजिस्ट्रेटों, कलैक्टरों से परामर्श किया और

इस परामर्श के अनुक्रम में हमने देश के विभिन्न भागों में पंचायती राज सम्मेलनों का आयोजन शुरू किया। हमने उत्तरी और पश्चिमी राज्यों के लिए दिल्ली में सम्मेलन किया तथा पूर्वी एवं पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कलकत्ता में। हम दक्षिणी राज्यों के लिए कर्नाटक में सम्मेलन करने वाले हैं। इस सम्मेलन के मुख्य उद्देश्य पंचायती राज संस्था को मजबूत करना, विकेन्द्रीकरण करना, जिला स्तर पर योजना बनाना और पंचायती राज संस्थाओं को स्थानीय निकायों का एक प्रभावशाली एवं सक्रिय अंग बनाना है।

श्री वी०एन० कृष्ण अय्यर : मैं इस सुझाव का स्वागत करता हूं परन्तु मैं जानना चाहता हूं कि सरकार पंचायती राज प्रणाली को मजबूत करने के लिए क्या ठोस उपाय करने जा रही है? मैं यह इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मुझे याद है कि प्रधानमंत्री ने कई बार कहा है कि पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए, यदि आवश्यक हुआ तो, संविधान संशोधन विधेयक संसद के चालू सत्र में ही लाया जाएगा। जब तक पंचायतों को समुचित मात्रा में धनराशि नहीं मिलती और उन्हें धन की अत्यधिक कमी रहती है तब तक उनके अस्तित्व का कोई औचित्य नहीं है। यदि हम पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से वास्तव में ग्राम स्वराज लाना चाहते हैं तो उन्हें समुचित धनराशि आवंटित की जानी चाहिए।

अत: मैं जानना चाहता हूं कि भारत सरकार इस विषय में क्या ठोस कदम उठा रही है?

श्री जनार्दन पुजारी : विचार-विमर्श जारी है। विभिन्न राज्यों ने अपने-अपने सुझाव दिए हैं। इसी प्रकार जिला कलैक्टरों ने भी। जैसाकि मैंने पहले कहा था अभी विचार-विमर्श चल रहा है। यदि सुधार के लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता हुई तो निश्चित रूप से संशोधन भी किया जाएगा। परन्तु अभी विचार-विमर्श चल रहा है। पंचायती राज संस्थाओं को अधिक शक्तियां दी जाएंगी। माननीय प्रधानमंत्री की मंशा यह है कि निचले स्तर पर लोगों को अधिक शक्तियां दी जाएं।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : मेरे विचार में पंचायती राज संस्थाओं को अनुप्राणित एवं सक्रिय करने की दिशा में की गई इस पहल का समूचा राष्ट्र स्वागत करता है। परन्तु आखिरकार यह एक राजनैतिक प्रश्न है। पंचायती राज व्यवस्था से सम्बद्ध अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श करना होगा और हमें उनके अनुभवों से सीखना होगा। इसलिए चल रहे विचार-विमर्श का भी अपना महत्व है। परन्तु इसे एक राजनैतिक प्रश्न के रूप में लेना होगा, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या वह देश के राजनैतिक दलों के साथ इस बारे में विचार-विमर्श की परिकल्पना करते हैं और यदि हां तो किस समय पर?

श्री जनार्दन पुजारी : मुख्यमंत्रियों ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया है। उन्होंने अपने विचार प्रकट किए हैं। जहां तक हमारे दल का सम्बन्ध है, पार्टी स्तर पर भी विचार-विमर्श किया गया है। राज्य के मंत्रियों का भी यहां एक और सम्मेलन बुलाया जा रहा है। यदि आवश्यक है, तो हम राजनैतिक दलों को सम्मेलन करने से मना नहीं कर रहे हैं। यदि इसकी आवश्यकता है तो आपके सुझावों को भी ध्यान में रखा जाएगा।

श्री अजय विश्वास : केन्द्रीय सरकार पंचायतों को अधिक शक्तियां देने का प्रयास कर रही है। कई समितियां गठित की गई हैं और वे अपनी रिपोर्टें दे रही हैं। प्रश्न यह है कि पंचायत राज्यों का विषय है। प्रधानमंत्री जी पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि सरकार संविधान में संशोधन कर रही है। ऐसी आशंका है कि केन्द्रीय सरकार इस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायतों के कार्यों में हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रही है। इससे राज्य सरकारों के अधिकार कम हो जाएंगे। सभी के मन में यह आशंका है।

इसलिए मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार संविधान में संशोधन करने के उद्देश्य को स्पष्ट करेगी क्योंकि यदि यह बात स्पष्ट नहीं होती तो यह आशंका बनी रहेगी।

अनेक राज्यों ने पिछले 10 या 12 वर्षों से पंचायतों के चुनाव नहीं कराए हैं और इनमें से अधिकतर राज्यों में कांग्रेस (आई) की सरकारें हैं। मैं जानना चाहूंगा कि इन राज्यों में चुनाव कराने के लिए केन्द्रीय सरकार क्या कर रही है।

श्री जनार्दन पुजारी : सर्वप्रथम, मैं यह बताना चाहता हूं कि माननीय सदस्य की धारणा एवं आशंका सही नहीं है। इसका कोई आधार नहीं है। केन्द्रीय सरकार की मंशा राज्यों के अधिकार छीनने या उनके कार्यों में हस्तक्षेप करने की नहीं है।

स्थानीय निकायों का विकेन्द्रीकरण करने तथा अधिक शक्तियां प्रदान करने और निधियों के हस्तांतरण की दिशा में यह एक कदम है, जिसके लिए हमें माननीय प्रधानमंत्री जी को मुबारकबाद देनी होगी। मैं यह कहूंगा कि केन्द्रीय सरकार पर यह सुनिश्चित करने का संवैधानिक दायित्व है कि जनता का कल्याण हो और विशेषतौर पर शक्तियां पंचायत एवं स्थानीय निकायों को सौंपी जाएं। हमें यह भी सुनिश्चित करना है कि निचले स्तर पर संगठनों को प्रभावी बनायें। मैं कहूंगा कि, केन्द्रीयकरण की बजाय इसे विकेन्द्रीकरण की दिशा में एक प्रयास कहा जाना चाहिए। ऐसा पहली बार हुआ है। इससे पहले कभी इतने व्यापक स्तर पर विचार-विमर्श नहीं हुआ। इस प्रधानमंत्री के शासनकाल में ही पहली बार ऐसा हुआ है।

उसके लिए हम सबको प्रधानमन्त्री जी को बधाई देनी चाहिए। माननीय सदस्यों के लाभार्थ मैं यह कह सकता हूं। यह सच है कि कुछ राज्य पंचायतों के चुनाव समय पर नहीं करवा रहे हैं और इन परिस्थितियों में प्रश्न यह है कि क्या केन्द्र सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह चुनाव समय पर करवाये। क्या यह उनका सांवैधानिक दायित्व है कि चुनाव समय पर कराए जाएं, उदाहरण के लिए संविधान में एक उपबन्ध है कि विधानसभा तथा संसद के चुनाव कराना अनिवार्य है। उस कारण से चुनाव कराये जाते हैं। अब राज्यों के कानून में भी उपबन्ध है। किन्तु उसके बावजूद चुनाव समय पर नहीं कराए जा रहे हैं। अब, इन परिस्थितियों में हमें क्या करना है? चाहे कांग्रेस-शासित राज्य हों या गैर-कांग्रेस शासित राज्य, हमें चुनाव समय पर कराने हैं। हमारे प्रधानमंत्री का उद्देश्य भी यही है और इरादा भी। **(व्यवधान)**

ब्रिटेन से बौद्ध मूर्तियों को वापस लाना

*659. **श्री सी० माधव रेड्डी :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने ब्रिटेन के पुरातत्ववेत्ताओं से आन्ध्र प्रदेश के अमरावती और घंटाशाला की महत्त्वपूर्ण बौद्ध मूर्तियों को वापस लेने का कोई प्रयत्न किया है जिन्हें वे बहुत समय पहले वहां ले गए थे; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार ने प्रयास किए और दीर्घकालीन ऋण के आधार पर 1970 में ब्रिटेन से चार महत्त्वपूर्ण बौद्ध मूर्ति पैनल प्राप्त करने में सफल हुई जो राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली में प्रदर्शन के लिए रखी हैं। तथापि, अतीत में घंटाशाला से महत्त्व-पूर्ण मूर्तियां, यदि कोई हों, ब्रिटेन ले जाए जाने के सम्बन्ध में कोई प्रामाणिक सूची उपलब्ध नहीं है।

श्री सी० माधव रेड्डी : महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि भारत सरकार और तथाकथिक पुरातत्त्ववेत्ताओं के बीच ऋण समझौता किस आधार पर हुआ है ? क्या यह दीर्घकालीन ऋण है ? क्या इसका यह अर्थ है कि हम वे मूर्ति पैनल वापिस करने जा रहे हैं या और क्या ? इस ऋण का उद्देश्य क्या है ?

श्री एल० पी० शाही : महोदय, ऋण से पूर्वानुमान लगाया जा सकता है कि उसे रखने के बारे में कुछ अधिकार हैं। यह बात तो समझ में आती है लेकिन इससे सम्बन्धित कोई निश्चित नीति नहीं है। इसलिए हमने इसे दीर्घकालीन ऋण के आधार पर प्राप्त वस्तु माना है।

श्री सी० माधव रेड्डी : महोदय, यह बताया गया है कि ब्रिटेन सरकार द्वारा न केवल आंध्र प्रदेश में अमरावती और घंटाशाला से अपितु देश के अन्य कई भागों से भी अनेक मूर्ति पैनल ले जाए गए हैं। आज वे मूर्ति पैनल ब्रिटिश संग्रहालय में प्रदर्शन के लिए पड़े हैं, जिसकी जानकारी सबको है, स्वयं मैंने भी देखे हैं तथा जिन माननीय सदस्यों ने वहां का दौरा किया है, उन्होंने भी उन्हें देखा है कि वे मूर्तियां प्रदर्शन के लिए रखी गई हैं। क्या उन्होंने उन मूर्तियों के लिए कोई दावा किया है ? क्या उन्होंने ब्रिटेन सरकार के साथ कोई समझौता किया है कि कम से कम उनमें से कुछ मूर्तियां तो लौटा दी जाएं ?

श्री एल० पी० शाही : महोदय, यह सच है कि भारत में जब अंग्रेज काफी समय तक रहे तब न केवल उनकी सरकार अपितु स्वयं वे लोग व्यक्तिगत रूप से कई मूर्तियां इस देश से ले गए थे। यह प्रश्न अमरावती की कुछ विशेष मूर्तियों का पता लगाने तथा प्राप्त करने के बारे में है। 1947 से पहले ऐसा कोई अधिनियम नहीं था जिसमें मूर्तियों के निर्यात का प्रावधान हो। 1947

में पहली बार एक अधिनियम बना जिसके तहत भारत से मूर्तियों के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाया गया और मूर्तियों का आयात करने वाले व्यक्ति को पहले सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी। उसके बाद 1972 में इस सम्माननीय सभा ने एक अन्य अधिनियम पारित किया जो पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम के नाम से जाना जाता है, जिसके द्वारा कानून में आगे और उपबन्ध किया गया कि प्राचीन मूर्तियों का व्यापार करने वाले, उन्हें अपने कब्जे में रखने वाले व्यक्ति को या किसी ऐसे संस्थान या संग्रहालय या निजी संग्रहकर्ता, जिसके पास प्राचीन मूर्तियां हो, को पहले अनुमति लेनी चाहिए तथा इस बारे में घोषणा करनी चाहिए कि उसके कब्जे में कितनी प्राचीन मूर्तियां हैं। इसलिए अब जिन मूर्तियों का आसानी से पता लगाया जा सके, उन्हें वापिस लेना सम्भव है। किन्तु 200 वर्ष या इससे अधिक समय पूर्व जो वस्तुएं वे विभिन्न अवसरों पर और देश के विभिन्न स्थानों से ले गए थे, उन्हें वापिस लेना बहुत कठिन है। 1972 का अधिनियम यूनेस्को के अनुरोध पर पारित किया गया था। यूनेस्को चाहता था कि प्रत्येक देश ऐसा अधिनियम बनाए ताकि प्राचीन मूर्तियों का अवैध व्यापार न हो सके। उस अधिनियम के पूर्व जो वस्तुएं बाहर ले जाई जा चुकी हैं, उन्हें वापिस लेना कठिन है।

श्री बृजमोहन महन्ती : उड़ीसा के विभिन्न स्थानों तथा कोणार्क से बहुत ही महत्त्वपूर्ण कलात्मक मूर्तियां ले जाई गई हैं। मन्त्री महोदय इस देश में 1947 के बाद पारित किए गए अधिनियमों का जिक्र कर रहे हैं। मुझे संदेह है कि भारत में पारित अधिनियम अन्य देशों को लागू होंगे। अत: यह बातचीत का मामला है। हमें बातचीत करके अपनी मांगों पर जोर देना होगा, इसमें कोहिनूर हीरे की मांग भी शामिल है जो कि रंजीत सिंह का था और जिसे उन्होंने पुरी के भगवान जगन्नाथ जी को अर्पित किया था। छुटपुट बातचीत नहीं होनी चाहिए। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने अपनी जानकारी के अनुसार उन वस्तुओं की व्यापक सूची बनाई है जो अंग्रेज हमारे देश से ले गए थे ? क्या वे वस्तुएं वापिस लेने के बारे में कोई गम्भीर रूप से वार्ता हुई है ?

श्री एल० पी० शाही : महोदय, मैंने अधिनियमों का इसलिए उल्लेख किया था ताकि यह पता चल जाए कि भारत में उन अधिनियमों के पारित होने के बाद हमारे लिए उन वस्तुओं को प्राप्त करना अधिक सरल हो जाएगा जो भारत से अवैध रूप से चुराई गई हैं, तस्कर की गई हैं अथवा ले जाई गई हैं।

महोदय, मूर्तियों आदि की भांति इस देश से बहुत सी वस्तुएं चुराई गई हैं। जब हमने वस्तुएं वापिस लेने का प्रयास किया तो उन्होंने कहा कि "कलात्मक वस्तु केवल आपके लिए ही नहीं अपितु सबके लिए खुशी की वस्तु है।" अत: कलात्मक वस्तु को वापस लेना कठिन है। किन्तु यदि विशेष मूर्ति या अन्य वस्तु से हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं तो हम उनका दावा करके उन्हें वापिस ले सकते हैं जैसाकि हमने सारीपुट्टा और मुगलई की आस्तियां ब्रिटिश संग्रहालय से 30 वर्ष पूर्व प्राप्त की थीं क्योंकि हम उन पर विशेष दावा कर सकते थे। किन्तु कला की वस्तु सबके लिए खुशी की बात है और कोई उसको देना नहीं चाहता। एक बार कब्जे में आने के बाद कोई भी राष्ट्र इसको देना नहीं चाहता।

प्रो० मधु दंडवते : क्या यह सच नहीं है कि ब्रिटेन के पुरातत्त्ववेत्ताओं द्वारा ले जाई गई अनेक कलाकृतियों का सामाजिक पूर्वापद सम्बन्ध था और वे अंग्रेजी हकूमत के दौरान हमारी सम्पत्तियों, मूर्तियों तथा अन्य अनेक मूल्यवान वस्तुओं को लूट के रूप में वहां ले गए। इस पृष्ठभूमि में मैं दो विशिष्ट मदों के बारे में एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैं श्री बृजमोहन मोहंती की इस बात से सहमत हूं कि संधि-वार्त्ता की जानी चाहिए। किन्तु क्या यह सच नहीं है कि कुछ ऐसी बहुमूल्य वस्तुएं इंग्लैण्ड के संग्रहालय में अब भी रखी हैं जिनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है और उनसे हमारा भावुकता का सम्बन्ध है और यदि हां तो क्या वह सन्धि वार्त्ता करके उन वस्तुओं को वापिस लाने का प्रयास करेंगे ? पहली वस्तु है वह प्रसिद्ध और ऐतिहासिक भवानी तलवार जिसका इस्तेमाल शिवाजी महाराज करते थे और जो आज इंग्लैण्ड के संग्रहालय में पड़ी है। भूतपूर्व मुख्यमन्त्री श्री ए० आर० अंतुले ने यह घोषणा की थी कि उन्होंने इसे वापिस लाने की सब तैयारियां पूरी कर ली हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वे तैयारियां चल रही हैं ?

दूसरी वस्तु है प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा, जोकि बहुमूल्य पदार्थ माना गया है। वह केवल मूल्य की दृष्टि से ही नहीं अपितु इतिहास और गौरव की दृष्टि से भी बहुत महत्त्वपूर्ण है। अतः क्या वह इन कानूनी लड़ाइयों में न फंसकर संधि वार्त्ता जारी रखेंगे कि विशेषकर वे वस्तुएं भारत वापिस लाई जाएं जिनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है और जिनसे हमारा भावुकता का नाता है।

एक माननीय सदस्य : कम-से-कम ऋण के आधार पर ही उन्हें वापिस ले आइए।

प्रो० मधु दंडवते : ऋण के आधार की बात मत कीजिए क्योंकि कल आपको भी ले जाकर संग्रहालय में रख सकते हैं और फिर आपको सिर्फ ऋण के रूप में ही लौटाएंगे।

श्री एल० पी० शाही : यदि आप इस तरह सोचने पर बाध्य करते हैं, तो वह भी सम्भव है।

प्रो० मधु दंडवते : मैंने एतिहासिक महत्त्व की दो विशिष्ट वस्तुओं का जिक्र किया है अर्थात् भवानी तलवार और कोहिनूर हीरा। इसका क्या उत्तर है ?

श्री एल० पी० शाही : यह कार्यवाही करने के लिए अनुरोध किया गया है। मैं यही कह सकता हूं कि हम भविष्य में ऐसी वस्तुओं के बारे में कार्यवाही करेंगे।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : कोई लूट कर माल ले जाए और काबू आ जाए तो वह वापिस हो ही जाता है। वह कानूनी तौर पर तो उसे लेकर गए नहीं हैं और हमने उनको वैसे दिया नहीं है। वह तो उसे जबर्दस्ती ले गए। उन्होंने जबर्दस्ती राज भी लिया था और हमने जबर्दस्ती राज वापस लिया। उन्हें चाहिए कि अपने हिसाब से मलमनसाहत से उसे दे दें। वह तो लूट का माल है।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : भारत के विभाजन के बाद, लूटी गई सम्पत्ति वापस कर दी गई थी।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : किसी माल की लूट होती है तब उसे वापिस किया जाता है ।

(व्यवधान)

पंथाल डेड बर्नड मैगनेसाइट प्लांट की रोजगार क्षमता

[अनुवाद]

*662. **श्री मोहम्मद अयूब खां** (ऊधमपुर) : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंथाल (जम्मू और कश्मीर राज्य) स्थित डेड बर्नड मैगनेसाइट में कितने लोगों को रोजगार मिलने की सम्भावना है;

(ख) रोजगार में अन्य राज्यों के व्यक्तियों तथा स्थानीय व्यक्तियों के बीच अनुपात कितना होगा;

(ग) इसमें कुल कितना पूंजी निवेश किया जायेगा और इसमें राज्य सरकार का कितना हिस्सा होगा;

(घ) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड में इस समय जम्मू और कश्मीर राज्य के कितने व्यक्ति कार्य कर रहे हैं;

(ङ) इस परियोजना पर कार्य कब तक प्रारम्भ किये जाने की सम्भावना है; और

(च) इस परियोजना पर कितना व्यय होने की संभावना है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) से (च) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) इस परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अभी तैयार की जा रही है। प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार, संयंत्र में लगभग 300 व्यक्तियों को रोजगार मिलने की सम्भावना है ।

(ख) अन्य राज्यों के व्यक्तियों तथा स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार देने के सम्बन्ध में कोई निर्धारित अथवा निश्चित अनुपात नहीं है । कर्मचारियों की भर्ती करते समय निर्धारित मानक-मार्गदर्शनों का पालन किया जाएगा ।

(ग) कुल पूंजीगत निवेश का पता विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार होने पर ही चलेगा । प्रारम्भिक अनुमानों के अनुसार यह निवेश लगभग 30 करोड़ रुपए होगा ।

(घ) 4 व्यक्ति ।

(ङ) इस परियोजना पर प्रारम्भिक कार्य पहले ही शुरू हो चुका है तथापि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के स्वीकृत होने पर ही कार्य पूरे जोर पर शुरू होगा ।

(च) इस परियोजना पर मार्च, 1989 के अन्त तक लगभग 75 लाख रुपए व्यय हुए हैं ।

श्री मोहम्मद अयूब खां : मैं सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जम्मू और कश्मीर में पंथाल में यह परियोजना शुरू करने का निर्णय लिया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पेश करने के लिए कोई अन्तिम तिथि निर्धारित की गई है तथा इस परियोजना में उत्पादन शुरू होने के बाद कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होगी ।

श्री एम० एल० फोतेदार : मेरे विचार से माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या इस परियोजना को पूरा करने के लिए कोई अन्तिम तिथि निर्धारित की गई है। यह इस राज्य में अपनी तरह की पहली परियोजना है । मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है और चालू वर्ष में इसे अन्तिम रूप दे दिया जाएगा । इस योजना के शुरू होने की तारीख से पूरा होने तक 2½ वर्ष का समय लगेगा । एक बार परियोजना के पूरी तरह से चालू हो जाने के बाद हमें प्रति वर्ष 10-15 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत होगी ।

श्री मोहम्मद अयूब खां : मैं जानना चाहता हूं कि इस परियोजना में जम्मू और कश्मीर से कितने तकनीकी और गैर-तकनीकी लोग नियुक्त किए जाएंगे ।

श्री एम० एल० फोतेदार : मैं उन लोगों की संख्या पहले ही बता चुका हूं, जिन्हें इसमें नियोजित किया जाएगा । इसमें 60 लोग अधिकारी और पर्यवेक्षक स्तर के होंगे तथा 240 श्रमिक होंगे । मैं माननीय सदस्य को बता सकता हूं कि वे सभी भारतीय ही होंगे ।

श्री मोहम्मद अयूब खां : मैं जानना चाहता हूं कि इस परियोजना में जम्मू और कश्मीर से कितने श्रमिक नियुक्त किए जाएंगे ।

श्री एम० एल० फोतेदार : सम्भवतः माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि इस परियोजना में राज्य के कितने स्थानीय अथवा स्थायी निवासियों को रोजगार दिया जाएगा । मैं मामले की भावुकता के बारे में अनभिज्ञ नहीं हूं । तथापि हम इस बात को ध्यान में रखेंगे जब इस परियोजना में नियुक्तियां की जाएंगी ।

समुद्री जहाजों के मूल्य में वृद्धि

\+

*644. **डा० बी० एल० शैलेश :**

श्री ई० अय्यपू रेड्डी :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्री जहाजों के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि के कारण, भारतीय नौवहन निगम और अन्य नौवहन कम्पनियों के अपने मौजूदा टन-भार में वृद्धि करने के प्रयासों पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस स्थिति से किस प्रकार निपटने का विचार है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान कितने टन-भार के अतिरिक्त पोत प्राप्त करने का अनुमान है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जहाजों की लागत में बढ़ोतरी के साथ ही मालभाड़ा दरों में भी बढ़ोतरी हुई है और इस बात के स्पष्ट साक्ष्य नहीं है कि इस सेक्टर में निवेशों की अर्थक्षमता पर प्रतिकूल असर पड़ा है। तथापि, कीमत अधिक होने से प्रारम्भ में अधिक निवेश की जरूरत होती है जिससे कठिनाइयां होती हैं।

(ख) जहाजों की बढ़ी कीमत एक विश्वव्यापी घटना है जो सरकार के नियंत्रण या प्रभार क्षेत्र से बाहर है। सरकार ने अधिग्रहण संबंधी प्रक्रियाओं को सरल बना दिया है और जहाज अधिग्रहण के लिए आवेदन पर कार्रवाई करने में होने वाले विलम्ब को समाप्त कर दिया है।

(ग) चालू वर्ष के दौरान भारतीय बेड़े में 3.81 लाख जी०आर०टी० अधिग्रहीत होने या जोड़े जाने की आशा है।

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : महोदय, मुझे बहुत खेद है कि उन्होंने मेरे प्रश्न में मांगी गई कोई भी जानकारी नहीं दी है। मुझे खेद है कि मैंने यह प्रश्न क्यों किया क्योंकि प्रश्न के कारण राज्य और राजस्व को खर्चा करना पड़ता है। यह तो ऐसा उत्तर है जिसमें इस प्रश्न के उत्तर से बचा गया है।

अध्यक्ष महोदय : कम से कम आप तो खर्चे के बारे में अत्यधिक चिंतित हैं। कल, लगभग पन्द्रह सदस्य अनुपस्थित थे।

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : मुझे तो यह उत्तर मिला है : तथापि, कीमत अधिक होने से प्रारम्भ में अधिक निवेश की जरूरत होती है जिससे कठिनाइयां होती हैं। मैंने अपने प्रश्न में कहा था कि भारतीय नौवहन निगम और अन्य नौवहन कम्पनियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और सरकार उनकी कैसे मदद करेगी ? इसका कोई उत्तर नहीं दिया गया है। क्या सरकार आसान शर्तों पर ऋण की व्यवस्था करके या नौवहन निगम के हिस्सों में वृद्धि करके इसकी मदद करने जा रही है अथवा क्या सरकार ने मौजूदा बाजार की दरों तथा नौवहन निगम और अन्य कम्पनियों की नए जहाज खरीदने की क्षमता पर विचार किया है ? आप 3.81 लाख जी०आर०टी० के लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे ?

श्री राजेश पायलट : माननीय सदस्य ने कहा है कि हमने उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। यदि वह उत्तर के भाग (क), (ख) तथा (ग) का अध्ययन करें तो पाएंगे कि हमने उत्तर देने के अपने तरीके से उनके प्रश्न का उत्तर देने का पूर्ण प्रयास किया है। उन्होंने पूछा था कि कितने टन की क्षमता और अधिग्रहीत होने की आशा है और हमने इसके आंकड़े दिए हैं। उन्होंने इसके कारण तथा सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों के बारे में पूछा था। महोदय, नौवहन उद्योग काफी लम्बे समय से मन्दी में चल रहा था। 1974 से 1987 के प्रारम्भ तक नौवहन विश्व भर में पूर्णतया मन्दी प्रभावित था। मालभाड़ा दरें अत्यधिक कम थी और विश्व भर में शिपयार्ड पूर्णतया बन्द पड़े रहे। यह अच्छा हुआ कि भारतीय नौवाहन मन्दी को सहन कर गया। हमने अपनी तरफ से जहाज इत्यादि के अधिग्रहण की व्यवस्था को उदार बना दिया है और इसके बारे में मैंने पूर्व प्रश्न के उत्तर में उल्लेख किया था। मुख्य बात यह है कि पहले विदेशों से जहाज अधिग्रहण करने के लिए सरकार से अनुमति प्राप्त करने में लगभग डेढ़ वर्ष लग जाता था। इसके साथ-साथ समरूप शर्त में ढील दे दी गई है। आज, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि अब हम चार सप्ताह की अवधि में जहाज अधिग्रहण करने वाली कम्पनी को हां या ना की सूचना दे देते हैं इससे काफी मदद मिली है। 31-3-1989 को स्थिति यह थी कि हमने 126 जहाजों के अधिग्रहण की मंजूरी दी थी और केवल 33 जहाज अधिग्रहीत हुए थे। इसका यह मतलब है कि सरकार इसमें देरी नहीं कर रही है; सरकार कम से कम संभव समय में इन्हें मजूरी दे रही है।

मैं एक दिन एक जहाज के मालिक से बात कर रहा था। वह कह रहे थे कि पहले जब हम जहाज खरीदने के लिए बाजार जाते थे और उन्हें बताते थे कि हम भारत से हैं तो वे उस दिन का मूल्य तथा 25 प्रतिशत और जोड़कर कुल मूल्य बताया करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे कहते थे कि जब तक हम जहाज खरीदने के लिए दुबारा उनके पास जाते हैं तब तक मूल्य 25 प्रतिशत तक बढ़ चुके होते हैं। लेकिन अब हम उन्हें चार सप्ताह की अवधि के अन्दर अनुमति दे रहे हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है और सरकार ने यह बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है।

हमने कुछ अन्य उपाय भी किए हैं। इसकी एक बड़ी सूची है; मैं इसे माननीय सदस्य के पास भेज दूंगा ताकि वह इस दिशा में हमारे प्रयासों के बारे में जान जाएं।

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : माननीय सदस्य ने कहा है कि उन्होंने अनुमति देने की प्रक्रिया को सरल कर दिया है। जब वास्तव में मन्दी थी और जहाज बहुत कम कीमत पर बिक रहे थे तब नौवहन निगम तथा अन्य लोग प्रकियात्मक कठिनाइयों के कारण उन्हें नहीं खरीद सके। अब जब वे वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और जहाज खरीदने की स्थिति में नहीं है तो वे कहते हैं कि उन्होंने प्रक्रिया को सरल बना दिया है। प्रक्रिया सरल बनाने से क्या अतिरिक्त लाभ हुआ है ? उन्हें तो वित्तीय सहायता की जरूरत है। वे नौवहन निगम को कैसे वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएंगे ? क्या माननीय मंत्री महोदय हमें बताएंगे कि नौवहन निगम का कर्जे और इसके हिस्से का अनुपात क्या है और क्या अन्य सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की तुलना में यह स्थिति अच्छी है ? वास्तव में नौवहन निगम का कर्जे और हिस्सेदारी का अनुपात सबसे अधिक है। आप किस प्रकार से इसे कम करेंगे और जहाज खरीदने के लिए नौवहन निगम की किस प्रकार मदद करेंगे ? क्या

यह सच नहीं है कि मन्दी के दौरान भारत सस्ते जहाजों की उपलब्धता का फायदा उठाने में विफल रहा ? यदि उस समय पर्याप्त मात्रा में टन भार अधिग्रहीत कर लिए जाते तो हम बहुत अच्छी स्थिति में होते ।

श्री राजेश पायलट : महोदय, अब ऐसा कहना बहुत आसान है क्योंकि मालभाड़ा दरों में वृद्धि हो गई है । जब जहाज बहुत सस्ते उपलब्ध थे तब उन्हें खरीदने के लिए कोई भी तैयार नहीं था क्योंकि उनका कोई उपयोग नहीं था । हमारे जहाज भी बेकार खड़े थे । हमें पर्याप्त माल नहीं मिल रहा था और सभी नौवहन कम्पनियां घाटे में चल रही थी। अत्यधिक विकसित अमेरिका जैसे देश में अधिकतर बड़ी नौवहन कम्पनियां बन्द हो गई थी और सरकार ने उन्हें काफी मदद दी । ऐसे मामले हैं जिनमें विकसित देशों में राजसहायता में अत्यधिक मात्रा में वृद्धि कर दी गई थी । मैं आपसे सहमत हूं कि हमने तब इस बारे में सोचा था कि क्या अपनी टन भार क्षमता में वृद्धि करने अथवा इसे बढ़ाने का यह सही समय है । लेकिन फिर दोनों पहलुओं पर विचार करना है । यदि हम अब अपनी टन भार क्षमता को बढ़ाते हैं और मालभाड़ा दरों में शीघ्र ही वृद्धि नहीं होती है तो राजस्व की धनराशि का निवेश अधिक व्यवहार्य नहीं होगा । यह भी ध्यान में रखा गया था । 1987 में मालभाड़ा दरों में अचानक वृद्धि हुई और तब यह व्यवहार्य हो गया ।

भारतीय नौवहन निगम के संबंध में जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कर्जे के ईक्विटी अनुपात की समस्या है और इस संबंध में हमने पहले ही एक प्रस्ताव दे रखा है जो सरकार के पास लम्बित है ।

श्री चन्द्र प्रताप नरायण सिंह : महोदय, मंत्री महोदय अत्यधिक सक्षम मंत्री हैं, उन्होंने भारत में नौवहन की टन भार क्षमता को बढ़ाने में सहायता की है लेकिन दूसरी ओर हमारे यहां मझगांव डॉकयार्ड तथा कलकत्ता में और अन्य भी हैं जो यह दावा करते हैं कि भारतीय नौवहन उद्योग उन्हें इतने आर्डर नहीं देता कि वे अधिक जहाजों का निर्माण कर सकें । अब हमें इसी की जरूरत है, हमारे देश में स्वदेशीकरण का अत्यधिक महत्व है और ऐसा करने से हम इन डॉकयार्डों के माध्यम से रोजगार क्षमता में वृद्धि कर सकते हैं ।

इस प्रकार, अपने डॉकयार्डों की निर्माण क्षमता को देखते हुए क्या हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनकी क्षमता व्यर्थ न रहे और सिर्फ विदेशों से ही जहाज न खरीदे जाएं ?

श्री राजेश पायलट : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने मझगांव डॉकयार्ड का उल्लेख किया है । मेरे विचार से यह रक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत है और वे रक्षा विभाग के ही आर्डर लेते हैं । मुख्य रूप से दो शिपयार्ड हैं जहां स्वदेशी उत्पादन हो रहा है और ये कोचीन तथा विशाखा-पटनम हैं ।

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह : कलकत्ता में गार्डन रीच डॉकयार्ड भी है ।

श्री राजेश पायलट : हां, यह भी है । इनके पास भरपूर आर्डर हैं । हमने यह सुनिश्चित किया है कि उनके पास काम पूरा रहे । लेकिन दुर्भाग्य से स्वदेशी शिपयार्ड समय पर कार्य पूर्ण नहीं कर पाते हैं । शिपयार्डों को आर्डर दिये जाते हैं और वे जहाज सप्लाई करने में लगभग 5 से

6 वर्ष लेते हैं। इसमें अन्य मुद्दे भी शामिल हैं जैसे इस्पात सप्लाई नहीं किया जा सका, इत्यादि। हमने एक समिति गठित की थी जिसने सिफारिश की थी कि पहले समरूप शर्त 1 : 1 थी अर्थात् एक जहाज बाहर से खरीदा जाता था और एक स्वदेशी होता था और जैसाकि माननीय सदस्य ने कहा कि मालभाड़ा दरों में वृद्धि हो रही थी—तो इसे छूट देकर 1 : 3 कर दिया गया अर्थात् एक स्वदेशी जहाज और तीन जहाज विदेशों से लिए जाएं। ऐसा जरूरत पूर्ण करने के लिए किया गया था। जहाज बनाने के कार्य के साथ यह दायित्व भी शामिल होता है कि स्वदेशी शिपयार्ड को तीन वर्षों के अन्दर जहाज बनाना होता है। अन्यथा जहाज खरीदने के आर्डर देने और फिर शिपयार्ड की मर्जी पर निर्भर रहना व्यर्थ है जो आर्डर पूर्ण करने में 6 से 7 वर्ष लेता है। सभी शिपयार्डों के पास काफी कार्य है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : महोदय, मैं जहाज अधिग्रहण पर सरकार की नीति जानना चाहूंगा। इस कार्य में निजी क्षेत्र की भूमिका भी है हांलाकि भारतीय नौवहन निगम की भूमिका प्रमुख है। जैसाकि मंत्री महोदय ने अभी कहा है, मन्दी के दौरान विशेषरूप से पुराने जहाज तो बहुत सस्ते मूल्यों पर उपलब्ध थे। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की नीति जहाज अधिग्रहण करने की है क्योंकि ये सस्ते हैं और क्या उन्होंने टन भार क्षमता को मजबूत किया है क्योंकि काफी तबदीली हुई है। जहां तक नौवहन उद्योग का सम्बन्ध है, इसमें एक परिवर्तन हुआ है। अब कम ईंधन खर्च करने वाले जहाजों की मांग है। जब माल-भाडा दरें काफी कम हैं तो यदि पुराने जहाज कम ईंधन खर्चने वाले नहीं हैं तो उनके अधिग्रहण में कोई औचित्य नहीं है। जहां तक नौवहन मंत्रालय का सम्बन्ध है, उनकी यातायात प्रणाली में काफी परिवर्तन हुआ है।

उन्हें ऐसे जहाजों की आवश्यकताएं हैं जो इन डिब्बों को ले जा सके ना कि बड़े माल-वाहक जहाज को। अतः जहां तक नौवहन उद्योग का सम्बन्ध है तो उसमें अतिरिक्त टन भार निर्माण के प्रति सरकार की क्या नीति है ? अगर भारतीय नौवहन निगम को समुचित धन मिलने में कठिनाई होती है तो क्या नौवहन मंत्रालय नौवहन उद्योग को निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने को तैयार है जिससे की आधुनिक किस्म के ईंधन की कम खपत करने वाले जहाजों को हमारे उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अर्जित किया जा सके ?

श्री राजेश पायलट : माननीय सदस्य—जो की एक समय इसी विभाग में मंत्री रह चुके हैं—द्वारा बनाई गई रूपरेखा के अनुसार ही हमारा विभाग इसका अनुसरण कर रहा है। बस एक बात यह है कि हम इसकी प्रणाली में सुधार करना चाहते हैं।

मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गयी हैं। 32,000 डी०डब्ल्यू० टी० जलयान की कीमत जनवरी 1988 में 18 मिलियन डॉलर थी वह अब बढ़कर 27 मिलियन डॉलर हो चुकी है। इसी तरह पुराने, 32,000 डी० डब्ल्यू० टी० क्षमता वाले टैंकर की कीमत 10·5 मिलियन डॉलर थी, वह अब बढ़कर 14·15 मिलियन डॉलर हो चुकी है। नए और पुराने दोनों जलयानों की कीमतें करीब-करीब डेढ़ गुना बढ़ गयी हैं। भारतीय नौवहन निगम ने अब एस० एफ० डी० सी० का कार्य संभाला है और हम लोग रुग्ण नौवहन उद्योगों को पुर्नस्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी छूट और प्रोत्साहन 1 हम इसके लिये दे सकते थे, हमने

उसे पैकेज रूप में पहले ही दे दिया है। हमारा खुला दरबार है जहां जहाजरानी कम्पनियां और सरकार की तरफ से हम लोग एक साथ बैठकर इस बात पर चर्चा करते हैं कि इस उद्योग को कैसे मजबूत बनाया जाये।

जहां तक पोत प्रांगण (शिपयार्ड) का सम्बन्ध है, तो इस बारे में मैं जैसे पहले ही कह चुका हूं कि पोत प्रांगण की पूंजीगत पुनर्संरचना के लिये एक मसला सरकार के पास विचाराधीन है क्योंकि इसी समस्या के कारण ही पोत प्रांगण की स्थिति कुछ खराब हो गयी है। इस्पात मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री फोतेदार जो यहां उपस्थित हैं—हमने उनसे समय पर और उचित दाम पर इस्पात की पूर्ति करने का आग्रह किया है। कभी-कभी तो विदेशों से आयात किया गया इस्पात देशीय इस्पात से बहुत ही ज्यादा सस्ता होता है और इस कारण भी हमारे देशीय इस्पात उत्पादन की कीमत में फर्क होता है। अतः यह सभी प्रयत्न जारी हैं। हम इस बात से पूर्णत्या सहमत हैं कि इस क्षेत्र को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है।

बीरभूम में मिनी इस्पात संयंत्र का बंद किया जाना

*665. **श्री गदाधर साहा** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीरभूम में मिनी इस्पात संयंत्र बन्द कर दिया गया है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या इसे पुनः चालू करने का विचार है, और यदि हां तो इसे कब तक चालू किए जाने की संभावना है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार मेसर्स यूनिवर्सल इण्डस्ट्रीज एण्ड कोटन मिल्स लिमिटेड, जिला बीरभूम, पश्चिम बंगाल का एक लघु इस्पात संयंत्र, श्रमिक कठिनाई के कारण बन्द कर दिया गया है। तथा दिनांक 20-11-88 से इसमें तालाबंदी की घोषणा की गई है। यह बताना सम्भव नहीं है कि यह संयंत्र कब पुनः चालू होगा।

श्री गदाधर साहा : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का दुःख है कि यह उत्तर ना तो संतोषजनक है और नाहीं सच्चाई को दर्शाता है या पूर्ण सूचना प्रदान करता है। औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिले, बीरभूम—जहां तालाबंदी और संयंत्र के बन्द होने का प्रश्न है तो मैं मंत्री महोदय से इस दिशा में ज्यादा प्रकाश डालने का आग्रह करते हुए उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को

उजागर करने के लिये कहूंगा जो इस संयंत्र के बन्द होने के लिये उत्तरदायी हैं—जैसे कुल लागत संयंत्र के बन्द होने से पहले इसकी उत्पादन क्षमता, मजदूर असंतोष का सही का कारण, मजदूरों की मांगे और संयंत्र की तालेबन्दी के कारण रोजगार से निकाले गये मजदूरों की संख्या और संयंत्र और मद जरों की देखभाल, मजदूरों के साथ समझौता करने तथा इस संयंत्र को पुनः चालू करने के लिये सरकार द्वारा उठाये जाने वाले ठोस कदम ।

श्री एम०एल० फोतेदार : मैं माननीय सदस्य को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं भी मजदूरों के कल्याण के लिये बहुत चिंतित हूं खासकर पश्चिमी बंगाल में । यह एक श्रमिक विवाद का मामला है और राज्य सरकार के श्रम-आयुक्त इस मामले की छानबीन कर रहे हैं । मैं माननीय सदस्य को यह भी बतलाना चाहता हूं कि यह एक निजी कम्पनी होने के कारण मैं इस संबंध में ज्यादा विस्तार से नहीं बता सकता । मुझे मालूम हुआ है कि वहां दो सी० आई० टी० यूनियन हैं और दोनों एक-दूसरे के दुश्मन हैं । मैं माननीय सदस्य से यह आग्रह करूंगा की वे दोनों सी० आई० टी० यू० यूनियन को आपस में मिल जाने की सलाह दें और यह कोशिश करें की उनके बीच सामंजस्य स्थापित हो सके । अगर ऐसा किया गया, तो सम्भव है कि उस औद्योगिक इकाई के मजदूरों की समस्याओं को सुलझाया जा सकेगा । मैं माननीय सदस्य से इसमें राज्य सरकार के समावेष का भी आग्रह करूंगा जिससे की मजदूरों के हितों की सुरक्षा की जा सके क्योंकि यह राज्य का मामला है ।

इस्लामी देशों द्वारा अफगानिस्तान में विद्रोहियों की सरकार को मान्यता

***666. श्री बृजमोहन महन्ती** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अफगानिस्तान में विद्रोही मुजाहिदीनों द्वारा बनाई गई सरकार को इस्लामी देशों द्वारा मान्यता दे दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह मान्यता जेनेवा समझौते की भावना के विपरीत है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री के० नटवर सिंह : (क) रियाद में इस्लामी संगठन सम्मेलन के विदेश मंत्रियों की बैठक में अफगानिस्तान के लिए रिक्त स्थान तथाकथित "अन्तरिम सरकार" को दिया गया था । तथापि, अभी तक केवल चार राज्यों ने इस सरकार को मान्यता दी है ।

(ख) जेनेवा समझौतों में इस मसले का विशेषरूप से उल्लेख नहीं है । मौजूदा वास्तविकताओं और सभी संबंधित पक्षों के उचित हितों को ध्यान में रखते हुए ही व्यापक आधार वाली सरकार के गठन से अफगानिस्तान समस्या का स्थायी राजनैतिक समाधान निकल सकता है ।

श्री बृजमोहन महन्ती : महोदय, मेरे प्रश्न पर या तो सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं किया गया या इस पर आवश्यकता के अनुरूप ध्यान नहीं दिया गया ।

मेरा प्रश्न यह है । मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह मान्यता जेनेवा समझौते की भावना के विपरीत है । मैं यह नहीं कहता की यह अभी तक प्रमाणित नहीं किया गया है कि इस

भावना का उल्लंघन किया गया है या नहीं। समस्या यह है कि इस पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की जाए। जहां तक भारत सरकार का संबंध है मेरी समझ में यह नहीं आता की वे इस संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करने में संकोच क्यों करते हैं। भारत सरकार की पाकिस्तान की उस धारणा के संबंध में क्या प्रतिक्रिया है जिसमें उसने कहा है कि अफगानिस्तान को पाकिस्तान महासंघ का एक भाग होना चाहिए ? उस विद्रोही सरकार के गठन का जिसका कोई व्यापक आधार नहीं है उसके बारे में भारत सरकार का क्या रवैया है और ईरान की सरकार उसका समर्थन इसलिए कर रही है क्योंकि शिया मुजाहिदीन उनकी सरकार का समर्थन नहीं कर रही है। पाकिस्तानी सेना द्वारा विद्रोही सरकार को सीधे समर्थन देने पर भारत सरकार का क्या रवैया है ?

अतः मेरा निवेदन है कि उन्हें निर्धारित करने दें कि इस संबंध में भारत सरकार की यह स्थिति है।

श्री के० नटवर सिंह : महोदय, माननीय सदस्य के प्रश्न का संबंध मुजाहिदीन द्वारा अन्तरिम सरकार की स्थापना—और क्या इसको मान्यता प्रदान करना जेनेवा संधि के विरुद्ध है या नहीं—से है।

हम कह चुके हैं कि इस्लामी संगठन सरकार के कुछ सदस्यों ने इसे मान्यता प्रदान की है। यह चार देश हैं जिन्होंने इस अन्तरिम सरकार को स्वीकृति प्रदान की है। वे हैं : सऊदी अरब, बहरीन, सूडान और मलेशिया। इस दिशा में हमारी प्रतिक्रिया यह है कि हमने इसे मान्यता प्रदान नहीं की है। यह जन प्रतिक्रिया है।

दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान सरकार ने भी इस अन्तरिम सरकार को मान्यता प्रदान नहीं की है क्योंकि वे जेनेवा संधि के हस्ताक्षरकर्ता हैं।

माननीय सदस्य ने यह जानना चाहा है कि इस व्यापक-आधार पर गठित सरकार के बारे में हमारी क्या प्रतिक्रिया है। यथातथ्य, यह उन्होंने अपने प्रश्न के (क) और (ख) भाग में नहीं पूछा है। श्री महन्ती के प्रति मेरे मन में बहुत आदर है। उन्होंने कहा है कि हमने उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया और हम लोग संकोच कर रहे हैं। हम लोग संकोच नहीं कर रहे हैं।

अफगानिस्तान में जो भी हो रहा है उस पर भारत सरकार की स्थिति स्पष्ट है। यह इस सभा में अनेकों बार घोषित किया जा चुका है। हम लोग विदेश मंत्रालय की अनुदानों के बारे में इस सप्ताह या अगले सप्ताह चर्चा करेंगे और भारत सरकार की नीति इस सम्बन्ध में स्पष्ट कर दी जायेगी। यह कहना काफी है कि हम अफगानिस्तान में एक व्यापक आधार वाली सरकार की स्थापना के पक्ष में हैं जिसमें सभी अफगानी और राष्ट्रपति नजीबुल्ला के नेतृत्व वाले पी० डी० पी० ए० सरकार भी भाग ले सके। उन्होंने इस संबंध में बहुत ही स्पष्ट प्रस्ताव किया है। अब खुद मुजाहिदीन ही प्रजातंत्र के समर्थक नहीं रहे हैं। उनके बीच में बहुत ज्यादा भेदभाव हो गया है—ईरान के मुजाहिदीनों का एक विचार है तो पाकिस्तान के मुजाहिदीनों का दूसरा। जहां तक हमारा संबंध है तो हमने राष्ट्रपति नजीबुल्ला की सरकार को स्वीकृति प्रदान की है।

श्री बृजमोहन महन्ती : इस विषय पर पाकिस्तान सरकार द्वारा, पाकिस्तान की सेनाओं

द्वारा और पाकिस्तान के राष्ट्रपति के द्वारा जो विभिन्न दृष्टिकोण अपनाये गये हैं उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ? इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ? मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप इस संबंध में पाकिस्तान सरकार के रवैया में कोई स्थिरता पाते हैं ।

श्री के० नटवरसिंह : उन्होंने मुझसे पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के महासंघ के सुझाव के बारे में पूछा था । मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान सरकार ने इसे अस्वीकार कर दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल समाप्त हुआ ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में भारत और चीन के बीच सहयोग

[अनुवाद]

*656 **श्री सोमनाथ रथ** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में सहयोग के लिये चीन के साथ कोई समझौता किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) मार्च, 1989 में चीन के शिष्टमंडल द्वारा हाल ही में किए गए दौरे के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों से सम्बन्धित कुछ क्षेत्रों में सहयोग करने की सम्भावना का पता लगाया गया था ।

जनसंख्या वृद्धि तथा पर्यावरण प्रदूषण का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ के देशों द्वारा सामूहिक समाधान ढूंढना

*660 **डा० दिग्विजय सिंह** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनसंख्या वृद्धि एवं पर्यावरण प्रदूषण की समस्याओं का, जो दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ के देशों में चिंताजनक रूप धारण कर रही हैं, सामूहिक समाधान सभी सदस्य देशों द्वारा ढूंढे जाने की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हाँ, तो दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ के देश कब तक इस संबंध में पारस्परिक सहयोग आरम्भ कर देंगे तथा क्या सदस्य देशों के सांसदों को इसमें शामिल किया जाएगा ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) और (ख) जनसंख्या और परिवार नियोजन के विषय पर विस्तृत विचार-विमर्श करने के बाद स्वास्थ्य और जनसंख्या गतिविधियों के संबंध में सार्क की तकनीकी समिति ने सितम्बर, 1986 में इस्लामाबाद में हुई अपनी

बैठक में मातृ और बाल स्वास्थ्य और परिवार स्वास्थ्य विषय को अपनी कार्य योजना में प्राथमिकता वाले विषयों में शामिल किया था। सार्क ने प्राकृतिक विपदाओं के कारणों और उसके परिणामों तथा पर्यावरण के संरक्षण के संबंध में एक व्यापक अध्ययन का काम भी हाथ में लिया है। यह अध्ययन 1990 तक पूरा किया जाएगा और उस समय इसकी सिफारिशें उपलब्ध हो जाएंगी।

सार्क की सभी गतिविधियों को अन्तर-सरकारी स्तर पर उठाया जाता है। अतः संसदविज्ञों की सीधी दखल का सवाल नहीं उठता।

महाराष्ट्र में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को केन्द्रीय सहायता

*661. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :**

प्रो० रामकृष्ण मोरे :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को इस बात की जानकारी है कि मार्च, 1989 में महाराष्ट्र राज्य के अनेक जिलों में ओलावृष्टि के कारण किसान बुरी तरह प्रभावित हुए हैं और उनकी फसलों को हानि पहुँची है ;

(ख) क्या सरकार का ओलावृष्टि के कारण हुए नुकसान का मूल्यांकन करने हेतु प्रभावित जिलों को एक केन्द्रीय दल भेजने का विचार है; और

(ग) इस स्थिति का सामना करने के लिए महाराष्ट्र राज्य को कितनी केन्द्रीय सहायता देने का विचार है ?

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल) : (क) जी, हाँ। महाराष्ट्र सरकार ने कुछ जिलों में ओलावृष्टि के कारण हुई क्षति की सूचना दी है।

(ख) और (ग) हाल ही में हुई ओलावृष्टि के लिए केन्द्रीय सहायता की मांग संबंधी कोई ज्ञापन महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है।

राष्ट्रीय मत्स्य पालन विकास बोर्ड की स्थापना

*663. **श्री नरसिंह सूर्यवंशी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के आधार पर राष्ट्रीय मत्स्य पालन विकास बोर्ड स्थापित करने का विचार है, ताकि समुद्री उत्पाद उद्योग को, जिसके निर्यात की संभावनाएँ बहुत अधिक हैं, बढ़ावा दिया जा सके; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल) : (क) राष्ट्रीय मात्स्यिकी सलाहकार बोर्ड का गठन 10 जनवरी, 1989 को देश के मात्स्यिकी क्षेत्र के समेकित एवं समन्वित विकास हेतु सरकार को सलाह देने के लिए किया गया है।

(ख) इस बोर्ड के अध्यक्ष सहित कुल मिलाकर 26 सदस्य हैं। इस बोर्ड में 19 सरकारी सदस्य हैं, जो विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, संगठनों और राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं

तथा अध्यक्ष सहित 7 गैर-सरकारी सदस्य हैं, जो मछुवारों, मत्स्य पालकों, मत्स्यन उद्योग और प्रबन्ध विशेषज्ञों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस बोर्ड के निर्णयों के कार्यान्वयन की प्रगति की समय-समय पर समीक्षा करने के लिए एक स्थाई समिति भी है, जिसमें अध्यक्ष सहित 7 सदस्य हैं।

राष्ट्रीय मात्स्यिकी सलाहकार बोर्ड के मुख्य कार्यों में अन्य बातों के साथ-साथ गहरे समुद्र में मत्स्यन के संवर्धन, वृद्धि और विकास हेतु नीतियों की सिफारिश करना, खारे जल में झींगा और मछली पालन, मीठे पानीमें जल-कृषि और मछली पालन, मछुवारों की सामाजिक-आर्थिक आवश्यकताओं का पता लगाना और अपने कल्याण के लिए उपयुक्त कार्यक्रमों की सिफारिश करना; उपयुक्त प्रौद्योगिकियों के विकास और अपनाने तथा अनुसंधान, विकास और विस्तार के बीच बेहतर समन्वय के जरिए मात्स्यिकी क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए उपाय सुझाना; मत्स्यन बन्दरगाह, मात्स्यिकी औद्योगिक सम्पदा आदि जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए सापेक्ष महत्त्व की योजनाओं के निरूपण हेतु सलाह देना ; मीठे जल और खारे जल में जलकृषि तथा जलाशय मात्स्यिकी के विकास और प्रबन्ध हेतु प्रक्रिया सुझाना ; घरेलू विपणन और निर्यात दोनों हेतु कम कीमत की समुद्री मछलियों के उपयोग तथा मूल्य बढ़ाने वाले उत्पादों के उत्पादन और विपणन पर सलाह देना तथा समुद्री उत्पादों के निर्यात की मात्रा और मूल्य आदि को बढ़ाना शामिल है।

राष्ट्रीय मात्स्यिकी सलाहकार बोर्ड अपने कार्यकलापों से सम्बन्धित एक रिपोर्ट केन्द्रीय मात्स्यिकी बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

प्रो० बी० रामचन्द्र राव को इस बोर्ड का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

नौवहन क्षेत्र में भारत और आस्ट्रेलिया के बीच सहयोग

*667. **श्री एस० बी० सिदनाल :**

श्री जी० एस० बासवराजू :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आस्ट्रेलिया ने भारत को नौवहन के क्षेत्र में सहयोग देने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में और आगे विचार-विमर्श करने के लिए दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने एक दूसरे के देश की यात्रा की थी;

(ग) क्या इस संबंध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

उत्तरी केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 को चौड़ा करना

*668. **श्री तम्पन थामस** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 और 17 को जोड़ने वाली सड़क का राष्ट्रीय राजमार्ग के स्तर के अनुरूप विकास करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक मंजूरी प्रदान की जायेगी;

(ग) क्या उत्तरी केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 को कर्नाटक सीमा से माहे तक चौड़ा करने का प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) केरल सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग 17 और 47 को जोड़ने के लिए एक राज्य सड़क विकसित करना चाहती है और उसने एशियाई विकास बैंक की सहायता मांगी है। प्रस्ताव को मूल्यांकन के लिए एशियाई विकास बैंक को भेज दिया गया है।

(ग) और (घ) एशियाई विकास बैंक के वित्त पोषण के लिए राज्य से उत्तरी केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग 17 को चौड़ा करने सम्बन्धी एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। परियोजना को मूल्यांकन के लिए एशियाई विकास बैंक के पास भेज दिया गया है।

"साइंटिस्ट्स रिजेंट नेपोटिज्म" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

*669. **डॉ० चन्द्रशेखर त्रिपाठी :**

श्री डी० बी० पाटिल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 31 दिसम्बर, 1988 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "साइंटिस्ट्स रिजेंट नेपोटिज्म" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विभिन्न आरोपों के सम्बन्ध में कोई जांच की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला ?

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) ये आरोप सामान्य किस्म के हैं और इनमें कोई दम नहीं है।

स्टील अथारिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड के कर्मकारों के लिए मजूरी स्कीम

*670. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी :**

श्रीमती बसवाराजेश्वरी :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टील अथारिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड ने अपने कर्मकारों की न्यूनतम मजूरी बढ़ाकर प्रतिमाह 1350 रुपये करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस स्कीम द्वारा कुल कितने कर्मकारों के लाभान्वित होने की संभावना है;

(ग) किस आधार पर न्यूनतम मजूरी प्रतिमाह 1350 रुपये निर्धारित की गई;

(घ) क्या प्रस्तावित मजूरी वृद्धि उत्पादकता पर आधारित है; और

(ङ) स्टील अथारिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड की सामान्य वित्तीय स्थिति पर इस वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एस० फोतेदार) : (क) इस्पात उद्योग में मजदूरी संशोधन तथा अन्य सम्बन्धित लाभों के सम्बन्ध में एक समझौता-ज्ञापन इस्पात उद्योग की राष्ट्रीय संयुक्त समिति, जिसमें स्टील अथारिटी ऑफ इण्डिया (सेल) सदस्य है, में रखा गया है। इसके अनुसार नियमित कर्मकार की संशोधित न्यूनतम मजदूरी दिनांक 1-1-1989 से 1550 रुपये होगी। यह समझौता-ज्ञापन स्वीकृति हेतु सरकार के विचाराधीन है।

(ख) दिनांक 1-1-1989 की स्थिति के अनुसार "सेल" में काम कर रहे कुल 2,04,928 कर्मकारों के लाभान्वित होने की सम्भवना है।

(ग) मूल मजूरी ढांचे में परिवर्तन मुख्यत: पिछले समझौते से उपचित महंगाई भत्ते को मिला देने से हुआ है।

(घ) समझौता ज्ञापन में सम्बन्धित कम्पनियों की उत्पादकता तथा लाभदायकता बढ़ाने का वायदा किया गया है।

(ङ) मजूरी तथा अन्य लाभों में संशोधन करने से मजूरी बिल में लगभग 15% वित्तीय बोझ पड़ने की सम्भावना है। उत्पादन और लाभदायकता बढ़ाने के लिए प्रबंधन और श्रमिक-संघों की संयुक्त बचनबद्धता से बढ़े हुए व्यय को, "सेल" के आन्तरिक स्रोतों से पूरा करने का प्रस्ताव है।

उर्वरक उद्योग में संकट

*671. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक एसोसिएशन के अनुसार, वर्ष 1989-90 के बजट में उर्वरक उद्योग को दी गई अधिक राजसहायता के बावजूद उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का देश मे उरर्वक उद्योग की स्थिति की समीक्षा करने का विचार है; और

(ग) सरकार द्वारा उर्वरक उद्योग को दी जाने वाली रियायतों का ब्यौरा क्या है ताकि इसे बन्द होने से बचाया जा सके ?

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल) : (क) से (ग) आर्थिक सहायता के लगातार बढ़ते हुए भार को कम करने की दृष्टि से, सरकार ने हाल ही में प्रतिधारण मूल्य तथा आर्थिक सहायता योजना में क्षमता उपयोगिता के उच्चतर मापदण्ड तथा मूल्य ह्रास की और लम्बी अवधियां निर्धारित की हैं जो पहली अप्रैल, 1988 से प्रभावी हैं। फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इण्डिया ने इस निर्णय के खिलाफ अभ्यावेदन दिया है और यह बताया है कि उद्योग को उपर्युक्त निर्णय के फलस्वरूप कठिन समय का सामना करना पड़ सकता है। सरकार इस सम्बन्ध में फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इण्डिया तथा अन्यों से प्राप्त अभ्यावेदन की जांच कर रही है।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के मलयालम के प्रश्न-पत्र के बारे में शिकायतें

*672. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा के कुछ प्रश्न-पत्रों में प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर होने की शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो किन विषयों के प्रश्न-पत्रों में प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर थे;

(ग) क्या केरल से शिकायत प्राप्त हुई है कि मलयालम भाषा के प्रश्न-पत्र में प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर थे; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिनमें अखिल भारतीय सीनियर स्कूल परीक्षा में गणित पेपर के भाग पाठ्यविवरण से बाहर होने के आरोप लगाए गए थे। के० मा० शि० बो० ने इस आरोप की जांच की थी विशेषज्ञ अपनी-अपनी राय में बटे हुए थे।

(ग) और (घ) इस आशय की कोई शिकायत नहीं थी कि अखिल भारतीय माध्यमिक स्कूल परीक्षा, 1989 का मलयालम के लिए तैयार किया गया प्रश्न पत्र पाठ्य-विवरण से बाहर था। तथापि, ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई थीं कि गद्य और पद्य के उन नवीन संस्करणों की पुस्तकों से, जो विकल्प पुस्तकों के रूप में निर्धारित की गई थीं, कोई प्रश्न सेट नहीं किया गया था। के० मा० शि० बो० ने यह सुनिश्चित किया है कि वास्तव में यह गलती हुई है और कि प्रश्न-पत्र निर्धारक की ओर से ही हुई है। के० मा० शि० बो० ने यह प्रबन्ध किया है कि वे छात्र जो पेपर में शामिल न की गई पुस्तकों के प्रश्नों को कर नहीं सके हैं, उन्हें किए गए प्रश्नों के आधार पर यथानुपात अंक दिए जाएंगे।

तटीय नौवहन

*673. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तटीय नौवहन बढ़ाने के लिए सातवीं योजना में तटीय नौवहन संचालन में उत्पन्न अड़चनों को दूर करने और पुराने जलपोतों के स्थान पर ईंधन की कम खपत वाले आधुनिक जलपोतों का उपयोग करने की योजना बनाई गई थी;

(ख) यदि हां, तो अड़चनों को दूर करने और तटीय नौवहन बढ़ाने तथा उसमें ईंधन की कम खपत वाले जलपोत शामिल करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सातवीं योजना के दौरान कुल कितने टन माल की ढुलाई की गई और वह माला छठीं योजना के दौरान की गई माल की ढुलाई से कितनी अधिक अथवा कम थी ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) सातवीं योजना का आम नीति निर्देश इसी दिशा में था।

(ख) अब तक उठाए गए कुछ कदम हैं :—

1. तटीय नौवहन के लिए टनेज अधिग्रहण की अनुमति जहाज की आयु और कम ईंधन खपत करने के संदर्भ में दी जाती है ।

2. जहाजों के टर्न राउंड समय में कमी के साथ-साथ सुधरी लोडिंग दरों की प्राप्ति ।

3. हल्दिया के अलावा पारादीप और विशाखापत्तनम को अतिरिक्त कोयला लादने वाले पत्तनों में शामिल कर दिया गया है ।

4. सम्भव सीमा तक सीमाशुल्क प्रक्रियाओं को सरल बना दिया गया है ।

5. हल्दिया और टूटीकोरिन में डुबावों में सुधार किया जा रहा है ।

6. तटीय साधन से कोयले का आवागमन के परिमाण में वृद्धि ।

7. जहां सरकार द्वारा सबसिडी देय न हो, वहां तटीय शुल्क नियत/संशोधित करने की शक्ति महानिदेशक (नौवहन) को प्रदान कर दी गई है ।

(ग) छठी और 1988-89 तक सातवीं योजना के दौरान कुल कार्गो (कच्चे तेल और पी० ओ० एल० सहित) की ढुलाई नीचे दी गई है :—

	मिलियन टन
छठी योजना	65·5
सातवीं योजना	87·2

मछली पकड़ने वाले जहाजों के लिए शुष्क गोदी प्रभार

*674. **श्री दौलत सिंहजी डा० देजा** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान मछली पकड़ने वाले जहाजों के लिए शुष्क गोदी प्रभार दो गुना हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) विशाखापत्तनम और कोचीन पत्तनों पर मछली पकड़ने वाले जहाजों के लिए वर्तमान शुष्क गोदी प्रभार का ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रबन्ध व्यवस्था में सुधार हेतु क्या कदम उठाए गए ताकि ऐसे प्रभार बढ़ाने की आवश्यकता न पड़े ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) महापत्तनों में सिर्फ कलकत्ता, मद्रास, विशाखापत्तनम और बम्बई पत्तनों में ही फिशिंग वैसलों के लिए ड्राइडाकिंग सुविधाएं हैं। उपरोक्त किसी भी पत्तन ने पिछले तीन वर्षों के दौरान ड्राइडाकिंग प्रभारों को दो गुना नहीं किया है।

(ख) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

(ग) कोचीन पोर्ट में फिशिंग वैसलों के लिए ड्राइडाकिंग सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।

विशाखापत्तनम में फिशिंग वैशलों के सम्बन्ध में ड्राइडाकिंग प्रभार नीचे दिए गए हैं—

स्लिपिंग इन और स्लिपिंग आउट प्रभार

टनेज वर्गीकरण (टनों में)	दर
1 से 15	प्रति टन 140 रु० बशर्ते कि न्यूनतम 2100 रु०
15 से अधिक और 25 तक	पहले 15 टन के लिए 2100 रु० और उसके ब प्रति टन 140 रु०
25 से अधिक और 50 तक	पहले 25 टन के लिए 3500 रु० और उसके ब प्रति टन 90 रु०
50 से अधिक और 80 तक	पहले 50 टन के लिए 6000 रु० और उसके ब प्रति टन 70 रु०
80 से अधिक और 125 तक	पहले 80 टन के लिए 8250 रु० और उसके ब प्रति टन 50 रु०
125 से अधिक	पहले 125 टन के लिए 10,000 रु० और उस बाद प्रति टन 40 रु०

स्लिपवे मरम्मत के लिए वर्थ का भाड़ा प्रभार

टनेज वर्गीकरण (टनों में)	दर
1 से 50	(1) पहले दिन के लिए 110 रु०
	(2) दूसरे से दसवें दिन के लिए प्रतिदिन 550 रु०
	(3) ग्यारहवें से पन्द्रहवें दिन के लिए प्रतिदिन 1100 रु०
	(4) सोलहवें दिन और उससे अधिक के लिए प्रतिदिन 1400 रु०
50 से अधिक और 80 तक	(1) पहले दिन के लिए 1200 रु०
	(2) दूसरे से दसवें दिन के लिए प्रतिदिन 600 रु०
	(3) 11वें से 15वें दिन तक प्रतिदिन 1200 रु०
	(4) 16वें दिन और उससे अधिक के लिए प्रतिदिन 1600 रु०
80 से अधिक और 125 तक	(1) पहले दिन के लिए 1300 रु०
	(2) दूसरे से 10वें दिन के लिए प्रतिदिन 650 रु०
	(3) 11वें से 15वें दिन के लिए प्रतिदिन 1300 रु०
	(4) 16वें दिन और उससे अधिक के लिए प्रतिदिन 1800 रु०
125 से अधिक	(1) पहले दिन के लिए 1400 रु०
	(2) दूसरे से 10वें दिन के लिए प्रतिदिन 700 रु०
	(3) 11वें से 15वें दिन के लिए प्रतिदिन 1400 रु०
	(4) 16वें दिन और उससे अधिक के लिए प्रतिदिन 2,900 रु०

कच्चे लोहे की मांग तथा सप्लाई

*675. **श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 के दौरान देश में कच्चे लोहे की कितनी मांग तथा सप्लाई का अनुमान लगाया गया है; और

(ख) मांग और सप्लाई में अन्तर को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) और (ख) वर्ष 1989-90 के सम्बन्ध में कच्चे लोहे की मांग लगभग 17·5 लाख टन आंकी गई है। इसका घरेलू उत्पादन लगभग 16 लाख टन होने की सम्भावना है। शेष आवश्यकता आयात द्वारा पूरी की जानी होगी।

पाकिस्तान द्वारा चीन और आस्ट्रेलिया से लड़ाकू जेट विमानों की खरीद

[हिन्दी]

6180. **श्री एस० डी० सिंह :**

श्री गुरुदास कामत :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 फरवरी, 1989 के "पंजाब केसरी" में "पाक वायु सेना के लिए आस्ट्रेलिया व चीन से 125 बम वर्षक खरीदेगा" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार देश की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठा रही है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) सरकार उन सभी घटनाओं की बराबर समीक्षा करती रहती है जिनका भारत की सुरक्षा पर असर पड़ता हो तथा इसकी सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाती है ।

खनिज गवेषण निगम लिमिटेड, मध्य प्रदेश द्वारा अकुशल श्रमिकों की नियुक्ति

[अनुवाद]

6181. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज गवेषण निगम लिमिटेड (एम० ई० सी०), मध्य प्रदेश ने 14·75 रुपए प्रतिदिन की दर से अस्थाई तौर पर अकुशल श्रमिकों की नियुक्ति की है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त परियोजना में कार्यरत ऐसे श्रमिकों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह मजूरी नवम्बर, 1983 में हुए राष्ट्रीय कोयला मजूरी समझौता-3 के अनुरूप है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) और (ख) जी हां । खनिज गवेषण निगम लि० की बांगलवाड़ (म० प्र०) स्थित परियोजना में 122 अकुशल श्रमिक तैनात हैं।

(ग) और (घ) जी नहीं । खनिज गवेषण निगम लि० का अपना मजदूरी-ढांचा है, जो मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) द्वारा की गई समझौता वार्ता के फलस्वरूप, मान्यताप्राप्त यूनियन

के साथ हुए समझौते के अनुरूप है। कम्पनी ने सूचित किया है कि ठेका श्रमिक (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम के अनुसार, उसके कामगारों को मजदूरी समझौते अथवा अवार्ड के अनुसार अथवा न्यूनतम मजदूरी के अनुसार, मजदूरी दी जा सकती है। नवम्बर, 1983 के राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौता-3 के अनुसार, खनिज गवेषण निगम लि० के कामगारों को मजदूरी की अदायगी केवल तभी की जा सकती है, जब वे वही या उसी प्रकार का काम करते हों, जो मूल नियोक्ता के कामगारों द्वारा किये जाते हैं।

इस्पात के निर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंस मंजूर करना

6182. **श्री विजय एम० पाटिल :** क्या इस्पात और खान मंत्री इससे के निर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंस के मंजूर करने के बारे में दिनांक 3 नवम्बर, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 104 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मांगी गई अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धित ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) से (ग) वर्ष 1987 तथा 1988 के दौरान इस्पात निर्माण की सुविधाएं स्थापित करने के लिए निम्नलिखित कम्पनियों को आशय पत्र स्वीकृत किए गए हैं :—

1. मेसर्स मॉडर्न स्टील लि०,
2. मेसर्स स्पेशिलिटी अलॉय स्टील, लि०,
3. मेसर्स ऊषा अलॉय्स एण्ड स्टील्स लि०,
4. मेसर्स स्टील स्ट्रिप्स लि० (आसाम स्थित इकाई के लिए)
5. मेसर्स अशोका अलॉय स्टील्स प्रा० लि०,
6. मेसर्स स्ट्रिप्स लि० (हिमाचल प्रदेश की इकाई के लिए)
7. मेसर्स सिम्पलेक्स कास्टिंग्स प्रा० लि०,
8. मेसर्स ब्लू आर्क इंजीनियरिंग लि०।

उपरोक्त कम्पनियों में से कोई भी बड़ी औद्योगिक इकाई नहीं है।

कोट्टूर-अम्बासमुद्रम अन्तर्राज्यीय सड़क का निर्माण

6183. **श्री टी० बशीर :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केंद्रीय सरकार को कोट्टूर-अम्बासमुद्रम केरल-तमिलनाडु अंतर्राज्यीय सड़क के निर्माण का कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केरल सरकार ने अन्य बातों के साथ उक्त सड़क के लिए अंतर्राज्यीय या आर्थिक महत्व की केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के तहत वित्त पोषण के लिए 3.30 करोड़ रुपए की आवश्यकता बताई है। तथापि, वित्तीय कठिनाइयों और अन्य प्राथमिकताओं के कारण इस अनुरोध को स्वीकार कर पाना संभव नहीं है।

तूतीकोरिन पत्तन क्षेत्र में मोतियों का भण्डार

6184. श्री एन० डेनिस : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में तूतीकोरिन क्षेत्र में हाल ही में मोतियों के भण्डारों का पता लगा है;

(ख) क्या इन मोतियों के निर्यात की संभावना पर विचार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली प्रशासन के अधीन पृथक खेल कूद निदेशालय की स्थापना

6185. श्री एच०जी० रामुलु : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के अधीन एक पृथक खेल-कूद निदेशालय स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) जी, हां।

(ख) विस्तृत ब्यौरे अभी तैयार करने हैं।

गोहत्या पर प्रतिबंध

6186. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या कृषि मंत्री दुधारू पशुओं की संख्या के बारे में 9 मार्च, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2041 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने गायों की उम्र, उपयोगिता अथवा उत्पादकता को दरकिनार करते हुए गोहत्या पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने गोहत्या पर सशर्त प्रतिबंध लगाया है और इन शर्तों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या यह प्रतिबंध सांडों, बैलों अथवा भैंसों पर भी लागू होता है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) से (ग) गायों की हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाले राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के नाम नीचे दिए गए हैं :—

(1) हरियाणा	(2) हिमाचल प्रदेश
(3) जम्मू और कश्मीर	(4) मध्य प्रदेश
(5) पंजाब	(6) राजस्थान
(7) चंडीगढ़	(8) दिल्ली
(9) दादर और नगर हवेली	(10) आन्ध्र प्रदेश
(11) गोवा	(12) गुजरात
(13) महाराष्ट्र	(14) मणिपुर
(15) त्रिपुरा	(16) तमिलनाडु
(17) बिहार	(18) सिक्किम
(19) कर्नाटक	(20) उत्तर प्रदेश
(21) अण्डमान और निकोबार	(22) पांडिचेरी

2. क्रम संख्या 10 से 22 पर उल्लिखित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के मामले में, कुछ परिस्थितियों के अन्तर्गत सांडों/बैलों की हत्या किए जाने की अनुमति है।

3. जिन राज्यों ने गायों की हत्या पर सशर्त प्रतिबंध लगाया है, उनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

क्र०सं०	राज्य के नाम	शर्तें
1	2	3
1.	असम	असम गोपशु संरक्षण अधिनियम, 1950 (संशोधन 1976) के प्रावधानों के अनुसार उत्पाद देने वाले किसी भी गोपशु की हत्या किए जाने की अनुमति नहीं है। कुछ प्रतिबंधित स्थानों पर जिला नगर प्राधिकारी से अनुमति (लाइसेंस) प्राप्त करने के बाद और किसी अर्हता प्राप्त पशु-चिकित्सक से स्वास्थ्य संबंधी उचित जांच किए जाने के बाद प्रतिबंधित संख्या में गोपशु की हत्या किए जाने की अनुमति है।

1	2	3
2.	उड़ीसा	केवल पंजीकृत वध-शालाओं में ही गायों की हत्या किए जाने की अनुमति है।
3.	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल पशु वध नियंत्रण अधिनियम 1950 के अन्तर्गत केवल उन्हीं पशुओं की हत्या की जा सकती है जो 14 वर्ष से अधिक की आयु के हों और काम के लिए या प्रजनन के लिए अस्वस्थ हों या उम्र, चोट लगने, विकलांगता या किसी उपचार न किए जा सकने वाले रोग के कारण काम के लिए या प्रजनन कार्यों के लिए स्थायी रूप से अक्षम हो गए हों।

खाद्यानों के मूल्यों में वृद्धि

6187. **श्री कमल चौधरी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गेहूं, चावल, दालें तथा खाद्य तेलों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वर्ष 1988 के दौरान वृद्धि हुई है; और

(ख) मूल्यों में वृद्धि रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं या करने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) 1987 की तुलना में 1988 के दौरान खाद्यान्नों, खाद्य पदार्थों और चीनी के थोक मूल्यों में सामान्यतया वृद्धि हुई है, जबकि खाद्य तेलों और तिलहनों के थोक मूल्यों में कमी आयी।

(ख) सरकारी नीति का मुख्य बल विभिन्न आवश्यक जिन्सों, विशेषकर जिनकी सप्लाई कम है, के उत्पादन में वृद्धि करने पर रहा है। घरेलू सप्लाई में वृद्धि करने के लिये सरकार ने दाल, खाद्य तेल आदि जैसी कुछ मदों का आयात करने की अनुमति दी है। आवश्यक जिन्सों के मूल्यों को नियंत्रित रखने के लिए उठाये गये अन्य उपायों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करना, रुचित मूल्य की और दुकानें खोलना, और आवश्यक जिन्सों के मूल्यों और इनकी उपलब्धता का प्रबोधन करना शामिल है।

भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर द्वारा "नेवल आक्साइड मेटीरियल" के सम्बन्ध में भारत सोवियत संयुक्त उद्यम

6188. **श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज वाडियर :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बंगलौर ने भारत-सोवियत संयुक्त कार्यक्रम के रूप में "नेवल आक्साइड मेटीरियल" के सम्बन्ध में एक कार्यक्रम आरम्भ किया है;

(ख) यदि हां, तो संस्थान द्वारा क्या विशिष्ट कार्य किया गया है ; और

(ग) संयुक्त कार्यक्रम पर अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) से (ग) भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर द्वारा भेजी गयी सूचना के अनुसार, नावल आक्साइड मेटिरियल्स सम्बन्धी परियोजना तीन वर्ष पूर्व आरम्भ की गयी थी। संस्थान द्वारा आक्साइड की अनेक किस्में तैयार की गयी हैं और उनकी प्रापर्टीज का अध्ययन भी किया गया है। सिंथेसिस की नई प्राविधियों की भी खोज की जा चुकी है। अब तक अमेरीकी राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिष्ठान से प्राप्त अनुदान में से 18 लाख रुपये खर्च किये जा चुके हैं।

बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा ढलवां लोहे का उत्पादन

6189. **श्री एच० जी० रामुलु** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दो वर्षों के दौरान बोकारो इस्पात संयंत्र में ढलवां लोहे के उत्पादन में वृद्धि हुई है;

(ख) क्या उपर्युक्त अवधि के दौरान ढलवां लोहे की वितरण दर में भी वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) उन सरकारी कम्पनियों को ढलवां लोहे की उचित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं जो प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान बोकारो इस्पात संयंत्र में कच्चे लोहे का उत्पादन तथा बिक्री निम्नानुसार है :—

(हजार टनों में)

वर्ष	उत्पादन	बिक्री
1987-88	641	625
1988-89	345	354

इस्पात बनाने के लिए तप्तधातु के प्रयोग में हुई वृद्धि के कारण वर्ष 1987-88 की तुलना में वर्ष 1988-89 के दौरान बोकारो इस्पात संयंत्र में कच्चे लोहे की उपलब्धता में कमी हुई है।

(घ) प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को कच्चे लोहे की की जाने वाले सप्लाई के सम्बन्ध में जे० पी०सी० वितरण मार्गदर्शी सिद्धान्तों में अपेक्षित प्राथमिकता का प्रावधान है। ऐसे प्राथमिकता वाले क्षेत्र, सेल के संयंत्रों से,सीधे कच्चे लोहे की सप्लाई प्राप्त कर सकते हैं।

राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान, नई दिल्ली में निदेशक की नियुक्ति

6190. **डा० जी० विजयरामाराव** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी को बिना किसी व्यावसायिक प्रशिक्षण और पृष्ठ-भूमि के, राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान, नई दिल्ली में निदेशक पद पर नियुक्त किया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारियों में व्यापक असन्तोष फैला है; और

(घ) क्या ऐसी नियुक्तियों से अन्य राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यावसायिक संस्थानों की तुलना में राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान की स्थिति खराब होने की सम्भावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) विभिन्न क्षेत्रों में 18 वर्ष से अधिक सेवा अनुभव रखने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी को राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निपसीड) का निदेशक नियुक्त किया गया था।

(ख) यह नियुक्ति, संस्थान की तात्कालिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जो उस समय गंभीर प्रशासनिक समस्याओं का सामना कर रहा था की गई थी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह कहना उचित नहीं है कि इस नियुक्ति के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड का स्तर अन्य व्यावसायिक संस्थानों की तुलना में नीचे गिर जाएगा।

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा मदर डेरी, कलकत्ता को दुग्ध उत्पादनों की सप्लाई

6191. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ने मार्च 1986 से मदर डेरी, कलकत्ता को रेलगाड़ी द्वारा कुल कितनी मात्रा और किस्म के दूध, दुग्ध उत्पादों की सप्लाई की है ;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि परिवहन के दौरान दूध के खराब होने की समस्या से निपटने के लिए हाइड्रोजन परआक्साइड जैसे परिरक्षी पदार्थों का प्रयोग करने का सहारा लिया जा रहा है ;

(ग) क्या मदर डेरी, कलकत्ता में परिरक्षी पदार्थों पर कोई परीक्षण नहीं किये जाते हैं ; और

(घ) यदि हाँ, तो वैकल्पिक पदार्थों का प्रयोग करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं क्योंकि हाइड्रोजन परआक्साइड मानव के लिए हानिकारक है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) लम्बी दूरी तक दूध पहुंचाने के लिए कोई परिरक्षी पदार्थ नहीं मिलाया जाता। केवल ताजे पाश्चुरीकृत शीतित दूध की ढुलाई इन्सुलेटेड रेल टैंकरों में की जाती है ।

(ग) मदर डेरी, कलकत्ता विभिन्न सहकारी डेरी संघों और दूध यूनियनों से प्राप्त अपरिष्कृत दूध में परिरक्षी पदार्थों के मिलाए जाने का पता लगाने के लिए नियमित रूप से परीक्षण करती है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पंजाब में कृषि और ग्रामीण श्रमिकों को रोजगार देना

6192. **श्री कमल चौधरी** : क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने पंजाब में कृषि और ग्रामीण श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) पंजाब सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव कृषि मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास कार्यक्रम के अंतर्गत उनके विकास के लिए आबंटन

6193. **श्री एस० पलाकोंड्रायुडू** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश को ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1986 से 1988 की अवधि के दौरान जिले-वार कितनी धन-राशि का आबंटन किया गया ;

(ख) उन एजेन्सियों के नाम क्या हैं जिनके माध्यम से यह धनराशि व्यय की गई है ;

(ग) क्या वर्ष 1989-90 के दौरान धन राशि में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय के ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दर्शायी गई है ।

(ख) धनराशि सम्बन्धित जिलों की जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के माध्यम से खर्च की गई है ।

(ग) और (घ) ग्रामीण महिला और शिशु विकास कार्यक्रम (डवाकरा) के अन्तर्गत निधियां महिलाओं के बनाए गए समूहों के आधार पर रिलीज की जाती है । 1989-90 के लिए, आन्ध्र प्रदेश को 600 समूहों का आबंटन किया गया है । इस आधार पर, जिला ग्रामीण विकास

एजेंसियां बनाए जा रहे समूहों के आधार केन्द्रीय अंश के रूप में 30.60 लाख रुपए यूनिसेफ अंश के रूप में 30·00 लाख रुपए प्राप्त करने की पात्र होंगी ।

विवरण

ग्रामीण महिला तथा शिशु विकास योजना (उवाकरा) के अन्तर्गत आंध्र प्रदेश को आबंटित धनराशि

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र०सं०	जिले का नाम	1986-87		1987-88		1988-99	
		केन्द्रीय अंश	यूनिसेफ अंश	केन्द्रीय अंश	यूनिसेफ अंश	केन्द्रीय अंश	यूनिसेफ अंश
1.	आदीलाबाद	—	—	—	—	—	—
2.	श्रीकाकुलम्	—	—	6·12	6·00	—	—
3.	कुडप्पा	—	—	—	—	—	—
4.	महबूब नगर	5·10	5·00	—	—	2·86	2·80
5.	अन्नतपुर	5·10	5·00	—	—	5·10	5·00
6.	विजयनगरम्	—	—	—	—	5·10	5·00
7.	मेडक	—	—	—	—	5·10	5·00

अनिवासी भारतीयों द्वारा अपने बच्चों की कालेज और विश्वविद्यालय शिक्षा की सुविधाओं के लिये अनुरोध

6194. **श्री एस० एम० गुरड्डी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनिवासी भारतीयों ने सरकार से यह अनुरोध किया है कि भारत में उनके बच्चों के लिए कालेज और विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं; और

(ख) सरकार ने अनिवासी भारतीयों के बच्चों को भारत में शिक्षा सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) और (ख) अनिवासी भारतीयों के बच्चे भारत के कालेजों/विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए पात्र हैं । तथापि अनिवासी भारतीयों से, आवासीय अर्हता के कारण कालेजों/विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए उनके बच्चों के समक्ष आने वाली समस्याओं के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी देश में विश्वविद्यालयों में अनिवासी भारतीयों के बच्चों के लिए सीटें आरक्षित करने के सुझाव पर विचार किया था, उनके अनुसार भी इस प्रकार का आरक्षण उचित नहीं है तथापि आयोग ने यह महसूस किया कि अनिवासी भारतीयों द्वारा प्रार्थनापत्र जमा कराने के समय में छूट देने तथा उनके बच्चों द्वारा विदेशों

में प्राप्त की गई योग्यता की समतुल्यता के सम्बन्ध में उन्हें सूचना देकर उनकी सहायता करने के लिये विचार किया जा सकता है।

विद्युत चालित पम्पसैट

6195. **श्री सैयद शाहबुद्दीन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1988 से 31 दिसम्बर, 1988 तक राज्यवार कितने अतिरिक्त पम्पसेटों के लिए विद्युत प्रदान की गई और जिन पम्पसैटों के लिए विद्युत प्रदान की गई है उनकी राज्यवार संचयी संख्या कितनी है; और

(ख) इसी अवधि के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में, राज्यवार, अब तक कितने सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया गया और उनकी संख्या कितनी है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) अप्रैल, 1988 से 31 दिसम्बर, 1988 तक विद्युत प्रदान किए गए पम्पसेटों की राज्यवार संख्या और जिन पम्पसेटों के लिए विद्युत प्रदान की गई है, उनकी राज्यवार संचयी संख्या को दर्शाने वाला विवरण-1 संलग्न है।

(ख) अप्रैल, 1988 से 31 दिसम्बर, 1988 तक की अवधि के दौरान राष्ट्रपति ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन०आर०ई०पी०) ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारटी कार्यक्रम (आर०एल०ई० पी०) और केन्द्रीय प्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (सी०आर०एस०पी०) के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित स्वच्छ शौचालयों के बारे में राज्यों से अब तक प्राप्त रिपोर्टों और निर्मित स्वच्छ शौचालयों की संचयी संख्या को दर्शाने वाला विवरण-2 संलग्न है।

विवरण-1

क्रम संख्या	राज्य	31-3-88 तक विद्युत प्रदान किए गए पम्पसेटों की संख्या	1-4-88 से 31-12-88 तक विद्युत प्रदान किए पम्पसेटों की संख्या	संचयी कुल
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	947700	58096	1005796
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—
3.	असम	3225	19	3244
4.	बिहार	226245	5995	232240
5.	गोआ	3171	168	3339
6.	गुजरात	378339	19822	398161
7.	हरियाणा	325697	4390	330087

1	2	3	4	5
8.	हिमाचल प्रदेश	2904	167	3071
9.	जम्मू और कश्मीर	1619	217	1836
10.	कर्नाटक	586486	31716	618202
11.	केरल	175799	5786	181585
12.	मध्य प्रदेश	611424	42993	654417
13.	महाराष्ट्र	1235700	82667	1318367
14.	मणिपुर	45	शून्य	45
15.	मेघालय	65	शून्य	65
16.	मिजोरम	—	—	—
17.	नागालैण्ड	10	शून्य	10
18.	उड़ीसा	38032	1846	39878
19.	पंजाब	513701	9497	523198
20.	राजस्थान	307200	10082	317582
21.	सिक्किम	—	—	—
22.	तमिलनाडु	1184450	40987	1225437
23.	त्रिपुरा	1183	20	1203
24.	उत्तर प्रदेश	592852	10922	603774
25.	पश्चिमी बंगाल	60401	5670	66071
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	—	—	1
27.	चण्डीगढ़	608	5	613
28.	दादरा व नगर हवेली	395	7	402
29.	दिल्ली	18797	492	19289
30.	दमन व दीव	664	शून्य	664
31.	लक्षद्वीप	—	—	—
32.	पाण्डिचेरी	90 8	134	9212
	योग (अखिल भारत)	7225791	331698	7557489

विवरण-2

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम/
केन्द्रीय प्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित स्वच्छ शौचालयों की संख्या

क्र० सं०	राज्य/संघशासित क्षेत्र	31-3-88 तक	1988-89 (1-4-88 से 31-3-89)	संचयी कुल
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	35463	15797	51260
2.	अरुणाचल प्रदेश	1585	94	1679
3.	असम	873	115	988
4.	बिहार	12503	1912	14415
5.	गोआ	—	—	—
6.	गुजरात	23474	1368	24842
7.	हरियाणा	3008	66	3074
8.	हिमाचल प्रदेश	9157	3542	12699
9.	जम्मू व कश्मीर	—	—	—
10.	कर्नाटक	1646	4336	5982
11.	केरल	11684	1731	13415
12.	मध्य प्रदेश	1585	500	2085
13.	महाराष्ट्र	12766	552	13318
14.	मणिपुर	1502	762	2264
15.	मेघालय	1274	904	2178
16.	मिजोरम	2753	81	2834
17.	नागालैण्ड	546	170	716
18.	उड़ीसा	1100	966	2066
19.	पंजाब	2757	5245	8002
20.	राजस्थान	11681	1816	13497
21.	सिक्किम	1797	1710	3507
22.	तमिलनाडु	20658	3490	33148
23.	त्रिपुरा	892	163	1055

1	2	3	4	5
24.	उत्तर प्रदेश	53463	3001	56464
25.	पश्चिमी बंगाल	4287	3302	7589
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	1260	—	1260
27.	चण्डीगढ़	—	—	—
28.	दादरा व नगर हवेली	200	—	200
29.	दिल्ली	6374	754	7128
30.	लक्षद्वीप	978	275	1253
31.	पाण्डिचेरी	110	—	110
	योग (अखिल भारत)	234376	52652	287028

सोवियत संघ के साथ सांस्कृतिक संबंध

6196. **श्री आर०एम० भोये :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ ने अपने देश में भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति से भली भांति परिचित होने के लिये दोनों देशों के बीच बुद्धिजीवियों, लेखकों और कवियों का आदान-प्रदान करने की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव किया है;

(ख) क्या सोवियत संघ के किसी शिष्टमंडल ने हाल ही में भारत का दौरा किया है; और

(ग) यदि हां, तो मुख्य विषयों पर हुई बातचीत का ब्योरा क्या है और इन पर क्या निर्णय लिये गये हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) भारत-सोवियत सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम 1989-90 में किए गए प्रावधानों में सामाजिक विज्ञान, दर्शन और भारत विद्या के क्षेत्र में सहयोग और विनिमय की परिकल्पना की गई है। सोवियत विज्ञान अकादमी के एक शिष्टमण्डल ने सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में भारत और सोवियत संघ के बीच सहयोग के वर्तमान स्तर का सर्वेक्षण करने के लिए 14 से 23 फरवरी, 1989 तक भारत का दौरा किया। शिष्टमण्डल ने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी सहमति व्यक्त की कि "अधिक अभिन्न सोसाइटी के विकास में आध्यात्मिक संस्कृति की भूमिका" पर एक सेमिनार भारत में आयोजित किया जाए।

(ख) और (ग) एक शिष्टमण्डल जिसमें प्रो० यू०के० पिलेटिनिकोव और प्रो० ओ०वी० मेजेन्तसेवा शामिल थे, ने जनवरी, 1988 में भारत का दौरा किया। भारतीय संस्कृति, समकालीन भक्ति आन्दोलन और मार्क्सवाद तथा भारतीय दर्शन के तुलनात्मक अध्ययन उनकी चर्चा के केन्द्र थे।

राष्ट्रीय पुस्तकालय, रामकृष्ण मिशन संस्कृति संस्थान तथा कलकत्ता स्थित एशियाटिक सोसाइटी के संयुक्त सहयोग से नवम्बर, 1988 में भारत-विद्या अध्ययन पर आयोजित एक सम्मेलन में सोवियत रूस के दो प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन में विदेशों में भारत-विद्या अध्ययन, प्राचीन इतिहास और पुरातत्व एवं परम्परा और तिब्बती अध्ययन की निरन्तरता पर विचार-विमर्श किया गया

सोवियत रूस के 59 सदस्यों का एक शिष्टमण्डल अन्तर्राष्ट्रीय कृष्ण चेतना सोसाइटी के निमंत्रण पर भारत में पवित्र स्थानों का दौरा करने के लिए फरवरी, 1989 में भारत आया था।

आंध्र प्रदेश में मत्स्य पालन क्षेत्र में संकट

6197. **श्री सोडे रमैया** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मत्स्य पालन क्षेत्र को अर्थक्षम बनाने के लिए आंध्र प्रदेश में मत्स्य पालन से सम्बन्धित प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह विचार सुनिश्चित करने के लिए कोई अध्ययन किया गया है कि मत्स्य नौकाओं के श्रमिक एक वर्ष में 225 दिन से अधिक अवधि तक बेरोजगार रहते हैं;

(घ) यदि हां, तो उनकी बेरोजगार अवधि के लिए मत्स्य पालन क्षेत्र के श्रमिकों की क्षतिपूर्ति करने के लिए कौन-सी योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है; और

(ङ) आंध्र प्रदेश में मत्स्य नौकाओं पर कार्यरत श्रमिकों का नियमित रोजगार सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश में मात्स्यिकी के क्षेत्र के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, मत्स्यन उद्योग से संबंधित मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए समय-समय पर मात्स्यिकी उद्योग/संघों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की जाती है।

(ग) से (ङ) मत्स्यन जलयानों अथवा उन पर कार्यरत कर्मचारियों के खाली रहने के संबंध में सरकार ने कोई विशेष अध्ययन नहीं किया है। उपलब्ध जानकारी से पता चलता है कि यंत्रीकृत और गहरे समुद्र में मत्स्यन करने वाले जलयान विभिन्न घटकों पर निर्भर करते हुए वर्ष में लगभग 200 दिन काम करते हैं। मत्स्यन न किए जाने वाले दिनों में मत्स्यन जलयानों पर काम करने वाले कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति करने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन गेट संख्या-2 का डी०टी०सी० बस टर्मिनल

6198. **डा० कृपासिंधु भोई** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्टेशन गेट संख्या 2 पर स्थित डी०टी०सी० बस टर्मिनल मिन्टो रोड पर स्थानान्तरित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या दिल्ली को आने वाले और यहां से बाहर जाने वाले यात्रियों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए सरकार का इस टर्मिनल को पुनः अपने पुराने स्थान पर स्थानान्तरित करने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली परिवहन निगम की साधारण सेवाएं जो पहले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के गेट नं० 2 से चलाई जाती थी वे अब नजदीक के मिंटो रोड से चलाई जाती हैं । यातायात भीड़-भाड़ से बचने और सड़क सुरक्षा की दृष्टि से रेलवे और यातायात पुलिस प्राधिकारियों के कहने से ऐसा किया गया है । रेलवे यात्रियों की विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने वाली रेलवे स्पेशल बसें पहले वाली मूल जगह से ही चलाई जाती हैं ।

(ग) जी, नहीं ।

केरल में कोको, कालीमिर्च और सुपारी का उत्पादन

6199. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1988 में केरल में कोको, कालीमिर्च और सुपारी का उत्पादन निर्धारित लक्ष्य के अनुसार हुआ था;

(ख) यदि हां, तो केरल में क्रमशः वर्ष 1987 तथा 1988 के दौरान कालीमिर्च औ सुपारी का कुल कितना उत्पादन हुआ था; और

(ग) वर्ष 1989 की प्रथम तिमाही के दौरान इन फसलों से अनुमानतः कितना उत्पाद होने की आशा है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) (क) कोको, कालीमिर्च और सुपारी के संबंध में वर्ष 1988-89 के उत्पादन के अनुमान उपल नहीं हैं ।

(ख) और (ग) 1987-88 के दौरान, इस राज्य में 48,280 लाख मीटरी टन का मिर्च और 55,400 लाख मीटरी टन संसाधित सुपारी का उत्पादन किया गया । कालीमिर्च व सुपारी के संबंध में 1988-89 के उत्पादन के अनुमान उपलब्ध नहीं हैं ।

सुन्दरवन को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करना

6200. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने कि करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सुन्दरवन को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसके विकास के लिए तैयार की गई योजना की मुख्य बातें क्य और इसे कब तक कार्यान्वित किया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) राष्ट्रीय जल-मार्ग घोषित करने के लिए जिन दस जलमार्गों को विचारार्थ चुना गया है, उनमें एक सुंदरवन है।

(ख) और (ग) इस खण्ड को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए जाने पर इसके विकास कार्य में जलीय सर्वेक्षण, निकर्षण, चैनल, रेखांकन, नौचालन उपकरणों का प्रावधान, संरक्षण कार्य नौचालन में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ट्रैफिक के आवागमन को विनियमित करना शामिल होंगे। चूंकि सुंदरवन को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित नहीं किया गया है, इसलिए इसके कार्यान्वयन में लगने वाले समय के बारे में बता पाना संभव नहीं होगा।

एटा (उत्तर प्रदेश) में केन्द्रीय विद्यालय

6201. **श्री कैलाश यादव** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एटा, उत्तर प्रदेश में एक केन्द्रीय विद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल०पी० शाही) : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

दुर्लभ पांडुलिपियों को प्राप्त करना

6202. **श्री एन० डेनिस** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत तथा विदेशों में रहने वाले व्यक्तियों से भारतीय राजनीति के विकास से सम्बन्धित दुर्लभ पांडुलिपियां प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) भारतीय अभिलेखागार, नई दिल्ली और खुदा बख्श ओरियन्टल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना में भारतीय इतिहास के मध्य-कालीन और आधुनिक काल से सम्बन्धित पांडु-लिपियां और दस्तावेज प्राप्त करने के कार्यक्रम हैं। उनके द्वारा इन्हें प्राप्त करने के लिए निम्न-लिखित तरीके अपनाये जा रहे हैं :—

(1) वैयक्तिक सम्बन्धों और पत्र-व्यवहार के माध्यम से उपहार/दान द्वारा।

(2) खरीद द्वारा।

(3) विभिन्न देशों के साथ सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों के अन्तर्गत।

(4) इडिया ऑफिस लाइब्रेरी एण्ड रिकार्डस, लन्दन के साथ विनिमय करार के अन्तर्गत।

(5) चार्ल्स वैलेस ट्रस्ट (इंडिया) ग्रांट लन्दन के अन्तर्गत। इंडिया आफिस लाइब्रेरी ड रिकार्डस, लन्दन के साथ सम्पर्क करने तथा भारतीयासित के दस्तावेज माइक्रो-फिल्म पर प्त करने के लिए यह सन् 1984 से 5 वर्ष के लिए उपलब्ध कराया गया था।

(6) यूनेस्को की सहायता से।

कीट-नाशी दवाइयों का प्रतिकूल प्रभाव

6203. **श्री सुरेश कश्यप** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिस्थितिकी तंत्र पर कीट-नाशी दवाइयों के प्रतिकूल प्रभाव पर निगरानी रखने के लिए कोई परीक्षण किये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली में बेची जाने वाली सब्जियों में निर्धारित सह्य सीमा से अधिक कीट-नाशी दवाइयों के अंश पाये जाने के बारे में समय-समय पर जांच की जाती है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख) कीटनाशी अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत पंजीकरण-पूर्व अपेक्षा के रूप में मूल्यांकन किया जाता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पारिस्थितिकी-प्रणाली के विभिन्न घटकों पर कीटनाशी दवाइयों के प्रभावों को मानिटरिंग किया जाना शामिल है। देश में केवल उन्हीं कीटनाशी दवाइयों को आयात, विनिर्माण और उपयोग करने के लिए पंजीकृत किया जाता है जो सुरक्षित पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, समेकित कृमि प्रबन्ध को सलाह दी जा रही है, जिसमें पालन सम्बन्धी, यंत्रीकरण, बायोलोजिकल पद्धतियों को बढ़ावा देना और केवल जरूरत पर आधारित कीटनाशी दवाइयों का उपयोग शमिल है, ताकि पारिस्थितिकी-प्रणाली पर ऐसे रसायनों के उपयोग के किसी सम्भावित प्रतिकूल प्रभाव से बचा जा सके।

(ग) और (घ) जी नहीं

दिल्ली स्थित विश्व युवक केन्द्र

6204. **श्री पी० ए० एन्टनी** : क्या मानव संसाधन विकास मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय युवक केन्द्र के अन्तर्गत विश्व युवक केन्द्र चलाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसका दर्जा और कृत्य क्या हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस केन्द्र को धनराशि दी जाती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा) : (क) से (घ) यह एक स्वैच्छिक संगठन है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्यक्रम और खेल विभाग इस संगठन को कोई अनुदान नहीं देता है।

रियायती प्रिंटिंग पेपर की कमी

6205. **श्री चिन्तामणी जेना** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उड़ीसा में पाठ्य-पुस्तकों की छपाई के लिए रियायती प्रिंटिंग पेपर की कमी होने के कारण राज्य में पाठ्य-पुस्तकों की कमी है; और

(ख) यदि हां, तो आगामी वर्षों में पाठ्य-पुस्तकों की कमी न होने देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) शैक्षिक क्षेत्र को कागज की बराबर तथा सामयिक सप्लाई को सुनिश्चित करने की दृष्टि से, कागज नियंत्रण आदेश जनवरी, 1987 को रद्द कर दिया गया है और 24 करोड़ रु० के वार्षिक बजट के साथ एक वैकल्पिक आर्थिक सहायता योजना आरंभ कर दी गई है। आर्थिक सहायता चूंकि रु० 3000/- प्रति मी० टन है अत: एक वर्ष में राज्य/संघ शासित क्षेत्र को संवितरण हेतु मात्र 80,000/- मी० टन उपलब्ध कराया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, यदि किसी तिमाही में कुछ फालतू कागज रह जाता है, तो उसे जरूरतमन्द राज्यों को पुन: आबंटित कर दिया जाता है। छात्र नामांकन आंकड़ों के आधार पर उड़ीसा सरकार का हिस्सा एक वर्ष में 2148 मी० टन होता है। वर्ष 1987 और 1988 के दौरान अपने सामान्य कोटे के अतिरिक्त उड़ीसा राज्य को क्रमश: 581 मी० टन तथा 150 मी० टन तक कागज का अतिरिक्त आबंटन किया गया था। तदनुसार, आर्थिक सहायता की कुल राशि तथा उड़ीसा राज्य की पात्रता की तुलना में उड़ीसा राज्य के लिए कागज की उपलब्धता में कोई कमी नहीं रही है।

(ख) राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को कागज के आबंटन में वृद्धि का प्रश्न सफेद मुद्रण कागज की उपलब्धता पर निर्भर करेगा तथा जो बदले में आर्थिक सहायता की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के सभी क्षेत्रों में क्षेत्रीय शैक्षणिक सलाहकार समितियां

6206. **श्री गुरुदास कामत** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने अपने सभी क्षेत्रों में क्षेत्रीय शैक्षणिक सलाहकार समितियां स्थापित की हैं;

(ख) यदि हां, तो उनके गठन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनमें अध्यापकों के संघ को प्रतिनिधित्व देने का कोई प्रावधान है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं; तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शासी बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित क्षेत्रीय सलाहकार समिति की संरचना संलग्न विवरण में दी गई है। इस समिति में अध्यापक संघ का कोई प्रतिनिधि नहीं है।

विवरण

क्षेत्रीय सलाहकार समिति की संरचना

1. अध्यक्ष (शिक्षा सचिव)
2. सदस्य

(रक्षा प्रतिष्ठानों का एक वरिष्ठ प्रतिनिधि जिनमें क्षेत्रीय मुख्यालयों पर केन्द्रीय विद्यालय स्थापित है।)

3. सदस्य

(स्टेशन पर केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण समन्वय समिति का अध्यक्ष)

4. सदस्य

(क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालयों की परियोजना का एक वरिष्ठ प्रतिनिधि)

5. सदस्य
6. सदस्य

(दो उत्कृष्ट शिक्षाविद जिनमें से कम-से-कम एक महिला हो)

7. सदस्य

(निकट के एक विख्यात स्कूल का एक प्रिंसिपल)

8. सदस्य

(के० लो० नि० वि०/एम० ई० एस० का एक प्रतिनिधि जो प्रमुख या निरीक्षक इंजीनियर के रैंक से कम न हो।)

9. सदस्य

(सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के अस्पताल का एक उत्कृष्ट डाक्टर)

10. सदस्य

(उप प्रबंधक/उप-आयुक्त)

11. सदस्य

(स्थानीय केन्द्रीय विद्यालय का एक प्रिंसिपल)

12. सदस्य-सचिव

(सहायक आयुक्त)

मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय

[हिन्दी]

6207. **श्री मनकुराम सोढी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र में किन-किन स्थानों पर केन्द्रीय विद्यालय चलाए जा रहे हैं;

(ख) क्या जिला मुख्यालय बस्तर के अन्तर्गत जगदलपुर में भी एक केन्द्रीय विद्यालय खोलने का निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो यह कब खोला जाएगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाहो) : (क) मध्य प्रदेश में कार्य कर रहे केन्द्रीय विद्यालयों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) और (ग) वर्ष 1989-90 में खोले जाने वाले केन्द्रीय विद्यालयों के स्थान के संबंध में अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है ।

विवरण

31-3-1989 की यथास्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश में कार्य कर रहे केन्द्रीय विद्यालयों की सूची

क्रम सं०	राज्य का नाम तथा पता
1	2
1.	अमला डिपो, अमला जिला, बेतूल
2.	सारणी, जिला बेतूल
3.	बैलादिला आयरन ओर प्रोजेक्ट, डिपोजिट नं० 5, बाचेली, जिला बस्तर
4.	बैलादिला आयरन ओर प्रोजेक्ट, डिपोजिट नं० 14, किरनदुल, जिला बस्तर
5.	आर्डनेन्स फैक्टरी, इटारसी
6.	मोरार केन्द्र, ग्वालियर
7.	ग्वालियर नं० 1, शक्ति नगर, ग्वालियर
8.	ग्वालियर नं० 2, ए० एफ० एस०, रेसिडेन्सी, ग्वालियर
9.	वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, डाकघर बैकुंठपुर, जिला सरगुजा
10.	वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, चिरीमिरी एरिया, जिला सरगुजा
11.	बैरागढ़, भोपाल
12.	सेन्ट्रल इंडिया फ्लोर मिल्स, भोपाल

1	2
13.	सेक्युरिटी पेपर मिल्स, होशंगाबाद
14.	रेजिडेन्सी क्लब रोड, इंदौर
15.	92 कनिंघम रोड, महू, जिला इंदौर
16.	जबलपुर नं० 1, जी० सी० एफ० इस्टेट, जबलपुर
17.	जबलपुर नं० 2, सिगनल ट्रेनिंग सेन्टर, जबलपुर
18.	ऑर्डिनेन्स फैक्टरी, खामरिया, जबलपुर
19.	भारत ऐलुमिनियम कम्पनी लिमि० बालको टाउनशिप, कोरबा, जिला बिलासपुर
20.	प्रगति नगर, एन० टी० पी० सी० लिमि० दारी, जिला बिलासपुर
21.	हिन्दुस्तान कॉपर लिमि०, मलंज खंड, जिला बालाघाट
22.	पंचमढ़ी
23.	सी० आर० पी० एफ० केम्पस, नीमच
24.	सागर, जिला सागर
25.	नेशनल कोल डेवलपमेंट कार्पोरेशन, सिंगरौली, जिला सिद्धी
26.	रेलवे कालौनी, न्यू कटनी जंक्शन
27.	आर्डेनेन्स फेक्टरी, कटनी
28.	उज्जैन
29.	नेशनल न्यूजप्रिंट एंड पेपर लिमि०, नेपानगर, जिला ईस्ट नीमार
30.	घाना (सागर)
31.	बैंक नोट प्रैस, देवास
32.	रायपुर, ओल्ड रेलवे इलेक्ट्रीफिकेशन स्टोर डिपो, डी० सी० ओ० (आर० ई०) आर०, रिपेयर, शॉप कालोनी
33.	रीवा, डाकघर रीवा, जिला रीवा
34.	आर्मी आर्डेनेन्स कार्प्स स्कूल, जबलपुर
35.	व्हीकल फैक्टरी इस्टेट, जबलपुर
36.	कुसुमुंडा प्रोजेक्ट, डब्ल्यू० सी० एल०, जिला बिलासपुर, कोरबा
37.	डब्ल्यू० सी० एल० डाकघर झागरखंड कोलरी, जिला सरगुजा
38.	डब्ल्यू० सी० एल०, डाकघर धानपुरी, जिला शाहडोल
39.	बी-जोन, सी० ओ० डी०, जबलपुर
40	वर्किंग वूमेन होस्टल बिल्डिंग, काटजु नगर, जिला रतलाम

1	2
41.	सीमेंट कार्पोरेशन आफ इंडिया, नयागांव, सीमेंट फैक्टरी, तहसील जावाद, जिला मंदसौर
42.	चांदमेंटा, वेस्टर्न कोल फील्ड लिमि०, पंच एरिया, जिला छिंदवाड़ा
43.	ए० एफ० एस० महाराजपुर, डाकघर महाराजपुर, ग्वालियर-474020
44.	सेन्ट्रेल प्रूफ संस्था, इटारसी-461114
45.	एकलतारा सीमेंट फैक्टरी, सीमेंन्ट कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमि०, जिला बिलासपुर
46.	जमुना कोलरी, वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, जमुना कोटमा एरिया, डाकघर जमुना कोलरी, जिला शाहडोल-48444
47.	आर्डनेन्स फैक्टरी इस्टेट, ईस्ट सेंड, कटनी, जिला जलालपुर (म० प्र०) 483503
48.	वेपन ट्रेनिंग, बी० एस० एफ० इंदौर, (म० प्र०)
49.	शापिंग काम्पलेक्स, गर्ल्स कालेज के पास, दुर्ग
50.	नरसिंगपुर
51.	खारगांव, पिन-451001
52.	बिलासपुर
53.	राजगढ़, पिन-465661
54.	सेटलमेंट आफिस बिल्डिंग, नानखेडी, गुना, पिन-473001
55.	कृषि उपज मंडी गिन्नौर, आश्रम स्टेशन रोड, सिहोर
56.	खंडवा, पिन-450001
57.	अम्बिकापुर (सुरगुजा)-497001
58.	एन० एम० डी० सी० लिमि०, आकाशनगर, बाचेली
59.	सेन्ट्रल वर्कशाप जयन्त प्रोजेक्ट, डाकघर जयन्त कोलरी, जिला सिद्धी-486890
60.	जी० सी० एफ० जबलपुर नं० 2, पिन-48200 ।
61.	आई० टी० बी० पी० कारेरा, जिला शिवपुरी
62.	आई० टी० बी० पी० शिवपुरी
63.	बीना, जिला सागर
64.	ओ० एफ० शामरिया, जिला जबलपुर
65.	भिलाई, जिला दुर्ग
66.	मनेन्द्रागढ़, जिला सरगुजा

उर्वरक प्रौद्योगिकी का अन्तरण

[अनुवाद]

6208 **श्री टी० दास गौड़** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988 के दौरान उर्वरक उद्योगों में कौन-कौन से मुख्य प्रौद्योगिकी अन्तरण किये गये;

(ख) प्रौद्योगिकी के आयात में कुल कितनी धनराशि खर्च की गयी;

(ग) क्या ये प्रौद्योगिकी अन्तरण विदेशी सहयोग के माध्यम से क्रियान्वित किये गये थे; और

(घ) यदि हां, तो सीधे अन्तरण किये गये और विदेशी सहयोग के माध्यम से अन्तरण किये गये अन्तरण का ब्यौरा क्या है,

कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० प्रभु) : (क) और (ख) यद्यपि 1988 के दौरान किसी भी प्रौद्योगिकी का स्थानान्तरण नहीं किया गया, मै० नगार्जुन फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल लि० ने काकीनाड़ा में नेफ्था पर आधारित अपने अमोनिया/यूरिया संयंत्रों के लिए आयात की गयी प्रौद्योगिकी के लिए निम्नलिखित राशि का भुगतान किया है :—

(1) डी० के० आर०	—	4,562,033.75
(2) अमेरिकी डालर	—	60,000
(3) डी एम	—	4,420,045

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

प्राथमिक स्कूलों में महिला अध्यापकों की नियुक्ति के लिए केन्द्रीय योजना

6209. **श्री के० प्रधानी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्दीय सरकार ने प्राथमिक स्कूलों में महिला अध्यापकों की नियुक्ति के लिए कुछ पिछड़े राज्यों में केन्द्रीय प्रायोजित योजना आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना का ब्यौरा क्या है और यह योजना किन-किन राज्यों में प्रारम्भ की गई है;

(ग) क्या उक्त योजना उड़ीसा में कार्यान्वित की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) से (घ) लड़कियों के दखिले में वृद्धि करने तथा समाज के कमजोर वर्गों को रोजगार के लाभ प्रदान करने के लिए शैक्षिक रूप से पिछड़े नौ राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में "प्राइमरी स्कूलों के लिए अध्यापिकाओं की भर्ती और प्रशिक्षण के लिए केन्द्रीय सहायता" नामक

एक योजना 1 जनवरी, 1984 से प्रारम्भ की गई थी। जिसके अन्तर्गत नियुक्त शिक्षकों के वेतन का 80 प्रतिशत भाग केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाना था। 1 अप्रैल, 1987 से इस योजना को आपरेशन ब्लैक बोर्ड के अन्तर्गत शामिल किया गया और अब आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता के रूप में नियुक्त अध्यापिकाओं के वेतन हेतु शत प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जा रहा है। उड़ीसा में इस योजना के अन्तर्गत 750 अध्यापिकाओं को नियुक्त किया गया था।

केन्द्रीय विद्यालय, हमीरपुर के लिए भवन का निर्माण

6210. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर में केन्द्रीय विद्यालय के भवन का निर्माण करने की परियोजना को राज्य सरकार से भूमि अधिग्रहण करने के बाद अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात् भूमि किस तारीख को अधिग्रहित की गई थी; भवन पर कितनी लागत का अनुमान है और निर्माण कार्य कब तक शुरू किए जाने की सम्भावना है तथा निर्माण कार्य पूरा करने के लिए कौन-सी तिथि निर्धारित की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और राज्य सरकार ने पहली बार कब भूमि देने का प्रस्ताव किया था और निर्माण कार्य किस तारीख तक शुरू किया जायेगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) से (ग) केन्द्रीय विद्यालय, हमीरपुर वर्ष 1983 के दौरान सिविल क्षेत्र में आरम्भ किया गया था। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 20-4-88 को आवंटन के लिए 105 कनाल 17 मरलाह का भूखंड स्वीकृत किया गया था और भूमि का अधिग्रहण दिनांक 9-8-88 को किया गया था।

तथापि पट्टा दस्तावेज जिसका पंजीकरण, स्कूल भवन के निर्माण को आरम्भ करने के लिए पूर्व अपेक्षित है, को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका क्योंकि के० वि० सं० द्वारा सुझाए गए पट्टा दस्तावेज के प्रारूप में संशोधन, राज्य सरकार के विचाराधीन हैं। तथापि निर्माण एजेंसी के रूप में के० लो० निर्माण विभाग को स्कूल भवन की योजना को आरम्भ करने के लिए अनुरोध किया गया है।

स्कूलों में छात्राओं को दाखिला दिलाने के लिए केन्द्रीय सहायता

6211. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े राज्यों में ग्रामीण आदिवासी तथा पर्वतीय क्षेत्रों में स्कूलों में छात्राओं को दाखिला दिलाने के अवसर बढ़ाने के लिए केन्द्रीय सहायता में वृद्धि करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाहो) : (क) और (ख) लड़कियों के दाखिले में वृद्धि करने के लिए सरकार आपरेशन ब्लैक बोर्ड, गैर औपचारिक तथा महिला सामाक्ष्या योजनाओं के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता दे रही है। आपरेशन ब्लैक बोर्ड के अन्तर्गत राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों को सभी विद्यालयों में कोटि सुधार करने और बाद में दाखिले में सुधार करने के लिये तथा सभी एकल शिक्षक वाले विद्यालयों में दूसरे शिक्षक, जो अधिमानत: एक महिला शिक्षिका होगी, सहित सुविधाओं का न्यूनतम स्तर की व्यवस्था करके सभी प्राइमरी स्कूलों में उनकी उपस्थिति तथा उन्हें स्कूलों में बनाए रखने के लिए केन्द्रीय सहायता दी जाती है; इस योजना के अन्तर्गत लड़कियों के दाखिले में वृद्धि करने के लिए एक महिला शिक्षिका को तरजीह दी जाती है।

गैर औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों को विशेषरूप से लड़कियों को औपचारिक स्कूल पद्धति के स्तर के तुलनीय शिक्षा प्रदान करने के लिए केन्द्र खोलने के लिए केन्द्रीय सहायता (90 : 10 के अनुपात में) दी जाती है। इस योजना में शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्य अर्थात् जम्मू और कश्मीर, असम, बिहार, उत्तर-प्रदेश, प० बंगाल, आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य-प्रदेश, राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश और अन्य सभी राज्यों के जनजातीय, पर्वतीय, रेगिस्तानी, शहरी गन्दी बस्तियों और ऐसे क्षेत्र शामिल हैं जिनमें कामकाजी बच्चों का बाहुल्य होता है। वर्ष 1988-89 के दौरान लड़कियों के लिए 64792 गैर औपचारिक शिक्षा के केन्द्रों को चलाने के लिए 12·60 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

महिला सामाक्ष्या योजना के अन्तर्गत महिला क्रिया-कलाप केन्द्र (महिला सामाक्ष्या) खोलने के लिये; शिक्षा की आवश्यकता की जागरूकता उत्पन्न करने और प्रौढ़ शिक्षा प्रदान करने, गैर औपचारिक शिक्षा के केन्द्र खोलने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 में यथा परिकल्पित सकारात्मक हस्तक्षेप करने वाली भूमिका अदा करने के लिए शिक्षा के लिए अपेक्षित पद्धति में अन्य संसाधन, निवेशों तथा प्रशिक्षण और अवस्थापना सहित व्यवसायिक पाठ्यक्रमों, सघन पाठ्यक्रमों आदि के लिए शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती है। ये योजना कर्नाटक, गुजरात और उत्तर प्रदेश के दस जिलों में वर्ष 1988-89 के दौरान आरम्भ की गयी थीं और अब तक 2·59 करोड़ रुपये की राशि के अनुदान मुक्त किए गये हैं।

हरित क्रान्ति का विस्तार

[हिन्दी]

6212. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरित क्रान्ति कार्यक्रम के विस्तार के लिए किन-किन राज्यों का चयन किया गया है; और

(ख) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत चुने गए राज्यों के किसानों को क्या सुविधाएं प्रदान की जायेंगी ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) हरित क्रान्ति नामक कोई कार्यक्रम नहीं है। तथापि, 1988-89 से 14 राज्यों अर्थात् आन्ध्र

प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम में पांच प्रमुख फसलें अर्थात् चावल, गेहूं, मक्का, चना और अरहर शामिल हैं।

(ख) इस कार्यक्रम में मुहैया की जाने वाली सुविधाएं इस प्रकार हैं :—

—अतिरिक्त खुदरा बिक्री केन्द्रों के खोले जाने के माध्यम से उर्वरकों का वर्धित उपयोग;

—प्रमाणीकृत बीजों पर राजसहायता प्रदान करके अधिक उपज देने वाली उन्नत किस्मों का उपयोग;

—पौध रक्षण रसायनों/खरपतवार नाशी दवाइयों पर राजसहायता के माध्यम से खरपतवारों का बेहतर प्रबन्ध और कृमियों तथा रोगों का समय पर नियन्त्रण। स्प्रेयरों/डस्टरों और कृषि उपकरणों पर भी राजसहायता मुहैया की जाती है;

—कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए छोटे और मार्जिनल किसानों को सहायता को योजना के अन्तर्गत उथले नलकूपों और बोरवैलों के माध्यम से भूमिगत जल को काम में लाना; और

—किसानों की क्रय-क्षमता को बढ़ाने की दृष्टि से किसानों को वर्धित मात्रा में अल्पावधि और दीर्घावधि ऋण मुहैया करना।

भारतीय भू-सर्वेक्षण विभाग द्वारा केरल में धातुओं की खोज

[अनुवाद]

6213. **श्री टी० बशीर** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भू-सर्वेक्षण विभाग द्वारा सर्वेक्षण के दौरान केरल में आरम्भ किए गए धातु खोज-कार्य के परिणामस्वरूप किन्हीं खनिजों का पता लगा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन धातुओं की वाणिज्यिक स्तर पर निकालने के लिए क्या कार्यक्रम आरम्भ करने का विचार है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) और (ख) भारतीय भू-सर्वेक्षण काफी समय से केरल में धातुओं के लिए क्षेत्रीय सर्वेक्षण कर रहा है। खोजों के फलस्वरूप, भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने राज्य में 88·29 मिलियन टन चुम्बकीय लौह-अयस्क, 14·39 मिलियन टन बाक्साइट तथा 8·5 मिलियन घन मीटर ग्रेवल, (69590 औंस स्वर्ण बजरी युक्त) का अनुमान लगाया है। इसके अतिरिक्त, ऐसी समुद्र तटीय बालू भी पाई गई है, जिसमें इल्मेनाइट, मोनाजाइट आदि खनिज टंगस्टन खनिजीकरण विद्यमान हैं। साथ ही, कुछ स्थानों पर प्राथमिक स्वर्ण होने की भी सूचना है।

(ग) इन भंडारों का वाणिज्यिक विदोहन विस्तृत जांच से इन निक्षेपों की आर्थिक उपादेयता की पुष्टि होने पर ही आरम्भ किया जाएगा।

तमिलनाडु में ग्रामीण सम्पर्क सड़कों का निर्माण

6214. **श्री पी० आर० एस० वेंकटेशन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना अवधि के दौरान तमिलनाडु में ग्रामीण सम्पर्क सड़कों के निर्माण के लिए वर्षवार अब तक कितनी धनराशि मंजूर की गई है; और

(ख) तमिलनाडु में सम्पर्क सड़कों के निर्माण द्वारा जोड़े जाने वाले गांवों की संख्या क्या है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मध्य प्रदेश में मात्स्यिकी विकास

[हिन्दी]

6215. **श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश को मात्स्यिकी विकास सम्बन्धी लाभ से वंचित रखा गया है जबकि माताटीला और गांगऊ जलाशयों का 60 प्रतिशत से अधिक जलमग्न निर्माण क्षेत्र मध्य प्रदेश में शामिल है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने मध्य प्रदेश के माध्यम से इन जलाशयों में मात्स्यिकी के विकास के लिए क्या कार्यवाही करने की व्यवस्था की है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : क) और (ख) माता-टीला और गंगऊ जलाशयों का निर्माण उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया था और जलाशयों में मात्स्यिकी के विकास और इनसे लाभ उठाये जाने में होने वाले व्यय को उत्तर प्रदेश सरकार वहन कर रही है। तथापि, इन जलाशयों में, जो अन्तर्राज्यीय झगड़ों को निपटान करने के लिए सरकार द्वारा गठित केन्द्रीय क्षेत्रीय परिषद के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, मत्स्यन अधिकारों के बारे में दोनों राज्य सरकारों के बीच विचारों में अंतर है।

अन्तर-राज्यीय आर्थिक महत्त्व के अन्तर्गत एक सड़क द्वारा हल्दिया को मोराग्राम/फरक्का से जोड़ने की परियोजना

[अनुवाद]

6216. **श्री आयनल अबेदिन** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर-राज्यीय आर्थिक महत्त्व की राज्य सड़कों के केन्द्रीय ऋण सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत कई वर्ष पहले एक सड़क के माध्यम से हल्दिया को मोरा ग्राम फरक्का से जोड़ने की कोई परियोजना मंजूर की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस परियोजना का निर्माण कार्य शुरू किया गया था; और

(घ) यदि नहीं, तो निर्माण कार्य स्थगित किए जाने के क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, नहीं। हल्दिया से मोराग्राम/फरक्का तक इस प्रकार की कोई सड़क परियोजना अनुमोदित नहीं की गई थी।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के सम्बन्ध में जर्मन फर्म के साथ समझौता

6217. **श्री अरुण कुमार नेहरू** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के सम्बन्ध में हाल ही में किसी जर्मन फर्म के साथ कोई समझौता किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस फर्म का नाम क्या है और किये गए समझौते का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस जर्मन फर्म का भारत में कोई कमीशन एजेंट है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) और (ख) पश्चिम जर्मनी की मेसर्स मेन्नेसमेन देमाग हतेन्तेकनिक उस संघ की एक सदस्य है, जिसके साथ दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण के 3 अन्तर्राष्ट्रीय पैकेजों के लिए समझौते किए गए हैं। ये पैकेज (1) रॉ मेटीरियल हैण्डलिंग प्लांट काम्प्लेक्स, (2) बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस तथा (3) ब्लास्ट फर्नेस है। मैसर्स मेनेसमेन देमाग ने प्रथम दो पैकेजों के लिए संघ का नेतृत्व किया है, तथा तीसरे पैकेज के लिए सोवियत संघ की मेसर्स त्याजप्रोमेक्सपोर्ट के नेतृत्व में संघ की एक सदस्य है।

(ग) सरकार को भारत में मेसर्स मेनेसमेन देमाग के ऐसे किसी एजेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

सीनियर नवयुग स्कूल दिल्ली में दाखिला

6218. **श्री सरफराज अहमद** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगरपालिका के जूनियर नवयुग स्कूलों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को नई दिल्ली नगर पालिका के सीनियर नवयुग स्कूल में दाखिला प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सीनियर नवयुग स्कूलों में इन छात्रों का दाखिला सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) से (ग) नई दिल्ली नगर पालिका समिति द्वारा नवयुग स्कूल स्थापित किए गए हैं और इनका प्रबन्ध भी इसके द्वारा किया जाता है। सीनियर नवयुग स्कूलों में दाखिले के लिए नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा निर्धारित किए गए मानदण्डों के अनुसार इस प्रकार के छात्र, जिन्होंने जूनियर नवयुग स्कूलों में 10वीं कक्षा में 60% से अधिक अंक प्राप्त किए हों, वे ही सीनियर

नवयुग स्कूलों में स्वत: ही दाखिला प्राप्त कर सकते हैं। शेष छात्रों को अन्य स्कूलों के छात्रों के साथ सीनियर नवयुग स्कूलों में दाखिले के लिए प्रतियोगिता में अवश्य बैठना पड़ता है। वैकल्पिक रूप में, वे नई दिल्ली नगर पालिका/दिल्ली प्रशासन द्वारा चलाए जाने वाले अन्य माध्यमिक/सीनियर माध्यमिक स्कूलों में दाखिले प्राप्त कर सकते हैं।

फास्फोरिक एसिड और एल० पी० जी० रसायन ढोने वाले पोतों की सप्लाई

6219. **डा० वी० वेंकटेश** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौवहन निगम ने फास्फोरिक एसिड और एल० पी० जी० रसायन ढोने वाले पोतों की सप्लाई के लिए विभिन्न विदेशी पोत निर्माताओं के साथ समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय नौवहन निगम ने यह समझौता करने के पहले पूरे विश्व से निविदाएं आमन्त्रित की थीं ताकि इससे विश्व की महत्त्वपूर्ण जहाज निर्माता कम्पनियों को सप्लाई का अवसर मिल सके; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और समझौते में उल्लिखित ऐसे पोतों का किन-किन देशों ने कितना-कितना डिलीवरी मूल्य मांगा है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) भारतीय नौवहन निगम ने मैसर्स एस्टीलीरोस एसपेनोलीस, स्पेन के साथ 3 फास्फोरिक एसिड कैरियर्स, जिनमें प्रत्येक का मूल्य 29·1 मिलियन अमेरिकी डालर है, की आपूर्ति के लिए एक ठेके पर हस्ताक्षर किए हैं। ठेका लागू हो जाने के बाद ये जहाज क्रमश: 26 महीने, 30 महीने, 32 महीने में सौंप दिए जाएंगे। भारतीय नौवहन निगम ने मैसर्स हिंडंडई हैवी इण्डस्ट्रीज, साउथ कोरिया के साथ 2 एल० पी० जी० व आमोनियां कैरियर्स, जिनमें प्रत्येक का मूल्य 38·937 मिलियन अमेरिकी डालर है, खरीदने के एक ठेके पर हस्ताक्षर किए हैं। पहला जहाज ठेका लागू होने के बाद 21 महीने में सौंप दिया जाएगा और दूसरा जहाज ठेका लागू होने के बाद 23 महीने में सौंप दिया जाएगा। इन दोनों मामलों में भारतीय नौवहन निगम द्वारा विश्व भर से दरें आमन्त्रित की गई थीं।

निजी क्षेत्र को नौवहन कम्पनियों द्वारा नए जलपोत खरीदने हेतु आवेदन

6220. **श्री अतीश चन्द्र सिन्हा** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी क्षेत्र की नौवहन कम्पनियों द्वारा नये जलपोत खरीदने के अनेक आवेदन पत्र "शिप एक्वीजीशन लाइसेंसिंग समिति" की अनुमति हेतु लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन कम्पनियों ने नए जलपोत खरीदने हेतु अनुमति के लिए आवेदन पत्र दिए हैं, किस प्रकार के जलपोत खरीदने की अनुमति मांगी गई है और अब तक दी गई अनुमतियों/स्वीकृतियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप उद्योग को जलपोतों की खरीद में भारी लागत वृद्धि की स्थिति का सामना करना पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो शीघ्र अनुमति देने हेतु क्या उपचारात्मक कार्यवाही की जायेगी ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

भारतीय नौवहन निगम द्वारा माल संवाहक तथा कंटेनर जहाजों की खरीद

6221. **श्री एस० जी० रामुलु** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय नौवहन निगम के मालवाही तथा कंटेनर जहाजों की खरीद के प्रस्तावों को सरकार ने अभी तक स्वीकृति प्रदान नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन पोतों के न होने से भारतीय नौवहन निगम को कारोबार में भारी क्षति हो रही है;

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) मालवाही तथा कंटेनर जहाजों की खरीद किन देशों से की जायेगी और उनकी अनुमानित लागत कितनी है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ङ) हाल ही में भारतीय नौवहन निगम से प्राप्ति के स्रोतों सहित प्राप्त हुए निवेश प्रस्तावों की सरकार द्वारा जांच की जा रही है। उपरोक्त अधिग्रहण चालू प्रस्ताव हैं और आर्डर दिए जाने के बाद ही जहाजों को डिलीवरी दी जानी है। इसलिए इन जहाजों के अभाव में व्यापार में घाटे का प्रश्न ही नहीं उठता।

कर्नाटक में स्पंज लौह संयंत्र की स्थापना

6222. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में कुछ स्पंज लौह संयंत्रों की स्थापना करने की कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा क्या प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ग) प्रस्ताव को क्रियान्वित करने हेतु की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) जी, हां।

(ख) कर्नाटक सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, कर्नाटक राज्य औद्योगिक निवेश और विकास कारपोरेशन लि० (के०एस०आई०आई०डी०सी०) ने कर्नाटक के बोलारी-हास्पेट क्षेत्र में प्रतिवर्ष 1.5 लाख टन क्षमता वाली स्पंज लोहा संयंत्र की स्थापना करने के लिए स्वयं पंजीकृत करा लिया है। (के०एस०आई०आई०डी०सी०) ने इस कार्य के लिए स्पंज आयरन इंडिया लि० को साझेदार के रूप में शामिल किया है।

(ग) संयंत्र के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख टन की एक परियोजना की रूपरेखा "सिल" द्वारा

तैयार की गई है और परियोजना के लिए ऋण हेतु भारतीय औद्योगिक विकास बैंक में आवेदन दिया गया है। प्रस्ताव पर आगे कार्रवाई की जा रही है।

दिल्ली विश्वविद्यालय में परीक्षा पत्रों के मूल्यांकन की पद्धति

6223. **श्री केशवराव पारधी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विश्वविद्यालय में परीक्षा पत्रों के मूल्यांकन करने की पद्धति में कमियां होने के क्या कारण हैं; और

(ख) इसका सुधार करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) और (ख) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचनानुसार पुकर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप अलग-अलग छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों में भिन्नता है। विश्वविद्यालय ने समय-समय पर मूल्यांकन में आने वाली समस्याओं को देखने के लिए समितियां स्थापित की हैं तथा उनकी सिफारिशों पर उचित कार्रवाई करता है।

रसिका संयंत्र में दैनिक वेतन मजदूरों की सेवाओं को नियमित करना

[हिन्दी]

6224. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माडर्न फूड इंडस्ट्रीज के नियंत्रण में चल रहे रसिका संयंत्र में अनेक व्यक्ति दैनिक वेतन पर कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे दैनिक वेतन वाले मजदूरों की संख्या कितनी है जिन्होंने इस संयंत्र में 240 दिन से अधिक अवधि तक सेवा कर ली है;

(ग) क्या सरकार का उनकी सेवाओं को नियमित करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (घ) फल और सब्जी परिरक्षण उद्योग एक मौसमी उद्योग है और नैमित्तिक कर्मचारियों को सामान्यतया चरम मौसम के दौरान लगाया जाता है। माडर्न फूड इंडस्ट्रीज के अधीन "रसिका" प्लांट में दिहाड़ी के ऐसे 39 नैमित्तिक कर्मचारी कार्यरत हैं जिन्होंने विभिन्न वर्षों में 240 दिन पूरे किए हैं। ऐसे कर्मचारियों की सेवाओं को जब कभी रिक्तियां होती हैं, वरीयता के आधार पर उनकी सेवाएं नियमित की जाती हैं।

कोचीन-मदुरै राजमार्ग

[अनुवाद]

6225. **श्री के० मोहनदास** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

हाल ही में घोषित कोचीन-मदुरै राजमार्ग के मार्ग के संबंध में ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : सरकार द्वारा 20-21-989 को जारी की गई अधिसूचना के अनुसार यह रूट मदुरै को तेनी-मुन्नार-मुवत्तुपुजा के रास्त कोचीन से जोड़ता है ।

दालों के उत्पादन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना

6226. **श्री बी०बी० रमैया** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी मिशन स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आदिवासियों की भूमि पर अवैध कब्जा

6227. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** :

श्री सैफुद्दीन चौधरी :

श्री सुरेश कुरूप :

श्री बाबू बन रियान :

श्री अजय विश्वास :

श्री हन्नान मोल्लाह :

श्री अनिल बसु :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने आदिवासियों की भूमि को अवैध कब्जे से बचाने के विद्यमान कानूनी एवं अन्य उपायों का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं; और

(ग) इस दिशा में आगे क्या उपाय करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) आदिवासी असन्तोष के बारे में मंत्रीदल के निर्देश के अनुसरण में आदिवासी भूमि के हस्तान्तरण की सीमा और इन जमीनों को आदिवासियों को वापिस दिलाने में आने वाली समस्याओं के मूल्यांकन हेतु क्षेत्र स्तरीय नमूना सर्वेक्षण करने के लिए अनुसंधान अध्ययन प्रायोजित किए गए थे । इन अध्ययनों में दूसरे पहलुओं के साथ-साथ ऐसे हस्तान्तरण को रोकने और

हस्तांतरित भूमि की बहाली के लिए बनाए गए कानूनों की पर्याप्तता और इन कानूनों के प्रवर्तन तन्त्र की कमजोरियों की जांच करने की अपेक्षा की गई थी। कवर किए गए राज्य थे—आन्ध्र प्रदेश, असम, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, मध्यप्रदेश और त्रिपुरा। हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल को छोड़कर बाकी सभी राज्यों के बारे में रिपोर्टें प्राप्त हुई थी।

इन रिपोर्टों से सुरक्षात्मक उपायों के विद्यमान होने के बावजूद आदिवासी भूमि का लगातार हस्तांतरण होने की पुष्टि हुई। इस स्थिति के लिए उत्तरदायी तथ्यों में ये शामिल हैं :— विद्यमान कानूनी ढांचे की अपर्याप्तता, प्रशासनिक तंत्र और न्यायालयों की अपर्याप्तता, आदिवासियों में बहुत अधिक ऋणग्रस्तता और जागरूकता की कमी आदि।

भूमि राज्य का एक विषय है और कानूनी प्रावधानों में अपर्याप्तता को दूर करने और प्रशासनिक तथा दूसरे संस्थागत उपायों को सुदृढ़ करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। तथापि, इस मामले पर राजस्व मंत्रियों के सम्मेलनों में चर्चा की गई है। इन सम्मेलनों में उभरी आम राय, जिसमें इस नीति के प्रभावशाली कार्यान्वयन के लिए कई सुझाव निहित हैं, को समुचित कार्रवाई के लिए राज्यों को भेज दिया गया है। तथापि, उपर्युक्त अनुसंधान अध्ययनों के निष्कर्षों के आलोक में, कानूनी, प्रशासनिक और सामाजिक उपाय जिन्हें राज्य आदिवासी भूमि के और आगे हस्तान्तरण को प्रभावशाली ढंग से रोकने और हस्तान्तरित भूमि की बहाली के लिए कर सकते हैं, भी विचाराधीन हैं।

सेतुसमुद्रम नहर परियोजना

6228. श्री काडम्बुर एम० आर० जनार्दनन : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेतुसमुद्रम नहर परियोजना दक्षिणी समुद्र-तटीय क्षेत्र के संरक्षण और विकास के लिए महत्वपूर्ण है;

(ख) यदि हां, तो क्या केंद्रीय सरकार का विचार इस परियोजना को आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल की जाने वाली स्कीमों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

दामनगंगा सिंचाई नहर से पानी की सप्लाई

6229. श्री गोपाल के० टंडेल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामनगंगा सिंचाई नहर से पीने के पानी की सप्लाई बढ़ाने के लिए कोई योजना तैयार की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने दामन गंगा नदी से एक स्रोत के रूप में सिलवासा जल सप्लाई को बढ़ाने हेतु संघ शासित क्षेत्र दादरा व नगर हवेली की परियोजना को तकनीकी स्वीकृति दे दी थी। संघ शासित क्षेत्र के प्रशासन ने अब परियोजना के लिए प्रस्तावित अनुमोदन मांगा है जो शहरी विकास मंत्रालय के विचाराधीन है।

केरल में मेलों और उत्सवों को बढ़ावा

6230. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान केरल में मेलों और उत्सवों को बढ़ावा देने के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) क्या इस संबंध में चालू वर्ष के लिए राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) भारत सरकार मेलों और उत्सवों के प्रोत्साहन के लिए केरल सहित किसी भी राज्य को कोई विशिष्ट राशि आवंटित नहीं करती है। यद्यपि परिरक्षण और प्रोत्साहन सहित संस्कृति मुख्य रूप से एक राज्य-विषय है, फिर भी भारत सरकार अपने नियंत्रणाधीन स्वायत्त संगठनों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के माध्यम से संस्कृति के प्रोत्साहन के लिए कार्य करती है, जिसमें देश के विभिन्न भागों में आयोजित किए जाने वाले मेले और उत्सव भी शामिल हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सागर में महिलाओं और बच्चों के लिये कल्याण कार्यक्रम

6231. **श्री मन्द लाल चौधरी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के सागर जिले में महिलाओं और बच्चों के लिए चलाये जा रहे कल्याण कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इनमें से प्रत्येक कार्यक्रम पर वर्ष 1989-90 के दौरान कितनी धनराशि खर्च की जायेगी ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

इस विभाग के माध्यम से मध्य प्रदेश के सागर जिला में महिलाओं और बच्चों के लिए क्रियान्वित किए जा रहे कल्याण कार्यक्रमों का ब्यौरा

1. समेकित बाल विकास सेवा (आई० सी० डी० एस०)

समेकित बाल विकास सेवा (आई० सी० डी० एस०) के अन्तर्गत समेकित बाल विकास सेवायें प्रदान की जाती हैं अर्थात् 0-6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों, गर्भवती और शिशुवती महिलाओं को पोषाहारीय, रोग प्रति रोधन, स्वास्थ्य जांच और संदर्भ सेवायें उपलब्ध करायी जाती हैं तथा 3-6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को अनौपचारिक स्कूलपूर्व शिक्षा और गर्भवती तथा शिशुवती महिलाओं को स्वास्थ्य और पोषाहार शिक्षा प्रदान की जाती है। सागर में एक शहरी आई० सी० डी० एस० परियोजना 1986-87 में स्वीकृत की गयी थी। और रोहतगढ़ में एक अन्य ग्रामीण आई० सी० डी० एस० योजना 1988-89 में स्वीकृत की गयी थी।

यह कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा चलाया जाता है और राज्य में सभी परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार को एकमुश्त केन्द्रीय अनुदान सहायता दी जाती है। भारत सरकार द्वारा जिलावार अथवा परियोजनावार अनुदान नहीं दिया जाता।

सागर शहरी परियोजना से प्राप्त फरवरी 1989 की मासिक प्रगति रिपोर्ट से यह पता चलता है कि इस परियोजना में 10524 बच्चे और 2476 महिलायें पूरक पोषाहार प्राप्त कर रही हैं और 4845 बच्चे पूर्व स्कूल शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

2. कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल

कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल भवन बनाने हेतु सहायता योजना के अंतर्गत स्वयं-सेवी संगठनों को भूमि की लागत के 50 प्रतिशत तक और होस्टल भवन की निर्माण लागत के 75 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता दी जाती है।

मध्य प्रदेश सरकार की सिफारिशों के आधार पर मंत्रालय ने 2 कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल भवन बनाने हेतु महिला कल्याण समिति सागर को 1983-84 के दौरान 1,94,756 रुपए की अनुदान सहायता स्वीकृत की थी।

विभाग केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के माध्यम से सागर जिले में महिलाओं और बच्चों के लिए निम्नलिखित कल्याण कार्यक्रम चला रहा है।

(1) प्रौढ़ महिलाओं के लिए शिक्षा के संक्षिप्त पाठ्यक्रम और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम : प्रौढ़ महिलाओं के लिए शिक्षा के संक्षिप्त पाठ्यक्रमों और व्यावसायिक प्रशिक्षण की योजना के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की निराश्रित, विधवाओं, परित्यक्त और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी महिलाओं के लाभ के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान दिया जाता है।

1988-89 के दौरान निम्नलिखित 2 संगठनों को अनुदान दिया गया है।

	संगठन	स्वीकृत धनराशि (रुपयों में)
1.	सागर महिला कल्याण समिति, वृन्दावन ट्रस्ट, गोपाल गंज, सागर	39,675
2.	ज्ञान भारती शिक्षा समिति, निकट राम मन्दिर, ग्राम व पोस्ट नारयावाली जिला सागर	14,800

राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों के अंतर्गत इतनी ही राशि 1989-90 में स्वीकृत किए जाने की संभावना है।

(2) **कामकाजी और बीमार माताओं के बच्चों के लिए शिशुगृह** : इस योजना का उद्देश्य निर्धन कामकाजी और बीमार माताओं के 0-5 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए दिवस देखभाल सेवायें प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत बच्चों को मनोरंजन, स्वास्थ्य देखभाल, पूरक पोषाहार और शयन सुविधायें भी प्रदान की जाती हैं। इस योजना के अंतर्गत सहायक के वेतन, डाक्टरों के साप्ताहिक निरीक्षण, दवाईयों, पूरक पोषाहार, आकस्मिक खर्चों को पूरा करने के लिए, स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान दिया जाता है। ऐसी यूनिटें प्रारम्भ करने के समय उपकरण भी प्रदान किए जाते हैं।

1988-89 के दौरान निम्नलिखित संगठनों को अनुदान दिया गया है :

	संगठन	स्वीकृत धनराशि (रुपयों में)
1.	वैदेही नारी कल्याण एवं शिक्षा परिषद, सागर	60,445
2.	जन शक्ति ट्रस्ट, 10 सिविल लाइन, सागर	1,09,391
3.	हरिजन महिला मण्डल, भवानी गंज गणेश मन्दिर, सागर	24,180
4.	सागर महिला कल्याण समिति, सागर	24,180
5.	ज्ञान भारती शिक्षा समिति, जिला सागर	24,180
6.	दि चिल्ड्रन एण्ड वूमन वैलफेयर सोसाइटी, इटावर टोंटी, सागर	14,312
7.	गांधी शिक्षा समिति जिला सागर	14,312

राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड की सिफारिश के अंतर्गत इतनी ही धनराशि 1989-90 में स्वीकृत किए जाने की सम्भावना है।

(3) **सामान्य सहायता अनुदान कार्यक्रम** : सामान्य सहायता अनुदान कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं, बच्चों, वृद्धों, निशक्त, शारीरिक रूप से विकलांगों, मानसिक रूप से पिछड़े हुए व्यक्तियों और कुष्ठ रोगियों के कल्याण कार्यों के लिए स्वयंसेवी संगठनों को 2 वर्गों में अनुदान स्वीकृत किए जाते हैं अर्थात् : (1) प्रति वर्ष 3000 रुपए तक, (2) प्रति वर्ष 10000 रुपए तक स्वयंसेवी संगठनों को स्वीकृत अनुदान के मुकाबले 50 प्रतिशत तक का अंशदान करना होता है। स्वयंसेवी संगठनों को दिए जाने के लिए धनराशि राज्य बोर्डों के पास दे दी जाती है।

1988-89 के दौरान प्रसूति सेवाएं प्रदान किए जाने हेतु सागर प्रसूतिका-गृह, सागर को 10000 रुपए दिए गए।

राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड की सिफारिश के अन्तर्गत इतनी ही राशि 1989-90 में स्वीकृत किए जाने की सम्भावना है।

महिला शिकायत समिति

[अनुवाद]

6232. **डा० फूलरेणु गुहा** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का देश में सभी जिला मुख्यालयों में महिला शिकायत समितियां गठित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी समितियों के गठन का कार्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) देश के सभी जिला मुख्यालयों में महिलाओं के लिए शिकायत समितियां गठित करने का केन्द्रीय सरकार का कोई विचार नहीं है।

राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड, विजयपुर के सहायक उद्योग

[हिन्दी]

6233. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड, विजयपुर, गुना (मध्य प्रदेश) द्वारा सहायक उद्योगों की स्थापना के कार्यक्रम को

कार्यान्वित करने में कितनी प्रगति हुई है?

कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० प्रभु) : विजयपुर में सहायक एकक के रूप में एलम उत्पादन एकक की स्थापना के लिए संभावी उद्यमियों की जांच पहले ही की जा चुकी है।

भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड और नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा निस्तप्त एल्यूमिना की सप्लाई

[अनुवाद]

6234. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड और नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड हरियाणा में "एग्रेसिव/रेफेक्ट्रीज" सामान उत्पादन करने वाली लघु क्षेत्र के एककों की निस्तप्त (केलीसिनेड) एल्यूमिना की सप्लाई कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के एककों से ऐसे लघु क्षेत्र के कितने एककों को उनकी मांग के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में सप्लाई की जा रही है;

(ग) इन एककों के पास कोई आवेदन/अनुरोध लम्बित है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और हरियाणा के इन एककों की निस्तप्त एल्यूमिना सप्लाई करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) और (ख) नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लि० (नाल्को) हरियाणा में केवल एक पार्टी को फुंका हुआ (कैल्साइड) एल्यूमिना-सप्लाई कर रही है। भारत एल्यूमिनियम कंपनी लि० (बाल्को) फुंका हुआ, एल्यूमिना सप्लाई नहीं कर सकती, क्योंकि उन्हें स्वयं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खरीद करनी होती है, और इसलिए, वे ऐसी कोई मांग स्वीकार नहीं करते।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण विकास के लिए सामाजिक वानिकी

6235. **श्री शांतिलाल पटेल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विकास के लिए विस्तृत योजना के अंग के रूप में अपनाई गई सामुदायिक सामाजिक वानिकी से उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या किसी अध्ययन दल द्वारा इस बारे में कोई अध्ययन किया गया है; और

(घ) इस बारे में क्या उपाय किए गए हैं अथवा करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

मरूभूमि विकास कार्यक्रम के लिए धनराशि का आबंटन

6236. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1989-90 में मरूभूमि विकास कार्यक्रम के लिए वार्षिक योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना में प्रत्येक शीर्ष में कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ग) क्या इस वर्ष अर्थात् 1989-90 तथा प्रगामी वर्षों के लिए मरूभूमि विकास कार्यक्रम में नलकूप लगाना, पशुपालन और विद्युत क्षेत्र को भी शामिल किया जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) 1989-90 के लिए मरूभूमि विकास कार्यक्रम हेतु 50 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है। राज्य सरकारों के लिए क्षेत्रगत गतिविधियों के लिए निम्नलिखित समानुपातिक महत्त्व की सिफारिश की गई है :

क्रम संख्या	क्षेत्र	महत्त्व (आबंटन का प्रतिशत)
1.	भूमि विकास और नमी संरक्षण	15
2.	जल संसाधन संरक्षण तथा विकास	20
3.	वनरोपण तथा चरागाह विकास	40
4.	अन्य गतिविधियां	15
5.	परियोजना प्रशासन	10
	कुल—	100

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

कपास का उत्पादन

[हिन्दी]

6237. **श्री बलवंत सिंह रामूवालिया :**

श्री विनेश गोस्वामी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपास सलाहकार बोर्ड ने देश में कपास के कुल उत्पादन का नवम्बर और दिसम्बर, 1988 में दो-बार मूल्यांकन किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल ही में पुनः मूल्यांकन किया गया था और इस बारे में कपास उत्पादन के अनुमान पिछले अनुमान से अलग हैं;

(घ) यदि हां, तो नवीनतम अनुमान के अनुसार इस वर्ष कपास का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ङ) क्या इस वर्ष कपास का उत्पादन इसकी मांग की पूर्ति हेतु पर्याप्त है; और

(च) यदि हां, तो इस वर्ष देश में कपास की अनुमानित मांग क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख) कपास सलाहकार बोर्ड द्वारा नवम्बर और दिसम्बर, 1988 में किए गए मूल्यांकन के अनुसार देश में वर्ष 1988-89 में कपास का कुल उत्पादन क्रमशः 108 और 102 लाख गाठें होने का अनुमान था।

(ग) और (घ) 3-4 अप्रैल, 1989 को आयोजित खरीफ अभियान, 1989 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन में राज्यों द्वारा दिए गए अनुमानों के अनुसार देश में वर्ष 1988-89 के लिए कपास का उत्पादन प्रत्येक 170 किलोग्राम की लगभग 80 लाख गाठें होने की आशा है।

(ङ) और (च) पहले के बचे हुए स्टाक को हिसाब में लेते हुए वर्तमान वर्ष के दौरान कपास का उत्पादन कपास सलाहकार बोर्ड द्वारा अनुमानित लगभग 102 लाख गाँठों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अध्यापकों के आवेदन-पत्रों को केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अन्यत्र पदों के लिए अग्रसारित करना

[अनुवाद]

6238. **श्री मुहीराम सैकिया** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अध्यापक संगठन से अन्यत्र पदों के लिए विशेषकर नवोदय विद्यालयों में, आवेदन कर सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ ऐसे भी मामले हुए हैं जिनमें केन्द्रीय विद्यालय संगठन के भोपाल स्थित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अध्यापकों के आवेदन पत्र अग्रसारित नहीं किये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) बाह्य पदों के लिए आवेदन करने हेतु केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों के लिए कोई रोक नहीं है।

(ख) जहां तक केन्द्रीय विद्यालय संगठन को जानकारी है, ऐसी किसी शिक्षक का कोई आवेदन-पत्र रोका नहीं गया है जिसने विज्ञापन के प्रत्युत्तर में आवेदन किया था।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

मास्को स्थित केन्द्रीय विद्यालय में पढ़ाये जाने वाले विषयों के नाम

6239. **श्री सी० सम्बू** :
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :
डॉ० सुधीर राय :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मास्को स्थित केन्द्रीय विद्यालय में वर्ष 1987 से एक से बारहवीं तक की कक्षाएँ शुरू कर दी गई थीं;

(ख) क्या विज्ञान/शास्त्रीय दोनों ही प्रकार के विषय इसी वर्ष से शुरू कर दिये गये थे;

(ग) वर्ष 1987-88 और 1988-89 के दौरान प्रत्येक कक्षा में कितने-कितने छात्रों को दाखिला दिया गया है; और

(घ) इनमें से कितने छात्र भारतीय दूतावास के कर्मचारियों के बच्चे नहीं हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) केन्द्रीय विद्यालय मास्को सितम्बर, 1987 में I से IX तक की कक्षा से आरंभ किया गया था और कक्षा XI वर्ष 1987-88 में आरम्भ की गयी थी।

(ख) जी, हां।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) में सूचना उपलब्ध नहीं है।

विवरण

वर्ष 1987-88 और 1988-89 के लिए मास्को (यू० एस० एस० आर०) स्थित केन्द्रीय विद्यालय के संबंध में छात्रों की दखिला स्थिति

कक्षा	छात्रों की संख्या	
	1987-88	1988-89
I	2	3
1	22	18
2	20	23

1	2	3
3	18	16
4	09	22
5	20	10
6	10	16
7	13	10
8	11	12
9	12	12
10	—	04
11	13	08 विज्ञान
12	02	02 मानविकी
	—	08 विज्ञान
		06 मानविकी
जोड़ :	150	167

अंडमान और निकोबार प्रशासन से अतिरिक्त स्टाफ के लिये प्रस्ताव

6240. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षकों और अन्य संबद्ध कर्मचारियों के और पद सृजित करने का अंडमान और निकोबार प्रशासन का प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार ने नामंजूर कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) अंडमान और निकोबार प्रशासन को अतिरिक्त स्टाफ उपलब्ध कराने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) से (ग) अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह के संघ शासित प्रशासन, ने वर्ष 1988-89 के दौरान राजकीय कालेज, पोर्ट ब्लेयर के लिए लेक्चररों के 18 पदों बी० एड कालेज के लिए लेक्चररों के 4 पदों और प्रधानाचार्य के एक पद के सृजन के प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। राजकीय कालेज, पोर्ट ब्लेयर के लिए लेक्चररों के 14 पदों के सृजन की संस्वीकृति 20-1-89 को जारी कर दी गई है। अन्य प्रस्ताव को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है क्योंकि संघ शासित प्रशासन से अभी तक कुछ स्पष्टीकरण लम्बित हैं।

ओलावृष्टि और वर्षा से फसलों को हानि

6241. **श्रीमती किशोरी सिंह :**

श्री कमला प्रसाद रावत :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के कई हिस्सों में बेमौसमी वर्षा, ओलावृष्टि और इसके परिणामस्वरूप तापमान में आई गिरावट से फसलों को काफी हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो कितनी हानि होने का अनुमान है;

(ग) क्या सरकार का किसानों को आर्थिक अथवा अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख) हरियाणा और महाराष्ट्र की राज्य सरकारों ने अपने प्रारम्भिक अनुमानों के अनुसार हाल ही में हुई ओलावृष्टि और भारी वर्षा के कारण फसलों की हुई क्षति के बारे में सूचना इस प्रकार दी है :

राज्य	प्रभावित क्षेत्र
हरियाणा	20396 हैक्टेयर
महाराष्ट्र	48874 हैक्टेयर+
	4434 हैक्टेयर बागवानी फसलें

(ग) और (घ) संबंधित राज्य सरकारों ने आवश्यक राहत उपाय किए हैं जिनमें बीजों की सप्लाई, सहकारी बैंक ऋणों का पुनर्निर्धारण, बिजली संबंधी प्रभारों की वसूली रोक दिया जाना, तकावी ऋणों की वसूली का स्थगन किया जाना आदि शामिल हैं।

केन्द्रीय सहायता की मांग के संबंध में प्रभावित राज्यों से कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है।

शाहजहांपुर उपमार्ग

6242. **श्री जितेन्द्र प्रसाद :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शाहजहांपुर के समीप लखनऊ दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक उपमार्ग का निर्माण करने हेतु राशि स्वीकृत की है ताकि इस मार्ग पर यातायात की समस्या तथा भीड़ को कम किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस परियोजना को शुरू करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर शाहजहांपुर बाइपास के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण का 1980 में अनुमोदन किया गया था किन्तु न्यायालय से "स्टे आर्डर" दिए जाने के कारण अपेक्षित पूरी भूमि का अब तक अधिग्रहण नहीं हुआ है। "स्टे आर्डर" शीघ्र समाप्त करने के लिए राज्य सरकार से न्यायालय में जाने का अनुरोध किया गया है।

बिहार में दूध का प्रति व्यक्ति उत्पादन और खपत

[हिन्दी]

6243. **श्री कुंवर राम** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में दूध का प्रतिव्यक्ति उत्पादन कितना है और खपत कितनी है; और

(ख) दूध उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) वर्ष 1986-87 में बिहार में दूध की प्रति व्यक्ति प्रति दिन उपलब्धता 98 ग्राम थी, जिसे वर्ष 1986-87 के लिए राज्य के संशोधित दूध उत्पादन आंकड़ों में प्रक्षेपित जनसंख्या द्वारा भाग देकर आंका गया है।

(ख) दूध के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये किये गये उपायों में नियंत्रित प्रजनन कार्यक्रम को तीव्र करना उचित आहार द्वारा राज्य में पशु पालन का संवर्धन करना, प्रबंध और पशु स्वास्थ्य कवर, आपरेशन फ्लड कार्यक्रम का कार्यान्वयन, आदि शामिल हैं।

"याँक" की नस्ल में सुधार

6244. **श्री हरीश रावत** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी के सीमावर्ती जिलों में "याँक" किसानों के लिये बहुप्रयोजनीय पशु के रूप में काम आता है;

(ख) यदि हां, तो इन क्षेत्रों के किसानों को "याँक" के लिये चीन पर निर्भर करना पड़ता है;

(ग) यदि हां, तो इन क्षेत्रों में अच्छी किस्म के "याँक" उपलब्ध कराने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है;

(घ) क्या सरकार का पिथौरागढ़ जिले में याँक अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो यह केन्द्र कब तक स्थापित किया जायेगा ?

कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) यह मालूम नहीं है कि क्या याँक के लिए इस क्षेत्र के किसान चीन पर निर्भर हैं। याँक के कार्य, मांस तथा दूध में सुधार लाने के लिए परिषद ने अरूणाचल प्रदेश में एक राष्ट्रीय याँक अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की है। हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय द्वारा हिमाचल प्रदेश में याँक के सुधार के लिए एक तदर्थ योजना चलाई जा रही है। पिथौरागढ़ जिले में याँक अनुसंधान केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विदेशी छात्रवृत्ति प्रदान करने में अनियमितताएं

[अनुवाद]

6245. **श्री शरद दिघे :**

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :

श्री दिनेश गोस्वामी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्नातकोत्तर और डाक्टरी शोध के लिए छात्रों को विदेशी छात्रवृत्ति प्रदान करने के बारे में कोई अनियमितताएं प्रकाश में आयी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1988-89 के लिए विदेश में अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति के लिए कुछ अयोग्य छात्रों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया तथा छात्रवृत्ति देने के लिए चुना गया था। परन्तु अनियमितताओं का पता चलने पर उन्हें छात्रवृत्ति नहीं दी गई।

(ग) जांच के आदेश दिए गए थे तथा रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। इस रिपोर्ट की विभाग में जांच की जा रही है।

केन्द्रीय सड़क निधि (सामान्य) कोष से राज्यों को अनुदान दिया जाना

6246. **श्री भद्रेश्वर तांती** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1987-88 और 1988-89 के दौरान नई सड़कों के निर्माण तथा मौजूदा सड़कों की मरम्मत के लिये केन्द्रीय सड़क निधि (सामान्य) कोष से प्रत्येक राज्य को कितनी अनुदान राशि दी गई ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : केन्द्रीय सड़क निधि से मौजूदा सड़कों की मरम्मत के लिए निधियां सुलभ नहीं कराई जाती। 1987-88 और

1988-89 के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों को सड़कों के निर्माण के लिए केन्द्रीय सड़क निधि (साधारण) रिजर्व से रिलीज की गई निधियां दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

लाख रुपए

क्र० सं०	राज्य का नाम	जारी की गई राशि	
		1987-88	1988-89
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	21.26	2.39
2.	असम	6.00	10.00
3.	अरूणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य
4.	बिहार	शून्य	शून्य
5.	गोवा	शून्य	शून्य
6.	गुजरात	30.00	15.00
7.	हरियाणा	शून्य	शून्य
8.	हिमाचल प्रदेश	28.00	6.00
9.	जम्मू एवं काश्मीर	शून्य	शून्य
10.	कर्नाटक	शून्य	10.00
11.	केरल	57.43*	10.06*
12.	मध्य प्रदेश	शून्य	शून्य
13.	महाराष्ट्र	शून्य	0.05
14.	मणिपुर	9.50	5.00
15.	मेघालय	शून्य	शून्य
16.	मिजोरम	शून्य	शून्य
17.	नागालैंड	1.00	शून्य
18.	उड़ीसा	25.00	शून्य
19.	पंजाब	शून्य	शून्य
20.	राजस्थान	4.00	15.00
21.	सिक्किम	शून्य	शून्य
22.	तामिलनाडु	शून्य	शून्य

1	2	3	4
23.	त्रिपुरा	शून्य	शून्य
24.	उत्तर प्रदेश	20.00	12.00
25.	पश्चिम बंगाल	शून्य	शून्य
	कुल :	202.19	85.50

*कोचीन पत्तन न्यास के लिए केन्द्रीय हिस्से का ।

राज्यों को आदान राजसहायता में असमानता

6247. **डा० ए०के० पटेल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा किये गये अध्ययन के अनुसार विभिन्न राज्यों के किसानों को मिलने वाली आदान राजसहायता की राशि में असमानताएं हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री) : (क) जी, हां ।

(ख) भारत में कृषि लागतों और अनुदानों के उपयोग की विषमताओं पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के कृषि अर्थशास्त्र प्रभाग द्वारा किए गए अध्ययन से पता चलता है कि 1980-83 की अवधि के दौरान सकल फसल वाले क्षेत्र में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कृषि निवेश (उर्वरक एवं बिजली) संबंधी अनुदान सबसे अधिक पंजाब में (रु० 216.18) था । उसके बाद तमिलनाडु (रु० 133.10) और उत्तर प्रदेश (रु० 100.94) का स्थान था जबकि उड़ीसा में यह रु० 12.45, राजस्थान में रु० 15.21 और मध्य प्रदेश में 23.59 रु० था । अध्ययन से यह भी पता चलता है कि देश के कुल सिंचित क्षेत्र का 40 प्रतिशत क्षेत्र पंजाब, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में है । ये राज्य देश को मिलने वाले कुल निवेश का लगभग आधा भाग इस्तेमाल करते हैं । देश के कुल फसल वाले क्षेत्र का 27 प्रतिशत भाग राजस्थान, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में है । इन राज्यों के कुल लागत अनुदानों का केवल 9 प्रतिशत भाग ही मिलता है ।

दाहेज और घोघा पत्तनों के बीच नौका सेवा शुरू करने का प्रस्ताव

6248. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गुजरात तट पर दाहेज और घोघा पत्तनों के बीच नौका सेवा शुरू किए जाने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) कैम्बे खाड़ी में दाहेज और घोघा के बीच चलाए जाने के लिए 2 रो रो-व यात्री जहाजों की खरीद के संबंध में मेसर्स वीतराग मैरीन एण्ड शिपिंग कम्पनी लिमिटेड से जून, 198 में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा इस आवश्यक आधारभूत सुविधाएं सुलभ कराए जाने की शर्त पर था। सरकार द्वारा इस प्रस्ताव को अगस्त, 1988 में अस्वीकृत कर दिया गया था क्योंकि कम्पनी ने इस सेवा के प्रचालन के लिए अपेक्षित आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता के संबंध में राज्य सरकार की आवश्यक स्वीकृति नहीं भेजी थी। कम्पनी को यह सलाह दी गई थी कि वे आवश्यक आधारभूत सुविधाएं सुलभ कराए जाने के बाद अथवा संबंधित सरकारी एजेंसियों से यह वचन लेने के बाद कि जहाजों की प्राप्ति की समय सीमा के अंदर आधारभूत सुविधाएं सुलभ करा करा दी जाएंगी, अपना प्रस्ताव दुबारा भेजे।

मध्य प्रदेश में मंजूर किए गये लेकिन अभी खोले नहीं गए केन्द्रीय विद्यालय

6249. **श्री मानिक रेड्डी** :

श्री राज कुमार राय :

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो स ों के दौरान मध्य प्रदेश के लिये कितने केन्द्रीय विद्यालय मंजूर किए गए, किन्तु जिन्हें अभी तक खोला नहीं जा सका है;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन्हें कब तक खोले जाने की सम्भावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) और (ख) सतना तथा मंदसौर स्थित केन्द्रीय विद्यालय वर्ष 1987-88 के दौरान संस्वीकृत किए गए थे किन्तु ये कार्य आरम्भ नहीं कर सके क्योंकि प्रायोजित प्राधिकारियों द्वारा आवश्यक भौतिक सुविधाएं मुहैय्या नहीं करायी गयी थीं।

(ग) बाद में इन दो स्टेशनों पर केन्द्रीय विद्यालय आरंभ करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के भोपाल-उदयपुर-देबोरी खण्ड की मरम्मत

[हिन्दी]

6250. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 का भोपाल-उदयपुरा-देबोरी खंड खराब हालत में है और इसकी दशा राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुरूप नहीं है;

(ख) यदि हां, तो मरम्मत कार्य का अथवा उपरोक्त खंड में नया निर्माण कराने संबंधी प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग के भोपाल-उबेदुल्लागंज-बरेली-उदयपुरा और देबोरी खण्डों पर किए गए विभिन्न निर्माण कार्यों का ब्यौरा क्या है और इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(घ) क्या इन निर्माण कार्यों की प्रगति संतोषजनक और निर्धारित लक्ष्य के अनुसार है ?

थल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) जी, नहीं। राष्ट्रीय राजमार्ग का यह खण्ड यातायात योग्य दशा में है। राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास एक सतत प्रक्रिया है जिसे चरणबद्ध रीति से हाथ में लिया जाता है जो संसाधनों की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर है। इस खण्ड में सुधार संबंधी 19 निर्माण कार्यों में से 14 निर्माण कार्य पूरे हो गए हैं और शेष 5 निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा 9 मरम्मत कार्यों में से सात कार्य पूरे हो गए हैं और शेष दो पर कार्य चल रहा है। 1986-87 से 1988-89 तक नवीकरण समेत सुधार और मरम्मत कार्यों पर क्रमशः 245.3 लाख रुपए और 135.72 लाख रुपए खर्च हुए हैं। वार्षिक योजना 1989-90 में इस खण्ड में 390 लाख रुपए के नए निर्माण कार्यों की संस्वीकृति का प्रावधान है।

(घ) जी, हां।

उर्दू भाषा शिक्षण केन्द्र

[अनुवाद]

6251. **श्री राज कुमार राय** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उर्दू भाषा सिखाने के लिये केन्द्रीय सरकार ने कितने केन्द्र खोले हैं; और

(ख) अपने-अपने राज्य में अध्ययन कक्षायें आरम्भ करने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को सहायता अनुदान के रूप में कितनी धनराशि प्रदान की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) और (ख) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग का एक अधीनस्थ कार्यालय, केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, अन्य केन्द्रों के साथ-साथ, उर्दू में अनुसंधान और प्रशिक्षण देने के दो केन्द्र चलाता है जिनमें से एक सोलन (हिमाचल प्रदेश) और दूसरा लखनऊ (उत्तर प्रदेश) में स्थित है। ये केन्द्र स्कूलों में उर्दू के अध्यापन के लिए सेवाकालीन शिक्षकों को उर्दू में प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। सोलन स्थित केन्द्र पत्राचार के माध्यम से उर्दू अध्ययन के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध कराता है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग का एक और अधीनस्थ कार्यालय, उर्दू प्रोन्नति ब्यूरो, चुने हुए संवर्धन कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता की योजना के अन्तर्गत उर्दू के अध्यापन के लिए चार स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है ।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में ऐसी कोई योजना नहीं है जिसके अन्तर्गत इस प्रयोजनार्थ राज्यों को वित्तीय सहायता दी जाती है ।

"बंची टाप" रोग फैलना

6252. **श्री वी० कृष्ण राव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, असम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे कई केला-उत्पादक राज्यों में "बंची टाप" नाम रोग का फैलना गंभीर समस्या का रूप धारण कर चुका है;

(ख) यदि हां, तो इस रोग के लक्षण क्या हैं;

(ग) इस रोग से कितनी क्षति होने का अनुमान है; और

(घ) इसकी रोकथाम के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, हां ।

(ख) रोगग्रस्त पोधे बौने रह जाते हैं और पत्तियां गुलाब जैसी बनावट की विशेषता से गुच्छे के रूप में समूहित हो जाती हैं । रोगग्रस्त पौधों की पत्तियों में हरी धारियां, मार्जिनल हरित-रोग, पत्तियां मुड़ने और इनमें मुरमुरापन आना दिखाई देता है । गंभीर रूप से रोगग्रस्त पौधों में फलों के गुच्छे नहीं लगते ।

(ग) राष्ट्रीय स्तर पर हानि का अनुमान नहीं लगाया गया है क्योंकि गंभीर रूप से इस रोग के होने की घटना केवल छोटे पृथक क्षेत्रों में होती है । तथापि, स्थानीय सर्वेक्षणों से 20 प्रतिशत तक की हानि का संकेत मिलता है । तमिलनाडु के पलनी पहाड़ी के गंभीर रूप से प्रभावित फलोधानों में 55-65 प्रतिशत हानि होने का अनुमान लगाया गया है ।

(घ) इस रोग की रोकथाम करने के लिए निम्नलिखित नियंत्रण नीति विकसित की गई है और किसानों द्वारा अपनाए जाने के लिए इसकी सिफारिश की गई है :—

(1) रोग रहित क्षेत्र से अधिप्राप्त किए गए स्वस्थ पौधे रोपण करना;

(2) स्वच्छ फलोधान प्रबंध पद्धतियां अपनाना;

(3) इस रोग को फैलने से रोकने के लिए कीटनाशी दवाइयों के प्रयोग के माध्यम से हरे मांहू कृमि-रोगवाहक का नियंत्रण;

(4) रोगग्रस्त पौधों को जड़ से उखाड़ना और नष्ट करना; और

(5) एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में रोगग्रस्त पौध रोपण सामग्री के लाने-ले-जाने की रोकथाम करने के लिए देशीय संगरोध उपायों का अनुपालन करना ।

कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट में अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति के लिए रोजगार पाने वालों की सूची

6253. **कुमारी ममता बनर्जी** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट, जो अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति के लिए रोजगार पाने वालों की सूची तैयार कर रहा था, ने कुछ रोजगार पाने वाले व्यक्तियों के नाम सूची से निकाल दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान रोजगार सूची से ऐसे कितने व्यक्तियों के नाम निकाले गये हैं; और

(ग) इस पर सरकार ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) रोजगार पाने वाले व्यक्तियों में से पिछले तीन वर्षों के दौरान जितने व्यक्तियों के नाम रोजगार सूची से हटा दिए गए, उनकी संख्या निम्नलिखित थी :—

(1) 1986	शून्य
(2) 1987	1175
(3) 1988	56

माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार अब हटाए गए व्यक्तियों के नाम मार्च, 1989 में फिर से जोड़ दिए गए हैं।

केन्द्रीय विद्यालयों में अध्ययन अवकाश संबंधी नियमों का उदारीकरण

6254. **श्री एम०एम० गुरुडी** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ ने केन्द्रीय विद्यालयों के अध्यापकों को अध्ययन अवकाश संबंधी नियमों को उदार बनाने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर संगठन की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एस० पी० शाही) : (क) जी, हां। अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शिक्षक संघ ने दिनांक 11-4-1989 को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है जिसमें अध्ययन अवकाश प्रदान करने के नियमों को उदार बनाने के लिए कहा गया है।

(ख) मामला विचाराधीन है।

दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा पुनर्मूल्यांकन परिणामों की घोषणा में विलम्ब किया जाना

6255. **डा० सुधीर राय** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के अनेक छात्र पिछले वर्ष की अपने परीक्षा पत्रों के पुनर्मूल्यांकन परिणामों का अब तक इंतजार कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार यह सही नहीं है कि बहुत से छात्र अभी तक अपनी पिछले वर्ष की परीक्षाओं के पुनर्मूल्यांकन परिणामों की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के क्षेत्रीय कार्यालयों में रिक्त पद

6256. **प्रो० पराग चालिहा** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में श्रेणी "ए" तथा श्रेणी "बी" के अधिकारियों के अनेक पद काफी समय से रिक्त पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो रिक्त पदों का क्षेत्र-वार तथा पद-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) और (ख) विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में वर्ग "क" और "ख" के रिक्त पदों के ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ग) नियमानुसार इन रिक्तियों को भरने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है ।

विवरण

1. वर्ग "क"

1. शिक्षा अधिकारी

स्वीकृत पद की संख्या	45	(15 क्षेत्रों में प्रत्येक में 3)
रिक्त पदों की संख्या	06	1. जम्मू —1
		2. बम्बई —2
		3. कलकत्ता —1

4. हैदराबाद —1
5. सिल्चर —1

कुल 6

2. प्रशासनिक अधिकारी

संस्वीकृत पद की संख्या 15 (15 क्षेत्रों में प्रत्येक में 1)

रिक्त पदों की संख्या 03 1. भुवनेश्वर —1
2. कलकत्ता —1
3. सिल्चर —1

कुल 3

2. वर्ग "ख"

1. लेखा व-निरीक्षण अधिकारी

स्वीकृत पद की संख्या 15 (15 क्षेत्रों में प्रत्येक मे 1)

रिक्त पदों की संख्या 05 1. जयपुर —1
2. सिल्चर —1
3. गौहाटी —1
4. हैदराबाद —1
5. अहमदाबाद —1

कुल 5

2. लेखा अधीक्षक

संस्वीकृत पद की संख्या 15 (15 क्षेत्रों में प्रत्येक में 1)

रिक्त पदों की संख्या 01 1. सिल्चर —1

3. प्रशासन अधीक्षक

संस्वीकृत पद की संख्या 15 (15 क्षेत्रों में प्रत्येक में 1)

रिक्त पदों की संख्या 03 1. सिल्चर —1
2. चंडीगढ़ —1
3. अहमदाबाद —1

कुल 3

4. वरिष्ठ पुस्तकालयाध्यक्ष

संस्वीकृत पद की संख्या	15	(15 क्षेत्रों में प्रत्येक में 1)	
रिक्त पदों की संख्या	05	1. भोपाल	—1
		2. भुवनेश्वर	—1
		3. मद्रास	—1
		4. सिल्चर	—1
		5. गौहाटी	—1
		कुल	5

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नियंत्रण में रिहायशी मकान

6257. **श्री पी० एम० सईद** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नियन्त्रण में तथा परिषद की अन्य संस्थाओं के अधीन कुल कितने रिहायशी मकान हैं;

(ख) वर्ष 1980 से अब तक वर्षवार कितने कर्मचारियों ने सेवानिवृत्ति होने के बाद रिहायशी मकान खाली नहीं किए हैं; और

(ग) इन मकानों को खाली कराने के लिए क्या कार्यवाही की गई हैं अथवा करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री) : (क) महोदय, भा० कृ० अ० प० मुख्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और भारतीय कृषि सांख्यिकीय अनुसंधान संस्थान के नियंत्रण में 2214 रिहायशी यूनिटें हैं।

(ख) ब्यौरा नीचे दिया गया है :

वर्ष	उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों की संख्या जिन्होंने क्वार्टर नहीं खाली किये हैं
1986	5
1987	2
1988	6
जोड़ :	13

(ग) उपरोक्त गैर-प्राधिकृत काबिजों से मकान खाली कराने के लिए दीवानी मुकदमे चलाए गए हैं।

आदिवासी, पर्वतीय और रेगिस्तानी क्षेत्रों में प्राइमरी स्कूल

6258. **श्री सी० जना रेड्डी :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्राइमरी स्कूलों की राज्यवार संख्या कितनी है, और उनमें से कितने स्कूल प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के आदिवासी, पर्वतीय और रेगिस्तानी क्षेत्रों में जिनकी ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, स्थित हैं;

(ख) प्रत्येक राज्य में ऐसे कितने स्कूल हैं जो इमारतों में स्थित नहीं हैं;

(ग) क्या देश में वर्ष 1987-88 और 1988-89 में क्रमश: 20 प्रतिशत और 30 प्रतिशत ब्लाकों/नगरपालिका क्षेत्रों में "आपरेशन ब्लैकबोर्ड" के अन्तर्गत सभी प्राइमरी स्कूलों को लाभांवित किया जाना था; उक्त दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में वस्तुत: कितने स्कूलों को लाभ प्रदान किया गया; और

(घ) वर्ष 1989-90 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एस० पी० शाही) : (क) और (ख) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा आयोजित पांचवें अखिल भारतीय सर्वेक्षण के अनुसार देशभर में 30-9-1986 की यथास्थिति के अनुसार 5,29,392 प्राइमरी स्कूल हैं। स्कूलों में भवनों की स्थिति के साथ-साथ राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-1 में दिए गए हैं। जनजातीय, पहाड़ी अथवा रेगिस्तानी क्षेत्रों के संबंध में कोई अलग सूचना एकत्र नहीं की जाती है।

(ग) आपरेशन ब्लैक बोर्ड की योजना का लक्ष्य वर्ष 1987-88 में तथा वर्ष 1988-89 में 30% ब्लाकों/नगरपालिका खण्डों में सभी स्कूलों को शामिल करना है। वर्ष 1987-88 और 1988-89 में शामिल किए गए स्कूलों की संख्या संलग्न विवरण-2 में दी गयी है।

(घ) वर्ष 1989-90 में इस योजना में 50% ब्लाक/नगरपालिका क्षेत्रों को शामिल करने की परिकल्पना की गयी है।

विवरण-1

क्रमांक संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	प्राइमरी स्कूलों के						
		पक्के भवन हैं	आंशिक रूप से पक्के भवन	कच्चे भवन	घासफूस की झोपड़ी वाले	तम्बुओं में	खुले स्थानों में	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	31837	3367	2670	4430	43	2661	45008
2.	अरुणाचल प्रदेश	142	51	144	615	0	0	952

1 2	3	4	5	6	7	8	9
3. असम	1962	7578	10303	5830	0	0	25873
4. बिहार	17010	14549	6961	3626	68	9163	51377
5. गोवा	841	94	22	17	19	0	993
6. गुजरात	11211	377	827	59	3	232	12709
7. हरियाणा	4163	326	21	1	0	338	4849
8. हिमाचल प्रदेश	1725	1202	3843	14	0	120	6904
9. जम्मू और काश्मीर	2253	1687	3160	103	17	246	7466
10. कर्नाटक	19454	1418	1566	289	44	252	23023
11. केरल	4256	1050	528	262	0	0	6069
12. मध्य प्रदेश	34850	14128	7826	2632	15	4638	64089
13. महाराष्ट्र	25473	4628	3545	1746	2215	487	38094
14. मणिपुर	61	479	1371	846	0	0	2757
15. मेघालय	288	698	1215	1482	9	0	3692
16. मिजोरम	0	578	355	72	0	0	1005
17. नागालैंड	79	401	506	145	0	0	1131
18. उड़ीसा	16566	7939	6065	961	0	2647	34178
19. पंजाब	10943	842	135	26	0	892	12838
20. राजस्थान	21972	1900	1812	295	0	2124	28103
21. सिक्किम	139	147	133	48	0	1	468
22. तमिलनाडु	23124	3697	693	1671	40	43	29268
23. त्रिपुरा	69	43	1553	194	0	68	1927
24. उत्तर प्रदेश	56122	3964	1799	662	14	13013	75564
25. पं० बंगाल	13551	13579	15432	3461	54	2379	48456
26. अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	102	14	13	48	0	0	177
27. चण्डीगढ़	40	3	0	0	0	1	44
28. दादरा और नागर हवेली	77	0	47	0	0	0	124

2	2	3	4	5	6	7	8	9
29.	दमन और दीव	32	0	0	0	0	0	32
30.	दिल्ली	913	888	31	1	5	0	1838
31.	लक्षद्वीप	10	0	0	0	0	0	18
32.	पाण्डिचेरी	211	19	1	108	0	0	339
	पूर्ण भारत	299474	85646	72777	29644	2546	39305	529392

विवरण-2

क्रमांक	राज्य/संघ शासित प्रदेश	आप्रेशन ब्लैक बोर्ड योजना में शामिल प्राइमरी स्कूलों की संख्या	
		1987-88	1988-89
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	6352	18975
2.	असम	7014	—
3.	बिहार	13270	11484
4.	गुजरात	4769	—
5.	हरियाणा	959	1413
6.	हिमाचल प्रदेश	1984	2010
7.	जम्मू और काश्मीर	1320	4158
8.	कर्नाटक	2473	7598
9.	केरल	1467	2243
10.	मध्य प्रदेश	13926	19086
11.	महाराष्ट्र	6723	—
12.	मणिपुर	541	954
13.	मेघालय	766	—
14.	नागालैंड	311	370
15.	उड़ीसा	7377	12779
16.	पंजाब	4737	3873
17.	राजस्थान	12187	5011
18.	सिक्किम	509	—

1	1	3	4
19.	तमिलनाडु	5995	11079
20.	त्रिपुरा	421	—
21.	उत्तर प्रदेश	18924	26633
22.	अरुणाचल प्रदेश	353	244
23	दादरा और नागर हवेली	17	—
24.	दिल्ली	668	—
25.	गोआ	169	265
26.	लक्षद्वीप	19	—
27.	मिजोरम	166	273
28.	प० बंगाल	—	11139
29.	पांडिचेरी	—	243
30.	चण्डीगढ़	—	—
31.	दमन और दीव	—	32
	पूर्ण भारत	113417	139862

त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत गांवों को जल की आपूर्ति

6259. **श्रीमती मनोरमा सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार में वर्ष 1987-88 और 1988-89 के दौरान त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम में कितने गांव शामिल हैं ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम (ए० डब्ल्यू० एस० पी०) और राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एम० एन० पी०) के अन्तर्गत 1978-88 में 3248 "बिना जल स्रोत वाले" समस्याग्रस्त गांव और 1988-89 में (फरवरी 1989 तक) 892 समस्याग्रस्त गांव कवर किए गये थे। इसके अतिरिक्त, त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 1988-89 में (फरवरी, 1989 तक) 3513 समयाग्रस्त गांव को आंशिक रूप से लेकर पूर्ण रूप तक पेयजल सुविधाओं के अतंर्गत कवर किया गया है।

कृषि लागत एवं मूल्य आयोग में किसानों का प्रतिनिधित्व

6260. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों ने कृषि लागत एवं मूल्य आयोग में अपने प्रतिनिधि शामिल किए जाने की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, हां ।

(ख) कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का विस्तार किया गया है, ताकि किसानों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए तीन गैर-सरकारी सदस्यों को इसमें शामिल करके किसानों के हितों की रक्षा की जा सके ।

विश्व बाजार की तुलना में भारतीय इस्पात की लागत तथा कीमत

6261. **श्री कृष्ण सिंह** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात की उत्पादन लागत अन्य इस्पात उत्पादक देशों तुलना में अधिक है;

(ख) यदि हां, तो प्रमुख इस्पात उत्पादक विकसित और विकासशील देशों और भारत में विभिन्न श्रेणियों के इस्पात की उत्पादन लागत सम्बन्धी तुलनात्मक आंकड़ों का ब्यौरा क्या है; और

इस अन्तर को कम करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) और (ख) चूंकि अन्य देशों में इस्पात उत्पादन की लागत के सम्बन्ध में कोई प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, इसलिए भारत के साथ इन देशों में उत्पादन की लागत की तुलना करना सम्भव नहीं है ।

(ग) उत्पादन की लागत को समान करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :—

(1) स्थापित क्षमता का और अधिक उपयोग करना ।

(2) उत्पादकता में सुधार करना ।

(3) ऊर्जा संरक्षण के उपाय ।

(4) रख-रखाव में सुधार लाना ।

(5) समयानुसार आधुनिकीकरण तथा संतुलित निवेश ।

भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड द्वारा सोने का उत्पादन

6262. **श्री एच० ए० डोरा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड ने अप्रैल-फरवरी, 1989 के दौरान गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में सोने का अधिक उत्पादन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार : (क) और (ख) जी, हां। भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड द्वारा अप्रैल, 1988 से फरवरी, 1989 के दौरान, 850·2 किलोग्राम स्वर्ण का उत्पादन किया गया, जबकि गत वर्ष की समान अवधि अर्थात् अप्रैल, 1987 से फरवरी, 1988 के दौरान 750·0 किलोग्राम स्वर्ण उत्पादन हुआ था।

सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में ऊर्जा की खपत

6263. श्री वाई० एस० महाजन : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के समेकित इस्पात संयंत्रों में ऊर्जा खपत विकसित देशों में होने वाली ऊर्जा खपत की तुलना में लगभग दुगनी है; और

(ख) यदि हां, तो ऊर्जा पेट्रोलियम उत्पादों और कोयले के उपायोग में बचत करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं अथवा करने का विचार है ताकि हमारी ऊर्जा की खपत विकसित देशों के बराबर हो सके ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) जी, हां।

(ख) उच्च ऊर्जा खपत का मुख्य कारण इस्पात संयंत्रों का प्रौद्योगिकीय अप्रचलन है। अत: सरकार ने पुराने संयंत्रों के लिए आधुनिकीकरण कार्यक्रम की मुख्य योजना बनाई है जो अन्य प्रचालन प्राचलों को बेहतर बनाने के साथ-साथ ऊर्जा खपत को कम करेगी। इसके अतिरिक्त, समग्र ऊर्जा खपत को कम करने के लिए ऊर्जा प्रबन्धन संगठन, उन्नत रखरखाव कार्य, अपशिष्ट उष्मा प्राप्ति बेहतर प्रौद्योगिकीय नियंत्रण इत्यादि जैसे विभिन्न अल्पावधि तथा मध्यविधि उपाय किए जा रहे हैं।

हैदराबाद में प्राप्त प्राचीन तोप

6264. श्री प्रतापराव बी० भोसले : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजाम के समय की कोई प्राचीन तोप हैदराबाद के बाह्यांचल में प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस प्राचीन तोप के बारे कोई अध्ययन करने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) और (ख) धातु-मिश्रण की एक प्राचीन तोप जिस पर हैदराबाद के द्वितीय निजाम, मीर निमाज अली खान बहादुर के समय के हिजरी 1197 के फारसी उत्कीर्ण लेख हैं,

हैदराबाद के बाह्यांचल में कांडीकल द्वार के पास मिली है जिसे 21-21-989 को राज्य पुरातत्व संग्रहालय हैदराबाद में रख दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

दिल्ली में कामकाजी महिलाओं के होस्टल

6265. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में 1 अप्रैल, 1989 की स्थिति के अनुसार कामकाजी महिलाओं के लिये होस्टलों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या यह संख्या सभी कामकाजी महिलाओं की आवश्यकतायें पूरा करने के लिये पर्याप्त है;

(ग) यदि नहीं, तो दिल्ली में कामकाजी महिलाओं के लिये और अधिक होस्टलों का निर्माण कराने के लिये उठाए गये कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) दिल्ली में कितनी कामकाजी महिलाएं होस्टल आवास के लिये प्रतीक्षा कर रही हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क)।

(ख) जी, नहीं।

(ग) केन्द्र शासित प्रदेश के प्रशासन से कहा गया है कि वह कामकाजी महिलाओं के लिए अतिरिक्त होस्टलों की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करें तथा पात्र संगठनों को यह कार्यक्रम चलाने के लिए प्रोत्साहित करें।

(घ) भारत सरकार द्वारा सहायता प्राप्त होस्टलों की प्रतीक्षा सूची में 503 कामकाजी महिलाएं हैं।

उड़ीसा में मत्स्य पालन का विकास

6266. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मछुआरों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिये उड़ीसा के मत्स्य पालन संसाधनों के उपयोग के लिये आबंटन में वृद्धि करने की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1989-90 में मत्स्य पालन संसाधनों के विकास के लिये कितनी धनराशि नियत की गई और उड़ीसा को वास्तव में कितनी धनराशि जारी की गयी है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) उड़ीसा में मात्स्यिकी के लिये सातवीं योजना का परिव्यय 12.60 करोड़ रुपये है, जो छठी योजना के परिव्यय से 2.60 करोड़ रुपये अधिक है।

(ख) कार्य दल द्वारा उड़ीसा को वर्ष 1989-90 की वार्षिक योजना के लिए 685 लाख रुपये का आबंटन करने की सिफारिश की गई है। 1989-90 के दौरान सभी केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें जारी रखने के लिये प्रशासनिक अनुमोदन की सूचना उड़ीसा सहित सभी राज्यों को पहले ही दी जा चुकी है। वैसे, अभी तक कोई धनराशि निर्मुक्त नहीं की गई है। योजनाओं के कार्यान्वयन के लिये धन उन योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति के आधार पर तथा राज्य सरकार के अनुरोध पर निर्मुक्त किया जाता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पाठ्येत्तर गतिविधियां

6267. **श्री हुसैन दलवाई :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन विभिन्न विश्वविद्यालयों में शिक्षा स्तर को नियंत्रित करने के प्रशासनीय उद्देश्य से किया गया था;

(ख) यदि हां, तो आयोग को पुस्तकालयों के भवनों और पाठ्येत्तर गतिविधियों की जिम्मेदारी सौंपने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सम्भव नहीं है कि गैर पाठ्यक्रम सम्बन्धी गतिविधियों को स्वशासी विश्वविद्यालयों को सौंपा जाये ताकि वे सीधे कार्यवाही प्रारम्भ कर सकें और इन्हें निर्धारित समय के अन्तर्गत पूरा कर सकें; और

(घ) इस सम्बन्ध में किन-किन प्रस्ताव पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एस० पी० शाही) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय शिक्षा की प्रोन्नति एवं समन्वय की और शिक्षा परीक्षा और अनुसंधान के स्तरों को निर्धारित एवं बनाये रखने के लिए उपाय करने के वास्ते वर्ष 1956 में संसद के एक अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित किया गया था। आयोग विश्वविद्यालयों के परामर्श से उपरोक्त उल्लिखित कार्यों को करता है।

(ख) से (घ) आयोग विश्वविद्यालयों को उनके सामान्य विकास के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसमें भवन, पुस्तकें एवं पत्रिकाएं उपकरण, शिक्षा एवं अनुसंधान इत्यादि की कोटि में सुधार लाने के लिए अन्य सुविधायें शामिल हैं। विश्वविद्यालयों ने स्वयं विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी ली है। तथापि, आयोग निधियों की उपयोगिता को सुनिश्चित करने के लिए क्रियान्वयन की प्रोन्नति का निरीक्षण करता है।

उड़ीसा में विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन के कारण विस्थापित हुए व्यक्तियों को रोजगार

6268. **श्री हरिहर सोरन :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में अंगुल में एल्यूमिनियम तथा एल्यूमिना संयंत्र जैसी विभिन्न परियोजनाओं और किरिबूर क्षेत्रों में लौह अयस्क परियोजनाओं के कार्यान्वयन के कारण कितने व्यक्ति विस्थापित हुए;

(ख) क्या सरकार का विस्थापित व्यक्तियों को इन परियोजनाओं में जहां से वे विस्थापित हुए हैं रोजगार देने के लिये कोई कदम उठाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो विस्थापित व्यक्तियों में से इन परियोजनाओं में रोजगार पर लगाये गये लोगों की संख्या का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एस० फोतेदार) : (क) से (ग) नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लि० (नाल्को) ने उड़ीसा के कोरापुट जिलान्तर्गत दामनजोड़ी में बाक्साइट खान और एल्यूमिना संयंत्र तथा धेंकनाल जिलान्तर्गत अंगुल में एल्यूमिनियम प्रद्रावक तथा ग्रहीत बिजलीघर की स्थापना की है। नाल्को की स्थापना से, 524 परिवार या तो अपने घरबार से अथवा समूची कृषि भूमि से विस्थापित हुए थे, और नाल्को ने इन परिवारों में से 322 व्यक्तियों को रोजगार दे दिया है। इसके अतिरिक्त, नाल्को द्वारा विस्थापित परिवारों के व्यक्तियों को कारीगरी दक्षता का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

किरिबूर उड़ीसा में लौह अयस्क खानों में शामिल नहीं है। तथापि, बिहार के सिंहभूम जिले में स्थित किरिबूर खान भारतीय इस्पात प्राधिकरण (सेल) के बोकारो इस्पात संयंत्र की ग्रहीत खान है। यह प्रोजेक्ट 25 वर्ष से भी पहले आरंभ किया गया था और यहां से विस्थापित व्यक्तियों के बारे में आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं।

दिल्ली दुग्ध योजना के बूथों पर दूध ले जाने वाली गाड़ियों से दिल्ली दुग्ध योजना का दूध पहुंचाना

6269. **श्रीमती प्रभावती गुप्त** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दुग्ध योजना के विभिन्न बूथों में विशेषरूप से प्रातःकाल दुग्ध वितरण के लिये दिल्ली दुग्ध योजना के दूध ले जाने वाली गाड़ियों को देने में इस समय क्या नीति अपनायी जा रही है;

(ख) क्या विभिन्न बूथों मे विशेषरूप से दूर स्थित बूथों में दूध ले जाने वाली गाड़ियों को डिपों से प्रथम बारी से छोड़ने की आवश्यकता है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विकासपुरी में दूध के बूथों विशेष रूप से बूथ नं० 1643 में दूध ले जाने वाली गाड़ियां बहुत देरी से पहुंचती है, जिसके कारण इस क्षेत्र की जनता को असुविधा होती है; और

(घ) यदि हां, तो स्थिति में सुधार लाने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख) दिल्ली दुग्ध योजना की वितरण पद्धति तीन प्रातःकालीन पारियों और दो सायं-

कालीन पारियों के आधार पर चलाई जाती है। दूर वाले भागों को प्रथम पारी में ही कवर करने की आम परिपाटी है।

(ग) और (घ) देर से दूध पहुंचने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। दिल्ली दुग्ध योजना ने स्टाफ की उपयुक्त पुन: तैनाती और मार्ग के पुन: निर्धारण द्वारा सुधारात्मक उपाय किए हैं।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों के लिए आवंटन

6270. **श्री एच० एम० नन्जे गौडा** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा देश में गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों तथा अन्य तकनीकी संस्थानों को कितना वार्षिक अनुदान दिया गया;

(ख) प्रत्येक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज का पूंजीगत परिव्यय कितना है; और

(ग) उपर्युक्त प्रत्येक संस्थानों को वर्ष 1889-90 के लिये अलग-अलग कितना आवंटन किया गया ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

दुग्ध उत्पादन का अनुमान

6271. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिलेवार दुग्ध उत्पादन के अनुमान तैयार करने का प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) अखिल भारतीय दुग्ध उत्पादन के अनुमान प्रत्येक वर्ष किन तारीकों से तैयार किए जाते हैं;

(घ) क्या सरकार द्वारा अब तक जारी किए गए वार्षिक दुग्ध उत्पादन के आंकडे दूर-संवेदी सर्वेक्षण पर आधारित होते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, हां।

(ख) अन्ध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और उड़ीसा के राज्यीय पशु पालन विभागों ने जिला स्तर पर दूध के उत्पादन के अनुमान तैयार करने के लिये सर्वेक्षण आरम्भ किए हैं।

अरूणाचल प्रदेश, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, कर्नाटक, केरल, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों ने भी सर्वेक्षण शुरू किए हैं लेकिन कुछेक चुनिन्दा जिलों में ही। यह कार्य एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत 50 : 50 के आधार पर किया जाता है।

(ग) विभिन्न राज्यों में दूध के उत्पादन के अनुमान लगाने के लिये विभिन्न स्तरों तथा भिन्न-भिन्न समय पर यादृच्छिक नमूने लेने की तकनीक द्वारा नमूना सर्वेक्षण किए जाते हैं, जिनमें जिले को स्तर माना जाता है तथा चुने गये गांव पहली अवस्था के यूनिट होते हैं, इन चुनिन्दा गांवों में चुने गये घर दूसरी अवस्था के यूनिट होते हैं तथा उन चुनिन्दा घरों में चुने गये पशु तीसरी अवस्था के यूनिट होते हैं। दूध के उत्पादन के अनुमान लगाने के लिये अपनाई गई यह कार्याविधि भारतीय कृषि सांख्यकीय अनुसंधान संस्थान (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद) के लगभग ढाई दशकों के प्रयासों का परिणाम है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

दुग्ध उत्पादकता सम्बन्धी आंकड़े

6272. **श्री पी०आर० कुमारमंगलम** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुग्ध-क्रांति के फलस्वरूप देशभर में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हुई है ;

(ख) क्या दुधारू पशुओं और दुग्ध उत्पादन के जिलावार आंकड़े तैयार किये गये हैं ताकि अखिल भारतीय आंकड़े तैयार किये जा सकें;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन आंकड़ों के अनुसार उत्पादकता में वृद्धि हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्यामलाल यादव) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) अखिल भारतीय दुग्ध उत्पादन के अनुमान राज्य स्तर पर दूध के उत्पादन को जोड़कर लगाए जाते हैं, जिनके उत्पादन का अनुमान विभिन्न स्तरीय बहु-चरणी यादृच्छिक नमूना तकनीक अपनाकर नमूना सर्वेक्षण द्वारा लगाया जाता है। निर्मुक्त करने से पहले इन अनुमानों की जांच निदेशक, भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्) की अध्यक्षता में पशु पालन तथा डेयरी सांख्यिकी के सुधार संबंधी निर्देशन की तकनीकी समिति द्वारा की जाती है।

वर्ष 1984-85 से 1987-88 तक का अखिल भारतीय दुग्ध उत्पादन निम्न प्रकार है:—

1984-85	41·5 मिलियन मीटरी टन
1985-86	44·00 मिलियन मीटरी टन
1986-87	45·6 मिलियन मीटरी टन
1987-88 (अस्थायी)	45·9 मिलियन मीटरी टन

ट्री जर्म प्लाज्म बैंक

6237 **डॉ० जी० विजय रामाराव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार में एक "ट्री जर्म प्लाज्म बैंक" स्थापित किया गया है, यदि हां' तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या समूचे देश में अन्य कृषि विश्वविद्यालयों में भी ऐसे "ट्री जर्म प्लाज्म बैंक" स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये "ट्री जर्म प्लाज्म बैंक" वनरोपण कार्यक्रम के लिये सरकारी और गैर सरकारी संगठनों को कहां तक आवश्यक सहायता प्रदान करते हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री) : (क) जी, हां ।

भारत सरकार के गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत विभाग की वित्तीय सहायता से वृक्ष जर्म प्लाज्म का एक बैंक हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार में स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य ऐसी देशी और विदेशी वृक्ष जातियों को एकत्रित करना और उनका मूल्यांकन करना है जो विशेषकर शुष्क क्षेत्रों के किसानों के लिए उपयोगी होंगी । मूल्यांकित और जर्मप्लाज्म बैंक में रखी गयी जातियां हैं : पापूलर, मोरस, ग्लिरिसीडिया, कास्युआरिना, यूकेलिप्टस और एकेसिया ।

(ख) पर्यावरण एवं वन विभाग, भारत सरकार के अधीन देहरादून स्थित वन अनुसंधान संस्थान के पास राष्ट्रीय वृक्ष जर्मप्लाज्म बैंक स्थापित करने के आदेश हैं और देश में इस काम को मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं ।

(ग) इन जीन बैंकों का उद्देश्य भिन्न-भिन्न सस्य-जलवायु वाली परिस्थितियों के अन्तर्गत भिन्न-भिन्न जातियों में मौजूद विविधताओं का परिरक्षण करना और अनुकूल क्षेत्रों में वन लगाने के कार्यक्रम के लिए माईक्रोप्रोपेगेशान एवं आबंटन हेतु इलाइट स्टाकों की पहचान करना है ।

मूल सिद्धान्तों और मार्गनिर्देशों के विकास के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ पद्धति से भारत की भूमिका

6274. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मानव अधिकारों के घोर उल्लंघन से पीड़ित व्यक्तियों के प्रत्यवस्थापन, क्षतिपूर्ति

और पुनर्वास सम्बन्धी मूल सिद्धान्तों और मार्गनिर्देशों के विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ पद्धति में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) धार्मिक अथवा आस्था की स्वतंत्रता सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय मानदंड अपनाने में क्या प्रगति हुई है;

(ग) राष्ट्रीय, जातीय, धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों तथा उनके संरक्षण के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय घोषणा को अपनाने में क्या प्रगति हुई है;

(घ) धार्मिक अथवा आस्था पर आधारित धार्मिक असहनशीलता अथवा भेदभाव के संबंध में और अन्तर्राष्ट्रीय मानदंड अपनाने में क्या प्रगति हुई है; और

(ङ) उपर्युक्त विषय पर संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न मंचों पर भारत द्वारा क्या भूमिका अदा की गई है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जिन मूल दस्तावेजों में मौलिक मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के अन्तर्राष्ट्रीय मानदंड और गारंटी निर्धारित की गई है, वे इस प्रकार हैं:—मानवाधिकारों से सम्बद्ध सार्वभौम घोषणा (1948), नागरिक एवं राजनैतिक अधिकारों से सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा (1966), और आर्थिक-सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों से सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा (1966) नागरिक एवं राजनैतिक अधिकारों से सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा के अनुच्छेद 9(5) में यह व्यवस्था है कि जिन व्यक्तियों को गैर-कानूनी रूप से गिरफ्तार या नजरबन्द किया गया हो, उन्हें मुआजवा पाने का प्रवर्तनीय अधिकार होगा। संयुक्त राष्ट्र ने भी उत्पीड़न और अन्य अमानवीय व्यवहार या दंड के विरुद्ध अभिसमय (1984) स्वीकार किया है। इस अभिसमय के अनुच्छेद 14 में उत्पीड़ित व्यक्तियों को उचित और पर्याप्त मुआवजा देने की व्यवस्था है जिसमें यथासम्भव पूर्ण पुनर्वास के साधन शामिल हैं।

(ख) से (घ) संयुक्त राष्ट्र ने 1981 में धर्म या विश्वास पर आधारित असहिष्णुता और भेदभाव के सभी रूपों को समाप्त करने सम्बन्धी एक घोषणा स्वीकार की है। संयुक्तराष्ट्र मानवाधिकार आयोग और भेदभाव को रोकने और अल्पसंख्यकों के संरक्षण देने सम्बन्धी उप-आयोग उन सभी मसलों और कारकों की जांच कर रहे हैं जो इस विषय पर अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय का मसौदा तैयार करने के संदर्भ में संगत है।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने राष्ट्रीय धार्मिक, जातीय अथवा भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक व्यक्तियों के अधिकारों से सम्बद्ध मसलों पर विचार करने के लिए 1978 में एक अनौपचारिक कार्यदल का गठन किया जिसमें आयोग के सभी सदस्य भाग ले सकते हैं। दल ने अभी तक अपना काम सम्पन्न नहीं किया है।

(ङ) मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के प्रति अपनी वचनबद्धता को मद्देनजर रखते हुए भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सभी मंचों पर सक्रिय भूमिका निभायी है। भारत मानवाधिकार आयोग का तथा भेदभाव को रोकने एवं अल्पसंख्यकों के संरक्षण सम्बन्धी उप-आयोग का सदस्य है।

गोदावरी नदी का तकनीकी-आर्थिक पहलुओं पर अध्ययन

6275. **श्री सोडे रमैया** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोदावरी नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने हेतु इसके तकनीकी आर्थिक पहलुओं का अध्ययन पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी निष्कर्ष क्या है;

(ग) क्या राजामुद्री तथा भद्राचलम के बीच नदी में नौवहन हेतु सुधार करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) गोदावरी नदी पर चेरला और राजामुंदरी के बीच 208 कि० मी० के खण्ड पर तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन हाल ही में पूरा हो गया है। उनकी रिपोर्ट से पता चलता है कि कुडुनुरू से राजामुंदरी के बीच 198 कि० मी० की दूरी में 1.2 मी० डुबाव वाले जहाजों को चलाया जाना सम्भव होगा, जहां न्यूनतम 104 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज उपलब्ध है, और जो खण्ड की नौगम्यता निकर्षण की मात्रा, नौचालन सम्बन्धी उपकरणों के प्रावधान और डुम्पूगुडम लाक्स और बीयर में परिशोधनों पर निर्भर होगा।

(ग) से (घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना में केन्द्र का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

विशाखापटनम मत्स्य पत्तन के लिए स्वच्छ पेयजल की सप्लाई

6276. **श्री सोडे रमैया** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापटनम पत्तन न्यास मत्स्य पोतों को पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पानी सप्लाई नहीं कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो विशाखापटनम में मत्स्य पत्तन पर पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पेयजल की सप्लाई को सुनिश्चित बनाने के लिये क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) विशाखापत्तनम पोर्ट नगर निगम से प्राप्त स्वच्छ जल की आपूर्ति करता है। तथापि, कभी-कभी जब नगर निगम से आपूर्ति अपर्याप्त होती है, सभी जहाजों की जरूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल की आपूर्ति नही की जा सकती।

(ख) पोर्ट ट्रस्ट द्वारा फिशिंग ट्रालरों को गैर-सरकारी एजेंसियों से जल प्राप्त करने की अनुमति दी जाती है। नगर निगम से फिशिंग हार्बर के लिए प्रतिदिन एक लाख गैलन जल की अतिरिक्त मात्रा की आपूर्ति करने का भी अनुरोध किया गया है।

"मार्केट इन्टरवेन्शन फण्ड" की स्थापना

6277. **डॉ० बी० एल० शैलेश** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को खाद्य तेलों और तिलहनों के क्रय-विक्रय मध्यस्थता कार्य संचालनों में संभावित हानियों को पूरा करने के लिए 30 करोड़ रुपये से एक "मार्केट इन्टरवेन्शन फण्ड" की स्थापना करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो "मार्केट इन्टरवेन्शन फण्ड" की स्थापना किस प्रकार की जाएगी और उसके कार्य संचालन और नियंत्रण की कार्य प्रणाली का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री) : (क) और (ख) जी हां, खाद्य तेलों और तिलहनों में मार्केट इन्टरवेन्शन आपरेशन्स से होने वाली संभावित हानि को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा 30 करोड़ रुपए का मार्केट इन्टरवेन्शन फण्ड तैयार करने का निर्णय लिया गया है। ऐसे मार्केट इन्टरवेन्शन आपरेशनों के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ऐसे मूल्य पर आयातित तेल प्राप्त करेगा जिससे फण्ड तैयार करने की दृष्टि से तेल का अतिरिक्त स्टाक बनाने में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कटाई के तुरन्त बाद किसानों को प्रोत्साहन मूल्य देकर घरेलू तिलहन और खाद्य तेल खरीदेगा तथा तेल की कमी के समय उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए देश में उत्पादित और विदेशों से आयातित तेल बेचेगा। यदि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड तेल का आयात किए बिना, किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए लाभदायक मूल्य स्थिर करने में सफल रहा तो सरकार, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को होने वाली किसी भी हानि को पूरा करेगी।

नेशनल स्कूल आफ ड्रामा में हड़ताल

6278. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल स्कूल आफ ड्रामा, नई दिल्ली के छात्रों ने पिछले महीने के दौरान क्रमिक भूख हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनकी मांगों को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) जी, हां।

(ख) उनकी मांगें इस प्रकार हैं :—

(1) प्रथम वर्ष के छात्र, श्री शेख खैरुद्दीन को, बिना किसी शर्त के वापस ले किया जाए जो प्रथम वर्ष के पहले सत्र की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया है।

(2) शैक्षिक मानदंडों और प्रणालियों का पुनर्निर्माण।

(3) दोषी शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई।

(4) संकाय के एक सदस्य के विरुद्ध कार्रवाई, जो संस्थान के शैक्षिक वातावरण को दूषित कर रहा है।

(ग) राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय सोसाइटी ने 20 मार्च, 1989 को संपन्न अपनी बैठक में छात्रों द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर विचार किया और एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जिसमें श्री गिरीश कर्नाड, डॉ० जी० पी० देशपांडे, श्री के० जी० वर्मा, श्री बंसी कौल सभी सोसाइटी सदस्य और रंगमंच की जानी मानी हस्तियाँ तथा संस्कृति विभाग में अपर सचिव, श्री भास्कर घोष, रा० ना० वि० की कार्यकारी निदेशक सुश्री कीर्ति जैन भी शामिल हैं। समिति विद्यालय के नियमों, उपनियमों, शैक्षिक कार्यकरण और अन्य संबद्ध मामलों तथा छात्रों द्वारा उठाए गए अन्य मुद्दों की जांच करेगी।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में खामियां

6279. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की परिषद् द्वारा नियुक्त की गई समिति ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में गंभीर खामियों का उल्लेख किया है और कुछ एम० टेक पाठ्यक्रमों को समाप्त करने सहित इसके व्यापक पुनर्गठन की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) अगले शैक्षिक वर्ष से एम० टेक पाठ्यक्रम पुनर्गठित कराने के लिये विशेषज्ञों की राय के अनुसार क्या उपाय करने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एस० पी० शाही) : (क) से (ग) जी, हां। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की परिषद ने इन सिफारिशों पर विचार करने और सुझाव देने के लिए इन्हें भारतीय प्रौयोद्योगिकी संस्थानों को भेजा है।

शीतल पेयों के मूल्य में वृद्धि

6280. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्दी के महीने समाप्त होने और केन्द्रीय बजट प्रस्तावों की घोषणा किये जाने से पहले ही राजधानी में अधिकांश शीतल पेयों का खुदरा मूल्य बढ़ाकर 3/- रुपये प्रति बोतल कर दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा शीतल पेयों के लिए कोई मूल्य नियंत्रण/निर्धारित नहीं किया गया है।

पत्तनों में कन्टेनर आधुनिकीकरण कार्यक्रम पर नई कंटेनर विशिष्टताओं का प्रभाव

6281. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मानक संगठन ने विश्व के विभिन्न पत्तनों में प्रयोग किए जाने वाले कंटेनरों की विशिष्टताओं में परिवर्तन करने का हाल में एक निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो देश के मुख्य पत्तनों में इस समय चलाये जा रहे कन्टेनर आधुनिकीकरण कार्यक्रम पर इन नई विशिष्टताओं का क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ग) वर्तमान में चल रहे आधुनिकीकरण कार्यक्रम पर इन विशिष्टताओं के फलस्वरूप पड़ने वाले प्रभावों का अनुमोदन करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

पंजीकृत नौवहन कम्पनियां

6282. **श्री एन० डेनिस** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1989 की स्थिति के अनुसार सरकारी, राज्य-क्षेत्र तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में पंजीकृत नौवहन कंपनियों की पृथक-पृथक संख्या कितनी थी;

(ख) इन कंपनियों में से प्रत्येक के पास कितने-यात्री जहाज तथा मालवाही जहाज हैं, और

(ग) चालू जहाजों की संख्या कितनी है और कितने जहाज अनुपयुक्त सिद्ध हो चुके हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) 31-3-89 को रजिस्टर्ड नौवहन कंपनियों की संख्या निम्नलिखित थी—

	संख्या
सार्वजनिक	1
राज्य	1
गैर-सरकारी	47
योग :	49

(ख) उपरोक्त कंपनियों के स्वामित्व में यात्रा और कार्गो जहाजों की संख्या निम्न

प्रकार है—

	यात्री	कार्गो जहाज	योग
सार्वजनिक	6	120	126
राज्य	—	3	3
गैर सरकारी	—	216	216
योग :	6	339	345

(ग) 31-3-89 को कुल 345 जहाजों में से 331 जहाज प्रचालित थे और 14 जहाज बंद पड़े थे।

दिल्ली में उड़ीसा के छात्रों के लिए छात्रावास का निर्माण

6283. **श्री चिंतामणि जेना :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के बड़ी संख्या में छात्र दिल्ली में विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्ययन कर रहे हैं;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार ने इन छात्रों के लिए दिल्ली में उड़ीसा छात्रावास भवन के निर्माण हेतु केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री) श्री एल० पी० शाही) : (क) दिल्ली विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया और जवाहर लाल नेहरू विद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, उड़ीसा के अनेक छात्र इन विश्वविद्यालयों में अध्ययन कर रहे हैं।

(ख) और (ग) उड़ीसा सरकार ने दिल्ली विश्वविद्यालय में उड़ीसा के छात्र और छात्राओं के लिए एक स्थायी छात्रावास के निर्माण के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के समीप अथवा अन्य उपयुक्त स्थान ½ एकड़ भूमि आवंटन करने के लिये अनुरोध किया है। मामला विचाराधीन है।

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत राज्यों को धनराशि की मंजूरी

6284. **श्री चिंतामणि जेना :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूर की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया है कि राज्य के लिए

आबंटित धनराशि पर्याप्त नहीं है तथा वर्ष 1988-89 के लिए अतिरिक्त अनुदान मंजूर करने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एस० पी० आढ़ी) : (क) राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा व्यय को बांट लिया जाता है। 1984-85 तक हुआ व्यय राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है। 1984-85 के आगे होने वाला व्यय केन्द्रीय सरकार वहन करती है। 1988-89 के दौरान योजना के कार्यान्वयन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को संस्वीकृत निधियों के ब्यौरे संलग्न हैं।

(ख) से (घ) उड़ीसा राज्य सरकार ने तीन अवसरों पर इस योजना के लिए 1988-89 के दौरान 37,01,220/- रुपये की निधियां देने के लिए भारत सरकार, शिक्षा विभाग से संपर्क किया था। राज्य सरकार को, 37,01,220/- रुपये का अनुदान तीन किश्तों में संस्वीकृत किया गया था।

विवरण

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना

1988-89 के दौरान दी गई निधियों तथा राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा 1988-89 के दौरान उपयोग में लाने के लिए अनुमत्य खर्च न की गई बकाया राशियां।

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	दिया गया अनुदान	1988-89 के दौरान उपयोग में लाने के लिए अनुमत्य खर्च न की गई बकाया राशि
1.	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	—	32,00,000
2.	बिहार	—	47,83,000
3.	गुजरात	15,87,000	4,58,245
4.	हरियाणा	—	1,36,000
5.	हिमाचल प्रदेश	8,000	63,340

1	2	3	4
6.	जम्मू और काश्मीर	3,16,000	—
7.	कर्नाटक	1,39,000	22,78,539
8.	केरल	20,81,000	23,01,764
9.	महाराष्ट्र	12,00,000	—
10.	नागालैण्ड	—	9,200
11.	उड़ीसा	(क) 18,89,920)	5,37,460
		(ख) 12,81,000) 37,01,220/- रु०	
		(ग) 5,30,400)	
12.	पंजाब	1,25,000	—
13.	राजस्थान	—	4,00,000
14.	तमिलनाडु	(क) 1,75,000)	—
		(ख) 10,40,900) 12,15,000/- रु०	
15.	त्रिपुरा	—	21,760
16.	पश्चिम बंगाल	3,55,000	20,82,550
17.	गोवा	1,10,000	—
18.	दमन और द्वीव	12,960	—
19.	दादरा और नागर हवेली	—	17,560
20.	पांडिचेरी	43,000	—

विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत आंध्र प्रदेश को प्रदान की गई धनराशि

6285. **श्री एस० पलाकोंड्रायुडु** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष के लिए विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश को कितनी धनराशि प्रदान की गई है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : आन्ध्र प्रदेश सरकार को वर्ष 1988-89 के दौरान विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम के अधीन निर्मुक्त की गई तथा चालू वर्ष में आवंटित की गई राशि को दर्शाने वाला एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम के अधीन आंध्र प्रदेश की निर्मुक्त की गई/आबंटित की गई राशि

(रुपये लाखों में)

क्र० सं०	योजना	1988-89 निर्मुक्त राशि	1989-90 आबंटित राशि
1.	विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम (चावल)	351.80	381.00
2.	विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम (उर्वरक)	8.40	8.40
3.	विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम (ऋण)	895.17	अंतिम रूप नहीं दिया गया
4.	विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम (दलहन)	22.00	17.00
	जोड़	1277.37	406.40

खनिज भंडारों की खोज

6286. **श्री के० प्रधानी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में खनिज स्रोतों के तेजी से विकास हेतु सरकार ने क्या कदम उठाये हैं;

(ख) क्या वर्तमान खान तथा खनिज (अनुसंधान और विकास) अधिनियम उपर्युक्त मामले में सहायता प्रदान करने में पर्याप्त नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का वर्तमान अधिनियम में संशोधन करने के लिए एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) नए खनिज स्रोतों के गवेषण और आकलन के लिए दीर्घकालिक एवं निरन्तर प्रयास किए जाते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, राज्य खनन व भू-विज्ञान निदेशालयों, खनिज गवेषण निगम तथा विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी खनन संगठनों द्वारा एकत्र आंकड़ों के आधार पर, भारतीय खान ब्यूरो एक राष्ट्रीय खनिज सूची तैयार करता है, जिसमें खनिज निक्षेपों के स्थान, अयस्क नमूनों के भौतिक व रासायनिक गुण तथा भण्डारों की मात्रा से संबंधित सूचना रहती है। यह सूचना उद्यमकर्त्ताओं को नाममात्र शुल्क पर दी जाती है। ब्यूरो की नागपुर, बंगलौर तथा अजमेर स्थित प्रयोगशालाओं तथा प्रायोगिक संयंत्रों में विभिन्न खनिजों के विश्लेषण, परिष्करण तथा प्रायोगिक संयंत्र अध्ययन सुविधाएं उपलब्ध हैं। ब्यूरो द्वारा खनिज निक्षेपों के मूल्यांकन गवेषण, सर्वेक्षण, साध्यता रिपोर्ट तैयार करने, उपयुक्त खनन उपकरणों के चयन तथा खनिजों के उपभोग आदि से संबंधित तकनीकी परामर्शी सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं।

चूंकि खनिज निक्षेप सीमित तथा अपूर्णीय होते हैं, अतः खानों के उपयुक्त विनियमन तथा खनिज विकास द्वारा इनका इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना जरूरी होता है। इसके लिए, संसद द्वारा खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1957 पारित किया गया, जिसमें आवश्यकतानुसार संशोधन किए जाते हैं। इस अधिनियम के तहत हाल ही में 1958 के पुराने नियमों के स्थान पर खनिज संरक्षण तथा विकास नियम, 1988 अधिसूचित किए गए हैं।

ब्यूरो के विभिन्न अधिकारियों द्वारा खानों के निरीक्षण के समय पट्टाधारियों को खनिजों के संरक्षण तथा क्रमबद्ध विकास हेतु उपयुक्त सलाह दी जाती है।

(ख) जी, नहीं। यथा संशोधित वर्तमान खान व खनिज (विनियमन व विकास) अधिनियम, 1957 पर्याप्त है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय गौरवग्रंथों का विदेशी भाषाओं में अनुवाद

6287. **प्रो० नरायण चन्द पराशर** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना के दौरान किन-किन भारतीय गौरवग्रन्थों का विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया और अनुवाद करने वाले व्यक्तियों/संस्थानों के नाम क्या-क्या हैं;

(ख) क्या वर्ष 1989-90 के लिए भी कार्यक्रम तैयार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो सातवीं योजना के अंतिम वर्ष में किन-किन गौरवग्रंथों का किस-किस भाषा में अनुवाद किया जायेगा और अनुवाद करने वाले अनुवादकों/संस्थाओं के नाम क्या हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एस० पी० शाही) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दुर्लभ हस्तलिपियों का विभिन्न भाषाओं में प्रकाशन

6288. **प्रो० नरायण चन्द पराशर** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 1986-87 से 1988-89 के दौरान देश में दुर्लभ हस्तलिपियों के विभिन्न भाषाओं में प्रकाशन के लिए कोई वित्तीय सहायता दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष किन-किन पांडुलिपियों का भाषावार प्रकाशन शुरू किया गया है और सातवीं योजना के अन्तिम वर्ष में ऐसे प्रकाशनों के लिए क्या कार्यक्रम हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एस० पी० शाही) : (क) जी, हां।

(ख) कृपया संलग्न विवरण देखें।

विवरण

1986-87 के दौरान दी गई वित्तीय सहायता

क्र०सं०	प्रकाशनार्थ पांडुलिपि का नाम	भाषा	
1	2		3
1.	(1) छोटा पद्मणि मंजरी (2) श्याम मंजरी (3) उत्तर हरि वाम सामु	संस्कृत और तेलुगू	वेतुरी प्रभाकर शास्त्री स्मारक न्यास, हैदराबाद (आ०प्र०)
2.	(1) नाम-रूप-परिच्छेद (2) परमाथ विनिछया	पालि	बौद्ध अध्ययन विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, (दिल्ली)
3.	पांडुलिपियों का प्रकाशन	अंग्रेजी, गुजराती, हिन्दी, उर्दू,	गांधी स्मारक संग्रहालय, अहमदाबाद (गुजरात)
4.	(1) कृष्ण चारित्रय (2) वर्ण वैद्य (3) नदी निदान (4) गीत गोविन्द (5) अश्वलाक्षिणी वैद्य	अंग्रेजी और कन्नड़	केनाडी संग्रहालय तथा ऐतिहासिक अनुसंधान ब्यूरो, कलाडी, जिला शिमोगा, (कर्नाटक)
5.	ताड़पत्र की पांडुलिपियों की सूची का प्रकाशन	कन्नड़ प्राकृत, तमिल तेलुगू	कन्नड़ अध्ययन संस्थान मैसूर विश्वविद्यालय, (कर्नाटक)
6.	पांडुलिपियों का प्रकाशन	कन्नड़	कन्नड़ अध्ययन संस्थान, मैसूर विश्वविद्यालय, (कर्नाटक)
7.	विवरणात्मक सूची, खण्ड-1 भाग-3 उपनिषद एवं खंड-19, उपखंड-2, भाग-3 और खंड-19 उपखंड-2, भाग-4 जैन साहित्य एवं दर्शन श्वेताम्बर एवं दिगम्बर कृतियां	भाषा निर्दिष्ट नहीं	भंडारकर प्राच्य अनुसंधान संस्थान, पूना (महाराष्ट्र)

1	2	3	
8.	पांडुलिपि सूची सं० 3	हिंदी, मराठी, फारसी, संस्कृत, उर्दू	नागपुर विश्वविद्यालय पांडुलिपि पुस्तकालय, नागपुर (महाराष्ट्र)
9.	पांडुलिपियों का प्रकाशन	मराठी और संस्कृत	हमीपंथ संशोधन मंडल अनुसंधान संस्थान, जिला बीड (महाराष्ट्र)
10.	पांडुलिपियों का प्रकाशन	बंगला, अंग्रेजी, गुजराती, हिन्दी, मराठी, राजस्थानी, संस्कृत,	श्री सरस्वती पुस्तकालय फतेहपुर शेखावटी (राजस्थान) डा० यू०वी० स्वामीनाथ
11.	(1) महाभारत 8-10 (2) स्थल वारा लारु (3) भारतम् (4) काना कटी करम (5) वैष्णव गुरु परम परै (6) नथीनर्व (7) अल्का-ननुरु (8) अपितना-मणि मलाई	उर्दू भाषा का उल्लेख नहीं किया गया।	अय्यर पुस्तकालय मद्रास (तमिलनाडु)
12.	विनय विनिच्छाया	पालि (देवनागरी लिपि)	पालि और बौद्ध/अध्ययन विभाग, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी (उ०प्र०)
13.	वैष्णव सीरीज	बंगला, गुजराती, गुरमुखी, हिंदी, उड़िया, फारसी, संस्कृत	वृन्दावन अनुसंधान संस्थान, वृन्दावन (उ०प्र०)
14.	पांडुलिपियों की सूची का प्रकाशन	हिंदी, संस्कृत	नागार्जुन बौद्ध प्रतिष्ठान, गोरखपुर (उ०प्र०)
15.	चण्डीमंगल/पदक पतारू/ मनसा मंगल	बंगला, मणिपुरी,	बंगला विभाग, विद्या भवन,

1	2	3	
		संस्कृत	विश्वभारती, शांति निकेतन, (पश्चिम बंगाल)
16.	ताड़-पत्र पांडुलिपियों का प्रकाशन	तमिल	एशियाई अध्ययन संस्थान, मद्रास (तमिलनाडु)
17.	भारतम् पट्टु	मलयालम	डा०पी०के० नारायण पिल्लै, त्रिवेन्द्रम

पांडुलिपियों के प्रकाशनार्थ वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही उन संस्थाओं की सूची जिन्होंने पांडुलिपियों के शीर्षक अथवा भाषा का उल्लेख नहीं किया है :—

क्र

18. गुवाहाटी विश्वविद्यालय, गुवाहाटी ।
19. सर्वेंट्स आफ द पीपुल सोसायटी, (द्वारका दास लाइब्रेरी चण्डीगढ़ ।
20. कन्नड़ अध्ययन संस्थान, गुलबर्ग विश्वविद्यालय, गुलबर्ग (कर्नाटक)
21. जयकर पुस्तकालय, पूना विश्वविद्यालय, पुणे (महाराष्ट्र)
22. गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार (उत्तर प्रदेश)

1987-88 के दौरान दी गयी वित्तीय सहायता

क्र०सं०	प्रकाशनार्थ पांडुलिपियों के नाम	भाषा	
1	2	3	
1.	पांडुलिपियों का प्रकाशन	तेलुगु	तेलुगू विभाग, काकतिया विश्वविद्यालय, वारंगल (आ०प्र०)
2.	(1) नाम रूप-परिच्छेद (2) परमत्था विनिच्छाया (2) कक्कयनयनबा	पालि	बौद्ध अध्ययन विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

1	2	3	
3.	डा० पिसुरलेंकर के लेखों, टिप्पणियों और पांडुलिपियों की विश्लेषणात्मक सूची तैयार करना और इसका प्रकाशन	अंग्रेजी	गोवा विश्वविद्यालय गोवा मेडिकल कालेज, बोम्बोलिम, गोवा
4.	आलोचनात्मक संस्करण का प्रकाशन (3 पुस्तकें)	संस्कृत	संस्कृत, पालि और प्राकृत विभाग, एम०डी० विश्वविद्यालय रोहतक (हरियाणा)
5.	(1) कुमार व्यास भरत का प्रकाशन (2) संगीत राघव का मुद्रण (3) रस मंजरी का मुद्रण	कन्नड़	बी०एम० स्मारक प्रतिष्ठान, बंगलौर (कर्नाटक)
6.	मंजम और कोरापुर जिलों की पुरा-वस्तुओं की एक निर्देशिका का प्रकाशन तथा संग्रहालय अभिलेखीय कक्ष के लक्ष्य और उद्देश्य दर्शाने वाली पुस्तिका।	भाषा का उल्लेख नहीं किया गया	संग्रहालय अभिलेखीय कक्ष बरहामपुर विश्वविद्यालय, बरहामपुर (उड़ीसा)
7.	पांडुलिपियों का प्रकाशन	संस्कृत	श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, पुरी (उड़ीसा)
8.	सप्त खण्ड, हरिवंश और चौरसी अजान	उड़िया	पारिजा पुस्तकालय, उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर (उड़ीसा)
9.	जैन पांडुलिपियों की ग्रंथ सूची की सूची के 2 खण्डों का मुद्रण	प्राकृत संस्कृत	सेवा मन्दिर रावती, जोधपुर (राज०)
10.	दुर्लभ एवं बहुमूल्य पांडुलिपियों के आलोचनात्मक संस्करणों का प्रकाशन (दो)	हिंदी, प्राकृत राजस्थानी संस्कृत	जैन विश्व भारती, लाडनु (राजस्थान)
11.	मोदी पांडुलिपियों का मुद्रण	मोदी	दुर्लभ कागज पांडुलिपि विभाग, तमिल विश्वविद्यालय, तंजावुर (तमिलनाडु)

1	2	3	
12.	पांडुलिपियों का प्रकाशन	तमिल	ताड़पत्र पांडुलिपि अभिलेखागार तमिल विभाग मदुरै कामराज विश्वविद्यालय, मदुरै (तमिलनाडु)
13.	पांडुलिपियों का प्रकाशन	तमिल	एशियाई अध्ययन संस्थान, शिरुवनमियूर, मद्रास (तमिलनाडु)
14.	श्री सैयद अहमद खान और उनके सहयोगियों की कृतियों का मुद्रण	अंग्रेजी और उर्दू	श्री सैयद अकादमी, विश्व-विद्यालय अभिलेखागार, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश)
15.	सूची पत्रों का मुद्रण	अरबी, फारसी और उर्दू	मौलाना आजाद पुस्तकालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ (उ०प्र०)
16.	(1) शंकराचार्य का वज्रसुकी (2) कालिदास के मेघदूत पर जनार्दन की टीका (व्याख्या) (3) कृष्ण पद रचनावली	भाषा का उल्लेख नहीं	नार्गाजुन बौद्ध प्रतिष्ठान, गोरखपुर (उत्तर प्रदेश)
17.	कामसावाद्म भाषा चम्पू	मलयालम	डा० टी० जी० रामचन्द्रन पिल्लै, त्रिवेन्द्रम
18.	रामायण बेंबा	तमिल	श्री आर० गोविन्दराजन, मद्रास

उन संस्थाओं की सूची जो पाण्डुलिपियों के प्रकाशन के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही हैं किन्तु उन्होंने पांडुलिपियों के शीर्षक या भाषा का उल्लेख नहीं किया है :—

19. कन्नड़ अध्ययन संस्थान, गुलबर्ग विश्वविद्यालय, गुलबर्ग (कर्नाटक)
20. श्री सरस्वती पुस्तकालय, फतेहपुर, शेखावाटी, (राजस्थान)

वर्ष 1988-89 के दौरान प्रदान की गई वित्तीय सहायता

क्र०सं०	प्रकाशनार्थ पाण्डुलिपियों के नाम	भाषा	
1	2	3	
1.	(1) श्री महाभारतम (2) नारद संहिता (3) वृहत् जटाकाम (4) भृगु संहिता (5) रामला रहस्य प्रकाशिका (6) जगबहंद्रिका (7) लघु जटाकाम (8) सारवली (9) प्रसन्न शास्त्र रहस्य प्रकाशन	तेलुगु	त्रिवेणी बुक ट्रस्ट, हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)
2.	(1) प्राचीन लोक गीत (2) तेलंगाना के गीत (1940-50)	भाषा का उल्लेख नहीं	डा० आर० थिरमला राव, तेलुगू अकादमी, हिमायत नगर, हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)
3.	पाण्डुलिपियों का प्रकाशन	संस्कृत, तेलुगु	संस्कृत विभाग, कला एवं विज्ञान कॉलिज, काकतिया विश्वविद्यालय, वारंगल (आन्ध्र प्रदेश)
4.	पाण्डुलिपियों का प्रकाशन	गुजराती, हिंदी, उर्दू	गांधी स्मारक संग्रहालय अहमदाबाद (गुजरात)
5.	वस्तु संस्कार कल्प	संस्कृत (मोदी लिपि)	कल्पतरू शोध अकादमी, बंगलौर (कर्नाटक)
6.	पाण्डुलिपियों और दुर्लभ ऐतिहासिक पुस्तकों तथा रिपार्टों का प्रकाशन	मराठी, मोडी फारसी	विदर्भ संशोधन मण्डल, नागपुर (महाराष्ट्र)
7.	शिवाजी मल्लाम्माजी समारोत्सव	भाषा का उल्लेख नहीं किया गया	कन्नड़ विभाग, बम्बई विश्वविद्यालय, बम्बई (महाराष्ट्र)
8.	(1) मेती रामायण (2) लीरां	मेती	लोक संग्रहालय, काकचिंग (मणिपुर)

1	2	3	
9.	निंगथारोल लम्बाबा	बंगला	मणिपुर कला अकादमी, इम्फाल (मणिपुर)
10.	पाण्डुलिपियों का प्रकाशन	उड़िया	दधि बामन क्लब तथा पाल्लिमंगल समिति, पुरी (उड़ीसा)
11.	ताडपत्र पाण्डुलिपियोंका प्रकाशन	उड़िया	उड़िया का उत्तर स्नातक विभाग, सम्बलपुर विश्वविद्यालय, ज्योति विहार (उड़ीसा)
12.	गीता विजय वैजयन्ती (द्वितीय खण्ड)	उड़िया	बरहामपुर विश्वविद्यालय, बरहामपुर (उड़ीसा)
13.	पाण्डुलिपियों का प्रकाशन	बंगला, अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, मराठी, संस्कृत उर्दू	श्री सरस्वती पुस्तकालय, फतेहपुर, शेखावाटी, (राजस्थान)
14.	ताड़पत्र पाण्डुलिपियों का प्रकाशन	तमिल	एशियाई अध्ययन संस्थान, मद्रास (तमिलनाडु)
15.	(1) कोयम्बूटूर क्षेत्र के स्थानीय इतिहास के अभिलेख (2) तिरूमंदुरई, तिरूची जिले के ताड़पत्र अभिलेख	तमिल	पुरालेख शास्त्र विभाग तमिल विश्वविद्यालय तंजावुर (तमिलनाडु)
16.	तमिल ताड़पत्र पाण्डुलिपियों की अन्तर्राष्ट्रीय सूची	तमिल	तमिल विश्वविद्यालय, तजावुर (तमिलनाडु)
17.	पाण्डुलिपियों का प्रकाशन	अंग्रेजी, फ्रेन्च जर्मन, हिंदी, उर्दू	भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर (उत्तर प्रदेश)
18.	वर्णनात्मक सूची पत्र का प्रकाशन	बंगला, अंग्रेजी, हिन्दी, संस्कृत, उर्दू	स्वामी विवेकानन्द पुस्तकालय, देहरादून, (उत्तर प्रदेश)
19.	उत्तर बंगाल के पांच जिलों के क्षेत्र में और विभिन्न विषयों तथा भाषाओं का संग्रह	बंगला और संस्कृत	बंगला विभाग(पांडुलिपि अनुभाग) उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय, जिला दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल)

सातवीं योजना के अन्तिम वर्ष (1989-90) के दौरान प्रकाशन का कार्यक्रम : वर्ष 1989-90 के दौरान वित्तीय सहायता के लिए आवेदन-पत्र सभी राज्य सरकारों/संघ क्षेत्र प्रशासनों, विश्वविद्यालयों, उच्च शिक्षा संस्थाओं को परिपत्र भेजकर तथा देश के विभिन्न भाषाओं के लगभग सभी प्रमुख समाचार-पत्रों में सार्वजनिक विज्ञापन के माध्यम से मई/जून 1989 माह में आमंत्रित किए जाएंगे।

भारत की सांस्कृतिक संस्थाओं में विदेशी छात्र

6289. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87, 1987-88 और 1988-89 के दौरान भारत की सांस्कृतिक संस्थाओं में कितने विदेशी छात्रों को दाखिला दिया गया है;

(ख) क्या सरकार का भारत और चीन सम्बन्धों में सुधार को देखते हुए तथा चीन-भारत मैत्री को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक संस्थाओं में दाखिला पाने के लिए चीन के छात्रों को अधिक प्रोत्साहन देने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यक्रम है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत भारतीय संगीत, नृत्य, नाट्यकला, ललितकला और ऐसे ही अन्य विषयों में अध्ययनार्थ सांस्कृतिक/शैक्षिक संस्थाओं में दाखिल विदेशी छात्रों की संख्या इस प्रकार है :—

1986-87	33
1987-88	40
1988-89	47

(ख) और (ग) सरकार की नीति भारत और चीन के बीच आपसी लाभ तथा बेहतर सद्भावना के लिए संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सम्बन्धों का विस्तार करना है।

सांस्कृतिक सहयोग करार के अन्तर्गत द्विपक्षीय सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम से बड़ी संख्या में चीनी छात्रों के लिए भारतीय संस्थाओं में संस्कृति एवं शिक्षा के विभिन्न पहलुओं में अध्ययन करना सम्भव हो पाया है।

पाकिस्तान के प्रधान मंत्री को भारत आने का निमंत्रण

6290. **श्री पीयूष तिरकी :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने पाकिस्तान के प्रधान मंत्री को द्विपक्षीय वार्ता हेतु भारत आने का निमंत्रण भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और वार्ता में किन विषयों पर बातचीत की जायेगी ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) और (ख) दिसम्बर, 1988 में प्रधान मंत्री की इस्लामाबाद में यात्रा के दौरान, भारत और पाकिस्तान के प्रधान मंत्रियों ने एक-दूसरे को एक-दूसरे के देश की यात्रा करने का निमंत्रण दिया और उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। इन यात्राओं की तारीखें अभी निश्चित की जानी हैं। इन यात्राओं के दौरान द्विपक्षीय और आपसी हित के अन्य मामलों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

उच्च गुणवत्ता वाले भ्रूणों का विकास

6291. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एनीमल बायोटेक्नोलाजी कैम्ब्रिज लिमिटेड, यू० के० ने मिल्क मार्केटिंग बोर्ड यू० के० के सहयोग से उच्च गुणवत्ता वाले भ्रूणों का विकास किया है जो भारत की परिस्थितियों के लिए उपयुक्त होंगे; और

(ख) क्या सरकार का ब्रिटेन सरकार से इस तकनीक की द्विपक्षीय कार्यक्रमों के अन्तर्गत हमारे डेयरी सम्बन्धी तकनीकी मिशन को यथाशीघ्र देने का अनुरोध करने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) एनीमल बायोटैक्नोलोजी कैम्ब्रिज लिमिटेड, यू० के० ने यू० के० इंस्टिट्यूट आफ एनीमल फिजियोलोजी एन्ड जेनेटिक रिसर्च के साथ कार्य करके भ्रूण उत्पादन के लिए एक तकनीकी विकसित की है। ये भ्रूण भारत के लिए विशेष रूप से उपयुक्त नहीं हैं और ना ही इन्हें भारत में उपयोग करने के विशेष इरादे से विकसित किया गया है।

(ख) इस प्रौद्योगिकी को प्रदान करने के लिए यू० के० सरकार से अनुरोध करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

पल्लू स्थी शाप के लिये फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकौर लि० द्वारा प्राप्त किये गये वर्क आर्डर्स

6292. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकौर लि० ने गिओबिनोला बिन्नी लि० कोचीन का अधिग्रहण कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो पल्लू शाप द्वारा कार्यान्वित किये जाने के लिये फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकौर लि० द्वारा अब तक कितने वर्क आर्डर्स प्राप्त किये गये; और

(ग) इस एकक के लिये कौन-सी भावी परियोजना तैयार की गई है ?

कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० प्रभु) : (क) जी, नहीं। मैसर्स फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि० (फैक्ट) ने समापक से निलामी में पल्लूरुथी स्थित गिओबिनोला बिन्नी लि०, कोचीन की स्थिर परिसम्पत्तियों का अधिग्रहण किया है।

(ख) कम्पनी ने मैसर्स तुंगभद्रा स्टील लि० से लोवर पेरियार हाईड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए पाइपलाइनों का लगभग 50 लाख रु० के मूल्य का आर्डर प्राप्त किया है। यह आर्डर इस समय पल्लूरुथी में निष्पादित किया जा रहा है।

(ग) कार्यशाला के लिए आर्डर सर्जित करने के लिए विभिन्न परियोजना अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित किया गया है। दीर्घावधिक योजना के रूप में, वे तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन कर रहे हैं ताकि इस सुविधा को वृहत् डायामीटर पाइपलाइन का उत्पादन करने वाले एकक में परिवर्तित किया जा सके।

कृतंक प्राणि सम्बन्धी गणना

6293. **श्री जी० विजय रामाराव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में चूहों की संख्या के बारे में कोई आंकलन किया है, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या खाद्यान्न भंडारण प्रतिष्ठान ने देश में चूहों की संख्या का पता लगाने के लिये कोई पद्धति तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

गहरे समुद्र में झींगा मछली पकड़ने वाली नौकाओं द्वारा (डीप सी श्रिम्प ट्रालर्स) द्वारा मछली पकड़ना

6294. **श्री टी० बाल गौड़** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेषज्ञों ने हमारी जल सीमा में गहरे समुद्र में झींगा पकड़ने वाली कितनी नौकाओं को मछली पकड़ने देने की सिफारिश की थी;

(ख) क्या उन्होंने इस तथ्य पर विचार किया था कि स्वचालित नौकाएं और मोटर से चलने वाली नौकाएं हमारी जल सीमा में झींगे की जनसंख्या को प्रभावित करेंगी;

(ग) झींगा पकड़ने में असफल होने को देखते हुए पूर्व सिफारिश पर विचार किए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) हमारी जल सीमा में झींगा स्रोतों की अधिकतम संख्या का सही पता लगाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) (क) से (घ) :

झींगा संसाधनों की सम्भाव्यता का जायजा लेने के प्रश्न की जांच करने के लिए सरकार द्वारा गठित की गई एक तकनीकी समिति ने दिसम्बर, 1984 में प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि 20-एम० और उससे ऊपर समुची लम्बाई के 202 जलपोतों के 51-450-एम० गहराई जोन में उपलब्ध झींगा को पकड़ने के लिए इस्तेमाल के बारे में विचार किया जा सकता है।

50-एम० तक जोन में तटीय जल में अतिरिक्त छोटे यांत्रिक जलपोतों के इस्तेमाल के अवसरों पर विचार किया गया था।

पिछले पांच वर्षों के दौरान पेनाईड झींगा का उत्पादन नीचे दिया जाता है :—

वर्ष		झींगा उत्पादन (लाख मीटरी टन में)
1983	—	1·93
1984	—	2·03
1985	—	2·32
1986	—	2·15
1987	—	1·92

ऊपर दिए गए आंकड़े झींगा मछली को पकड़ने में किसी असफलता को नहीं दर्शाते हैं यद्यपि प्राकृतिक उतार-चढ़ाव के कारण 1987 में मामूली गिरावट देखी गई है।

उड़ीसा में ऐतिहासिक बौद्ध स्मारक

6295 श्री वृज मोहन महन्ती : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा उड़ीसा में परिरक्षित और संरक्षित किए जा रहे ऐतिहासिक बौद्ध स्मारकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का ऐसे स्थानों को पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकसित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के अधीन भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण द्वारा उड़ीसा में संरक्षित बौद्ध स्मारकों/स्थलों की सूची नीचे दी गई है :—

जिला कटक

(1) धौलपुर में तीन बौद्ध प्रतिमाएं।

(2) बन्दरेश्वर में बौद्ध मंदिर और प्रतिमाओं के ध्वंसावशेष ।

(3) उदयगिरि में पुरानी पहाड़ी जिसमें बहुत सी बहुमूल्य मूर्तियां और प्रतिमाएं हैं ।

(4) ललितगिरि में बौद्ध मंदिरों और प्रतिमाओं के ध्वंसावशेष ।

(5) रत्नागिरि स्थिति पहाड़ी जिसमें बहुत सी बहुमूल्य मूर्तियां और प्रतिमाएं हैं ।

(6) पड़ामल पट्टन में वनेश्वरनासी स्थित प्राचीन स्थल ।

(ख) और (ग) यद्यपि पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने नगर और देश आयोजना संगठन के माध्यम से रत्नागिरि, ललितगिरि और उदयगिरि के बौद्ध स्मारकों/स्थलों के लिए एक मास्टर-प्लान तैयार करवाई है, निर्धारित केन्द्रों पर अवस्थापना के निकास के लिए समुचित उपायों की सिफारिश करने हेतु एक कार्यदल की स्थापना कर दी गई है ।

मदर डेयरी दिल्ली द्वारा अमुल उत्पादों की बिक्री

6297. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मदर डेयरी, दिल्ली के सब्जी और फल के बूथों पर केवल अमुल के उत्पादन रखे जाते हैं और वीटो में फको, वेरका आदि जैसे सहकारी संघों के उत्पाद नहीं रखे जाते;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कितने मूल्य के अमुल उत्पाद और अन्य सहकारी संघों के उत्पाद बेचे गए ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) (क) से (ग) मदर डेयरी, दिल्ली के फल तथा सब्जी बूथ अमुल उत्पादों के साथ-साथ अन्य सहकारी समितियों के उत्पादों को भी बूथ पर रख रहे हैं । 1987-88 तक के पिछले तीन वर्षों के दौरान बेचे गए अमुल उत्पादों का मूल्य लगभग 254 लाख रुपये है और उसी अवधि के दौरान गैर-अमुल सहकारी-समितियों के बेचे गए उत्पादों का मूल्य लगभग 67 लाख रुपये है ।

कीटनाशी दवाओं पर राजसहायता

6298. **डॉ० जी० विजय रामा राव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मुख्य और सहायक कीटनाशी दवाओं पर राजसहायता प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो देश में कीटनाशी दवा उद्योग की कम अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर कच्चे माल की सप्लाई के तौर पर उसे निर्यातित वस्तुएं मानकर दी जा रही वार्षिक राजसहायता सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्यक्ष और परोक्ष राजसहायता की अनुमानित वार्षिक मात्रा कितनी है; और

(घ) क्या नगद प्रतिपूरक सहायता भी दी जा रही है और यदि हां, तो वह वर्ष में अनुमानित रूप से कितनी है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) से (घ) सरकार देश में कृमिनाशक दवा उद्योग को प्रत्यक्ष या परोप रूप में कोई राजसहायता नहीं दे रही है। वैसे, कीटनाशी दवाइयों के निर्यात पर 5 प्रतिशत की दर से नकद-प्रतिपूर्ति सहायता का भुगतान किया जाता है लेकिन यह भी छूट रहित स्थानीय करों की प्रतिपूर्ति है कोई राजसहायता नहीं। 1987-88 में लगभग 40 करोड़ रुपये की कीटनाशी दवाओं का निर्यात हुआ, जिस पर 2 करोड़ रुपये की नकद-प्रतिपूर्ति सहायता देय थी। इसमें अल्यूमीनियम फास्फाइड का निर्यात शामिल नहीं है, जिस पर कोई नकद-प्रतिपूर्ति सहायता देय नहीं है।

कीटनाशकों पर सीमा शुल्क

6299. **डॉ० जी० विजय रामा राव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तीन कीटनाशकों पर 105 प्रतिशत सीमा-शुल्क लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस शुल्क को लगाने का क्या औचित्य है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, हां।

(ख) आयात शुल्क की दरें 24 जनवरी, 1989 से बढ़ाई गई थीं। मोनोक्राटोफोस तथा मिथाइल पेराथियोन पर शुल्क 70 प्रतिशत से बढ़ाकर 105 प्रतिशत तथा बूटाक्लोर पर 90 प्रतिशत से बढ़ाकर 105 प्रतिशत किया गया था।

(ग) इन कीटनाशियों का देशी उत्पादन पर्याप्त मात्रा में है।

हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन एककों से संबंधित विदेश परामर्शदाताओं पर किया गया व्यय

6300. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : सरकार द्वारा हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन के एककों का परिपूर्ण सर्वेक्षण करने के लिए नियुक्त किए गए विदेशी परामर्शदाताओं पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० प्रभु) : इस संबंध में मैसर्स हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन द्वारा व्यय की गयी कुल राशि 441·99 लाख रुपए है।

ग्रामीण युवकों के लिए स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण पाने के लिए कुष्ठ रोगमुक्त व्यक्तियों की पात्रता

6301. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने ग्रामीण युवकों के लिए स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत कुष्ठ रोगमुक्त व्यक्तियों को प्रशिक्षण के लिए पात्र समझने हेतु अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष से बढ़ाकर 45 वर्ष करने का कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) कुष्ठ रोगमुक्त व्यक्तियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष से बढ़ाकर 45 वर्ष करने का निर्णय लिया गया है ताकि वे ग्रामीण युवा स्व-रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम (ट्राइसेम) के अन्तर्गत प्राप्त कर सकें।

वातावरण प्रदूषण को रोकने के लिये शिखर वार्ता

6302. डा० दिग्विजय सिंह : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वातावरण प्रदूषण को कम करने और उसे रोकने के लिए कार्य योजना तैयार करने हेतु 11 मार्च, 1989 को हेग में 24 देशों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तकनीकी वैज्ञानिकों, सुयोग्य पर्यावरण विशेषज्ञों और इनके मंत्रालय के उन अधिकारियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने बैठक में भाग लिया था; और

(ग) शिखरवार्ता के निष्कर्ष क्या रहे ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) 11 मार्च 1989 को "द हेग" में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था जिसका उद्देश्य सार्वभौमिक रूप से बढ़ती हुई गर्मी की समस्या को नियंत्रित करने के प्रयोजन से अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग संवर्धित करने के सम्भव उपायों पर विचार करना था।

(ख) इस सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी देशों ने उच्च राजनैतिक स्तर पर भाग लिया। भारत का प्रतिनिधित्व विदेशी मंत्री ने किया और उनकी सहायता के लिए इस मंत्रालय के अधिकारी मौजूद थे।

(ग) भाग लेने वाले सभी देशों ने जिसमें भारत भी शामिल है, "द हेग घोषणा" पारित की और उसमें हस्ताक्षर किये। इस घोषणा में वातावरण में बढ़ती हुई गर्मी की समस्या की ओर विश्व का ध्यान आकृष्ट किया गया है जिसे इस घोषणा में महत्वपूर्ण, तात्कालिक तथा सार्वभौमिक समस्या माना गया है। इस घोषणा में यह कहा गया है कि इस समस्या से निपटने के लिए जो अन्तर्राष्ट्रीय प्रयास किये जाएं उनमें देशों के लिए विकास के विभिन्न स्तरों पर विनियामक, समायोजक और समर्थनकारी उपाय भी सम्मिलित किये जाने चाहिएं। इस सम्बन्ध में इसमें इस बात पर बल दिया गया कि विकासशील देशों की सहायता के लिए औद्योगीकृत देशों का विशेष दायित्व है।

इस घोषणा में इस में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को अपेक्षाकृत और अधिक कारगर बनाने के लिए जो कतिपय सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं, उनमें ये भी शामिल हैं – एक ऐसे नये संस्थागत

प्राधिकरण का विकास करना जो वातावरण को और अधिक गर्म होने से रोकने के लिए उपाय करेगा तथा उन देशों को प्रतिपूर्ति के रूप में उचित तथा न्यायोचित सहायता देना जिनके लिए इस समस्या से निपटने के लिए किये जाने वाले अन्तर्राष्ट्रीय कदम विशेष भार साबित हों। हस्ताक्षरकर्ताओं ने संकल्प लिया कि वे "द हेग घोषणा" में निहित सिद्धान्तों के संवर्धन के लिए सहयोग देंगे।

सरकारी क्षेत्र की उर्वरक कम्पनियों को घाटा

6303. **श्रीमती वसवराजेश्वरी :**

श्री एस० बी० सिद्दनाल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन और फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि० को वर्ष 1988-89 के दौरान रिकार्ड घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन और फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि० को अलग-अलग अनुमानतः कुल कितना घाटा हुआ;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन आवर्ती घाटों में कमी करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० प्रभु) : (क) और (ख) 1988-89 के अनंतिम लेखों के आधार पर, हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन (एच०एफ०सी०) तथा फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (एफ० सी० आई०) द्वारा उठाई गयी हानियां क्रमशः 159.80 करोड़ रु० तथा 151.00 करोड़ रु० है।

(ग) हानियां मुख्यतः निम्न क्षमता उपयोगिता, पावर समस्याओं, बारम्बार उपस्कर खराबी, औद्योगिक संबंध समस्याओं तथा वित्तीय समस्याओं के कारण हुई।

(घ) एफ० सी० आई० तथा एच० एफ० सी० के उर्वरक संयंत्रों के निष्पादन में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं/करने का प्रस्ताव है :—

एफ० सी० आई०

(1) मैसर्स क्रुप कोपर्स द्वारा किए गए सम्पूर्ण सर्वेक्षण के आधार पर रामागुण्डम संयंत्रों के पुनर्वास प्रस्ताव के चरण-1 का कार्य आरम्भ करने का प्रस्ताव है।

(2) गोरखपुर एकक में विस्तृत पुनर्वास योजना आयोजित की गयी है। इस के अमोनिया संयंत्र का नवीकरण करने तथा यूरिया प्रौद्योगिकी को उन्नत करने का प्रस्ताव है।

(3) सिन्दरी एकक में 30 मैगावाट पावर संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

एच० एफ० सी०

(1) नामरूप और दुर्गापुर एककों में केपटिव पावर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं और बरौनी एकक में, यह स्थापना के अंतिम चरण में है।

(ग) उपस्कर समस्याओं की शिनाख्त करने के लिए नामरूप-I और 2, बरौनी तथा दुर्गापुर के चालू एककों का सम्पूर्ण सर्वेक्षण करने के लिए सलाहकार नियुक्त किए गए थे। उन की रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है, तथापि, कोई निवेश निर्णय नहीं लिया गया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण गोदाम ग्रिड की स्थापना

6304. **डा० वी० एल० शैलेश** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे और सीमान्त किसानों के लिए कृषि उत्पादों और फल, सब्जियों, वनस्पति तेलों और वसा आदि का भण्डारण करने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण गोदाम ग्रिड की स्थापना करने के लिए कोई दीर्घकालिक अथवा अल्पकालिक योजना तैयार की जा रही है ताकि उन्हें अपने उत्पादों की बिक्री विवश होकर न करनी पड़े;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस योजना पर कितनी धनराशि खर्च होगी ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जी, हां। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 1979-80 से ग्रामीण गोदामों के राष्ट्रीय ग्रिड की स्थापना (जिसे अब ग्रामीण गोदामों की स्थापना के नाम से जाना जाता है) की एक योजना कार्यान्वित की जा रही है। योजना का उद्देश्य फसल कटाई के तुरन्त बाद प्रचलित कम मूल्यों पर घाटे की बिक्री को रोकने की दृष्टि से कृषि उत्पादों, विशेषकर छोटे और सीमान्त किसानों की भण्डारण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देश में ग्रामीण गोदामों का जाल बिछाना है। गोदाम खाद्यान्नों और जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं और पशु उत्पादों सहित दूसरी कृषि उपज की भण्डारण आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से बनाए जाते हैं। उर्वरक और बीज जैसे निवेश भी इन गोदामों में स्टोर किए जा सकते हैं।

ग्रामीण गोदामों की निर्माण लागत पर 50 प्रतिशत तक सहायता दी जाती है जिसे केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा बराबर-बराबर वहन किया जाता है। बाकी 50 प्रतिशत भाग बैंकों से ऋण लेकर पूरा किया जाता है। सिक्किम सहित उत्तर पूर्वी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में केन्द्रीय सबसिडी की सीमा निर्माण लागत की 50 प्रतिशत तक है। शेष 50 प्रतिशत ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की निधियों में से पूरा किया जा सकता है। तथापि, देश के दूसरे समन्वित आदिवासी विकास परियोजना क्षेत्रों में केन्द्रीय सबसिडी की सीमा निर्माण लागत की 50 प्रतिशत तक है। राज्य का अंशदान 25 प्रतिशत है और बाकी 25 प्रतिशत ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की निधियों में से वहन किया जा सकता है। योजना की दूसरी

मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :—

1. प्रत्येक गोदाम की क्षमता 200 से 1000 मीट्रिक टन हो सकती है। तथापि, जहां आवश्यकताएं 3-4 वर्षों के आंकड़ों पर आधारित हैं, वहां 3000 मीट्रिक टन की अधिकतम सीमा तक के गोदामों की अनुमति दी जा सकती है।

2. जहां कहीं आवश्यक हो गोदाम में शीघ्र खराब होने वाले पदार्थों के लिए एक शीतागार खण्ड होना चाहिए।

3. भूमि राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई जानी होती है।

(ग) छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान योजना के लिए परिव्यय क्रमशः 17·50 करोड़ रुपए और 26.25 करोड़ रुपए है।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड का कार्यकरण

[हिन्दी]

6305. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन**

श्री पी० ए० एन्टनी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान किये गये कार्यकलापों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त बोर्ड द्वारा अभावग्रस्त, रेगिस्तानी, बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों तथा पर्वतीय क्षेत्रों के बच्चों और महिलाओं के लिए कौन-कौन सी योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इसके कार्यकरण पर निगरानी रखने और उसकी समीक्षा करने के लिये कोई समिति नियुक्त की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने स्वयं-सेवी संगठनों के माध्यम से महिलाओं, बच्चों और विकलांगों के कल्याण और विकास के लिए अपने कार्यक्रम चलाने जारी रखे। इस कार्यक्रम का ब्यौरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया है।

(ख) बोर्ड की सामान्य योजनाओं के अन्तर्गत विशेषकर इन क्षेत्रों को स्वीकृत अनुदानों का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। परन्तु गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार और तमिलनाडु के राज्यों में केवल 1987-88 के दौरान बाढ़/सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में पोषाहारीय कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ अतिरिक्त अनुदान स्वीकृत किए गए थे। प्रत्येक राज्य को स्वीकृत और दी गई अनुदान राशि संलग्न विवरण-2 पर देखी जा सकती है।

(ग) जी, हां।

(घ) समिति का गठन और उसके विचारार्थ विषय संलग्न विवरण-3 में दिए गए हैं।

विवरण-1

बोर्ड द्वारा देश भर में अपने विविधि कार्यक्रमों के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत की गई और दी गई धनराशि, यूनिटों की संख्या का ब्यौरा ।

(रुपए लाखों में)

क्रम सं०	कार्यक्रम का नाम	1986-87			1987-88			1988-89		
		यूनिटों की संख्या	स्वीकृति धनराशि	दी गई धनराशि	यूनिटों की संख्या	स्वीकृति धनराशि	दी गई धनराशि	यूनिटों की संख्या	स्वीकृति धनराशि	दी गई धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	सामान्य साहयता अनुदान	4603	108.28	94.86	3998	99.33	97.25	3154	96.36	98.96
2.	अवकाश शिविर	802	48.52	37.00	727	44.41	45.02	836	51.40	51.04
3.	महिला मण्डल	349	82.81	78.14	340	88.15	85.67	327	103.30	127.00
4.	कल्याण विस्तार परियोजनाएं (ओ०पी०)	3	1.80	1.80	3	5.17	5.17	3	8.01	8.01
5.	कल्याण विस्तार परियोजना (सी०डी०)	14	42.43	34.00	44	50.96	40.34	44	58.04	62.66
6.	कल्याण विस्तार परियोजना (शहरी)	8	0.53	0.59	—	—	—	1	0.09	0.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	समेकित स्कूल पूर्व परियोजनाएं	4	0.70	0.70	—	—	—	2	0.13	0.13
8.	कल्याण विस्तार परियोजना (बी०ए०पी०)	92	148.16	143.84	92	181.66	181.66	92	212.41	240.09
9.	श्रमजीवी महिलाओं के लि होस्टल	95	5.39	4.75	98	6.10	5.00	89	5.98	5.49
10.	प्रदर्शन परियोजनाएं (बालवाड़ियां)	11	36.40	36.43	11	40.92	39.16	11	46.69	49.16
11.	सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम	538	275.22	233.57	653	297.00	300.00	522	253.00	250.00
12.	संक्षिप्त पाठ्यक्रम एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम	1163	256.92	359.99*	1383	288.58	250.00*	1465	311.17	249.99*
13.	पूरक पोषाहार	3146	255.83	241.75	3513	247.67	243.01	3735	225.11	168.28
14.	श्रमजीवी और बीमार माताओं के बच्चों के लिए शिशुगृह	8949	1010.91	899.90	10210	1122.15	1572.71	11831	1323.46	1173.92
15.	ग्रामीण और निर्धन महिलाओं के लिए जागृति विकास परियोजनाएं	100	8.00	10.00	576	52.08	45.00	624	49.62	46.80
16.	परिवार परामर्श केन्द्र	43	11.78	9.50	70	21.04	16.78	100	31.16	27.86

* इनमें प्रशासनिक खर्चों के लिए वर्ष 1986-87, 1987-88 और 1988-89 के दौरान क्रमशः 4.13 लाख रुपए, 3.30 लाख रुपए और 3.23 लाख रुपए की धनराशि शामिल है।

विवरण-2

वर्ष 1987-88 के दौरान पोषाहार कार्यक्रम के लिए बाढ़/सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए जारी की गई और स्वीकृत की गई धनराशि

(लाख रुपए में)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	यूनिट का नाम	स्वीकृत धनराशि	जारी की गई राशि
1.	गुजरात	—	5.52	5.52
2.	महाराष्ट्र	—	7.59	7.59
3.	बिहार	—	2.00	2.00
4.	तमिलनाडु	—	1.20	1.20
	कुल :	—	16.31	16.31

*सूचना राज्य बोर्डों के पास उपलब्ध है। यह एक विकेन्द्रीकृत कार्यक्रम है अतः सूचना राज्य बोर्डों द्वारा प्रकाशित की जाएगी।

विवरण-3

विशेषज्ञ समिति का गठन

(1) प्रो० एस० एन० रानाडे, अध्यक्ष
दिल्ली स्कूल आफ सोशल वर्क, दिल्ली

(2) डा० अर्मेती देसाई, निदेशक, सदस्य
टाटा इन्स्टीच्यूट आफ सोशल साइंस, बम्बई

(3) प्रो० ए० पी० बरनाबस, सदस्य
इंडियन इन्स्टीच्यूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन,
दिल्ली

(4) योजना आयोग का एक प्रतिनिधि सदस्य

(5) डा० ए० वी० बोस, निदेशक, सदस्य
समाज तथा महिला कल्याण मंत्रालय

(6) कार्यकारी निदेशक, सदस्य
केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड

(7) निदेशक (डब्ल्यू० डी०) सदस्य सचिव
समाज तथा महिला कल्याण मंत्रालय

विचारार्थ विषय

(1) सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों के संदर्भ में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की भूमिका का मूल्यांकन करना।

(2) आज के संदर्भ में सीमावर्ती क्षेत्रीय परियोजनाओं और कल्याण विस्तार परियोजनाओं सहित बोर्ड के अनुदान सहायता कार्यक्रमों का योजनावार मूल्यांकन करना और देश में समाज कल्याण कार्यक्रमों के उपलब्ध होने को ध्यान में रखते हुए उन्हें जारी रखना, अथवा अन्यथा उनमें संशोधन करने के बारे में सिफारिशें करना।

(3) समाज कल्याण के ऐसे अन्य क्षेत्रों का पता लगाना जहां अब तक कल्याण सेवाएं उपलब्ध नहीं थीं या अपर्याप्त थीं तथा ऐसी अन्य योजनाओं का सुझाव देना जो इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बोर्ड द्वारा चलाई जा सकें।

(4) विशेषकर नए 20 सूत्री कार्यक्रम के संदर्भ में समाज कल्याण के क्षेत्र में स्वयंसेवी प्रयासों को बढ़ावा और उनको सहायता देने के लिए बोर्ड द्वारा शुरू किए जाने वाले कार्यक्रमों और उचित नीतियों का सुझाव देना।

(5) बोर्ड के कार्यक्रमों का व्यापक विस्तार करने और सुप्रवाही ढंग से चलाने के लिए अन्य उपायों का सुझाव देना।

(6) राज्य समाज कल्याण बोर्डों को न्यायिक स्टेटस प्रदान करने के प्रश्न पर विचार करना।

(7) राज्य समाज कल्याण बोर्डों के स्टाफ की विशेषकर सचिवालयीय स्टाफ की स्थिति पर विचार करना।

चावल मिलों के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता

[अनुवाद]

6306. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार चावल मिलों के आधुनिकीकरण के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता दे रही है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सहायता से उड़ीसा में कितनी चावल मिलों का आधुनिकीकरण किया जा चुका है अथवा किया जाना है; और

(ग) उड़ीसा में चावल मिलों के आधुनिकीकरण के लिये वर्ष 1989-90 के लिए दी जाने वाली प्रस्तावित वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) उड़ीसा में पंद्रह चावल मिलों का अब तक आधुनिकीकरण कर दिया गया है।

(ग) राज्य सरकार के अनुरोध के अनुसार प्रत्येक हलर यूनिट का आधुनिकीकरण करने के लिए 7,500/- रुपये सुलभ किए जाएंगे।

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत कुष्ठ रोगियों को मकान

6307. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार से इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत कुष्ठ रोग से मुक्त व्यक्तियों को मकान देने का अनुरोध किया है;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार के अनुरोध को ठुकरा दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार के पास किसी अन्य योजना के माध्यम से कुष्ठ रोग से मुक्त व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु उन्हें मकान देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) इन्दिरा आवास योजना ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (आर० एल० ई० जी० पी०) जोकि मूल रूप से एक रोजगार सृजन कार्यक्रम है, की एक उप-योजना है। योजना के अंतर्गत, लक्षित समूह के लिए मकानों का निर्माण किया जाता है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाली अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लोग तथा मुक्त बंधुआ मजदूर आते हैं। लक्षित समूह में कुष्ठ रोग से मुक्त व्यक्ति शामिल नहीं हैं। तथापि, उड़ीसा सरकार को यह सुझाव दिया गया था कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित कुष्ठ रोग से मुक्त व्यक्तियों, जो गरीबी रेखा से नीचे बसर कर रहे हों, को इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत मकानों के आवंटन में प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा के जलग्रहण क्षेत्रों में वनरोपण

6308. **डा० कृपासिंधु भोई** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में जलग्रहण क्षेत्रों में भू-संरक्षण के लिये वनरोपण कार्यक्रम लागू किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या हीराकुड और रंगाली के जलग्रहण क्षेत्रों में भी वनरोपण कार्यक्रम आरम्भ किया गया है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इब्राहिम लाल यादव) : (क) से (ग) वनरोपण मृदा संरक्षण कार्यक्रम के पैकेज के एक घटक के रूप में है, जिसमें वृक्षों की उपयुक्त किस्मों का रोपण और काजू, सिसल, कॉफी रोपण आदि शामिल है। यह कार्य हीराकुड और रंगाली मंदिरा के जल ग्रहण क्षेत्रों में भी किया जा रहा है।

समन्वित बाल विकास सेवा कार्यरत महिलाओं को प्रसूति अवकाश

6309. **श्री वी० शोभानाद्रीश्वर राव** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समन्वित बाल विकास सेवाएं कार्यक्रम में कार्यरत महिलाओं को दूसरे बच्चों के जन्म के समय प्रसूति अवकाश तथा अन्य लाभ नहीं दिये जाते हैं जबकि अन्य सरकारी सेवाओं में कार्यरत महिलाओं को दूसरे बच्चे के जन्म के समय से लाभ दिये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या समन्वित बाल विकास सेवा कार्यक्रम में कार्यरत महिलाओं को ऐसी सुविधायें उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) से (ग) समेकित बाल विकास सेवा (आई० सी० डी० एस०) योजना राज्य सरकारों के माध्यम से चलाई जाती है। योजना के अन्तर्गत कार्यकर्ता दो प्रकार के हैं :—

नियमित सरकारी कर्मचारी और स्वैच्छिक अंशकालिक अवैतनिक कार्यकर्ता। सरकारी कर्मचारी संबंधित राज्य सरकारों के नियमों के अनुसार प्रसूति छुट्टी सहित सभी सुविधाएं पाने के पात्र हैं। पात्रता की सामान्य शर्तों के अन्तर्गत आई० सी० डी० एस० योजना के एक स्वयंसेवी अंशकालिक अवैतनिक कार्यकर्ता को अनुपस्थिति की अवधि के दौरान निम्नलिखित भुगतान किए जाने की अनुमति है :—

(1) प्रसूति काल की अवस्था में 90 दिनों की अवधि के लिए। परन्तु यह लाभ दो से अधिक बार नहीं दिया जाता।

(2) गर्भपात/गर्भस्राव की अवस्था में अधिक से अधिक 42 दिन तक की अवधि के लिए परन्तु यह सुविधा केवल एक ही बार दी जाती है।

उड़ीसा में अल्सरेटिव डिजीज सिम्पलेक्स का फैलना

6310. **श्री सोमनाथ रथ** :

श्री कमला प्रसाद सिंह :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्सरेटिव डिजीज सिन्ड्रोम जिससे पश्चिमी बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में मछलियां मर गई हैं, अब उड़ीसा में भी फैल गया है;

(ख) यदि हां, तो लोगों को इस रोग के बारे में पूर्व चेतावनी देने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) क्या इस प्रकार की बीमारी से प्रभावित मछलियों को खाने वाले लोगों की किसी बीमारी से ग्रस्त होने की संभावना है; यदि हां, तो इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, हां। हाल ही में उड़ीसा में कुछ जगहों पर अल्सरेटिव डिजीज सिन्ड्रोम बीमारी दिखाई दी।

(ख) राज्यों को बीमारी के बारे में पूर्व चेतावनी दे दी गई थी तथा उन्हें बीमारी फैलने की स्थिति में निवारक उपाय करने के बारे में सूचित किया गया था।

(ग) इस बीमारी से प्रभावित मछली खाने के कारण भारत अथवा विदेश से किसी व्यक्ति के मरने की सूचना नहीं मिली है। तथापि, सतर्कता उपाय के रूप में बीमारी ग्रस्त मछली न खाने के लिए लोगों को सलाह दी गई है।

पशुओं के टीकों की कमी

6311. श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पशुओं के टीकों की कमी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने पशुओं के टीकों की मांग पूरी करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कुक्कुट तथा कुक्कुट उत्पादन विपणन निगम के लिये केन्द्रीय सहायता

6312. श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने कुक्कुट तथा कुक्कुट उत्पाद विपणन निगम के लिये केन्द्रीय सरकार से स्वीकृति और सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि की केन्द्रीय सहायता मांगी है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी के स्पंज आयरन संयंत्र की स्थापना

6313. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी के स्पंज आयरन संयंत्र की स्थापना के लिए कार्य शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई और वर्ष 1989-90 के दौरान कितनी धनराशि खर्च करने का अनुमान है;

(ग) उक्त परियोजना की अनुमानित कुल कितनी लागत आयेगी; और

(घ) परियोजना को कब तक चालू कर दिये जाने की सम्भावना है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

पुरातत्व विभाग में तकनीकी पदों पर नियुक्ति

6314. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार की महानिदेशक, पुरातत्व विभाग, राष्ट्रीय संग्रहालय, मानव विज्ञान, निदेशक पुरातत्व संस्थान जैसे वरिष्ठ तकनीकी पदों पर बाहरी व्यक्तियों तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा अन्य संवर्गों के व्यक्तियों को नियुक्ति करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो योग्यता प्राप्त तथा सुयोग्य विभागीय अधिकारियों के हितों की रक्षा के लिये क्या उपाय करने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) जी नहीं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के वर्तमान महानिदेशक एक आई० ए० एस० अधिकारी हैं तथापि, उनकी नियुक्ति मान्य भर्ती नियमों को ध्यान में रखकर संघ लोक सेवा आयोग द्वारा स्वीकृत की गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

प्रसंस्करित खाद्य पदार्थों के निर्यात के संबंध में "ओपन स्काई" नीति

6315. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सामान ढोने वाले विदेशी विमानों और जलपोतों को भारतीय स्थानों से होकर जाने की अनुमति देने हेतु "ओपन स्काई" नीति का अनुसरण करने का विचार है ताकि भारतीय प्रसंस्करित खाद्य पदार्थों के निर्यात हेतु रियायती दरों पर पर्याप्त ढुलाई स्थान उपलब्ध हो सके;

(ख) यदि हां, तो "ओपन स्काई" नीति को कब तक लागू किया जायेगा;

(ग) इस नीति से निर्यातकों को क्या सुविधायें मिलने की संभावना है; और

(घ) इस सम्बन्ध में विदेशी माल ढुलाई वाहक विमानों/पोतों को क्या रियायतें दी जाती हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार ने व्यस्ततम मौसम के दौरान (जनवरी से जुलाई) किसी अनुसूचित अथवा गैर-अनुसूचित विमान को भारत से बाहर सामान ले जाने के लिए कितनी संख्या में उड़ाने भरने की इजाजत दी गई है। माल को देश में लाने हेतु आपरेटरों के लिए सुविधाएं भी उपलब्ध हैं ताकि इस उद्यम को आर्थिक दृष्टि से सक्षम बनाया जा सके। इसके अलावा, इस अवधि के दौरान राष्ट्रीय विमान भी विशेष उड़ाने भरते हैं। वर्तमान नीति द्वारा संसाधित खाद्य भी कवर होते हैं। इस उदार नीति द्वारा माल की तीव्र गति से निकासी करने के लिए अतिरिक्त क्षमता सृजित की गई है।

इंजीनियरिंग सामान के निर्यातकों को इस्पात और कच्चे लोहे की सप्लाई

6316. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद ने भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड से उपयुक्त किस्म के इस्पात और कच्चे लोहे जैसे मुख्य सामान की उचित समय पर आपूर्ति करने का अनुरोध किया है ताकि वर्ष 1989-90 में निर्यात लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं; और

(ग) इंजीनियरी सामान के निर्यातकों को सप्लाई हेतु उक्त सामान की कुल कितनी मात्रा इस समय उपलब्ध है और उसे कब तक सप्लाई किया जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार): (क) और (ख) : यद्यपि इंजीनियरी निर्यात उन्नयन परिषद से वर्ष 1989-90 के लिए उनके द्वारा लोहे और इस्पात सामग्री की मात्रा/क्वालिटी की की गई मांग के सम्बन्ध में कोई विशेष जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, तथापि, "आफ-दी-शेल्फ" वितरण योजना के अन्तर्गत आने वाली मदों तथा मात्राओं को पंजीकृत कराने के लिए इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद (इ० इ० पी० सी०) तथा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि० के बीच बात-चीत चल रही है।

(ग) निर्माताओं की एकमात्र सप्लाई के लिए लोहे तथा इस्पात की तैयार सामग्री की मात्रा बताना सम्भव नहीं है, क्योंकि निर्यात की मांगे समय-समय पर बदलती रहती हैं तथा इस्पात की सप्लाई के लिए अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्र भी हैं। इ० इ० पी० सी० द्वारा रिलीज आर्डरों की "सेल" द्वारा प्राथमिकता पर आपूर्ति की जाती है, तथा इस प्रकार की सप्लाई पर लगा समय "सेल" के साथ किए गए पंजीकरण के समय पर निर्भर करेगा।

भारतीय विश्वविद्यालयों के शिक्षण स्तर में गिरावट

6317. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :**

प्रो० रामकृष्ण मोरे :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री की विज्ञान सलाहकार परिषद का यह मत है कि भारतीय विश्वविद्यालयों के शिक्षण स्तर में बहुत अधिक गिरावट आई है और इस प्रवृत्ति को बदलने हेतु तुरन्त कार्यवाही करने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो विश्वविद्यालयों में अध्ययन के स्तर में सुधार करने हेतु सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एस० पी० शाही : (क) और (ख) 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और तकनीकी तथा प्रबन्ध शिक्षा में बुनियादी अनुसन्धान सम्बन्धी एक कार्यक्रम चलाने के लिए, योजना आयोग ने इन विषयों पर, प्रधान मंत्री जी की विज्ञान सलाहकार परिषद (वि०स०प०प्र० सं०) के अध्यक्ष प्रो० सी० एन० आर० राव के अधीन दो अलग-अलग दल स्थापित किए थे। इन दलों के विचार-विमर्श के आधार पर योजना आयोग को रिपोर्टें प्रस्तुत की गई हैं, जिनमें अनेक सिफारिशें शामिल हैं। 8वीं योजना के दौरान बुनियादी शोध तथा तकनीकी शिक्षा से सम्बन्धित विज्ञान और तकनीकी शिक्षा में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जी की विज्ञान सलाहकार परिषद द्वारा की इन रिपोर्टों का प्रयोग किया गया था। कार्रवाई के लिए इन सिफारिशों में कुछ राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं को समविश्वविद्यालय के रूप में मान्यता देना, विकसित विज्ञान तथा तकनीकी क्षेत्रों में अन्तर्विश्वविद्यालय केन्द्र स्थापित करना, अच्छे संस्थानों जैसे आई० आई० टी०, आई० आई० एम० सी० आदि को सुधारने के लिए कार्यक्रम आरम्भ करना ताकि ये उत्कृष्ट संस्थान बन सकें, प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के आस-पास विश्वविद्यालयों में उत्कृष्ट केन्द्र प्रोन्नत करना तथा प्रमाणित उत्कृष्ट रिकार्ड वाले विज्ञान तथा इंजीनियरिंग कालेजों को स्वायतत्ता प्रदान करना आदि शामिल है। रिपोर्टों का मूल्यांकन किया जा रहा है। इन सिफारिशों पर योजना आयोग द्वारा नियुक्त उच्च शिक्षा पर 8वीं योजना हेतु कार्यदल भी विचार कर रहा है।

नेपाल में भारतीय समाचारपत्रों पर प्रतिबंध

6318. **श्री बृजमोहन महन्ती** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नेपाल में अनेक भारतीय समाचार-पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या इस मामले पर राजनयिक स्तर पर नेपाल सरकार के साथ बातचीत की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) इस प्रकार का कोई सरकारी प्रतिबंध नहीं है परन्तु कतिपय अनौपचारिक अनुदेशों से भारतीय समाचार-पत्रों के नेपाल में प्रवेश पर रोक लगी है। चूंकि कोई औपचारिक प्रतिबंध नहीं है इसलिए कोई कारण नहीं दिए गए हैं ।

(ख) और (ग) जी, हां। काठमांडू स्थित भारत का राजदूतावास इस मामले को नेपाल के महामहिम की सरकार के साथ समय-समय पर उठाता रहा है परन्तु उनकी प्रतिक्रिया नगण्य रही है और इस प्रकार कोई ठोस परिणाम नहीं निकले हैं ।

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अधीन शिक्षित महिलायें

6313. **श्री एस० बी० सिदनाल :**

श्री बी० एस० वासवराजु :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रौढ़ शिक्षा से महिलाओं की निरक्षरता दूर करने में सहायता मिली है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभांवित होने वाली महिलाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) महिलाओं की निरक्षरता दूर करने के लिए और क्या कदम उठाये गये हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एस० पी० त्यागी) : (क) और (ख) 1985-86 से 1987-88 के दौरान साक्षर की गई महिलाओं की संख्या दर्शाने वाला राज्यवार विवरण संलग्न है ।

(ग) प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में महिलाओं को अधिक शामिल करने के लिए उठाए गए/उठाए जा रहे कुछ विशिष्ट कदम निम्नलिखित हैं :-

—प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में कम से कम 50% महिलाओं का नामांकन करने के लिए अधिक संख्या में महिला प्रौढ़ शिक्षुओं को तैयार करना;

—न्यूनतम योग्यताओं में छूट देकर प्रौढ़ शिक्षा कार्यकर्ताओं जैसे निर्देशक जनशिक्षण निलायमों के प्रेरकों की अधिक संख्या में नियुक्ति;

—इस प्रकार के निर्देशकों की सतत शिक्षा का प्रबंध करना, ताकि वे अच्छे सक्षम निर्देशक बन सकें;

—अधिक संख्या में स्वैच्छिक एजेंसियों, विशेषरूप से महिलाओं के लिए कार्य कर रही एजेंसियों को शामिल करना;

—महिला कार्यकर्ताओं की ओर अधिक विश्वविद्यालय द्वारा अधिक ध्यान;

—महिला समता और अधिकार को प्रोन्नत करने के प्रभावशाली एजेंट के रूप में महिला निर्देशकों का विशेष अनुस्थापना तथा प्रशिक्षण;

—महिलाओं के लिए ऐसे प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम तैयार करना जो नई कुशलता देने तथा उनकी विद्यमान कुशलता को प्रोन्नत करने और नई आय उपलब्ध कराने वाले कार्य-कलापों से संबंधित होंगे;

—साक्षरता कुशलता को बनाए रखने के लिए अवसर उपलब्ध कराना तथा उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए शिक्षा को कार्यान्वित करना;

—प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के साथ केन्द्रीय तथा राज्य समाज कल्याण बोर्ड को शामिल करना; और

—2 मार्च, 1989 से प्रसारित किए जा रहे "खिलती कलियां" शीर्षक से महिला साक्षरता तथा अधिकार पर 24 शृंखलाओं का निर्माण।

विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघशासित क्षेत्र	साक्षर महिलाओं की संख्या 1985-86	1986-87	1987-88
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	65,803	70,215	
2.	अरुणाचल प्रदेश	7,368	11,421	
3.	असम	98,147	36,011	57,813
4.	बिहार	4,47,145	3,25,683	
5.	गोवा	182	205	1,144
6.	गुजरात	1,00,445	1,23,195	1,51,957
7.	हरियाणा	85,225		

1	2	3	4	5
8.	हिमाचल प्रदेश	18,650	19,691	
9.	जम्मू तथा कश्मीर	49,904	53,902	47,271
10.	कर्नाटक	1,33,475	1,49,975	1,05,653
11.	केरल	7,179	24,436	
12.	मध्य प्रदेश	2,48,434	2,58,950	2,71,295
13.	महाराष्ट्र	2,28,413	2,13,894	3,24,560
14.	मणिपुर	11,286	10,521	
15.	मेघालय	4,601	9,400	8,950
16.	मिजोरम	2,481		
17.	नागालैंड	6,899	6,634	6,151
18.	उड़ीसा	60,643	58,784	
19.	पंजाब	64,611	76,495	69,081
20.	राजस्थान	1,08,950	1,28,818	1,24,835
21.	सिक्किम	4,161	3,538	
22.	तमिलनाडु	5,65,215	5,67,527	4,54,959
23.	त्रिपुरा	4,314	3,607	1,826
24.	उत्तर प्रदेश	1,18,330	7,82,859	5,92,730
25.	पश्चिम बंगाल	94,129	1,08,038	99,337
26.	अण्डमान तथा निकोबार	767	1,332	1,198
27.	चंडीगढ़	3,042	2,360	69,081
28.	दादरा तथा नागर हवेली	2,017	1,523	1,236
29.	दमन तथा दीव	**	**	**
30.	दिल्ली	27,482	67,376	78,811
31.	लक्षद्वीप			
32.	पांडिचेरी	6,509	7,333	6,628
	जोड़ :	25,75,807	31,23,733	24,74,516

स्रोत : संबंधित वर्षों की वार्षिक राज्य रिपोर्ट ।

एन० आर० : राज्य/संघशासित प्रशासनों द्वारा रिपोर्ट नहीं दी गई ।

प्रतीक्षा : राज्यों/संघशासित प्रशासनों से सूचना की प्रतीक्षा है ।

**गोवा में सम्मिलित ।

तांबे, जस्ते तथा निकिल के मूल्यों में वृद्धि

[हिन्दी]

6320 श्री चन्द्रशेखर त्रिपाठी : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तांबे, जस्ते और निकिल के मूल्यों में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो कितनी और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन वस्तुओं के मूल्य बढ़ने से रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) से (ग) आयातित तांबा, जस्ता तथा निकिल के बिक्री मूल्य मुख्य आयात व निर्यात नियंत्रक की अध्यक्षता वाली मूल्य निर्धारण समिति द्वारा हर महीने निर्धारित किए जाते हैं। यह समिति आयातक एजेंसी खनिज तथा धातु व्यापार निगम लि० द्वारा आयातों की उतराई लागत तथा प्रचलित आयात शुल्कों को ध्यान में रख कर, बिक्री मूल्य निर्धारित करती है। ये मूल्य तांबे के प्रसंग में हिंदुस्तान कापर लिमिटेड को तथा सीसा व जस्ता के प्रसंग में हिंदुस्तान जिंक लि० जैसे देशी उत्पादकों को भी मान्य हैं। तथापि, निकिल की मांग पूर्णरूप से आयात द्वारा पूरी की जाती है। इस प्रकार इन धातुओं के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों का देशी मूल्यों पर प्रभाव पड़ता है।

दिसम्बर, 1988 से इन धातुओं के माह-वार मूल्य नीचे दिए गए हैं :-

महीने	इलेक्ट्रोलाइटिक कापर वायर-बार	इलेक्ट्रोलाइटिक उच्च ग्रेड जस्ता	निकिल/ब्रिकेट्स/ पेलेट्स
1 दिसम्बर, 1988 से	107,000	47,000	348,000
23 दिसम्बर, 1888 से	85,500	39,050	338,000
जनवरी, 89	87,000	39,800	354,000
फरवरी, 89	87,000	42,500	375,000
मार्च, 89	87,000	48,000	408,000
अप्रैल, 89	88,000	50,500	423,000

सरकार, अलौह धातुओं के आयात शुल्कों में समय-समय पर परिवर्तन करके उनकी देशी मूल्यों में स्थिरता लाने के लिए आर्थिक उपाय करती रहती है। वर्ष 1988 के उत्तरार्द्ध में अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि के रुख को देखते हुए तांबा, जस्ता व निकिल के आयात शुल्कों में पहले अगस्त, 1988 में और पुनः दिसम्बर, 1988 में कटौती की गई थी।

इस्पात की प्लेटों का निर्यात

6321. **डॉ० चन्द्रशेखर त्रिपाठी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस्पात की प्लेटों का निर्यात कर रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान प्लेटों का कितनी मात्रा में और किन-किन देशों को निर्यात किया गया;

(ग) इस्पात की इन प्लेटों के निर्यात से कितनी आय हुई है;

(घ) क्या इनके निर्यात में वृद्धि करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में उठाये गये कदमों का क्या ब्यौरा है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) से (ग) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि० ने अमेरिका, इटली, बेल्जियम जैसे विभिन्न देशों को वर्ष 1987-88 में 42,4000 टन तथा वर्ष 1988-89 में 101,000 टन एम० एस० प्लेटों का निर्यात किया। वर्ष 1987-88 में निर्यात आर्डरों का मूल्य लगभग 17 करोड़ रुपये तथा वर्ष 1988-89 में 61 करोड़ रुपये था।

(घ) और (ङ) जी, हां। निर्यात को बढ़ाने के लिए स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा जोरदार प्रयास किया जा रहा है।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के इंजीनियरी विभाग में पदों का भरा जाना

[अनुवाद]

6322. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के इंजीनियरी विभाग में 1 जनवरी, 1989 की स्थिति के अनुसार कितने पद स्थायी और ठेके के आधार पर अलग-अलग भरे गए;

(ख) ऐसे कितने व्यक्तियों को स्थायी आधार पर नियुक्त किया गया जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में गत दस वर्षों से ठेके के आधार पर कार्य कर रहे थे;

(ग) ऐसे व्यक्तियों को स्थायी रूप से नियुक्त नहीं किया गया; और

(घ) ठेके पर कार्यरत शेष मजदूरों को खपाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एस० पी० शाही) : (क) 1-1-1989 की स्थिति के अनुसार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के

इंजीनियरी विभाग ने 109 पद नियमित आधार पर और एक पद संविदा आधार पर भरे थे।

(ख) कोई नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के गैर-शिक्षक अधिकारियों के लिये योग्यता पर आधारित पदोन्नति योजना

6323. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के गैर-शिक्षक अधिकारियों के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के किन-किन वेतनमानों तथा योग्यताओं पर आधारित पदोन्नति योजनाओं की सिफारिश की है;

(ख) इनमें से कितनी सिफारिशें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार की गई हैं तथा लागू की गई हैं;

(ग) कितनी सिफारिशें अभी लागू की जानी हैं; और

(घ) इन्हें शीघ्र लागू करने के लिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के गैर-शिक्षण कर्मचारियों के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अलग से कोई योग्यता पदोन्नति योजना की सिफारिश नहीं की गई है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही

6324. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक** :

श्री कमला प्रसाद सिंह :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कितने गैर-शिक्षण कर्मचारियों के विरुद्ध पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है;

(ख) इसके फलस्वरूप कितने कर्मचारियों को दंडित किया गया है;

(ग) कितने कर्मचारियों को जबरन सेवानिवृत्ति का दंड दिया गया है;

(घ) लंबित मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एस० पी० शाही) : (क) 37

(ख) 27

(ग) कोई नहीं।

(घ) और (ङ) श्रेणी "घ" कर्मचारियों से संबंधित दो मामलों में जांच कार्यवाही चल रही है।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में गैर-शिक्षक पदों को भरना

6325. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक :**

श्री कमला प्रसाद सिंह :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में सृजित गैर-शिक्षक पदों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें से कितने पदों को सेवानिवृत्त सरकारी/जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति/सेवावधि बढ़ाकर भरा गया; और

(ग) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के नियमित गैर-शिक्षक अधिकारियों द्वारा इन पदों को न भरे जाने के क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) पिछले दो वर्षों (1987-89) के दौरान, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में निम्नलिखित श्रेणी 'क' पदों का नियमित आधार पर सृजन किया गया है :—

क्रम सं०	पद का नाम	पदों की संख्या
1.	वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी	एक
2.	प्रलेखन अधिकारी	दो
3.	पद्धति विश्लेषक	एक
4.	प्रोग्रामर	एक

उपर्युक्त के अतिरिक्त प्रत्येक के सामने उल्लिखित निर्धारित अवधि के लिए निम्नलिखित

पदों का भी सृजन किया गया है :—

क्रम सं०	पद का नाम	अवधि
1.	विश्वविद्यालय इंजीनियर	1-7-87 से 31-3-90 तक
2.	सतर्कता अधिकारी	5-9-88 से एक वर्ष
3.	विशेष कार्य अधिकारी	1-10-88 से तीन वर्ष

(ख) और (ग) सेवानिवृत्त सरकारी/जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय अधिकारियों की नियुक्ति/विस्तार करके कोई नियमित पद नहीं भरा गया है। तथापि, विश्वविद्यालय इंजीनियर, सतर्कता अधिकारी तथा विशेष कार्य अधिकारी के पदों को सेवानिवृत्त सरकारी/जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय अधिकारियों की नियुक्ति/विस्तार करके भरा गया है क्योंकि वे एक निर्धारित अवधि के लिए ही हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 के चिलाकलूरिपेट-विजयवाड़ा सेक्शन को पक्का बनाया जाना और चौड़ा किया जाना

6326. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-5 के चिलाकलुरिवेट-गुन्टूर-विजयवाडा सेक्शन की चौड़ाई वर्तमान दो लेनों से बढ़ाकर चार लेनों तक करने और उसे पक्का बनाने में कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है;

(ख) इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं और इसके लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ग) इस परियोजना का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) परियोजना पर लगभग 102 करोड़ रु० की लागत आने का अनुमान है।

(ख) सर्वेक्षण/जांच-पड़ताल और परियोजना तैयार करने का काम राज्य सरकार द्वारा अपने हाथ में ले लिया गया है और काम राइट्स को सौंप दिया गया है। 1988-89 के दौरान इस प्रयोजन के लिए 26.56 लाख रु० का आबंटन किया गया था।

(ग) चूंकि यह काम अभी सर्वेक्षण, जांच-पड़ताल और परियोजना तैयार किए जाने के स्तर पर है, अत: परियोजना पूरी होने की तारीख इतनी जल्दी बता पाना संभव नहीं है।

चूना पत्थर प्रोसेसिंग संयंत्र में विस्थापित काश्तकारों को नौकरी देना

6327. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में जगैउनपेट स्थित विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र एकक के चूना पत्थर प्रोसेसिंग संयंत्र के लिए कितनी भूमि का अधिग्रहण किया गया और इस विस्थापित होने वाले काश्तकारों की संख्या कितनी है;

(ख) इस एकक में 1 जनवरी, 1989 तक इन काश्तकारों के कितने आश्रितों को नौकरी दी गई; और

(ग) क्या ऐसे अन्य काश्तकारों जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया है, के सुयोग्य आश्रितों को भी नौकरी दी जाएगी, जैसाकि विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के मामले में किया गया था ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) जगैउनपेट चूना पत्थर खदान के लिए कुल 2115.80 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया, जिसमें 290.85 हेक्टेयर भूमि 212 निजी भूस्वामियों से अधिगृहीत की गई ।

(ख) अभी तक कोई नहीं ।

(ग) रिक्तियां उपलब्ध होने पर अन्य उम्मीदवारों के साथ-साथ काश्तकारों, जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया है के आश्रितों को रोजगार देने पर विचार किया जा सकता है बशर्ते कि रोजगार कार्यालय द्वारा उनका नाम भेजा जाए अथवा सार्वजनिक विज्ञापनों के संदर्भ में वे आवेदन करें ।

आन्ध्र प्रदेश की पेय-जल परियोजना

6328. श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव :

श्री डॉ० टी० कल्पना देवी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने कृष्णा नालगोंडा तथा अनंतपुर जिलों के फ्लोराइड प्रवण गांवों तथा श्रीकाकुलम जिले के गांवों को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने संबंधी परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ये परियोजनाएं कब से लंबित पड़ी हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने कृष्णा, नालगोंडा और अनन्तपुर जिलों को फ्लोराइड से

प्रभावित गांवों को पेयजल सप्लाई हेतु योजनाएं प्रस्तुत की थीं जिनके ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

क्रमांक	जिले का नाम	योजनाओं की संख्या	गांवों की संख्या	योजनाओं की लागत (लाख रु० में)
1.	कृष्णा	6	6	31.045
2.	नालगोंडा	18	18	105.70
3.	अनन्तपुर	2	2	6.33

(ग) और (घ) उपरोक्त सभी 26 योजनाओं को भारत सरकार ने पहले ही अनुमोदित कर दिया है। जहां तक श्रीकाकुलम जिले के गांवों का संबंध है, जानकारी एकत्र की जा रही है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति और केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अन्तर्गत त्रिभाषी फार्मूला

6329. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संस्कृत को ऐसी प्राचीन तथा आधुनिक दोनों रूप से साहित्यिक भाषा के रूप में माना जाता है जिसमें साहित्य तैयार किया जा रहा है और जिसके लिए साहित्य अकादमी द्वारा इसे आधुनिक भारतीय साहित्यिक भाषाओं में से एक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है;

(ख) वे विशिष्ट कारण क्या हैं जिनकी वजह से केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शैक्षिक वर्ष 1989-90 से हिन्दी भाषी राज्यों में तीसरी भाषा के रूप में संस्कृत का अध्ययन समाप्त करने का निर्णय किया है; और

(ग) क्या जनता में व्याप्त असन्तोष को देखते हुए संस्कृत को त्रिभाषा फार्मूला में पुनः शामिल किया जायेगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) संस्कृत को इसकी पुरावेत्ता और इतिहास को ध्यान में रखते हुए एक श्रेष्ठ भाषा के रूप में और इसकी वर्तमान उपयोगिता को देखते हुए आधुनिक भाषा के रूप में समझा जाता है।

(ख) और (ग) शिक्षा नीति 1968 में निरूपित और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में यथा पृष्ठांकित त्रिभाषा सूत्र में हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी, अंग्रेजी और एक आधुनिक भारतीय भाषा अधिमानतः दक्षिण भारतीय भाषाओं में से एक भाषा और गैर-हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी, क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी पढ़ाया जाना अपेक्षित है। उक्त त्रिभाषा सूत्र के अनुरूप के० मा० शि० बोर्ड ने माध्यमिक स्कूल परीक्षा के लिए हिन्दी, अंग्रेजी और आधुनिक भारतीय भाषाओं में से एक भाषा निर्धारित की है। हिन्दी "क" पाठयक्रम के रूप में हिन्दी के साथ संस्कृत पढ़ाई जाएगी। छात्रों को वैकल्पिक आधार पर एक अतिरिक्त भाषा के रूप में संस्कृत सहित, सात शास्त्रीय और यूरोपीय भाषाओं में से एक भाषा भी प्रदान की जा सकती।

तथापि, माननीय उच्चतमन्यायालय ने के० मा० शि० बोर्ड द्वारा भाषा के संबंध में जारी नयी अध्ययन की नई योजना के कार्यान्वयन को हाल ही में स्थगित कर दिया है।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर इस्पात की सप्लाई

6330. श्रीमती किशोरी सिंह : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने सरकार को कोई ऐसा सुझाव दिया है कि वह अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर इस्पात की सप्लाई करने को तैयार है बशर्ते कि इसे प्रशासनिक एवं मूल्य संबंधी नियंत्रणों से मुक्त कर दिया जाये;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) क्या इस योजना को प्रायोगिक आधार पर शुरू करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

घास और झाड़ियां उगाना

6331. श्रीमती किशोरी सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्वत की ढलानों पर घास और झाड़ियां उगाने से भू-स्खलन और भू-क्षरण को रोका जा सकता है;

(ख) क्या इस प्रयोजनार्थ घास की उपयुक्त किस्मों का पता लगाया गया है;

(ग) क्या पर्वत की ढलानों पर घास उगाने के लिए किसी अभियान की योजना बनाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री हरिकृष्ण शास्त्री) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) राज्य सरकारों के मृदा संरक्षण विभागों ने संरक्षण के एक उपाय के तौर पर घास उगाना शुरू कर दिया है। राज्यों के अधिकारियों को केन्द्रीय मृदा संरक्षण अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, देहरादून व इसके क्षेत्रीय केन्द्रों में समय-समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है। लोगों को शिक्षित करने के लिए व्यावहारिक अनुसंधान प्रायोजनाएं और सम्मेलन (सिम्पोजिया) भी आयोजित किए जाते हैं।

खेलकूद एवं हाकी के लिये "सिन्थेटिक टर्फ" के मैदान बनाने का लक्ष्य

6332. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 के दौरान खेलकूद एवं हाकी के लिए "सिन्थेटिक टर्फ" का मैदान बनाने का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया;

(ख) इस लक्ष्य को किस सीमा तक प्राप्त किया गया है;

(ग) "सिन्थेटिक टर्फ" का मैदान बनाने के लिए खेल अधिकारियों को क्या मार्गनिर्देश जारी किए गए हैं;

(घ) क्या सिन्थेटिक टर्फ का मैदान बनाने में कोई कठिनाइयां है; और

(ङ) यदि हां, तो ये कठिनाइयां क्या हैं तथा इन्हें दूर करने के लिए क्या नीति बनाई गई हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) 1988-89 के दौरान सिन्थेटिक टर्फ बिछाने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था ।

(ख) अतः लक्ष्य प्राप्ति का प्रश्न ही नहीं उठता । तथापि, वर्ष 1988-89 में निम्न स्थानों पर सिन्थेटिक टर्फ बिछाने के लिए मंजूरी दी गई है :—

(1) पिम्परी, चिंचवाड़, पुणे, महाराष्ट्र

(2) रांची बिहार

(3) जालंधर पंजाब

इसके अलावा, भारतीय खेल प्राधिकरण ने गांधीनगर (गुजरात) में भी एक सिन्थेटिक टर्फ बिछाया है ।

(ग) "सिन्थेटिक ट्रैक/कृत्रिम सतह की हमारी योजना" में उल्लिखित के अलावा सिन्थेटिक टर्फ बिछाने के लिए कोई मार्गदर्शी रूपरेखाएं खेल प्राधिकारियों को जारी नहीं की गई हैं ।

(घ) सिन्थेटिक टर्फ बिछाने में कोई कठिनाई नहीं है ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

गुजरात में व्हाइट फ्लाइ से उत्पन्न संकट

6333. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की व्हाइट फ्लाई के कारण उत्पन्न संकट के कारण गुजरात के कपास उत्पादकों को हो रही कठिनाइयों की जानकारी है;

(ख) क्या व्हाइट फ्लाई से उत्पन्न संकट के कारण इस वर्ष कपास के उत्पादन में 65 से 70 प्रतिशत तक गिरावट आ गई है; और

(घ) कपास की फसल को व्हाइट फ्लाइ से उत्पन्न खतरे से बचाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, हां।

(ख) व्हाइट फ्लाई से उत्पन्न खतरे को मिलाकर पेस्ट काम्प्लेक्स के खतरे से कपास की पैदावार में गिरावट आयी है। गुजरात सरकार द्वारा राज्य स्तर पर कुल उत्पादन में 17 प्रतिशत हानि होने का अनुमान लगाया गया है।

(ग) सरकार द्वारा उठाए गए कदम नीचे दर्शाए गए हैं :—

(1) वाणिज्यिक खेती के लिए कपास की व्हाइट फ्लाई प्रतिरोधी/सहनशील किस्में विकसित एवं लोकप्रिय की जा रही हैं।

(2) व्हाइट फ्लाई को सहन करने वाली देशी संकर किस्मों की और अधिक क्षेत्र में खेती की जा रही है।

(3) सामयिक कीट नियन्त्रण उपायों के लिए कीटों पर नियमित रूप से निगरानी रखी जा रही है तथा प्रबोधन किया जा रहा है ताकि कीटों के पैदा होने की सम्भावना की पूर्व चेतावनी दी जा सके।

(4) पर्याप्त कीटनाशियों और पौध रक्षण उपकरणों की आपूर्ति करने के लिए प्रबन्ध किए गए हैं।

(5) किसानों को केवल सिफारिश की गई कीटनाशियों पर ही छिड़काव करने की सलाह दी गई है।

(6) राज्य विस्तार एजेन्सियों द्वारा टेलिवीजन, रेडियो, पम्फलैटों आदि जैसे जन-संचार के माध्यम से किसानों के लिए प्रशिक्षण और शिक्षा कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

प्रसंस्करित और डिब्बाबन्द खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु रसायन का प्रयोग

6334. श्री विजय एन० पाटिल: क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रसंस्करित डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों में परिरक्षण के तौर पर प्रयोग किये जाने वाले रसायनों के क्या नाम हैं;

(ख) क्या सरकार को पश्चिमी देशों में प्रसंस्करित तथा डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों जिन्हें इन देशों में बीस वर्ष पूर्व शुरू किया गया था; के प्रयोग में होने वाले उत्तर प्रभावों की जानकारी है; और

(ग) प्रसंस्करित तथा डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों की पैकिंग में प्रयोग किए जाने वाले कृत्रिम

रसायनों तथा धातु की परत के हानिकारक प्रभावों से मुक्त करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम 1955 के अधीन खाद्य पदार्थों अनुरक्षियों क रूप में सल्फर डायक्साइड, बेनजायक एसिड, सोडियम पोटेशियम लाइट्रेट्स, सार्बिक एसिड और नाइसीन का इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाती है।

फल उत्पाद आदेश, 1955 के अधीन कुछेक सीमा के अन्दर कुछ वस्तुओं के बारे में केवल दो अनुरक्षियों अर्थात् सल्फर डायक्साइड और/अथवा बेनजायक एसिड और उनके साल्ट्स का इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाती है।

खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमों और फल उत्पादन आदेश, 1955 के अधीन खाद्य पदार्थों में जिन अनुरक्षियों का इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाती है उनसे लोगों को कोई नुकसान पहुंचने की सम्भावना नहीं है बशर्ते कि उनका विहित सीमा के अन्दर इस्तेमाल किया जाय।

बम्बई पत्तन पर हड़ताल

6335. **श्रीमती बसवाराजेश्वरी** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में परिवहन और गोदी मजदूर यूनियन के मजदूर 17 मार्च, 1989 से अनिश्चित काल की हड़ताल पर हैं जिससे पत्तन पर सभी कार्य ठप्प हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस बारे में कोई समझौता हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) जी, हां। बम्बई गोदियों में तीसरी शिफ्ट में कार्य करने संबंधी प्रस्ताव के विरोध में 17 मार्च, 1989 की पहली शिफ्ट से अचानक काम बंद कर दिया गया जिसे बम्बई स्टे विडोर्स एसोसिएशन ने अपनी तरफ से 21-4-1988 से हटा लिया गया।

(ग) जी, हां। समझौता होने के बाद 18 मार्च, 1989 की पहली शिफ्ट से हड़ताल समाप्त हो गई।

(घ) समझौते की मुख्य शर्त यह है कि ट्रांसपोर्ट एण्ड डाक वर्कर्स यूनियन के विचार-विमर्श किए बगैर बम्बई पोर्ट में तीसरी शिफ्ट नहीं चलाई जाएगी।

कृषि पर आधारित उद्योगों का कार्य-निष्पादन

6336. **श्रीमती बसवाराजेश्वरी :**

श्री जी० एस० बासवराजु :

श्री एल० एम० गुरड्डी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान देश में कृषि पर आधारित उद्योगों के कार्य-निष्पादन पर निगरानी रखी गई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक हुई प्रगति का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) कृषि पर आधारित उद्योगों के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख) 1986-87 और 1987-88 के दौरान राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा सहकारी क्षेत्र के कार्य-निष्पादन के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ग) देश में कृषि खाद्य प्रोसेसिंग उद्योग के विकास के लिए खाद्य परिसंस्करण उद्योग मंत्रालय बनाया गया है। सहकारिता क्षेत्र में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम उनके द्वारा सहायता प्रदान किए गए एककों का नियमित आवधिक आधार पर प्रबोधन करता है तथा ततकनीकी कमियों पर उपचारी कार्यवाही करने के लिए स्थल दौरे भी आयोजित करता है।

विवरण

1986-87 और 1987-88 वर्षों के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से सहायता प्राप्त सहकारी कृषि आधारित उद्योगों की क्षमता उपयोग की राज्य-वार स्थिति

राज्य	तेल		चीनी फैक्ट्रियां		चावल मिलें		डेयरी और पशुधन		एफ एण्ड वी एकक	
	1986-87	1987-88	1986-87	1987-88	1986-87	1987-88	1986-77	1987-88	1986-87	1987-88
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. आन्ध्र प्रदेश	एकक बंद किए हैं	एकक बंद किए हैं	94	89	52	आंकड़े मांगे गए	उपलब्ध नहीं	50	उपलब्ध नहीं	आंकड़े मांगे गए
2. असम	78	81	25	50	—	—तदैव—	कोई कार्यक्रम नहीं		17	—तदैव—
3. बिहार	कोई सहकारी	एकक नहीं	—	—	35	—तदैव—	—तदैव—		कोई कार्यक्रम नहीं	
4. गुजरात	50	54	112	108	71	—तदैव—	—तदैव—		—तदैव—	
5. हरियाणा	कोई सहकारी	एकक नहीं	151	145	98	—तदैव—	—तदैव—		—तदैव—	
6. हिमाचल प्रदेश	—तदैव—		—	—	कोई कार्यक्रम नहीं	—तदैव—	—तदैव—		18	आंकड़े मांगे गए

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	जम्मू एवं कश्मीर	—तदैव—		—	—	38	आंकड़े मांगे गए	कोई कार्यक्रम नहीं		उपलब्ध नहीं	—तदैव—
8.	कर्नाटक	113	78	77	98	44	—तदैव—	उपलब्ध नहीं	66	उपलब्ध नहीं	—तदैव—
9.	केरल	कोई सहकारी एकक नहीं		44	28	कोई कार्यक्रम नहीं	—तदैव—	कोई कार्यक्रम नहीं		41	—तदैव—
10.	मध्य प्रदेश	73	86	82	130	85	—तदैव—	—तदैव—		कोई कार्यक्रम नहीं	
11.	महाराष्ट्र	31	56	99	111	99	—तदैव—	उपलब्ध नहीं	133	उपलब्ध नहीं	आंकड़े मांगे गए
12.	मणिपुर	कोई कार्यक्रम नहीं		—	—	कोई कार्यक्रम नहीं	—तदैव—	कोई कार्यक्रम नहीं		2	—तदैव—
13.	मेघालय	—तदैव—		—	—	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—		कोई कार्यक्रम नहीं	
14.	नागालैंड	—तदैव—		—	—	17	—तदैव—	—तदैव—		—तदैव—	
15.	उड़ीसा	एकक बंद किए हैं	18	105	137	21	—तदैव—	—तदैव—		एक आरम्भ 88-89	
16.	पंजाब	72	80	188	140	136	आंकड़े मांगे गए	उपलब्ध नहीं	49	9	आंकड़े मांगे गए
17.	राजस्थान	41	50	111	—	12	—तदैव—	उपलब्ध नहीं	58	उपलब्ध नहीं	—तदैव—

18. तमिलनाडु	कोई कार्यक्रम नहीं		121	120	26	—तदैव—	कोई कार्यक्रम नहीं	14	—तदैव—
19. उत्तर प्रदेश	57	48	137	137	40	—तदैव—	—तदैव—	उपलब्ध नहीं	—तदैव—
20. पश्चिम बंगाल	कोई सहकारी एकक नहीं		—	—	20	—तदैव—	—तदैव—	4	—तदैव—
21. दिल्ली संघ शासित	कोई कार्यक्रम नहीं		—	—	—	—तदैव—	—तदैव—	76	—तदैव—
22. पांडिचेरी	कोई कार्यक्रम नहीं		187	160	कोई कार्यक्रम नहीं		कोई कार्यक्रम नहीं	कोई कार्यक्रम नहीं	
23. गोवा	—तदैव—		40	45	—तदैव—		—तदैव—		—तदैव—

केरल में सड़कों तथा पुलों के निर्माण/सुधार के लिये सहायता

6337 **वक्कम पुरुषोतमन** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने एझिमला नौसेना अकादमी की ओर जाने वाले मार्ग पर सड़कों तथा पुलों के निर्माण/सुधार के लिये केन्द्रीय सड़क निधि (विशेष रक्षित) में से सहायता की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) अक्तूबर, 1988 में केरल सरकार ने एझीमला नौसेना अकादमी की आधारभूत सुविधाओं के संवर्धन के लिए केन्द्रीय सड़क कोष से वित्त पोषण किए जाने हेतु 364·00 लाख रुपए की लागत से सड़क विकास की चार स्कीमें भेजी थीं। चूंकि राज्य सरकार ने सातवीं योजना की सारी प्राप्त राशि का पूरा उपयोग कर लिया है, इसलिए इन प्रस्तावों को अतिरिक्त प्रस्तावों के आमंत्रित किए जाने के समय प्रस्तुत करने की सलाह दी गई थी।

बिहार के हज तीर्थयात्रियों के साथ तथाकथित दुर्व्यवहार

[हिन्दी]

6338. **श्री सरफराज अहमद** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिहार के हज तीर्थयात्रियों के साथ तथाकथित दुर्व्यवहार के बारे में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) और (ख) जी, नहीं। बिहार के चार विधायकों से 28 जून, 1988 को एक पत्र मिला था, जिसमें यह कहा गया था कि केन्द्रीय हज समिति ने 12 जून, 1988 को हज यात्रियों को लेकर जाने वाले जहाज में करीब 240 हज यात्रियों को जगह देने के मामले में बिहार के हज यात्रियों के साथ भेद-भाव बरता है और इन विधायकों ने इस मामले में जांच-पड़ताल करने का अनुरोध किया है।

(ग) इस पत्र के प्राप्त होने से पहले ही सरकार को बिहार के हज यात्रियों को हुई कठिनाई के बारे में जानकारी मिली थी और उसने केन्द्रीय हज समिति को तथा भारत के जहाजरानी निगम को भी निदेश जारी किए थे। बुकिंग, जगह की पुष्टि और हज के जहाजों के जाने के कार्यक्रम की सूचना देने का काम भारत का जहाजरानी निगम करता है। वे लोग जहाज यात्रियों को यह भी सूचना भेजते हैं कि किस तारीख को जाने वाले जहाज के लिए उनको किस तारीख तक बम्बई पहुंच जाना चाहिए। पता यह चला है कि 12 जून, 1988 को रवाना होने वाले जहाज में जगह पक्की होने की सूचना मिले बिना ही बिहार के कोई 240 हज यात्री बम्बई पहुंच गए और इसकी वजह से उन्हें कुछ असुविधा हुई। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय हज समिति और भारतीय

जहाजरानी निगम जब इस समस्या के समाधान की चेष्टा में लगे हुए थे, तभी इनमें से कुछ हज यात्रियों ने बम्बई उच्च न्यायालय में एक रिटपिटीशन दखिल करके यह मांग की कि उनके पूरे दल को उपर्युक्त जहाज में जगह दी जाए। न्यायालय ने उनके दावे को उपयुक्त नहीं पाया और 10 जून, 1988 को उनकी अर्जी खारिज कर दी।

केरल में मृदा और जल संरक्षण परियोजना

[अनुवाद]

6339 **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केरल में मृदा और जल संरक्षण संबंधी परियोजना, जो कावेनी परियोजना का अंग है आरम्भ करने के लिये कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) इस परियोजना से कितनी कृषि तथा वन भूमि को लाभ पहुंचेगा;

(ग) क्या सरकार ने इस परियोजना को केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में शुरू करने का निर्णय किया है;

(घ) यदि हां, तो इस परियोजना के लिये कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, हां।

(ख) केरल राज्य सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार लगभग 90,000 हैक्टेयर कृषि भूमि और लगभग 10,000 हैक्टेयर वन भूमि को राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित परियोजना से लाभान्वित होने की आशा है।

(ग) और (घ) केरल की कावेनी स्रवण क्षेत्र संबंधी अनुरोध पर सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नदी घाटी परियोजनायों के स्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण की चालू केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना में शामिल करने के लिए अन्य राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के साथ ही विचार-विमर्श किया गया था। लेकिन वित्तीय प्रतिबंधों के कारण सातवीं योजना में कोई नया स्रवण क्षेत्र शामिल नहीं किया गया था।

पहाड़ी क्षेत्रों में पशुओं की नस्ल सुधारने संबंधी अनुसंधान केन्द्र

[हिन्दी]

6340 **श्री हरीश रावत** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के पर्वतीय क्षेत्रों में पशुओं की नस्ल सुधारने के कार्य में लगे विभिन्न अनुसंधान केन्द्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में दुधारू पशुओं का दुग्ध उत्पादन बहुत कम है;

(ग) यदि हां, तो इन क्षेत्रों में दुधारू पशुओं की नस्ल सुधारने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है;

(घ) क्या सरकार का इन क्षेत्रों में विशेष पशु नस्ल अनुसंधान परियोजना आरम्भ करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री) : (क) महोदय, सन् 1950 में देश के पहाड़ी और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पशुओं के संकर प्रजनन पर भा० कृ० अ० प० की एक तदर्थ समन्वित अनुसंधान प्रायोजना चल रही थी। इस प्रायोजना के केन्द्र देश के भिन्न-भिन्न पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित थे। हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर में सन् 1975 से ही भारत-न्यूजीलैण्ड पशुधन सुधार प्रायोजना चल रही है।

(ख) जी, हां।

(ग) ऊपर (क) में उल्लिखित कार्यक्रमों के अलावा मवेशियों और भैंस विकास पर विभिन्न राज्यों और केन्द्रीय योजनाओं के लाभ भी पहाड़ी क्षेत्रों को मिल रहे हैं। राज्य सरकारों द्वारा पहाड़ी विकास कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं, जिनका एक मुद्दा पशु आहार भी है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में स्टेडियमों के निर्माण हेतु परियोजनायें

6341. **श्री हरीश रावत** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत चार वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में खेल के मैदानों और स्टेडियमों के निर्माण के लिए कुछ परियोजनाओं को मन्जूरी दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं का जिला-वार ब्यौरा क्या है और केन्द्रीय सरकार ने इन स्टेडियमों के निर्माण के लिए राज्य सरकार को प्रत्येक वर्ष कितनी-कितनी धनराशि दी है;

(ग) क्या सरकार इस राज्य के लिए कुछ नई परियोजनाओं को मन्जूरी देने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) जी, हां।

(ख) गत तीन वर्षों के जिले-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

(ग) चूंकि बड़ी संख्या में केन्द्रीय सहायता प्राप्त परियोजनाएं राज्य सरकार के पास

अधूरी पड़ी हुई हैं, अतः युवा कार्यक्रम और खेल विभाग राज्य खेल परिषदों आदि को अनुदान की योजना के अन्तर्गत 1989-90 के दौरान नई परियोजनाओं को प्रोत्साहित नहीं कर रहा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

1986-87

(रुपये लाखों में)

क्रम०सं०	परियोजना	स्वीकृत राशि	दी गई राशि
1	2	3	4
1.	बदायूं में स्टेडियम	4·96	4·96
2.	फैजाबाद में स्टेडियम	3·09	3·09
3.	प्रतापगढ़ में स्टेडियम	4·59	4·59
4.	मैनपुरी में स्टेडियम	3.63	3·63
5.	बाराबंकी में स्टेडियम	3·39	3·39
6.	गाजियाबाद में स्टेडियम	2·44	2·44
7.	जौनपुर में स्टेडियम	5·00	5·00
8.	मुज्जफरनगर में स्टेडियम	5·00	5·00
9.	सहारनपुर में स्टेडियम	4·55	4·55
10.	ललितपुर में स्टेडियम	3·16	3·16
11.	फरूखाबाद में स्टेडियम	4·34	4·34
12.	बहराइच में स्टेडियम	5·00	5·00
13.	बुलन्दशहर में स्टेडियम में बहुउद्देशीय हाल	4·40	4·40
14.	रामपुर में स्टेडियम	5·00	5·00
15.	बुलन्दशहर में स्टेडियम	5·00	5·00
16.	मुज्जफरनगर स्टेडियम में बहुउद्देशीय हाल	5·00	5·00
17.	बरेली में स्टेडियम	5·00	5·00
18.	चौक लखनऊ में स्टेडियम	4·20	4·20
19.	बस्ती स्टेडियम में बहुउद्देशीय हाल	5·00	5·00
20.	बिजनौर स्टेडियम में बहुउद्देशीय हाल	3·57	3·57

1	2	3	4
21.	देवरिया स्टेडियम में बहुउद्देशीय हाल	5·00	5·00
22.	सुल्तानपुर स्टेडियम में बहुउद्देशीय हाल	4·00	4·00
23.	गोरखपुर स्टेडियम में बहुउद्देशीय हाल	4·63	4·63
24.	झांसी स्टेडियम में बहुउद्देशीय हाल	5·00	5·00
25.	लखनऊ स्टेडियम में बहुउद्देशीय हाल	1·71	1·71
26.	आगरा स्टेडियम में बहुउद्देशीय हाल	5·00	5·00
27.	गोरखपुर में तरणताल	5·00	5·00
28.	के० डा० सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ में स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण	5·00	5·00
29.	मेरठ स्टेडियम में जिमनाजियम हाल	4·30	4·30
30.	लखनऊ स्टेडियम में	4·44	4·44
31.	गोपेश्वर (चमोली) में स्टेडियम	5·00	2·50
32.	वाराणसी में तरणताल	5·00	2·50
33.	सहारनपुर में तरणताल और बहुउद्देशीय हाल	5·00	2·50
34.	आगरा में बहुउद्देशीय हाल	5·00	2·50
35.	नरेन्द्र नगर में स्टेडियम (टिहड़ी गढ़वाल)	3·62	3·62
36.	ईटा में बहुउद्देशीय हाल	5·00	2·50
37.	उन्नाव में बहुउद्देशीय हाल	5·00	2·50
38.	मुरादाबाद में स्टेडियम	5·00	2·50
39.	प्रतापगढ़ में बहुउद्देशीय हाल	5·00	2·50
40.	ईटा में स्टेडियम	5·00	2·50
41.	रायबरेली में बहुउद्देशीय हाल	5·90	2·50
32.	वाराणसी में बहुउद्देशीय हाल	5·00	2·50
43.	जौनपुर स्टेडियम में बहुउद्देशीय हाल	5·00	2·50
44.	ऊरई में स्टेडियम (जालौन)	1·85	1·85
	कुल रु०	41·85	रु० 21·85 लाख

1987-88

(रुपए लाखों में)

क्रम०सं०	परियोजना	स्वीकृत राशि	दी गई राशि
1.	कानपुर में स्टेडियम	5·00	2·50
2.	वाराणसी में तरणताल	5.00	2·50
3.	सहारनपुर में बहुउद्देशीय हाल	5·00	2·50
4.	आगारा में बहुउद्देशीय हाल	5·00	2·50
5.	ईटा में बहुउद्देशीय हाल	5 00	2·50
6.	उन्नाव में बहुउद्देशीय हाल	5·00	2·50
7.	मुरादाबाद में स्टेडियम	5·00	2·50
8.	प्रतापगढ़ में बहुउद्देशीय हाल	5·00	2·50
9.	ईटा में स्टेडियम	5·00	2·50
10.	रायबरेली में बहुउद्देशीय हाल	5·00	2·50
11.	वाराणसी स्टेडियम में बहुउद्देशीय हाल	5·00	2·60
12.	जौनपुर स्टेडियम में बहुउद्देशीय हाल	5·00	2·50
13.	लखनऊ में खेल परिसर	20·00	10·00
14.	नोएडा सैक्टर-21ए में खेल परिसर	20·00	10·00
15.	नोएडा सैक्टर-38 में खेल हाल	5·00	2·50
	कुल रु०	105 00	रु० 52·50 लाख

1988-89

(रुपये लाखों में)

क्रम सं०	परियोजना	स्वीकृत राशि	दी गई राशि
1.	इलाहाबाद में इन्डोर और ओपन स्टेडियम	10.00	5.00
2.	बलिया में स्टेडियम	5.00	2.50
3.	रायबरेली स्डेडियम में तरणताल	5.00	2.50
4.	पीलीभीत में स्टेडियम	5.00	2.50
5.	मैनपुरी स्टेडियम में बहुउद्देशीय हाल	5.00	2.50

1	2	3	4
6.	हमीरपुर स्टेडियम में तरणताल	5.00	2.50
7.	बदायूं स्टेडियम में बहुउद्देशीय हाल	5.00	2.50
8.	रामपुर स्टेडियम में तरणताल	5.00	2.50
9.	मिर्जापुर में स्टेडियम	5.00	2.50
10.	बिजनौर स्टेडियम में तरणताल	5.00	2.50
11.	जालौन स्टेडियम में तरणताल	5.00	2.50
12.	गाजीपुर स्टेडियम में बहुउद्देशीय हाल	5.00	2.50
13.	लखनऊ में क्रिकेट पिच	0.096	2.096
14.	बरेली में क्रिकेट पिच	0.028	2.028
15.	वाराणसी में क्रिकेट पिच	0.03085	0.03085
	कुल :	65,15,485 रु०	32,65,485 रु०

उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केन्द्रों का खोला जाना

6342. **श्री हरीश रावत** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले में एक आलू अनुसंधान केन्द्र खोलने के लिए लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों से अनुरोध पत्र प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो यह अनुरोध कब प्राप्त हुआ था;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रस्ताव को मन्जूरी दे दी है; और

(घ) यदि नहीं, तो कब तक मन्जूरी दिये जाने की संभावना है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री) : (क) जी, हां।

(ख) अगस्त, 1987 में माननीय संसद सदस्य (लोक सभा) श्री हरीश चन्द्र रावत से एक पत्र प्राप्त हुआ था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) आलू अनुसंधान से संबंधित पहले से ही मौजूद बुनियादी ढांचे को ध्यान में रखते हुए इस समय इस क्षेत्र में आलू पर एक नए अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की मांग पर विचार करना न्यायसंगत नहीं है। इस विषय में तत्कालीन कृषि मंत्री द्वारा दिनांक 26-10-87 के पत्र संख्या पी-3459 द्वारा उत्तर पहले ही भेजा जा चुका है तथा इससे संबंधित उत्तर लोक सभा के दिनांक 3 नवम्बर, 1987 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3488 के द्वारा भी दिया जा चुका है।

केन्द्रीय विद्यालयों में कर्मचारी एसोसिएशनों की कानूनी मान्यता

[अनुवाद]

6343. **श्री शांति लाल पटेल :**

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों की एसोसिएशन को कानूनी मान्यता प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) जी, हां।

(ख) अगस्त, 1985 में बनाए गए केन्द्रीय विद्यालय संगठन (संघ नियमावली को मान्यता) के अनुसार, प्रत्येक संघ के सदस्यों, कार्यालय पदाधिकारियों की सूची और पिछले वर्ष के लेखा विवरण के साथ उनके नियमों तथा विनियमों की अद्यतन प्रतियों को प्रस्तुत करना अपेक्षित है। मान्यता देने के लिए आवेदन पत्रों पर, तत्परता से निर्णय को सुकर करने के लिए, संघ को मान्यता के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित कागजात प्रस्तुत करना होता है :--

(क) प्रत्येक सदस्य के बारे में नामांकन प्रपत्रों की प्रमाणित प्रतियों के साथ सदस्यता की सूची।

(ख) सदस्यों के अंशदान का साक्ष्य।

(ग) कार्यालय पदाधिकारियों और बैठकों तथा तारीखों की सूची जब वे कार्यालय पदाधिकारियों के रूप में चुने गए थे।

(घ) पूर्ववर्ती दो वर्षों का संघ के लेखों का लेखा परीक्षित विवरण।

(ङ) संघ के विधान/संघ के ज्ञापन तथा संघ के नियमों की एक प्रति।

(च) इस आशय का एक प्रमाण पत्र कि संघ केन्द्रीय विद्यालय संगठन (संघ को मान्यता) नियमावली, सी० सी० एस० (आचरण) नियमावली 1964 में निर्धारित शर्तों का तथा विशेष रूप से इस तथ्य का कि कोई भी ऐसा व्यक्ति, जो संगठन का नियमित कर्मचारी नहीं है, "संरक्षक" के रूप में इस संघ के साथ सम्बद्ध नहीं होगा, का पालन करेगा।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन (नियमों को मान्यता) की अनिवार्य शर्तों में से एक शर्त यह है कि ऐसे सभी संघ कर्मचारियों की न्यूनतम सदस्यता संख्या रखेंगे जिसका वे प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं, ऐसा न करने पर उनकी मान्यता वापिस ली जा सकती है।

तिलहनों के आयात में कमी करना

6344. **श्री शांति लाल पटेल :**

श्री जी० एस० बासवराजु :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि वैज्ञानिकों ने तिलहनों का आयात बन्द करने की सलाह दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्पादकों द्वारा आधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाने से तिलहन उत्पादन की अच्छी संभावनाएं हैं;

(घ) क्या तिलहनों की खेती भी अधिक क्षेत्र में की जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी, हां ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) वर्ष 1983-84 में तिलहनों की खेती वाला क्षेत्र 186.9 लाख हे० था जो 1987-88 में बढ़कर 200 लाख हे० हो गया ।

विज्ञापन और प्रौद्योगिकी सलाहकार समिति का विभाजन

6345. **श्री शांति लाल पटेल :**

श्री जी एस० बासवराजु :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय की विज्ञान और प्रौद्योगिकी सलाहकार समिति को सड़क और जल परिवहन के लिए दो अलग-अलग भागों में विभाजित कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) प्रारंभ मे पूरे मंत्रालय के लिए अप्रैल, 1988 में एकमात्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी सलाहकार समिति (एस० टी० ए० सी०) का गठन किया गया था । चूंकि यह समिति भिन्न-भिन्न विषयों को देख रही थी, इसलिए फरवरी, 1989 में इसे दो अलग-अलग सलाहकार समितियों में बांट दिया गया—(क) सड़क और सड़क परिवहन के लिए और (ख) जल परिवहन और नौवहन के लिए ।

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह

6346. श्री शांति लाल पटेल :

श्रीमती डी० के० भंडारी :

क्या जलभूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1989 के पहले हफ्ते में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को कोई निर्देश दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह से क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 3 अप्रैल से 9 अप्रैल, 1989 तक मनाया गया था ।

(ख) और (ग) राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से यह अनुरोध किया गया था कि वे सड़क सुरक्षा संबंधी पहलुओं का प्रचार करने के लिए उपाय करें ताकि आम जनता में उसके प्रति जागरुकता पैदा हो सके और उनसे कुछ ठोस उपाय करने का भी अनुरोध किया गया था जैसे सड़क ज्योमेट्री का सुधार, सड़क पैदल पथों को मजबूत बनाना, समुचित सड़क मार्किंग, राजमार्गों और पर्वतीय सड़कों पर साइन बोर्ड लगाना, दुर्घटना से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाने के लिए क्रेनों जैसे आवश्यक उपस्करों का आपूर्ति करना, इत्यादि ।

(घ) राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह से सड़क सुरक्षा और आम जनता में इसके महत्त्व के बारे में जागरुकता में वृद्धि करने और इसके लिए आवश्यक उपायों को करने की जरूरत पर जोर डालने में मदद मिली ।

राष्ट्रीय कृषि मेला

[हिन्दी]

6347. श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :

श्री दिनेश गोस्वामी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय कृषि मेला आयोजित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो यह मेला किस उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है; और

(ग) इस पर कितना व्यय हुआ है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) :

(क) नई दिल्ली में 25 मार्च से 10 अप्रैल, 1989 तक राष्ट्रीय कृषि मेला आयोजित किया गया था।

(ख) इस मेले का मुख्य उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों, जिनका कृषि क्षेत्र में सीधा-व्यवहार है, नवीनतम विकासों के बारे में कृषक समुदाय की जागरूकता को बढ़ाना है, ताकि वो उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने में अपना भरपूर योगदान कर सकें।

(ग) मेले को आयोजित करने में कृषि मंत्रालय के चार विभागों द्वारा किया गया व्यय लगभग 3.00 करोड़ रुपये है।

निरक्षरता दूर करने के लिये स्वयंसेवी संगठन

6348. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :**

श्री विनेश गोस्वामी :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निरक्षरता उन्मूलन कार्यक्रम को लागू करने के लिए विभिन्न राज्यों में स्वयंसेवी तथा प्राइवेट संगठनों को आर्थिक सहायता देती है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान कुल कितनी धनराशि दी गई तथा संघ राज्य क्षेत्रों के विभिन्न संगठनों को कितनी धनराशि दी गई;

(ग) क्या ऐसी आर्थिक सहायता पहले भी दी गई थी;

(घ) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान संघ-राज्य क्षेत्र के प्रत्येक संगठन को दी गई आर्थिक सहायता का अलग-अलग ब्यौरा क्या है और क्या सरकार ने इन संगठनों द्वारा चलाये जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में कोई सूचना एकत्र की है; और

(ङ) यदि हां, तो इसका विस्तृत ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल०पी० शाही) : (क) जी, हां।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष (1988-89) के दौरान विभिन्न राज्यों में "प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक एजेंसियों को वित्तीय सहायता की योजना" के अन्तर्गत स्वैच्छिक एजेंसियों को 12.05 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई थी। 12.05 करोड़ रुपयों में से दिल्ली संघशासित क्षेत्र के विभिन्न संगठनों को 68.17 लाख रुपये सहायता अनुदान के रूप में जारी किये गये।

(ग) जी, हां।

(घ) वर्ष 1987-88 और 1988-89 के दौरान दिल्ली संघशासित क्षेत्र के प्रत्येक संगठन को जारी किये अनुदान को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। सरकार को कार्यक्रम के क्रियान्वयन के संबंध में स्वैच्छिक एजेंसियों से विभिन्न प्रगति रिपोर्टें प्राप्त हो रही हैं।

(ङ) प्रत्येक स्वैच्छिक एजेंसी को परियोजना के शुरू होने के तुरन्त बाद प्रारम्भिक प्रगति

रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए। स्वैच्छिक एजेंसी को इस मंत्रालय की तिमाही प्रगति रिपोर्ट, वार्षिक परियोजना रिपोर्ट, उपयोगिता प्रमाणपत्र, सनदी लेखा पाल दारा विधिवत लेखा परीक्षित लेखा विवरण भी प्रस्तुत करना चाहिये। इसकी एक एक प्रति संबंधित राज्य सरकार को भेजनी चाहिए। सरकार को यह देखना चाहिए कि परियोजना संतोषपूर्वक ढंग से क्रियान्वित की जा रही है।

विवरण

1987-88

क्र०सं०	स्वैच्छिक संस्था का नाम और पता	जारी किया अनुदान (रुपये में)
1	2	3
1.	भारतीय आदिमजाति सेवक संघ, ठक्कर बापा स्मारक सदन, डॉ० अम्बेडकर रोड़, नई दिल्ली।	2,66,400/-
2.	ग्रामीण क्षेत्र एवं जे०जे० कालोनी प्रौढ़ शिक्षा वा समाज सुधार सोसाइटी, ग्राम-गोस्ला खुर्द, नजफगढ़, नई दिल्ली।	94,600/-
3.	डॉ० ए०वी० बालिग स्मारक न्यास, लिंक हाऊस, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।	11,41,000/-
4.	महिला चेतना केन्द्र, एफ-25, बी०के० दत्त कालोनी, लोधी रोड, नई दिल्ली।	3,43,000/-
5.	रवि भारती शिक्षा समिति, 472, भोला नाथ नगर, शाहदरा, दिल्ली।	3,43,000/-
6.	दिल्ली भारतीय ग्रामीण महिला संघ, बी-14, सुजान सिंह पार्क, नई दिल्ली।	22,200/-
7.	अखिल भारतीय तालिम घर, 24-25, वेस्टर्न कोर्ट, जनपथ, नई दिल्ली।	91,250/-
8.	अखिल भारतीय महिला निरक्षरता उन्मूलन समिति, सरोजिनी भवन, 6-भगवान दास रोड, नई दिल्ली।	1,26,500/-
9.	कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक न्यास, कस्तूरबा विद्यालय, बखतावरपुर, दिल्ली।	12,185/-
10.	संगति सांस्कृतिक समिति, 293, गली नं० 12, मदनगीर, नई दिल्ली।	60,000/-

1	2	3
11.	जन जागृति शैक्षणिक समिति, एम-186, मंगोलपुरी, नई दिल्ली ।	60,000/-
12.	देहात विकास समिति, पूठ खुर्द कंझवला रोड, बवाना, दिल्ली ।	90,000/-
13.	गांधी स्मारक हरिजन शिक्षा समिति, 179, वाल्मीकि कालोनी, मन्दिर मार्ग, नई दिल्ली ।	3,20,000/-
14.	अखिल भारतीय ग्रामीण सेवा संघ, ए-302, परेशां बिहार, दिल्ली ।	90,000/-
15.	पुनर्वास कल्याण समिति, 219, बेगमपुर गांव, दिल्ली ।	90,000/-
16.	डिवलपमेंट जस्टिस एंड पीस दिल्ली, कैथोलिक अर्कडिओसीज, चेतनालय, अशोक प्लेस, नई दिल्ली ।	1,20,000/-

1988-89

क्रम सं०	स्वैच्छिक संस्था का नाम और पता	जारी किया अनुदान (रुपये में)
1	2	3
1.	पार्टीसिपेट्री रिसर्च इन एशिया, 45-सैनिक फार्म, नई दिल्ली-110062	56,000/-
2.	डॉ० ए०वी० वालिम स्मारक न्यास, लिंक हाऊस बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002	3,49,700/-
3.	गांधी स्मारक हरिजन शिक्षा समिति, 179-बाल्मीकि कालोनी, मन्दिर मार्ग, नई दिल्ली-110001	12,185/-
4.	अखिल भारतीय तालिम घर, 24-25, वेस्टर्न कोर्ट, जनपथ, नई दिल्ली-110001	10,68,600/-
5.	अंकुर, जे-21, हौज खास एन्कलेव, नई दिल्ली-110016	1,56,000/-
6.	भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ, 17-बी, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली-110002	3,35,000/-

1	2	3
7.	दिल्ली भारतीय ग्रामीण महिला संघ, बी-14, सुजान सिंह पार्क, नई दिल्ली-110003	90,000/-
8.	गुरु नानक महिला कल्याण समिति, बी-305, सरस्वती विहार, नई दिल्ली	3,20,000/-
9.	धर्म निरपेक्ष समाजोत्थान समिति, एन०ए० 58 ए, विष्णु गार्डन, नई दिल्ली-110018	90,000/-
10.	अखिल भारतीय ग्रामीण सेवा संघ, ए-202, प्रशान्त विहार, दिल्ली-110002	37,500/-
11.	कोणार्क शिक्षण संस्थान, 2419/182, गणेश पुरा, त्रिनगर, नई दिल्ली-110025	90,000/-
12.	भारतीय महिला कल्याण संघ, एन-44, कीर्तिनगर, नई दिल्ली-110015	90,000/-
13.	संमति सांस्कृतिक समिति, 293, गली नं० 12, मदनगीर, नई दिल्ली-110062	61,500/-
14.	जन जागृति शैक्षणिक समिति, एम-186, मंगोलपुरी, नई दिल्ली-110083	61,500/-
15.	सुषमा शिक्षा समिति, 114, हर्ष विहार, नई दिल्ली-110034	90,000/-
16.	आलोक शिक्षा पराशर संस्थान, यू०-158, शकरपुर, एक्सटेंशन, दिल्ली-110092	3,20,000/-
17.	सेन्ट जोन्स शिक्षा समिति, 48/4, ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110003	90,000/-
18.	बाबा साहब डॉ० बी०आर० अम्बेडकर, अनुसंधान संस्था (भारत) 3, इंस्टिटयूशनल एरिया, सेक्टर-4, आर०के०पुरम, नई दिल्ली-110022	1,80,000/-
19.	अल्मोडा कुमायूं वालिंटियर कोर, 1209, गली समोसन, फराश खाना, दिल्ली-110006	90,000/-
20.	देहात विकास समिति, पूठ खुर्द, कंझावला रोड, बवाना, दिल्ली-110039	37,300/-

1	2	3
21.	शेरे पंजाब लाला लाजपतराय शिक्षा समिति, 6646, नेहरू स्ट्रीट, गांधी नगर, दिल्ली-110031	3,20,000/-
22.	पटेल शिक्षा समिति, स्प्रिंग डल्स स्कूल, पूसा रोड, नई दिल्ली-110005	54,000/-
23.	अखिल भारतीय महिला निरक्षरता उन्मूलन समिति, सरोजिनी भवन, नं० 6, भगवानदास रोड, नई दिल्ली-110001	1,47,150/-
24.	महर्षि दयानन्द गुरुकुल शिक्षा समिति, 1720/57, नाईवाली गली, करोलबाग, नई दिल्ली-110005	3,20,000/-
25.	ग्रामीण क्षेत्र एवं जे०जे० कालोनी प्रौढ़ शिक्षा व समाज सुधार समिति ग्राम—गोला खुर्द, नजफगढ़, नई दिल्ली-110043	6,44,000/-
26.	संध्या शैक्षणिक समिति, सी-182/12, गली नं० 1, चौहान बांगर, नई दिल्ली-110053	1,80,000/-
27.	रवि भारती शिक्षा समिति, 472, भोला नाथ नगर, शाहदरा, दिल्ली-110032	1,19,600/-
28.	पुनर्वास कल्याण समिति, 219, बेगमपुर गांव, दिल्ली-110032	69,000/-
29.	डिवलपमेंट जस्टिस एण्ड पीस दिल्ली कैथोलिक अर्क डिओसीज, चेतनालय, अशोक प्लेस, नई दिल्ली-110001	60,000/-
30.	शिक्षण कल्याण परिषद, 68, मीनाक्षी गार्डन, नई दिल्ली-110018	3,20,000/-
31.	भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, ठक्कर बापा स्मारक सदन, डॉ० अम्बेडकर रोड, नई दिल्ली-110055	9,60,000/-

अन्तर्राज्यीय आर्थिक महत्त्व और केन्द्रीय सड़क कोष के अन्तर्गत असम में सड़क और पुल निर्माण कार्य

[अनुवाद]

6349. **श्री भद्रेश्वर तांती** क्या : जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय सड़क कोष और अन्तर्राज्यीय आर्थिक महत्त्व के राज्य सड़कों संबंधी केन्द्रीय ऋण सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत असम में कितनी सड़कों और पुलों के निर्माण कार्य को मंजूरी दी गई है; और

(ख) उनकी अनुमानित लागत सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) सातवीं योजना के दौरान केन्द्रीय सड़क कोष के तहत निम्नलिखित स्कीमें संस्वीकृत की गई हैं :—

क्र० सं०	कार्य का नाम	कुल अनुमानित लागत (लाख रु०)
1	2	3
1.	राष्ट्रीय राजमार्ग 37 के अन्त से डोलल माधव सोलल रोड में सुधार, मेटलिंग और ब्लैक टापिंग (1 और 2 कि० मी० 1000 मीटर)	5·00
2.	दादरा की ओर (2000 मीटर) से दादरा पचरिया रोड की मेटलिंग और ब्लैक टॉपिंग	9·00
3.	रोहा सदर निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत बरजोहा घहिगांव को जोड़ने के लिए कोलोंग के ऊपर पुल का पुनर्निर्माण	5·50
4.	बोडा दिगारू रोड (2000 मीटर) के विस्तार में सुधार, मेटलिंग और टॉपिंग	10·00
5.	मिस्सा शिवस्थान कुंआरी टोल रोड (भुभोरागुडी पुल के पहुंचमार्ग से मिस्सा की ओर-1 कि० मी०) की मेटलिंग और ब्लैक टॉपिंग	5.00
6.	नागांव धींग रोड में सुधार और मेटलिंग तथा ब्लैक टॉपिंग	15·50
7.	कुंआरीटोल जीज-कलियाबोर रोड (कलियाबोर की ओर से) की मेटलिंग और ब्लैक टॉपिंग	15·50
8.	मुकुअलमुआ जयसागर रोड पर आर० सी० सी० पुल के निर्माण सहित मेटलिंग और ब्लैक टॉपिंग	17.848

1	2	3
9.	असम में यातायात इंजीनियरिंग सैल को जारी रखना	17·152
10.	असम में अनुसंधान विकास और गुणवत्ता संवर्धन सैल को जारी रखना	2·784

संयुक्त उद्यम क्षेत्र में कुछ और उर्वरक संयंत्रों की स्थापना

6350. **श्री भद्रेश्वर तांती** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में और विदेशों में संयुक्त उद्यम क्षेत्र के अन्तर्गत कुछ और उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० प्रभु) : (क) और (ख) जी, हां। मैसर्स गुजरात नर्मदा व्हैली फर्टिलाइजर कम्पनी लि० (जी० एन० वी० एफ० सी०) ने आबू धाबी में 1·5 लाख टन पी-$_2$ ओ-$_5$ के उत्पादन के लिए संयुक्त उद्यम परियोजना में सहभागिता के लिए 1986 में सरकार को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, उनके प्रस्ताव को कुछ शर्तों के साथ सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है।

बंगला देश की मैसर्स कर्नाफुली फर्जिलाइजर कम्पनी (ए० एफ० सी० ओ०) ने बंगला देश में गैस पर आधारित अमोनिया/यूरिया के उत्पादन के लिए एक भारतीय कम्पनी की सहभागिता के लिए 1987 में एक प्रस्ताव किया था। इस प्रस्ताव को आकर्षक नहीं पाया गया था। हाल ही में इसको कुछ संशोधनों के साथ दोहराया गया है। तथापि, इस प्रस्ताव पर सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

अमोनिया/यूरिया के उत्पादन के किए आबू धाबी में संभावित संयुक्त उद्यम परियोजना का पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन का प्रस्ताव किया गया है; तथापि, सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। मैसर्सशा वालेस एण्ड कं० द्वारा जोर्डन फास्फेट माइन्स कार्पोरेशन के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में जोर्डन में 200,000 टन प्रति वर्ष फास्फोरिक एसिड परियोजना स्थापित करने का भी एक प्रस्ताव है। प्रस्ताव अति प्रारम्भिक अवस्था में है।

उर्वरकों का आयात

6351. **श्री भद्रेश्वर तांती** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 के दौरान कितनी मात्रा में उर्वरक का आयात किया गया और 1989-90 के दौरान इसका कितना आयात किया जायेगा;

(ख) इस पर कितनी मुद्रा खर्च होगी;

(ग) क्या उर्वरकों के आयात के लिये अपेक्षित विदेशी मुद्रा जुटाने के लिये विश्व बैंक अथवा किसी अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसी ने ऋण अथवा सहायता देने की पेशकश की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० प्रभु) : (क) और (ख) वर्ष 1988-89 के दौरान, 26·83 लाख टन उर्वरक सामग्री, जिसमें 498·40 करोड़ रुपये अनंतिम विदेशी मुद्रा अन्तर्ग्रस्त है; आयात की गई है।

1989-90 के लिए इन ब्यौरों को बताना जनहित में नहीं होगा।

(ग) और (घ) विश्व बैंक ने 1988-89 और 1989-90 के दौरान उर्वरकों के आयात के लिए किसी ऋण/सहायता का प्रस्ताव नहीं किया है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय (इ० इ० सी०) के संघ ने 1988 के करार के अनुसार उर्वरकों के आयात के लिए माल सहायता के रूप में 2·61 मिलियम इ० सी० यु० प्रदान करना स्वीकार कर लिया है। जहां तक 1989 के दौरान उर्वरकों के आयात के लिए इ० इ० सी० सहायता का सम्बन्ध है, इसका अभी यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा निर्णय किया गया है।

खिलाड़ियों के लिए स्थापित चिकित्सा केन्द्र

6352. **श्री भद्रेश्वर तांती** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में खिलाड़ियों के उपचार के लिये चिकित्सा केन्द्र स्थापित किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन केन्द्रों में शरीरिक रूप से योग्य होने के सम्बन्ध में जांच की जा सकती है;

(ग) ये केन्द्र किन स्थानों पर स्थापित किए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रलाय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) खेल चिकित्सा केन्द्र पहले ही नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान (एन० एस० एन० आई० एस०), पटियाला और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली में स्थापित किए गए हैं। ऐसे केन्द्र बंगलौर, कलकत्ता, गांधीनगर, शिलारू और इम्फाल में भी स्थापित किए जा रहे हैं।

महिला कृषि मजदूरों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम

[हिन्दी]

6353. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महिलाओं को कृषि के किस क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जाता है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार कितनी महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया; और

(ग) महिलाओं के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं बढ़ाने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) महिलाओं को बागबानी फसलों और अन्य सम्बद्ध क्षेत्रों सहित कृषि कार्यों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) सरकार का राज्यों में तथा कृषक प्रशिक्षण केन्द्रों और कृषि विज्ञान केन्द्रों में क्रियान्वित किए जा रहे कृषि परियोजनाओं एवं प्रशिक्षण तथा दौरा प्रणाली से सम्बन्धित कार्यक्रमों के तहत काफी बड़ी संख्या में महिला कृषि मजदूरों को प्रशिक्षण देने का विचार है।

भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् द्वारा छात्रों को दी गई वित्तीय सहायता

[अनुवाद]

6354. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली छात्रों तथा शिक्षकों को अध्ययन सामग्री एकत्र करने के लिए विदेश भेजने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं;

(ग) अप्रैल, 1985 से अप्रैल, 1988 के दौरान सामाजिक विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न परियोजनाओं के लिए दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान कितने आवेदकों ने वित्तीय सहायता के लिए आवेदन किया ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री श्री एल० पी० शाही) : (क) से (घ) भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् द्वारा भारतीय इतिहासकारों को उनके अनुसंधान के विषयों से संबंधित सामग्री विदेशों से संग्रहित करने के लिए यात्रा लागत तथा अधिकतम दो सप्ताह तक 80 डालर प्रतिदिन की दर से अनुरक्षक लागत वहन करने के वास्ते वित्तीय सहायता दी जाती है। अध्येता से अपेक्षा की जाती है कि वह शोध-विषय विवरण अथवा अनुसंधान परियोजना का पूर्ण पाठ भेजे जिसके लिए वह विदेशों से सामग्री एकत्र करना चाहता है। इस परियोजना को मूल्यांकन के लिए एक विशेषज्ञ को भेज दिया जाता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अध्येता का दौरा अत्यन्त आवश्यक है और अध्येता जिस संबद्ध सामग्री के बारे में परामर्श करना चाहता है वह भारत में उपलब्ध नहीं है। मूल्यांकन रिपोर्ट के परिपेक्ष्य में अनुसंधान परियोजना समिति अथवा विदेशी यात्रा अनुदान समिति द्वारा सहायता-प्रस्ताव पर विचार किया जाता है। अप्रैल, 1985 से अप्रैल, 1988 तक की अवधि के दौरान, 77 अध्येताओं ने इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता के लिए आवेदन किया। उक्त अवधि के दौरान इस योजना के अन्तर्गत दी गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम सं०	अध्येता का नाम	परियोजना का शीर्षक	उस देश का नाम जिसका दौरा किया गया	संस्वीकृत अनुरक्षण/आकस्मिक अनुदान	संस्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6
		1985-86			
1.	श्री के०ए०एस०एम०आई० आलम	टैक्स्टाइल इंडस्ट्री इन मिडीवल इन्डिया 1200-1750	हालैण्ड	—	रु० 8,314/-
2.	प्रो० सुशील चौधरी	ट्रेड एंड इकोनामी ऑफ प्रि-प्लासी बंगाल 1720-57	यू० के०	रु० 10,000/-	,, 10,950/-
3.	डा० (श्रीमती) देवाहूती	बुद्धिजम इन सेन्ट्रल एशिया	सोवियत संघ	—	,, 8,597/-
4.	सुश्री लिपि घोष	फ्रेंच इन बर्मा 1852-1885	फ्रांस	,, 5,000/-	—
5.	डा० (श्रीमती) पदमाशा	एटीचूड ऑफ दि मुस्लिम लीडर्स टू दी कांग्रेस : ए क्रीटिकल इवेल्युऐशन 1940-47	यू० एस० ए०	—	,, 14,537/-
6.	डा० राजेन्द्र प्रसाद	ब्रिटिश कोलोनिअलिजम एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया एंड चाईना 1850-1949	यू० के०	—	,, 9,778/-
7.	डा० बी० एन० पुरी	सेक्युलरिज्म इन इंडियन इथोज	यू० के०	,, 3,000/-	—

1	2	3	4	5	6
8.	श्री अरविन्द सिन्हा	रिलेशन्स बिटवीन दि इंगलिश एंड दि फ्रेंच इन इंडिया विद स्पेशल रेफ्रेन्स टू देयर कामर्शियल एक्टीविटीज 1763-1793	यू० के० फ्रेंच	—	रु० 9,978/-
		1986 87			
9.	प्रो० एम० आथर अली	डिक्शनरी आफ अवार्डस आफ मनसब्स एंड अपाइंटमेंट्स इन दि मुगल इम्पायर (वाल्यूम-2)	फ्रांस	—	,, 4,406.50
10.	प्रो० जे० एस० ग्रेवाल	सिक्स आफ दि पंजाब	यू० के०	यू० एस० एंड 500	—
11.	डा० सैयद जमालुद्दीन	कल्चरल लिंकस बिटवीन सेंट्रल एशिया एंड इंडिया अंडर दि तिमुरिडस	यू० के०	यू० एस एंड 650	रु० 2,321/-
12.	डा० एम० पी० जोशी	हिस्ट्री एंड कल्चरल ऑफ उत्तराखंड एंड "ट्राइबल कोइन्स" आफ एंशियंट इंडिया	फ्रांस यू० के०	—	,, 4,406/-
13.	सुश्री रहिम पटनी	दि यूस आफ स्पाइसिस इन मिडीवियल फूड एंड इट्स रिलेशनशिप विद मिडीवियल मेडीसन	फ्रांस	—	,, 8,813/-

1	2	3	4	5	6
14.	प्रो० एम० आयर अली	मुगल इम्पायर-स्टडी आफ मैनुस्क्रिप्ट सोर्सेस	फ्रांस	—	रु० 8,824/-
15.	प्रो० बी० बी० चौधरी	रूरल प्रोटेस्ट मूवमेंट	फ्रांस	—	,, 10,013/-
16.	प्रो० इकतीदार आलम खान	टू स्टडी पर्शियन मैनुस्क्रिप्ट्स इन दि वेटीकन लाइब्रेरी	इटली	यू० एस० एंड 780	—
17.	डा० (सुश्री) अमिता रे	इंडियन स्कल्पचर्स रेन्जिंग फ्राम दि हडप्पन पीरियड टू दि 13 सेन्चुरी ए०डी०	फ्रांस यू० के० एफ० आर० जी०	—	,, 12,082/-
18.	श्री अमरजीवा लोचन	इंडियनाइलेशन इन थाईलैंड	थाईलैंड	—	" 7,000/-
19.	डा० माधवन के पालट	जारिस्ट रशियन इंपीरियलिज्म	फ्रांस	—	" 9,778/-
20.	डा० वी० एन० पुरी	टू कनसल्ट दि पेपर्स ऑफ चार्ल्स ब्रैंडलाग एंड अदर सेक्युलरिस्ट थिंकर्स	यू० के०	रु० 10,000/-	—
21.	प्रो० आर० एस० शर्मा	टू पार्टिसिपेट इन एल० पी० टेस्तीटोरी सेलीब्रेशन्स एट रोम एंड टू वर्क आन पासिटी ऑफ मेटल मनी इन सी० ए० डी० 500-सी० ए० डी० 1000 इन इंडिया इन दि यू० के०	इटली (सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अंतर्गत)	यू० एस० 910	—
22.	डा० दिलबाग सिंह	दि विलेज कम्युनिटीज इन राजस्थान एंड महाराष्ट्रा (1750-1850) ए कम्पेटेटिव स्टडी	यू० के०	यू० एस० एंड 910	—

1	2	3	4	5	6
23.	डा० एच० एस० वासुदेवन	(क) सोशल वेलफेयर एंड प्रोविन्शियल पालिटिक्स इन इम्पीरियल एशिया दि जमस्तवा आफ त्वेर प्रोविन्स 1881-1901 (ख) रशियन एग्रीकल्चर 1861-1197	यू० के०/ यू० एस० ए०	—	रु० 23,028/-
24.	श्री अल्परंजन बनर्जी	(क) मर्चेन्ट्स इन लेट इम्पीरियल एशिया 1897-1913	यू० के०	—	,, 11,563/-
25.	डा० उमा दास गुप्ता	रवीन्द्रनाथ टैगोर एडवर्ड थामसन कारेसपोंडेंस 1911-41	यू० के०	—	,, 9,302/-
26.	डा० आर० नाथ	टू स्टडी दि मुगल मानुमेंटस एट लाहौर	पाकिस्तान	रु० 9,148/-	,, 1,170/-
27.	डा० के० एन० पंडिता	दि हिस्ट्री आफ इंडिया-सेन्ट्रल एशियन रिलेशन्स	यू० के०	रु० 14,407.50	—
28.	डा० अनिरुद्ध रे	एटीन्थ सेन्चूरी कैम्बे (1725-1817)	यू० के०	—	रु० 12,821/-
29.	डा० टी० आर० सरीन	(क) वी हैव फाट टुगेदर (ख) हू इज हू आफ इण्डियन पैट्रिआटिक इक्साइल्स	यू० के०	यू० एस० एंड 448	—
30.	डा० अरुंधती विरमानी	(क) एन इगजामिनेशन आफ दि प्राब्लम आफ रीजनलिज्म इन फ्रांस अंडर दि फिफ्थ रिपब्लिक थ्रू दि रीजनल प्रेस (ख) दि इवोल्यूशन आफ कलेक्टिव कान्शसनेंस इन एन 1815-1848	यू० के०	—	रु० 10,091/-

मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आबंटित धनराशि

[हिन्दी]

6355. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग और वित्त विभाग ने सातवीं पंचवर्षीय योजना में आबंटित धनराशि में से ग्रामीण विकास विभाग को मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक केवल 100 करोड़ रुपया दिया है;

(ख) क्या सरकार का उक्त प्रयोजन के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में आबंटित शेष धनराशि देकर वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान मरुभूमि विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो किस तरीके से; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के पहले 4 वर्षों के दौरान मरुभूमि विकास कार्यक्रम के लिए 144·00 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं।

(ख) 1988-89 के दौरान कार्यक्रम के लिए आबंटित धनराशि 50 करोड़ रुपये थी। कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई निधियों का उपयोग करने हेतु राज्यों की क्षमता व समग्र संसाधन स्थिति को ध्यान में रखते हुए 1989-90 के लिए भी उतनी ही धनराशि आबंटित की गई है।

संस्कृत विद्वानों की विधवाओं को पेंशन

[अनुवाद]

6356. **डॉ० ए० के० पटेल** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 3,000/4,000 रुपये प्रतिवर्ष सरकारी पेंशन प्राप्त कर रहे संस्कृत विद्वानों की उन विधवाओं का ब्यौरा क्या है जिनके मामलों में उनके पतियों की मृत्यु के पश्चात भी पेंशन जारी रखने के लिए विचार किया जा रहा है;

(ख) ये मामले कब से विचाराधीन हैं; और

(ग) ऐसी विधवाओं को पेंशन मंजूर करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाये गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) अभावग्रस्त परिस्थितियों के अन्तर्गत रह रहे उन संस्कृत विद्वानों की विधवाओं के ब्यौरे जिनके पतियों को पहले स्वीकृत वित्तीय सहायता को जारी रखने पर विचा

किया जा रहा है, सभा पटल पर रखे गये विवरण में दिये गये हैं। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 7847/89]

(ख) वह तारीख जब से ऐसे मामले विचाराधीन हैं, उसे इस विवरण के कालम 5 में दिया गया है।

(ग) अनुदान प्राप्त करने वाले अध्येता के निधन पर पारित मानदंडों के अनुसार अनुदान की राशि संस्वीकृत अवधि की शेष अवधि के लिए अध्येता के निधन की तारीख से राज्य सरकार की सिफारिशों पर उसकी विधवा के नाम स्थानांतरित कर दी जाती है। आगामी अनुदान के लिए, यदि वह इसके लिए आवेदन करती है और पात्र पाई जाती है तो यह उसके नाम जारी रहता है।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन को आवर्ती और अनावर्ती अनुदान

6357. **श्री मानिक रेड्डी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के लिए विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1988-89 के दौरान स्वीकृत किए गए आवर्ती और अनावर्ती अनुदानों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) जिन विभिन्न अनुदानों की धनराशि उपयोग में नहीं लाई गई उनका ब्यौरा क्या है और इसके उपयोग न किये जाने के क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) 775.20 लाख रु० की राशि जिसे पिछले वर्ष से आगे ले जाने के लिए अनुमति प्रदान की गई थी, सहित 11663.00 लाख रु० की समेकित राशि वर्ष 1988-89 के दौरान संस्वीकृत की गई थी।

(ख) वित्त वर्ष, चूंकि अब समाप्त हो चुका है, इसलिए उनके उपयोग या अन्य बातों के संबंध में ब्यौरे अभी उपलब्ध नहीं हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 का निर्माण तथा मरम्मत

[हिन्दी]

6358. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जयपुर-भोपाल-जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण लेनों के दोहरी करण तथा मरम्मत-कार्य की प्रगति सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अत्यंत धीमी रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग पर विभिन्न निर्माण कार्यों के लिये कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई और अब तक वास्तव में कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(घ) क्या सरकार को इस संबंध में धीमी प्रगति और अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ङ) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 का यह खण्ड मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों से होकर गुजरता है। मध्य प्रदेश में संस्वीकृत निर्माण कार्यों की प्रगति संतोषप्रद है। राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 12 के राजस्थान वाले हिस्से में पहले निर्माण कार्य की प्रगति मुख्यतः ठेकेदार की असफलता, वन भूमि प्राप्त करने में उत्पन्न समस्याओं और सड़क पर अवैध रूप से खान से निकले कचरे को जमा किए जाने के कारण धीमी रही है। इस संबंध में प्राप्त शिकायतों को दूर किया गया और अब निर्माण कार्य संतोषप्रद ढंग से चल रहा है। विकास कार्यों के लिए सभी राष्ट्रीय राजमार्गों हेतु राज्यवार धनराशियां आबंटित की जाती हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान के संबंध में राज्य सरकारों की सूचना के अनुसार सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान आबंटित धनराशियां और अब तक खर्च की गई धनराशियां नीचे दी गई हैं :—

लाख रु० में

वर्ष	मध्य प्रदेश		राजस्थान	
	आबंटन	खर्च	आबंटन	खर्च
1985-86	1349.00	1364.41	788.00	791.42
1986-87	1600.00	1688.70	1051.40	1051.31
1987-88	1765.00	1697.52	1750.00	1799.74
1988-89	1800.00	866.16	1850.00	1282.87
	(जनवरी, 89 तक)		(फरवरी, 89 तक)	

प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम की उपलब्धता और उस पर किया गया खर्च

[अनुवाद]

6359. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम पर इसे लागू होने से अब तक, राज्यवार कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) इस कार्यक्रम के लिए, राज्यवार वास्तव में कुल कितनी धनराशि जारी की गई;

(ग) 31 दिसम्बर, 1988 तक राज्यवार राज्य सरकारों, और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों ने वास्तव में कुल कितनी धनराशि खर्च की;

(घ) इस कार्यक्रम के लागू होने से राज्यवार इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल कितने प्रौढों को साक्षर बनाया गया; और

(ङ) 31 दिसम्बर, 1988 तक, राज्यवार देश में निरक्षर प्रौढों की अनुमानित कुल संख्या क्या थी ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) से (ग) केन्द्रीय रूप से प्रायोजित प्रौढ शिक्षा योजनाओं के लिए निधियों का आवंटन योजनावार किया जाता है न कि राज्य वार। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को निधियां विद्यमान वित्तीय पद्धति के अन्तर्गत मानक परियोजना लागत के अनुसार जारी की जाती हैं। राज्यों/संघ शासित क्षेत्र द्वारा वास्तविक रूप से खर्च की गई और जारी की गई निधियों के विस्तृत ब्यौरे सभा पटल पर रखे गये विवरण में दिये गये हैं [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 7846/89**]।

(घ) और (ङ) अपेक्षित सूचना सभा पटल पर रखे गये विवरण में दी गई है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 7846/89**]

एक प्राथमिक स्कूल के पीछे औसत जनसंख्या

6360. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवीनतम आंकड़ों के अनुसार प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में तथा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग-अलग इस समय एक प्राथमिक स्कूल से औसतन कितनी जनसंख्या लाभ उठा रही है;

(ख) क्या चौथे और पांचवें अखिल भारतीय शिक्षा सर्वेक्षण के मध्य संपूर्ण देश में और विभिन्न राज्य क्षेत्रों में अलग-अलग एक प्राथमिक विद्यालय के पीछे औसत जनसंख्या में वृद्धि हुई है अथवा कमी;

(ग) क्या इसी अवधि में प्रति एक हजार जनसंख्या के पीछे प्राथमिक स्कूल भवनों तथा प्राथमिक स्कूल अध्यापकों की संख्या में वृद्धि हुई है अथवा कमी; और

(घ) क्या प्राथमिक शिक्षा अथवा सभी स्तरों की शिक्षा पर प्रतिव्यक्ति व्यय में वृद्धि हुई है अथवा कमी ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) पांचवें अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण (30 सितम्बर, 1986 की संदर्भ तारीख सहित) ने यह निर्दिष्ट किया कि पूरे देश में एक प्राइमरी स्कूल द्वारा औसतन 1481 लोग लाभान्वित हुए। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में एक प्राइमरी स्कूल द्वारा लाभान्वित औसतन लोगों की संख्या क्रमशः 1247 और 3565 थी। राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) चौथे अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण (30 सितम्बर, 1978 की संदर्भ तारीख सहित) के समय एक प्राइमरी स्कूल द्वारा लाभान्वित पूरे देश में औसतन जनसंख्या तथा पांचवें अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण (30 सितम्बर, 1986 की संदर्भ तारीख) के समय क्रमशः 1351 और 1481 थी। एक प्राइमरी स्कूल द्वारा लाभान्वित औसतन जनसंख्या में राज्य/संघ शासित क्षेत्र वार वृद्धि/कमी संलग्न विवरण-2 में दी गई है।

(ग) 30 सितम्बर, 1978 से 30 सितम्बर, 1986 तक की अवधि के दौरान आंशिक रूप से पक्के भवनों वाले प्राइमरी स्कूलों की संख्या में 61418 (12.95 प्रतिशत) से बढ़कर 85646 (16.18 प्रतिशत) तक की वृद्धि हुई, जबकि पक्के भवन वाले प्राइमरी स्कूलों की संख्या में 222861 (46.95 पतिशत) से बढ़कर 299474 (56.57 प्रतिशत) तक की वृद्धि हुई। इसी अवधि के दौरान, भवनों के बगैर स्कूलों अर्थात् छप्पर वाली झोपड़ियों, टेंटों अथवा खुले स्थानों में चल रहे स्कूलों, की संख्या में 89005 (18.75 प्रतिशत) से घटकर 71495 (13.50 प्रतिशत) तक की कमी हुई, जबकि कच्चे भवनों में चल रहे प्राइमरी स्कूलों की संख्या में 101352 (21.35 प्रतिशत) से घटकर 72777 (13.75 प्रतिशत) तक की कमी हुई। 1000 की जनसंख्या के अनुसार स्कूल भवनों के ऐसे ब्यौरे एकत्र नहीं किए जाते हैं। तथापि, जहां तक प्राइमरी स्कूल शिक्षकों की संख्या (1000 की जनसंख्या के अनुसार) का सम्बन्ध है, इसमें उसी अवधि के दौरान 2.01 से 1.95 तक की कमी हुई।

(घ) शिक्षा पर प्रति व्यक्ति व्यय जो वर्ष 1978-79 में 39.60 रु० था वह 1986-87 में 116.00 रु० तक बढ़ गया। प्राइमरी शिक्षा पर प्रति व्यक्ति व्यय में तदनुरूपी वृद्धि 17.52 रु० से 54.23 रु० तक हुई।

विवरण—1

पांचवे अखिल भारतीय शैक्षणिक सर्वेक्षण के दौरान प्राइमरी स्कूल द्वारा लाभान्वित राज्यवार औसत जनसंख्या

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	औसत लाभान्वित जनसंख्या		
		ग्रामीण	शहरी	कुल
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	1130	2964	1297
2.	अरुणाचल प्रदेश	734	2948	780
3.	असम	808	1307	840
4.	बिहार	1421	3743	1541
5.	गोवा	969	2948	1142

1	2	3	4	5
6.	गुजरात	2365	9776	3115
7.	हरियाणा	2643	7843	3111
8.	हिमाचल प्रदेश	674	2060	711
9.	जम्मू और काश्मीर	782	2528	911
10.	कर्नाटक	1427	6179	1838
11.	केरल	4412	6081	4581
12.	मध्य प्रदेश	799	2007	919
13.	महाराष्ट्र	1372	7424	2155
14.	मणिपुर	500	1231	596
15.	मेघालय	414	2401	477
16.	मिजोरम	522	928	595
17.	नागालैंड	716	3427	859
18.	उड़ीसा	800	1917	858
19.	पंजाब	1164	5042	1478
20.	राजस्थान	1254	2763	1417
21.	सिक्किम	669	31358	800
22.	तामिलनाडु	1379	5086	1813
23.	त्रिपुरा	1219	4567	1319
24.	उत्तर प्रदेश	1544	2440	1653
25.	पश्चिम बंगाल	1115	2104	1272
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1072	13560	1425
27.	चण्डीगढ़	5272	15840	13685
28.	दादरा और नागर हवेली	920	2628	961
29.	दमन और दीव	2334	4241	2811
30.	दिल्ली	1905	4804	4282
31.	लक्षद्वीप	1833	3896	2406

1	2	3	4	5
32.	पांडिचेरी	1525	3021	2059
	भारत	1247	3565	1481

विवरण—2

चौथे से पांचवे सर्वेक्षण तक प्राइमरी स्कूल द्वारा लाभान्वित औसत जनसंख्या में वृद्धि अथवा गिरावट की राज्यवार प्रतिशतता

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	चौथा सर्वेक्षण (30-9-1978)	पांचवा सर्वेक्षण (30-9-1986)	वृद्धि (+) गिरावट (—)
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	1246	1297	+ 4.1
2.	अरुणाचल प्रदेश	805	780	— 3.11
3.	असम	857	840	— 1.98
4.	बिहार	1281	1541	+20.30
5.	गोवा	1138	1142	N.A.*
6.	गुजरात	2868	3115	+ 8.61
7.	हरियाणा	2197	3111	+41.60
8.	हिमाचल प्रदेश	914	711	—22.21
9.	जम्मू और काश्मीर	839	911	+ 8.57
10.	कर्नाटक	1510	1838	+21.72
11.	केरल	4125	4581	+11.05
12.	मध्य प्रदेश	941	919	— 2.34
13.	महाराष्ट्र	1726	2155	+24.86
14.	मणिपुर	396	596	+50.51
15.	मेघालय	347	477	+37.46
16.	मिजोरम	874	595	—31.92
17.	नागालैंड	683	859	+23.77
18.	उड़ीसा	803	858	+ 6.85

1	2	3	4	5
19.	पंजाब	1148	1478	+28.74
20.	राजस्थान	1513	1417	— 6.35
21.	सिक्किम	816	800	— 1.96
22.	तमिलनाडु	1661	1813	+ 9.15
23.	त्रिपुरा	1247	1319	+ 5.77
24.	उत्तर प्रदेश	1486	1653	+11.24
25.	पश्चिम बंगाल	1246	1272	+ 2.09
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1056	1425	+34.94
27.	चण्डीगढ़	11282	13685	+21.30
28.	दादरा और नागर हवेली	724	961	+32.73
29.	दमन और द्वीप	—	2811	N.A *
30.	दिल्ली	3457	4282	+23.86
31.	लक्षद्वीप	2235	2406	+ 7.65
32.	पांडिचेरी	2011	2059	+ 2.39
	भारत	1351	1481	+ 9.62

*वर्ष 1978 में दमन और द्वीप, गोवा दमन और द्वीप संघशासित प्रदेश का एक भाग थे।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा उर्दू के ग्रंथों की खरीद

6361. **श्री राज कुमार राय** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् द्वारा विदेशों को उपहार स्वरूप प्रदान करने के प्रयोजन से किन-किन उर्दू ग्रन्थों की खरीद की गयी ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो०के०के० तिवारी) : भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् द्वारा वर्ष 1988-89 के दौरान विदेशों को उपहार स्वरूप भेजने के लिए जिन उर्दू पुस्तकों की खरीद की गयी, उनके नाम विवरण के रूप में संलग्न सूची में हैं। भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद द्वारा वर्ष 1986-87 और वर्ष 1987-88 के दौरान किसी भी उर्दू पुस्तक की खरीद नहीं की गयी।

विवरण

उर्दू पुस्तकों की सूची

क्र० सं०	पुस्तक का नाम
1	2
1.	खुतबात आजाद
2.	गुबारे खातिर
3.	ताजकिरा
4.	मौलाना आजाद के पासपोर्ट का खुफिया फाइल
5.	मौलाना अबुल कलाम आजाद
6.	हमारी आजादी
7.	उर्दू की तरक्की में मौलाना का हिस्सा
8.	शहीदे-आजम, तारीख-ए-करबला
9.	मौलाना आजाद, शख्सियत और कारनामे
10.	इन्तखाबे अल-हिलाल
11.	तारिक फातिहा और दुआ
12.	तखलीक-ए-तनकिद
13.	हरफे राज
14.	सच्चे बोल
15.	गोपाल मित्तल : फन और शख्सियत
16.	अजीज अहमद की नोवल निगारी
17.	प्रेम चन्द और तास नीफ-ए-प्रेम चन्द
18.	चन्द अदबी शख्सियत
19.	दस्तावेज
20.	जोश मलिहाबादी
21.	कोंकण के मुगन्नी
22.	डॉ० फजल-ए-इमाम
23.	हाफिज जालन्धरी शख्सियत और फन
24.	एन०एम० रशीद : शख्सियत और फन
25.	कोंकण के सपूत

1	2

26. एक टांग की गुड़िया
27. नया उर्दू अफसाना
28. पिंजड़े के पंछी
29. तेरे कुचे से हम निकले
30. अदब गजीदा
31. शहर में एक तहरीर
32. सलमा से दिल लगाकर
33. अदावत
34. शमशी-ओ-साना अव्वल
35. वेटिंग रूम
36. ऐसी बुलन्दी ऐसी पस्ती
37. सेल्यूलाइड की दुनिया
38. मेरा आंचल मेरा है
39. नजारा
40. बर्फ शाजर आवाज
41. नीला आकाश
42. सबजो ताजा निहालों के अम्बोह में
43. शरार-ए-नगमा
44. समुन्दर प्यासा है
45. तिष्ना लब
46. हरफी-मुसाबब
47. उदासी के पांच रूप
48. बड़गे अंतीश सवार
49. बांस के जंगलों से गुजरती रहवा
50. जाती हुई रूत
51. अद्धांगी के नाम
52. नवीष्ट दीवार
53. शेहरा की धूप

1	2
54.	नदी के पार का मंजर
55.	बिछुरे
56.	लहू के चिराग
57.	मीरारतुल मारफत
58.	फारमूदा
59.	मराठी रंग
60.	बेड़ियों वाला फकीर
61.	ब्रमारदाने रावी
62.	नयी रररियत
63.	दर्द का रिश्ता
64.	आखरी दिन
65.	अपने मरकज की तरफ
66.	उर्दू शायरी में इशारियत
67.	तन्जो मिजाह का तनकिदी जायजा
68.	खाली खाने
69.	उर्दू में तबील नज्म निगारी
70.	उर्दू नोवल और तकसिम-ए-हिन्द
71.	अजरा
72.	मुजफ्फर हनफी शख्सियत फन
73.	लाहौर का जो जिक्र किया
74.	कदम-कदम दोजख
75.	कर्मा वाली
76.	उर्दू कहावतें और उनका···
77.	बादल गरजे जमुना पार
78.	अनीस शाख्सियत और फन
79.	लहू तरंग
80.	छलनी छलनी सैबां
81.	शाहिर लुधियानवी इक मुताला

1	2

82. तलाशो तबीर
83. जदीद अदब कदीम अदब से
84. दूसरी किरण
85. सात समुन्दर का शहर
86. साहिल समुन्दर और सीप
87. तनकीद और मज्जासी तन्कीद
88. खुसरो का जमी सफर
89. फ़ैज अहमद फ़ैज इक तन्कीदी जायजा
90. आजादी के बाद की गजल का तलाफ़्फुज
91. अहवाल-ए-गालिब
92. उर्दू की तरक्की में मौलाना आजाद का हिस्सा
93. इकबाल कुछ मजामीन
94. उर्दू के इवतादायी नासो नुमा में
95. फ़िराक गोरखपुरी
96. हयात-महरूम
97. सिवली मुआनदाना तंकीदकी
98. सैयद सुलेमान नदवी
99. बहादुरशाह जफर
100. कवादे उर्दू
101. आईन्स्टाइन की कहानी
102. अल-अलफल-रंजूम
103. उर्दू-हिन्दी कोश
104. इंगलिश-उर्दू स्टेण्डर्ड डिक्शनरी
105. दीवाने गालिब
106. इकबाल के नसरी आफ़्कर
107. मजासीन-ए-पसुद
108. जवाब जिन्दगी और तत्तमा
109. चांद हम असर

1	2

110. सकरन का तन्कीद जायजा

111. सिल क्राइस्ट और उसका अहद

112. इन्तेखाब अख्तार अन्सारी

113. इन्तेखाब रिआकस

114. इन्तेखाब शमीन करहानी

115. इन्तेखाबे-फ़नी

116. इन्तेखाबे-युयन

117. इन्तेखाबे-फिसाक

118. इन्तेखाबे-फैज अहमद फैज

119. यादगार-ए-हाली

उर्दू विश्वविद्यालय का प्रस्ताव

6362. **श्री राज कुमार राय** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में दिल्ली में हुए उर्दू सम्मेलन से एक उर्दू विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) यह विश्वविद्यालय कब तक खोले जाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी०शाही) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के बालकों और बालिकाओं में खेलों को बढ़ावा देना

6363. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के बालकों और बालिकाओं में खेलों को बढ़ावा देने के लिए उपाय कर रही है;

(ख) क्या इस प्रयोजन हेतु विभिन्न राज्यों को केन्द्रीय सहायता दी जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान खेलों को बढ़ावा देने हेतु उड़ीसा राज्य को कितनी धनराशि दी गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) से (ग) सरकार की योजनाएं खेलों के सामान्य विकास के लिए है न कि विशेषतौर पर लोगों के किसी विशिष्ट समुदाय के लिए। भारतीय खेल प्राधिकरण (भा० खे० प्रा०) के अन्तर्गत विशेष क्षेत्र खेल योजना नामक एक योजना है, जिसके अन्तर्गत देश के आदिवासी, दूरस्थ और अगम्य क्षेत्रों में परम्परागत खेल प्रतिभाओं का पता लगाया जाता है तथा आधुनिक खेलों में प्रशिक्षित किया जाता है। अखिल भारतीय ग्रामीण खेल टूर्नामेंट, महिलाओं के लिए राष्ट्रीय खेल चैम्पियनशिप, खेल अवस्थापना के विकास के लिए राज्य खेल परिषदों को सहायता तथा भारतीय खेल प्राधिकरण की कुछ अन्य योजनाएं भी हैं जिनके अन्तर्गत उड़ीसा को गत तीन वर्षों के दौरान 132.86 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी दी गई थी।

हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड के अधिकारियों के विदेशों के दौरे

6364. **श्री अतीश चन्द सिन्हा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड के कुछ अधिकारियों ने गत दो वर्षों के दौरान विदेशों के दौरे किये हैं;

(ख) क्या इनके दौरे हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड के निदेशक बोर्ड द्वारा मंजूर किये गये थे; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार, सरकारी उपक्रमों के मुख्य कार्यपालकों तथा अंशकालिक व पूर्ण-कालिक बोर्ड-निदेशकों के विदेशी दौरों के लिए प्रशासनिक मंत्रालय के मंत्री की पूर्व सहमति लेना आवश्यक होता है। अन्य अधिकारियों के विदेशी दौरों के लिए, मुख्य कार्यपालक की पूर्व सहमति ही पर्याप्त होती है। कम्पनी निदेशक मंडल की सहमति लेने की नियमों में अपेक्षा नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय विद्यालयों में पाठ्येतर गतिविधियां

6365. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लगभग सभी केन्द्रीय विद्यालयों में बच्चों के व्यक्तित्व के बहुमुखी विकास के उद्देश्य से की जाने वाली पाठ्येत्तर गतिविधियों को महत्व नहीं दिया जाता है;

(ख) विभिन्न गतिविधियों को सुदृढ़ बनाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या पाठ्येत्तर गतिविधियों को प्रभावी बनाने हेतु कोई समयबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) से (ङ) जी, नहीं। प्रत्येक केन्द्रीय विद्यालय कला, विज्ञान, संस्कृति, साहित्यिक कार्यकलाप, खेलकूद, स्काउट तथा गाइड और पर्वतारोहण, ट्रेकिंग तथा राक-क्लाइम्बिंग जैसे अन्य साहसिक कार्यकलापों के क्षेत्रों में बच्चों के व्यक्तित्व के बहु-विमितीय विकास को सुनिश्चित करने को ध्यान में रखते हुए एक वार्षिक योजना बनाता है और उन्हें प्रभावी रूप से कार्यान्वित करता है। इन कार्यक्रमों की आवधिक रूप से समीक्षा भी की जाती है। इसके अतिरिक्त, वाद-विवाद, वाक्-प्रतियोगिताओं, युवा-संसद प्रतियोगिताओं, प्रदर्शनियो आदि जैसे कार्यक्रम भी केन्द्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयो द्वारा ऐसे कार्यकलापों को प्रोत्साहन देने के लिए आयोजित किए जाते हैं।

मत्स्य पालन का विकास

6366. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या परम्परागत समुद्री मत्स्य पालन को बढ़ावा देने मत्स्य पालन को प्रोत्साहित करने के लिये चालू वर्ष के दौरान कोई परियोजनायें शुरू की गई हैं जिससे अन्तर्देशीय मत्स्य पालन क्षेत्र में वृद्धि की जा सकें, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) झींगा मछली के अण्डों के उत्पादन और उनके पालन सम्बन्धी तकनीक में सुधार करने हेतु तटीय मत्स्यपालन परियोजना में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) मछली पालन में जैव अवशेष का उपयोग करने हेतु आरम्भ की गई प्रायोगिक परियोजना के क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) वर्ष 1989-90 के दौरान अन्तर्देशीय और समुद्री मत्स्य पालन में मत्स्य उत्पादन का कुल कितना-कितना लक्ष्य रखा गया है?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा सहायता प्राप्त झींगा मछली के अण्डों के उत्पादन और उनके पालन सम्बन्धी प्रौद्योगिकी सुधार तटवर्ती मत्स्यपालन परियोजना के अन्तर्गत, आसनगांव (महाराष्ट्र), पोय्या (केरल), पोलेकुरू (आन्ध्र प्रदेश) और आलमपुर (पश्चिम बंगाल)

नामक स्थानों पर 4 मार्गदर्शी झींगा फार्म तथा बेनोलीन (गोवा) नामक स्थान पर एक झींगा हैचरी निर्माण के विभिन्न स्तरों पर हैं।

(ग) मत्स्य पालन हेतु जैव-अपशिष्टों का उपयोग करने के लिए सरकार ने पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश राज्यों में, प्रत्येक में, 5-5 हैक्टेयर वाले जलमल पोषित दो मत्स्य फार्मों की स्थापना करने की मंजूरी दे दी है। राज्य सरकारों ने इन फार्मों के निर्माण के लिए तैयारकिए गए विस्तृत प्लान और डिजाइन को पहले ही अन्तिम रूप दे दिया है।

(घ) वर्ष 1989-90 के अन्तर्देशीय मात्स्यिकी के सम्बन्ध में मत्स्य उत्पादन का लक्ष्य 14.60 लाख मी० टन और समुद्री मात्स्यिकी के सम्बन्ध में 17.90 लाख मी० टन है और कुल उत्पादन लक्ष्य 32.50 लाख मी० टन है।

प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों को केन्द्रीय सहायता

6367. **श्री सी० जंगा रेड्डी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान प्राकृतिक आपदाओं से हुई बर्बादी से निपटने के लिए राहत उपायों हेतु विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा कितनी मांग की गई है;

(ख) केन्द्रीय दल द्वारा प्रत्येक राज्य के लिए कितने धनराशि की सिफारिश की गई है;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य को किस आधार पर कितनी धनराशि मंजूर की गई है;

(घ) वास्तव में कितनी धनराशि दी गई है और उसके उपयोग की दर क्या है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में क्या मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) से (ङ) चालू वर्ष 1989-90 के दौरान किसी भी राज्य सरकार अथवा केन्द्रशासित प्रदेश से ऐसा कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है जिसमें प्राकृतिक आपदाओं के फलस्वरूप राहत कार्य शुरू करने के लिए केन्द्रीय सहायता मांगी गई हो।

सागर (मध्य प्रदेश) में खेलकूद परिसर

[हिन्दी]

6368. **श्री नन्द लाल चौधरी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के सागर जिले में खेलकूद परिसर योजना के अन्तर्गत किस प्रकार का निर्माण कार्य आरम्भ करने का विचार है; और

(ख) इनमें से प्रत्येक योजना के लिए, अलग-अलग कितनी धनराशि उपलब्ध कराने का विचार है तथा इन पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश सरकार ने लगभग 81 लाख रुपये की अनुमानित लागत से सागर (मध्य प्रदेश) में खेल परिसर के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता हेतु केन्द्रीय सरकार से सम्पर्क किया। 15 लाख रु० की केन्द्रीय सहायता स्वीकृत की गई है। जिसमें से 7.50 लाख रुपए दिए गए हैं। शेष राशि मध्य प्रदेश सरकार से उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर दी जायेगी। इसकी प्रतीक्षा है।

छोटे और सीमांत किसान की परिभाषा

[अनुवाद]

6369. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "छोटे और सीमांत किसान" की परिभाषा प्रत्येक राज्य में अलग-अलग है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सिंचित भूमि, वर्षा पर निर्भर रहने वाली भूमि और मरूभूमि सभी के सम्बन्ध में छोटे और सीमांत किसान माने जाने का आधार एक ही है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) समन्वित ग्रामीण कार्यक्रम के अन्तर्गत, छोटे तथा सीमान्त किसानों की परिभाषा सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम (डी० पी० ए० पी०) तथा मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी० डी० पी०) के अन्तर्गत कवर किए गए क्षेत्रों को छोड़कर सभी राज्यों में समान है।

एक हैक्टेयर तक की असिंचित भूमि रखने वाला किसान सीमान्त किसान होता है और एक से अधिक तथा दो हैक्टेयर तक की भूमि जोतों वाला किसान लघु किसान होता है। जैसाकि राज्य के भूमि की अधिकतम सीमा कानून में परिभाषित किया गया है, श्रेणी I की सिंचित भूमि के लिए अधिकतम सीमा सीमान्त किसान के लिए 0.5 हैक्टेयर अथवा उससे कम और छोटे किसान के लिए 0.5 हैक्टेयर से अधिक लेकिन 1 हैक्टेयर तक है। श्रेणी I की किस्म की भूमि के अलावा अन्य सिंचित भूमि के लिए एक उपयुक्त परिवर्तनीय अनुपात लागू होगा जैसाकि राज्य सरकार द्वारा असिंचित भूमि की समग्र अधिकतम सीमा के भीतर अपनाया जाता है।

छोटे तथा सीमान्त किसान के लिए सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम/मरूभूमि विकास कार्यक्रम वाले क्षेत्रों के लिए भूमि की सीमाएं संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम/मरूभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत छोटे तथा सीमान्त किसानों की पहचान के लिए भूमि जोतों की सीमाएं

(हैक्टेयर में)

राज्य	जिला	छोटे किसान		सीमान्त किसान	
		सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित
1	2	3	4	5	6
आन्ध्र प्रदेश	अनन्तपुर, चित्तूर, कुरनूल, महबूबनगर, नालगोंडा, प्रकाशम, तथा कुडप्पा	1.50	3.00	0.75	1.50
बिहार	पलामू, मुंगेर, नवादा तथा रोहतास	1.00	2.00	0.50	1.00
गुजरात	(क) शुष्क क्षेत्र				
	कच्छ, बनसंकाठा तथा मेहसाना	1.50	7.00	0.75	3.50
	(ख) अर्द्ध-शुष्क क्षेत्र				
	सुरेन्द्रनगर, राजकोट, जामनगर, अमरेली, पंचमहल				
	भावनगर तथा अहमदाबाद	1.50	3.00	0.75	1.50
हरियाणा	महेन्द्रगढ़, भिवानी तथा रोहतक	1.50	7.00	0.75	3.50
जम्मू व कश्मीर	डोडा तथा उधमपुर के भाग	1.50	3.00	6.75	1.50
कर्नाटक	बीजापुर, बेलगाम, धारवाड़, चित्रदुर्ग, रायचूर, बेल्लारी, तुमकुर, चिकमगलूर, कोलार तथा गुलबर्गा	1.50	3.00	0.75	1.50

1	2	3	4	5	6
मध्य प्रदेश	झबुआ, धार, सिधी, बेतूल, खारगोन तथा शहडोल	1.00	2.00	0.50	1.00
महाराष्ट्र	नासिक, अहमदनगर, पुणे, सतारा, सांगली तथा शोलापुर	1.50	3.00	0.75	1.50
उड़ीसा	फूलबनी, तथा कालाहांडी	1.00	2.00	0.50	1.00
राजस्थान	(क) शुष्क क्षेत्र	1.50	10.00	0.75	5.00
	जैसलमेर तथा बाड़मेर				
	बीकानेर, नागौर, जालौर, पाली, चुरू तथा जोधपुर	1.50	7.00	0.75	3.50
	(ख) अर्द्ध-शुष्क क्षेत्र				
	झुनझुनू, अजमेर, डूंगरपुर, उदयपुर तथा बांसवाड़ा	1.50	3.00	0.75	1.50
तमिलनाडु	रामानाथापुरम तथा धरमपुरी	1.00	2.00	0.50	1.00
उत्तर प्रदेश	मिर्जापुर, वाराणसी, इलाहाबाद, जालौन बांदा तथा हमीरपुर	1.00	2.00	0.50	1.00
पश्चिम बंगाल	पुरलिया, बांकुरा तथा मिदनापुर	1.00	2.00	0.50	1.00

खेल कूद विद्यालय

6370. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन स्थानों पर खेल-कूद विद्यालय चलाये जा रहे हैं तथा इन विद्यालयों में दिये जा रहे प्रशिक्षण का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या निकट भविष्य में देश में और अधिक संख्या में खेलकूद विद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) से (ग) भारत सरकार ने देश में कोई खेल स्कूल स्थापित नहीं किया है लेकिन भा०खे०प्रा० ने 8 खेल विषयों के लिए एम०एस०टी०सी० योजना के अन्तर्गत चुने गए 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 65 स्कूलों को अपनाया है। अगली योजनावधि के दौरान खेल स्कूलों की स्थापना के लिए विस्तृत योजना तैयार करने के लिए हाल ही में इस विभाग द्वारा एक कार्य समूह गठित किया गया है।

दिल्ली परिवहन निगम के अन्तर्गत प्राइवेट बसें चलाना

6371. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली परिवहन निगम के अन्तर्गत कुल कितनी प्राइवेट बसें चल रही हैं;

(ख) दिल्ली परिवहन निगम के अन्तर्गत अपनी बसें चलाने वाले प्राइवेट बसों के मालिकों के साथ इस समय की गई व्यवस्था का ब्यौरा क्या है तथा पास धारकों द्वारा यात्रा के बदले प्रति-दिन उन्हें कितनी धन-राशि का भुगतान किया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार को यह पता है कि प्राइवेट बसों के मालिक दिल्ली परिवहन निगम के अधिकारियों के साथ सांठगांठ करके छुट्टियों के दिन बसों की सेवाएं सीमित कर देते हैं जिसके कारण दैनिक यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ता है; और

(घ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) 4-4-89 को 788।

(ख) दिल्ली परिवहन निगम में प्राइवेट बसें "कमाओ और रखो" आधार पर चल रही है, जहां एक प्रचालक अपना चालाक दल सुलभ कराता है और प्रतिदिन अर्जित राशि अपने पास रखता है। पास धारकों को बस में यात्रा कराने के लिए दिल्ली परिवहन निगम प्राइवेट प्रचालकों को शैक्षिक सत्र (10 महीने—जुलाई से अप्रैल तक) के दौरान 86.50 रु० प्रति बस प्रतिदिन की

दर पर और छुट्टी की अवधि (2 महीने—मई और जून) के दौरान 72.62 रु० प्रति बस प्रतिदिन की दर पर भुगतान करता है।

(ग) और (घ) दिल्ली परिवहन निगम ने सूचित किया है कि ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है और यह कि ऐसे निर्देश हैं कि प्राइवेट प्रचालक शिड्यूल में दिए गए सभी ट्रिप चलाएं। जहां कहीं कोई अनियमितता पाई जाती है, बस मालिक के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाती है। दोषी पाये जाने वालों पर नकद जुर्माने भी किए जाते हैं।

इसके अलावा, जब निगम को प्राइवेट प्रचालक से अपनी बस न चलाए जाने की पूर्व सूचना मिल जाती है तो दिल्ली परिवहन निगम यात्रियों की सुविधा के लिए प्रचालन संबंधी बातों को देखते हुए उक्त रूट पर अपनी बसें लगा देता है।

हीरों का उत्पादन

6372. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हीरों का उत्पादन करने वाले राज्यों के नाम क्या हैं;

(ख) खानों से हीरे निकालने के कार्य में लगे कामगारों की संख्या क्या है; और

(ग) देश में प्रतिवर्ष उत्पादित हीरों और उनके मूल्य का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) हीरे का खनन मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में किया जाता है।

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) 1986 से 1988 के दौरान हीरे के उत्पादन और मूल्य विवरण इस प्रकार हैं।

वर्ष	खानों की संख्या	कुल (मात्रा कैरेट में)	मूल्य (हजार रु० में)
1986	2	16116	25222
1987	2	16484	35179
1988	2	14362	41047

वर्ष 1988-89 में एल्यूमिनियम का उत्पादन

6373. **श्री एच०ए० डोरा** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष के एल्यूमिनियम के उत्पादन की तुलना में अप्रैल, 1988 से फरवरी, 1989 की अवधि के दौरान सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों के एल्यूमिनियम संयंत्रों में एल्यूमिनियम के उत्पादन में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) जी, हां।

(ख) अप्रैल, 1988 से फरवरी, 1989 और गत वर्ष (1987-88) की समान अवधि में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों के सभी संयंत्रों से एल्यूमिनियम धातु का उत्पादन इस प्रकार रहा :—

टनों में

	अप्रैल, 1987 फरवरी, 1988	अप्रैल, 1988 फरवरी, 1989
सहकारी क्षेत्र		
भारत एल्यूमिनियम कंपनी लि० (बाल्को)	82,629	85,151
नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लि० (नाल्को)	20,313	69,523
(निर्माणाधीन)		
गैर-सरकारी क्षेत्र		
इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लि० (इंडाल)	27,500	43,654
हिन्दुस्तान एल्यूमिनियम कार्पोरेशन लि०	111,136	113,414
(हिन्डाल्को)		
मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लि० (माल्को)	7,941	9,592
जोड़ :	249,519	321,334

कृषि क्षेत्र में क्यूबा के साथ सहयोग

6374. **श्री एच०ए० डोरा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और क्यूबा के बीच हाल ही में कोई समझौता हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री) : (क) जी हां, दिनांक 20-3-1989 को कृषि अनुसंधान में 1989-90 तथा 1990-91 के लिए एक कार्ययोजना पर हस्ताक्षर हुए हैं बशर्ते कि इसकी भारत सरकार और क्यूबा सरकार द्वारा पुष्टि कर दी जाए।

(ख) कार्ययोजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं।

1. तकनीकी सहयोग :

(1) पशु-विज्ञान, गन्ना प्रजनन तथा रोग नियन्त्रण, जलजंतु पालन, मछली पोषण, और रोगों में भारत में क्यूबा के वैज्ञानिकों का प्रशिक्षण ।

(2) गन्ने के रोगों के नियन्त्रण, चारा और मुर्गा प्रजनन के क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान के उद्देश्य से क्यूबा में भारतीय वैज्ञानिकों का दौरा ।

2. जैविक सामग्रियों का आदान-प्रदान :

भारत से क्यूबा—चावल, आम की विभिन्न किस्में, फलों तथा चारों की विभिन्न किस्में ।

क्यूबा से भारत—चरागाह एवं चारे तथा कीट व्याधियों पर अध्ययन ।

3. वैज्ञानिक तथा तकनीकी सूचना का आदान-प्रदान :

पशु-विज्ञान, उष्णकटिबन्धी फलों, मृदा विज्ञान, तम्बाकू, पीड़कों का जैविक नियन्त्रण, जल-जंतु-पालन, उर्वरकों संबंधी सूचना ।

श्रीलंका के पूर्वोत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की भारत-यात्रा

6375. **श्री एच०ए० डोरा** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या श्रीलंका के पूर्वोत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हाल ही में भारत की यात्रा पर आए थे; और

(ख) यदि हां, तो उनके साथ हुई बातचीत का क्या परिणाम रहा है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी, हां ।

(क) मुख्यमंत्री ने भारतीय नेताओं से शिष्टाचार के नाते मुलाकात की और उन्हें उत्तर-पूर्वी प्रान्त की स्थिति और विशेष रूप से पुनर्वास और पुनर्निर्माण के क्षेत्र में प्रान्तीय सरकार के समक्ष जो मुख्य कार्य हैं, उनके बारे में अवगत कराया ।

भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा रेलों का निर्माण

6376. **श्री एच०ए० डोरा** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई इस्पात संयंत्र ने आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान रेल मंत्रालय से रेलों के विनिर्माण के लिये पर्याप्त कार्यादेश स्वीकार किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री एस० एल० फोतेदार) : (क) और (ख) जी, हां ।

भिलाई इस्पात संयंत्र ने रेलवे से प्राप्त वायदे के आधार पर वर्ष 1989-90 के लिए 4.25 लाख टन रेल की सप्लाई करने की योजना बनाई है । इस वायदे के अनुसार "सेल" ने अब तक रेलवे से 2.988 लाख टन की थोक मांगपत्र प्राप्त की है ।

सीमा के मामले पर भारत-चीन वार्ता

6377. **श्री टी० बशीर** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-चीन के बीच सीमा के मसले पर बातचीत का अगला दौर कब होगा;

(ख) क्या उक्त बैठक के लिए कोई ठोस प्रस्ताव किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) सीमा के प्रश्न पर गठित संयुक्त कार्यदल की बैठक भारत और चीन की सरकारों को परस्पर सुविधाजनक समय पर होगी ।

(ख) और (ग) दोनों ही सरकारें चाहती हैं कि शान्तिपूर्ण और मैत्रीपूर्ण परामर्श के जरिए सीमा संबंधी मसले का उचित, समुचित और परस्पर स्वीकार्य समाधान निकले ।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा रेखाचित्रों के संग्रह प्रकाशित करना

6378. **श्री राजकुमार राय** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने भारत के विख्यात कलाकारों के रेखाचित्रों के संग्रह किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इनके मुद्रण पर कितना व्यय किया गया है और प्रत्येक संग्रह का मूल्य क्या है;

(घ) इनकी कितनी प्रतियां प्रकाशित की गई हैं;

(ङ) क्या नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय के निदेशक ने रेखाचित्रों और उनके मुद्रण स्तर की आलोचना की है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० के०के० तिवारी) : (क) जी, हां ।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ग) भिन्न-भिन्न 15 पोर्टफोलियो की 250-250 प्रतियां छपवाने में कुल मिलाकर 2,45,000 /- रुपये खर्च हुए थे । पोर्टफोलियो की प्रत्येक कापी पर 66 रुपये/- (लगभग) की लागत आई थी ।

(घ) उक्त "ख" में उल्लिखित विवरण में बताया गया है ।

(ङ) और (च) राष्ट्रीय संग्रहालय के महानिदेशक ने यह सुझाव दिया है कि यह निश्चित करने के लिए संबद्ध कलाकारों के विचार मांगे जाएं कि क्या सेरीग्राफों में उनके चित्रों की कलात्मक सौन्दर्य की पर्याप्त रक्षा हो पाई है । परन्तु किसी भी कलाकार ने, जिन्हें उनकी ही कला के रेखा-चित्रों की 25 प्रतियां दी गई थीं, चित्रों और प्रिंटिंग की कलात्मकता के विषय में बुराई नहीं की है ।

विवरण

(चित्र पोर्टफोलियो की सूची)

(प्रत्येक पोर्टफोलियों की प्रकाशित प्रतियां-250)

1. पोर्टफोलियो सं० 1 भेंट की गई प्रतियों की संख्या—249

भारतीय शास्त्रीय संगीत तथा नृत्य के विषय में के०के० हब्बर कृत 5 रेखाचित्रों के सेरीग्राफ प्रिन्ट।

2. पोर्टफोलियो सं० 2 भेंट की गई प्रतियों की संख्या—246

आबू अब्राहम कृत 5 रेखाचित्रों के सेरीग्राफ प्रिन्ट।

3. पोर्टफोलियो सं० 3 भेंट की गई प्रतियों की संख्या—250

अंगकोर वात कम्पूचिया की मूर्तिकलाओं के के०के० हब्बर कृत 5 रेखाचित्रों के सेरीग्राफ प्रिन्ट।

4. पोर्टफोलियो सं० 4 भेंट की गई प्रतियों की संख्या—246

प्रफुल्ल मोहन्ती कृत 5 रेखाचित्रों के सेरीग्राफ प्रिन्ट।

5. पोर्टफोलियो सं० 5 भेंट की गई प्रतियों की संख्या—248

इन्डोनेशिया की मूर्तिकलाओं की के०के० हब्बर कृत 5 रेखाचित्रों के सेरीग्राफ प्रिन्ट।

6. पोर्टफोलियो सं० 6 भेंट की गई प्रतियों की संख्या—247

घनराज भगत (20-12-1917—26-2-1988) कृत 5 रेखाचित्रों के सेरीग्राफ प्रिन्ट।

7. पोर्टफोलियो सं० 7 भेंट की गई प्रतियों की संख्या—249

कम्पूचिया की नृत्य नाटिका के दृश्यों के के०के० हब्बर कृत 5 रेखाचित्रों के सेरीग्राफ प्रिन्ट।

8. पोर्टफोलियो सं० 8 भेंट की गई प्रतियों की संख्या—249

उड़ीसा के मन्दिरों में मूर्तिकला के घनराज भगत कृत 5 रेखाचित्रों के सेरीग्राफ प्रिन्ट।

9. पोर्टफोलियो सं० 9 भेंट की गई प्रतियों की संख्या—246

उड़ीसा के मन्दिरों में मूर्तिकला के घनराज भगत कृत 5 रेखाचित्रों के सेरीग्राफ प्रिन्ट।

10. पोर्टफोलियो सं० 10 भेंट की गई प्रतियों की संख्या—230

रामचन्द्रन कृत 5 रेखाचित्रों के सेरीग्राफ प्रिन्ट।

11. पोर्टफोलियो सं० 11 भेंट की गई प्रतियों की संख्या—231

कृष्ण खन्ना कृत 5 रेखाचित्रों के सेरीग्राफ प्रिन्ट।

12. पोर्टफोलियो सं० 12 भेंट की गई प्रतियों की संख्या—231
अतीन दास कृत 5 रेखाचित्रों के सेरीग्राफ प्रिन्ट ।

13. पोर्टफोलियो सं० 13 भेंट की गई प्रतियों की संख्या – 231
सतीश गुजराल कृत 5 रेखाचित्रों के सेरीग्राफ प्रिन्ट ।

14. पोर्टफोलियो सं० 14 भेंट की गई प्रतियों की संख्या—228
सरोज पाल गोगी कृत 5 रेखाचित्रों के सेरीग्राफ प्रिन्ट ।

15. पोर्टफोलियो सं० 15 भेंट की गई प्रतियों की संख्या—230
वेद मोंयर कृत 5 रेखाचित्रों के सेरीग्राफ प्रिन्ट ।

गांवों को सड़कों से जोड़ना

[हिन्दी]

6379. श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से ऐसे गांवों को सड़कों से जोड़ने के बारे में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है, जहां पर 80 प्रतिशत से अधिक व्यक्ति अनुसूचित जाति के रहते हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसे मंजूरी देने अथवा विशेष सहायता देने हेतु कोई कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोआपरेटिव्स लि० द्वारा आरम्भ की गई ग्रामीण विकास परियोजनाएं

[अनुवाद]

6380. श्री पी० एम० सईद : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोआपरेटिवस लि० ने ग्रामीण विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रम तैयार किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन आरम्भ किया जा चुका है; और

(घ) यदि हां, तो इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत किन-किन राज्यों को शामिल किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० प्रभु) : (क) और (ख) जी, हां । इंडियन फारमर्स फर्टिलाईजर्स कोआपरेटिव लि० द्वारा आरम्भ किए गए मुख्य कार्यक्रम फसल

प्रदर्शन, फसल सेमिनार, कृषि प्रचार, ग्राम अपनाना, कबायली क्षेत्र तथा भूमि समस्या वाले क्षेत्रों में सूखी भूमि कृषि विशेष परियोजनाएं, फार्म यांत्रिकी, कृषक समुदायिक केन्द्र आदि हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत निम्नलिखित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र आते हैं।

1. राज्य

1. आन्ध्र प्रदेश	2. कर्नाटक
3. केरल	4. तामिलनाडु
5. मध्य प्रदेश	6. महाराष्ट्र
7. गुजरात	8. राजस्थान
9. हरियाणा	10. पंजाब
11. हिमाचल प्रदेश	12. उत्तर प्रदेश
13. जम्मू और कश्मीर	14. बिहार
15. उड़िसा	16. पश्चिम बंगाल
17. आसाम	18. गोआ

2. संघ राज्य क्षेत्र

1. दिल्ली	2. चण्डीगढ़	3. पांडीचेरी

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का अन्य राष्ट्रीय मंडलीय देशों के साथ प्रबन्ध

6381. **श्री पी० एम० सईद** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अन्य राष्ट्रमंडलीय देशों के परामर्श से किसी व्यवस्था को अन्तिम रूप दे रही है जिससे वहां रहने वाले भारतीय छात्रों के लिए कई अध्ययन कार्यक्रम उपलब्ध हो सकें;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्र मंडल विश्वविद्यालय के गवर्नरों के बोर्ड के द्वितीय सम्मेलन में इस संबंध में की गई बातचीत का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एस० पी० शाही) : (क) राष्ट्रमंडल देशों की सरकारों की पहल पर, राष्ट्रमंडल देशों में सुदूर शिक्षा में सहयोग को प्रोन्नत करने के लिए "दि कामनवेल्थ ऑफ लर्निन्ग" नामक एक एजेन्सी स्थापित की जा रही है। कामनवेल्थ ऑफ लर्निन्ग का एक प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रमंडल देशों में कहीं पर भी

स्थापित सुदूर शिक्षा संस्थाओं द्वारा प्रदत्त पाठ्यक्रम तथा कार्यक्रम तैयार करके उनके कार्यक्रमों की सीमा का विस्तार करने के लिए सुदूर शिक्षा संस्थाओं को सहायता प्रदान करना है। अब तक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय और कामनवेल्थ ऑफ लर्निन्ग के बीच संस्थागत सहयोग के कार्यक्रमों पर कोई विचार-विमर्श नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) कामनवेल्थ ऑफ लर्निन्ग ने गत लगभग 2 महीने से ही कार्य करना शुरू किया है। कामनवेल्थ ऑफ लर्निन्ग के गवर्नर बोर्ड की दूसरी बैठक नई दिल्ली में 20-21 मार्च, 1989 को आयोजित की गई थी। बैठक की समाप्ति पर जारी किये गये सूचना-पत्र के अनुसार खाडी निकाय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रस्तावों/योजनाओं पर विचार किया :—

(1) उन तरीकों का पता लगाने के लिए, जिनसे कामनवेल्थ ऑफ लर्निन्ग उन संस्थाओं की क्षमता को सुदृढ़ करने में सहयोग कर सके, भारत में सुदूर शिक्षा संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक।

(2) कोई डिप्लोमा अथवा मास्टर डिग्री प्रदान करने वाली सुदूर शिक्षा पद्धति से संबंधित पाठ्यक्रम शुरू करने अथवा उसे अपनाने के लिए विकास योजनाओं पर चार राष्ट्र-मंडल संस्थाओं, अर्थात् डीकन विश्वविद्यालय, आस्ट्रेलिया, इन्टरनेशनल एक्सटेंशन कालेज, ब्रिटेन, दि ओपन लर्निन्ग ऐजेन्सी, कनाडा तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय भारत के बीच समन्वय। (इदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय सुदूर शिक्षा में डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रदान कर रहा है)।

(3) सुदूर शिक्षा कार्यक्रमों तथा कृषि और ग्रामीण विकास में सेवाओं के सहकारी विकास के लिए एक नीति तैयार करने के वास्ते बंगलादेश, भारत तथा श्रीलंका के प्रतिनिधियों की एक बैठक आयोजित करना।

(4) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय को इसके क्षेत्रीय केन्द्रों के साथ संचार सेवाओं में सुधार करने के लिए उपस्कर (फैक्स मशीनों) की व्यवस्था।

सोवियत संघ से कच्चे लोहे का आयात

6382. **श्री प्रताप राव बी० भोसले** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सोवियत संघ से बड़ी मात्रा में कच्चे लोहे का आयात करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री ए म० एल० फोतेदार) : (क) और (ख) मैटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन, कलकत्ता ने वर्ष 1989 के दौरान 2 लाख टन आधारभूत अपष्कोटि का कच्चा लोहा प्राप्त करने के लिए सोवियत संघ की मैसर्स प्रोमसाइरियोडग्पोर्ट के साथ एक ससझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

कार्यात्मक साक्षरता परियोजनाएं

6383. **डा० फूलरेणु गुहा** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने विभिन्न राज्यों के लिये 31 दिसम्बर, 1988 तक कार्यात्मक साक्षरता संबंधी कितनी परियोजनाएं स्वीकृत की हैं; और

(ख) इन परियोजनाओं का लाभ कितने लोगों को प्राप्त होगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एस० पी० छाहो) : (क) 31 दिसम्बर, 1988 की स्थिति के अनुसार सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के लिए 513 ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजनाएं संस्वीकृत की गई थीं।

(ख) इन परियोजनाओं से प्रति वर्ष राज्य/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा 15-35 आयु वर्ग के 41 लाख प्रौढ़ निरक्षरों को शामिल करने की सम्भावना है।

पत्तन और गोदी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल का आह्वान

6384. **श्री जी० एस० वासवराजु** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पत्तन और गोदी कर्मचारियों द्वारा 17 अप्रैल, 1989 से अनिश्चित काल के लिए हड़ताल करने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों की मुख्य मांगें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार इन मांगों पर विचार करने के लिए सहमत हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (घ) महा-पत्तन न्यासों में पत्तन और गोदी श्रमिकों ने 17-4-1989 से हड़ताल कर दी है। मांग पत्र में 1-1-1988 से वेतन संशोधन और सेवा शर्तों में सुधार शामिल हैं। हड़ताल का आह्वान करने से पहले यह मांग पत्र नियोक्ताओं और श्रमिकों की द्विपक्षीय समिति के विचाराधीन था।

फास्फोटिक उर्वरक संयंत्र का बंद किया जाना

6385. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ सप्ताह से देश में डाई-अमोनियम फास्फेट निर्मित करने वाले उर्वरक संयंत्र इसलिये बंद कर दिये गये हैं क्योंकि उनका मंत्रालय फास्फोटिक एसिड, जो एक प्रमुख कच्चा माल है, के समझौता मूल्य को स्वीकृत करने में असफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण उत्पादन की अनुमानत: कितनी हानि हुई है;

(ग) क्या इस कारण से डाई-अमोनियम फास्फेट का उत्पादन कम होने के परिणामस्वरूप इस वर्ष बाद में इसका भारी मात्रा में आयात करने से बहुत अधिक विदेशी मुद्रा व्यय करनी होगी; और

(घ) वर्तमान स्थिति से निपटने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० प्रभु) : (क) पूर्णतः आयातित फास्फोरिक एसिड पर निर्भर संयंत्र आंशिक रूप से या पूर्णतः बन्द कर दिये गए हैं, क्योंकि परम्परागत आपूर्तिकर्ताओं के साथ करार नहीं किये जा सके। तथापि, आई० सी० एस० सेनेगल से आपूर्तियां जारी है।

(ख) यदि आयातित फास्फोरिक एसिड की अतिरिक्त मात्राएं उपलब्ध होती तो उर्वरक संयंत्र पी$_2$ ओ$_5$ के रूप में 2·79 लाख टन अतिरिक्त फास्फेटिक उर्वरक उत्पादित कर सकते थे।

(ग) और (घ) 1988-89 के लिए फास्फोटिक उर्वरकों के स्वदेशी उत्पादन का लक्ष्य पूर्णतः प्राप्त कर लिया गया है। यदि 1989-90 के दौरान स्वदेशी डी० ए० पी० प्रत्याशित लक्ष्य से कम पड़ता है तो डी० ए० पी० के अतिरिक्त आयात की व्यवस्था की जाएगी जोकि मांग की वास्तविकता पर निर्भर करेगा। विदेशी मुद्रा के बहिर्गमन में कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ेगा।

आंध्र प्रदेश के खम्माम जिले में पलवांचा में कच्चे लोहे का संयंत्र स्थापित करना

6386. **श्री टी० बाल गौड़** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के खम्माम जिले में पलवांचा नामक स्थान पर कच्चे लोहे का संयंत्र स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) और (ख) सरकार ने हाल ही में प्रतिवर्ष 45,000 टन निम्न फासफोरस कच्चे लोहे के निर्माण के लिए आन्ध्र प्रदेश के खम्मम जिले में पालोंचा स्थित अपने संयंत्र में स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड द्वारा हाथ में ली गई परियोजना को मंजूरी दे दी है। परियोजना की अनुमानित लागत 16.20 करोड़ रुपये हैं और इस परियोजना के वर्ष 1991 के अन्त तक पूरा हो जाने की आशा है।

गैर-उपजाऊ भूमि

6387. **श्री टी० बाल गौड़** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेड़ों की कटाई और भूरक्षण के कारण कुल कितने हेक्टेयर भूमि पूर्णतः अनुपजाऊ घोषित की गई है;

(ख) पानी के जमाव और लवणता से कुल कितना भू-क्षेत्र प्रभावित है;

(ग) सरकार ने इस अनुपजाऊ भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिये क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) उक्त प्रयोजन के लिये सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) विभिन्न अनुमान, जिसमें राष्ट्रीय कृषि आयोग, पिछड़े क्षेत्रों के विकास की राष्ट्रीय समिति, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग, झूम खेती सम्बन्धी कृतक बल और भूमि उपयोग सम्बन्धी आंकड़े (1981-82) दर्शाते हैं कि करीब 1730 लाख हेक्टेयर क्षेत्र विभिन्न प्रकार के मृदा-क्षरण और भूमि अवक्रमण से प्रभावित है। तथापि, व्यापक और विनिर्दिष्ट मृदा सर्वेक्षणों के न होने के कारण, देश में पेड़ों की कटाई और भू-क्षरण की वजह से पूर्णरूप से अनुपजाऊ बनी भूमि की सीमा से सम्बन्धित सही जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) (1) पानी जमाव और (2) लवणता (तटवर्ती रेतीले क्षेत्रों सहित) और क्षारीयता से प्रभावित अनुमानित क्षेत्र क्रमशः करीब 85 लाख हेक्टेयर और 90 लाख हेक्टेयर है।

(ग) कृषि विश्वविद्यालयों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के माध्यम से उपयुक्त विशिष्ट स्थान पर आधारित और समस्या-वार प्रौद्योगिकी की पैकेज पद्धतियां विकसित की गई हैं। मृदा संरक्षण, भूमि विकास और सुधार हेतु कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। महत्वपूर्ण विकास कार्यक्रम, जो इस समय भू-क्षरण और अवक्रमण की समस्या से निपटने के लिए क्रियान्वित किए जा रहे हैं, इस प्रकार हैं :—

(1) नदी घाटी परियोजनाओं के स्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना।

(2) बाढ़ प्रवण नदियों के स्रवण क्षेत्रों में समेकित पनधारा प्रबन्ध की केन्द्रीय प्रायोजित योजना।

(3) वर्षासिंचित क्षेत्रों में राष्ट्रीय पनधारा विकास कार्यक्रम।

(4) विश्व बैंक से सहायता प्राप्त—

(1) आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के वर्षा सिंचित क्षेत्रों में पनधारा विकास की मार्गदर्शी परियोजना।

(2) उत्तर प्रदेश में हिमाचल पनधारा प्रबन्ध।

(5) यूरोपीय आर्थिक समुदाय से सहायता-प्राप्त

(1) उत्तर प्रदेश में चम्बल और यमुना के खादर क्षेत्रों में समेकित पनधारा प्रबन्ध।

(2) गुजरात में समेकित पनधारा प्रबन्ध परियोजना।

(6) मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के जिलों के उन खादर क्षेत्रों का सुधार, जहां डाके अधिक पड़ते हैं।

(7) झूम खेती का नियन्त्रण।

(8) हिमालय के क्षेत्रों में मृदा, जल एवं वृक्ष संरक्षण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना।

(9) बाढ़ प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम।

(10) मरू विकास कार्यक्रम।

(11) मृदा संरक्षण का राज्य क्षेत्र का कार्यक्रम।

(घ) केन्द्रीय मृदा संरक्षण क्षेत्र योजनाओं के लिए सातवीं योजना हेतु 237.88 करोड़ रुपए का परिव्यय आबंटित किया गया है।

विश्वविद्यालयों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का नियन्त्रण

6388. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विश्वविद्यालयों के कार्यकरण पर वर्तमान अप्रत्यक्ष नियंत्रण के स्थान पर ऐसे विश्वविद्यालयों पर इसका प्रत्यक्ष नियंत्रण करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अधिक अधिकार देने के लिये क्या कदम उठाने का विचार कर रही है;

(ख) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वीकृत निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन पर नियंत्रण करने तथा इसके निरीक्षण के लिए तंत्र के अभाव में यह ग्रामीण विश्वविद्यालयों के विकास हेतु दी गई धनराशि का विनियोजन करने में असमर्थ है ; और

(ग) इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाहो) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12 में परिकल्पना की गई है कि आयोग का यह सामान्य कर्तव्य है कि वह विश्वविद्यलयों या अन्य संबंधित निकायों से विचार-विमर्श करके विश्वविद्यालय शिक्षा की प्रोन्नति और समन्वय के लिए तथा शिक्षकों के स्तरों के निर्धारण और अनुरक्षण के लिए वह सभी कदम उठाये जो वह उचित समझें। आयोग द्वारा अपनाई गई नीति विचार-विमर्श, सलाह और सहयोग की है। विश्वविद्यालयों की स्थापना संबंधित राज्य विधानमंडल, संसद के अधिनियमों द्वारा करते हैं व ये स्वायत्त निकाय है। अत: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को विश्वविद्यालयों से परामर्श करके कार्य करना होता है और न कि उनकी स्वायत्ता में हस्तक्षेप करके। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से संबंधित प्राक्कलन समिति (8वीं लोकसभा) ने अपनी 66वीं रिपोर्ट में, जो संसद के समक्ष 30 मार्च, 89 को रखी गई थी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यात्मक पहलुओं के संबंध में कुछ सिफारिशें की हैं जिनकी जांच की जा रही है।

(ख) और (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उन विश्वविद्यालयों को उनके सामान्य विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है जो वि० अ० आ० अधिनियम की धारा 12-ख के

आधीन उपर्युक्त घोषित किए गए हैं। सामान्य विकास के अन्तर्गत सहायता भवन, उपकरण, पुस्तकें, पत्र-पत्रिकाएं, स्टाफ तथा शिक्षण और शोध की कोटि को प्रोन्नत करने के लिए तैयार की गई अन्य सुविधाएं व परिसर में निगमित जीवन विकसित करने के लिए है। पुस्तकों व उपकरण के लिए सहायता सामान्यतः योजनावधि में पूरी उपयोग में ले ली जाती है। परंतु भवन व स्टाफ से संबंधित सहायता का निर्माण कार्य और नियुक्ति की प्रक्रिया में विलंब होने के कारण योजना अवधि के दौरान पूरा उपयोग नहीं हो पाता। ये समस्यायें कई विश्वविद्यालयों के समक्ष आई हैं जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित विश्वविद्यालय भी शामिल हैं। प्रक्कलन समिति ने अनुदान के अनुश्रवण के संबंध में कुछ टिप्पणियां की हैं जिसकी भी जांच की जा रही है।

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड में कामगारों की नियुक्ति

6389. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :**

श्री हरिहर सोरन :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में सरगीपल्ली में हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड तथा सीसा खानों में कितने कामगार कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या उनकी नियुक्ति वेतन के भुगतान तथा सेवा शर्तों इत्यादि के मामले में अनियमितताएं व्याप्त हैं;

(ग) क्या हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा नियुक्त ठेकेदारों द्वारा उनका शोषण किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो इन कामगारों की सेवा शर्तों को बेहतर बनाने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) से (घ) हिन्दुस्तान जिंक लि० की पांच खनन और तीन प्रद्रावण यूनिटों के रोजगार में 10,474 नियमित कामगार हैं; जिनमें से 535 कामगार उड़ीसा स्थित सर्गीपल्ली सीसा खान में हैं। नियमित कामगारों के अलावा, ठेकेदारों के साथ कार्यरत ठेका-मजदूर भी हैं। ठेका-मजदूरों की सेवा-शर्तों का निर्धारण श्रम कानूनों के प्रावधानों के अनुसार ठेकेदारों द्वारा किया जाता है। मासिक भुगतान ठेका मजदूर (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम आदि के प्रावधान की अपेक्षाओं के अनुसार, मूल नियोक्ता के प्रतिनिधि की उपस्थिति में किया जाता है। इस बारे में कंपनी को अपने कर्मचारियों अथवा ठेका मजदूरों से कोई शिकायत नहीं मिली है।

उड़ीसा में डेयरी साइंस कालेज खोला जाना

6390. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कितने डेरी साइंस कालेज हैं और वे कहां-कहां पर हैं;

(ख) यदि हां तो सरकार का पश्चिमी उड़ीसा में डेरी साइंस कालेज खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री) : (क) इस समय कृषि विश्वविद्यालयों/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद प्रणाली के अन्तर्गत 8 डेरी विज्ञान महाविद्यालय कार्य कर रहे हैं। महाविद्यालयों और उन स्थानों की सूची जहां वे स्थित हैं, संलग्न विवरण में दी जा रही है—

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

देश में डेरी विज्ञान महाविद्यालय और उन स्थानों की सूची हां वे स्थित हैं

क्रम सं०	डेरी विज्ञान महाविद्यालय	स्थान
1.	डेरी विज्ञान महाविद्यालय	ए० पी० ए० यू०, तिरुपति कैम्पस
2.	डेरी विज्ञान महाविद्यालय	बी० सी० के० वी० वी०, हरिघट्टा, मोहनपुर
3.	डेरी विज्ञान एस० एम० सी० महाविद्यालय	जी० ए० यू०, आनन्द कैम्पस
4.	संजय गांधी डेरी प्रौद्योगिकी संस्थान	आर० ए० यू०, पटना कैम्पस
5.	डेरी विज्ञान महाविद्यालय	कृषि विश्वविद्यालय, उदयपुर कैम्पस
6.	डेरी विज्ञान महाविद्यालय	यू० ए० एस०, बंगलौर
7.	डेरी प्रौद्योगिकी महाविद्यालय	इन्दिरा गान्धी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर कैम्पस
8.	डेरी विज्ञान महाविद्यालय	राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल

उड़ीसा में सोने के भंडार

6391. श्री हरिहर सोरन : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में सोने के भंडारों का पता लगा है; और

(ख) यदि हां, तो इन क्षेत्रों में उपलब्ध स्वर्ण संसाधनों के दोहन के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) जी; नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नेपाल द्वारा दूरदर्शन पर गलत नक्से का प्रसारण

6392. **श्री प्रतापराव बी० भोसले** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि नेपाल दूरदर्शन द्वारा एक नक्शे के माध्यम से जम्मू तथा कश्मीर का कुछ भाग पाकिस्तान के भू-भाग में शामिल दिखाया गया है;

(ख) क्या इस नक्शे का लगातार तीन दिनों तक प्रसारण किया जाता रहा; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) नेपाल के टी० वी० पर 23, 25 और 26 मार्च, 1989 को गलत मानचित्र प्रसारित किया गया था।

(ग) भारत के राजदूत ने इस मामले को नेपाल के महामहिम की सरकार के साथ उठाया है और इस संवेदनशील मसले पर सरकार की स्थिति दोहराई है।

दिल्ली के स्कूलों में शारीरिक शिक्षा और खेलों के लिए अलग-अलग शिक्षक

6393. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन में शारीरिक शिक्षा और खेलों को दो अलग-अलग विभागों में बांटा गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या शिक्षा निदेशालय का दिल्ली के स्कूलों में शारीरिक शिक्षा और खेलों के लिए अलग-अलग शिक्षक नियुक्त करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

केरल में मात्स्यकी विश्वविद्यालय की स्थापना

6394. **श्री टी० बशीर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केरल में मात्स्यकी विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

तमिलनाडु में आम की खेती

6395. **श्री पी० आर० एस० वेंकटेशन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में इस समय कुल कितनी भूमि पर आम की खेती की जा रही है; और

(ख) अधिक क्षेत्र में आम की खेती करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) तमिलनाडु में इस समय लगभग, 4,013 हैक्टेयर क्षेत्र में आम की खेती की जा रही है।

(ख) राज्य सरकार ने बागवानी का गहन विकास पश्चिमी घाटों का विकास कार्यक्रम और समेकित आदिवासी विकास कार्यक्रम नवबर्ग, शुरू किया गया है जिसमें आम की खेती का विकास भी शामिल है। इसके अलावा भारत सरकार ने अच्छी पौध रोपण सामग्री की आपूर्ति के लिए भारतीय राज्य फार्म निगम के अन्तर्गत चेंगम में सर्वोत्कृष्ट संतति फलोद्यान की स्थापना की है तथा राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड फलों के पेड़ों जिसमें आम भी शामिल हैं, को स्तरीय पौध रोपण सामग्री के उत्पादन और आपूर्ति के लिए विभागीय पौधशालाओं को सहायता भी मुहैया कर रहा है।

जैतून के पौधे लगाना

[हिन्दी]

6396. **श्री हरीश रावत** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल कितनी भूमि में जैतून के पौधे लगाये गये;

(ख) क्या इस क्षेत्र में जैतून के छोटे पौधे लगाने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की की गई है; और

(ग) यदि हां, तो अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में किन-किन स्थानों पर वर्ष 1989-90 के दौरान जैतून के छोटे पौधे लगाने का विचार है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस पर कितनी धनराशि खर्च होगी ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में पिछले तीन वर्षों के दौरान 17.3 हैक्टेयर क्षेत्र में जैतून के पौधे लगाए गए हैं।

(ख) और (ग) उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में जैतून की खेती बड़े पैमाने पर शुरू करने के लिए कोई विस्तृत योजना तैयार नहीं की गई है। तथापि, वाणिज्यिक पौध रोपण शुरू करने से पहले 1989-90 के दौरान अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों के घाटी क्षेत्रों में जैतून की किस्मों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के लिए प्रत्येक जिले में 7 प्रदर्शन खंडों का प्रदर्शन करने का प्रस्ताव है।

जल संसाधनों के बारे में भारत-फ्रांस वार्ता

[अनुवाद]

6397. **श्री पी० एम० सईद** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जल प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों ने हाल ही में दिल्ली में फ्रांस के इसी क्षेत्र में विशेषज्ञों के साथ जल प्रबन्ध के विभिन्न पहलुओं पर बातचीत की थी;

(ख) यदि हां, तो किन क्षेत्रों का पता लगा है जिनके बारे में भारत चिंतित है; और

(ग) बातचीत का ब्यौरा क्या है और उससे क्या लाभ प्राप्त होंगे ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जल प्रबन्ध के विस्तृत पहलुओं पर विचार-विमर्श करने के लिए फरवरी, 1989 में "मानव जाति के लिए जल" नामक भारत-फ्रांस गोष्ठी हुई थी।

(ख) निम्नलिखित क्षेत्रों, जिनसे भारत का सम्बन्ध है और जिनमें फ्रांस की विशेषता इस्तेमाल की जा सकती है, का पता लगाया गया था :—

(1) प्रदूषण पर नियन्त्रण तथा जल स्रोतों (इक्वीफरों) को प्रदूषण मुक्त करना।

(2) जल शुद्धिकरण के लिए ओजोनीकरण

(3) जल उपचार के लिए मेम्बरेन टैक्नालाजी

(4) कम लागत पर गन्दे पानी की निकासी की प्रणाली का विकास

(5) जल के पुन: उपयोग के लिए गन्दे पानी को साफ करने हेतु उन्नत प्रौद्योगिकियां

(6) जल वितरण के यांत्रिक इंजीनियरी पहलू।

(ग) गोष्ठी के दौरान हुई चर्चा मुख्य रूप से कुछ उपलब्ध प्रौद्योगिकियों और साथ ही जल कानून जैसे कुछेक सामाजिक-राजनीतिक स्वरूप के क्षेत्रों पर केन्द्रित रही, जिन पर यदि देश में बेहतर जल प्रबन्ध लागू करना है तो कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है। गोष्ठी में इन तथ्यों पर भी प्रकाश डाला गया कि पारिस्थितिक प्रणाली में संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से प्रयोक्ता और प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण की प्रणाली के बीच प्रयोग की जाने वाली

बहुउद्देशीय नीति को विकसित करना होगा। गोष्ठी में पीने के पानी, सिंचाई, कृषि, उद्योग आदि सहित समग्र जल प्रणाली के लिए एक समन्वित नीति अपनाने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला गया।

फालतू भूमि को अनुसूचित जातियों को आबंटित करना

6398. **श्री के० कुन्हम्बु** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में फालतू भूमि को अनुसूचित जातियों के भूमिहीन लोगों को सामूहिक आधार पर आबंटित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भूमि राज्य का विषय है। राज्य-सरकारों द्वारा लाभार्थियों को अधिकतम सीमा से फालतू भूमि इस प्रयोजन हेतु तैयार किए गए कानूनी प्रावधानों/नियमों/मार्गदर्शिकाओं के अनुसार आबंटित की जाती है। 1972 में तैयार की गई राष्ट्रीय मार्गदर्शिकाओं में यह निर्धारित किया गया है कि फालतू भूमि का वितरण करते समय विशेषकर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

पंजाब, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश तथा दादर व नगर हवेली और पांडिचेरी के संघ शासित प्रशासनों से प्राप्त सूचना में यह बताया गया है कि अनुसूचित जातियों के भूमिहीन लोगों को सामूहिक आधार पर फालतू भूमि आबंटित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

स्तन पान

6399. **श्री आर० एम० भोये** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने स्तन पान को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए हैं; और

(ख) क्या सरकार का बेबी-फूड सम्बन्धी प्रशंसात्मक विज्ञापनों पर प्रतिबन्ध लगाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) स्तन पान को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

(1) "शिशु दुग्धाहार और दूध पिलाने की बोतल (उत्पादन, सप्लाई और वितरण अधिनियम) बिल, 1986" जिसमें स्तन पान को बढ़ावा देने और इसके संरक्षण की अपेक्षा की गई है और जो राज्य सभा द्वारा पारित कर दिया गया है, इसे संसद के वर्तमान सत्र में लोक सभा में प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है।

2. रेडियो दूरदर्शन पोस्टर, इश्तेहार आदि जैसे प्रचार माध्यम से तथा देश भर में कार्यरत भारी संख्या में मेडिकल तथा परामैडिकल कार्मिकों के व्यक्तिगत प्रयासों द्वारा भी इस सम्बन्ध में माताओं की जानकारी बढ़ाई जा रही है।

3. राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रदेशों को अनुदेश दिए गए हैं कि वे स्तनपान के विकल्प से नवजात शिशुओं को होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में महिलाओं की अच्छी तरह शिक्षित करा कर स्तनपान को बढ़ावा दें।

4. राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों से कहा गया है कि जहां तक संभव हो जन्म के बाद बच्चे को सरकारी अस्पताल और स्वास्थ्य केन्द्र में मां के साथ रखा जाए ताकि स्तनपान को बढ़ावा मिले और पोषाहार प्राप्त हो सके और नवजात शिशु के भावात्मक विकास में सहायता मिल सके।

5. राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों से कहा गया है कि वे सरकारी अस्पतालों तथा स्वास्थ्य केन्द्रों को निर्देश दें कि वे निर्माताओं अथवा वितरकों से शिशु दुग्धाहार तथा दूध पिलाने की बोतलों के निशुल्क नमूने न लें।

(ख) सरकार ने आकाशवाणी तथा दूरदर्शन पर सभी शिशु-दुग्धाहारों के विज्ञापन देना बन्द कर दिया है।

विज्ञान शिक्षा के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता

6400. **डा० कृपासिंधु भोई :** क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार से अपने राज्यों में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्य सरकारों ने कितनी-कितनी राशि की केन्द्रीय सहायता की मांग की है; और

(ग) वर्ष 1988-89 और 1989-90 में इन राज्यों को वास्तविक रूप से कितनी धन-राशि मंजूर की गई अथवा करने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) से (ग) जी, हां। विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्ताव और मुक्त/संस्वीकृत की गई धनराशि के ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। जहां तक वर्ष 1989-90 के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों को निधियां मुक्त करने का सम्बन्ध है, उनसे प्राप्त प्रस्तावों तथा निधियों की उपलब्धता के आधार पर यथा समय निर्णय लिया जाएगा।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्रों के नाम	वर्ष 1988-89 के दौरान प्राप्त प्रस्ताव राशि लाखों में	वर्ष 1988-89 के दौरान संस्वीकृत/मुक्त की गई राशि राशि लाखों में
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	1047.82	445.96 (107.15 लाख की प्रथम किस्त मुक्त की गई)
2.	अरुणाचल प्रदेश	21.79	3.72
3.	असम	470.94	295.32
4.	बिहार	788.60	365.44
5.	दिल्ली प्रशासन	79.05	71.42
6.	हरियाणा	279.66	279.66
7.	हिमाचल प्रदेश	462.93	216.13
8.	मणिपुर	161.72	108.00
9.	मध्य प्रदेश	2311.06	544.56 (300.00 लाख की प्रथम किस्त मुक्त की गई)
10.	पांडिचेरी	59.65	20.82
11.	तमिलनाडु	440.60	194.41
12.	त्रिपुरा	48.34	27.45
13.	उत्तर प्रदेश	462.75	398.10 (300.00 लाख की प्रथम किस्त मुक्त की गई)
14.	पश्चिम बंगाल	6.67	3.72

12.00 बजे

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : बन्दरगाह और डॉक कर्मचारियों की हड़ताल के कारण

गम्भीर स्थिति पैदा हो गई है। महोदय, आपातस्थिति जैसी स्थिति है। मंत्री महोदय को समस्या का समाधान करने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए। कृपया चर्चा की अनुमति दें।.....(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप यह क्या कह रहे हैं। मैंने अलाउ किया है लेडी मेम्बर को, आप बीच में बोल रहे हैं।

[अनुवाद]

मैंने पहले ही चर्चा की अनुमति दे दी है। हम चर्चा करने जा रहे हैं।

कुमारी ममता बनर्जी : किन्तु माननीय मन्त्री श्री सचेत बाबक को मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए।

श्री पी० कुल्लनदईवेलू (गोबिचेट्टिपालयम्) : मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है।

अध्यक्ष महोदय : किसलिए ?

श्री पी० कुलनदईवेलू : कर्नाटक में राजनीतिक संकट है। अधिकतर विधायकों .....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे नहीं कर सकता। इसके लिए संविधानिक प्रावधान है। कुछ नहीं हो सकता।

(व्यवधान)

श्री पी० कुलनदईवेलू : यह अल्पबहुमत वाली सरकार है; इसे बर्खास्त किया जाना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य देखिए। यह कोई मंच (फोरम) नहीं है।

श्री शान्ताराम नायक (पणजी) : यह मंच उपयुक्त है क्योंकि वहां राजनीतिक संकट है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। यह कोई मंच नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

श्री शान्ताराम नायक : राज्यपाल को रिपोर्ट देनी है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह ऐसा प्रश्न है जिसे संविधानिक प्रावधानों के अधीन ही तय किया जाएगा। हम इस पर यहां कार्रवाई नहीं कर सकते। संविधान में इसका ध्यान रखा गया है। वहां एजेंसियां जो इसकी देखभाल कर सकती हैं। क्या ऐसी स्थिति है जहां राष्ट्रपति को हस्तक्षेप करना है या नहीं यह सब राज्यपाल और संविधानिक प्रावधानों पर निर्भर करता है। यह कुछ और नहीं है।

[ ]

(व्यवधान)

श्रीमती एम० कमलम्मा (श्रीरंगम) : वह मंत्री को बर्खास्त कर सकता है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें कुछ भी करने के लिए नहीं रोका है। वह कुछ भी करने के लिए स्वतन्त्र हैं।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय.....

अध्यक्ष महोदय : मेरा उत्तर आप पर भी लागू होता है।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : उन्होंने मुख्यमन्त्री के खिलाफ आरोप लगाए हैं.....(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर साहब, मैंने अभी आपको बोला कि.....

[अनुवाद]

मैंने आपको बताया कि संविधान के प्रावधानों में इसका हल मिलेगा।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : मैं आपसे केवल उसी विषय में स्पष्टीकरण चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है ?

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : क्या आप उन्हें रोकेंगे ? मैं केवल तभी बोलूंगा जब आप अनुमति देंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं मुख्य मन्त्री की आलोचना या निन्दा की अनुमति नहीं दे सकता; इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।

(व्यवधान)

श्री पी० कुलनदईवेलू : यह अल्पमत वाली सरकार है।

अध्यक्ष महोदय : यह जो भी है अल्पमत या बहुमत, इसका निर्धारण राज्यपाल करेगा। किन्तु मैं मुख्यमन्त्री की निन्दा की अनुमति नहीं दे सकता। यह साधारण सी बात है।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : आपने जो कुछ कहा उसके प्रकाश में·····(**व्यवधान**) क्या आप इन्हें रोकेंगे ? मैं निवेदन कर रहा हूं। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : अध्यक्ष महोदय, होम मिनिस्टर साहब को चाहिए कि वे इस पर अपना स्टेटमेंट दें।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कब रोका है, अगर वे कुछ कहना चाहें तो।

[अनुवाद]

किन्तु मैं उनसे कह नहीं सकता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं गृह मन्त्री को वक्तव्य देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं ?

(व्यवधान)

श्री जी० एम० बनातवाला : गृह मन्त्री को वक्तव्य देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : बनातवाला साहब, यदि वे वक्तव्य देना चाहें तो मैं उन्हें रोक नहीं रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : राज्यपाल को रिपोर्ट भेजनी चाहिए।·····

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने किसी को अनुमति नहीं दी है।

प्रो० मधु दण्डवते : अध्यक्ष महोदय, मैं·····

अध्यक्ष महोदय : क्या समस्या है ?

श्री शान्ताराम नायक : आप जनता दल के हैं या जनता पार्टी से ?

प्रो० मधु दण्डवते : जनता दल। अध्यक्ष महोदय, आपकी टिप्पणियों के प्रकाश में मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं ताकि हम यह जान सकें कि सदन में कैसे कार्य किया जाए (**व्यवधान**) वे पूछने वाले कौन होते हैं ? महोदय, मैं आपसे स्पष्टीकरण मांग रहा हूं। वे मुझे इस तरह से धौंस नहीं दे सकते।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : आप जनता दल से सम्बन्धित हैं या जनता पार्टी से ?

प्रो० मधु दण्डवते : जनता दल से। अध्यक्ष महोदय ने इसे मान्यता दी है। महोदय, आपकी अनुमति से मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझसे कहिए; क्या स्पष्टीकरण चाहिए ?

प्रो० मधु दण्डवते : किन्तु अपने होंठ खोले बिना मैं बोल कैसे सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : आप यह बात बहुत बार दोहरा चुके हैं कि आप स्पष्टीकरण चाहते हैं। यह क्या है ?

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने सोचा कि आपने मेरी बात सुना नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात बहुत बार सुन चुका हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : यदि आप यह सुन चुके हैं कि मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं तो मैं इसे नहीं दोहराऊंगा। यह बिल्कुल ठीक है कि हम सदन में राष्ट्रपति शासन के बारे में जो कुछ कहते हैं वह संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप होना चाहिए। मैं आपसे और आपके माध्यम से गृह मन्त्री से यह अपील करना चाहता हूं कि ऐसी सूचना मिली है कि जिन विधायकों ने अपनी निष्ठा में परिवर्तन किया है उन्होंने इसके बावजूद यह लिखकर दिया है कि वे जनता के साथ हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं आपकी बात अस्वीकार करता हूं। प्रोफेसर साहिब यहां आप गलत बोल रहे हैं। आपने एक कदम बढ़ा लिया है क्योंकि यह वह स्पष्टीकरण नहीं है जोकि आप मुझसे चाहते हैं बल्कि आप गृह मन्त्री से कुछ कहना चाहते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं कि क्या गृह मन्त्री वक्तव्य देंगे।

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : अध्यक्ष महोदय, प्रो० दण्डवते जी के प्रति ईमानदार और स्पष्टता से मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने वह नहीं सुना जो उन्होंने अन्त में कहा। मैंने केवल उन्हें आपसे अपील करने की बात सुनी है। यदि वे स्पष्टीकरण चाहते हैं तो कृपया आप उन्हें इसे दोबारा कहने के लिए कहें।

अध्यक्ष महोदय : नहीं। कोई प्रश्न नहीं। वे केवल आपसे वक्तव्य चाहते हैं।

सरदार बूटा सिंह : इस समय मैं केवल यही कह सकता हूं कि, जैसाकि आपने टिप्पणी की है, यह पूर्णतः एक संवैधानिक मामला है। मैं कर्नाटक के राज्यपाल के साथ सम्पर्क कर रहा हूं। मैं इस सम्बन्ध में जानकारी हासिल करूंगा और फिर सभा में आऊंगा। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : "किस ने यह कहा है.....?" मैंने सुना है।

कुछ माननीय सदस्य : किसी ने भी नहीं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने सुना है। मैं बहरा नहीं हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने नहीं कहा है। अपने पूरे जीवन में मैंने ऐसा नहीं कहा है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आपने नहीं कहा। किसी ने ऐसा कहा है। परन्तु अब वह मानना नहीं चाह रहे हैं। पता नहीं ऐसा किसने कहा है।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं गृहमन्त्री के वक्तव्य का स्वागत करता हूं। उन्हें संविधान के प्रावधानों के अनुरूप चलने दीजिए। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल (गुलबर्गा) : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि अभी-अभी कुछ माननीय सदस्यों ने हमारी पार्टी पर यह आरोप लगाया है कि कर्नाटक में सरकार गिराने में हमारी पार्टी अप्रत्यक्ष रूप से जनता पार्टी नेताओं की सहायता कर रही है।

अध्यक्ष महोदय : इसमें भी कोई रुकावट नहीं है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि जहां तक हमारी पार्टी का सम्बन्ध है, हम यह स्पष्ट कर चुके हैं कि हम किसी भी सरदार को गिराने के इच्छुक नहीं हैं। यदि वह सरकार गिर रही है अथवा टूट रही है तो यह अपने ही भार के कारण टूट रही है।

अध्यक्ष महोदय : श्री टाईटलर।

हां, शाहबुद्दीन जी ?

(**व्यवधान**)

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : महोदय, कुछ लोगों ने जनता पार्टी के बारे में कुछ कहा है। मैं सभा में यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम कर्नाटक में सरकार को गिराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं या हमारी इसने कोई रुचि नहीं है। परन्तु यदि यह सरकार अपने ही भार से गिर जाती है तो इस सरकार के प्रति हमारी कोई हमदर्दी नहीं है। (**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

श्री राम नगीना मिश्र (सलेमपुर) : अध्यक्ष जी, मैंने कल भी कहा था कि गण्डक नहर नेपाल में टूट गई है और नेपाल में उसकी मरम्मत नहीं हो पा रही है।

अध्यक्ष महोदय : अगर सेन्ट्रल गवर्नमेंट का है तो लिखकर दीजिए।

श्री राम नगीना मिश्र : मैंने नियम-193 के अंतर्गत लिखकर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

(**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

श्री एम० रघुमा रेड्डी (नलगोंडा) : महोदय, कर्नाटक एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। लगभग 100 लोग मर गये हैं और कई घायल हो गये हैं। क्योंकि मंत्री का वक्तव्य स्पष्ट नहीं है, रेलमंत्री से हम दूसरा वक्तव्य चाहते हैं। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : जब स्टेटमेंट होगा तो डिसकशन करेंगे ।

[अनुवाद]

हम इस पर चर्चा करेंगे ।

12.11 म० प०

सभा पटल पर रखे गये पत्र

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की वर्ष 1989-90 की अनुदानों की विस्तृत मांगें

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : मैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की वर्ष 1989-90 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभापटल पर रखता हूं ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 7748/89]

तिलहन निगम के सम्बन्ध में अतरांकित प्रश्न संख्या 2961 के 16 मार्च, 1989 को दिये गये उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री) : मैं तिलहन निगम के बारे में डा० गौरी शंकर राजहंस, संसद सदस्य द्वारा पूछे गये अतरांतिक प्रश्न संख्या 2961 के 16 मार्च, 1989 को दिये गये उत्तर में शुद्धि करने तथा (दो) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 7749/89]

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत अधिसूचनायें, भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा इत्यादि

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एस० पी० शाही) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 की धारा 40 की

उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —

(एक) सा० का० नि 962, जो 17 दिसम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 की दूसरी अनुसूची में परिनियम 10क जोड़ा गया है।

(दो) सा० का० नि० 82, जो 18 फरवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुएथे तथा जिनके द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 की दूसरी अनुसूची में परिनियम 22 जोड़ा गया है।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 7750/89]

(2) (एक) भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिंन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 7751/89]

(4) (एक) ललित कला अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षत लेखे।

(दो) ललित कला अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 7752/89]

(6) (एक) क्षेत्रीय इन्जीनियरिंग कालेज, हमीरपुर के वर्ष 1985-89 तथा 1989-87 के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) क्षेत्रीय इन्जीनियरिंग कालेज, हमीरपुर के वर्ष 1985-86 तथा 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 7753/89]

(7) (एक) क्षेत्रीय इन्जीनियरिंग कालेज, सिल्चर के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) क्षेत्रीय इन्जीनियरिंग कालेज, सिल्चर के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 7754-89]

वस्त्र मंत्रालय की वर्ष 1989-90 की अनुदानों की विस्तृत मांगें

वस्त्र मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मैं, श्री रफीक आलम की ओर से, वस्त्र मंत्रालय की वर्ष 1989-90 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 7755/89]

स्टेट फार्मस कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन आदि

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) स्टेट फार्मस कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) स्टेट फार्मस कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 7756/89]

भारत के राष्ट्रपति और बिहार के राज्यपाल के बीच राष्ट्रीय राजमार्गों को शहरों तक जाने वाली सड़कों के अनुरक्षण तथा विकास के सम्बन्ध में अनुपूरक समझौता

जल, भूतल परिवहन मंत्रालय में उपमन्त्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री

पी० नामग्याल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :—

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों की शहरों तक जाने वाली सड़कों के अनुरक्षण तथा विकास के बारे में 1 अप्रैल, 1972 को भारत के राष्ट्रपति और बिहार के राज्यपाल के बीच हुए मूल समझौते में आंशिक संशोधन करने के लिए अनुपूरक समझौते की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[मंत्रालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 7757/89]

(2) (एक) पंजाब राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा 11 मई, 1987 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 35 की उपधारा (3) के अन्तर्गत पेप्सू सड़क परिवहन निगम, पटियाला के वर्ष 1986-87 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पेप्सू सड़क परिवहन निगम, पटियाला के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 7758/89]

12.12 म० प०

प्राक्कलन समिति

71वां और 76वां प्रतिवेदन

श्री के० एस० राव (मछली पालन) : मैं निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ :

(1) गृह मंत्रालय—लक्षद्वीप के बारे में प्राक्कलन समिति का 76वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी तथा समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही-सारांश।

(2) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग)—राष्ट्रीयकृत बैंकों में ग्राहक सेवायें तथा सुरक्षा प्रणाली के बारे में प्राक्कलन समिति (आठवीं लोक सभा) के 64 वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में समिति का 71वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

12.13 म० प०

नियम ३७७ के अधीन मामले

(एक) इलेक्ट्रानिकी विभाग द्वारा गठित कार्यदल द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार भुवनेश्वर, दिल्ली, हैदराबाद और पुणे में तत्काल सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किये जाने की आवश्यकता

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : उड़ीसा सरकार द्वारा जनवरी, 1986 में सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किये जाने के लिये एक प्रस्ताव भेजा गया था। बाद में भारत सरकार के इलेक्ट्रानिकी-विभाग ने फैसला किया कि देश में चार शहरों भुवनेश्वर, दिल्ली, हैदराबाद और पुणे में चार संस्थान स्थापित किये जायेंगे जहाँ सुपर कम्प्यूटर सुविधायें विकसित की जा रही हैं। इसके बाद इलेक्ट्रानिकी विभाग ने सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने के लिए परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु एक कार्यदल का गठन किया था। कार्यदल अपनी रिपोर्ट पेश कर चुका है।

सरकारी विभागों और उपक्रमों में कम्प्यूटरों के तेजी से बढ़ते प्रयोग तथा इसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में मानव शक्ति की आवश्यकता को देखते हुये प्रस्तावित सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान को शीघ्र आरम्भ करना अत्यन्त आवश्यक है।

अत: मैं सरकार से इस मामले में तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने के लिये अनुरोध करता हूं।

12.14 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।]

(दो) हिमालय क समीपवर्ती पर्वतीय क्षेत्रों का समुचित विकास किये जाने और वहां अधिक पर्यटकों को आकर्षित किए जाने के लिए एक पृथक हिमालय पर्यटन विकास निगम बनाए जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष जी, बर्फ व वनों से आच्छादित हिमालय क्षेत्र हमेशा-हमेशा से देश-विदेश के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र रहे हैं। इन क्षेत्रों में पर्वतारोहियों, ट्रैक्स, स्कीइंग, ग्लाइडिंग, तीर्थ यात्रियों तथा शांति प्रेमी पर्यटकों को आकृष्ट करने की अकूत क्षमता विद्यमान है परन्तु आधुनिक सुविधाओं जैसा आवागमन, संचार, आवश्यक आवास, साज-सज्जा आदि के अभाव में इन विद्यमान क्षमताओं का दोहन नहीं हो पा रहा है जिसके अभाव में न केवल इन क्षेत्रों का आर्थिक विकास अवरुद्ध हो रहा है बल्कि देश-विदेश के पर्यटकों को आकृष्ट करने की सम्भावना का फायदा उठाने से भी वंचित रखा जा रहा है। इन क्षेत्रों की राज्य सरकार चाहते हुये भी अर्थाभाव में इस संदर्भ में समग्र प्रयत्न ही नहीं कर पा रही है।

अत: मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि हिमालय से लगे पर्वतीय क्षेत्रों की पर्यटन क्षमता के व्यापक दोहन व पर्यटन सुविधाओं के विस्तार के लिये आठवीं योजना में विशेष कार्यक्रम बनाकर इस हेतु कार्यवाही की जाये तथा संदर्भ में एक पृथक हिमालय पर्यटन विकास प्राधिकरण का गठन किया जाये।

(तीन) राज्य सरकारों को निचले स्तर पर अधिक पदों का सृजन किए जाने हेतु निदेश दिए जाने की आवश्यकता

श्री मानकूराम सोढी (बस्तर) : देश की कार्यपालिका के ढांचे में बड़े पैमाने पर उच्च पदों का सृजन हुआ है। ग्रामीण अंचलों में इनका आम जनता से सीधा सम्बन्ध न होने से आम जनता उनके कार्यों के बारे में कुछ ज्यादा ज्ञान नहीं रखती। निम्न स्तर शासकीय पद जिनसे ग्रामीणों का रोजमर्रा के कामों में सीधा सम्बन्ध रहता है, वे हैं पटवारी, फोरेस्ट गार्ड, पुलिस आरक्षक, ग्राम सेवक तथा समिति सेवक। ये पद आज भी उसी संख्या में हैं जो आजादी के पहले थे। ये छोटे पदाधिकारी अपनी जगह में आज के बढ़े हुए कार्यभार को अधिक मेहनत से निभा रहे हैं। हर उच्च अधिकारी का आदेश इन्हीं को पालन करना होता है और आम जनता के बीच में भी सामान्य सम्बन्ध बनाकर रखना होता है। इन्हीं से शासन की इमेज बनती और बिगड़ती है।

अतः केन्द्र शासन से अनुरोध है कि भविष्य में जो भी पद बढ़ाना हो, उसमें छोटे पदों को बढ़ाने पर अधिक ध्यान दिया जाये तथा यह निर्देश सभी राज्यों को दिये जायें।

(चार) आयोडीन की कमी के कारण होने वाली बीमारियों की रोकथाम किए जाने हेतु प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री चिन्तामणि जेना (बालासोर) : मानव जाति में आयोडीन की कमी के अनेक भयंकर परिणाम होते हैं जिनमें दिमागी और शारीरिक असामानताएं, बहरापन, गूंगापन, गलगंड और बौनापन शामिल हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन/यूनीफेस द्वारा प्रायोजित अन्तरदेशीय कार्यशाला द्वारा किये गये अध्ययन से पता चला है कि भारत इस संबंध में सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र है तथा 200 मिलियन से भी अधिक लोग यहां आयोडीन की कमी से पीड़ित हैं। सरकार द्वारा वर्ष 1962 से संक्रमण क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने और समस्या से निपटने के लिये आयोडीन युक्त नमक की सप्लाई के लिये राष्ट्रीय गलगंड नियंत्रण कार्यक्रम शुरू करने के बावजूद जम्मू और काश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश के अलावा दिल्ली, गुजरात, आन्ध्रप्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और कई पूर्वोत्तर राज्यों के क्षेत्रों में इसकी कमी देखी गयी है।

इसके उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में आयोडीन की कमी को नियंत्रित करने का दूसरा प्रभावी तरीका, इन्जेक्शन और कैपसूल के जरिये आयोडीन युक्त तेल देना है जोकि कम-से-कम पांच साल के लिए प्रतिरोध क्षमता पैदा कर देते हैं और इसके जरिए बंगलादेश, चीन, भूटान और नेपाल इसे बहुत सफलता से नियंत्रित कर पाये हैं।

अतः मैं स्वास्थ्य मंत्रालय से युद्ध स्तर पर उपाय करने का अनुरोध करूंगा ताकि इस भयानक बीमारी को रोका जा सके।

(पांच) आवश्यक औषधियों पर करों से छूट दिए जाने की आवश्यकता

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रम (कन्नानौर) : यह निःसंदेह बड़े दुख की बात है कि भारत एक मात्र ऐसा देश है जो बीमारों पर भी कर लगाता है। विकसित देशों में ही नहीं वरन् तीसरी दुनियां के देशों में भी औषधियों और आवश्यक दवाओं पर कर नहीं लगाया जाता है। उदाहरण के लिए हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, श्रीलंका और बर्मा में औषधियों पर कर नहीं लगाया जाता है।

अतः यह बहुत आवश्यक है कि हम आत्मनिरीक्षण करें। केवल हम ही इन वस्तुओं पर कर लगा रहे हैं।

बीमारी अमीर और गरीब में भेद नहीं करती है। किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए एक व्यक्ति को उसी औषधि की आवश्यकता होती है चाहे वह समाज के किसी भी हिस्से से संबद्ध हो। महंगी दवाई खरीदने से एक गरीब को अथवा उससे भी अधिक दिनों तक भोजन से वंचित होना पड़ता है। करों की ऊंची दरें इसके लिये जिम्मेदार हैं।

इसलिए मेरा माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध है कि वह सभी प्रकार की दवाइयों को कर से मुक्त करने पर तुरन्त विचार करें।

(छः) जन स्वास्थ्य रक्षकों की मांगों पर विचार किये जाने की आवश्यकता

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर): भारत भर में 1977 शुरू की गई ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता योजना के अन्तर्गत हजारों स्वयंसेवक जो ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करते हैं, वे अपनी निम्नलिखित वैध मांगों को मनवाने के लिये दिल्ली में एकत्र हुए हैं :—

(एक) बढ़ते हुये मूल्य सूचनांक को देखते हुये 50 रुपये के अल्प मासिक भत्ते में वृद्धि ;

(दो) जन स्वास्थ्य रक्षकों को चिकित्सा किट देना ; और

(तीन) उन ग्रामीण क्षेत्रों में जन स्वास्थ्य रक्षकों की नियुक्ति करना जहां उनकी नियुक्ति अब तक नहीं की गई है।

मेरा अनुरोध है कि संबंधित मन्त्री महोदय को इन ग्रामीण कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधियों से मुलाकात करनी चाहिये और उनकी मांगों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाना चाहिये।

(सात) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़कपुर में उत्पन्न संकट का समाधान किये जाने की आवश्यकता

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर के लगभग 500 अध्यापक एक सप्ताह से अधिक समय से कुछ प्रोफेसरों को फिर से बहाल किये जाने की अपनी मांग के समर्थन में भूख हड़ताल पर हैं। अध्यापक संघ ने एक शक्तिपूर्ण हल की कोशिश की थी।

अध्यापकों की भूख हड़ताल से जे० ई० ई० और अन्य परीक्षाओं पर असर पड़ेगा और इससे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बन्द हो सकता है । यदि सरकार थोड़ा प्रयास करे तो समस्या हल की जा सकती है और संकट टाला जा सकता है । मैं माननीय मानव संसाधन विकास मन्त्री से अनुरोध करूँगा कि वे सभी संबंधित लोगों के हित में इसका सौहार्दपूर्ण हल निकालने के लिए इस मामले में हस्तक्षेप करें ।

(आठ) जनसंख्या नियंत्रण उपायों के कार्यान्वयन हेतु समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किए जाने की आवश्यकता

श्री ई० अय्यपू रेड्डी (कुरनूल) : महोदय, भारत में जनसंख्या की वृद्धि बड़ी तेजी से हो रही है । सरकारी तौर पर यह कहा गया है कि 1988 में लगभग 23.8 मिलियन बच्चों ने जन्म लिया । वृद्धि की इस दर पर, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य सम्बन्धी न्यूनतम देखभाल, आवास और मकान, पीने का पानी और हमारे संविधान में दिये गये नीति निर्देशक सिद्धान्तों में अगले दशक में नागरिकों को दिया गया ऊँची शिक्षा और रोजगार का आश्वासन, वर्तमान वित्तीय संसाधनों से पूरा करना लगभग असम्भव होगा । परिवार नियोजन का रेडियो और टेलीवीजन दोनों पर प्रचार ही काफी नहीं है । परिवार नियोजन कार्यान्वयन कार्यक्रम एक-समान और परिणामोन्मुख नहीं है । इस सम्बन्ध में जनमत तैयार करने की अत्याधिक आवश्यकता है । यदि आवश्यक हो तो परिवार नियोजन के लागू करने के लिए कानूनी उपाय भी किये जाएं । अत: सरकार से अनुरोध है कि वह जनसंख्या नियन्त्रण कार्यक्रम को लागू करने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाने हेतु सभी राज्यों के मुख्य मन्त्रियों का एक सम्मेलन बुलायें ।

(नौ) ललित नारायण मिथिला विश्व विद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दिये जाने की आवश्यकता

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : महोदय, उत्तरी बिहार में मिथिला प्राचीन समय से शिक्षा का केन्द्र रहा है । पिछले 3000 वर्षों के दौरान इस क्षेत्र ने अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के प्रतिष्ठित विद्वान पैदा किये हैं ।

बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि पिछले कुछ समय से यह लोगों की गरीबी की वजह से शिक्षा में बहुत पिछड़ गया है । निर्धनता और पिछड़ेपन के कारण मिथिला के छात्र तुलनात्मक रूप से भारत से विकसित क्षेत्रों के छात्रों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते हैं ।

शिक्षा के असन्तुलन को समाप्त करने के लिए सरकार से अनुरोध है कि वह ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता प्रदान करे, क्योंकि बिहार में कोई केन्द्रीय विश्वविद्यालय नहीं है ।

यदि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी जाती है तो इस क्षेत्र के लोगों की लम्बे समय से चली आ रही मांग पूरी हो जायेगी और संसाधन विहीन छात्र देश के अन्य छात्रों के साथ मुकाबला कर पाएंगे ।

12.24 म० प०

नियम १९३ के अधीन चर्चा

अखिल बोडो छात्र संघ द्वारा एक अलग राज्य के लिए चलाए जा रहे आंदोलन से उत्पन्न स्थिति—[जारी]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम अखिल बोडो छात्र संघ द्वारा एक अलग राज्य के लिए चलाए जा रहे आन्दोलन से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में श्री चिन्तामणि जेना द्वारा 19 अप्रैल, 1989 को उठाई गई चर्चा पर आगे चर्चा करेंगे। डा० जी० एस० राजहंस कृपया संक्षेप में बोलें।

[हिन्दी]

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, केवल 5 मिनट में समाप्त कर दूंगा। बोडो आन्दोलन के बारे में सदन में कल से चर्चा हो रही है, जिससे बहुत सी बातें सामने आती हैं। मै आसाम में बहुत घूमा हूं और देहातों में भी गया हूं। एक बात मैं दावे से कह सकता हूं कि आसाम में जो बोडो कम्यूनिटी या ट्राइबल्स हैं, वे देश के दूसरे ट्राइबल्स से बिलकुल भिन्न हैं। इनके फीचर्स बिल्कुल मैंग्लाइड हैं जबकि देश में दूसरे ट्राइबल्स के फीचर्स दूसरी तरह के हैं। इनमें कोई संदेह नहीं और यह साबित हो गया है कि बोडो 5 हजार वर्ष पहले आसाम में आये थे। उसके बाद अहम् आये। अहम्स के बारे में कहा जाता है कि वे थाईलैंड से आये। इसलिये आसाम का कम्पोजीशन बहुत हेटैरोजिनस है और उसमें बोडो कम्यूनिटी या बोडो ट्राइबल्स का खास योगदान रहा है। उनकी अपनी सभ्यता है, संस्कृति है, अपनी भाषा है जो इस देश में बहुत कम ट्राइबल्स की है, फिर भी दुर्भाग्य है कि उन्हें कहीं किसी तरह का रिकग्नीशन नहीं मिला। यह कहना गलत है कि बोडो आन्दोलन को केन्द्रीय सरकार ने शह दी, या कांग्रेस पार्टी ने दी, ऐसी कोई बात नहीं है। सही अर्थ में बोडो आन्दोलन जड़ पकड़ रहा था 1967 से ही। धीरे-धीरे इसने उग्र रूप धारण कर लिया। मेरे एक मित्र ने बहुत अच्छा कहा जब आसू का आन्दोलन चल रहा था, तो उसने बोडो की भरपूर मदद ली। अब जब बोडो लोग खड़े हो गये, तो आसू के लोग या ए० जी० पी० के लोग क्यों आसू बहा रहे हैं। बोडो को भी वही कुछ करने दीजिये जो आसू ने किया था या ए० जी० पी० ने किया था।

जिन लोगों को आसाम के एजीटेशन की बात याद है, उनको यह बात भी अच्छी तरह से याद होगी कि आसाम में आंदोलन के जरिये क्या कुछ नहीं हुआ। हालांकि मैं यहां पर यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं एजीटेशन को, वायलेंस को बढ़ावा के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूं और उसका कसकर विरोध करता हूं, लेकिन मैं कुछ साल पीछे ले जाना चाहता हूं और आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आसाम में आंदोलन के जरिए क्या कुछ नहीं हुआ। गैर-असमियों को वहां क्या कुछ नहीं भुगतना पड़ा। एक-एक सप्ताह का आंदोलन होता था और उसमें जो असमी और गैर-असमी साथ नहीं देते थे उन्हें बम, गोलियों का शिकार होना पड़ता था। उन पर हर तरह का अत्याचार किया जाता था। मुझे सारी कहानी का पता है, उसे मैं यहां दोहराना नहीं चाहता हूं। जो कुछ आपने बोडो को सिखाया आज बोडो वही कुछ कर रहा है, तो इसमें रोना क्या है ?

यहां मैं एक बात कह दूं यदि बोडो प्रतिनिधि यह कहते हैं कि हमारे निगोशिएशन में, किसी समझौता वार्ता में, केन्द्रीय सरकार का प्रतिनिधि हो, तो उसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। जब जी०एन०एल०एफ० का मूवमेंट हुआ था, तो वहां तो पश्चिमी बंगाल की सरकार ने केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधियों को बुलाया था। यह आंदोलन तो जी० एन० एल० एफ० के आंदोलन से भी उग्ररूप धारण कर रहा है और इससे पूरे नार्थ इस्ट के प्रदेश प्रभावित हैं। यह तो अच्छा हुआ कि बोडो आंदोलनकारियों ने फिर अपना आंदोलन रोक दिया है, नहीं, तो पूरे नार्थ इस्टर्न की सप्लाई रुक गई थी और बरसात का सीजन आने वाला है, यदि यह आंदोलन चला, तो इससे पूरी नार्थ-इस्टर्न स्टेट प्रभावित हो जायेंगी। इसलिये हमें परिस्थिति की सच्चाई को समझना चाहिए। इसमें कोई सिर झुकाने वाली बात नहीं है। ए० बी० एस० यू० ने अपना एक रूप ले लिया है।

प्रधान मन्त्री, श्री राजीव जी ने कहा है कि हम आसाम को किसी तरह से विभाजित नहीं होने देंगे। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है। हमारी पार्टी कहती है कि किसी स्टेट का विभाजन नहीं होगा, लेकिन लोगों की सच्ची भावनाओं की कद्र तो आपको करनी ही पड़ेगी। आप मैजोरिटी के बल पर मायनारिटी को कुचल तो नहीं सकते हैं। बोडो ट्राइबल्स की जमीन को नान-ट्राइबल्स ने जबदस्ती हथिया लिया और उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। जब आप दूसरों से न्याय मांगते हैं, तो आपको दूसरों को न्याय देने में क्या तकलीफ है। मैं आपको बताऊं ए० जी० पी० के भले की बात मैं कर रहा हूं, वे मुझे गलत न समझें। आसाम में जिस कद्र जंगल काटे जा रहे हैं, उस तरह से पूरे देश में कहीं नहीं कट रहे हैं और यह बड़ी चिन्ता की बात है। एक वक्त ऐसा आएगा जब आसाम से जंगल समाप्त हो जायेंगे। आप कहेंगे कि ट्राइबल्स इसे काट रहे हैं। मैं कहूंगा कि ट्राइबल्स इसे नहीं काट रहे हैं। आप वहां जाकर सच्चाई का पता लगाने का प्रयास करें। जो वहां के प्रतिनिधी हैं, उन्हें सच्चाई का पता होगा। वहां के फारेस्ट आफीसर कांट्रेक्टर्स से मिलकर के जंगल कटवा रहे हैं। इससे केवल ट्राइबल्स का ही नुक्सान नहीं हो रहा है, पूरे आसाम का नुक्सान हो रहा है और जिस कारण आसाम की सम्पदा की चर्चा पूरे देश में थी, एक ऐसा वक्त आएगा जब आसाम में बारिश नहीं होगी वहां क्लाइमेटिक इम्बैलेन्स हो जायेगा, वहां सारे किस्म की परेशानियां होने वाली हैं।

बोडो आन्दोलन अपने आप में एक महत्त्वपूर्ण आन्दोलन है, और आप यह कहकर बात की अनसुनी नहीं कर सकते हैं कि इसे केन्द्र बढ़ावा दे रहा है या कोई खास वर्ग बढ़ावा दे रहा है। बोडो ट्राइबल्स में असंतोष बहुत वर्षों से फैल रहा था और आज भी फैल रहा है, आपको सच्चाई को मानना ही होगा और इसे मानकर उनके साथ बात करनी होगी। यदि वे चाहते हैं कि केन्द्र के प्रतिनिधि के सामने बात करेंगे तो यह आपकी लाचारी है लेकिन इस सच्चाई को आप मानिए और केन्द्र के प्रतिनिधि के सामने बात कीजिए, तभी इस समस्या का समाधान हो सकता है।

[अनुवाद]

श्री पराग चालिहा (जोरहाट) : महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

असम में विभिन्न जातियों का संगम है जो संभवतः भारत के किसी अन्य राज्य में नहीं है। आस्ट्रिक्स, निगरिडोस तथा मंगोलिड की तरह पेलियोलिथिक युग से ही असम लोगों का आश्रय रहा है। नागा, खासी और गारो, मिसिंग, कर्बी, लालूंग तथा अन्य भी यहां रहते थे। अतः चूंकि मैं उस क्षेत्र से हूं इसलिए मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह कहना गलत होगा कि असम में सिर्फ बोडो ही रहते हैं, जो मंगोलिड गुट के अन्तर्गत आते हैं। अहोम तथा अनेक अन्य लोग विभिन्न क्षेत्रों से असम में आकर रहते हैं। असम ऐसा राज्य है जिसके अधिकतम संख्या में विभाजन हुए हैं। नागालैंड को असम में से ही अलग किया गया था। मिजोरम नया राज्य बना है। मेघालय भी असम में से ही बनाया गया है। इसलिए आदिवासियों की पहचान की प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए ही असम का विभाजन हुआ है। इस बारे में कल मेरे साथी श्री ब्रह्म चौधरी ने कहा था।

दूसरी बात यह है कि यह कहना पूर्णतया गलत है कि बोडो समस्या अभी उत्पन्न हुई है और यह कहना और भी गलत है कि यह समस्या असम गण परिषद प्रशासन के फलस्वरूप उत्पन्न हुई है। श्री ब्रह्म चौधरी ने कल कहा था कि उनका मुख्य उद्देश्य अपने अस्तित्व का संरक्षण तथा इसे बनाए रखना है। यह सिर्फ बोडो आदिवासियों का ही तो नहीं बल्कि यहां के सभी आदिवासियों का यही उद्देश्य है। हमारे यहां अनेक आदिवासी प्रतिनिधि हैं, और महोदय, नेहरू, पटेल और अन्य प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेताओं के होते हुए कांग्रेस के शासन के दौरान इन आदिवासियों को मैदानी क्षेत्र के आदिवासी माना गया और उन्हें छठी अनुसूची और यहां तक कि पांचवीं अनुसूची में भी सम्मिलित नहीं किया गया, इसके बारे में श्री ब्रह्म चौधरी ने कहा था। इसलिए यह समस्या पिछले 30-40 वर्षों से है और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि असम तथा अधिकांश भारत में आजादी मिलने के बाद 36 वर्षों तक कांग्रेस का शासन रहा है। इसके अलावा, असमिया भाषा, जिसका श्री ब्रह्म चौधरी ने उल्लेख किया है, बोडो द्वारा उत्पन्न भाषा नहीं है। मैं भाषा-विज्ञान का छात्र हूं इसलिए मैं जानता हूं कि असमिया भाषा से किसी प्रकार घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस भाषा में विभिन्न आदिवासी बोलियों के शब्द और वाक्यांश हैं। अभी भी हमारे यहां न सिर्फ शब्द-संग्रह है बल्कि बोडो, मिसिंग, खासी इत्यादि से अनेक शब्द लिये गये हैं। इसलिए असमिया भाषा को सिर्फ असमिया जाति से उत्पन्न मानना ठीक नहीं है और जैसाकि अन्य अनेक सदस्यों ने कहा है, इसे कथित उच्च वर्ग के समाज की उत्पत्ति मानना भी एकदम गलत है। श्री संतोष मोहन देव इस समय कचहार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और यह नाम भी कचारिस से निकला है। यह एक बोडो गुट कचहारिस का राज्य था। यद्यपि वे अनेक बातों के मामले में इन्कार कर देते हैं लेकिन वह इस तथ्य से इन्कार नहीं कर सकते हैं। इसलिए बोडो की समस्या पर विस्तृत रूप में विचार होना चाहिए। बोडो समस्या का हल पृथक में नहीं हो सकता है। इसका प्रभाव अखिल भारतीय है और इसका आदिवासी प्रभाव है।

यह तो विभक्त करने की ब्रिटिश नीति की विरासत है जिसके अन्तर्गत कचहारिस, मिसिंग, लालूंग, कर्बी, तिवारू आदि आदिवासियों और गैर-आदिवासियों के बीच मतभेद उत्पन्न किया गया था। ऐसा नहीं है कि उन्हें अचानक यह महसूस हुआ कि वे उपेक्षित रहे हैं। मैं यह कहने में किसी से पीछे नहीं हूं कि आजादि के 42 वर्षों के बावजूद असम में, कचहारी, बोडो का एक

समुदाय तथा मिशिंग आदिवासी शोषण की सबसे खराब स्थिति में हैं। यह शोषण सिर्फ असम गण परिषद प्रशासन से संबंधित नहीं है। कांग्रेस के शासन अथवा कुशासन में अनेक दशकों से यह शोषण चल रहा था। इसे पृथक रूप से नहीं लिया जा सकता है। हम में से कुछ कहते हैं कि यह हिंसा इस चिर उपेक्षा का स्वाभाविक परिणाम है। यदि हम अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के तरीके के रूप में हिंसा को स्वीकारते हैं तो इसके दूरगामी परिणाम होंगे। असम में ही मिशिंग रहते हैं। कुछ भागों में कर्बी रहते हैं। इस प्रकार इससे न सिर्फ असम में बल्कि झारखंड आन्दोलन तथा उड़ीसा और बिहार आदि देश के अन्य भागों में भी अनेक आन्दोलन चल पड़ेंगे। यदि हम अब बोडो की मांग मान लें तो हमें झारखंड, उत्तराखंड आदि से नहीं बच सकते हैं। ये सभी मुद्दे तब उभर कर सामने आएंगे। इसलिए, इसे ध्यान में रखकर इसका समाधान होना चाहिए।

अब श्री समर ब्रह्म चौधरी कहते हैं कि आदिवासी अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं। वे अपनी समस्याओं के समाधान में गैर-आदिवासियों को शामिल नहीं करना चाहते हैं। फिर अखिल असम कचहार करीमगंज छात्र संघ अखिल बोडो छात्र संघ के साथ सहयोग क्यों करे? इसका बोडो से कोई संबंध नहीं है। वे इसका समर्थन क्यों करें? यह एक बड़ा मुद्दा है। अखिल असम कचहार करीमगंज छात्र संघ हमारे माननीय मंत्री श्री संतोष मोहन देव के निर्वाचन क्षेत्र में है। अखिल बोडो छात्र संघ और अखिल असम कचहार करीमगंज छात्र संघ के बीच यह एकीकरण की बात क्या है? ऐसी कोई बात नहीं है। हो सकता है कि उनमें गुप्त पैंतरेबाजी में सहयोग हो।

कुछ सदस्यों ने कल असम गण परिषद के कुछ कार्यों की आलोचना की थी। ऐसा लगता है कि वे भूल गए हैं कि पिछली बार असम आन्दोलन के दौरान पंका हत्याओं के नाम से विख्यात हत्याओं में पुलिस ने 7 बोडो-कचहरी युवकों का हाथ तथा पैर बांध कर कत्ल कर दिया था। आप इस घटना को कैसे भूल गए? अभी हाल ही में नागालैंड से नागा उग्रवादी असम सीमा में घुस गए थे और उन्होंने अनेक स्थानीय लोगों को मार दिया था। इस घटना के शिकार लोगों में कुछ मुस्लिम और कुछ बोडो आदिवासी लोग थे। क्या यह कार्य असम गण परिषद ने किया था? निःसन्देह यह उनका कार्य नहीं है।

किसी सदस्य ने बलात्कार विशेषकर पुलिस द्वारा किए जा रहे बलात्कार का उल्लेख किया है। मैं यह नहीं कहता कि ऐसी घटनाएं बिल्कुल ही नहीं हुई। लेकिन दुमका बलात्कार घटना के संबंध में एक पूर्ण जांच न्यायालय गठित करने का असम गण परिषद में साहस है। मेरी जानकारी यह है कि जब भी कोई शिकायत जिला प्रशासन या सरकार के पास आई तो तत्काल इस पर कोई जांच या न्यायिक जांच का आदेश दिया गया। कुछ सदस्यों ने कहा है कि असम गण परिषद यह नहीं चाहती थी कि केन्द्रीय प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित हों। माननीय गृह मंत्री इस बारे में स्पष्ट उत्तर दें कि क्या केन्द्रीय बलों के लिए अनुरोध जुलाई, 1988 से लगातार किया गया है। असम सरकार इस बिगड़ती हुई स्थिति का समाधान करने के लिए केन्द्रीय सहायता की मांग करती रही है।

असम सरकार ने 7-10-1988 को वायरलैस संचारण संदेश संख्या 172 के अन्तर्गत इस

समय यहां उपस्थित माननीय गृह मंत्री से अनुरोध किया था कि उनके पास पर्याप्त संख्या में बल भेजे जाएं। उन्होंने कहा था कि, "यदि आप अभी पर्याप्त बल हमारे पास नहीं भेज रहे हैं तो ऐसी स्थिति आ सकती है जब इससे भी अधिक बल भेजने से भी कोई फायदा नहीं होगा।" यह सन्देश 7 अक्टूबर को भेजा गया था और इसके बाद पुलिस बल की पहली टुकड़ी फरवरी के मध्य में आई और सारा नुकसान अक्टूबर-फरवरी की अवधि के दौरान हुआ। इन तथ्यों से माननीय गृह मंत्री इन्कार नहीं कर सकते हैं और हम तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि असम गण परिषद सरकार ही सारी रूकावटें उत्पन्न कर रही हो। 15 या 20 दिन पहले हुई एक बैठक में कांग्रेस-इ, अखिल बोडो छात्र संघ के प्रतिनिधि और इस खबर के मुख्य व्यक्ति तथा अन्य बोडो आदिवासी नेता उपस्थित थे और यह सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि केन्द्र के भाग लेने के बारे में भी एक बैठक में निर्णय लिया जा सकता है। यह कहना एकदम गलत है कि असम गण परिषद सरकार या प्रशासन किसी भी केन्द्रीय सहायता के विरुद्ध हैं। ऐसा नहीं हैं। उन्होंने केवल यही कहा था कि, "हमें प्रारम्भिक बातचीत करनी चाहिए। हम केन्द्र सरकार से भाग लेने के लिए अनुरोध करते हैं।"

एक माननीय सदस्य ने कहा है कि सभी पूर्वोत्तर राज्यों को की जाने वाली खाद्यान्न की सप्लाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। मेरे पास प्रशासन की यह सूचना है कि 5 या 6 अप्रैल को राज्य के गृह मंत्री के कहने पर इस क्षेत्र के सभी राज्यों के उच्च अधिकारियों का एक सम्मेलन हुआ था। यह 10 या 15 दिन पहले ही हुआ था। इसमें उन्होंने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि उन्हें कुछ कठिनाइयां हो सकती हैं लेकिन ये कठिनाइयां निश्चित रूप से मदद देने में राज्य सरकार की ओर से तथाकथित अकुशलता अथवा असमर्थता के कारण नहीं हैं। यदि कहीं भी कोई कमी है, सम्भवतः मणीपुर में है, तो यह स्थानीय स्थिति के कारण है। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया था और मैं इसका समर्थन करता हूं। इसके ठीक बाद खाद्यान्न की सप्लाई में किसी कमी को जानने के लिए असम सरकार के मुख्य सचिव ने एक और चर्चा की और इसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस समय ऐसी कोई कमी नहीं है। ये तथ्य हैं। हम सभी समझौता चाहते हैं। लेकिन इन सब बातों का दुःखद पहलू यह है कि कांग्रेस-इ अथवा केन्द्र में उच्च प्रशासन के एक भी व्यक्ति द्वारा कभी भी इस समय चल रही हिंसा की निन्दा नहीं की गई। कल केवल एक या दो वक्ता ही इस बारे में स्पष्ट थे और हमने इसका स्वागत किया। पहले हिंसा की निंदा किए बगैर माननीय गृह मंत्री समझौता करवाने का प्रयास कैसे कर सकते हैं?

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बशीरहाट) : क्या गृह मंत्री भी इसकी निंदा नहीं कर रहे हैं?

श्री पराग चालिहा : नहीं। हम समाधान चाहते हैं। हम लोकतन्त्र के प्रति वचनबद्ध हैं। हम किसी भी हिंसक तरीके का समर्थन नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि यदि वे गलत भावना बनाए रखेंगे और यदि वे कलकत्ता या दार्जिलिंग अथवा किसी अन्य स्थान पर कुछ बड़े होटलों में बैठके करना जारी रखेंगे तो कोई समझौता नहीं होगा। इससे अनेक समस्याएं उत्पन्न होंगी और अनेक लोग इनसे प्रभावित हो जाएंगे। इसलिए हम समझौता चाहते हैं। मेरी माननीय गृह मंत्री से अपील है कि जैसे वे त्रिपुरा में नेता बने थे ऐसे यहां एक और नेता बनने का प्रयास न करें। उन्हें बन्दूक और गोली के द्वारा नहीं, अपितु सभी लोगों के दिल जीतकर असम

का नेता बनना चाहिए। मैं चाहता हूं कि इस समस्या का समाधान मानवीय दृष्टिकोण से किया जाये, गोलियों से नहीं। मैं नहीं चाहता कि षडयन्त्र और चालबाजी की नीति को अपनाया जाये। अतः मैं सभी लोगों से यह अपील करता हूं कि इस मामले के समाधान के लिए मानवीय दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए। यहां बैठे हुए अपने नेता और अन्य लोगों की भांति मैं भी सभी सम्बन्धित लोगों, और विशेषरूप से यहां दिल्ली में बैठे एक या दो ऐसे व्यक्तियों से, जोकि कुछ लोगों के हाथों में खेल रहे हैं, और जो पहले ही न केवल हमें, अपितु अपने आप को भी कुछ नुकसान पहुंचा चुके हैं, यह अनुरोध करता हूं कि वे समस्याओं के समाधान के लिऐ गोलमेज सम्मेलन में भाग लें। मैं समझता हूं कि इस कार्य को जितना जल्दी किया जायेगा न केवल बोडो लोगों के लिए बल्कि पूरे असम के लिए भी उतना ही बेहतर होगा तथा इससे उन लोगों को भी फायदा होगा जो आज वहां आतंक कर रहे हैं।

श्री हरेन भूमिज (डिब्रूगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, असम राज्य काफी लम्बे समय से इस आन्दोलन का सामना करता आ रहा है। बोडो छात्र संघ के आन्दोलन से असम राज्य बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इस समस्या का विश्लेषण करते समय हमें इस बात की गहराई से जांच करनी होगी कि वहां के पिछड़े वर्ग और आदिवासी समुदाय के लोगों में असन्तोष के कारण क्या हैं। प्रसिद्ध शिक्षाविद् श्री काका कालेकर ने एक बार यह कहा था कि असम एक लघु भारत है जिसमें देश के हर कोने के व्यक्ति बसे हुये हैं। इसके अलावा, असम राज्य में विभिन्न प्रकार की जनजातियां और सर्वाधिक पिछड़े समुदाय के लोग बसे हुये हैं। इन जनजातियों और पिछड़े वर्ग के लोगों ने यह कहा है कि असम के लोगों के उनके प्रति पूर्णतः उदासीन रवैया के कारण असम राज्य के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय के रूप में टुकड़े हुये हैं। असम जैसा विशाल पहाड़ी क्षेत्र ऐसे राज्यों के रूप में विभक्त हो गया है और अब असम राज्य घटकर केरल राज्य जितना रह गया है। चूंकि मुझे भाषण देने के लिए अधिक समय नहीं मिलेगा इसलिये मैं संक्षेप में अपनी बात कहूंगा। मैं उन मुद्दों को दोहराना नहीं चाहता जिनका उल्लेख मेरे माननीय सहयोगी कर चुके हैं। परन्तु मैं केवल कुछ घटित उदाहरणों का उल्लेख करना चाहूंगा। इन जनजातियों और पिछड़े समुदाय के लोगों प्रति ए० जी० पी० सरकार का रवैया पूर्णतः उपेक्षापूर्ण क्यों है ? गत वर्ष वहां लगभग 500 नवयुवकों को पुलिस में भर्ती किया गया था। मैं यह जानना चाहता हूं कि असम सरकार द्वारा 'टी जनजाति' के कितने नवयुवकों को पुलिस में भर्ती किया गया ? अन्य जनजातियों से भर्ती किये गये नवयुवकों की संख्या कितनी है ? निश्चित रूप से मैं अन्य जनजातियों बारे में नहीं जानता। परन्तु विश्वास है कि इन 500 नवयुवकों में से 'टी जनजाति' का एव भी नवयुवक ऐसा नहीं होगा जिसे पुलिस में भर्ती किया गया है ; उनके पास इस बारे में प्रस्तुत करने के लिये कोई आंकड़े नहीं हैं। वर्तमान राज्य सरकार 'टी जनजाति' के दो मन्त्री थे। बिना किसी आरोप के उनमें से एक मन्त्री को अचानक ही मन्त्रिमण्डल से निकाल दिया गया। (व्यवधान)

श्री दिनेश गोस्वामी (गुवाहाटी) : क्या हम मंत्रिमंडल के पुनर्गठन के बारे में चर्चा कर कर रहे हैं ? मन्त्रियों को आरोपों के कारण नहीं निकाला जाता। (व्यवधान)

श्री हरेन भूमिज : अन्य मन्त्री ऐसे थे जिन्हें भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण निकाला गया था। परन्तु 'टी जनजाति' के एक मंत्री को बिना किसी आरोप के निकाला गया था। वे उस मंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार का कोई भी आरोप सिद्ध न कर सके थे। उसे इसलिये निकाल दिया गया क्योंकि वह 'टी जनजाति' से सम्बन्ध रखता था। वह बोडो जनजाति से नहीं था। यह 'टी जनजाति,

असम की सबसे पिछड़ी और अशिक्षित जनजाति है। इस 'टी जनजाति' के स्नातकों और स्नातकोत्तर व्यक्तियों की संख्या बहुत ही कम है। असम राज्य की कुल जनसंख्या के एक चौथाई भाग वाली इस जनजाति की कुल 50 लाख की जनसंख्या में मुश्किल से 10-15 व्यक्ति ही स्नातक अथवा स्नातकोत्तर स्तर तक शिक्षित होंगे। इन जनजातियों के प्रति यह किस प्रकार का रवैया है ?

असम साहित्य सभा, जोकि असमिया भाषा का एकमात्र माध्यम है, को एक प्रस्ताव भेजा गया था और अनुरोध किया गया था। असम साहित्य सभा से यह अनुरोध किया गया था कि एक प्रस्ताव जारी करके असम के विश्वविद्यालयों और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से यह अनुरोध करे कि वे स्कूलों, कालेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के परीक्षा परिणाम प्रकाशित करते समय इसकी विषय में विशेष रियायतें दे।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका मुद्दा क्या है ? आप अपनी बात पर आइये।

श्री हरेन भूमिज : मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। वे 'टी जनजातियां' आपस में अपनी बोली 'सदनी' बोलते हैं और उन्होंने इस असमिया भाषा को अपना लिया है। स्कूलों, कालेजों और विश्वविद्यालयों में अध्ययन करते समय वे इस असमिया भाषा को अपना लेते हैं। आप उनकी कठिनाइयों की कल्पना कर सकते हैं जिनका सामना इन नवयुवकों को एक नई भाषा सीखते समय करना पड़ता है। परन्तु असम साहित्य सभा से किये गये इस अनुरोध का प्रत्युत्तर नहीं दिया गया।

(व्यवधान)

श्री दिनेश गोस्वामी (गुहावाटी) : माननीय सदस्य ने वर्ष 1985 तक के 38 वर्षों के दौरान अपनी सरकार ये उन सभी मांगों को मानने का अनुरोध क्यों नहीं किया, जिनकी मांग वे अब कर रहे हैं ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप परीक्षा नियन्त्रक थे।

श्री हिरेन भूमिज : हां, मैं परीक्षा नियन्त्रक था। जब मैं परीक्षा नियन्त्रक था तो एक वास्तविक असमी होने का शेखी बघारने वाला एक छात्र मेरे पास आया और उसने मुझसे यह कहा कि वह असमिया में फेल हो गया है। मैंने तुरन्त उसे यह बताया कि हां, इसी कारण वह फेल हो गया है। वह मेरी बात को नहीं समझ सका। ऐसा इसलिये हुआ क्योंकि वह असमिया शब्द का उच्चारण ठीक प्रकार से नहीं कर सका। इसलिए मैंने उसे बताया कि वह इसलिए फेल हो गया क्योंकि वह अपनी ही भाषा के शब्द का उच्चारण नहीं कर सका।

यदि अपनी भाषा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने वाले असम के छात्रों की यह नियति है और वे अपनी भाषा के शब्द का उच्चारण करने में भी सफल नहीं हैं तो उन पिछड़ी जातियों और जनजातियों के लोगों की क्या स्थिति होगी जिन्हें असमिया भाषा को अपनाना पड़ता है ? यह उनके प्रति पूर्णतया उदासीन रवैया है।

असम में 50 लाख जनसंख्या वाली 'टी' और ये 'टी-इतर' जनजातियां, स्वयं को अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित कराने के अपने संवैधानिक अधिकार की मांग कर

रही हैं। परन्तु सरकार ने आज तक उनके मामले की सिफारिश नहीं की।

श्री विनेश गोस्वामी : अब आप केन्द्रीय सरकार और गृह मंत्रालय के विरुद्ध शिकायत कर रहे हैं। यह कार्य श्री संतोष मोहन देव का है।

श्री हरेन भूमिज : केवल यही नहीं, तीन वर्ष पहले असम के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक परिपत्र जारी करके बारक घाटी और ऐसे अन्य जनजाति स्कूलों तथा कालेजों में भी असमिया भाषा के अध्ययन को अनिवार्य बना दिया था जहाँ अधिकतर लोग बंगला और अन्य भाषायें बोलते हैं।

लोगों का दिल दमन अथवा उत्पीड़न द्वारा नहीं जीता जा सकता। लोगों का दिल केवल दिल से ही जीता जा सकता है। हम 21वीं शताब्दी की ओर अग्रसर हैं। अतः ए० जी० पी० सरकार यह समझना चाहिए कि वह इन समस्याओं के बातचीत द्वारा हल के लिए आगे आये ताकि असम राज्य के और अधिक टुकड़े न हों।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव (पार्वतीपुरम) : उपाध्यक्ष महोदय, हम बोडो आन्दोलन के कारण असम में उत्पन्न स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे देश में बहुत से छोटे-छोटे जातीय दल और अल्पसंख्यक हैं। इस मांग के लिए वे लोग बल दे रहे हैं जो अपने आपको असुरक्षित महसूस करते हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने केवल इसलिये ऐसे बहुत से संवैधानिक उपबन्ध बनाये क्योंकि हमारे देश में ऐसे बहुत से दल थे जो कि कतिपय विशेष लोगों और आरक्षणों के पात्र थे।

यह दुर्भाग्य की बात है कि दोनों पक्षों के बहुत से सदस्यों ने इस प्रकार के वाद-विवाद, जिसके बारे में बहुत गहराई से विचार किया जाना चाहिए, के दौरान एक दूसरे के विरुद्ध राजनैतिक आरोप लगाये हैं।

दूसरे पक्ष के कुछ सदस्यों ने कल कहा था कि ए० जी० पी० सरकार के सत्ता में आने के बाद ही बोडोलैंड की इस मांग को उठाया गया और उन्होंने यह प्रश्न किया कि इससे पहले इस प्रकार की मांग क्यों नहीं की गई। मैं केवल यह उल्लेख करना चाहूंगा कि उदयाचल नामक पृथक राज्य की मांग वर्ष 1967 में की गई थी। पूर्वोत्तर क्षेत्र की उलझनों को ध्यान में रखते हुए--यदि मुझे ठीक से याद है तो--17 फरवरी, 1967 को तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्व० श्रीमती इन्दिरा गांधी ने यह कहा था कि संघीय ढाँचे के आधार पर असम का पुनर्गठन किया जायेगा।

1.00 म० प०

इसके बाद एक पखवाड़े के अन्दर ही अखिल बोडो छात्र संघ (ए०बी०एस०यू०) का गठन किया गया और इसके थोड़े समय बाद ही पी० टी० सी० ए० का गठन किया गया। अतः उन्होंने वर्ष 1967 के मध्य में, मुझे सही तिथि याद नहीं है, तत्कालीन राष्ट्रपति को उदयाचल की मांग के समर्थन में एक ज्ञापन दिया था। अतः इस प्रकार एक अलग राज्य की मांग 20 वर्ष पहले की गई थी।

अब, दुर्भाग्य से यह आन्दोलन हिंसक आन्दोलन बन चुका है। यह हिंसा असम में जारी इस विशेष आन्दोलन में ही व्याप्त नहीं है। दुर्भाग्य से पिछले 3, 4 अथवा 5 वर्षों से हिंसा की इस प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला है। मैं बाद मे उन बातों का विस्तारपूर्वक उल्लेख करूंगा। परन्तु मैं यह

उल्लेख करना चाहूंगा कि यदि मेरी बात ठीक है तो वर्ष 1976 असम राज्य विधान सभा में सर्व सम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया था। यदि मेरी बात गलत है तो यहां उपस्थित गृह राज्यमंत्री, जोकि असम राज्य से हैं मेरी बात को ठीक करेंगे। उस प्रस्ताव में यह कहा गया था कि नौकरियां जनसंख्या के अनुपात अथवा ऐसे ही किसी अन्य आधार पर दी जानी चाहिएं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि विभिन्न सरकारों के अच्छे इरादे होने के बावजूद भी इन प्रस्तावों को कार्यान्वित नहीं किया जा सका।

श्री संतोष मोहन देव, श्री दिनेश गोस्वामी तथा मैं स्वयं एक ही दल में थे। यद्यपि सरकार की इच्छा इस वर्ग के लिये कुछ कार्य करने की थी और इस बारे में सर्वसम्मिति से एक प्रस्ताव पारित भी किया गया था परन्तु इस सम्बन्ध में कोई भी प्रभावी कार्यवाही नहीं की जा सकी।

इसलिये यह मामला असम गण परिषद सरकार के सत्ता में आने के बाद अचानक ही उठाया नहीं गया है। इस सारी स्थिति के लिए असम गण परिषद् को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है। ऐसे मामले को इस तरह से राजनीतिक रंग देना उचित नहीं है। यह तो ज्वालामुखी की भांति है और यह किसी भी समय फूट सकता है। (व्यवधान)

आपके सदस्यों ने यह आक्रमण किया है। आप सदन में उपस्थित नहीं होते हैं। इसके लिये मुझे दोष नहीं दिया जाना चाहिए। कृपया मैंने जो कहा है आप उसे सुनिये या यदि आप चाहें तो बाद में रिकार्ड देख सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इन जनजातियों के बहुत से कारण रहे हैं। उदाहरण के लिए, किसी नौकरी विशेष के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण है और वहां 10 से कम रिक्तियां हैं। तब आप जनजातीय लोगों को एक या दो स्थान कैसे दे सकते हैं? जहां 10 से कम रिक्तियां हैं, मैं उन स्थानों का दृष्टान्त दे रहा हूं। अब जान बूझकर केवल पांच रिक्तियां घोषित की जायेंगी। इसलिए यदि केवल पांच रिक्तियां घोषित की जाती हैं तो हम आधे व्यक्ति की नियुक्ति नहीं कर सकते हैं? इसलिए स्पष्टतः इन श्रेणियों के लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। उन दिनों से ही ऐसा हो रहा है तथा यह इसलिए नहीं है कि सरकार की नीयत खराब थी। मैं इसके लिए अधिकारी तंत्र को भी पूर्णतः दोषी नहीं मानता हूं। बल्कि इसका कारण इस समय विद्यमान कुछ सामाजिक समस्याएं थीं। किन्तु इन जनजातियों को कुल मिलाकर समाज के अंग के रूप में स्वीकार नहीं किया गया था। इस राज्य में रहने वाले बोडो और अन्य जनजातियों के प्रति परायेपन का रुख था और इसलिए उन्हें न केवल अपने उन विधि संगत अधिकारों और मांगों के सम्बन्ध में ही कष्ट भोगना पड़ा जिसका उन्हें वायदा किया गया था बल्कि उन्हें ठेके आदि प्राप्त करने जैसे अन्य मामलों में भी नुकसान उठाना पड़ा। यहां तक कि व्यवसाय और अन्य अनेक पहलुओं में भी उनके साथ आर्थिक रूप से भेदभाव किया गया। अन्य अनेक क्षेत्रों में भी ऐसा ही हो रहा है। हम सभी यह जानते हैं। असम गण परिषद सरकार के सत्ता में आने के बाद ही ऐसा नहीं होने लगा है। यह स्थिति तो पहले ही विद्यमान थी। इसके लिए हम सब जिम्मेवार हैं। इसके लिए हमें गहराई से विचार करना होगा और इन लोगों को ऊपर उठाने के लिए सतत प्रयास करने होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, आज हमें न केवल बोडो, बल्कि मिशिंग लालोंग या अन्य जनजातियों को भी समाज की मुख्य धारा में मिलाने की मूलभूत आवश्यकता है। यही वह कार्य है जिसे हम ठीक ढंग से नहीं कर पाये हैं। जहां तक बोड़ो लोगों की मांगों का सम्बन्ध है, मुझे विश्वास है कि हम में से कोई भी, हमारी ओर से या दूसरे पक्ष की ओर से, उनकी पृथक 'बोडो लैंड' की मांग का

समर्थन नहीं करेगा। मैं माननीय गृह मन्त्री से उनके उत्तर में यह अपेक्षा करूंगा कि वह स्पष्ट रूप से कहें कि सरकार ऐसी किसी भी मांग के खिलाफ है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद असम की दूसरी समस्या यह है कि संविधान की छठी अनुसूची में केवल पर्वतीय क्षेत्रों को रखा गया है। असम के मैदानी क्षेत्रों को पांचवीं अनुसूची में नहीं रखा गया है। मैं इस बात उल्लेख इसलिये कर रहा हूं क्योंकि अनेक माननीय सदस्यों ने जनजातियों के सम्बन्ध में भूमि समस्या का जिक्र किया है। भूमि के हस्तांतरण को रोका नहीं जा सकता क्योंकि इसे पांचवीं अनुसूची के अन्तर्गत नहीं रखा गया है। पांचवीं अनुसूची में कहा गया है कि असम इसके अन्तर्गत नहीं आएगा। इस प्रकार, आज असम में जनजातियों को जो एकमात्र अनुदान मिलता है वह संविधान के अनुच्छेद 272 के अन्तर्गत मिलता है। आपके पास उप-मैदानी क्षेत्र है। यह सारी व्यवस्था अनुच्छेद 275 के अन्तर्गत की गई है। अब मुझे बताया गया है कि इसके लिए सलाहकार संस्थाएं हैं। मुझे यह नहीं पता कि क्या सलाहकार-समितियों के निर्णयों को लागू करना सरकार के लिए अनिवार्य है या नहीं? आप अन्य पूर्वोत्तर क्षेत्रों की भांति असम में स्वायत जिला परिषदें नहीं बना सकते क्योंकि बोडो लोग विभिन्न जिलों में रहते हैं। यदि आप पांच-छः जिलों का कोई क्षेत्र लें और वहां उन्हें बोडो लैंड दें तो बोडो लोगों की जनसंख्या 10-12 प्रतिशत होगी। आप मताधिकार को 10-12 प्रतिशत तक सीमित नहीं कर सकते। मैं इस प्रकार स्वायत जिला परिषदों, जैसे कि त्रिपुरा या उत्तर-पूर्व के अन्य भागों में है, को बनाया जाना व्यावहारिक नहीं समझता हूं। किन्तु सम्भवतः कुछ प्रावधान किए जा सकते थे—और यही केन्द्र सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ेगा—ताकि इन निकायों को उप-मैदानी क्षेत्रों की तुलना में अधिक विधि संगत हैसियत दी जा सकें जो पहले ही अस्तित्व में हैं। आप सम्भवतः जनजातियों से सम्बन्धित इन मैदानी क्षेत्रों को संविधान की पांचवीं अनुसूची में शामिल करने की सम्भावनाओं पर विचार कर सकते थे। मुझे यह नहीं पता है कि ऐसा सम्भव है या नहीं किन्तु आप किसी कानून विशेषज्ञ से परामर्श कर सकते हैं। जहां तक भूमि हस्तान्तरण की समस्या का संबंध है इसके हल के लिए यह एक तरीका है।

यदि आप किसी प्रकार का समाधान ढूंढना चाहते हैं तो यह बातचीत के द्वारा ही हो सकता है। मुझे वास्तव में बहुत दुख है कि ए० बी० एस० यू० ने बातचीत में शामिल होने के लिए मना कर दिया है। मुझे विश्वास है कि सम्पूर्ण सदन एकमत से देश के इस भाग में हुई हिंसक गतिविधियों की निंदा करेगा। मैं इस सम्मानित सदन के माध्यम से आल बोडो विद्यार्थी संघ के पदाधिकारियों से अपील करूंगा कि वे बातचीत में भाग लें और इस मामले को राज्य सरकार के साथ सुलझायें और किसी समझौते पर पहुंचने के बाद यदि केन्द्र सरकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता हो तो निश्चित रूप से केन्द्र सरकार से किसी व्यक्ति को जाना होगा और मामले में हस्तक्षेप करना होगा।

मैं इस सरकार को इस क्षेत्र में सेना के हस्तक्षेप के लिए भी चेतावनी देना चाहूंगा। सदन में हमने समय-समय पर कहा है कि दंगों को दबाने के लिए सेना का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। दुर्भाग्य से पड़ौसी राज्यों के मुख्यमन्त्रियों द्वारा केन्द्रीय हस्तक्षेप किये जाने और असम सरकार को बर्खास्त किये जाने आदि जैसे वक्तव्य दिये जा रहे हैं। आल बोडो विद्यार्थी संघ की भी यह मांग है कि आरंभिक बातचीत के दौरान भी केन्द्रीय पर्यवेक्षक उपस्थित होने चाहिए। इन सब बातों से इन संदेहों को बल मिलता है कि केन्द्र आल बोडो विद्यार्थी संघ के साथ मिला

हुआ है या उन्हें बढ़ावा दे रहा है। हो सकता है कि यह सच न हो किन्तु इन बातों से जाहिर ऐसा ही होता है तथा आपके अपने मन्त्रियों द्वारा दिये गये वक्तव्यों से संदेह और पक्का हो जाता है। यदि आप पड़ोसी राज्यों के अपने मुख्यमन्त्रियों पर, जो इस प्रकार की असंवैधानिक मांग करते हैं, नियंत्रण नहीं रख सकते तो यह किस प्रकार की पार्टी है? इस हिंसा का वास्तविक कारण बिल्कुल भिन्न है। प्रधान मन्त्री बनने और सत्ता में आने के बाद श्री राजीव गाँधी ने समझौते के नए युग में प्रवेश किया और इन समझौतों ने कलह के बीज बो दिये और इसके बाद किसी न किसी तरह से यह बात जड़ पकड़ गई कि केन्द्र सरकार से कुछ प्राप्त करने या समझौता करने का एकत्राम तरीका यही है कि पहले किसी-न-किसी तरह से हिंसा आरम्भ की जाये। एक बार हिंसा शुरू होने के बाद उसका कोई अन्त नहीं होता है। गोरखालैंड में हूबहू यही हुआ और यही पंजाब में भी हुआ तथा चुनावों से पहले तमिलनाडु में भी वनियार आन्दोलन जैसी घटना हुई और आन्ध्र प्रदेश में भी एक प्रकार का जातिगत आन्दोलन था। ये सभी बहुत खतरनाक खेल हैं। इन बातों का आप पर उलटा असर पड़ सकता है···(व्यवधान)···यहां तक कि तमिलनाडु में भी अर्थात् वनियार आन्दोलन में भी यही हुआ। आप के मन्त्री यहां से वहां जा रहे थे और वनियारों से बातचीत कर रहे थे। डा० राजहंस जैसे कुछ मित्रों ने कहा है कि आल असम छात्र संघ ने भी आन्दोलन का मार्ग अपनाया है। मैं यहां आल असम छात्र संघ द्वारा किए गये कार्य को सही या गलत साबित करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं। किन्तु क्या इसका अर्थ यह है कि बोडो लोगों को भी ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि उन लोगों ने ऐसा किया है? क्या यह कोई उत्तर है? इसलिए यह मामला राजनैतिक लाभ उठाने का नहीं है। यह इससे भी गंभीर मामला है। आज बोडो लोग यह कर रहे हैं, कल कोई और करेगा। श्री डी० पी० यादव जी, बिहार में आपका झारखण्ड आन्दोलन है जो काफी लम्बे समय से आपके सिर पर तलवार की तरह लटक रहा है।··· (व्यवधान)···चाहे स्थिति जो भी रही हो, एक बार आप ऐसी प्रवृत्तियों को बढ़ने देंगे तो फिर इसका कोई अन्त नहीं है और कल को आप ऐसी स्थिति में पहुँच जायेंगे जब ज्वालमुखी फूट जाएगा। और इससे देश की अखण्डता को भी खतरा होगा। इसलिए, उस क्षेत्र में हुई हिंसा की आलोचना करते समय और केन्द्र सरकार से यह अपील करते हुए कि इस मामले को राजनीतिक लाभ की दृष्टि से न देखें। मैं यह कहूंगा कि अन्ततोगत्वा यह हमारे देश के हित के विरुद्ध होगा और विशेषकर इस क्षेत्र के लिये, क्योंकि यह अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र है। मैं इस सदन तथा आल असम छात्र संघ के नेताओं से राज्य सरकार के साथ बातचीत करने की अपील करूंगा। मुझे उम्मीद है कि इस समस्या का शीघ्र ही मैत्रीपूर्ण ढंग से हल मिल जायेगा और यह भी कि माननीय मन्त्रीगण और इस सदन के सभी वर्ग राज्य में हुई हिंसा, जिसमें बहुत-सी मौतें हुईं तथा सम्पत्ति का नुक्सान हुआ है, की निन्दा करेंगे।

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : मैं सबसे पहले असम में बोड़ो आन्दोलन के दौरान जो हत्यायें हुई हैं उनकी निन्दा करती हूं। जो 159 परिवारों के लोगों का इस दौरान देहान्त हुआ है उन शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करती हूं। यह बहुत दुःख और अफसोस की बात है कि आजादी के चालीस साल बाद भी हमारे देश के कुछ हिस्सों में छोटे-छोटे मूवमेंट शुरू होकर बड़े आन्दोलन का रूप ले लेते हैं और आतंकवाद के साथ खेल खेलते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर देश में वायलेंस हो तो उसकी निन्दा करेगा, इसमे दो राय नहीं हैं। जो ट्राइबल हैं उनकी एथनिक प्राब्लम हैं। बोडो आन्दोलन जो चल रहा है असम में, किशोर चन्द्र जी ने जैसा कि कहा कि 1967 में उदयाचल की मांग की थी, लेकिन बाद में इस आन्दोलन का कोई रास्ता नहीं था। असम में कांग्रेस

ने ट्राइबल की समस्या को देख-भाल की थी। इसके बाद जब ए० जी० पी० का आन्दोलन हुआ था असम में तो बोडो लोग भी उनके साथ आन्दोलन में थे, जो कि आज भी बोडो आन्दोलन में भी हैं, वह ए०जी०पी० के साथ हैं···मैं सदन में कल से ए०जी०पी० के मैम्बर्स के भाषण सुन रही हूं। दिनेश भाई इस समय सदन से निकल गये, मुझे उनका भी भाषण सुनने का मौका भी मिला, मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि आज आसाम में जो बोडो आन्दोलन हो रहा है, उसको समाप्त करने के लिये आप की सरकार ने क्या स्टैप्स लिये हैं, उनकी समस्या हल करने के लिये क्या किया है। आप उनकी समस्या हल करने की बजाय, इस एजीटेशन से पोलिटिकल फायदा उठा रहे हैं। काफी समय से आप संतोष मोहन देव, कांग्रेस पार्टी और न जाने किस-किस को गालियां दे रहे हैं। मैं साफ-साफ होम मिनिस्टर साहब से पूछना चाहती हूं कि आसाम में आज जिस तरह से वायोलैंस हो रहा है, हजारों आदमी अब तक मारे जा चुके हैं, क्या आपने प्रैस स्टेटमैंट रिलीज करके उस वायोलैंस को कण्डैम किया है। यदि नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है। लेकिन मुझे विश्वास है और मैंने पेपर्स में देखा है कि खुद होम मिनिस्टर साहब ने स्टेटमैंट रिलीज करके इस मूवमैंट को कन्डैम किया है। मैं चाहती हूं कि होम मिनिस्टर साहब अपनी रिप्लाई में सारी स्थिति स्पष्ट करें। मैं आसाम में चल रहे बोडो आन्दोलन का समर्थन नहीं करती हूं, यह बात सच है, लेकिन उनकी जो ऐथनिक प्राब्लम हैं, हमारे देश में विभिन्न जिलों में, विभिन्न जगहों पर रहने वाले ट्राइबल्स लोगों की अलग-अलग प्राब्लम्स हैं, बोडो मूवमैंट के पीछे उनकी एक मुख्य डिमाण्ड है कि हमारे साथ सैकेण्ड क्लास सिटीजन की तरह आसाम गवर्नमैंट बिहेव करती है, इसके अलावा उनके कुछ दूसरे प्राब्लम्स भी हैं। आसाम गवर्नमैंट ने 1986 में एक नोटिफिकेशन पब्लिश किया था जिसमें यह कहा गया था कि एल० डी० सी० की भर्ती के लिए आसाम के रहने वाले लोगों को ही सम्मिलित होने का अधिकार है, उस आदमी को आसामी लैंग्वेज जानना कम्पलसरी है। बोडो ट्राइबल्स के लोगों का कहना है कि हम आसामी भाषा नहीं जानते, फिर हमारे साथ यह अन्याय क्यों हो रहा है, हम आसाम में कितने वर्षों से रहते आये हैं, फिर हमें एम्पलायमैंट औपोरच्यूनिटीज क्यों नहीं मिल सकती। यह सच है कि 1986 में आसाम सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें साफ-साफ कहा गया है कि एजूकेशन के मामले में भी आसामी भाषा कम्पलसरी है। आसाम में हर तरह का आदमी रहता है, माइनोरिटीज भी है, बंगाली भी हैं, मुस्लिम भी हैं, बिहारी भी हैं, ट्राइबल्स भी हैं, लेकिन ए०जी०पी० गवर्नमैंट का इन्टैंशन बहुत खराब है। ए०जी०पी० गवर्नमैंट को सोचना चाहिए कि आज वहां बोडो एजीटेशन क्यों चल रहा है। उनकी एक ही डिमाण्ड है : असम फार असमीज, लेकिन हिन्दुस्तान के किसी स्टेट में ऐसा नहीं होता, जैसा आज आसाम में हो रहा है। जब आसाम के चीफ मिनिस्टर हितेश्वर सैकिया थे, वे भी आसाम एकौर्ड किए जाने के पक्ष में थे, परन्तु हमारे प्रधानमन्त्री ने उन्हें हटा दिया और आसाम एकौर्ड पर हस्ताक्षर हो गये। इसका कारण यह है कि हमारे प्रधानमन्त्री आसाम और आसाम के लोगों का विकास चाहते हैं, इसीलिये उन्होंने हितेश्वर सैकिया को हटाया। लेकिन आज वहां क्या हो रहा है, ए० जी० पी० के मैम्बर्स अपने भाषण में दूसरों की गलतियां निकाल रहे हैं। आपको पता होना चाहिये कि बोडो मूवमैंट किस का ब्रेनचाइल्ड है, वह ए० जी० पी० की ब्रेनचाइल्ड ही है। आपको कुछ भी मालूम नहीं है फिर भी आप कांग्रेस के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं। वायोलैंस को आप कन्डैम नहीं करते।···(व्यवधान)···मैं आपको सच बताना चाहती हूं। आज बोडो आन्दोलन की वजह से हमारे हजारों भाई, बहन आसाम में मारे जा रहे हैं, जिसमें मुस्लिम, माइनोरिटी के

लोग, सभी शामिल हैं। आज मिस्टर फूकन आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस वायोलेंस क्रिएट करने में सहायता कर रही है, लेकिन कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं किया और न कर सकती है। बोडो मूवमेंट इज यौर ब्रेनचाइल्ड। जब आप लोग बोल रहे थे तो मैंने बीच में नहीं टोका, इसलिये जब मैं बोल रही हूं तो आप मुझे बोलने से क्यों रोकते हैं। सर, मैं आज भी असम में जाती हूं क्योंकि वहां हमारे अनेक भाई बहन रहते हैं। हमारे दिल में कभी ऐसी भावना नहीं रही कि कौन आसामी है, कौन बंगाली है, कौन हिन्दू है, कौन मुसलमान है। हम जाति या प्रान्त के आधार पर किसी का बंटवारा नहीं करते। लेकिन बड़े दुख की बात है कि आसाम में आज ट्राइबल्स के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है, दूसरे लोगों पर टीचर हो रहा है। मैं आसाम के चीफ मिनिस्टर को बताना चाहती हूं कि आसाम केवल उनका ही नहीं है, सभी लोगों का है इसलिए उन्हें आसाम में रहने वाले हर व्यक्ति की उचित देखभाल करनी चाहिए, यह उनका दायित्व है। मेरी कांसटीटूऐंसी का एक अनएम्पलायड यूथ आज से डेढ़ साल पहले आसाम गया था जब उसे डिब्रूगढ़ से नौकरी के लिए काल मिला था।

एक एम्पलामेंट के लिए वह बंगाल से गया, लेकिन उसको वहां खूब मारा। तब मैं उसको लेकर कलकत्ता के हास्पिटल में भर्ती कराने गई। लेकिन हमारी ऐसी इच्छा कभी नहीं रहती है। अगर आप हमारी स्टेट में आयें, तो हम आपको तंग नहीं करेंगे। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आसम में गैरअसमीज को तंग किया जा रहा है। इसके लिए आसाम गवर्नमेंट इनएफिशियेंट है। इसलिए वहां पर ऐसा हो रहा है। सर, मैं बोडो आन्दोलन को सपोर्ट नहीं करती हूं। लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहती हूं कि वहां पर 60 परसेंट बोडो लैंडलैस हैं, उनकी यह एथनिक प्राब्लम है। उनका कहना है कि आसाम गवर्नमेंट हमको सैकिण्ड सिटीजन की तरह से ट्रीट करती है। जैसे नागालैंड, मिजोरम के एरियाज में ट्राइबल्स का डवलोपमेंट हुआ है, वैसे ही असम के बोडोज का भी डवलोपमैंट होना चाहिए। हम यह नहीं कहते कि उनको छठे शैड्यूल की तरह से सुविधाएँ दो, लेकिन फिर भी मैं यह कहना चाहती हूं कि जो उनकी जैन्यूइन डिमाण्ड्स है, उनको आप जरूर मानिए। आसाम में जो बोडो मूवमेंट कर रहे हैं और इन्नोसेंट आदमियों को मार रहे हैं, उनका मैं समर्थन नहीं कर रही हूं और जो पुलिस का एटीट्यूड है, लेडीज को रैप किया गया है, ऐसी कार्यवाहिकों का भी मैं समर्थन नहीं कर रही हूं। वहां के एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के बीच में लैक आफ कम्यूनीकेशन है, इसका कारण वहां ये सब गड़बड़ी हो रही है। आसाम गवर्नमेंट में, किसी असमी को कोई कान्फिडेंस नहीं है। सेन्ट्रल गवर्नमेंट उसमें इन्टरवीन करे या न करे, लेकिन यह बोडो मूवमेंट खत्म होनी चाहिए। जब जी० एन० एल० एफ० मूवमेंट हुआ था, तो पहले वहां के चीफ मिनिस्टर को सेन्ट्रल गवर्नमेंट पर विश्वास नहीं था, लेकिन बाद में चीफ··· मिनिस्टर की समझ में बात आ गई कि हमें उसको प्रेस्टीज झायू नहीं बनाना चाहिए और फैसला करना चाहिए। बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट और जी० एन० एलई एफ० एक साथ बैठे और फैसला किया। इसी प्रकार से यह जो बोडो मूवमेंट चल रहा है, इसका भी साल्यूशन निकालना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं कि यह बोडो आन्दोलन देखने में छोटा लगता है। लेकिन कई बार छोटे-छोटे आन्दोलन भी देश के लिए बड़े खतरनाक सिद्ध होते हैं। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप को इस तरफ ध्यान देना चाहिए।

आसाम में, आसू या बोडो की बात नहीं है, बात असली यह है कि वहां पर और भी बहुत सारी मायनियारिटीज हैं जिनके ऊपर अत्याचार और जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनको भी वहां की सरकार दबा रही है । वे कब तक दबेंगे । जब ए० जी० पी० के लोग मूवमेंट कर रहें थे, तब यह छोटे भाई की तरह थे, लेकिन अब जब वे आपस में लड़ रहे हैं तो यह छोटा भाई भी मूवमेंट कर रहा है, उन्हें इस बात का विश्वास ही नहीं होता कि उनका छोटा भाई भी इस तरह का मूवमेंट कर सकता है । ये असम की गवर्नमेंट बोडो मूवमेंट की समस्या को साल्व नहीं कर पा रहीं है । कल हमारे एक सदस्य श्री शांताराम नाईक ने इस ए० जी० पी० को* का ठीक ही नाम दिया था ।

हमने देखा है कि असम गवर्नमेंट का क्या सिचुएशन है, वहां बैंकरप्टसी हो गई है, वहां पर आफिसर्स को सैलरी भी नहीं दे सकते हैं । असम में प्राइस राइज इतना हाइक हो गया है कि आदमी थोड़ी चीज भी नहीं खरीद सकता है । ऐसी सिचुएशन में असम गवर्नमेंट और वहां के चीफ मिनिस्टर को मालूम है, कि वह कुछ नहीं कर सकते हैं । वह खाली एजीटेशन कर सकते हैं, मर्डर कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं जला सकते हैं लेकिन असम में पीस लाने के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं । आप असम में पीस लाने के लिए वहां की गवर्नमेंट को बोलिए ।

असम में बोडो मूवमेंट में जो गवर्नमेंट आफिसर्स का मर्डर हुआ है, इन्नोसेंट आदमी का जो मर्डर हुआ है, उनके परिवारों के रिहैब्लिटेशन के लिए मैं सदन से, माननीय मन्त्री जी से और स्टेट गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि उनके लिए कुछ किया जाए ।

श्री माधव राव सिंधिया को हम बधाई देना चाहते हैं क्योंकि एक स्टेशन मास्टर का मर्डर हो गया था, उन्होंने तुरन्त उसकी वाइफ को बुलाकर उसे नौकरी दिया है लेकिन असम में जिन लोगों का मर्डर हुआ है वहां पर उनके परिवारों के लिए कुछ नहीं हो रहा है । जिनका मर्डर हो गया है, उनकी वाइफ और लड़के में से किसी को नौकरी देनी चाहिए । सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लाईज को सेंट्रल गवर्नमेंट मदद देगी और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लाईज को स्टेट गवर्नमेंट को मदद देनी चाहिए । (व्यवधान)

मैं सेंट्रल गवर्नमेंट और आपको, दोनों को बोलना चाहती हूं कि इस मूवमेंट पर पोलिटिकल आउटलुक से विचार न कीजिये, मानसिकता से विचार कर के इस मूवमेंट को साल्व कीजिये ।

[अनुवाद]

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर (बंगलौर, दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कल सभा में सम्मिलित नहीं था । परन्तु आज मैंने कुछ भाषण सुने हैं । मुझे यह देखकर दुख होता है कि इस मुद्दे ने एक राजनैतिक मोड़ ले लिया है । बोडो आन्दोलन एक राष्ट्रीय समस्या है और इस आन्दोलन के बहुत खतरनाक प्रभाव हो सकते हैं । इस आन्दोलन और आन्दोलनकारियों द्वारा की गई हिंसा की स्पष्टता भर्त्सना करने के बजाय, इस मंच का इस्तेमाल असम में सत्तरूढ़ असम गण परिषद् की सरकार पर आरोप लगाने के लिये किया गया है । महोदय, यह हमारे देश का सर्वोच्च विधान मंडल है । जब भी देश के किसी हिस्से में हिंसा होती है तो हमारा सर्वप्रथम एवं सर्वोपरि कर्त्तव्य यह है कि हम हिंसा की भर्त्सना करें । सभा को मालूम है कि इस में 160 से अधिक निरपराध

*अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया ।

लोग मारे जा चुके हैं। आन्दोलनकारियों ने सैकड़ों सरकारी इमारतों को जला दिया है और सैकड़ों लूटपाट और आगजनी की घटनाएं हुई हैं। हमारा सर्वप्रथम एवं सर्वोपरि कर्त्तव्य हिंसा की भर्त्सना करना है।

मैं भलीभांति जानता हूं कि यदि इस आन्दोलन को बढ़ावा दिया गया तो इससे सभी राज्यों में ऐसे ही आन्दोलन शुरू हो जायेंगे। यदि आप किसी राज्य के एक हिस्से को पृथक राज्य बनाये जाने की मांग को स्वीकार कर लेते हैं तो सभी राज्यों में यही मांग उठेगी। यह सम्भव है कि आदिवासियों की कुछ कठिनाइयां हों, जो कि बिल्कुल सही हो सकती है। मैं उनकी समस्याओं से अवगत हूं परन्तु श्री गोस्वामी और श्री चालिहा की भांति नहीं। न केवल बोडो बल्कि असम के दूसरे आदिवासियों को भी कुछ शिकायतें हो सकती हैं। वे अपनी संस्कृति को बरकरार रखना चाहते हैं। उनकी आर्थिक समस्याएं भी हैं, क्योंकि जिन वनों पर उनकी अजीविका निर्भर है, उन्हें नष्ट कर दिया गया है। परन्तु इसका हल एक पृथक राज्य की मांग तो नहीं है। इस बात को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। परन्तु इस मामले में, मैं देख रहा हूं कि आन्दोलन की भर्त्सना करने और कोई समाधन ढूंढ़ने के बजाय, असम गण परिषद् की सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है। यदि आप असम गण परिषद् सरकार पर आरोप लगाते रहेंगे तो इस समस्या का समाधान नहीं होगा। मैं इस पर विश्वास नहीं करता कि यह आन्दोलन असम गण परिषद् आन्दोलन का एक भाग है। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि यह अब शुरू नहीं हुआ है। यह आन्दोलन 20 वर्ष पहले से चल रहा है। देश के किसी भी भाग में पृथक राज्य के लिए इस प्रकार के आन्दोलन को शुरू में ही कुचल दिया जाना चाहिये। जब कभी भी क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हो जाय अथवा किसी राज्य के किसी विशेष भाग में कुछ समस्याएं हों तो यह राज्य सरकार का कर्त्तव्य है कि उस क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करे। मैं इस बात को मानता हूं कि इन लोगों की कुछ शिकायतें हों। परन्तु उन्हें पृथक राज्य की मांग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिये। महोदय, हमें स्पष्ट तौर पर हिंसा की निन्दा करनी चाहिए। सभा को विद्यार्थी यूनियन के अपील करनी चाहिए कि वे वार्ता के लिये आगे आयें। मैंने समाचार पत्रों में उनकी कुछ मांगों के बारे में पढ़ा है। उनकी 80-90 मांगे हैं। राज्य सरकार के लिये यह सम्भव है कि वह उनके साथ बातचीत करके कम-से-कम उनकी कुछ मांगों का समाधान करे। एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि विद्यार्थी यूनियन यह क्यों चाहती है कि केन्द्रीय प्रतिनिधि भी बातचीत के दौरान उपस्थित रहें ? श्री संतोष मोहन देव को यह बात साफ करनी चाहिए। इससे क्या धारणा बनती है इससे यह धारणा बनती है कि सत्तारूढ़ दल के ऊपर के स्तर पर अथवा सरकार और आन्दोलककारियों के बीच कोई सम्बन्ध है। वे इस बात पर दबाव क्यों डाल रहे हैं। सर्वप्रथम उन्हें बातचीत के लिए आगे आना चाहिये और इस मामले पर बातचीत करनी चाहिये और यदि आवश्यक हो तो राज्य सरकार केन्द्रीय हस्तक्षेप के लिए आवश्य कहेगी। परन्तु ऐसा करने के बजाय यदि वे बातचीत के लिये आने के लिये ही कुछ शर्तें रखते हैं तो वे कभी भी स्वीकार नहीं की जानी चाहिएं।

अब मैं सत्तारूढ़ दल के सदस्यों से एक अपील करता हूं। चर्चा से मुझे यह ज्ञात हुआ है कि निशाना असम गण परिषद् सरकार है। असम गण परिषद् की सरकार एक निर्वाचित सरकार है। यदि जनता उनसे संतुष्ट नहीं है तो वह उन्हें सत्ता से हटा देगी।

यदि जनता असम गण परिषद् सरकार की कार्यकुशलता से प्रसन्न और संतुष्ट नहीं है तो एक या दो वर्ष में होने वाले चुनावों में वह उन्हें सत्ता से हटा देगी। इस सभा के एक विनम्र सदस्य के रूप में, मैं विशेषतौर पर केन्द्रीय नेताओं से अपील करता हूं कि इस हिंसा की निन्दा करनी चाहिये। यह सर्वप्रथम और सर्वोपरि आवश्यकता है। उत्तर देते समय मन्त्री जी को इस हिंसा की भर्त्सना करनी चाहिये। आपको विद्यार्थी नेताओं को सलाह देनी चाहिये कि वे निमन्त्रण को स्वीकार करें और बातचीत में भाग लें। साथ-साथ, कुछ नेता, विशेषतौर पर पड़ौसी राज्यों के मुख्यमंत्री, जो ऐसे आन्दोलनों को बढ़ावा देने के लिये वक्तव्य जारी कर रहे हैं, उन्हें भी हतोत्साहित किया जाना चाहिये। असम गण परिषद् की सरकार का यह डर सही है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता दी जा रही है। इसलिये उनका डर सही है। इसे समाप्त किया जाना चाहिये। इसे एक वक्तव्य द्वारा समाप्त किया जा सकता है। इस सभा के माध्यम से, सर्वप्रथम मैं इस हिंसा की निन्दा करना चाहता हूं। किसी भी स्थिति में, हमें हिंसा को मान्यता नहीं देनी चाहिये। किसी भी कीमत पर हमें देश के किसी भी हिस्से में ऐसी हिंसा को बढ़ावा नहीं देना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि कम से कम इस सभा को बोडो विद्यार्थी यूनियन को संदेश में भेजना चाहिए कि उन्हें वार्ता के लिये आना चाहिये और राज्य सरकार से अपनी समस्याओं पर बातचीत करनी चाहिये। तब ही, यदि आवश्यक हो तो, वे केन्द्रीय हस्तक्षेप के लिये कह सकते हैं। ये दो बातें महत्त्वपूर्ण हैं। इसके बजाय, यदि आप असम गण परिषद् पर आरोप लगाते रहेंगे तो समस्या का समाधान नहीं होगा। इससे केवल राजनैतिक विवाद उत्पन्न होगा। यह कोई राजनैतिक मामला नहीं है। यद्यपि मैं विपक्षी सदस्य हूं तथापि मैं इस मामले को राजनैतिक दृष्टि से नहीं देखता क्योंकि यह एक अत्यन्त खतरनाक बात है। यदि आप एक क्षेत्र में पृथक राज्य की मांग स्वीकार कर लेते हैं तो अन्य राज्यों से भी ऐसी मांग आयेगी।

इन शब्दों के साथ, मैं भाषण का अवसर देने के लिये आपका धन्यवाद करता हूं।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष जी, जब मेरे मित्र श्री पराग चालिहा बोल रहे थे तो मुझे यह शंका होने लगी थी कि वह बोडो स्टूडेंट्स आन्दोलन से उत्पन्न चर्चा के बारे में बातचीत कर रहे हैं या गृह राज्य मन्त्री श्री संतोष मोहन देव जी के ऊपर बात कर रहे हैं। उनकी बात से मुझे ऐसा लगा कि वह इस सारे मामले को पोलिटिकल ऐंगल और पोलिटिकल ऐंगल से भी ऊपर पार्टी ऐटिच्यूड से देखने की कोशिश कर रहे हैं।

लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है और हर प्रकार की हिंसा की निन्दा की जानी चाहिए—चाहे वह निन्दा बोडो स्टूडेंट्स यूनियन के उग्रवादी तत्त्वों द्वारा की जा रही हो। या असम पुलिस द्वारा बोडो लोगों के ऊपर की जा रही हो। हमें दोनों प्रकार की हिंसा की निन्दा करनी चाहिये। मैं समझता हूं कि जब तक हम दोनों प्रकार की हिंसा की निन्दा नहीं करेंगे तब तक काम चलने वाला नहीं है। हमको ठीक से समझा नहीं जा रहा। हमारी पार्टी की तरफ से

बिल्कुल साफ-सी बात है कि हम समग्र और मजबूत असम चाहते हैं और ऐसा ही असम सारे देश के हित में भी है और इसीलिये प्रधान मन्त्री जी ने बिल्कुल साफ तौर पर कहा है कि असम का आगे कोई विभाजन नहीं होने दिया जायेगा और इसके बाद भी यदि असम गण परिषद् की सरकार केन्द्र की सरकार की तरफ शंका की निगाह से देखती है तो ऐसा लगता है कि वह मामले की तह में जाने की कोशिश नहीं कर रही है बल्कि केवल अपनी पार्टी के हित को देखते हुए असम के लोगों को आपस में लड़ाकर जो उनके फैल्योर्स हैं, जो आर्थिक क्षेत्र में और विकास के क्षेत्र में कुछ कर नहीं पाये हैं वहां से लोगों का ध्यान हटाना चाहते हैं।

इस हाउस को अच्छी तरह से याद है जब दार्जिलिंग का आन्दोलन चल रहा था तो उस समय भी माननीय प्रधान मन्त्री जी ने, केन्द्र की सरकार ने पश्चिम बंगाल की सरकार को सलाह दी थी कि आप गोरखा आन्दोलनकारियों के साथ बात करिये, उनकी जैन्युइन प्राब्लम को शार्ट आउट करने की कोशिश करिये और आपस में बातचीत करके ही समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। जिस तरह आज असम की गवर्नमेंट केन्द्र की सरकार से कह रही है कि आप इण्टर-फियर कर रहे हैं, हमारे इण्टरनल मामले में और केन्द्र सरकार को बातचीत से अलग रखने की कोशिश कर रही है, बावजूद इसके कि बोडो आन्दोलनकारी कहते हैं कि केन्द्र सरकार के रिप्रे-जैण्टेटिव की मौजूदगी में हम बातचीत करेंगे, मगर असम की सरकार कहती है कि नहीं आप हमसे बातचीत करिये, केन्द्र सरकार से नहीं, ठीक इसी प्रकार का एटीट्यूड पश्चिमी बंगाल की सरकार ने भी गोरखा मूवमेंट के दिनों में अपनाया था और परिणामस्वरूप दार्जिलिंग के अन्दर भयंकर हिंसा हुई और अन्ततोगत्वा पश्चिम बंगाल की सरकार, जो हमारा स्टैंड था, जो कांग्रेस का स्टैण्ड था, जो केन्द्र सरकार का स्टैण्ड था, को मानना पड़ा और दार्जिलिंग के अन्दर शान्ति स्थापित हुई। सवाल विश्वास का है। यदि बोडो आन्दोलनकारी किसी कारणवश असम सरकार पर विश्वास नहीं कर रहे हैं और वह केन्द्र की सरकार पर विश्वास कर रहे हैं, असम की सरकार भी समस्या का समाधान निकालना चाहती है, बोडो आन्दोलनकारी भी निकालना चाहते हैं, पी० टी० सी० ए० के लोग भी निकालना चाहते हैं और केन्द्र सरकार भी निकालना चाहती है, जब हमारा उद्देश्य एक है तो उसमें किसी के इन्वाल्वमेंट और किसी के इन्वाल्व न करना या उसको बाहर रखने की कोशिश करना अपने आप में बिल्कुल निरर्थक है। यदि असम की बोडो समस्या को हम केवल लॉ एण्ड आर्डर के ऐंगल से देखने की कोशिश करेंगे, जैसा मुझे लगता है कि असम सरकार देखने की चेष्टा कर रही है तो यह बिल्कुल अनुचित होगा। यह बहुत सेंसिटिव इश्यू है। बोडो आज से मांग नहीं कर रहे हैं, 1967 से मांग कर रहे हैं और 1967 से वह मांग करते आये हैं। उनकी बातों पर केन्द्रीय सरकार विचार भी करती आई है, कोई ऐसा नहीं है कि आज जब असम गण परिषद् की सरकार है, उसी समय केन्द्र सरकार कोई सलाह दे रही है, इससे पहले भी असम की राज्य सरकार को केन्द्र सरकार ने यह सलाह दी है कि आप बोडो आन्दोलनकारियों से बातचीत करिये लेकिन आज जब वहां पर अचानक हिंसा भड़की, जब बोडो आन्दोलनकारी अचानक हिंसा पर उतारू हुए हैं तो निश्चित तौर पर कोई न कोई ऐसी बात पैदा हुई है जिससे उन शान्त लोगों के मन में कहीं पर

कोई ऐसी चीज पैदा हुई है। मैं केन्द्र सरकार के गृह मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसकी तह में जाने की कोशिश करें। होना तो यह चाहिए था कि असम गवर्नमैण्ट को भी इसकी तह में जाकर यह पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर बोडो लोग जो वर्षों से शान्त पड़े हुए थे, आज क्या कारण है कि वह हिंसक हो गये। (व्यवधान) सवाल 4 मिनिस्टर रखने का नहीं है। सवाल इस बात का है कि आज बोडो लोगों की मूल समस्या के प्रति आप कितने सेंसिटिव हैं, कितने जागरूक हैं, आपकी कितनी दिलचस्पी है, कितनी तकलीफ उनकी प्राब्लम्स के प्रति आपके मन में है। यदि उनके मन में यह फीलिंग है, यदि ट्राइबल्स के मन में यह फीलिंग आ जायेगी कि कोई सरकार, चाहे किसी भी राज्य की सरकार हो, हमारे हित के प्रति जागरूक नहीं है, हमारा हित साधन नहीं चाहती है तो फिर वह लोग विश्वास करने वाले नहीं हैं, चाहे 4 मिनिस्टर रख दिये जायें या 6 मिनिस्टर रख दिये जायें। मैं निवेदन करना चाहूंगा, चाहे ए० जी० पी० गवर्नमेंट इसकी तह में जाय या न जाय कि बोडो आन्दोलनकारी क्यों अचानक हिंसक हो गये, माननीय गृह मंत्री जी गृह मंत्रालय को इसकी तह में जाना चाहिए। वैसे मैं समझता हूं कि ए०जी०पी० की सरकार को समझना चाहिए था, यह बोडो आन्दोलनकारी हैं कौन, यह बोडो स्टूडैंट्स यूनियन कौन है, जब असम आन्दोलन चल रहा था उस समय यह आशु का पार्ट एण्ड पार्सल था, इनके साथ ही थे, एक दूसरे से ट्रेनिंग लिए हुए लोग हैं···हम से ज्यादा बेहतर तो ये उनको समझ सकते हैं। लेकिन तकलीफ की बात यह है कि ए० जी० पी० बजाय बात को समझने के सारे मामले को पोलिटिकल कलर देने की कोशिश कर रही है।

मैं आपके माध्यम से असम सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इस मामले में अनावश्यक रूप से और सैन्टर के रिप्रजैन्टेटिव की मौजूदगी में बातचीत करने के मामले को लेकर, जो बोडो स्टूडैंट यूनियन का प्रस्ताव है, उस पर अनावश्यक रूप से टची न रहे। यदि वे अनावश्यक रूप से इस मामले को उठा लेंगे तो निश्चित तौर पर उस का प्रभाव सारे नॉर्थ-ईस्ट पर भी पड़ेगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि असम एक ऐसा राज्य है जिसका रैस्ट आफ दि कन्ट्री के साथ हर प्रकार से एफिलिएशन है, राइट फ्राम दि फ्रीडम मूवमेंट। असम के अन्दर गड़बड़ी पैदा होती है, कोई दिक्कत पैदा होती है तो उस का प्रभाव सारा नॉर्थ-ईस्ट पर पड़ता है। हमारे मित्र, श्री किशोर चन्द्र देव और दूसरे साथियों ने कहा कि अब कुछ नॉर्थ-ईस्ट के मुख्यमंत्रियों ने इस विषय में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करने की कोशिश की है और सैन्टर से कहा है कि आप बातचीत करें। क्यों नहीं कहें, सारे नॉर्थ-ईस्ट की सप्लाई असम से होकर जाती है। मैं तो बल्कि माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे हाउस को बताने की कृपा करें, पीछे जब से बोडो आन्दोलन चला है, तब से नार्थ-ईस्ट के विभिन्न राज्यों में सप्लाई की पोजीशन क्या है। उन तक अनाज पहुंचा है या नहीं या कम मात्रा में पहुंचा है, ऐसी स्थिति में यकीनन उनके मन में तकलीफ होगी। उनकी समस्या बढ़ी है, उनकी कठिनाई बढ़ी है, यदि उस पर उन्होंने रियेक्ट किया है तो उनका यह रियेक्शन अनुचित नहीं कहा जा सकता है। चाहे इसके विषय में ए० जी० पी० की सरकार कुछ भी कहे।

हम सब जानते हैं कि जनजातियां अमूमन खामोश रहने वाले लोग होते हैं, शान्ति रखने

वाले लोग होते हैं, अहिंसा में विश्वास करने वाले लोग होते हैं। ये केवल तीन स्थितियों में वायोलेंट होते हैं। एक जब उनमें सैंस ऑफ आइसोलेशन पैदा हो जाए, जो आज बोडो लोगों में पैदा हो गया है। दूसरे वे यह महसूस करें कि आपनी आइडेंटिटी बिल्कुल खत्म हो रही है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से बोडो लोगों की जमीनें बाहर वाले···आकर कब्जा कर रहे हैं, उससे उनको अपनी आइडेंटिटी को खतरा पैदा हो गया है। यदि केन्द्रीय सरकार से आप कहते हैं, उनकी मांग है कि हम तक सिक्स्थ शैडयूल एक्सटेंड किया जाए। केन्द्र की सरकार कहती है कि जितने भी प्लेन्स में ट्राइब्ल्स लोग हैं, वहां सिक्स्थ शैड्यूल लागू किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता कितने क्षेत्र में लागू किया जा सकता है, असम सरकार बोडो लोगों से बातचीत करे। लेकिन असम की सरकार सिक्स्थ शैड्यूल को कहां लागू करना है, उसके विषय में बात नहीं करना चाहती है। तीसरी स्थिति जब इकोनोमिक नैगलैक्ट और एक्सप्लायटेशन अपनी एक्स्ट्रीम पर होता है। मैं भी जिस क्षेत्र से आता हूं, वहां पर भी हमारे क्षेत्र के अन्दर आज नौजवान अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। गृह मंत्री जी इसका कारण यह है, वे यह महसूस करने लगे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार को जितना ध्यान पहाड़ी क्षेत्र के डवेलपमेंट की ओर देना चाहिए था, उतना ध्यान डवेलपमेंट की ओर नहीं दिया है। यही कारण है कि आज वहां पर आन्दोलन पैदा होने लग गया है। यही चीज बोडो लोगों में भी पैदा हो गई है। इसलिए इसको दूर करना बहुत ही जरूरी है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस मामले को देखने की कृपा करें। मेरी जो जानकारी है, असम ट्राइबल बोर्ड एक प्रकार से नॉन फंक्शनल बोर्ड हो गया है। उसकी कोई मीटिंग नहीं होती है। यदि कोई मिटिंग होती है, तो एक फार्मेलिटी के तौर टपर होती है। उसमें ट्राइबल के डवेलपमेंट के विषय में कोई बात नहीं होती है। इस सारे इशू की जानकारी के लिए आपको गहराई में जाने की जरूरत है। मैं ए०जी०पी० से भी निवेदन करूंगा कि वे लोग इनको पोलिटिकल ऐंगल से न देखें। इस समस्या को हम उनकी समस्या नहीं मानते, असम सरकार की समस्या नहीं मानते, हम इस समस्या को जनजाति की समस्या मानते हैं। इस समस्या को आप नजरअन्दाज नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कि केन्द्रीय सरकार जितनी भी मदद कर सकती है असम सरकार की, वह मदद असम सरकार को इस मामले को सौल्व करने के लिए केन्द्रीय सरकार से लेनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री नारायण चौबे (भिदनापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बोडो आन्दोलन मूलत: आदिवासियों का आन्दोलन है और यह उनके आत्मनिर्णय के लिये आन्दोलन है। मैं इस विषय को बाद मे लूंगा कि क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं। निश्चित रूप से हिंसा का यहां कोई स्थान नहीं होना चाहिये। यह याद रखना चाहिये कि आज न केवल बोडो बल्कि विभिन्न क्षेत्रों के आदिवासी भी उत्तेजित हैं। इस देश के आदिवासियों की सदियों से उपेक्षा होती रही है। कभी-कभी विद्रोह हो जाता है और ब्रिटिश शासन काल में तथा ब्रिटिश शासन के बाद सिर्फ एक ही बार नहीं बल्कि अनेकों बार उनके विद्रोह को शोषण करने वाले वर्गों ने क्रूरतापूर्वक दबा दिया है—ये सारी बातें हुई थी। भारत के इतिहास को कौन नहीं जानता है—इस देश में हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को तृतीय या चतुर्थ वर्ग का नगरिक घोषित कर दिया गया है।

यहाँ तक कि हमारे शास्त्रों के अनुसार भी वे समान स्तर के नहीं हैं। महाभारत की कथा को कौन नहीं जानता है जहाँ द्रोणाचार्य को एकलव्य का अंगूठा काटना पड़ा था क्योंकि एकलव्य अर्जुन से प्रतियोगिता कर उसे हराने का प्रयास कर रहा था। एकलव्य जनजातीय वर्ग का था।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अताउरंहुमान (बारपेटा) : तब से चल रहा है यह।

[अनुवाद]

श्री नारायण चौबे : यदि आप यह नहीं जानते हैं तो आपको इसे जानना चाहिए।

जनजातीय लोग झारखण्ड की माँग कर रहे हैं। क्या किया जाना चाहिये ? पूरे देश की उपेक्षित और शोषित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग जागृत होंगे। वे अवश्य ही अपने लिये न्यायोचित माँग करेंगे। आज के जनजातीय लोग उन बातों को सहन करने के लिये तैयार नहीं हैं जो उनके पूर्वज सहन कर रहे थे। वे विद्यालयों में जा रहे हैं, वे विश्वविद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं; वे अभियन्ता बन रहे हैं, वे सेना में भर्ती हो रहे हैं, उन्हें सारी बातों का ज्ञान हो रहा है। वे महसूस कर रहे हैं कि उनके साथ बुरा सलूक किया जाता रहा है। वास्तव में उनके साथ बुरा सलूक किया जाता रहा है। अतः यदि जनजातीय लोग जागृत होते हैं, यदि उनकी मांगें न्यायोचित है तो एक कम्युनिस्ट होने के नाते मैं उनका स्वागत करता हूं। लेकिन तब एक बात की सावधानी रखनी होगी—यदि देशभक्त, ईमानदार और भारत में प्रजातंत्र के समर्थक लोगों ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की न्यायोचित माँगों के लिए इनका नेतृत्व नहीं किया तो निश्चित रूप से उन लोगों को जो देशभक्त नहीं हैं, जो इस देश का विभाजन चाहते हैं और जो यहाँ-वहाँ गड़बड़ी उत्पन्न करना चाहते हैं, इसका लाभ मिलेगा। यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिये। यदि हम उनका नेतृत्व करने में असफल रहे, यदि हम उन्हें न्याय दिलवाने में असफल रहे तो वे लोग जो मेरी इस गरीब मातृभूमि भारत के जनजातीय लोगों का हित नहीं चाहते हैं निश्चित रूप से इसका उठा लेंगे। हर जगह ऐसा हो रहा है। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अब क्या समस्या है ? त्रिपुरा में भी इसी प्रकार की समस्या उठ खड़ी हुई है। त्रिपुरा की वामपंथी सरकार चाहती है कि जनजातीय समिति त्रिपुरा में ही रहनी चाहिये। यहाँ अब असम विभाजन का प्रश्न बिल्कुल नहीं उठता है। असम का विभाजन एक बार नहीं हुआ है, इसका विभाजन अनेकों बार हो चुका है। अतः बोडो लोगों के लिए एक अलग राज्य की माँग न्यायोचित नहीं है। लेकिन साथ ही असम के संवैधानिक ढाँचे के अन्तर्गत उनकी जो की न्यायोचित माँग है जिसका कि हल निकाला जा सकता है जैसा कि एक परिषद् का निर्माण कर त्रिपुरा में समस्या का हल निकाया गया है तो मैं समझता हूँ कि इस पर असम की सरकार, केन्द्र सरकार और अन्य कारकों को ध्यान देना चाहिये ताकि बोडो लोग उपद्रवों का त्यागकर वार्तालाप द्वारा हल निकालने के लिये आ सकें। यह सच है कि बोडो क्षेत्र और असम

में यह आन्दोलन पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में आशांति उत्पन्न कर रहा है। साथ ही यह भी समझा जाना चाहिये कि केन्द्र सरकार जो कि अनेक कारणों से असम गण परिषद् की सरकार से नाखुश है क्योंकि इसने कांग्रेस को पराजित कर दिया है, उसे इन बोडो लोगों के असंतोष का फायदा असम गण परिषद् की सरकार को पाठ पढ़ाने के लिये किसी रूप में नहीं उठाना चाहिये। देश के लिए, राष्ट्र के लिये और देश की अखण्डता के लिए इस प्रकार की प्रवृत्ति को, यदि कोई हो तो रोका जाना जाना चाहिये। आप में और मुझमें मतभेद हो सकता है। आप इस बोडो मुद्दे का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। यह बात प्रेस में भी छप रही है। माननीय राज्य-मन्त्री इसे जानते हैं। इस प्रकार की अनेक खबरें छप रही हैं। केन्द्र सरकार के कुछ मन्त्रियों अथवा अन्य ताकतों द्वारा उन्हें दिया जा रहा समर्थन अवश्य बन्द होना चाहिये। असम गण परिषद् की सरकार के साथ केन्द्र सरकार का मतभेद दिल्ली, शिलांग और गौहाटी में सुलझाया जा सकता है। लेकिन किसी अन्य सरकार के साथ सम्बन्ध बनाने के लिये हमें जनजातीय लोगों की मांगों का फायदा नहीं उठाना चाहिए। ऐसी बातें नहीं की जानी चाहिये।

दूसरी बात जो मैं यहां कहने जा रहा हूं यह है कि हर प्रकार की अतिराष्ट्रीयता खराब होती है। बोडो राष्ट्रीयता का समर्थन नहीं किया जाना चाहिये। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिये कि बोडो जनजातीय लोग हैं। वे बहुत आसानी से राह भटक सकते हैं। अनेक वर्षों से इन लोगों की उपेक्षा की जाती रही है। लेकिन बंगाली, असामी, उड़िया, तेलगु, तमिल आदि के रूप में हमारी राष्ट्रीयता उभर कर आयी है। हम तथाकथित शिक्षित वर्ग माने जाते हैं। लेकिन एक अतिराष्ट्रीयता का दूसरे अतिराष्ट्रीयता के साथ टकराव नहीं किया जा सकता है। बोडो राष्ट्रीयता के साथ हम असम की राष्ट्रीयता का टकराव नहीं कर सकते। झारखण्ड राष्ट्रीयता के साथ हम बंगाली अथवा बिहारी राष्ट्रीयता का टकराव नहीं कर सकते हैं। मेरे विचार से हमारे देशभक्तों और लोकतंत्र के समर्थकों को इस बात पर विचार करना चाहिये। यह ध्यान रखना चाहिये कि अनेक वर्षों से वे पिछड़े हुये थे। उनके लिए राह से भटक जाना और गलत राह अख्तियार कर लेना बहुत सरल है। हिंसा छोड़ने के लिए उन्हें समझाया जाना चाहिये। असम गण परिषद् की सरकार से गौहाटी में आकर बात करने और समस्या का समाधान करने के लिये उन्हें कहा जाना चाहिये। यदि इसकी आवश्यकता हो, यदि असम की सरकार इसे आवश्यक समझती हो तो उन्हें केन्द्र में भी बुलाया जा सकता है। इसमें प्रतिष्ठा की बात नहीं उठनी चाहिये। बहुत नुकसान हो चुका है। लेकिन फिर मैं कहता हूं कि एक अतिराष्ट्रीयता का टकराव दूसरी अतिराष्ट्रीयता के साथ नहीं हो सकता है। हर प्रकार की अतिराष्ट्रीयता का त्याग किया जाना चाहिए, विशेषकर एक बड़े वर्ग की अतिराष्ट्रीयता का त्याग तो तुरन्त किया जाना चाहिए। इस समाधान के लिए प्रयास करना असम की सरकार की एक महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारी है। यदि उन्हें सहायता की आवश्यकता हो तो वे भारत सरकार की मदद ले सकते हैं।

इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि असम एक सीमावर्ती राज्य है, एक अति संवेदनशील राज्य है और इस कारण यदि वहां कोई समस्या बनी रही तो इससे पूरे देश का नुकसान होगा। पंजाब समस्या, बाबरी मस्जिद समस्या, हिन्दु-मुस्लिम समस्या आदि का तरह इस देश में अनेक समस्यायें हैं। एक अन्य समस्या अर्थात् बोडो समस्या का समाधान यहां तुरन्त किया जाना चाहिये। हमे

अपने बोडो भाइयों को हिंसा त्याग करने के लिये अवश्य कहना चाहिये। यह बमबाजी, लूटमार, रेलवे लाईन की तोड़-फोड़, संचार व्यवस्था को नष्ट करने आदि से समस्या का समाधान नहीं होता है। ऐसी कोशिशें बार-बार की गई हैं। इसका त्याग किया जाना चाहिये। असम की सरकार से आकर उन्हें बात-चीत करनी चाहिये। अब असम की सरकार की ओर से उन्हें आमन्त्रित किया गया है। उन्हें इसका फायदा उठाने के लिये प्रयास करना चाहिये। यदि कोई आन्दोलन किया भी जाए तो वह आन्दोलन लोकतान्त्रिक और शान्तिपूर्ण ढंग से किया जाना चाहिये। लेकिन इस प्रकार के हिंसात्मक आन्दोलन का अवश्य ही त्याग किया जाना चाहिये। किसी भी सरकार अथवा ताकत को, चाहे यह भारत की सरकार हो अथवा कोई अन्य ताकत उन्हें यह धारणा कभी नहीं बनने देना चाहिये कि अपनी मांगों की पूर्ति के लिये आन्दोलनकारियों को हिंसात्मक आन्दोलन का रूख अपनाना चाहिये। हिंसा को जारी रखने के लिये उन्हें बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिये। उनमें यह धारणा कभी नहीं उत्पन्न होने दी जानी चाहिये कि असम की प्रगति में ठहराव आ रहा है और यदि वे कुछ महीने अपने आन्दोलन को जारी रखेंगे तो उनकी मांगे पूरी हो जायेंगी। लेकिन यह ध्यान रखना चाहिये कि भारत सरकार असम का विभाजन न होने देने के लिये कटिबद्ध है। यदि उन्हें समर्थन दिया जाये और इस रूप में ही आन्दोलन चलाने के लिए कहा जाये तो असम का विभाजन होना निश्चित है जो कि आप नहीं चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति असम का विभाजन नहीं चाहता है। साथ ही उनकी न्यायोचित मांगों की पूर्ति आवश्य की जानी चाहिए। उन्हें वार्तालाप के लिए आने का आमंत्रण संसद द्वारा अवश्य दिया जाना चाहिये ताकि शांतिपूर्ण ढंग से समस्या का समाधान किया जा सके।

श्री विजय एन० पाटिल (इरन्दोल) : उपाध्यक्ष महोदय, बोडो जनजाति आंदोलन नया नहीं है। हमने 1967 से ही मैदानी आदिमजाति परिषद् के रूप में देखा है। किन्तु यह निष्क्रिय रही है क्योंकि असम की तत्कालीन राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार ने उनकी समस्याओं, मांगों पर समय-समय पर ध्यान दिया तथा उन्हें सुलझाया। तो अब आन्दोलन में तेजी कैसे आ गई? ऐसा राज्य में हुई कुछ गतिविधियों के कारण हुआ है कल श्री दिनेश गोस्वामी आरोप लगा रहे थे कि सरकार उग्रवादियों को बढ़ावा दे रही है। यह सही है कि उनके प्रत्येक आरोप के पीछे कोई राजनैतिक कारण होता है। यद्यपि वे असम में सत्ता में आ गये हैं, वह एक नई सरकार है, कोई विशेष अनुभव नहीं है। चूंकि वे प्रशासन को भली प्रकार चलाने मे असमर्थ हैं, इसलिए वे दूसरों को दोष देना चाहते हैं और यह दोष मान्य नहीं है। मुख्य मन्त्री ने वक्तव्य जारी क्यों किया। समाचार-पत्रों में समाचार छपा है कि आदिमजातियों के लिये आरक्षण समाप्त कर दिया जायेगा। इससे जनजातियों में उत्तेजना अवश्य फैलेगी, चाहे वे कहीं भी हों। जब वे आन्दोलन शुरू करते हैं और हिंसा का सहारा लेते हैं। तो यह आरोप लगाया जाता है कि केन्द्र सरकार से, दिल्ली से कुछ ताकतें उन्हें बढ़ावा दे रही हैं। क्या यह सही था कि अखिल असम छात्र संघ के आंदोलन को भी केन्द्र सरकार से कोई बढ़ावा दे रहा था? जी नहीं। हमने उस समय उसकी भर्त्सना की थी और हम बोडो आन्दोलन की भी भर्त्सना करते आ रहे हैं।

कुमारी ममता बनर्जी का कहना है कि हमें वहां जिनकी जाने गई हैं, उनके बारे में अफसोस

है। केन्द्र सरकार के कर्मचारियों सहित निर्दोष व्यक्ति इस आन्दोलन के शिकार हो गये। अतः सभी चिन्तित हैं और चाहते हैं कि यह आन्दोलन समाप्त हो जाए। इसका कोई हल खोजा जाना चाहिए। किन्तु राज्य सरकार इस बात पर क्यों अड़ी है कि इस समस्या का सुलझाना उनका काम है और केन्द्र सरकार को इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। यदि बोडो जनजाति के व्यक्ति तथ छात्र यह महसूस करते हैं कि केवल राज्य सरकार से उन्हें न्याय नहीं मिलेगा और वे किसी और को मध्यस्थ के रूप में चाहते हैं तो केन्द्र सरकार द्वारा मध्यस्थता करना सही है। इसमें कोई नुकसान नहीं है।

देश के अनेक भागों में कोई न कोई आन्दोलन चलता है—चाहे इसने उग्र रूप में न हो। जब राज्य सरकारें कुछ विकास कार्यक्रमों पर अमल करती हैं तो वर्षों पश्चात् राज्य के भीतर कुछ क्षेत्र महसूस करते हैं कि उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। मैं अपने राज्य का एक उदाहरण देना चाहता हूं महाराष्ट्र में विदर्भ के लोग अक्सर कहते हैं कि उन्हें विदर्भ के विकास के लिए पर्याप्त धन नहीं मिल रहा। वे बहुत पिछड़े हुए हैं। अतः उससे क्षेत्रीय असंतुलन उत्पन्न होता है। कुछ समुदाय भी ऐसा महसूस करते हैं कि उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। अतः यदि बोडो यह महसूस करते हैं कि उनके हितों की असम गण परिषद् सरकार द्वारा भलीभांति रक्षा नहीं की जा रही, और वे आन्दोलन कर रहे हैं तो इसके लिए केन्द्र सरकार को दोष नहीं दिया जाना चाहिए। श्री गोस्वामी असम तथा अन्य उत्तर-पूर्वी राज्यों को रेलवे के जरिये सप्लाई जारी रखने का श्रेय हमें दे रहे थे। इसी से साबित होता है कि भारत सरकार राज्य सरकारों की सहायता करने के कार्य के प्रति निष्ठावान है, चाहे वह विपक्षी दलों की सरकार हो अथवा कांग्रेस शासित राज्य।

—

भारत में कहीं भी और किसी भी रूप में हिंसा की हम निन्दा करते हैं; हम यह भी महसूस करते हैं कि केन्द्र सरकार को मध्यस्थ होना चाहिए और बोडो उग्रवादियों को राज्य सरकार के नेताओं के साथ बातचीत के लिए तैयार करना चाहिये और तत्काल इसका हल ढूंढा जाना चाहिये ताकि आन्दोलन हिंसक अथवा उग्र रूप धारण न करे, जैसाकि संशय है। इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार से अपील करता हूं कि वे इस समस्या को राजनैतिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि जनजाति व्यक्तियों की समस्याओं, सही समस्याओं, जोकि वर्षों से चली आ रही हैं, को सुलझाने के विचार से देखें तथा ठोस हल निकालें।

2-00 म० प०

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुरद्वार) : उपाध्यक्ष महोदय, बोडो आन्दोलन पर अलग से विचार नहीं किया जा सकता, यह एक राष्ट्रीय आन्दोलन है। सम्पूर्ण भारत में जनजाति समुदाय जागृत हो गया है और वे अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। वे किसी से दया की भीख नहीं मांग रहे वे अपने अधिकार मांग रहे हैं। यदि देश में कहीं भी जनजाति आन्दोलन हो तो सरकार कहती है कि अलगाववादी आन्दोलन है, इसमें विदेशी हाथ है, कई बार कहा जाता है कि इसमें मिशनरी शामिल है, आदि। उन पर इस प्रकार के आरोप लगाये जाते हैं और मैं इस माननीय सदन को बताना चाहता हूं कि जनजाति समुदाय की देशभक्ति महान है और वे कभी भी साम्प्रदायिक

भावना नहीं रखते और उन्होंने कभी अलगाववादी विचार नहीं रखे तथा कभी किसी अन्य समुदाय से प्रभावित नहीं हुये। उन्होंने अपने क्षेत्रों में सभी समुदायों के साथ मेल मिलाप रखा है। किन्तु ऐसा हुआ है कि उनकी भूमि ठेकेदारों, व्यापारियों तथा अन्य सम्प्रदायों द्वारा छीन ली गई है। त्रिपुरा में बोडोलैंड में ऐसा भी हुआ है। वहां बोडो बहुसंख्यक थे अब अल्पसंख्यक हो गये हैं। उनकी सारी भूमि अन्य सम्प्रदाओं द्वारा छीन ली गई है। जनजाति व्यक्ति अपनी भूमि तथा जंगलों को बहुत महत्त्व देते हैं। भूमि और जंगलों पर उनके अधिकार राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा छीन लिये गये हैं। अत: सरकार को जनजातीय व्यक्तियों की समस्याओं पर सामान्य रूप से विचार करना चाहिये। मैं केवल असम गण परिषद् सरकार को दोष नहीं दे रहा। शुरू से ही लगभग 50 लाख जनजातीय व्यक्ति चाय बगानों में काम करते रहे हैं और वे भूतपूर्व चाय बागान जनजातीय हैं।

2.02 म० प०

(श्री जैनुल बशर पीठासीन हुए)

आज उन्हें जनजातीय नहीं माना जाता। अत: जनजातीय व्यक्तियों को यह सुविधा देने का क्या लाभ है यदि उन्हें जनजातीय ही नहीं माना जाता।

महोदय, हम भारत में रहने वाले जनजातीय व्यक्तियों की कुल संख्या नहीं जानते। अत: इस सभा के समक्ष एक विधान लाया जाना चाहिए और जनजातीय व्यक्तियों की अखिल भारतीय स्तर पर पहचान की जानी चाहिये। किसी भी कीमत पर इन जनजातीय व्यक्तियों की पहचान की जानी चाहिये। यदि कोई ब्राह्मण जानजातीय क्षेत्र में रहता है तो वह जनजातीय नहीं हो सकता। वह 'ब्राह्मण' ही रहेगा। उसी प्रकार कोई जनजाती व्यक्ति असम में रह सकता है, उसकी अपनी पहचान होगी, अपनी भाषा होगी, अपनी बोली होगी। महोदय, शुरू में प्रांत उस क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के आधार पर बनाये गये थे। एक क्षेत्र विशेष की बोली जाने वाली भाषा के आधार पर भारत में सभी प्रान्त बनाये गये थे। फिर क्या हुआ? विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषाओं के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के दौरान क्या हुआ? बहुत आन्दोलन हुए और खून-खराबा हुआ। किन्तु जब जनजातीय व्यक्तियों ने अपनी पहचान बनाये रखने के लिए आन्दोलन किया तो उन पर यह आरोप लगाया गया कि वे पृथकतावादी, आतंकवादी, भारत विरोधी आन्दोलन है, इसमें विदेशी हाथ है मिशनरियों का हाथ है आदि! आन्दोलन को दबाने के लिए इस प्रकार के आरोप लगाये जा रहे हैं। सम्पूर्ण देश में जनजातीय व्यक्ति दया की भीख नहीं मांग रहे, किन्तु मैं चाहता हूं कि वे अधिकारों की मांग रखें। उन्हें समान अधिकार मिलने चाहिए तथा पूरे देश में समान व्यवहार मिलना चाहिए तथा किसी व्यक्ति अथवा सरकार को उन पर दबाव डालने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। देश के कोने-कोने में जनजातीय व्यक्ति हैं। सरकारी सेवाओं में उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिये। उन्हें व्यापार एवं वाणिज्यिक क्षेत्र में प्राथमिकता दी जानी चाहिये। सरकार को उनके माल का लाभकारी मूल्य दिलाने में सहायता करनी चाहिये अन्यथा उनका बहुत शोषण होगा और इस शोषण को दूर किया जाना चाहिए।

अब मैं बोडो समस्या पर आता हूं। बोडो असम की आदिम जति है। जहां तक मैं जानता हूं, उनकी अपनी पहचान है और अपना जीवन का तरीका एवं नियम हैं। न्याय का उनका अपना तरीका है। वे आज की न्याय व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते, पुलिस प्रशासन में उनकी आस्था नहीं है, उनकी अपनी पंचायत व्यवस्था है और उनके जरिए न्याय का अपना तरीका है। छोटा नागपुर, गुजरात, मध्यप्रदेश तथा उड़ीसा में भी जनजातीय व्यक्तियों के अपने नियम एवं रीति-रिवाज हैं, उनका आदर किया जाना चाहिये। यदि कोई सरकार ऐसा करने में असमर्थ रहती है तो पृथकता के लिए आन्दोलन होगा। सरकार सोच रही है कि वे भारत के दूसरे दर्जे के नागरिक हैं और उन्हें वहां जाने के लिए कहा जाता है जहां मेहनत की आवश्यकता होती है, उदाहरण के लिए, बड़ी सड़कें बनाना, हिमालय पर जाना, जहां अन्य व्यक्ति जाना नहीं चाहते। ऐसे काम जनजातीय व्यक्तियों, अनुसूचित जातियों तथा अन्य अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित हैं, जिनकी सरकार में कोई सुनवाई नहीं है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के 40 वर्षों बाद ऐसा हो रहा है। अतः यह मेरी मांग है कि न केवल बोड़ो अपितु पूरे भारत, में जहां कहीं भी जनजातीय व्यक्ति हैं, उन्हें आगे आकर अपने अधिकारों की मांग करनी चाहिए। जनजातीय व्यक्तियों को भारत पर शासन करने के अधिकार हैं और उनकी संस्कृति, भाषा और पहचान का सभी को आदर करना चाहिए। और मैं विशेष रूप से चाहता हूं कि केन्द्र सरकार ऐसा विधान बनाए कि सभी जनजातीय व्यक्तियों की अपनी संस्कृति तथा पहचान होनी चाहिए। यदि कोई राज्य सरकार उनकी सुरक्षा में असमर्थ रहती है तो उसे उसके परिणाम का सामना करना होगा। यदि राज्य सरकार उनकी पहचान, संस्कृति, भाषा की सुरक्षा का उत्तरदायित्व नहीं लेती तो उन्हें उस राज्य के जनजातीय व्यक्तियों पर शासन करने का कोई अधिकार नहीं है। और यदि कोई राज्य सरकार व्यापार, वाणिज्य, सेवाओं तथा अन्य मामलों में उन्हें समान अधिकार देने को तत्पर है तो ठीक है। जनजातीय व्यक्ति अलगाववादी नहीं हैं और साम्प्रदायिक भी नहीं हैं। वे किसी भी समुदाय के साथ मेल मिलाप रख सकते हैं। वे अन्य व्यक्तियों की भांति शांतिपूर्वक रह सकते हैं। अतः अब समय आ गया है जब केन्द्र सरकार को जनजातीय व्यक्तियों की समस्या के बारे में सोचना होगा। अब उनमें बहुत आशांति है।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : बहुत से माननीय सदस्यों ने बोडो समस्या पर अपने विचार व्यक्त किये। जो ए०जी०पी० से ताल्लुक रखते थे उन्होंने उसके समर्थक होने की बात को और भारत सरकार का विरोध किया। मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि जब ओसुका के लोगों ने असम में जिस तरह की व्यवस्था करने की कोशिश की थी उस समय भारत सरकार ने उनकी बात सुनकर जिस तरह से असम की समस्याओं को हल निकालने की कोशिश की, उससे उन्हें भारत सरकार पर आरोप नहीं लगाने चाहिए। असम जब पहले बंटा और वहां पर अरूणाचल प्रदेश, नगालैंड या मिजोरम या अन्य क्षेत्र हुए तो उन क्षेत्रों को बनाने में भारत सरकार ने दिलचस्पी ली है और उन ट्राइबल एरियाज को प्रोटेक्ट करने के लिए और विकसित करने के लिए जिस तरह के कदम उठाये हैं वह निश्चित तरीके से प्रशंसनीय है। अभी माननीय

सदस्य ट्राइबल के बारे में बात कर रहे थे, ट्राइबल को प्रोटेक्ट करने की जितनी कोशिश कांग्रेस ने की है और उसे आगे बढ़ाने की कोशिश की है, उतनी किसी पार्टी ने नहीं की है। हां, उनके नाम से फायदा उठाने के लिए सब तैयार हैं। चाहे सी० पी० एम० हो या कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे फारवर्ड ब्लाक हो या कोई अन्य हो, मगर उनके साथ हमदर्दी रखने और उनको आगे बढ़ाने की बात किसी ने नहीं की···

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप सिर्फ क्रोकोडाइल टीयर ही बहा रहे हैं, पहले भी बहाते रहे हैं और आगे भी बहाते रहेंगे। कांग्रेस ने इस देश को विकास के रास्ते पर ले जाने का काम करना है, और वह अपना काम बखूबी कर रही है। कांग्रेस का कभी यह इरादा नहीं रहा कि वह किसी स्टेट को बाइफरकेट करे, टुकड़े टुकड़े करे, कमजोर करे, यह हमारी नीति नहीं है। हमारी नीति है कि जिन ट्राइबल्स को आज तक न्याय नही मिल सका, उन्हें जो आज तक वैज्ञानिक शक्तियां मिल जानी चाहिये थीं, वे उन्हें मिलें। उन्हें सारी शक्तियां देना हमारा फर्ज है और हम उसी दिशा में कार्यवाही कर रहे हैं। आसू की नीतियों के कारण ही आज वहां बोडो आन्दोलन हो रहा है, आसू भी उसी का एक अंग है, उसी के देखरेख में पनपा और आगे बढ़ा है। जब आपने वहां सब तरह का फायदा उठा लिया तो उनकी समस्याओं की तरफ भी ध्यान दीजिये। वे लोग कह रहे हैं कि हमारी जमीनें छीनी जा रही हैं, हमारे यहां डेवलपमैंट नही हो रहा है, हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, हमें एजूकेशनल फैसिलिटीज नहीं मिल रही हैं, खेती के साधन नहीं हैं, स्पोर्टस कल्चर, फिशरीज, फूड एण्ड सप्लाईज, वाटर सप्लाई, हैल्थ, इरीगेशन, रूरल डेवलपमैंट, रोड्स, पचायत, रिवेन्यू, लैण्ड रिफार्म्स आदि सभी मामलों मे हम पीछे हैं, वे अपनी इन समस्याओं के बारे में बराबर आसाम सरकार का ध्यान आकर्षित करते रहे हैं, मगर ए० जी० पी० गवर्नमैंट ने इन समस्याओं के समाधान की दिशा में आज तक कोई कदम नहीं उठाया, कोई प्रयास नहीं किया। जब उन्होंने यह देखा कि आसाम सरकार से ये समस्याएं नहीं सुलझ सकतीं तो उन्होने भारत सरकार का द्वार खटखटाया और हमारे होम मिनिस्टर साहब के सामने उनका प्रश्न आया। उन्होंने बिना किसी झिझक के इस मामले को प्रान्तीय सरकार के सुपुर्द कर दिया ताकि वह इन समस्याओ का निदान ठीक से करे, उनके लिये अलग से एक डेवलपमैंट औथोरिटी बनाये और सभी ट्राइबल्स का डेवलपमैंट करे। छठे शैड्यूल मे भी उन्होने व्यवस्था कर दी ताकि उन लोगो को सभी सहूलियतें मिल सके, चाहे लैन्ग्वेज की हों, दूसरी हो। उन्होंने स्टेट गवर्नमैंट को हिदायतें दी कि वह इन लोगों से बातचीत करके उनकी समस्याओ का समाधान करे। उसके बाद चीफ मिनिस्टर साहब को भी लिखा कि वे परसनल इंटरैस्ट लेकर इन लोगों की समस्याओं का समाधान ढूंढें। इस सब के बावजूद, कोई व्यवस्था या निदान होता न देखकर ही इन लोगों ने आन्दोलन का रास्ता अख्तयार किया। उसके बाद पिछले एक-दो साल में वहां जिस प्रकार का एजिटेशन हुआ, बंद हुए, लोग मारे गये, उसके लिये असम गण परिषद ही दोषी है, आसाम सरकार पर उसकी जिम्मेदारी है क्योंकि उसने समय रहते इन लोगो की बातें नहीं सुनी, उनकी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसीलिये आज वहां अव्यवस्था फैली है। भारत सरकार और होम मिनिस्टर साहब साफ कह चुके हैं कि हम आसाम का और विभाजन नहीं

चाहते । भारत सरकार की स्पष्ट नीति को वहां की सरकार महसूस करे और बोडो लोगों की समस्याओं का निदान खोजे, उनका शोषण समाप्त होना चाहिये, उनके विकास के लिये काम करे। उन लोगों को एजूकेशन फैसिलिटीज़ बढ़ायी जानी चाहिये, रिजर्वेशन की व्यवस्था करनी चाहिये और दूसरी आवश्यक सुविधायें मुहैया की जानी चाहिये । उनके आर्थिक विकास पर जोर देना चाहिये । ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये ताकि वे संतुष्ट हो सकें, जो अभी तक ए० जी० पी० गवर्नमैंट ने नहीं की हैं, उसी की वजह से सारा एजीटेशन चल रहा है । आज वहां जो कुछ हो रहा है, वह ए० जी० पी० पार्टी की गलत नीतियों के कारण हो रहा है; इन्होंने कभी उन लोगों की समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं दिया । इसी कारण उनमें आज फ्रस्टेशन है और वे आन्दोलन चला रहे हैं । यहां कुछ माननीय सदस्यों ने ठीक कहा कि दूसरे स्टेटस के लोग भी आज भारत सरकार पर दबाव डाल रहे हैं क्योंकि आसाम के जरिये ही वहां आवश्यकता की चीजें पहुंचाई जा सकती हैं ।

इसलिए अगर असम के अंदर एजीटेशन चलती है, तो दूसरी स्टेट को भी इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है । चाहे वह मिजोरम हो, चाहे नागालैंड हो, मणिपुर हो या चाहे त्रिपुरा हो । इसलिए जो बात प्रधान मंत्री जी ने कही है यदि ये व्यवस्थाएं नहीं सुधरती, इस बोडो एजीटेशन को आसाम सरकार नहीं संभालती है, तो निश्चितरूप से भारत सरकार को कोई न कोई कदम उठाना पड़ेगा जिसमें स्टेट के लिए ठीक नहीं रहेगा । इसका मतलब यह नहीं है कि केन्द्र सरकार स्टेट सरकार के ऊपर किसी प्रकार का दबाव डालना चाहती है, इसका मतलब सिर्फ यही है कि असम सरकार इस आंदोलन को समाप्त करने का प्रयास करे ।

असम में इस आंदोलन की पैरवी करते हुए कई माननीय सदस्यों ने यहां पर कहा है कि इस आंदोलन के दौरान कोई डिस्टरबेंस नहीं हुआ है और सामान सब जगह पर ठीक पहुंचा है। यह तो इस एजीटेशन की उग्रता से ही स्पष्ट है कि कितना शांतिपूर्ण यह एजीटेशन रहा और एसेंशयल आइटम्स उनको मिल पाए हैं या नहीं मिल पाए हैं । एक माननीय सदस्य ने अभी कहा कि भारत सरकार ने असम सरकार के अनुरोध पर बराबर ध्यान दिया और उसकी मदद की और यहां से फोर्स भेजी । यदि ऐसा न होता तो केन्द्र सरकार पर असम सरकार आरोप लगा देती कि आपकी वजह से आंदोलन उग्र हो गया । यह दबाव भारत सरकार पर आ जाता ।

सभापति महोदय : व्यास जी, अब आप समाप्त करिए । बहुत टाइम हो गया ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : जिस तरह से असम सरकार को अपना मानकर उसको सुरक्षित रखना चाहती है उसी प्रकार देश को भी उसे अपना मानना चाहिए असम और सारा देश निरन्तर प्रगति करता रहे और आपस में सहयोग करता रहे और समानता रहे । इन ट्राइबल्स की जितनी आवश्यकताएं हैं, वे निश्चित तरीके से पूरी होनी चाहिएं । इनके लिए अलग स्टेट की जरूरत नहीं है, बल्कि इनकी जो उचित मांगें हैं वे मान ली जाएं, तो असम की सरकार को कोई परेशानी नहीं होगी और ये लोग भी अलग स्टेट की मांग नहीं करेंगे ।

[अनुवाद]

श्री अमर रायप्रधान (कूच बिहार) : सभापति महोदय,

बोडो आंदोलन और इससे पैदा होने वाली समस्याओं के बारे में एक पक्षीय ढंग से विचार नहीं किया जाना चाहिए। यह केवल राज्य की ही समस्या नहीं है बल्कि राष्ट्रीय तथा जनजातियों की समस्या भी है। हम इसका प्रतिवाद नहीं कर सकते। जिन जनजातियों की सैकड़ों वर्षों से उपेक्षा की जाती रही थी, स्वतंत्रता के बाद भी उनकी उपेक्षा की जा रही है। परन्तु मुझे यह कहते हुए खेद है कि कुछ राजनैतिक लाभ उठाने के लिये केन्द्रीय सरकार इस बोडो आन्दोलन का उपयोग कर रही है। सैद्धान्तिक और आर्थिक दृष्टिकोणों के बारे में मेरे और असम गण परिषद के सदस्यों के विचारों में मतभेद हैं। तथापि मैं कुछ सदस्यों की तरह यह नहीं कह सकता कि असम गण परिषद के प्रशासन की वजह से ही बोडो आन्दोलन हुआ है। मैं ऐसा नहीं कह सकता। कुछ सदस्यों ने यह भी कहा है कि बोडो आन्दोलन असम गण परिषद की देन है। ऐसा भी नहीं है। यह सच है कि बोडो लोग मंगोलियन मूल के हैं। वे विशेष रूप से एक पृथक राज्य की मांग इसलिये कर रहे हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि वे मूलतः असम के निवासी हैं इसलिये उनका एक पृथक राज्य होना चाहिए। मंत्री महोदय, श्री सन्तोष मोहन देव यहाँ उपस्थित हैं।

मंत्री महोदय यह भलीभाँति जानते हैं कि मैं बोडो राज्य के उस क्षेत्र विशेष की सीमा का निवासी हूँ जिसकी बोडो आन्दोलनकारी मांग कर रहे हैं।

यदि आप इतिहास को देखें तो आपको पता लगेगा कि यह क्षेत्र कामतापुर राज्य है जो ब्रह्मपुत्र के दाहिने तट से लेकर गंगा तक फैला हुआ था। उस क्षेत्र के शासक और जनता राजवंशी समुदाय के थे, मैं भी उसी समुदाय का हूँ। विगत में राज्यवंशियों ने निर्णय लिया था कि समुदाय की समस्याओं के समाधान के लिये राजवंशी राज्य की मांग उचित नहीं है। परन्तु हम इस बात से इन्कार नहीं कर सकते हैं कि इन बोडो लोगों की सबसे अधिक उपेक्षा की गई है। उनकी अपनी संस्कृति, भाषा और रीति-रिवाज हैं। परन्तु इन सबकी उपेक्षा की गयी है। यह केवल असम गण परिषद के शासन में ही नहीं हुआ है। कांग्रेस के शासन में भी उनकी उपेक्षा की गयी है। जनजाति, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों की इस देश में बहुत अधिक उपेक्षा की जाती है। कल एक प्रश्न पूछा गया था। मैं उसी का उल्लेख कर रहा हूं। "आप जनजाति के लोगों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं?" यह वस्त्र विभाग का प्रश्न संख्या 468 था और जवाब में मंत्री महोदय ने स्वीकार किया था—मेरे कांग्रेसी मित्र यहां उपस्थित हैं और उन्हें यह अवश्य पता होना चाहिये—कि 1987 में संवर्ग ख के 31 उम्मीदवारों में से अनुसूचित जनजाति के किसी उम्मीदवार की भर्ती नहीं की गयी थी। संवर्ग ग के 48 उम्मीदवारों में से केवल एक व्यक्ति (2·1 प्रतिशत) को भर्ती किया गया। संवर्ग घ के 22 उम्मीदवारों में से 3 अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार (13·6 प्रतिशत) भर्ती किये गये थे।

1988 में संवर्ग ख में 32 उम्मीदवारों में से अनुसूचित जनजाति का एक भी उम्मीदवार भर्ती नहीं किया गया था। संवर्ग ग में, 42 उम्मीदवारों में से अनुसूचित जनजाति का केवल एक उम्मीदवार (2.4 प्रतिशत) भर्ती किया गया था।

इन सब के बावजूद क्या आप यह कहना चाहते हैं कि आप अनुसूचित जनजातियों के लिए बहुत अधिक कार्य कर रहे हैं ? ऐसा नहीं है ? आप देश की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। तथापि मैं उनकी असम का विभाजन करके पृथक बोडो राज्य संबंधी मांग का समर्थन नहीं कर सकता। अब हम उस क्षेत्र की जनसंख्या पर ध्यान दें।

1981 में जनगणना नहीं हुई थी। परन्तु यदि स्वायत्तशासी राज्य के लिए बोडो भूमि में सम्मिलित किये जाने हेतु, 15,220 वर्ग किमी० के प्रस्तावित क्षेत्र के 1971 के आंकड़ों की तरफ ध्यान दें तो जनजाति बहुल क्षेत्र, कोकराझार जिले में, बोडो भाषी लोगों की प्रतिशतता केवल 26.87 थी। नलबारी जिले की जनसंख्या 10.87 प्रतिशत, बारपेटा जिले की 4.72 प्रतिशत, दारांग जिले की 9.55 प्रतिशत, लखीमपुर की 2.55 प्रतिशत और सोनितपुर जिले की 2 प्रतिशत थी। ए० बी० एस० यू० का आरोप है कि उग्र राष्ट्रवादी सरकार ने आंकड़ों में गड़बड़ी की है तथा आगे यह कहा है कि 1971 की जनगणना में बहुत से बोडो लोगों को शामिल किया गया।

मैं मंत्री महोदय से पूछता हूं कि क्या यह जनगणना गलत हुई है अथवा इसमें हेरफेर की गयी है। यदि ऐसा हुआ है तो उन्होंने गलती की है क्योंकि उस समय उनकी सरकार थी। कांग्रेस ने ही सबसे पहले बोडो लोगों की उपेक्षा की है।

मैं आपके माध्यम से दूसरा प्रश्न पूछता हूं। बोडो आन्दोलन 1950 के दशक में शुरू हुआ था। उस समय उनकी मांग थी कि बोडो राज्य की भाषा को दर्जा दिया जाए। उस समय बोडो आन्दोलनकारियों ने मांग की थी कि बोडो भाषा को राज्यभाषा बनाया जाना चाहिए और उसकी लिपि रोमन होनी चाहिए। परन्तु आपका कहना था कि नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता। उस समय कांग्रेस सरकार ने कहा था कि यदि वे बोडो भाषा देवनागरी लिपि में चाहें तो सरकार उनकी मांग पर विचार कर सकती है।

इस सन्दर्भ में मुझे यह उचित नहीं लगता कि पृथक बोडो राज्य बनाया जाए।

उदलगिरि और कोकराझार उप-डिवीजनों में लगभग 50 प्रतिशत तथा अन्य क्षेत्रों में बोडो लोगों की जनसंख्या केवल 2 प्रतिशत है। समूचे जिले में नहीं बल्कि उप-डिवीजनों में ही 50 प्रतिशत लोग रहते हैं। इसलिए मैं बोडो लोगों की पृथक राज्य की मांग का समर्थन नहीं कर सकता। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि विभाजन अथवा पृथक राज्य की मांग से समस्या को हल नहीं किया जा सकता। आप जानते हैं कि असम का पहले ही विभाजन हो चुका है। असम राज्य में से सात छोटे राज्यों का गठन किया गया था। यदि हम इसका पुनः विभाजन करेंगे तो उस राज्य की क्या स्थिति होगी ? वहां अनेक भाषायें हैं। बोडो लोगों की भी अनेक भाषायें होंगी। अतः यदि सरकार भाषा के मामले के आधार पर असम राज्य का विभाजन करना चाहती है तो भारत में सैकड़ों राज्य हो जायेंगे। बोडो लोगों के अधिकारों, भाषा और संस्कृति की

रक्षा के लिये संविधान की छठी अनुसूची के अन्तर्गत स्वायत्तशासी परिषद् बनाया जाना चाहिए जैसी कि त्रिपुरा या दार्जिलिंग पर्वतीय परिषद बनायी गयी है।

श्री पीयूष तिरकी : वह पर्वतीय परिषद जनजाति राज्य नहीं है। आपने गलती की है।

श्री अमर रायप्रधान : बोडो भाषा को असम राज्य की दूसरी या तीसरी भाषा बनाया जाना चाहिए। बंगला भाषा को भी शामिल किया जा सकता है पश्चिम बंगाल में बंगला पहली तथा नेपाली दूसरी भाषा है।

श्री पीयूष तिरकी : क्योंकि इसके लिए उन्होंने संघर्ष किया था।

श्री अमर रायप्रधान : महोदय, बोडो लोगों की मांग है कि केन्द्र सरकार का प्रतिनिधि भी शामिल होना चाहिए। वे इस पर अडिग हैं। यदि उन्हें इस समस्या का हल करना है तो उन्हें मिलकर बातचीत करनी चाहिए। ए० बी० एस० यू० से भी मेरा यही अनुरोध है। उन्हें सरकार के साथ बातचीत करके इस समस्या को हल करना चाहिये। इस सम्बन्ध में मैं यह बात बलपूर्वक कहना चाहता हूं कि सभी लोगों को हिंसा की निंदा करनी चाहिए।

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : सभापति महोदय, मैं बोडो आन्दोलन के इतिहास का वर्णन करूंगा। मेरा बोडो लोगों के साथ व्यक्तिगत रूप से कुछ सम्पर्क था जिसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि वे सभ्य, सुसंस्कृत अनुशासित लोग हैं तथा उनकी एक पहचान है और उनमें आत्मसम्मान की प्रबल भावना है। इसलिए उनकी दीर्घकालीन आकांक्षाओं की उपेक्षा नहीं की जा सकती। मैं यह बताना चाहता हूं कि वर्तमान आंदोलन असम आंदोलन की देन है। असम आंदोलन के पीछे जातिवादी दृष्टिकोण स्पष्ट था। उससे जातिवादी समूहों में अनेक महत्वाकांक्षायें पैदा हो गयी। मैं यह कहना चाहता हूं कि असम की जनता में कुछ वर्ग ऐसे हैं जो यह अनुभव करते हैं कि असम गण परिषद ने अनेकों अल्पसंख्यकों के लिये कुछ नहीं किया जिन्हें असम में समान अधिकार प्राप्त हैं। उसका परिणाम यह है कि आज असम में अल्पसंख्यक अलग-थलग हो रहे हैं। केवल बोडो ही नहीं, बल्कि सभी यह अनुमान करते हैं कि उनके साथ सौतेला व्यवहार, अन्याय एवं भेदभाव तथा कभी-कभी अत्याचार भी किया जा रहा है। पुलिस के अत्याचारों तथा आर्थिक भेदभाव के भी मामले हुए हैं। सांस्कृतिक आत्मसात के प्रयास किये गये हैं तथा इससे ऐसा वातावरण बन गया है जिससे 'बोडोलैंड' जैसे आन्दोलन होने स्वाभाविक हैं।

आज विश्व में कोई भी जातिवादी एकाधिकार को स्वीकार नहीं करता है। विश्व के किसी भी भाग में, चाहे सोवियत रूस या योगोस्लाविया या चीन या फ्रांस या कनाडा हो अथवा हमारे देश का कोई भी भाग हो, अपने पहचान बनाए रखने के प्रति जागरूक लोग दूसरे जातिवादी समूह एकाधिकारी सत्ता को सहन नहीं करते।

अतः समझौता होना चाहिए, अस्तित्व के लिए एक समय कोड होना चाहिए, सरकार ऐसी हो जिसमें सत्ता में भागीदारी हो, अधिकारों में भागीदारी हो, अधिकारों और उत्तरदायित्वों में भागीदारी हो। अतः महोदय, हमें इस समस्या को व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। यहां तक कि हमारे अपने देश में, सम्पूर्ण देश में जनजाति लोगों में अधिकारों के प्रति जागृति आई है। और

मैं चाहूंगा कि माननीय गृह मन्त्री बोडो भूमि समस्या को असम प्रश्न की तरह से न देखकर एक राष्ट्रीय प्रश्न के रूप में देखें क्योंकि हमें सम्पूर्ण देश में जनजाति के लोगों में अधिकारों के प्रति जागृति के प्रश्न को अवश्य निपटाना चाहिए। वहां पर पहचान को बनाए रखने की मांग है। वहां पर आर्थिक हिस्सेदारी की मांग है। वहां पर राजनीतिक हिस्सेदारी की मांग है। वहां पर लोगों को रोजगार देने में हिस्सेदारी की मांग है—यह मांग उन लोगों की है जो कि सम्पूर्ण देश में विशेषकर जनजाति क्षेत्रों में विभिन्न स्तरों पर अल्पसंख्यक वर्ग में आते हैं। और इन मांगों को राष्ट्रीय स्तर पर मात्र मानदण्डों के मूल्यांकन द्वारा पूरा किया जाना चाहिए।

जनजाति लोगों के बारे में, असम में, कई वर्षों से उनकी भूमि के बारे में उनसे धोखा किया जा रहा है। वनों की कटाई की जा रही है और उन्हें समाप्त कर दिया गया है। जनजाति लोगों की भाषाओं को विकसित बोलियां नहीं माना गया है और उन्हें उचित दर्जा नहीं दिया गया है। वास्तव में, मैं यह अवश्य कहूंगा कि भारत में प्रत्येक बच्चे को अपनी मातृभाषा को प्रथम भाषा के रूप में सीखने का अधिकार है क्योंकि प्रत्येक को अपनी मातृभाषा पर समान रूप से गर्व है। और आम किसी जनजाति बच्चे को अपनी मातृभाषा को प्रथम भाषा के रूप में सीखने के उसके अधिकार को सहज ही छीन नहीं सकते और प्राथमिक स्तर पर अध्ययन के लिए विषयों को अपनी मातृ भाषा में पढ़ने के उसके अधिकार को नहीं छीन सकते। मेरे विचार से इसे सीमित नहीं किया जा सकता अथवा इसे केवल जनजाति के लोगों तक ही सीमित नहीं किया जाना चाहिए अथवा इसे बोडो आन्दोलन के सन्दर्भ में ही नहीं देखा जाना चाहिये। यह एक राष्ट्रीय समस्या है और यह बात सभी जगह हमारे सभी भाषायी अल्पसंख्यक लोगों पर लागू होती है।

इसी प्रकार, जनजाति क्षेत्रों में विकास की गति काफी धीमी रही है। उन्हें उपेक्षित रखा गया है। यहां तक कि लोगों को रोजगार देने में उनके प्रति भेदभाव करने के बहुत से मामलों का इसी सदन में उल्लेख किया जा चुका है। अतः आन्दोलन करने के पीछे उचित कारण हैं। आंदोलन का कुछ औचित्य है। लेकिन कोई भी हिंसा को अनदेखा नहीं कर सकता। हिंसा की सार्वभौम निन्दा की गई है क्योंकि हिंसा का लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई स्थान नहीं है। मैं भी इसकी निन्दा करने वालों में शामिल हूं। लेकिन इसके साथ-साथ मैं यह अवश्य कहूंगा कि लोगों के किसी वर्ग द्वारा हिंसा करने पर सरकार द्वारा हिंसा करना भी कोई ठीक काम नहीं है। शासन चलाने के लिए राज्य के पास बड़ा डंडा होता है। एक राज्य अपने बहुत से लोगों को मरवाने का कारण बन सकता है। अतः एक राज्य को, यदि वह लोकतांत्रिक राज्य है, अपने उत्तरदायित्वों के प्रति बहुत ही सावधान होना चाहिए, उसे अपने लोगों के विरुद्ध बल प्रयोग में बहुत ही सावधान होना चाहिए।

महोदय, मैं चाहता हूं कि यह आन्दोलन बहुत ही शान्तिपूर्वक और लोकतान्त्रिक रूप में होना चाहिए और इस समस्या को बातचीत द्वारा सुलझाया जाना चाहिए। और मैं दोनों पक्षों से अपील करता हूं कि वह बहुत ही राजनीतिक सूझबूझ दिखाएं। और मैं यहां एक सुझाव देना चाहता हूं। बातचीत शुरू करने में बाधा केवल इस मुद्दे पर है कि क्या शुरू के स्तर से केन्द्रीय सरकार को भाग लेना चाहिए अथवा नहीं, क्या मैं इसके लिए विनम्र रूप से सुझाव दे सकता हूं। अपने मेरे राजनयिक

अनुभव से एक आसान उपाय है। वह यह है कि असम सरकार, केन्द्रीय सरकार को आमन्त्रित करे और केन्द्रीय सरकार को उस आमन्त्रण को अस्वीकार करना चाहिए और कहना चाहिए : "हम बातचीत के उचित स्तर पर ही उसमें शामिल होंगे।" यह किया जा सकता है। एक सुन्दर हल ढूंढ़ा जा सकता है। बातचीत किसी पूर्व-शर्त के बिना होनी चाहिए और इस बातचीत में बोडो लोगों की सम्पूर्ण शिकायतों पर बातचीत होनी चाहिए। मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं कि उनके मांग पत्र में जो सभी शिकायतें की गई हैं, उन्हें एक तरफ रख दिया जाए और केवल राज्य बनाने के प्रश्न को पहले लिया जाए। मेरे विचार में यह तो उलटी बात हो जाएगी। यह तो किसी व्यक्ति को सामान्य दवाइयों से उपचार करने के बजाए एंटी-बायोटिक की बहुत बड़ी मात्रा देने की तरह होगा। हालांकि मैं इसे स्पष्ट करना चाहूंगा कि हमारे देश में नया राज्य बनाने की मांग में मुझे कुछ भी राष्ट्र-विरोधी नहीं दिखाई देता है। यह राष्ट्र विरोधी बात नहीं है। इसे पृथक रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इसे पृथकतवाद् के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। राज्य की सीमा रेखाएं स्वर्ग में नहीं बनाई गई हैं। ये सीमाएं प्रशासनिक व्यवहार्यता के दृष्टिकोण से बनाई गई हैं। इसलिए हमें अलग राज्य के इस प्रश्न अथवा नये राज्य के लिए मांग को राजद्रोह के प्रश्न के रूप में मानकर ही अस्वीकार नहीं करना चाहिए कि इस पर बातचीत नहीं हो सकती। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अभी भी किसी राज्य को बनाने के लिए कुछ मानदण्डों को निर्धारित नहीं कर सके है।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप सबसे बड़े और सबसे छोटे राज्यों के बीच जनसंख्या और क्षेत्रों के अनुपात को देखें, आपको यह जानकार हैरानी होगी कि यह अनुपात 1 और 500 है। यह एक असंगत अनुपात है, हम सही मापदण्ड को नहीं अपनाते जिससे कि प्रत्येक राज्य का सरलतापूर्वक प्रबन्ध हो सके और इसके साथ ही प्रत्येक राज्य सक्षम हो ? इसीलिए, हमें भारत के व्यापक ढांचे के अन्तर्गत राज्य की सीमा की पुनःपरिभाषा अथवा पुनर्निर्धारण के प्रश्न की संभावना से इन्कार नहीं करना चाहिए जोकि अभी तक अव्यवहार्य रही है। अतः राज्य की मांग के बारे में, मैं इसे स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह राष्ट्र-विरोधी नहीं है क्योंकि इससे भारत की प्रभुसत्ता और स्वतन्त्रता पर आंच नहीं आती है, इसमें भारत की क्षेत्रीय अखंडता पर आंच नहीं आती है और इसीलिए हमें इसे एक सामान्य प्रशासनिक कार्य के रूप में देखना चाहिए।

समस्या का हल इस बात में है कि केवल बोडो भूमि के बारे में ही नहीं, बल्कि संविधान में आवश्यक ढांचे के अन्तर्गत कुछ ऐसे मानदंड बनाए जाएं जो हर जगह लागू हों। क्या हम कोई ऐसा छोटा जिला नहीं बना सकते जो जनजाति बाहुल क्षेत्र हो और उनमें उनकी अपनी जीवन शैली हो ? उन छोटे जिलों को, जिनमें जनजाति के लोगों का बहुमत हो, जनजाति जिले का दर्जा दिया जा सकता है। क्या गैर-जनजाति जिलों के अन्दर जनजाति बाहुल क्षेत्रों को बहुत से जनजाति खंडों के रूप में नहीं बनाया जा सकता और उन जनजाति खंडों को आवश्यक स्वरूप देकर उन्हें अपने प्रशासनिक अधिकार नहीं दिए जा सकते ? यदि उन गैर-जनजाति खण्डों के अन्दर भी आपको जनजाति पॉकेट और जनजाति गांव दिखाई देते हैं—आम पंचायती राज के बारे में शक्तियों के विकेन्द्रीकरण के बारे में तथा ग्राम राज और ग्राम सरकार तथा गांधीजी के विचारों

के बारे में बहुत कुछ कह रहे हो—ऐसे गैर-जनजाति खण्डों और गैर-जनजाति जिलों के अन्दर स्वायत्त जनजाति गांवों का गठन किया जा सकता है। राज्य से लेकर जिला, जिला से लेकर खंड और खंड से लेकर गांव स्तर तक उन्हें स्वायत्तता का सम्पूर्ण ढांचा प्रदान कीजिए।

प्रत्येक जातीय समुदाय, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, जहां भी उनकी काफी बहुतायत है, उन्हें यह महसूस हो कि वह अपने कार्यों का स्वयं प्रबन्ध कर रहे हैं। आज भी जनजाति क्षेत्रों में जो भी अधिकतर सरकारी कर्मचारी भेजे जाते हैं—चाहे वे दिल्ली में अथवा गुवाहाटी में अथवा पटना में हो— गैर-जनजाति के होते हैं। उनकी इन लोगों के साथ कोई सहानुभूति नहीं होती, वे उन्हें उनमें शामिल नहीं करते, उनका कोई भावात्मक संबंध नहीं होता वे समस्याओं को उनके दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं। वे संघर्ष को बढ़ाते हैं, वे समस्याएं पैदा करते हैं, जब तक आप स्थानीय लोगों को प्रशासन में सम्मिलित नहीं करते, जब तक उन्हें वास्तविक अधिकार नहीं देते, आप इस संघर्ष को नहीं रोक सकते। इसीलिए, मैं इस बात का अनुरोध करता हूँ कि हम बोडो समस्या को व्यापक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें और हमें कुछ निश्चित मानदंड, कुछ संवैधानिक विचार तैयार करने का प्रयास करना चाहिए जोकि न केवल असम पर लागू हो क्योंकि यदि यह केवल असम पर लागू होते हैं, मुझे यकीन है हमारे असम के मित्र इससे प्रसन्न होंगे—बल्कि यह संपूर्ण देश पर लागू होने चाहिएं। एक बार यदि आपने छोटे जिलों और जनजाति जिलों और जनजाति खंडों और जनजाति गांवों को बनाने का निर्णय ले लिया, तो उनके लिए प्रशासनिक और वित्तीय अधिकारों का पर्याप्त विकेन्द्रीकरण होना चाहिए और इन सभी क्षेत्रों के लिए इन सभी स्तरों पर विकास के लिए विशेष आवंटन किया जाना चाहिए।

वास्तव में, प्रत्येक राज्य में समन्वय संबंधी प्रयोजनों के लिए हम राज्य के अन्दर जिला परिषद की तरह संवैधानिक तंत्र क्यों नहीं बनाते जिनके पास संवैधानिक अधिकार हों, जो यह सुनिश्चित करे कि राज्य सरकार जनजाति जिलों और जनजाति खडों ,तथा जनजाति गांवों के विकास के लिए पर्याप्त संसाधन आवंटित किए जाते हैं ? उनमें संसद सदस्यों, विधायकों और उससे नीचे गांव प्रधानों तक लोगों के चुने हुए सभी प्रतिनिधि होने चाहिएं। प्रत्येक राज्य सरकार में इन जनजाति क्षेत्रों के लिए एक विशेष विकास आयुक्त होना चाहिए।

अन्त में, एक बार यदि आज इसे राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार कर लेते हैं, तो मुझे यकीन है कि आन्दोलन की मांग, जोकि देश में फैल रही है, जोकि हमारे स्वप्नों और आकांक्षाओं को धूल में मिला रही है, शांत हो जाएगी।

सभापति महोदय, यही वह हल है जोकि मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार को देना चाहता हूँ। उसे एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में, उसे एक मानवीय समस्या के रूप में, एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में देखा जाए और ऐसा हल ढूंढने का प्रयास किया जाना चाहिए जिससे न केवल असम में, बल्कि पूरे देश में आवश्यक राष्ट्रीय हितों तथा प्रत्येक जातीय ग्रुप के अधिकारों एवं प्रतिष्ठा की सुरक्षा होगी.?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : महोदय, मैंने इस मामले में नियम 193 के अन्तर्गत इस विषय पर हुए विचार-विमर्श को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना है। मैं माननीय

अध्यक्ष का आभारी हूं। शुरू में यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के रूप में आया था, इसके बाद इस सभा के कुछ सदस्यों की मांग पर, इसे नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा में बदल दिया गया था। इसमें सभी राजनीतिक दलों इसमें को विचार-विमर्श करने का अवसर मिला और इसमें वे सब न केवल असम की, बल्कि सम्पूर्ण देश की आज की ज्वलन्त समस्या के बारे में अपने विचार प्रकट कर सके।

महोदय, मेरे विचार में यद्यपि चर्चा के दौरान केन्द्रीय मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और विशिष्ट व्यक्तियों के प्रति आरोप लगाये गये थे, तथापि जहां तक इसके हल का संबंध है, कुल मिलाकर सभा की सर्वसम्मत राय यह थी कि असम का और विभाजन नहीं होना चाहिए। यह एक बात है। दूसरी बात यह है कि इसके लिए बातचीत होनी चाहिए और तीसरी बात यह है कि इसका हल असम के वर्तमान भौगोलिक ढांचे के अन्तर्गत, होना चाहिए।

महोदय, विचार-विमर्श के दौरान, मेरे अच्छे मित्र—क्योंकि सौभाग्यवश अथवा दुर्भाग्यवश, हम एक ही राज्य के हैं—उन्होंने बहुत से आरोप लगाए हैं।

इस आरोप का उत्तर देते वक्त मैं पूरी नम्रता के साथ कहता हूं कि जवाब देना मेरा कर्त्तव्य है। यह मेरे व्यक्तिगत संबंध और सामाजिक संबंध को नहीं दर्शाता है।

श्री दिनेश गोस्वामी, माननीय श्री पराग चालिहा और कुछ विपक्षी सदस्यों द्वारा लगाया गया आरोप यह था कि एक दल के रूप में, एक सरकार की हैसियत से कांग्रेस ने कभी हिंसा की निन्दा नहीं की है बल्कि अपने कार्यकलापों द्वारा इन्होंने बोडो आन्दोलन को बढ़ावा ही दिया है।

महोदय, सर्वप्रथम दल के दृष्टिकोण से उनका ध्यान में एक प्रेस प्रकाशनी की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जोकि असम में दी गई थी और असम ट्रिब्यून तथा 'दि सेन्टीनल' नामक अखबार में प्रकाशित हुआ था जोकि असम में हम सभी को बहुत लोकप्रिय है। इसमें कहा गया है "कोई मुख्यमंत्री के आरोपों का खंडन करते हैं।" मैं उन सभी उत्तरों का जिक्र करना नहीं चाहता हूं जो उन्होंने दिये हैं। यह उत्तर 18 फरवरी 1989 को दिया गया है। प्रदेश कांग्रेस समिति (ई०) के अध्यक्ष ने स्वीकार किया कि जनजातीय लोगों की समस्या कांग्रेस के समय में ही शुरू हुई थी लेकिन वे लोग स्थिति को सम्भालने में सक्षम थे। फिर उन्होंने कहा कि कांग्रेस (ई०) के विरुद्ध गण परिषद द्वारा लगाये गये आरोप राजनीतिक से प्रेरित हैं क्योंकि वे समस्या के समाधान में अपनी असफलता छुपाना चाहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस (ई०) के विरुद्ध झूठे और आधारहीन आरोप लगाकर असम गण परिषद लोगों को धोखा देने की कोशिश कर रही है। उन्होंने यह भी कहा है कि असम क्षेत्र में हो रही सभी प्रकार की हिंसाओं की हम निन्दा करते हैं। असम प्रदेश कांग्रेस (ई०) समीति के अध्यक्ष का यह बयान है। परामर्शदात्री समिति की बैठक में जोकि 13 फरवरी 1989 को हुई थी और जिसमें माननीय सदस्य भी उपस्थित थे, मैंने स्वयं न केवल हिंसा की निन्दा की बल्कि इस सभा में माननीय सदस्यों द्वारा मुझ पर और मेरे वरिष्ठ सहयोगी, देश के गृहमंत्री पर लगाये गये आरोपों का भी खण्डन किया है।

महोदय, कलकत्ता में एक प्रेस साक्षात्कार के समय स्वयं प्रधान मंत्री ने अपने बयान में कहा है, "हम हिंसा की निन्दा करते हैं। हम चाहते हैं कि समस्या का समाधान राज्य सरकार के

संवैधानिक ढांचे के अन्तर्गत हो।" सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने यह भी कहा है कि केन्द्र इसमें हस्तक्षेप करने नहीं जा रहा है क्योंकि यह पूर्णतः राज्य सरकार की समस्या है। महोदय, तथ्यों तथा अभिलेखों से ये बातें सिद्ध होती हैं। अतः श्री चालिहा और श्री दिनेश गोस्वामी द्वारा लगाये गये आरोप अखबारों को पढ़ने या इसे समझने में उनकी अयोग्यता दर्शाते हैं या फिर हम लोगों को राजनीतिक दृष्टिकोण से बदनाम करने के लिये ऐसा किया गया है। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि कांग्रेस एक दल की हैसियत से और केन्द्र सरकार के रूप में कभी भी हिंसा को बढ़ावा नहीं देगी चाहे यह किसी भी वर्ग के लोगों द्वारा की जा रही हो और उनकी राजनीतिक पृष्ठ-भूमि जो भी रही हो। दूसरे, एक आरोप यह भी लगाया गया है कि इसके पीछे कांग्रेस का हाथ है, कांग्रेसी मंत्रियों का हाथ है। महोदय, एक दल की विगत गतिविधियों के आधार पर आपको उसे जांचना है। क्या मैं श्री गोस्वामी, श्री पराग चालिहा, श्री अमर रायप्रधान, श्री चौबे और अन्य लोगों से एक प्रश्न कर सकता हूं? यह वह सत्य नहीं है कि असम में एक निर्वाचित सरकार थी जिसका कार्यकाल 1989 तक था लेकिन एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गये थे, सरकार को इस्तिफा देने के लिये और जनमत प्राप्त करने के लिये कहा गया और इसमें कांग्रेस दल की हार हुई। यह राज्य हमारे हाथ से निकल गया लेकिन हमारे नेता, हमारे प्रधानमंत्री, ने इसके लिये कभी लज्जित महसूस नहीं किया बल्कि उन्होंने कहा कि हम शांति चाहते हैं, उस शांति के लिये दलगत हित की बात महत्त्वपूर्ण नहीं है बल्कि राष्ट्रीयहित महत्वपूर्ण है। सिर्फ यही नहीं, हमने मिजोरम में इसे सिद्ध भी कर दिया है। श्री लालथनवाला के नेतृत्व में मिजोरम में एक निर्वाचित सरकार बनी थी। उन्होंने त्यागपत्र दिया और श्री लालडेंगा के अधीन उपमुख्यमंत्री बनाये गये। क्यों? क्योंकि 20 वर्षों के विद्रोह और उपद्रव के बाद समझौता द्वारा एक शांतिपूर्ण स्थिति बनानी थी। श्री किशोरचन्द्र देव ने शिकायत की है कि प्रधान मंत्री सिर्फ समझौता करने वाले व्यक्ति हैं। वे एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने ही घर में अपनी मां को खोने के बाद भी लोंगोवाल समझौते पर हस्ताक्षर करते समय अपनी ओर से सहायता करने में नहीं झिझके; वे कह सकते थे कि वे ऐसा नहीं कर सकते। कांग्रेस एक ऐसा दल है जो ओच्छी राजनीति से ऊपर है। लेकिन जब कांग्रेसी मंत्रियों और कांग्रेस दल के विरुद्ध आरोप लगाये जा रहे थे तो हो सकता है कि उन्हें इनकी सूचना न मिली हो। मैं असम गण परिषद के अपने मित्रों को यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस बोडो आन्दोलन का राजनीतिक लाभ उठाने का हमारा कोई ईरादा नहीं है। आप अपने मुख्यमंत्री से यह पूछ सकते हैं। अपने दिनांक 26 फरवरी 1987 तथा 6 जुलाई 1988 के पत्रों तथा 15 फरवरी 1989 को हमारे गृहमंत्री के साथ आपके मुख्यमंत्री के वार्तालाप में, जोरहाट सर्किट हाऊस में प्रधानमंत्री की उपस्थिति में आपके मुख्यमंत्री के साथ मेरी वार्ता में हमने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। आज अनेक विपक्षी सदस्यों द्वारा सुझाये गये परामर्श, ये सभी विकल्प मुख्यमंत्री को बताये गये हैं और यह भी कि इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। सौभाग्यवश मैं वहां उपस्थित था। प्रधानमंत्री ने मुझसे उन्हें सारी बातें बताने को कहा। एक घंटे तक मैंने मुख्यमंत्री से बात की और मैंने उन्हें बताया कि हम क्या चाहते हैं और कैसे चाहते हैं। लेकिन मैंने उनसे बिल्कुल स्पष्ट रूप में कह दिया कि हम हस्तक्षेप करना नहीं चाहते हैं और इसका निर्णय करना राज्य सरकार के ऊपर है। मैं यह कहूंगा कि इस बात का श्रेय मुख्य मंत्री को जाता है कि उन्होंने

एक संदेश दिया था और बोडो लोगों के साथ बातचीत की थी। ऐसा नहीं है कि कोई चर्चा नहीं हुई थी। 17 मई 1988 को तत्कालीन राज्य मंत्री, श्री चिन्तामणी पाणिग्रही ने दिसपुर में वार्तालाप में भाग लिया था जहां कि राज्य सरकार के मंत्री भी उपस्थित थे। वहां कुछ निर्णय लिया गया था। वहां अनुगामी कार्यवाही करने का निश्चय किया गया था लेकिन पता नहीं यह कार्यवाही क्यों नहीं की गयी। यदि गृहमंत्री को बदल देने के कारण असम गण परिषद की चिन्ता है तो मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि यदि आज संतोष मोहन देव या अन्य किसी मंत्री से खुश नहीं हैं तो अनेक ऐसे मंत्री हैं जिनसे आप बिल्कुल अपनापन महसूस करेंगे और खुश होंगे और तब हम निश्चित रूप से यह प्रयास करेंगे कि ऐसे मंत्री ही वहां जायें। लेकिन हमें हस्तक्षेप करने की कोई इच्छा नहीं है जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि मौलिक रूप से यह राज्य की समस्या है।

श्री दिनेश गोस्वामी : यहां हमारे विचारों में कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है।

श्री संतोष मोहन देव : दुर्भाग्यवश, यहां मैंने उस परिपेक्ष्य में लिखे हुए दो सम्पादकीय लेख देखे हैं। मेरा यही मत है कि हम असम में स्थायी शांति चाहते हैं। जैसाकि अनेक माननीय सदस्यों ने कहा है कि सामरिक महत्व का क्षेत्र होने के कारण पूर्वोत्तर राज्य में शांति की बहुत अधिक आवश्यकता है। असम की वर्तमान स्थिति वांछनीय नहीं है। मृत्यु और हत्याओं के सही आंकड़े श्री दिनेश गोस्वामी ने दिये हैं। कोई भी यह नहीं चाहता है।

एक आरोप यह लगाया गया है कि हम अर्द्ध-सैनिक बल नहीं भेज रहे हैं। इस सन्दर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि 7-2-1989 को दस कंपनियों के लिये कहा गया था, हम लोगों ने पांच 9-2-1989 को तथा 11-2-1989 को तीन कम्पनियां भेजीं। 22-2-1989 को उन्होंने 20+23 कम्पनियों की मांग की, हमने उन्हें 18+10 कम्पनियां भेजी। वे सभी तैनात कर दी गयी हैं।

श्री पराग चालिहा द्वारा एक बहुत ही संगत प्रश्न उठाया गया है और उन्होंने तिथियों का जिक्र किया है और वे बहुत सही कह रहे हैं। उन तिथियों को नागालैंड और मिजोरम में चुनावों के कारण हम अर्द्धसैनिक बल नहीं भेज पाये थे और साथ ही पंजाब में ब्लैक थंडर और अन्य कारणों से भी हम सैनिक बल नहीं भेज पाये थे। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि उनके पास अर्द्ध-सैनिक बल नहीं थे। असम में आज कुल मिलाकर अर्द्ध-सैनिक बलों की 49 कम्पनियां हैं। आपके राजनीतिक दल में एक अवकाश प्राप्त पुलिस महानिदेशक हैं। वे क्या समझते हैं उन्हें कहने दीजिए। मैंने जांचकर यह पता लगाया है कि पंजाब को छोड़कर देश में ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जहां 49 कम्पनियां मौजूद हैं।

मैंने गृह सचिव और अन्य लोगों को असम की सरकार से बातचीत करने और यह अनुरोध करने के निर्देश दिये हैं कि बोडो क्षेत्र में अधिक संख्या में अर्द्ध-सैनिक बल तैनात नहीं किये जायें। मैं चाहता हूं और असम का नागरिक होने के नाते मेरी यह व्यक्तिगत इच्छा है कि वहां स्थानीय पुलिस तैनात की जानी चाहिए जोकि स्थानीय क्षेत्रों को जानते हों, स्थानीय लोगों की भावनाओं को समझते हों और सामरिक महत्व के क्षेत्रों जैसे राजकोष आदि में अर्द्ध-सैनिक बल तैनात किये जाने चाहिएं। गृह राज्य मंत्री होने की हैसियत से यह मेरा व्यक्तिगत विचार था। इसे स्वीकार नहीं

किया गया था। फिर, सैनिक हस्तक्षेप के सम्बन्ध में श्री किशोर चन्द्र देव द्वारा एक प्रश्न उठाया गया था। एक दिन उन्होंने संदेश भेजा कि उन्हें सैनिक बलों की आवश्यकता है। विभाग द्वारा इसका पूरा विरोध किया गया था। लेकिन हम लोगों ने कहा कि सेना की आवश्यकता यदि सिर्फ सहायक के रूप में हो और तैनात करने के लिये न हो—और चूंकि हम लोग उनकी आवश्यकतानुसार अर्द्ध-सैनिक बल भेजने में सक्षम नहीं थे—हम लोगों ने इस बात को स्वीकार किया और राजी हो गये। सेना वहां पूर्ण रूप से कार्यवाही करने के लिये नहीं बल्कि सहायक के रूप में तैनात की गयी। अनेक कारणों से मैं वहां की सैनिक कम्पनियों की संख्या बताना नहीं चाहता हूं।

श्री अलाउर्रहमान (बारपेटा) : गृह मंत्री बता रहे हैं कि स्थिति का मुकाबला निःशस्त्र पुलिस द्वारा किया जा सकता है, उनका यह कथन बिल्कुल गलत है। आदिवासी इतने उत्तेजित हैं कि यदि कोई निशस्त्र व्यक्ति वहां भेजा जाये तो उसे मार दिया जायेगा। अतः असम सरकार को उचित परामर्श नहीं दिया गया।

श्री सन्तोष मोहन देव : मैं पुलिस महानिदेशक नहीं हूं परन्तु देश में घूमने से प्राप्त जानकारी से मैं जानता हूं कि राज्य पुलिस शस्त्रहीन नहीं है वे सशस्त्र हैं। असम गण परिषद के माननीय सदस्य की जानकारी के लिये मैं बता दूं कि मैंने बोडो लोगों से बरामद हथियारों को स्वयं देखा है यह गुप्त नहीं है इन्हें केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दिवस पर विज्ञान भवन में दिखाया गया था। पाइपों को काटकर 12 बोर की बन्दूकें बनायी गयी थीं हमें इसकी गहराई में नहीं जाना चाहिए क्योंकि अभी हम राजनीति में है, आपको वास्तविकता की तरफ ध्यान देना चाहिए पुलिस के दिनों को याद मत कीजिए।

जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि यह कानून और व्यवस्था का मामला नहीं है। अर्द्ध-सैनिक बलों से आप इस समस्या को हल नहीं कर सकते। इसके लिये राजनीतिक समाधान और बातचीत से समझौते की आवश्यकता है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम वहां जाकर हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं। हमने कह दिया कि यह राज्य की समस्या है, इसके लिये राज्य सरकार की सहायता की जानी चाहिए। यदि वे चाहें तो राष्ट्रीय समाचारपत्रों के माध्यम से हम यह संदेश भेज सकते हैं कि अखिल बोडो छात्र संघ और सरकार को असम सरकार से बातचीत करनी चाहिए। यदि हमसे ऐसा करने के लिये कहा जायेगा तो हम अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागेंगे और सदैव उनकी सहायता करेंगे।

श्री दिनेश गोस्वामी : यदि आप चाहते हैं तो यह संदेश भेजा जाए कि असम सरकार और अखिल बोडो छात्र संघ के बीच प्रारम्भिक दौर···

श्री सन्तोष मोहन देव : हम किसी दौर में नहीं चाहते···

श्री दिनेश गोस्वामी : मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम इसे प्रतिष्ठा का मुद्दा नहीं बनाते कि केन्द्रीय सरकार को सम्मिलित होना चाहिये।

श्री सन्तोष मोहन देव : मैं उनके दृष्टिकोण को पूर्णतः समझता हूं।

श्री दिनेश गोस्वामी : इसलिये असम सरकार और अखिल बोडो छात्र संघ के बीच प्रारम्भिक दौर की बातचीत शुरू हो तत्पश्चात केन्द्रीय सरकार···

श्री सन्तोष मोहन देव : मैं उनके दृष्टिकोण को पूरी तरह समझता हूं परन्तु मैं जानता हूं कि असम के मामले में उनकी बात निर्णायक नहीं है मैं असम का निवासी हूं। वहां जो हो रहा है उसे मैं जानता हूं। मैं वहां की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को जानता हूं। परन्तु मैं उनसे सहमत हूं और यह कहना चाहता हूं कि हम वहां उपस्थिति के लिये नहीं कह रहे हैं इसके लिये कोई और कह रहा है। कुछ विपक्षी सदस्यों ने पूछा है कि अखिल बोडो छात्र संघ केन्द्रीय प्रतिनिधि को शामिल होने के लिये क्यों कह रहे हैं। क्या यह सच नहीं है कि असम आन्दोलन के 6 वर्षों के दौरान ए०ए०एस०यू० ने राज्य सरकार के साथ बैठकर कभी बात नहीं की चाहे वे श्रीमती सैयदा अनवरा तैमूर थी या श्री केशवचन्द्र गोगी थे या श्री द्वितेश्वर सैकिया या अन्य कोई थे? क्या यह सच नहीं है कि अखिल बोडो छात्र संघ ने यह कहा था कि असम में सभी राष्ट्रीय दल अप्रासंगिक हैं? क्या यह सच नहीं है कि श्री मोरारजी देसाई ने जनता सरकार के अध्यक्ष की हैसियत से ए०ए०एस०यू० को बैठक के लिये बुलाया था। क्या प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने श्री शंकरदयाल शर्मा, श्री यशपाल कपूर और अन्य लोगों को राज्य सरकार से बिना पूछे वहां भेजा था? आपने केवल बोडो को ही नहीं बल्कि समूचे देश को यह सबक सिखाया है। उन्होंने यह उदाहरण प्रस्तुत कर दिया है। विपक्ष के श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव जैसे कुछ सदस्यों ने कहा है कि केन्द्रीय सरकार और अखिल बोडो छात्र संघ में कुछ मिलीभगत है इसलिये हम केन्द्रीय प्रतिनिधि का आग्रह कर रहे हैं। राज्य मंत्री होने के नाते देश की किसी जटिल स्थिति को निपटाना मेरा कार्य है। ऐसा करने में मैंने क्या अपराध किया है? क्या यह सच नहीं है कि असम आन्दोलन के दौरान असम प्रतिनिधि केन्द्रीय मंत्रियों से मिले। क्या हमने यह कहा था कि केन्द्रीय मंत्री इसे भड़का रहे हैं? हमने ऐसा कभी नहीं कहा। लोकतांत्रिक देश में विभिन्न मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिये हमें विभिन्न संस्थायें स्थापित करनी चाहिएं। उनकी समस्या है कि वे हम पर शंका करते हैं और हमारी समस्या है कि हम उन पर शक कर रहे हैं। किसी प्रकार का शक नहीं होना चाहिए। जैसाकि अनेक सदस्यों ने कहा है कि यह राष्ट्रीय समस्या है, हमें इसे एक दूसरे की सहायता से हल करना चाहिए।

परन्तु असम में क्या हो रहा है? असम विधान सभा में मांग की गयी कि सन्तोष मोहन देव को गिरफ्तार किया जाए। मुझे गृहमंत्री के विरुद्ध लगाये गए आरोपों का पत्र मिला है। यह पत्र मेरे पास है। यदि कोई चुनौती देगा तो मैं यह दिखा सकता हूं। हमारा एक राष्ट्रीय दल है और हमें 100 वर्षों का अनुभव है। हमने इस पत्र पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की और न ही इसे छपवाया। हम इसे समाचार पटल पर भी रखना नहीं चाहते। परन्तु हम असम सरकार को यह संदेश भेजना चाहते हैं कि इसे प्रतिष्ठा का मामला न बनाया जाए। जी० एन० एल० एफ० और पश्चिमी बंगाल की सरकार से सबक सीखना चाहिए। इस सभा में सी० पी० एम० ने कांग्रेस (आई) की सरकार के विरुद्ध आरोप लगाये हैं। श्री ज्योति बसु समस्या के समाधान के लिए सरदार बूटा सिंह को तीन-चार बार टेलीफोन किया करते थे। परन्तु हमने ऐसा नहीं किया और हमारे अधिकारियों के माध्यम से समस्या हल हो गयी।

यह आरोप लगाया गया है कि पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमन्त्री राज्य सरकार के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। श्री दिनेश गोस्वामी ने आरोप लगाया है कि प्रधानमन्त्री ने एन० एस० यू० आई० की बैठक में राज्य सरकार को हस्तक्षेप की धमकी दी है। मैं इसे सभा में स्पष्ट कर देना चाहता हूं और इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित किया जाए कि प्रधानमन्त्री ने यह स्पष्ट कर दिया कि राज्य सरकार के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। असम पूर्वोत्तर राज्यों का मुख्य द्वार है और चावल, गेहूं, सरसों का तेल, प्याज और आलू जैसी आवश्यक वस्तुयें बाहर से आती हैं।

3.00 घ० प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

श्री दिनेश गोस्वामी ने कुछ आंकड़े दिये हैं। मैं उनके वक्तव्य का खंडन नहीं करना चाहता परन्तु उनका ध्यान कुछ ऐसे तथ्यों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिन्हें वह नहीं जानते हैं। वह केवल असम की समस्या की तरफ ध्यान दे रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र की कुल आवश्यकताओं की क्या स्थिति है ? दिसम्बर से लेकर अप्रैल तक की स्टॉक स्थिति को कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित किया जाए। 31-12-1988 को स्टॉक 1.54 लाख टन था। 31-1-89 को यह 1.64 लाख टन, 28-2-89 को 1.58 लाख टन, 15-3-89 को 1.34 लाख टन और 8-4-89 को स्टॉक 1.19 लाख टन था। परन्तु किसी महीने में 2.40 लाख टन का लक्ष्य था। परन्तु हम यह लक्ष्य प्राप्त नहीं सके। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि ये आंकड़े केवल असम के ही नहीं बल्कि सभी पूर्वोत्तर राज्यों के हैं : ये गेहूं और चावल दोनों के हैं। यदि लक्ष्य पूरा न हो तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि केन्द्रीय सरकार क्या कर रही है ? प्रधानमन्त्री के कहने से शिलांग में एक बैठक हुई। श्री सुखराम वहां गये। पूर्वोत्तर राज्यों और असम में भयंकर बाढ़ों के कारण लोगों का बहुत नुकसान होता है। इसलिए यह निश्चिय किया गया कि गुवाहाटी में दो महीनों का बफर स्टॉक बनाया जाए ताकि आवश्यक वस्तुओं के आवागमन की कठिनाई में लोगों का नुकसान न हो। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हमने यह लक्ष्य निर्धारित किया है। दुर्भाग्य की बात है कि अब गाड़ियों के आवागमन पर असर पड़ा है। मेरे पास उन गाड़ियों का ब्यौरा है जो नहीं पहुंच सकीं और आवश्यकता पूरी नहीं हुई। पचास प्रतिशत से कम आवश्यकता पूरी की जा सकी। मैं असम सरकार को दोष नहीं दे रहा हूं। बोडो आन्दोलन से रेल सेवा पर असर पड़ा है। यह प्रश्न पुनः पूछा जा सकता है कि केन्द्रीय सरकार क्या कर रही है। मेरे कहने से राज्य सरकार के अधिकारियों को बुलाया गया है। बैठक में हमने रेल लाइन के दोनों किनारों पर कर्फ्यू लगाने का सुझाव दिया है। हमने सुरक्षा के लिये 28 कम्पनियां दी हैं और सुझाव दिया है कि माल गाड़ियां चलने दी जाएं परन्तु यात्री गाड़ियों के आवागमन के बारे में राज्य सरकार स्वयं निश्चय करे। राज्य सरकार ने यह अनुभव किया कि यात्री गाड़ियां केवल दिन में चल सकती हैं। रेल मंत्रालय, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार इस पर सहमत हो गये।

अब तथ्य यह है कि सभी पूर्वोत्तर राज्यों में लोग खाद्यान्न की कमी का सामना कर रहे हैं। लेकिन श्री गोस्वामी कहते हैं कि असम में कोई कमी नहीं है। मेरा मत उनसे भिन्न है। मैं

अपने निर्वाचन क्षेत्र की स्थिति जानता हूं। मैं वहां गया था। मैंने उपायुक्त से इसकी विस्तृत जानकारी मांगी है और उन्होंने कहा है कि कुछ चावल तो है लेकिन गेहूं बिल्कुल नहीं है। परिवहन की लागत बहुत अधिक हो गई है और लोगों के लिए वस्तुएं खरीदना बहुत मुश्किल हो गया है। इसे देखते हुए पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्य मन्त्री कलकत्ता में प्रधानमन्त्री से मिले थे और उन्होंने उन्हें एक ज्ञापन दिया था जिसमें यह अनुरोध किया गया था कि आवश्यक वस्तुएं भेजी जाएं। उन्होंने एन० एस० यू० आई० की बैठक में एक भाषण दिया है। मेरे पास यहां इसकी एक प्रति है। उन्होंने यह कभी नहीं कहा कि हम राष्ट्रपति शासन लागू करने जा रहे हैं। उन्होंने यह भी नहीं कहा कि हम राज्य की समस्याओं में हस्तक्षेप करने जा रहे हैं। उन्होंने ने तो यही कहा है कि यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है कि आवश्यक वस्तुओं को भेजने का कार्य जारी रहे और इस कार्य का प्रबन्ध असम की राज्य सरकार करती रहे। यदि वे इसका प्रबन्ध करने में विफल होते हैं तो हमें यह देखना है कि कोई व्यवस्था की जाए। अब इस वक्तव्य में क्या गलत है ? बाढ़ के दिनों में जब आप अपने प्रयासों में असफल हो जाते हैं तो आप हमें विमानों से माल भेजने के लिए कहते हैं। इसमें 'राजनीति' क्या है ? लेकिन सारा विपक्ष प्रधानमन्त्री पर आरोप लगाता है और कहता है कि उन्हें अपने कार्यों में सावधान रहना चाहिए। विपक्ष आरोप लगाता है कि वह असम में राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। श्री दिनेश गोस्वामी ने अपने भाषण में कहा है कि श्री संतोष मोहन देव ने गड़बड़ी करके त्रिपुरा में सरकार स्थापित की है और वह असम में भी ऐसा ही करने का प्रयास कर रहे है। एक प्रकार से वह अपनी हार स्वीकार कर रहे हैं। मैं यहां यह अवश्य कहना चाहता हूं कि यदि हम कभी असम में आएंगे तो सही तरीकों से आएंगे, गलत तरीके अपनाकर कभी नहीं आएंगे। असम से मेरे मित्र इस मुद्दे पर गौर करें। लेकिन यदि आप अपने गलत कार्यों के फलस्वरूप हटते हैं, तो हम आपको अपना समर्थन नहीं देंगे। हम आपका स्थान ले लेंगे। आपके राज्य में ऐसी स्थिति आरही है क्योंकि यहां मेरे पास एक ऐसे व्यक्ति का प्रैस वक्तव्य है जो आपका एक मन्त्री था जितने वहां आपके मंत्रिमण्डल से इस्तीफा दे दिया था।

श्री अताउर्रहमान : यह इस्तीफे के बाद का है। यह तो बिल्कुल दूसरे संदर्भ में है।

श्री संतोष मोहन देव : यदि आप सहमत हैं तो ठीक है। मैं आपसे सहमत हूं कि यह इस्तीफे के बाद का है और एक गलत वक्तव्य है। लेकिन उन्होंने क्या कहा ? वह एक आदिवासी हैं। उन्होंने आदिवासी लोगों के बारे में कुछ कहा था। मैं जानता हूं कि यह असहनीय है।

श्री दिनेश गोस्वामी : यह सभी समाचारपत्रों में छपा है।

श्री संतोष मोहन देव : तब आप यह पूछिए कि आदिवासी आपके बारे में क्या सोचते हैं ? कुछ सदस्यों ने एन० सी० हिल्स और कर्बी अंगलांग के बारे में कुछ मुद्दे उठाए हैं। मैं इन सभी मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहता क्योंकि ये आज की चर्चा के अन्तर्गत नहीं हैं। लेकिन मैं आज कर्बी अंगलांग तथा एन० सी० हिल्स के बारे में हमारे जो मत हैं मैं उनको असम गण परिषद के मित्रों तथा अन्य लोगों को स्पष्ट करना चाहता हूं। इन्हें आपकी सरकार को लिखित तथा मौखिक रूप में भी प्रकट कर दिया गया है। फिर यह पुनः मत कहिए कि हम समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं।

क्योंकि इस समस्या का सामना करना तो आपका कर्त्तव्य है। यह हमारी समस्या नहीं है। प्रधान-मंत्री ने यह कहा है और हम भी यही कहेंगे।

श्री दिनेश गोस्वामी ने अपने भाषण में दो मुद्दों का उल्लेख किया था। पहला तो यह था कि भूटान में प्रशिक्षण शिविर चलाया जा रहा है। मैंने इस बारे में जांच की है। हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। मेरे पास तो यही जानकारी है कि श्री अमर रायप्रधान उपेन ब्रह्मा के मेजबान हैं। वह यहां काफी लम्बे समय से हैं और उनका उद्देश्य.....

श्री अमर रायप्रधान : मैं नहीं हूं···

श्री संतोष मोहन देव : मैं आपको व्यक्तिगत रूप में नहीं कह रहा हूं। मैं आपके बोध और वहां की सरकार के बारे में कह रहा हूं। यह आपके नए साथी हैं क्योंकि श्री प्रफुल्ल महंत और श्री ज्योति बसु भी एक ही मंच से लड़ रहे हैं। एक सदस्य ने यह प्रश्न किया है कि क्या यह सच है कि एक केन्द्रीय आसूचना विभाग ने कलकत्ता में अखिल बोडो छात्र संघ के कुछ सदस्यों से मुलाकात की थी। मैं इससे भी इन्कार करता हूं। यह सच नहीं है। अब हमारा मत यह है कि···

श्री अताउर्रहमान : आपका इन्कार करना ही काफी नहीं है।

श्री संतोष मोहन देव : यदि मेरा इन्कार करना पर्याप्त नहीं है तो यह आवश्यक है कि आप इस बारे में तथ्य तथा आंकड़े पेश करें।

मैंने सिलचर में एक संवाददाता सम्मेलन बुलाया था और आपकी राज्य सरकार की चुनौती को स्वीकार किया था और उन्हें अपने प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए एक तारीख दी थी लेकिन इस बारे में उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की। वे कुछ भी नहीं जानते हैं। मैं आपको यह बात बता रहा हूं। यदि आप ऐसे प्रमाण दे सकते हैं कि केन्द्र सरकार की ओर से हमने किसी तरह से उन्हें भड़काया है तो मैं इसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार हूं। हम इसमें विश्वास नहीं करते हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे।

श्री अताउर्रहमान : क्या आप हमें एस० एस० बी० संगठन के बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं ? यह क्या कर रहा है ?

श्री संतोष मोहन देव : जब आप पुलिस के महानिदेशक थे तब आपने अवश्य ही एस० एस० बी० का दुरुपयोग किया होगा। हर रोज जब भी वह मुझसे मिलते हैं तो मुझसे पूछते हैं कि एस० एस० बी० क्या कर रहा है।

एस० एस० बी० उनके दिनों जैसा एस० एस० बी० नहीं है। मेरा यही उत्तर है। दूसरा मुद्दा उठाया गया है···

श्री दिनेश गोस्वामी : देव जी, उस समय वहां कांग्रेस की सरकार थी। यदि आज एस० एस० बी० पहले से अच्छा है तो यह असम गण परिषद के कारण है।

श्री संतोष मोहन देव : इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आज मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा क्योंकि यह एक राष्ट्रीय मंच है।

विपक्ष से कुछ मित्रों ने ए० के० एस० ए० के अखिल बोडो छात्र संघ के साथ गठजोड़ के बारे में एक और प्रश्न किया था। कहा जाता है कि ए० के० एस० ए० संगठन को संतोष मोहन देव का समर्थन प्राप्त है। म होदय, हमने इतना अधिक···

श्री दिनेश गोस्वामी : हमने ऐसा नहीं कहा है।

श्री संतोष मोहन देव : यहां पर आपके गृहमन्त्री का एक पत्र है। मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। मैं अब आपको ए० के० एस० ए० के साथ उस समय की अपनी निकटता के बारे में बताता हूं जब मैं पहली बार भारत का पर्यटन मन्त्री बना था। जब मैं वहां गया तो उन्होंने काले झण्डे दिखाकर मेरा स्वागत करते हुए यह कहा कि हम क्षेत्रीय मन्त्री नहीं बल्कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय चाहते हैं। इसके बाद तीन दिन के अन्दर श्री प्रफुल्ल महंत ने उन्हें बुलाया और उनका साक्षात्कार लिया। गुहावटी टी० वी० पर यह दिखाया गया कि यहां एक व्यक्ति है जो संतोष मोहन देव का दुश्मन है और हमारा मित्र है। अब आप कह रहे हैं कि ए० के० एस० ए० से गठ-जोड़ इस बात का सबूत है कि असम के लोगों के कुछ वर्गों के साथ गलत गठजोड़ है। श्री पराग चालिहा ने यही कहा है। क्या यह तथ्य नहीं है कि ए० ए० एस० यू० के चार वर्ष पहले असम आन्दोलन के दौरान बैठकें आयोजित करने के लिए दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता आए थे ? जब आप किसी पर आरोप लगाते हैं तो आपको यह ध्यान में रखना चाहिए इससे आप स्वयं को ही कठिनाई में डालेंगे। और यह कठिनाई बोडो हैं।

श्री दिनेश गोस्वामी : ऐसी कोई कठिनाई नहीं है।

श्री संतोष मोहन देव : यह कांग्रेस (इ) नहीं है। एक समय था जब असम में लोग हजारों की संख्या में गलियों में आ जाते थे।

उस समय की सरकार का शासन कभी भी लागू नहीं होता था, असम गण परिषद और अखिल असम छात्र संघ का शासन ही वहां चलता था। अब आपको इसका परिणाम भुगतना है क्योंकि बोडो आन्दोलन में विपक्ष के अनेक सदस्य हैं। वे आपके ही बच्चे हैं। मेरा मतलब किसी व्यक्ति से नहीं है। लेकिन असम आन्दोलन, बोडो आन्दोलन के अलावा, एक पूर्ण आन्दोलन था। आप आज यह नहीं कह सकते कि इसमें आदिवासियों ने भाग नहीं लिया।

श्री दिनेश गोस्वामी : हमने बोडो आन्दोलन के विरुद्ध कुछ नहीं कहा है। आदिवासियों की अपनी समस्याएं हैं; उन्हें लोकतान्त्रिक आन्दोलन चलाने का हक है। हमने तो आन्दोलन की नहीं बल्कि हिंसा की निन्दा की है।

श्री संतोष मोहन देव : मैंने गृह मन्त्रालय द्वारा दिए गए अपने आंकड़े दिए हैं। कांग्रेस (इ) का एक वक्तव्य है; मेरा भी एक वक्तव्य है। वह ऐसा कैसे कहते हैं कि हमने हिंसा की निंदा नहीं की है ?

श्री दिनेश गोस्वामी : मैं यह नहीं कह रहा हूं।

श्री संतोष मोहन देव : आप हिंसा की निन्दा कर रहे हैं; आप बोडो आन्दोलन की निन्दा कर रहे हैं। ठीक है। फिर यह मत कहिए कि इस आन्दोलन के लिए कांग्रेस (इ) जिम्मेदार है।

क्या आपने आज तक इस बोडो आन्दोलन की हिंसा में एक भी कांग्रेस (इ) सदस्य को गिरफ्तार किया है ? आपने ऐसा नहीं किया है ।

यह या तो सरकार की अकुशलता है अथवा आपको एक ठोस वक्तव्य देना चाहिए । परन्तु मैं कहता हूं कि इस समस्या को असम गण परिषद् अथवा कांग्रेस-आई ने उत्पन्न नहीं किया है बल्कि इस मुद्दे को इन नवयुवकों ने उठाया है । उन्होंने ऐसा क्यों किया है ? उन्होंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि एक अधिक नरम दल पी० टी० सी० ए० को जब एक बार बातचीत करने के बाद दोबारा बातचीत करने के लिए कहा गया तो श्री प्रफुल्ल कुमार चौधरी ने यह कहा कि उन्होंने इसका अनुपालन नहीं किया । यही कारण है कि थोड़े विद्यार्थियों के हिंसा आरम्भ कर देने पर यह समस्या हमारी है; वह समस्या आपकी है; यह एक राष्ट्रीय समस्या है । हमें एकजुट होकर इसका समाधान करना चाहिए । हमें एक दूसरे पर कीचड़ नहीं उछालनी चाहिए । मुझे खुशी है कि असम के मुख्य मंत्री ने सभी विपक्षी दलों से बातचीत की है तथा मुझे इस बात की भी खुशी है कि असम सरकार ने विधानसभा की एक गोपनीय बैठक की है जिसमें बोडो आन्दोलन के बारे में सभी लोगों ने स्वतन्त्र तथा स्पष्ट रूप से अपने विचार व्यक्त किये हैं । मुझे लगता है कि यह सही दिशा में एक कदम है । आज हमें एक ऐसी स्थिति पैदा नहीं करनी चाहिए जिसमें हम यह कहें कि हम एक दूसरे पर आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं ।

अन्य मुद्दों के बारे में बहुत सी बातें कही जा चुकी हैं । यदि मैं इन सभी बातों की जांच करूं तो आप पुनः उनसे कुछ निर्णय लेंगे । मैं केवल एक बात कह सकता हूं कि इस मुद्दे के बारे में भारत सरकार ने राज्य सरकार के साथ निरन्तर सम्पर्क बनाया हुआ है जैसा कि हमने जी० एन० एल० एफ० आन्दोलन के दौरान किया था । उन्होंने जब भी किसी सहायता की मांग की है हमने मंत्रिमंडलीय स्तर पर एवं गृह मंत्री और प्रधान मंत्री के स्तर पर बैठकें आयोजित कीं । जब भी किसी राज्य सरकार को सहायता की आवश्यकता पड़ती है हम उसकी सहायता करने के लिए वचन-बद्ध हैं । अर्द्ध-सैनिक बलों के बारे में हमारी विवशता है । उनकी इस मांग को पूरा करना हमारे लिए संभव नहीं है । परन्तु हमारी सलाह और शुभ कामनायें सदैव उनके साथ हैं और उनके साथ रहेंगी ।

हम इस सदन में केन्द्रीय मंत्रियों अथवा कांग्रेस (आई) के विरुद्ध लगाये गये आरोपों का जोरदार शब्दों में खंडन करते हैं । परन्तु इसके साथ ही मैं यह नहीं कहूंगा कि असम गण परिषद इसके लिए उत्तरदायी है । मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि यह असम में 42 वर्षों से पैदा की जा रही स्थिति की पराकाष्ठा है (व्यवधान) हां, कांग्रेस (आई) वहां सत्ता में थी, आप भी वहां थे । परंतु सम्भवतः कांग्रेस शासन के दौरान स्थिति इतनी गम्भीर नहीं होती जितनी की आपके समय के दौरान बन गई है । परन्तु इस बात को मत भूलिये । कांग्रेस सरकार ने आदिवासी विकास बोर्ड को मजबूत बनाने का प्रयास किया है । कांग्रेस सरकार ने पी० टी० सी० ए०, जोकि एक नरम दल है को मजबूत बनाने का प्रयास किया है । उन्हें प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए था । यदि उन्हें बात-चीत के लिए बुलाया जाता तो इन बातों का समाधान हो चुका होता । हमने ऐसा प्रयास किया

था, मैंने व्यक्तिगत रूप से ऐसा प्रयास किया था मैंने इसके समाधान के लिए अधिकारियों को भेजा था परन्तु कुछ कारणों से इसमें सफलता नहीं मिली। अब टी० यू० एल० एफ; ए० ए० एस० यू०, बी०एस०यू० का गठन हो चुका है। परन्तु मैं समझता हूं कि अब भी स्थिति को नियन्त्रित किया जा सकता है। बहुत से सदस्यों ने विभिन्न सुझाव दिये हैं। हम इस बारे में खुले दिमाग से कार्य कर रहे हैं। हम किसी राज्य सरकार को यह सुझाव देना नहीं चाहते कि उन्हें क्या करना चाहिए। राज्य सरकारें इस सदन में हमारे दृष्टिकोण से अवगत हैं इस बारे में हमारे अपने विचार हैं और हमने अपने विचारों को राज्य सरकार के सामने प्रस्तुत किया है। इस समस्या के समाधान में विभिन्न प्रकार की कठिनाइयां हैं। यदि आप 'अ' कार्य करते हैं तो लाभ होता है यदि आप 'ब' कार्य करते हैं तो हानि होती है। किसी कार्य से आदिवासी लोग प्रसन्न होते हैं तो किसी कार्य से मैदानी क्षेत्रों के लोग अप्रसन्न होते हैं। समझौते का एक ऐसा आधार होना चाहिए जिससे असमी लोग, बोडो लोग तथा अन्य सभी व्यक्ति प्रसन्न हों। उनके साथ बातचीत के दौरान बहुत से सुझाव सामने आये हैं। जैसाकि मैंने कहा है, मैंने प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया है। मैं आंकड़े प्रस्तुत करने में इस सदन का समय नहीं लेना चाहता। मेरे पास पूर्वोत्तर राज्यों के लिए आवश्यक प्रत्येक मद के आंकड़े उपलब्ध हैं। मैं इन सभी बातों के विस्तार में नहीं जाना चाहता। परन्तु हमारे मन में पूर्वोत्तर राज्यों के सभी मुख्यमन्त्रियों के लिए गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। हां, यदि किसी मुख्यमंत्री ने यह कहा कि वहां राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए तो उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मैं इस बात से सहमत हूं। मैं इस बात पर विवाद नहीं करता। परन्तु देश के प्रधानमंत्री को आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई के लिए कहना और उनका हस्तक्षेप राज्य सरकार के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं है। यदि सिलीगुड़ी में बंध जारी रहता है तो वही राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार के पास आकर कुछ प्रबंध करने के लिए कहेगी। पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमन्त्रियों ने इस भाव से भाषण दिये हैं।

अपने भाषण को समाप्त करने से पहले मैं कुछ बातों को बिलकुल स्पष्ट करना चाहता हूं क्योंकि उनके बारे में किसी कारणवश कुछ भ्रम उत्पन्न हो गया है। सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार असम के और आगे विभाजन के पक्ष में नहीं है। संसद में इस बात को विभिन्न अवसरों पर छह बार कहा जा चुका है। गृह मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक में भी मैंने और गृह मंत्री जी ने इस बात को दोहराया था। प्रधानमंत्री द्वारा सार्वजनिक सभाओं में भी इस बात को दोहराया गया था। मैं इस बात को पुनः कहना चाहता हूं कि हम असम राज्य के और आगे विभाजन के विरुद्ध है और इस प्रकार किसी अन्य राज्य के भी और आगे विभाजन के विरुद्ध है। केन्द्रीय सरकार किसी भी कारण वश किसी भी स्थान पर लोगों के किसी भी वर्ग द्वारा हिंसा का मार्ग अपनाये जाने के विरुद्ध है। सदैव हमारा यही विश्वास रहा है और हमने अपने कार्यों से यह सिद्ध भी किया है कि सभी राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का समाधान बातचीत द्वारा किया जा सकता है जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं। हम बोडो आन्दोलनकारियों द्वारा अपनाये गये हिंसा के मार्ग का समर्थन नहीं कर रहे हैं। हम सभी क्षेत्रों में हिंसा की निन्दा करते हैं परन्तु इसके साथ ही मुझे सदन

मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहिए कि मुझे तथा गृह मंत्रालय को पुलिस के अत्याचारों के बारे में कई ज्ञापन प्राप्त हुए हैं। मैं यह नहीं जानता कि वे ज्ञापन कहां तक सही हैं। परन्तु यहां उपस्थित अपने मित्रों के माध्यम से मैं राज्य सरकार को यह बताना चाहूंगा कि यदि कोई पृथक दृष्टया मामला बनता है तो राज्य सरकार को यह सावधानी बरतनी चाहिए कि पुलिस कार्यवाही के नाम पर आदिवासी अथवा गैर-आदिवासी निर्दोष लोगों को नहीं सताया जाना चाहिए।

श्री दिनेश गोस्वामी : इस अवधारणा से हम भी सहमत हैं।

श्री सन्तोष मोहन देव : श्री दिनेश गोस्वामी ने स्वयं यह कहा है कि वे भी इस बात से सहमत हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा क्योंकि हमें विभिन्न प्रकार के आरोप प्राप्त हुए हैं। और मैं यह नहीं जानता कि वे आरोप कहां तक सही हैं। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा। परन्तु यदि ये आरोप सही हैं यदि ऐसा कोई प्रथम दृष्टया में मामला है तो उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इसे बन्द किया जाये।

श्री अताउर्रहमान : ये आरोप सदा लगाये जायेंगे।

श्री संतोष मोहन देव : हमें किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। जिस आशय से मैं भाषण दे रहा हूं उसे समझा जाना चाहिए।

श्री अताउर्रहमान : यह बात बिल्कुल ठीक है। जब वे यह देखते हैं कि मकानों को जलाया जा रहा है और लाइनों को उखाड़ा जा रहा है तो आप उन्हें यह नहीं कह सकते कि जाइये उनसे अनुरोध कीजिए··· (व्यवधान)

सभापति महोदय : बैठ जाइये।

श्री संतोष मोहन देव : श्री अताउर्रहमान मुझे आज ही आपकी असम विधान सभा का कार्यवाही वृत्तान्त प्राप्त हुआ है जिसमें आपके विधायकों ने कुछ गम्भीर आरोप लगाये हैं। में उन आरोपों की जांच नहीं करना चाहता। कृपया मुझे उस मामले में मत घसीटिये। जिस टिप्पणी से मैंने इस मुद्दे को आरम्भ किया था मैं उसी टिप्पणी से इसे समाप्त करना चाहता हूं। जैसा कि मैंने कहा है आरोप लगाये गये हैं। इन आरोपों की जांच की जानी चाहिए। आप सूचना भेज सकते हैं और मुझे विश्वास है कि इस मामले में असम सरकार निश्चित रूप से उचित कार्यवाही करेगी।

श्री दिनेश गोस्वामी : हम राज्य में हिंसा के विरुद्ध हैं।

श्री संतोष मोहन देव : मैं इस बात से सहमत हूं। केन्द्रीय सरकार ने सदैव इस बात को स्पष्ट किया है कि जहां तक विभिन्न राज्यों अथवा राज्य में अथवा विभिन्न दलों के मध्य विवाद का सम्बन्ध है, केन्द्रीय सरकार यह चाहती है कि उसे बातचीत द्वारा दोनों पक्षों के सहयोग से निपटाया जाना चाहिए। हम किसी तीसरे पक्ष अथवा पर्यवेक्षक के रूप में उससे भाग लेने के इच्छुक नहीं हैं। हम ऐसा नहीं करना चाहते। परन्तु यदि आवश्यकता पड़ती है और हमसे निवेदन किया जाता है तो हम अपना दायित्व पूरा करेंगे।

परन्तु मुझे एक बात को स्पष्ट कर देना चाहिए। कलकत्ता प्रेस ने मुझे यह गलत बताया है। मैंने यह कहा है कि यदि हमें आमन्त्रित किया जाता है तो हम निश्चित रूप से जांच करेंगे। पुनः मैं यह कह रहा हूं कि यदि हमें आमन्त्रित किया जाता है तो हम इस बारे में जांच करेंगे। गोस्वामी जी एक संदेश भेजने के लिए मुझसे निवेदन कर रहे हैं। और यदि मुझे संदेश भेजना है तो मुझे यह उनके द्वारा भेजना होगा। हां, अखिल बोडो छात्र संघ तथा राज्य सरकार को बैठकर बातचीत करनी चाहिए और दोनों में से किसी को भी प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए; तीसरा पक्ष कौन है चाहे उपस्थित रहे या नहीं रहे, मुझे इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है। हम समाधान चाहते हैं।

महोदय, श्री गोस्वामी तथा अन्य लोगों द्वारा सत्तापक्ष तथा विपक्ष दोनों तरफ के लोगों पर आरोप लगाये गये हैं। चूंकि शायद गृह मन्त्रालय के बजट पर कोई चर्चा न हो, मैं कांग्रेस अथवा केन्द्र सरकार के पक्ष को स्पष्ट कर देना चाहता हूं। एन० सी० हिल्स तथा कार्बी आंग-लोंग—यह एक स्थानीय मुद्दा है। हम इसमें शामिल नहीं हैं। परन्तु हमें उनसे एक ज्ञापन मिला है। हम, केन्द्र सरकार से छठी अनुसूची में शामिल क्षेत्रों को पर्याप्त शक्ति देना चाहते हैं जैसे कि त्रिपुरा तथा मिजोरम में दी गई है। राज्य सरकार इच्छुक नहीं है। और इसलिए हमारे द्वारा इसे देने की बात स्वीकार करने से यदि आप कहते हैं कि अन्ततः यदि कोई गड़बड़ होती है तो हम इसके लिए जिम्मेदार हैं, तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कारबी आंग-लोंग तथा एन० सी० हिल्स में छठी अनुसूची क्षेत्रों में हम पर्याप्त शक्ति देना चाहते हैं।

महोदय, श्री हरेन भूमिज ने चाय-बागान में काम करने वालों के सम्बन्ध में एक प्रश्न उठाया है। चाय-बागान में काम करने वालों के सम्बन्ध में भारत सरकार उन्हें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का दर्जा देना चाहती है बशर्ते कि राज्य सरकार इससे सहमत हो। मुझे नहीं मालूम कि अब क्या स्थिति है। क्योंकि कांग्रेस के समय भी वहां विरोध था। मेरा कहना है कि कांग्रेस के समय हमने विरोध किया था। मैं नहीं चाहता कि अब क्या रवैया है। देश भर में केन्द्र सरकार अब इस पर नए सिरे से विचार कर रही है। श्री गोस्वामी यह जानते हैं कि सभा में यह कई बार चर्चा का विषय रहा है। यह केन्द्र सरकार का दृष्टिकोण है···(व्यवधान)

श्री विनेश गोस्वामी : क्या आपने इसमें आने वाली उलझनों का अध्ययन किया है ?

(व्यवधान)

श्री संतोष मोहन देव : इसमें आने वाली उलझनों की मुझे जानकारी है। यही कारण है कि मैं इसे स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जब उलझनें आयेंगी तो आप फिर कहेंगे कि श्रीसंतोष मोहन देव ने समस्या पैदा कर दी है···(व्यवधान)

श्री विनेश गोस्वामी : मैं यह नहीं कह रहा हूं। क्या आपने उलझनों का अध्ययन किया है ?

श्री संतोष मोहन देव : मैंने इसका अध्ययन किया है। अधिकांश लोग, अनुसूचित जातियों में आ जायेंगे। यह केवल राजनैतिक उलझन है। मैंने ऐसा सोचा है कि आर्थिक लाभ दिया जाना चाहिए तथा राजनैतिक लाभ नहीं दिया जाना चाहिए···(व्यवधान)

श्री पीयूष तिरकी : उलझनें क्या हैं ? (**व्यवधान**) जनजातीय लोग राज्य सरकार की दया पर नहीं रह रहे हैं··· (**व्यवधान**)

श्री संतोष मोहन देव : दूसरा मुद्दा जिस पर असम में हलचल हो रही है वह मतदाता सूची है। चुनाव आयोग द्वारा मार्गनिर्देश दिये गये हैं। मुझे विश्वास है कि राज्य सरकार इस कार्य को जारी रखेगी। और इस मुद्दे पर केन्द्र सरकार और राज्य सरकार में कोई मतभेद नहीं है, तथा कुछ समाचारपत्रों द्वारा किया जा रहा प्रयास गलत है। मैं समझता हूं कि कार्य आज से शुरू हो रहा है। परन्तु हमें यह ध्यान रखना होगा कि नागरिक का नाम सूची से न निकाला जाये। मुझे विश्वास है कि जो मार्गनिर्देश दिये गये हैं वे सही हैं।

अन्त में, मैं यह कहना चाहता हूं कि जनजातीय क्षेत्रों के सम्बन्ध में भारत सरकार ने जनजातीय उपयोजना तथा विशेष सहायता देकर हमेशा एक उदार दृष्टिकोण अपनाया है। और असम के लिए, मैं नहीं कहना चाहता कि नया सूत्र क्या होगा। मैं असम सरकार से निवेदन करता हूं कि वह जनजातीय विकास बोर्ड को सक्रिय करें तथा उन 45 क्षेत्रों में कार्य करे जो समर ब्रह्म चौधरी ने हमारे सामने रखे हैं। जैसाकि श्री चालिहा ने ठीक ही कहा है कि यदि हम बहुत अधिक स्वायत्तता देते हैं तो लालोंग, मिशिंग तथा अन्य समुदाय ऐसी मांगें रख सकते हैं। अतः असम में विभिन्न जनजातीय क्षेत्रों में विकास कार्य शुरू कर दिया जाना चाहिये। और यदि विकास कार्य शुरू किया जाता है तो मेरे विचार में श्री चालिहा द्वारा रखा गया प्रश्न उठेगा ही नहीं। कुल मिलाकर जनजातीय लोग बहुत अच्छे लोग हैं। हमें सभी बातें श्री पीयूष तिरकी के स्तर से नहीं लेनी चाहियें। वे भी एक अच्छे व्यक्ति हैं। वे जनजातीय लोगों के हितों के लिए लड़ते हैं और जानते हैं कि जब तक वह नहीं लड़ेंगे, हम उनकी बात नहीं सुनेंगे। परन्तु साधारणतया हम जानते हैं जैसे हम उनसे बात करते हैं, वह एक अच्छे व्यक्ति हैं। वह यह महसूस करते हैं कि बातों को दृढ़ता के साथ आगे रखने से उन्हें अधिक सहायता मिलेगी।

इन शब्दों के साथ मैं फिर कहता हूं कि मैं खुश हूं कि हमने इस चर्चा की अनुमति दी है। हम कहते हैं कि राज्य सरकार की आधारभूत जिम्मेदारी यह देखना है कि कानून और व्यवस्था तन्त्र का उपयोग हिंसा को कुचलने के लिए ठीक ढंग से किया जाये। निर्दोष लोग प्रभावित नहीं होने चाहिएं। साथ ही, राजनैतिक क्रियाकलाप, जैसा कि शुरू हो गया है स्थिति को काबू में करने के लिए शुरू होना चाहिए। कौन व्यक्ति किसे भड़का रहा है ऐसा कहना व्यर्थ है। मेरे विचार में यह सही राजनैतिक विचारधारा नहीं है। यह राजनैतिक विचारधारा का दीवालियापन है। मैं यह महसूस करता हूं कि इस प्रकार कीचड़ उछालने से किसी भी सरकार को मदद नहीं मिलेगी। यदि लोगों के मन में कोई भ्रम पैदा हो गया है तो मुझे विश्वास है कि अब यह दूर हो जायेगा और समस्या का समाधान करने के लिए राज्य सरकार आगे आयेगी चूंकि राज्य सरकार खुद ही कह रही है कि वे स्वयं ही समस्या का समाधान करने में सक्षम हैं। इस समस्या का समाधान करने तथा असम में स्थायी शान्ति लाने के लिए मेरी शुभकामना उनके साथ है।

3.28 म० प०

अनुदानों की मांगें, 1988-89

कृषि मंत्रालय—[जारी]

श्रीमती बसवराजेश्वरी (बेल्लारी) : कृषि मन्त्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों संबंधी चर्चा में भाग लेने के लिए मुझे अवसर देने हेतु मैं अध्यक्षपीठ को धन्यवाद देती हूं।

प्रारम्भ में, मैं कृषि मंत्री जी राष्ट्रीय कृषि मेला आयोजित करने के लिए धन्यवाद देती हूं। देश के विभिन्न भागों से कई किसानों ने मेला देखा तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी और अनुसन्धान के क्षेत्र में कई बातें सीखीं। मैं माननीय मन्त्री, कृषि विभाग तथा अन्य अधिकारियों को धन्यवाद देती हूं जो इतना बड़ा कृषि मेला आयोजित करने से सम्बन्धित रहे हैं।

जैसाकि प्रधानमन्त्री जी ने कहा कि हमारे किसान अन्तर्राष्ट्रीय कृषि मेले के आयोजन की आशा रखते हैं और बार-बार इसकी मांग कर रहे हैं क्योंकि वे विदेशों से आधुनिक प्रौद्योगिकी हासिल करने के बहुत इच्छुक हैं। मेरे विचार में, माननीय मन्त्री इस समस्या पर अवश्य विचार करेंगे और किसानों के लाभ के लिए यथाशीघ्र एक कृषि मेला आयोजित करने की कोशिश करेंगे।

जैसाकि हमारे कृषि मन्त्री जी ने बार-बार कहा है कि यद्यपि पिछले तीन वर्षों के दौरान हमें भीषण सूखे का सामना करना पड़ा है फिर भी हमारा खाद्य उत्पादन बहुत उत्साहवर्धक है। इससे प्रतीत होता है कि सरकार ने इसके लिए प्रयास किए हैं कि हमें खाद्य उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त हो जाये। और किसानों की प्रतिक्रिया भी बहुत अच्छी रही है।

यदि इस अवसर पर मैं श्री जाखड़, अध्यक्ष भारतीय कृषक समाज, का उल्लेख न करूं तो यह मेरी गलती होगी। उन्होंने इस कृषि मेले को देखने वाले लाखों किसानों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की थी। जैसाकि लोगों का कहना है, भोजन बहुत बढ़िया था, प्रबन्ध बहुत अच्छा था और किसानों ने भी बहुत सहयोग दिया था। देश के समस्त ग्रामीण क्षेत्र से किसान इस मेले में भाग लेने आये थे।

इस अवसर पर सभा को सूचित करते हुए मुझे बहुत खेद हो रहा है कि तुंगभद्रा क्षेत्र में 300 करोड़ रुपये से 400 करोड़ रुपये की फसलें नष्ट हो गई हैं।

इसका कारण किसानों या विभाग की त्रुटि नहीं है बल्कि इसका एकमात्र कारण किसानों को सप्लाई किए गए पानी का कुप्रबन्ध है। कर्नाटक में लगभग 4.5 लाख एकड़ भूमि में धान, गन्ने, सूरजमुखी और मूंगफली की फसलों को बहुत अधिक नुक्सान हुआ है और वह भी मेरे क्षेत्र में अर्थात् तुंगभद्रा क्षेत्र के बलेरी और रायचुर जिलों में। ऐसा किसानों को सप्लाई किए गए पानी के कुप्रबन्ध के कारण हुआ। किसानों को पानी का आश्वासन दिया गया था। यह सोचकर कि उन्हें मई माह के अन्त तक पानी मिल जाएगा उन्होंने दीर्घ अवधि की फसलों सहित विभिन्न प्रकार

की फसलों की बुआई कर दी । किन्तु जलाशयों में पानी उपलब्ध नहीं था । जिसके कारण किसानों को अपनी फसलों में हाथ धोना पड़ा । कल ही मैंने उस क्षेत्र का दौरा किया और जिस तरह से धान तथा अन्य फसलें पूर्णत: नष्ट हो गयी थीं वह दृश्य मैं अपनी आँखों से न देख सकी । यह विनाश की सीमा है । इसलिए मैं सदन में यह कहूंगी कि हम जल प्रबंध, जल संरक्षण और जल वितरण पर उचित ध्यान नहीं दे रहे है । हमें इस बात पर विस्तार से विचार करना होगा कि पानी का प्रयोग कैसे किया जाना चाहिए और हम पानी की कितनी मात्रा सुरक्षित रख सकते हैं ? मैं जानती हूं कि कुछ देशों में सारी प्रणाली कंप्यूटरीकृत है । जैसे ही उन्हें यह पता चलता है कि अमुक स्थान पर वर्षा हुई है तो तत्काल ही उस क्षेत्र विशेष की नहर में पानी बन्द कर दिया जाता है । किन्तु मैंने स्वयं अपनी आँखों से देखा है कि जब महिनों से पानी बरस रहा होता है तब भी नहरों में अविवेकपूर्ण ढंग से पानी बह रहा था । यदि यही हाल रहा तो हमारी सिंचाई प्रणाली, हमारी फसलों और किसानों द्वारा किए गए निवेश का क्या होगा ? इसलिए हालांकि यह मामला कृषि मंत्रालय से अधिक सम्बद्ध नहीं है फिर भी में सरकार से यह आग्रह करती हूं कि जहां कहीं भी सिंचाई प्रणाली है वहां जल प्रबन्ध उचित ढंग से होना चाहिए । हमारे प्रधानमन्त्री बार-बार जल प्रबन्ध समस्या के बारे में कहते रहते हैं । जब तक यह सारी प्रणाली कंप्यूटरीकृत न हो जाए, जब तक कि नहरों को ठीक ढंग से जोड़ा न जाए तब तक मेरे विचार में हम इस समस्या को हल नहीं कर सकते । बल्कि आगे चलकर तो यह समस्या और भी अधिक गम्भीर हो जाएगी । यह न केवल किसानों और सरकार के लिए अत्यधिक समस्याएं उत्पन्न करेगी बल्कि सम्पूर्ण राष्ट्र के लिए भी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी । इसलिए, मैं सदन में यह कह रही हूं कि इस सारी प्रणाली पर तत्काल ही सावधानीपूर्वक विचार किया जाना चाहिए । यह देखा जाना चाहिए कि इसकी व्यवस्था किस प्रकार की जाए ।

काली मिट्टी वाले स्थानों से बहने वाली नहरों से बहुत अधिक मात्रा में निस्पन्दन होता है । इसके कारण न केवल पानी बेकार जाता है बल्कि जमीन निस्पन्दन हो जाती है जिससे जमीन में खारापन आ जाता है और फसलें नष्ट हो जाती हैं । ये सारी कठिनाइयां पानी की अधिकता या पानी के अनुचित वितरण के कारण हैं । होती इसलिए, इन सब बातों पर विचार किया जाना चाहिए ।

हमें यह जानकारी मिली है कि हमारे देश में सीमेंट का आधिक्य है और हम बहुत जल्द ही इसका निर्यात करने का विचार कर रहे हैं । यदि ऐसी स्थिति है तो सीमेंट का प्रयोग, जहां कहीं आवश्यक हो, मुख्य रजवाहों और नहरों को पक्का करने के लिए किया जा सकता है ताकि पानी को अधिक-से-अधिक सुरक्षित रखा जा सके और किसानों को अपनी फसलों के लिए पर्याप्त पानी मिल सके ।

मैं अगली बात बीजों की मिलावट के बारे में कहना चाहूंगी । मेरे निर्वाचन-क्षेत्र अर्थात् बल्लेरी जिले, जहां हम डी० सी० एच०-4 और वर-लक्ष्मी कॉटन जैसे कपास के लम्बे रेशे उगाते हैं, में भी यही हुआ । यह उपजाऊ क्षेत्र है और हम सिंचाई वाले क्षेत्रों में काफी कपास उगाते हैं । किन्तु इस वर्ष यह हुआ कि व्यापारियों ने किसानों से पांच रुपये प्रति किलोग्राम की दर से सारे व्यावसायिक बीज खरीद लिए और उन्हें शंकर बीजों का नाम देकर 125 रुपये से 150 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा गया क्योंकि इन डी० सी० एच०-4 और वर-लक्ष्मी बीजों की अत्यधिक

कमी थी। बीज उपलब्ध नहीं थे अतः लोग धारवाड, बेलगांव और यहां तक कि पुराने मैसूर जैसे दूरस्थ स्थानों से भी इन बीजों को खरीदने आए। किन्तु जब उन्होंने देखा कि फसल ठीक ढंग से नहीं बढ़ रही है तब उन्हें पता लगा कि बीज मिलावटी थे। तब उन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू किया किन्तु उनके बचाव के लिए कोई नहीं आया। इस प्रकार कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे बीजों के कारण फसल पैदा न होने के लिए किसी भी किसान को मुआवजा नहीं दिया गया। इसलिए, मैं आशा करती हूं कि सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के तत्काल कदम उठाएगी जिन्होंने ऐसे बीज बेचे थे। किसानों को भी कुछ फायदा मिलना चाहिए। बड़े पैमाने पर गोलमाल किया जा रहा है। मक्का, कपास, बाजारा, ज्वार आदि में भी मिलावट जारी है। इसे तत्काल रोका जाना चाहिए। हालांकि, कीटनाशक दवाइयों और उर्वरकों में भी मिलावट है किन्तु बीजों में मिलावट अत्यधिक है। इसलिए, जब तक सरकार उचित नियंत्रण नहीं रखेगी मैं नहीं समझती कि किसानों को इस प्रकार के संकर बीजों से कोई लाभ मिलेगा।

अब मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की मांगों की बात करूंगी। महोदय, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र हुगारी में एक कृषि विज्ञान केन्द्र की मांग करती रही हूं। यह बहुत ही अच्छा स्थान है। यह नदी के किनारे स्थित है। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र हुगारी में कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित किए जाने के लिए मंत्री महोदय को पत्र लिख चुकी हूं। धारवाड में काली मिट्टी अनुसंधान केन्द्र खोले जाने की मंजूरी प्रदान करने के लिए मैं माननीय मंत्री महोदय का धन्यवाद करती हूं। महोदय, उन्होंने कर्नाटक में काली मिट्टी अनुसंधान केन्द्र को मंजूरी देकर बड़ी कृपा की है और मैं इसके लिए सदन में उनका धन्यवाद करती हूं।

महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के बहुत बड़े भाग में काली मिट्टी है और धारवाड क्षेत्र में अधिकांशतः बहुत अच्छी मिट्टी है। वहां एक या दो सिंचाई परियोजनाएं हैं जिनमें अधिकांशतः काली मिट्टी है।

महोदय, हमने माननीय मंत्री से कर्नाटक के लिए प्याज और लहसुन अनुसंधान केन्द्र की मंजूरी देने का भी अनुरोध किया है। हम उनसे इस अनुसंधान केन्द्र की मंजूरी देने के लिए लम्बे अर्से से अनुरोध कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वे कर्नाटक में प्याज और लहसुन अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने पर भी विचार करेंगे। महोदय, उन्होंने गुजरात के लिए मूंगफली तेल अनुसंधान केन्द्र और मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों के लिए सोयाबीन अनुसंधान केन्द्र खोलने की मंजूरी देकर बड़ी कृपा की है। मैं उनसे कर्नाटक में सूरजमुखी के लिए अनुसंधान केन्द्र की मंजूरी देने पर विचार करने का अनुरोध करूंगा। हम सरकार के समक्ष पहले ही अपनी मांग रख चुके हैं। कर्नाटक में सूरजमुखी के बीज पैदा करने की अच्छी सम्भावनाएं हैं। महोदय, सूरजमुखी की खेती के कुल क्षेत्र का 50 प्रतिशत भाग कर्नाटक में है। कर्नाटक का यह क्षेत्र सूरजमुखी के बीजों के उत्पादन के लिए बहुत ही उपयुक्त है। हम इस बात पर जोर देते रहे हैं कि कर्नाटक के लिए बेलारी या रायचुर या धारवाड में एक अनुसंधान केन्द्र खोले जाने के लिए मंजूरी प्रदान की जानी चाहिए। इन तीन स्थानों में से किसी एक स्थान पर अनुसंधान केन्द्र खोले जाने पर विचार किया जा सकता है।

महोदय, जब स्वर्गीय श्री जगजीवन राम कृषि मंत्री थे तब उन्होंने रायचूर में कृषि इंजीनियरिंग संस्थान की आधारशिला रखी थी। हाल ही में इसका दर्जा बढ़ाकर इसे कॉलेज के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। इस कॉलेज से डिप्लोमा पाठ्यक्रम पास करने वाले छात्रों के लिए बहुत अवसर हैं और उन्हें कमान क्षेत्र विकास कार्य में रोजगार दे दिया गया है। हमने उन्हें उचित काम दिया है। इससे पूर्व वे डिप्लोमा पाठ्यक्रम पास करने के बाद में बेकार थे। अब, हम उन्हें कमान क्षेत्र विकास कार्यों में लगाने में समर्थ हैं। महोदय, हाल ही में इस कॉलेज का दर्जा बढ़ाकर इंजीनियरिंग कालेज कर दिया गया है और इसे मान्यता भी मिलनी चाहिए। इसी प्रकार बीदर में भी एक दूसरा पशुरोग सम्बन्धी कॉलेज है जिसे मान्यता मिलनी चाहिए। जब तक इन दो कॉलेजों को मान्यता नहीं मिलेगी तब तक हमारे विद्यार्थी कॉलेज वजीफे के लिए पात्र नहीं होंगे। इसलिए मैं सरकार से इन कॉलेजों को यथाशीघ्र मान्यता देने का अनुरोध करूंगी।

अन्त में मैं पंचायती राज संस्थान के बारे में कहूंगी। महोदय, हमें इस बात की बहुत खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री इस सदन में यथा शीघ्र एक व्यापक विधेयक पेश करने के लिए बहुत ही इच्छुक हैं। विभिन्न स्तरों पर चर्चाएं और परामर्श किए जा रहे हैं। कुछ राज्यों में पंचायती राज प्रणाली है। किन्तु जहां तक हमें जानकारी है मेरे विचार से ऐसी प्रणाली निचले स्तर पर लोगों के लिए सहायक नहीं होगी। फायदे सही व्यक्ति तक नहीं पहुंचते हैं। इसके बहुत से चोर मार्ग हैं। इसे इसे तत्काल समाप्त करना चाहिए। हमें निचले स्तर पर लोगों को शामिल करना चाहिए। पंचायती राज प्रणाली भी ऐसी होनी चाहिए कि निम्न स्तर पर समाज के कमजोर वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। मैं माननीय मंत्री से यह अनुरोध करूंगी कि जब हम ऐसी पंचायती राज प्रणाली बनाएं सदन में एक व्यापक विधेयक लाया जाना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो यथाशीघ्र संविधान में संशोधन भी किया जाना चाहिए। मैं जानती हूं कि कर्नाटक में जिला परिषदें और मण्डल हैं। किन्तु जहां तक हमारा अनुभव है तुलनात्मक रूप से कर्नाटक में तालुक बोर्ड और पंचायतें बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। इसलिए, गांव के स्तर पर छोटी इकाइयों तथा मण्डल और ताल्लुक स्तर पर बड़ी इकाइयों को मंजूरी दी जानी चाहिए। कर्नाटक के अनुभव से हम मण्डल स्तर पर प्रतिदिन कत्ल देखते आ रहे हैं। कमजोर वर्ग के लोगों को मण्डल स्तर पर राजनीति में भाग लेने के कारण निचले स्तर पर ही दबा दिया जाता है। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए और मैं आशा करती हूं कि माननीय मंत्री इसका ध्यान रखेंगे और सदन के समक्ष शीघ्र ही व्यापक विधेयक पेश करेंगे। उन्हें एन० आर० ई० पी०, आई० आर० डी० पी० और आर०एल०ई० जी० पी० जैसी योजनाओं को सम्मिलित कर देना चाहिए क्योंकि इन सभी योजनाओं के अधिकांश कार्यक्रम समान हैं। इनमें बहुत अधिक धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। विभिन्न स्तरों पर इन योजनाओं के कार्यान्वयन पर नियंत्रण रखने का कार्य उचित व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए।

मैं माननीय सभापति का मुझे आज की चर्चा में भाग लेने का अवसर दिए जाने लिए धन्यवाद करती हूं और मैं अनुदान मांगों का समर्थन करती हूं।

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) सभापति

महोदय, मैंने वाद-विवाद को बहुत ध्यानपूर्वक सुना है। ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये सभी मुदों से नहीं निपट रहा हूं। मैं अपने मंत्रालय से संबद्ध माननीय सदस्यों द्वारा उठाये कुछ मुद्दों तक ही स्वयं को सीमित रखूंगा।

महोदय, यह सच है कि विशेषरूप से ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं। यह राष्ट्र की इच्छा है कि हम गरीबी के विरुद्ध युद्ध छेड़ दें और इसीलिए हमारे यहां गरीबी विरोधी कार्यक्रम राज्य सरकारों के जरिये कार्यान्वित किये जाते हैं और इसकी सीधी जिम्मेदारी भी राज्य सरकारों की ही है। अब जहां तक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को पर्याप्त धन उपलब्ध कराने के केन्द्र सरकार के कर्त्तव्य की बात है कि क्या यह उत्तरदायित्व निभाया गया है, क्या हमारे पास इन ग्रामीण लोगों की समस्या को सुलझाने की राजनैतिक इच्छा है। महोदय, इस समय यह जिक्र करना लाजमी हो जाता है कि हमारे माननीय मंत्री श्री भजन लाल जी के कुशल नेतृत्व में इतनी शानदार उपलब्धि की वजह से ही देश प्रगति कर पाया है और 170 मिलियन टन से भी कहीं अधिक खाद्यान्न का उत्पादन कर पाया है। अब इस संदर्भ में मुझे सम्माननीय सभा से यह कहना है कि ग्रामीण विकास विभाग की क्या भूमिका है, क्या विशेष रूप से छोटे और सीमान्त किसान और भूमिहीन मजदूरों की सहायता की है, क्या उन्हें गरीबी की रेखा के ऊपर लाया गया है। 1960 और 1980 के बीच गरीबी की प्रतिशत अर्थात् उन व्यक्तियों की प्रतिशत जो गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं, लगभग 50 थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इसके घटकर 28 प्रतिशत होने की आशा है और 1995 के अन्त तक हम इसके 10 प्रतिशत तक हो जाने की आँशा करते हैं। अब ऐसे कौन से कार्यक्रम हैं जो मुख्य रूप से गरीबी की समस्या से निपटने के लिए हैं? आई० आर० डी० पी, एन० आर० इ० पी०, आर० एल० इ० जी० पी० और अन्य कार्यक्रम विशेषरूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे गरीब लोगों के लिए हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना में एन० आर० इ० पी० और आर० एल० इ० जी० पी० के लिए सम्पूर्ण योजना लक्ष्य 2994.59 करोड़ रुपये था। अब हमें यह देखना है कि क्या वही धनराशि खर्च की गयी थी या सातवीं पंचवर्षीय योजना के पहले चार वर्षों के दौरान कितनी धनराशि उपलब्ध की गयी थी। योजना अवधि के प्रथम 4 वर्षों में जो कुल धनराशि उपलब्ध की गयी थी वह 4833.12 करोड़ रुपये थी। हमने यह धनराशि उपलब्ध की है। यह केन्द्र द्वारा आबंटित धनराशि है। योजनावधि के पांचवें वर्ष में अर्थात् इस वर्ष के दौरान हमने 1711.12 करोड़ रुपये आबंटित किये। अब वह कुल धनराशि जो संपूर्ण सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए उपलब्ध की गयी है, 6544 करोड़ रुपये है। आप उपलब्ध किये जाने वाली आबंटित राशि की कल्पना कर सकते हैं। 2994 करोड़ रुपये की निर्धारित राशि के विरुद्ध हमने इस कार्यक्रम को 6544 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये। इसलिए यहां राजनैतिक इच्छा है। यहां वह सरकार है जो काम करती है और कहती है केन्द्र में हम लोग गरीब लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए अधिक ध्यान दे रहे हैं। यह इस सरकार की इच्छा है। इसलिए कोई भी व्यक्ति यह शिकायत नहीं कर सकता है कि केन्द्र सरकार द्वारा कुछ भी नहीं किया गया है। यह आबंटन है और यह कार्य निष्पादन है।

इस पक्ष के तथा दूसरे पक्ष के माननीय सदस्यों ने कहा है कि इन कार्यक्रमों में कमियां हैं, । जी हां, हम यह स्वीकार करते हैं । कमियां हैं । संवर्ती मूल्यांकनों से पता चलता है कि कमियां हैं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में विभिन्न प्रकार की कमियां पाई गई हैं । हम इन्हें राज्य सरकारों के ध्यान में लाये हैं । मैंने व्यक्तिगत रूप से राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखे हैं जिनमें कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में आने वाली कमियों को उन के ध्यान में लाया हूं । कुछ राज्यों में, वे स्वतन्त्र संवर्ती मूल्यांकनों के जांच-परिणामों से सहमत नहीं हैं । परन्तु विपक्ष द्वारा शासित राज्यों में से एक के मुख्यमंत्री सहित कुछ राज्यों ने कार्यवाही की है । इस मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह सच है कि कमियां हैं और वे कार्यक्रमों में सुधार करेंगे और निर्देश दे दिये गये हैं । देश में कुछ मुख्यमंत्रियों की ऐसी भावना है ।

अब हमें यह देखना है कि इन कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से कैसे कार्यान्वित किया जाये । अब हम राज्य सरकारों को धन देते हैं, तो यह धन नीचे जिला स्तर पर नहीं जाता है और भुगतान में विलम्ब हो जाता है । साथ ही साथ कभी-कभी इस धनराशि का उपयोग राज्य के साधनों के लिए किया जाता है । उस मामले में क्या किया जाना चाहिए ? हमारा कहना है कि कुछ शक्तियां निचले स्तर के व्यक्तियों अर्थात् पंचायती राज संस्थाओं को दे देनी चाहिएं । यही लोग कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर रहे हैं । परन्तु कुछ राज्य दावा करते हैं कि वे कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रभावी माध्यम हैं । यहां हमें क्या करना है ? यह केन्द्र सरकार की इच्छा है, राष्ट्र की इच्छा है, संसद-सदस्यों की इच्छा है कि यह धनराशि उन्हें सीधे ही दी जाये । यह केन्द्र सरकार का विचार है । निचले स्तर पर धन देने में कोई विलम्ब नहीं होना चाहिए । वे लोग ही इसका उपयोग करते हैं और इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए उन्हें इसका उपयोग करना चाहिए । सरकार इस पर विचार कर रही है ।

एक और मुद्दा जिसकी कुछ माननीय सदस्यों ने बात की है कि यदि आप शक्ति का विकेन्द्रीयकरण कर रहे हैं तो भूमि सुधार पहले होना चाहिए तभी केवल उसका प्रभावी कार्यान्वयन होगा । मैं माननीय सदस्यों से पूरी तरह से सहमत हूं । राष्ट्र द्वारा और केन्द्र सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया है कि हमारी इस कार्यक्रम के प्रति पूर्णरूपेण वचनबद्धता है । यहां कार्यक्रम के क्रियान्वयन के अलावा कोई अन्य विचार नहीं है और वह यह है कि इसे कैसे किया जाये । यह राष्ट्र की इच्छा है कि भूमि किसान को दी जानी चाहिए ।

श्री डी० बी० पाटिल (कोलाबा) : अब तक तो आपने किसान को भूमि नहीं दी है ।

श्री जनार्दन पुजारी : ऐसा नहीं है । माननीय सदस्य की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमने भूमि दी है ।

श्री वी० कृष्ण राव (चिकबल्लारपुर) : जहां तक भूमि सुधारों की बात, यह कौन-सी भूमि है जो वितरित की गयी है ? इसके परिणामस्वरूप 7.7 लाख काश्तकारों को मालिकाना हक मिले हैं ।

श्री डी० बी० पाटिल : भूमि के वितरण के लिए क्या लक्ष्य था ?

श्री जनार्दन पुजारी : मैं उसकी बात करूंगा। लगभग 5.6 मिलियन हेक्टेयर भूमि के मालिकाना अधिकार दे दिए गए हैं। चाहे बात इस पक्ष की है या उस पक्ष की, लेकिन जरूरत क्या है ? हमें किसान, काश्तकार को भूमि का मालिक बनाना है। मैं नहीं समझता कि इसके बारे में दो राय हैं। कितने राज्यों ने ऐसा किया है ? वे राज्य जिन्होंने ऐसा किया है और जिन्होंने यह कार्यक्रम क्रियान्वित किया है वे हैं आन्ध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और काश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश।

श्री डी०बी० पाटिल : मैं महाराष्ट्र से हूं और मेरा अनुभव यह है कि महाराष्ट्र सरकार इसमें बुरी तरह से असफल हुई है।

श्री जनार्दन पुजारी : असफल होना और कमी होना कार्यान्वयन से एकदम भिन्न है। खामियां हो सकती है; मैं यह नहीं कहता कि सब कुछ ठीक है। लेकिन अन्य राज्य क्या कर रहे हैं ? उन राज्यों ने जो यह दावा करते हैं कि वे अधिक प्रगतिशील हैं तथा वे काश्तकारों और निर्धनों के पक्षधर हैं, क्या किया है ? कुछ राज्य भू-स्वामित्व को बनाये रखना चाहते हैं। वे कहते हैं "फसल का 25 प्रतिशत मालिक को दीजिए।" बटाईदारों का रिकार्ड रखा जाता है, भू-स्वामित्व को बनाये रखा जाता है और कोई मालिकाना हक नहीं दिया जाता है। यह एक राज्य की विचार-धारा है। कौन सा राज्य है ? यह महान पश्चिम बंगाल सरकार है और यही वह सरकार है जो कभी भी काश्तकार को मालिकाना अधिकार देने के लिए तैयार नहीं है। यही वह सरकार है जिसने एक भी एकड़ भूमि का मालिकाना हक काश्तकार को नहीं दिया है। मैं स्वीकार करता हूं कि उनके रिकार्ड में 13 लाख काश्तकार हैं। जब वे उनके रिकार्ड में हैं तो वे उन काश्तकारों को भू-स्वामित्व क्यों नहीं देते हैं ? वे डरे हुए हैं और जब वे यह दावा करते हैं कि भूमि सुधार इस कार्यक्रम से प्रभावी क्रियान्वयन से पहले होना चाहिए तो मेरा नम्र निवेदन है कि पश्चिम बंगाल सरकार को अच्छी बातों का अनुसरण करना चाहिए जो अन्य राज्यों ने की हैं और विशेषरूप से 1971 और 1980 के बीच की हैं, सभा की जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के शासन के दौरान भू-स्वामित्व दिया गया था। मेरे जिले में काश्तकार वर्ग से संबद्ध लाखों लोग आज मालिक बने हुए हैं।

मैं आपको बताऊं कि मेरे अपने मामा, जो काश्तकार हैं आज मालिक बने हुए हैं।

लाखों लोग, जो निर्धन परिवारों से हैं, हमारे परिवार के सदस्य और अन्य जातियों के कई परिवार आज भू-स्वामी बन गये हैं। ऐसा हमारा कार्य निष्पादन है। लोग ऐसा चाहते हैं। पट्टे-दार ऐसा चाहते हैं। केवल उन्हें रिकार्ड पर लाना ही काफी नहीं है। साझेदारी की खेती करने वाले किसानों को कुछ न देकर उन्हें रिकार्ड पर लाया गया है। यह केवल मजाक किया जा रहा है। यदि वे कार्यक्रम के कार्यान्वयन के प्रति बहुत गम्भीर हैं तो मेरा कहना यह है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को अन्य राज्यों का अनुकरण करना चाहिए तथा उन्हें पट्टेदारों तथा काश्त-कारों को भूमि का स्वामित्व दे देना चाहिए। ऐसा मेरा निवेदन है।

जहां तक वितरण के लिए भूमि का सम्बन्ध है भूमि हदबन्दी नियमों के अनुसार, लगभग 73.62 लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि घोषित की जा चुकी है, जिसमें से 45.13 लाख एकड़ भूमि

लाभभोगियों में वितरित की जा चुकी है जिनमें 14.70 लाख अनुसूचित जातियों तथा 5.69 लाख अनुसूचित जनजातियों के व्यक्ति शामिल हैं और शेष भूमि वितरित नहीं की जा सकी क्योंकि इसका अधिकांश भाग मुकदमों के कारण रुका हुआ है। मेरा राज्य सरकार से अनुरोध है कि वे शीघ्र ही भूमि का वितरण करें।

एक राज्य सरकार अर्थात् मध्य प्रदेश द्वारा राष्ट्र के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने हाल ही में विधान बनाया है जिसके अनुसार न्यायालयों में अथवा मुकदमेंबाजी के कारण अवरुद्ध भूमि को तत्काल भूमिहीन व्यक्तियों में बांट दिया जाएगा। यदि ऊंचे न्यायालय बाद में भूमिहीनों के विरुद्ध तथा भू-स्वामियों के पक्ष में अपना निर्णय दे देते हैं तो राज्य सरकार द्वारा भू-स्वामी को मुआवजा दे दिया जाएगा और चूंकि भूमि का वितरण किया जा चुका है, अतः भूमि वापिस नहीं ली जाएगी और उसका पुनः वितरण नहीं किया जाएगा। यह एक प्रगतिशील विधान है। मेरी अन्य राज्यों से अपील है कि वे इसका अनुसरण करें और तथाकथित प्रगतिशील राज्य पश्चिम बंगाल सहित, जोकि यह दावा करते हैं कि वे कमजोर वर्गों के लिए हैं, ऐसे कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि दी जानी चाहिए।

महोदय, मुझे सीमित समय दिया गया है, इसलिए मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता। जहां तक पानी की समस्या का प्रश्न है देश में कुल 582000 गांव हैं। पहले मैंने बताया था कि 581911 गांव हैं। मैं इसे लगभग 582000 गांव मानता हूं जोकि देश में हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंत अर्थात् चालू वर्ष के अंत तक शेष 4000 गांव ऐसे रहेंगे जहां पानी की समस्या होगी। देश में समस्याग्रस्त गावों को यह पानी की सुविधा दे दी जाएगी और 4000 गांव अत्यन्त दुर्गम हैं। ये गांव 1991 तक योजना में शामिल किए जायेंगे। यह राज्य सरकारों का कार्य-निष्पादन है और केंद्र सरकार ने पर्याप्त धन दिया है। तो भी मैं कह सकता हूं कि कुछ राज्यों ने इस धन का उपयोग नहीं किया है और कोई राजनैतिक इच्छाशक्ति नहीं थी, किंतु फिर भी मैं कहूंगा कि हम निगरानी कर रहे हैं।

राज्य सरकारों के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए क्या करना होगा? हम इस विषय पर बात कर रहे हैं। हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। राज्य सरकारें कार्यक्रमों का कार्यान्वियन कर रही हैं। पक्ष एवं विपक्ष के सदस्यों की यह इच्छा है कि हम कार्यक्रम की निगरानी करें। ऐसा किस प्रकार किया जाएगा? निगरानी प्रकोष्ठ होने चाहिएं। इसके अतिरिक्त जब हम राज्य सरकारों को जिला स्तर पर धन दे रहे हैं तो हमारी निगरानी को हस्तक्षेप नहीं माना जाना चाहिए। हम केवल राष्ट्र के हित में इसकी निगरानी कर रहे हैं। हम महसूस करते हैं कि क्षेत्रीय स्तर अथवा जिला स्तर पर निगरानी की आवश्यकता है। इस तर्क में दम है। इसके अतिरिक्त संसद के भीतर तथा बाहर भी माननीय सदस्यों ने वक्तव्य दिये हैं कि हमें निगरानी करनी चाहिए। धन का सदुपयोग होना चाहिए। हमें इस दिशा में कार्य करना चाहिए। हम माननीय सदस्यों के सुझावों पर ध्यान दे रहे हैं।

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्य-निष्पादन में भी हमने लक्ष्य को पार कर लिया है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वयन के प्रथम चार वर्षों के दौरान हमने 134.17 लाख

परिवारों की इस योजना के तहत मदद की है जबकि चार वर्षों के लिए लक्ष्य 131 लाख परिवारों का रखा गया था। यह 102 प्रतिशत से अधिक है। वर्ष 1988-89 में हमने 35 लाख परिवारों की सहायता की है तथा सहकारी बैंकों के जरिए 1200 करोड़ रुपए का ऋण दिया है और 750 करोड़ रुपए लाभभोगियों को राजसहायता के रूप में दिए गए हैं। ग्रामीण विकास विभाग का यह कार्य-निष्पादन है।

4.00 अ०प०

मुझे आशा है कि मैंने माननीय सदस्यों द्वारा पूछे गए कुछ मुख्य प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। जहां तक मेरे विभाग से संबंधित कुछ मुद्दों के ब्यौरे का प्रश्न है, मैं आश्वासन देता हूं कि मैं उनके प्रश्नों का उत्तर लिख कर उन्हें अलग-अलग दूंगा क्योंकि समय की कमी है। मैं आपका अधिक समय नहीं ले रहा। कुछ प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मुझे समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री शमिन्दर सिंह (फरीदकोट) : सभापति महोदय, हमारे मुल्क की इकनामी बेसिकली एग्रीकल्चर इकनामी कही जाती है। पेपर में ऐसा कहा जाता है क्योंकि 70 परसेंट लोग एग्रीकल्चर से संबंधित हैं। अगर हम टोटल वर्ल्ड के डेटा का कलैक्ट करें तो 2.5 परसेंट एरिया फूडग्रेन के लिए वर्ल्ड में से निकलता है। हमारे किसान अपनी मेहनत से टोटल वर्ल्ड का 15 परसेंट फूडग्रेन पैदा करते हैं, यह हमारे मुल्क के लिए गौरव की बात है, मगर इस गौरव से मिलता क्या है ? दिन-ब-दिन उनकी हालत खस्ता हो रही है। उसकी वजह यह है कि भारत सरकार नारा भी देती है और लारा भी देती है, मगर जब बजट बनाते हैं तो किसान की इस एग्रीकल्चर इकनामी को बदलकर इंडस्ट्रियलिस्टों के हाथों में ले जाते हैं, इसे इंडस्ट्रियल इकनामी बनाने में यह सरकार लगी रहती है, इससे किसान और मुल्क की हालत दिन-ब-दिन खस्ता हो रही है।

हिन्दुस्तान में भारत सरकार ने हर स्फीयर में हर पावर अपने पास पकड़ कर रखी है, एग्रीकल्चर में तो खासकर।

फर्टीलाइजर के बारे में आप जरा गौर से देखिए, आप जरा एनेलिसिस कराएं कि उनके पास कितनी पावर का कितना फर्टिलाइजर कहां-कहां पर जमा पड़ा है ? मुझे अभी यह मालूम हुआ है और मंत्री जी भी उसकी इनक्वायरी करवा लें। पांच बरस पुराना फर्टिलाइजर अभी भी कुछ प्रदेशों के पास पड़ा हुआ है और जिसे वह अभी जमींदारों को देने जा रहे है। अगर उसका कैमिकल ऐनेलिसिस करा लिया जाये तो आपको पता लग जायेगा कि वह मिट्टी के सिवाय कुछ नहीं है।

आपकी मिनिस्ट्री की जो एफिशेंसी है उसकी मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं। काटन फैडरेशन आफ इंडिया ने पिछले साल नवम्बर से पहले ही बता दिया था और हमारे विशेषज्ञों ने भी बता दिया था कि 9 से 10 लाख टन तक रुई की गांठें ज्यादा पैदा होने वाली हैं। नवम्बर के दिनों में जब थ्रू-आउट वर्ल्ड में हर चीज का एक समय होता है और ऐसे समय व्यापारी रुई खरीदने के लिये निकलते हैं उस समय हमारी गवर्नमेंट यह फैसला नहीं ले पायी कि जो 8-10

लाख रुई की गांठें बेचनी है उसका एक्सपोर्ट करने के लिये किसको उसका लाइसेंस देना है। नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी और फरवरी चले गये लेकिन वह कोई फैसला नहीं ले पायी। जिस किसी को उसकी आवश्यकता थी उसने उसे खरीद लिया। मार्च में आपके यहां से लैटर निकला और उसमें कहा गया कि 8-10 लाख गांठें बाहर भेज दो। मैं मिसाल देना चाहता हूं। पंजाब को लैटर चला गया और कहा गया कि दो लाख लौंग स्टैपल की गांठें बाहर भेज दो। मैं आपकी जानकारी के लिये आपको बताना चाहूंगा कि ऐसी गांठें पंजाब में पैदा ही नहीं होती हैं। अगर मेरी यह बात सही है तो मंत्री जी को चाहिये कि वह इसकी इनक्वायरी करवा लें कि एक्सपोर्ट का लाइसेंस नवम्बर से फरवरी के बीच में क्यों नहीं दिया गया और पंजाब को उस वैरायटी का लाइसेंस क्यों दिया गया जो वैरायटी वहां होती ही नहीं है। अगर यह सही बात है तो फिर मेरा यह आरोप लगाना बिल्कुल दुरुस्त है कि यह गवर्नमेंट आफ इंडिया एंटी-फॉर्मर्स है और जानबूझ कर किसानों को खराब करने के लिये ऐसी पालिसी एडॉप्ट करती है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि ट्रैक्टर और डीजल के भाव बराबर बढ़ते रहते हैं। ट्रैक्टर जिस को बड़े-बड़े लोग बनाते हैं वह अपनी मर्जी से इसके दाम बढ़ाते रहते हैं। हम पहले यह सुना करते थे कि फरवरी में बजट आने के बाद ही इन चीजों के दाम बढ़ते हैं। अब तो बजट डेट का कोई मतलब ही नहीं रह गया है। कभी दिसम्बर में कभी जनवरी में इनके दाम बढ़ जाते हैं। जब बड़े-बड़े घरानों के लोग मिल कर आपसे दाम बढ़ाने का लैटर ले जाते हैं उसके बाद उसके एकदम से 5-6 हजार रुपये दाम बढ़ जाते हैं। अब एक और नई बात शुरू हो गई है। ट्रैक्टर कम्पनियों ने एक बीज जापान से चीख ली है। जैसे जापान सस्ती कार तो दे देते हैं लेकिन उसके बाद उस पर पार्टस महंगे देते हैं। वैसे ही इन ट्रैक्टर कम्पनियों ने करना शुरू कर दिया है। यह कम्पनियां ट्रैक्टर के दाम बढ़ाने की इजाजत गवर्नमेंट आफ इंडिया से ही ले लेती हैं। मेरे ख्याल में सरकार को इस बात की जानकारी अवश्य होगी। मुझे यह शक है कि वह किसी ईनर हैंड से ही इनके दाम बढ़ाने की इजाजत लेते हैं।

हम बाहर से 20 लाख टन फूड मंगाने के लिये तैयार हैं। अगर रुई कम पड़ती है तो उसे भी मंगाने के लिये तैयार हो जाते हैं और अगर वह ज्यादा होती है तो उसे बाहर भेज देते हैं। एग्रीकल्चरलिस्ट को यह कहा जाता है कि बाहर से कम रेट पर फूड-ग्रेन मिलने वाला है।

4.10 म० प०

हमसे आप यह कहते हैं कि बाहर से हमें कम रेट पर मिलने वाला है, हमसे यह कहा जाता है कि हम सारे वर्ल्ड में जायेंगे और जहां से सस्ता मिलेगा, ले लेंगे। ···(व्यवधान)··· रूस और चैकोस्लोवाकिया से हमें जो ट्रैक्टर मिलते थे वह काफी सस्ते पड़ते थे। रूस के ट्रैक्टर सारी दुनिया से सस्ते मिलते हैं लेकिन आपने डी० टी० 14 को लेना बन्द कर दिया, आप ट्रैक्टर के स्पेयर पार्टस सस्ते नहीं होने देते, आपने उसके ऊपर क्यों बंदिश लगा रखी है। सरकार को एग्रीकल्चर के डवलपमैंट के लिए ऐसी नीति बनानी चाहिए जिससे किसान का भला हो। आप गेहूं का भाव किसान को 183 रुपये क्विंटल दे रहे हैं और बाजार में 175 रुपये में गेहूं लोगों को मिल रहा है, यह अच्छी बात है लेकिन आपने जोन नहीं बनाया, न ही आपको बनाना, अच्छा तो यस होता कि आप 50 रुपये किसान को बोनस दे देते तो सब आपके कण्ट्रोल में रहता। अब यह आपके कण्ट्रोल में नहीं रहेगा और व्यापारी के कण्ट्रोल में चला जायेगा और गवर्नमेंन्ट आफ इन्डिया

के कण्ट्रोल से बाहर चला जायेगा और कंज्यूमर को यही गेहूं, यही आटा तीन महीने के बाद 3.50 रुपये में मिलगा। अगर आप 50 रुपये बोनस दो तो पंजाब में 60 लाख टन का और हरियाणा में 15 लाख टन का आपका नियुक्त कोटा पूरा हो जायेगा परन्तु पंजाब और हरियाणा के फार्मर को कुछ न देने की बजट से आप अपना काम खराब कर लेंगे और इससे कंज्यूमर का नुकसान तो होगा ही होगा।

रूरल डवलपमैण्ट के लिए गवर्नमैन्ट ने बड़ी-बड़ी स्कीमें बनाई हैं, स्कीम बनाने में तो बहुत अच्छी हैं लेकिन लागू होने में कुछ-कुछ कमी रह जाती है, उसमें तो कोई बात नहीं लेकिन आर० डी० ए० की स्कीम जो आपके बैंकों के थ्रू चलाई है इसका सिस्टम बहुत खराब है। आप गांवों में जाकर देखिये, बैंक से 6000 रुपये का लोन लेने के लिए 1500 रुपया किसान का फील्ड आफिसर और दूसरों से लोन पास करवाने में ही चला जाता है। दूसरी तरफ अगर कोई इण्डस्ट्रियलिस्ट 25 लाख रुपये का लोन ले तो न तो कोई रजिस्ट्री चाहिए और इण्टरैस्ट भी कम दे, 7 परसेण्ट, 8 परसेण्ट दे और जैसा एरिया घोषित किया हुआ होगा उसके हिसाब से 15 परटसेण्ट, 25 परसेण सब्सिडी भी मिलेगी लेकिन एग्रीकल्चरिस्ट लोन ट्रैक्टर के लिए चाहे तो रजिस्ट्री करवानी पड़ती है, बराबर जमीन भी देनी सेड़पी है और 15 से 18 परसेण्ट तक इण्टरैस्ट देना पड़ता है, यह कहां का दस्तूर है कि एक के लिए कुछ और दूसरे के लिए कुछ। हिन्दुस्तान के एग्रीकल्चरिस्ट पी० एल० 480 का अमेरिका का ठूठा से लेकर आपको भिखारी से भण्डारी बना दिया, क्या उसी के लिए आपने उसकी यह हालत रखी है ?

हमारे मुल्क में हार्टीकल्चर का डवलपमैण्ट होने के बहुत चांसेज हैं, गवर्नमैण्ट की तरफ से कुछ कोशिश जरूर की गई है मगर किसान को अभी और स्कीमें दी जा सकती हैं। अगर कुछ एरियाज में हार्टीकल्चर की कुछ स्कीमें और आ जायें तो दुनिया भर में किसान को अच्छा पैसा मिल सकेगा और जमींदार भी अच्छी तरह से गुजर कर सकेगा। (व्यवधान)

यह बात सिर्फ मेरी ही नहीं है, यह सारे हिन्दुस्तान के किसानों के दुर्भाग्य की बात है कि उसको कहीं कोई कुछ नहीं कहने देता इसलिए इस दुर्भाग्य को अपना करा मानते हुए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री कृष्ण प्रताप सिंह (महाराजगंज) : सभापति महोदय, मैं कृषि और सहाकारिता मंत्रालय की अनुदान की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। वास्तव में इस समर्थन के पर्याप्त कारण हैं। इस देश को पिछले कई वर्षों से सूखे एवं भयंकर बाढ़ का सामना करना पड़ता हैं। जहां इस देश का लगभग 269 प्रखण्ड भयंकर सूखे से प्रभावित रहे, वहां बिहार, बंगाल और असम जैसे प्रान्तों में बाढ़ का बुरी तरह से प्रभाव रहा। स्वाभाविक है कि कृषि उत्पादन पर इसका बड़ा असर पड़ता है। तभी हमारी भारत सरकार ने कृषि मंत्रालय के अन्तंगत विशेष कार्यक्रम चलाकर रबी और खरीफ का जो लक्ष्य निर्धारित था, उसको प्राप्त करके सराहनीय कार्य किया है। जहां एक तरफ हमारे विरोधी दल के लोग इस बात को कहते हैं कि आज भी इस देश की कृषि प्रकृति पर निर्भर हैं, वहीं उनको इस बात की भी सराहना करनी चाहिए, बावजूद इसके कि इस देश में अनुकूल प्राकृतिक वातावरण न रहने के बाद भी हमने प्रगति की है। 1987 में हमारा लक्ष्य

63·21 मिलियन मीट्रिक टन का था, वहां 1987 में हमने 64·52 मिलियन मीट्रिक टन का उत्पादन किया। इसी प्रकार खरीफ में 1988 में हमने 95 मीलियन मिट्रिक टन का हमारा उत्पादन रहा, लेकिन हमारा लक्ष्य केवल 92·3 का था।

सभापति जी, विशेष कार्यक्रम चावल उत्पादन के क्षेत्र में या तिलहन उत्पादन के क्षेत्र में चलाया गया। उसमें हमारा प्रदेश भी शामिल है। हमारे पूर्वी प्रान्तों में विशेष चावल कार्यक्रम चलाया गया है। उसमें केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार की सहायता से किसानों को काफी लाभ हुआ है। मैं बिहार प्रान्त के सौरमंण्डल क्षेत्र से आता हूं। उस क्षेत्र में गंडक परियोजना के लिए योजना आयोग की तरफ से दो वर्ष पूर्व कुछ कार्य हुआ है। उस गंडक योजना का काम काफी हद तक पूरा हुआ है। परन्तु काम पूरा होने के बाद छोटे-छोटे नाले खेतों तक नहीं पहुंचाए गए हैं, जिससे पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसी संदर्भ में हमारे माननीय सदस्य, श्री राम नगीना मिश्र, एक प्रश्न उठाने की कोशिश कर रहे थे कि गंडक का जो पानी आता है, वह नेपाल से होकर हमारे क्षेत्र में आता है। उनके प्रदेश में भी उसका हिस्सा है। सौर प्रमंडल इस गंडक कमांड एरिया में आता है, अगर यह काम मंत्री जी पूरा करा दें तो निश्चित रूप से जो आपका लक्ष्य है, उसका दुगुना उत्पादन उस क्षेत्र में हो सकता है। मैं माननीय कृषि मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि हमारे इन प्रमंडलों के सभी प्रखण्डों को विशेष चावल उत्पादन के कार्यक्रम में शामिल किया जाए।

मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वह गन्ना उत्पादन का क्षेत्र है। वहां अंग्रेजों के जमाने से कई चीनी मिलें हैं, लेकिन आज उनकी स्थिति क्या है। उनकी स्थिति इसलिए खराब होती चली जा रही है कि उनको गन्ने का मूल्य समय पर नहीं मिलता है और उसका पूरा लाभ नहीं मिलता है। मैंने मंत्री जी से एक पूरक प्रश्न के माध्यम से निवेदन किया था कि जीरादेवी राजेन्द्र बाबू की जन्म-स्थली है। आपने कहा कि उनके नाम पर एक कृषि विश्वविद्यालय पूसा में है। पूसा वहां से दूर है। मैंने आपसे आग्रह किया था कि आप गन्ना विकास अनुसंधान केन्द्र उस स्थान पर खोलें। मैं आज फिर कृषि मंत्रालय से आग्रह करूंगा, मांगों के समर्थन के साथ-साथ कि आप वहां जीरादेवी में एक गन्ना विकास अनुसन्धान केन्द्र खोलने पर विचार करें और निर्णय लें। इसके लिए अगर जमीन की आवश्यकता होगी, तो मैं आप को वचन देता हूं कि हम वहां जमीन उपलब्ध कराएंगे और इस से आप को काफी लाभ होगा उस क्षेत्र के लोगों को भी काफी लाभ होगा।

इस के साथ ही साथ, सहकारियता क्षेत्र में काम करने की वजह से मैं कुछ मुद्दे इस सम्बन्ध में उठाना चाहता हूं और इन मुद्दों पर आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सहकारिता की भूमिका इस देश के आर्थिक विकास में बहुत जयदा है, इस से कोई इन्कार नहीं कर सकता। आज सहकारिता न केवल कृषि के क्षेत्र में है बल्कि तमाम क्षेत्रों में है चाहे वह औद्योगिक क्षेत्र हो और चाहे गृह निर्माण का क्षेत्र हो। हर क्षेत्र में उस ने प्रवेश किया है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जैसे नेता है, उसी तरह से आप एक राष्ट्रीय सहकारिता बैंक की स्थापना करें और इस के साथ ही यह कहना चाहूंगा कि सहकारिता सम्मेलन में हम ने मंत्री महोदय से मांग की थी कि जो मल्टी नेशनल का आपरेटिव एक्ट बना है, उसकी धारा 29 (3) को शिथिल किया जाए और शिथिल

करने के लिए पर्याप्त कारण हैं। हम लोगों ने इसकी इसलिए मांग की है कि कई राज्यों में अधिकांश सहकारी संस्थाओं में प्रशासक बैठे हुए हैं और वे ही राज्यों में उनको चला रहे हैं। 29(3) के अनुसार वही लोग प्रतिनिधि बन कर आयेंगे, जो संस्था में उसके प्रशासक होंगे या अध्यक्ष होंगें। इसके पहले की व्यवस्था के अनुसार उसमें निदेशक भी प्रतिनिधि बन कर आते थे। इसलिये मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा का 29(3) को शिथिल करने की वे कृपा करें।

इसके साथ ही एक और मांग सहकारिता के संबंध में करना चाहूंगा। जैसे और सेक्टर हैं, औद्योगिक सेक्टर है, उसी तरह से सहकारिता को भी काआपरेटिव सेक्टर डेक्लेयर करने की कृपा की जाए इस पर केन्द्रीय सरकार निर्णय ले। हमारे प्रधान मंत्री जी इसमें काफी अभिरुचि रखते हैं और हमारे सहकारिता मंत्री महोदय भी काफी अभिरुचि रखते हैं। इससे सहकारिता का इस देश में और ज्यादा विकास होगा क्योंकि आज सहकारिता केवल कृषि क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है बल्कि जीवन के तमाम क्षेत्रों में इसने प्रवेश किया चाहे कृषि उत्पादन का क्षेत्र हो, व्यवसाय का क्षेत्र हां हर चीज में उसने प्रवेश किया है।

मैं कृषि मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जबसे उन्होंने इस मंत्रालय का भार संभाला है, उस समय से काफी इस क्षेत्र का विकास हुआ है। ···(व्यवधान)···हम समझते हैं कि श्री राम बहादुर सिंह जब बोलने के लिए खडे होंगे, तो वे और लोगों की भाषा नहीं बोलेंगे और हमारी ही बात कहेंगे। आप को भी मौका मिलने वाला है।

इन शब्दों के साथ मैं कृषि मंत्रालय की अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं।

बालासाहिब विखे पाटिल (कोपरगांव) : सभापति महोदय, मैं आप का आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। पहले तो मैं मंत्री जी और उनके साथियों का अभिनन्दन करना चाहूंगा कि उन्होंने कृषि की उपज बढ़ाने के लिए उपाय किये हैं और साथ ही साथ खाद की खपत बढ़ाने के लिए भी उपाय किए हैं। प्रगति तो हुई है लेकिन कुछ कमियां अभी भी हैं। इसलिए मैं तीन, चार बातें ही कहूंगा क्योंकि समय की बहुत कमी है।

पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछले साल के बजट में साढ़े सात प्रतिशत खाद की कीमत में कमी की थी लेकिन मुझे पता चला है कि कम्पनी के कन्सेशन के विदड्रा करने के कारण फिर खाद की कीमतें बढ़ गई हैं। सरकार इस बारे में किसानों को बताए कि सही कीमत खाद की अब क्या होगी।

अभी जो हमारे यहां कृषि की हालत है, वह इतनी खराब हो गई है कि हमारे यहां मराठी में एक कहावत थी : "खेती वरिष्ठ, व्यापार मध्यम और नौकरी कनिष्ठ।" अब स्थिति यह हो गई है कि नौकरी वरिष्ठ व्यापार मध्यम और खेती कनिष्ठ। इसलिए थोड़ा इस बात को देखना चाहिए कि ऐसा क्यों है।

साथ ही साथ यह कहना चाहूंगा कि ग्रामीणों की पानी की समस्या बहुत बड़ी है। हमारे मंत्री जी ने जो आंकड़े बताएं हैं, वे ठीक हैं लेकिन अपने जिले और महाराष्ट्र के बारे में यह कहना चाहूंगा कि 50 परसेन्ट जो वाटर सप्लाई की स्कीमें हैं, वे पानी के अभाव में बंद हैं। जो पानी के लिए सोर्स लगाए थे, वे सोर्स जाया हो गये हैं और लोगों को बिलकुल पानी नहीं मिल रहा है।

मेरे अपने क्षेत्र में तीन नदियां हैं, मूला प्रवरा और गोदावरी। सभी के किनारे सेलाइन वाटर के कारण भरे हुए हैं। नदी के अन्दर पानी सेलाइन हैं और सेलाइन वाटर होते हुए भी एक भी बांध को डिफीकल्ट विलेज डेकलेयर नहीं किया गया है। न स्टेट लिस्ट में है और न सेन्टर की लिस्ट में है। पता नहीं इसका क्या अर्थ है और क्यों ऐसा किया गया है। इसका सर्वेक्षण करके लिस्ट में शामिल कीजिए। मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगा लेकिन एक बात और कहना चाहता हूं। आई० आर० डी० पी०, एन० आर० ई० पी०, आर० एल० ई० जी० पी० में जो 22 स्टेट्स हैं। उनमें महाराष्ट्र की अनाज पर केपिटा कंजप्शन सब से कम है और सब से ज्यादा पंजाब में है महाराष्ट्र में 0·85 के० जी० और पंजाब में 6 किलो से भी ज्यादा है। मेरे ख्याल में महाराष्ट्र की जो नेशनल एवरेज है 2·69 का, इतना तो मिलना चाहिए। अनाज में महाराष्ट्र को धान कम दिया। इससे मजदूर का भारी नुकसान हुआ। इससे उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि स्टे और केन्द्र के स्तर पर कोई न कोई कमेटी बनानी चाहिए जो कि को-आरडिनेशन करे।

मैं पानी की बात भी कहूंगा। महाराष्ट्र को पानी के बारे में बड़ी कठिनाई अनुभव हो रही है। वहां पानी को, पेयजल की बड़ी समस्या है। दारणा नहीं पर दारणा बांध है। इससे पेयजल की भी तृप्ति होती है और उद्योग आदि दूसरे काम में भी इसका पानी आता है। लेकिन इसका 80 परसेन्ट पानी उद्योग के लिए अब जा रहा है। शेष 20 परसेंट इसका पानी कृषि के लिए रह गया है। मेरे ख्याल से आपको इस बात की सफाई करनी चाहिए कि कितना पानी पेयजल के लिए हो, कितना कृषि के लिए हो और कितना उद्योग के लिए हो। अभी आपने पहला नम्बर उद्योग का कर रखा है। कृषि के लिए भी पानी को महत्त्व देना चाहिये।

जहां तक पानी के मेनेजमेंट की बात है। ड्रिफ्ट इर्रीगेशन में जो चीजें काम में आती हैं। उसमें कस्टम ड्यूटी माफ करनी चाहिए। जो ड्राट प्रोन एरियाज हैं, मेरे ख्याल से वहां सबको 75% तक सब्सीडी भी आपको बढ़ानी चाहिए। क्योंकि वहां सूखा हमेशा पड़ता है। इसलिए भी वहां कम पानी और ड्रिफ्ट की बहुत आवश्यकता है। ड्रिफ्ट इर्रीगेशन में किसान को एकड़ के लिए 20-20 हजार रुपये का खर्च आता है। आपको इसमें 75 परसेंट नहीं तो कम से कम 50 परसेंट सब्सीडी देनी चाहिए। अगर आप यह नहीं करते हैं और केवल 25 परसेंट ही देते हैं तो यह बहुत कम है। फिर तो आप इसको बिल्कुल ही हटा लो। कम से कम आपको 50 परसेंट सब्सीडी तो देनी ही चाहिए। अभी कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है।

दूसरी बात वाटर मेनेजमेंट के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि डेजर्ट एरियाज में, ड्राट प्रोन एरियाज में आपको पानी के बारे में रिसर्च करनी चाहिए और वहां रिसर्च सेन्टर खोले जाने चाहिएं।

आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा प्याज पैदा होता है। लेकिन जो किसान प्याज पैदा करता है वह बहुत ही बेकवर्ड है। मेरे पास में एक टेलीग्राम आया है जिसमें लिखा है कि 4 किसान फास्ट टू डेथ बैठे हैं। केन्द्र और राज्य सरकार को मिल करके यह प्याज खरीदना चाहिए। लेकिन प्याज आज तक नहीं खरीदा गया है। तीन दिन में खाली दो हजार टन प्याज

खरीदा है। पता नहीं सरकार इसके बारे में क्या सोच रही है ? मंत्री जी से बात हुई थी और उन्होंने भी माना था कि केन्द्र और राज्य सरकार को 50-50 परसेंट प्याज फिक्स दरों में खरीदना चाहिए लेकिन उसकी अभी तक खरीद नहीं हुई है। हमें भी इस बात से बहुत दुःख है। उन किसानों का तो भगवान ही मालिक है। आप किसान की बात करते हैं, बेरोजगारों की बात करते हैं लेकिन तंख्वाहें बाबू लोगों की बढ़ती हैं और किसान भूखा रह जाता है।

आपने पोल्ट्री उद्योग को आयकर में राहत दी है। यह एक अच्छा कदम है। मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस तरह की राहत डेयरी उद्योग को भी दी जाए।

आपने 25 हजार रुपये तक ब्याज 15 परसेंट से 12 परसेंट कर दिया है। जो आप ऋण देते हैं उसमें थोड़ा ब्याज और भी कम करना चाहिए। इसमें 75 हजार की बात रखने की कोई जरूरत नहीं है। मिकेनाइजेशन का जो काम होता है वह थोड़ा सस्ते दामों पर रखना चाहिए। इसी तरह से भूमि सुधार का काम होता है। आप मीडियम टर्म लोन बंद कर दीजिये। उसको केवल टर्म लोन कहिये। आपका जो क्रेडिट सिस्टम है उसमें, लेंडिंग सिस्टम में आपकी क्रेडिट लाईन बिल्कुल चीट हो रही है। उसको आप ठीक कीजिए।

कोआप्रेटिव्ज में आप हर साल नये चुनाव कराते हैं। वहां आपका बैंकिंग सिस्टम खराब हो रहा है। वहां कोई नया सिस्टम लागू कीजिये जिससे कि वहां ठीक से काम हो और किसान की पावर्टी कम हो। आप लेंडिंग सिस्टम में भी बुनियादी परिवर्तन कीजिये जिससे कि उसे दूसरे लोन भी ठीक तरह से मिल सकें।

मैं एक बात यह कहूंगा कि आप सारी दुनिया में देख लीजिये, कहीं पर भी किसान को 4 या 6 परसेंट से ज्यादा ब्याज नहीं देना पड़ता है। जबकि हमारे यहां उससे 15 परसेंट, 12 परसेंट तक ब्याज लेते हैं। इसके बारे में भी सोचने की जरूरत है। आप जो किसान को ऋण दे रहे हैं इसका बड़ा विस्तार करना चाहिए। आपके बैंकिंग डिवीजन को इस तरफ ध्यान रखना जरूरी है। आपके बैंकिंग डिवीजन के सेक्रेटरी को लेंडिंग सिस्टम में सुधार करना चाहिए कि जहां उपज होती है वहां आपका लेंडिंग सिस्टम अच्छा काम करे।

आप कमर्शियल क्राप्स पर सपोर्ट प्राइस देते हैं। कमर्शियल क्राप्स में आप गन्ने पर, काटन पर सपोर्ट प्राइस दे रहे हैं लेकिन प्याज पर सपोर्ट प्राइस नहीं दे रहे हैं। सपोर्ट प्राइस, इंश्योरेंस और क्रेडिट ये सारी चीजें आपस में संबंधित हैं। इंश्योरेंस के लिए आपको विलेज को यूनिट मानना चाहिए।इंश्योरेंस के लिए विलेज यूनिट बनाना चाहिए। मेरे जिले में 30-34-60 परसेंट, 150 परसेंट एक-एक तहसील में फसल बीमा मिलता है, जब तक विलेज यूनिट नहीं होगा तब तक इससे फायदा नहीं होगा। आप कहते हैं कि यह घाटे में है, 70 करोड़ रुपए का प्रावधान था और 500 करोड़ से ज्यादा खर्च हुआ है, इसके लिए आप सभी फसलों के लिए इंश्योरेंस कंपलसरी करें, कमर्शियल क्राप्स का करें, इससे जिस तरह से कैटल इंश्योरेंस में कंपनीज घाटे में नहीं हैं, इसी तरह से फसल बीमा में भी कंपनी घाटे में नहीं रहेंगी। सरकार पर कम बोझा पड़ेगा इसके बिना आपका मकसद नहीं पूरा होगा और लोग ऋण लेते रहेंगे, क्योंकि उससे इंश्योरेंस का फायदा मिलता

है, इसलिए किसान सोचता है कि हर फसल पर ऋण ले लिया जाय और इंशोरेंस का फायदा उठाया जाए। इसके लिए किसान बैंक की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए मेरा सुझाव है कि इस पर ध्यान दिया जाए। सभी किसानों को फसल बीमा का लाभ होना चाहिए।

कीमत के बारे में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, जब आफिशल रिप्रजेंटेटिव फुल टाइम रहते हैं तो फिर किसानों के प्रतिनिधि फुल टाइम क्यों नहीं रखे जाते, उनको फुल टाइम मेंबर बनाने की मांग करता हूं। कीमत के बारे में बोलना ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन कीमत ठीक न मिलने के कारण उनका बकाया बढ़ रहा है, सारे देश में बकाया बढ़ रहा है और किसानों में असंतोष बढ़ रहा है।

रिसर्च सेंटर की बात दोहराना चाहूंगा। ग्रेप्स नासिक, पूना और सांगली में होता है, आप एक ग्रेप्स रिसर्च सेंटर पूना में दे दीजिए, इससे काफी लाभ होगा। यह भी पता चला है कि महाराष्ट्र के लिए मजूर एक रिसर्च सेंटर वहां से दूसरी स्टेट ले जाया जा रहा है, सबसे ज्यादा प्याज नासिक में होता है, वहां से रिसर्च सेंटर दूसरी जगह ले जा रहे हैं, इसके बारे में मैंने एक चिट्ठी भी आपको लिखी है, इस बारे में आप जरूर ध्यान दें।

अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि विलेज यूनिट बहुत आवश्यक है। ड्राईलैंड में छोटे किसान और बड़े किसान के अंतर को समाप्त करना होगा, क्योंकि वहां 74 परसेंट मार्जिनल और स्माल फार्मर्स हैं। ड्राउट प्रोन और डेजर्ट एरियाज में इस सीमा को आप हटा दीजिए। इसी तरह से सभी योजनाओं में आपस में राज्य और जिला स्तर पर कोआर्डिनेशन होना चाहिए। बोर वैल के लिए आप 4-5 हजार रुपया देते हैं और उस पर खर्चा आता है 15,000 रुपया, आप मिलियन वैल्स की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में पता नहीं कैसे हुआ है, दो हार्स पावर की आप मोटर देते हैं जो पानी निकालने के लिए, पीने के पानी के लिए तो ठीक है, इसके लिए मैंने वित्त मंत्री जी से बात की है और इसमें कुछ सुधार हुआ है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसमें काफी परिवर्तन की आवश्यकता है। जब बुनियादी नीति बनाई जाती है तो इन सारी बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए।

इसी तरह से फल और सब्जी की निर्यात नीति दीर्घकालीन नहीं है, प्रोटेक्शन नहीं है, इसके लिए मैं उस हफ्ते से सेक्रेट्री साहब से बात कर रहा हूं, न इंश्योरेंस है, न कीमत अच्छी है और न एक्सपोर्ट का प्रोटेक्शन है। कामर्स मिनिस्टरी में बात की तो बताया गया कि अक्तूबर से एक प्रपोजल कृषि मंत्रालय भेजा है, कृषि मंत्रालय से अभी तक पता नहीं चला कि कौन-कौन सी चीजें निर्यात की जाती हैं। अक्तूबर का प्रपोजल मार्च में क्लीयर होगा तो कैसे काम होगा। मंत्रालयों में कोआर्डिनेशन नहीं है, इसका नुकसान किसान को होता है और जब वह एजीटेशन करता है तो उसकी जिम्मेदारी हम लोगों पर ही है। निर्णय समय पर नहीं होता और किसान को नुकसान होता है। वर्ष 1989-90 का निर्यात तुरंत घोषित करना चाहिए।

बीज के बारे में कहना चाहता हू कि नेशनल सीड बैंक नहीं है, घटिया बीज मिलता है, कानून बने हैं लेकिन फिर भी काफी फसल बर्बाद होती है। इसी तरह से बायलोजिकल कंट्रोल सेंटर की बात है, जर्मनी में, इजराइल में मधु मक्खी लगाकर 30 परसेंट तक धान और फलों का उत्पादन बढ़ाया है, लेकिन कैमिकल फैलने से मधुमक्खी भी मर जाती है और फलों का उत्पादन

घट जाता है । आपने जगह-जगह 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन बनाए हैं, मेरा सुझाव है कि इसी तरह 12 बायलोजिकल कंट्रोल लेबोरेटरीज बना दीजिए । लोगों को घटिया दवाइयां मिलती हैं जिससे किसान को नुकसान होता है । वैसे तो मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं, लेकिन व्यवस्था में सुधार कीजिए । सहकारिता आन्दोलन में जो माफिया तैयार हो रहा है, उस पर नजर रखिए । वे इसी के लोगों को आने नहीं देते हैं और खुद ही करना चाहते हैं । उसके साथ ही कोआपरेटिव में एग्रो प्रोसेस इन्डस्ट्री, एन०सी०डी०सी० काम कर रही है । कृषि मंत्रालय के साथ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होनी चाहिए । केन डवलपमेंट फंड जो डिपार्टमेंट डील करता है और माइनाईजेशन का पूरा फंड उनको दिया है, वही फंड उनको देंगे तो कोआपरेटिव का काम बढ़ जायेगा जैसे ऑयल सीड्स के बारे में मध्य प्रदेश में बहुत बढ़िया काम किया है । हम चाहेंगे कि उसको बढ़ावा मिलना चाहिए । मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुरद्वार) : चेयरमैन साहब, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और 80 प्रतिशत लोग कृषक हैं । कृषि प्रधान देश होते हुए भी हम लोग दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक हैं । पहली दफा जब कांग्रेस सरकार आई तो तभी लैंड सीलिंग का कानून आया लेकिन उसमें बहुत सारे लूपहोल्स रखे गए । इसीलिए जो जमीन जोतता है उसके पास जमीन नहीं है । ऐसे आर्टिफिशियल किसान पैदा हो गए हैं जो बड़ी-बड़ी जमीनों के मालिक बन गए हैं । मैं यहां पर कुछ आंकड़ें बताना चाहता हूं ।

[अनुवाद]

2 हैक्टेयर से कम भूमि के स्वामित्व वाले 74.5 प्रतिशत घराने भूमि के 26.7 प्रतिशत भाग पर कार्य कर रहे हैं और भूमि के 22.6 प्रतिशत भाग का उपयोग 2.4 प्रतिशत बड़े फार्म हाउस कर रहे हैं ।

[हिन्दी]

ऐसी अवस्था में सबसे पहले कृषि मंत्री से यही अर्ज करता हूं कि लैंड रिफार्म के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाए । रजिस्ट्री कराकर पर्चे जिसके हाथ में दिए गए हैं, उसकी लैंड की जिम्मेदारी नहीं है लेकिन फिर भी सरकार उसको देखती नहीं है । कृषि को छोड़कर सरकार किसानों को दूसरी जगह एम्पलायमेंट नहीं दे सकती है तो हर रोज किसी न किसी किसान को जमीन से बेदखल कर दिया जाता है और उसकी जमीन को लूटा जा रहा है । ब्यूरोक्रेट्स और मिनिस्टर्स के फार्म हाऊस बन रहे हैं, इधर वे बंगलों में रहते हैं । मैं सारे हिन्दुस्तान के किसानों से आह्वान करता हूं कि यदि सरकार जमीन नहीं दे सकती तो जहां पर फार्म हाऊस बने हुए हैं उसको लूट लें । अगर सरकार जुल्म करती है तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जायेगा । गरीबी बढ़ती जा रही है और किसानों को खेत से हटाया जा रहा है । जो आदमी फसल तैयार कर रहा है, वह भूखा मररहा है । शहरों की भीड़ बढ़ रही है । पहाड़ों से आदमी आ रहे हैं, किसी की नौकरी करके अपने बाल-बच्चों के साथ जानवरों की तरह जीवन जी रहे हैं । पंजाब में कृषि मजदूर मजदूरी के लिए बिहार, मध्य प्रदेश और ओड़िसा से जाते हैं । इन कृषि मजदूरों को रजिस्टर किया जाए । यह देखा जाए कि बड़े-बड़े फार्मों में कितना पैसा उनको काम करने के लिए दिया जाता है । उनको बोनस मिलना

चाहिए। कितने दिन किस फार्म में काम किया, इसका हिसाब होना चाहिए। जमीन उनको मिलनी चाहिए, जो जोतते हैं। जो बाबू यहां पर है वह जमीन लेकर बैठा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिहार सरकार जमींदारों के ऊपर चलती है। जमींदारी प्रथा समाप्त हो गई लेकिन सारे के सारे जमीदार वहां बैठे हुए हैं। बिहार की राजनीति जाति के ऊपर नहीं बल्कि जमीदारों पर निर्भर है। उनकी सेना बन चुकी है, एट्रोसिटीज हो रही हैं, हरिजनों-आदिवासियों को मारा जा रहा है। उनको खेत से हटाया जा रहा है। सरकार सब कुछ देख रही है। धान का दाम आपने बढ़ा दिया लेकिन जमीन किसके पास है। जमीन लूटी जा रही है। प्रजातंत्र में किसान को उसका हक मिलना चाहिए। जितने आर्टिफिशियल किसान हैं उनकी जमीन लूटी जाए, यह मैं कहना चाहता हूं। जो असल आदमी है, जमीन का आदमी है, जो जमीन को जोतता है और जोतेगा उसको जमीन दी जानी चाहिए। कृषि प्रधान देश में किसान के बच्चों को और हमें खाने-पीने के साधन कोई उपलब्ध नहीं हैं, जबकि बड़े-बड़े जो आदमी हैं उनको अण्डे, दूध, घी आदि सब कुछ मिलता है, क्योंकि उनका इन पर नियंत्रण है। हमारे बच्चे दवा को खोजते हैं, घी को खोजते हैं। इसी तरह से हिन्दुस्तान में नौकरशाही ने जमीन को, राजनीति को भी अपने हाथ में ले रखा है, इसको खत्म होना चाहिए और कृषि मंत्रीजी को इस सिलसिले में कल से ही लैंड सीलिंग के लिए विचार करना चाहिए।

[अनुवाद]

वास्तविक काश्तकारों को भूमि मिलनी चाहिए; काश्तकार के अलावा किसी किसान को भूमि नहीं मिलनी चाहिए।

डा० फूलरेणु गुहा (कन्टई) : मैं कृषि मंत्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करती हूं।

कृषि हमारे देश की रीढ़ है। सूखे तथा बाढ़ के कारण हमारे देश के विकास पर प्राय: प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। एक वर्ष पूर्व हमारे देश ने भंयकरतम सूखे का सामना किया किंतु कृषि मंत्रालय के प्रयासों के फलस्वरूप भारत एक कठिन परिस्थिति से उबर सका। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् कृषि के क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है, किंतु इस क्षेत्र में और विकास की आवश्यकता है। हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रति एकड़ उत्पादन में वृद्धि करनी होगी।

अधिक उत्पादन के लिए पानी और बिजली आवश्यक है। कृषि उत्पादों का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए समुचित उपाय किए जाने होंगे और इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि कृषि मजदूरों को उचित मजदूरी मिलनी चाहिए जो कि उन्हें दुर्भाग्यवश अधिकतर स्थानों पर नहीं मिल पाती। फसल बीमा की सुविधा सभी स्थानों पर सभी किसानों को उपलब्ध होनी चाहिए। कई एकड़ बंजर भूमि है किंतु उसे उपजाऊ भूमि बनाने के लिए कोई योजना नहीं है। हमारा देश नदियों एवं नहरों से भरपूर है किंतु उन्हें खेती हेतु किसानों के लिए उपयोगी बनाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है।

यह बताया गया है कि सातवीं योजना के दौरान सभी गांवों में पीने का पानी मुहैया कर दिया जाएगा परन्तु वास्तव में इस दिशा में समुचित प्रगति नहीं हुई है। मैं आपको विश्वास के

साथ कह रहा हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ऐसे अनेकानेक गांव हैं जिनमें पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है।

कृषि के लिए, उपयुक्त भूमि सुधार नितांत आवश्यक है परन्तु कई स्थानों पर यह नहीं किया गया है। हमारा विश्वास है कि भूमि जोतने वाले की ही होनी चाहिए। बंगाली में एक कहावत है "लोंगोर जा जमींदार।" जहां भूमि का बंटवारा हुआ भी है वहां प्रायः यह उपयुक्त व्यक्तियों को नहीं दी गई है। मैं अपने राज्य के अनेक उदाहरण दे सकता हूं परन्तु मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि समय नहीं है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम तथा अन्य ग्रामीण कल्याण योजनाओं का सही ढंग से कार्यान्वयन नहीं हो रहा है। इन कुछ योजनाओं में, संसद-सदस्य इनकी समितियों के सदस्य होते हैं। सभा में भी इस बारे में चर्चा हुई है। मैं दूसरों के विषय में नहीं जानता। मुझे किसी भी बैठक की कोई सूचना नहीं मिली है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह इस मामले की जांच करे। गांवों का विकास किए बिना, ग्रामीण जनता का शहरों में बसना नहीं रोका जा सकता। यदि गांवों का विकास नहीं होता है तो वे गांवों में कैसे रह सकते हैं ? सभी योजनाओं के अलावा किसानों को उपयुक्त सिंचाई सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिएं। बांध बनाने, बड़ी सिंचाई योजनाओं का विस्तार करने तथा जलमार्ग कार्यक्रमों में बहुत समय और धन लगेगा परन्तु हम शुरू में कम से कम सिंचाई के लिए बड़ी संख्या में गहरे ट्यूबवैल क्यों नहीं लगाते ? हमें देश के वनों को नष्ट किए जाने के बारे में कड़े कदम उठाने चाहिएं। इससे हमारे वातावरण तथा खाद्य उत्पादन पर गम्भीर प्रभाव पड़ रहा है। हमारे देश में भारी संख्या में बेकार पशु हैं जो मनुष्य से होड़ कर रहे हैं।

हमें अधिक से अधिक अच्छी किस्म के बीजों का उत्पादन बढ़ाने के लिए यथासम्भव प्रयास करने चाहिएं ताकि हमारे किसान अच्छी किस्म के बीजों का इस्तेमाल कर सकें। हमारे वैज्ञानिकों को आज हमारे पास उपलब्ध बीजों से बेहतर बीजों का विकास करना चाहिए।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि बंजर भूमि खेती योग्य बन जाए समुचित प्रयास किए जाने चाहिएं। कभी-कभी मिट्टी की किस्म का पता लगाए बिना उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रवृत्ति को रोका जाना चाहिए।

मिदनापुर जिले में, सिंचाई और नहरों के लिए भागबनपुर-नन्दीग्राम मास्टर प्लान दो वर्ष पूर्व मंजूर हुई थी परन्तु अब तक इस कार्य में कोई प्रगति नहीं हुई है।

कृषि उत्पादन तथा किसानों की आजीविका के लिए सिंचाई व्यवस्था नितांत आवश्यक है। परन्तु जब स्वीकृत योजनाओं के कार्यान्वयन में इतना अधिक समय लगता है तो हम कृषि क्षेत्र में प्रगति की कैसे आशा कर सकते हैं।

स्वर्णरेखा परियोजना निर्माणाधीन है। जहां तक मुझे मालूम है, बिहार के हिस्से में लम्बाग निर्माण हो चुका है परन्तु पश्चिम बंगाल के हिस्से में कार्य अभी शुरू भी नहीं हुआ है। केवल मुख्य अभियंता तथा कुछ अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है। यहां तक कि इस बारे में भी अभी निर्णय नहीं लिया गया है कि मुख्यालय कहां होगा। मुझे पता लगा है कि पश्चिम बंगाल

सरकार ने दीघा में जमीन देने की पेशकश की है। यह परियोजना शंकरपुर में समाप्त होगी जोकि दीघा के निकट है। इसलिए दीघा को मुख्यालय मानकर अथवा दुब्का बेसिन को स्वर्णरेखा परियोजना का मुख्यालय रखते हुए वे कार्य शुरू क्यों नहीं करते । मुख्यालय के बारे में अंतिम निर्णय लिए जाने तक प्रतीक्षा नहीं की जानी चाहिए।

मुझे माननीय मंत्री जी से दो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने हैं। इस समय उड़ीसा तटवर्ती नहर के माध्यम से स्वर्णरेखा के पानी से रामनगर-एक और दो, एक्स-दो, कन्टाई एक और तीन खण्डों में बोटा खेती होती है। मुझे आश्चर्य है कि चैनलों और जलाशय से मेरसाघाट बैरेज को कितना पानी मिलेगा और निकटवर्ती क्षेत्रों की आवश्यकता को पूरा करने के बाद कन्टाई 'सब डिवीजन' को कितना पानी मिलेगा।

दूसरा प्रश्न यह है कि यदि पश्चिम बंगाल के हिस्से में निर्माण कार्य नहीं होता है तो चांदिल जलाशय के पानी को कोई रास्ता नहीं मिलेगा। इसलिए मिदनापुर जिले के कुछ भागों विशेषतौर पर कन्टाई 'सब डिवीजन' में बाढ़ आने की बहुत अधिक संभावना है।

मैं अपनी अंतिम बात पर आता हूं। कैपेट (सीएपीएटी) को कार्य के विकेन्द्रीकरण के लिए बनाया गया है। शुरू में यह संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहा था परन्तु अब यह सरकारी प्रणाली से भी अधिक अर्थात् चार या पांच गुणा समय लेता है। मैं नहीं जानता कि प्रणाली में कोई दोष है या क्या दिक्कत है या इस काम को करने के लिए उनके पास समुचित संख्या में कर्मचारी नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह 'कैपेट' के कार्यकरण पर विचार करें और आवश्यक कार्यवाही करें। आवेदन को निबटाने के लिए 'कैपेट' की कोई समय-सीमा होनी चाहिए। अंत में मैं माननीय मंत्री जी अनुरोध करता हूं कि वह कन्टाई 'सब डिवीजन' में मात्स्यकी सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु मात्स्यकी व्यावसायिक संस्थान शुरू करें। देश भर से मात्स्यकी शिक्षा के लिए मांग आ रही है।

इन कुछ सुझावों के साथ मैं कृषि मंत्रालय की मांगों का हार्दिक समर्थन करता हूं।

कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० प्रभु) : सभापति महोदय, कृषि मंत्रालय की अनुदान मांगों पर बहस के दौरान, कुछ माननीय सदस्यों ने उर्वरक क्षेत्र के बारे में कुछ टिप्पणी की हैं। मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए कुछ मुद्दों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा।

महोदय, 1988-89 वर्ष उर्वरक क्षेत्र में बहुमुखी प्रगति का वर्ष रहा है। हमने इस क्षेत्र में खपत, उत्पादन, प्रतिष्ठापित क्षमता, क्षमता उपयोग एवं ऊर्जा से संबंधित कार्यकुशलता के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आधुनिक कृषि उत्पादन में उर्वरक एक प्रमुख सामग्री है। आधुनिक विज्ञान के साथ यह किसानों का प्रथम संपर्क है।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

महोदय, पिछले कुछ वर्षों से हमारी खपत बढ़ रही है। वर्ष 1987-88 में हमारी खपत

90.11 लाख टन थी। वर्ष 1985-86 और 1986-87 में खपत 87 लाख टन ही रही। परन्तु मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि 1988-89 में हमारी खपत 110.31 लाख टन होगी। यह अनुमानित आंकड़े हैं, अंतिम आंकड़े अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। किसी एक वर्ष में यह अधिकतम वृद्धि है जोकि 22 प्रतिशत बैठती है। इसका हमारे खाद्य उत्पादन से संबंध है। यदि आप किसी क्षेत्र विशेष में अधिक उर्वरक इस्तेमाल करेंगे तो उसमें उत्पादन अधिक होगा।

मुझे खुशी है कि अनेक सदस्यों ने इस वर्ष खाद्यान्न का 170 मिलियन टन का रिकार्ड उत्पादन होने पर सरकार को मुबारकबाद दी है। प्रो० कुरियन तथा अन्य सदस्यों ने सरकार से उर्वरक की खपत को बढ़ाने के लिए अधिक प्रयास करने का अनुरोध किया है ताकि खाद्यान्न का उत्पादन बढ़े। मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि अथक प्रयासों के बावजूद हमारी औसत खपत केवल 50 से 60 कि० ग्राम प्रति हैक्टेयर है। पंजाब में प्रति हैक्टेयर खपत 10 कि० ग्राम है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में यह औसत कम है जोकि लगभग 5 से 6 कि० ग्रा० प्रति हैक्टेयर है। बढ़ावा देने की पद्धतियों से हम भरसक प्रयास कर रहे हैं। उर्वरक कम्पनियां उर्वरकों की खपत बढ़ाने के उद्देश्य से किसानों को जानकारी देने के कार्यक्रम चला रही हैं।

महोदय, उर्वरक के क्षेत्र में एक अन्य उपलब्धि हमारे योजनागत लक्ष्य की पूर्ति है। सातवीं योजना के दस्तावेज के अनुसार, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक की अनुमानित प्रतिष्ठापित क्षमता 92.53 लाख टन थी और फास्फेटिक उरवंक की 26.91 लाख टन। गत वर्ष, 1988-89 में यह मात्रा क्रमशः 81.48 लाख टन और 26.5 लाख टन थी। फास्फेटिक उर्वरक के मामले में हमने एक वर्ष पूर्व योजना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। परन्तु नाइट्रोजन उर्वरक के मामले में, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम लक्ष्य से एक मिलियन टन पीछे हैं क्योंकि एच० बी० जे० पाइपलाइन के तीन संयंत्र नहीं बनाए गए। मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि इन संयंत्रों का कार्य शुरू किया जा रहा है और आगामी तीन वर्षों में इन्हें पूरा कर दिया जाएगा।

हमारा उत्पादन भी बहुत अच्छा है। वर्ष 1988-89 में, नाइट्रोजन उर्वरक का उत्पादन लक्ष्य 64 लाख टन था परन्तु हमने 67.12 लाख टन उत्पादन किया और फास्फेटिक उर्वरक का लक्ष्य 21.9 लाख टन था और हमने 22.51 लाख उत्पादन किया। इसलिए हमने योजना लक्ष्य पूरा कर लिया है। वर्ष 1989-90 में, हम आशा करते हैं कि नाइट्रोजन उर्वरक और फास्फेटिक उर्वरक का उत्पादन क्रमशः लगभग 70 लाख टन और 24 लाख टन होगा। मुझे विश्वास है कि हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। प्रतिष्ठापित क्षमता में वृद्धि और विद्यमान संयंत्रों के क्षमता उपयोग द्वारा ही यह अधिक उत्पादन हो पाया। हमारा योजना लक्ष्य यूरिया के लिए केवल 70 प्रतिशत क्षमता उपयोग और फास्फेटिक उर्वरक के लिए 80 प्रतिशत है। वर्ष 1988-89 में, हमने नाइट्रोजन में 85.2 प्रतिशत और फासफेटिक उर्वरक में 86.8 प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया है। इन सभी आकड़ों को देने के पीछे कारण यह है कि विपक्ष की ओर से एक सदस्य ने कहा है कि हमने बहुत ही कम क्षमता का उपयोग किया है और हमारे संयंत्र उच्च उत्पादकता नहीं दे रहे हैं। वर्ष 1988-89 के दौरान हमने एक ही वर्ष में नाइट्रोजन के उत्पादन में 23 प्रतिशत की और फासफेट के उत्पादन में 35 प्रतिशत वृद्धि की है उत्पादन में कुल वृद्धि 25.7

प्रतिशत है। इससे औद्योगिक उत्पादन में कुल 10 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है जो मामूली बात नहीं है। मुझे सभा को यह बताते हुए भी खुशी है कि हमारे गैस पर आधारित संयंत्र जिन्हें अभी हाल ही में लगाया गया है, उनके लगाए जाने के दिन से ही उनमें शत-प्रतिशत क्षमता उपयोग प्राप्त किया गया है। इससे यह पता चलता है कि तकनीकी दृष्टि से हमारी स्थिति अच्छी है। भारत संयंत्र के रखरखाव और उत्पादन आयोजन में प्रौद्योगिक दृष्टि से विकसित है।

विशेषकर मैं यह कहना चाहता हूं कि ऊर्जा के संरक्षण में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। हमने प्रचुर मात्रा में ऊर्जा का संरक्षण किया है। विशेषरूप में मैं ओनला में नए संयंत्र, दाभोली संयंत्र का उल्लेख करना चाहता हूं जिससे ऊर्जा की लागत में पर्याप्त कमी आई है और उनका कार्यनिष्पादन ऊर्जा की कम से कम खपत में भी बेहतर रहा है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आर० सी० एफ० योजना में ऊर्जा की खपत में पर्याप्त कमी आई है। हम इन सभी से, गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्रों के लिए अच्छी प्रकार से प्रमाणित प्रौद्योगिकी के बार-बार उप-से अधिकतम संभव लाभ उठा सकते हैं।

कुछ सदस्यों ने उर्वरक क्षेत्र में अधिक राजसहायता के बारे में मुद्दा उठाया है। इस वर्ष, वास्तव में, हमने 3500 करोड़ रुपए की राजसहायता दी है। यह बहुत ही चौंका देने वाली बात है। लेकिन यह राजसहायता क्या है ? यह राजसहायता उर्वरक की उत्पादन लागत और जिस मूल्य पर किसानों को उर्वरक उपलब्ध कराया जाता है दोनों के बीच का अन्तर है। उर्वरक की लागत में वृद्धि नहीं की गई है यह वही है जो वर्ष 1981 में थी। वास्तव में, यूरिया का मूल्य 11 जुलाई, 1981 को 2350 रुपए प्रति टन था और आज भी यह उसी मूल्य पर उपलब्ध है जबकि कच्चे माल जैसे विभिन्न आदानों और बिजली, परिवहन जैसी विभिन्न सेवाओं और श्रमिकों की मजदूरी सहित अन्य सेवाओं में भारी वृद्धि हुई है। वास्तव में, मैं कुछ आकड़ों को उद्धृत करना चाहता हूं। नेफ्था, यूरिया के लिए कच्चा माल है। 1-4-82 को इस का मूल्य 1924·18 प्रति मीट्रिक टन था जबकि 1-4-88 को इसके मूल्य बढ़कर 2262·66 रुपए प्रति मीट्रिक टन पहुंच गए। 1-4-82 को प्राकृतिक गैस का मूल्य 403.90 रुपए प्रति हजार घन मीटर था जबकि 1-4-88 को यह 1565.24 रुपए प्रति हजार क्यूबिक मीटर था। बिजली की दर 1-4-82 को 440.9 एन० डब्ल्यू० एच० से बढ़कर 1-4-88 को 66.83 एम० डब्ल्यू० एच० हो गई। थोक मूल्य सूचकांक जो जुलाई, 81 को 236.2 था बढ़कर दिसम्बर, 88 में 434.4 हो गया अर्थात् उसमें 51 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

मैं जो बताने का प्रयास कर रहा हूं वह यह है कि हालांकि विभिन्न आदानों और अन्य सेवाओं की कीमतों में पर्याप्त वृद्धि हुई है लेकिन उर्वरक के मूल्य लगातार उसी स्तर पर रखे गए हैं जोकि 11 जुलाई, 1981 को थे। उर्वरक के लिए राजसहायता में भारी वृद्धि करने के कारणों में यह एक है। उर्वरकों के लिए राजसहायता बढ़ाने का अन्य कारण यह है कि देश में उत्पादन में वृद्धि हुई है। वर्ष 1980-81 में 30 लाख टन पोषकों का उत्पादन हुआ था और हमने 505 करोड़ रुपए की राजसहायता दी थी जबकि आज हमारा उत्पादन 94 लाख टन है और शायद उसके लिए 3000 करोड़ रुपए लगभग राजसहायता देंगे।

राजसहायता देने का उद्देश्य किसानों की सहायता करना है। विभिन्न सदस्यों ने यह आलोचना की है कि यह राजसहायता किसानों को नहीं दी जाती, कि कुछ बिचौलिये बीच में ही यह राजसहायता हड़प जाते हैं। कुछ अन्य सदस्यों ने यह कहा है कि राजसहायता किसानों को नहीं उत्पादकों को दी जाती है। मैं माननीय सदस्यों को यह सूचित करना चाहता हूं कि मूल्य-निर्धारण करने की किसी प्रणाली में, हमें वह प्रणाली अपनानी होगी जो चल सके और जो चल सकती है वह यह है कम से कम लोगों का पता लगाया जाए जिन्हें राजसहायता दी जानी हो।

5·00 म० प०

वास्तव में, यदि हमें किसानों को सीधे राजसहायता देनी हो, तो हमें लाखों किसानों के पीछे भागना पड़ेगा और किसानों को यह राजसहायता सीधे देना असंभव होगा। अतः यह उद्योग को दी जाती है जो यह राजसहायता किसान को देता है। ऐसा कोई तर्क नहीं हैं जो यह सिद्ध कर सकता है कि यह राजसहायता, किसानों को नहीं दी जाती क्योंकि यदि आप उर्वरक के मूल्य को देखें, तो यूरिया का 2350 रुपए प्रति टन है अथवा 117.50 रुपए प्रति बोरी है जिससे यह पता चलता है कि राजसहायता का लाभ किसानों को दिया जाता है। यदि यह राज-सहायता किसानों को नहीं दी जाती तो शायद यूरिया की एक बोरी का मूल्य 250 रुपए होता, 117·50 रुपए न होता। तथा उर्वरक के निश्चित मूल्य का सबसे बड़ा महत्व इस बात के लिए है कि उर्वरक की खपत में भारी वृद्धि के बावजूद, हमें उर्वरक की कमी नहीं हुई और मैं सभा को यह आश्वासन दे सकता हूं कि भविष्य में भी उर्वरकों की कमी नहीं होगी।

उर्वरकों के लिए राजसहायता देने में सरकार का उद्देश्य यह देखना है कि भारतीय किसानों को उर्वरकों की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई उपलब्ध कराई जा सके, तथा उनकी कोई कमी न हो, तथा उर्वरकों को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराया जाए जिससे किसान उनका मूल्य दे सके।

विपक्ष के एक सदस्य ने कुछ आलोचना की है कि हमें इस वर्ष कम धनराशि आवंटित की गई है। मैं यह कहना चाहता हूं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में, उर्वरक विभाग को 2708 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे लेकिन हम 3532·8 करोड़ रुपए का उपयोग करेंगे। मैं अपने वास्तविक लक्ष्यों की उपलब्धि के बारे में पहले ही बता चुका हूं और यह भी कि हमने अच्छी उपलब्धि प्राप्त की है और सातवीं योजना में हमारे विकास की अच्छी दर रही है और आशा है आठवीं योजना में भी विकास की दर और अधिक रहेगी।

श्री मदन पांडे ने भारतीय खाद्य निगम के गोरखपुर संयंत्र के बारे में विशेष रूप में उल्लेख किया है कि इसका नवीकरण किया जाना चाहिए और यदि इसका नवीकरण नहीं किया जाता तो उसी स्थान पर एक नया संयंत्र लगाया जाए। मैं यह बताना चाहता हूं कि ये दोनों प्रस्ताव सरकार के पास लंबित पड़े हैं और निश्चित रूप से हम इनको देखेंगे। वास्तव में, मैं यह कहना चाहता हूं कि हालांकि हमने इसके संबंध में अंतिम निर्णय नहीं लिया है, वर्तमान मामले में गोरखपुर संयंत्र का नवीकरण करना सबसे अच्छा विकल्प है।

आन्ध्र प्रदेश के एक सदस्य ने यह कहा था कि गोदावरी उर्वरक संयंत्र, जो डी० ए० पी०

तैयार कर रहा था, उसे कच्चे माल अर्थात् फासफोरिक एसिड की कमी के कारण कुछ दिनों अथवा एक महीने के लिए बन्द कर दिया गया था। में यहां यह कहना चाहता हूं कि संयंत्र कई समस्याओं के कारण बन्द करने पड़ते हैं। राज्यों में बिजली समस्याएं हो सकती हैं। वास्तव में, आज आंध्र प्रदेश में बिजली की 60 प्रतिशत कटौती की जा रही है। श्रमिक समस्याओं के कारण भी संयंत्र बन्द हो सकता है। कभी-कभी यह संयंत्र कच्चे माल की कमी के कारण बन्द हो सकते हैं क्योंकि उनका आयात किया जाता है। अतः कुछ न होने पर भी बहुत कुछ कहा जा रहा है। वास्तव में, मेरे पास यहां गोदावरी फर्टिलाईजर का इतिहास है। इसमें दिसम्बर, 1987 में उत्पादन शुरू होना था लेकिन, अप्रैल-मई, 1988 तक कोई उत्पादन नहीं हुआ था। मई, 1988 में उन्होंने 22 प्रतिशत क्षमता उपभोग से शुरू किया था और यह बढ़ता गया। गत वर्ष 1988 की प्रथम छमाही में, अर्थात जनवरी से जून तक, उन्होंने 84,000 टन फासफोरिक एसिड का आवंटन करने के लिए कहा था लेकिन वे केवल 16,000 टन फासफोरिक एसिड का उपभोग कर पाए थे। दूसरी छमाही में उन्होंने 87,000 टन का आवंटन करने के लिए कहा था लेकिन ये केवल 50,000 टन का उपभोग कर पाए थे। अतः इस वर्ष जब सप्लाई में थोड़ी गड़बड़ है तो उन्होंने इतना शोर मचा दिया। महोदय, मैं फासफोरिक एसिड के आयात के बारे में एक वक्तव्य देना चाहता हूं, मैं इस पर अधिक जोर नहीं देना चाहता हूं क्योंकि हम अभी भी आयात की प्रक्रिया में लगे हुए हैं और मेरे लिए यह बताना उचित नहीं होगा कि इसके बारे में सरकार का क्या विचार है और वास्तव में क्या हो रहा है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि हम मोरक्को, ट्यूनीसियन जैसे कुछ देशों से फासफोरिक एसिड का आयात करते हैं और कुछ मात्रा में अमरीका से आयात करते हैं और हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है इन देशों ने उत्पादक-संघ बना लिया है। उन्होंने एक संघ बना लिया है ओर उन्होंने इस मूल्य वृद्धि को अपने आदानों की लागत में जोड़े बिन 1 1/2 वर्ष की अवधि में बिना किसी कारण के इसमें मूल्य को 325 डालर से बढ़ाकर 480 डालर कर दिया है। हमारे देश में लगभग 80 करोड़ लोग हैं। विश्व में तकनीकी जनशक्ति में हमारा देश तीसरा सबसे बड़ा देश है और हम निष्क्रिय नहीं बैठ सकते। हम उनकी धौंस नहीं सहेंगे। हम यह नहीं चाहेंगे कि अन्य देश संघ बनाएं और हमें किसी चीज और किसी कच्चे माल को अपने मूल्यों पर आयात करने के लिए हमारे ऊपर दबाव डाले। महोदय, हम देशों के बीच अच्छे आपसी व्यापार में विश्वास रखते हैं। लेकिन साथ ही साथ उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए उचित मूल्य में भी विश्वास रखते हैं। हमें कोई भी देश बाध्य नहीं कर सकता कि हम उनके मूल्यों पर कच्चा माल खरीदें। जिन माननीय सदस्यों ने गोदावरी उर्वरक का जिक्र किया है, मैं उनसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। मैं तेलगू देशम के श्री रघुमा रेड्डी को यह जानकारी देना चाहता हूं कि राज्य में जो रामागुंडम उर्वरक संयंत्र है वहां बिजली शत-प्रतिशत कटौती होती है और किसी ने भी उस बारे में कुछ नहीं कहा है। महोदय, रामागुंडम संयंत्र, जहां यूरिया का उत्पादन किया जाता है, के समीप ही सुपर तापीय बिजली घर है और हमारे लिए उसे उसके साथ जोड़ना और उर्वरक कारखानों को बिजली देना बहुत आसान है। किन्तु चूंकि हम राज्य सरकार का सम्मान करते हैं, हम ऐसा काम नहीं करते और हमने राज्य सरकार को इस उर्वरक कारखाने को बिजली देने के लिए कहा है। महोदय, उर्वरक महत्वपूर्ण क्षेत्र में है और यहां बिजली की शत-प्रतिशत

कटौती नहीं होनी चाहिए। वास्तव में, मुझे यह बताया गया है कि यदि रामागुंडम उर्वरक कारखाने के लिए बिजली चाहिए तो, इसके लिए राज्य सरकार उन्हें बिजली की आम दर की पांच गुना दर से भुगतान करने के लिए कह रही है। मेरा राज्य सरकार से अनुरोध है कि उन्हें देखना चाहिए कि हमारा यह उर्वरक कारखाना चालू हो और यह बिजली न मिलने के कारण बंद नहीं पड़ा रहना चाहिए।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : गोदावरी उर्वरक संयंत्र के बारे में आप क्यों नहीं बताते ? आप केवल रामागुंडम संयंत्र के बारे में कह रहे हैं।

श्री आर० प्रभु : गोदावरी उर्वरक संयंत्र के बारे में बोलने से पहले ही मैं रामागुंडम कारखाने के बारे में यह कह चुका हूं। यदि आप रिकार्ड देखें, तो आपको पता चल जाएगा। महोदय, मैं फास्फोरिक एसिड के बारे में पहले ही बता चुका हूं। हम देखेंगे कि देश में किसी किसान को उर्वरक की कमी न हो, चाहे यह यूरिया हो या डी० ए० पी० अथवा मिक्सचर या पोट्टासिक उर्वरक।

महोदय, एक माननीय सदस्य ने कहा था कि मांग और उत्पादन के बीच बहुत अंतर है। हमारे देश में इसकी खपत और उत्पादन से संबंधित आंकड़े मैं पहले ही दे चुका हूं। मैं नहीं सोचता कि मुझे ये आंकड़े पुनः बताने की आवश्यकता है। हमारे देश में पोटेशियम उर्वरक का कोई स्रोत नहीं है। अतः इस देश में पोटेशियम का आयात किया जाता है और हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पोटेशियम उर्वरक है तथा जैसा कि मैंने पहले कहा कि देश में इस समय उर्वरक की कमी नहीं है और न ही भविष्य में इसकी कमी रहेगी।

महोदय, एक अन्य माननीय सदस्य ने उर्वरक के छोटे पैकेट बनाए जाने का जिक्र किया था। महोदय, हमारे यहां कुछ पहाड़ी क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के लिए छोटे पैक उपलब्ध हैं। उन क्षेत्रों में उर्वरकों के बड़े पैक नहीं भेजे जाते और इसीलिए लोग 25 किलोग्राम के छोटे पैकों को वरीयता देते हैं। हमने एक कार्यक्रम बनाया है जिसके तहत उद्योग राज्य द्वारा किए गए आवंटन का 10 प्रतिशत 25 किलोग्राम के पैक उपलब्ध कराएगा। महोदय, एक माननीय सदस्य ने क्षमता के कम उपयोग किए जाने के बारे में कहा है। मैंने वह आंकड़े दिए हैं और मैं नहीं समझता कि मुझे इस बारे में विस्तार से बताने की जरूरत है। किन्तु सरकारी क्षेत्र की इकाइयों द्वारा क्षमता के कम उपयोग का कारण रुग्ण इकाइयां अर्थात् भारतीय उर्वरक निगम और हिन्दुस्तान उर्वरक निगम हैं। उन कम्पनियों के अलावा हमारे सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का कार्य-निष्पादन यदि सहकारी या निजी क्षेत्र की कम्पनियों से बहुत अच्छा नहीं है, परन्तु उतना अच्छा तो है ही। भारतीय उर्वरक निगम और हिन्दुस्तान उर्वरक निगम की कुछ विशिष्ट समस्याएं हैं। वहां लगातार बिजली की कटौती के कारण ही उनकी क्षमता का कम उपयोग हो पाता है। नामागुंडम संयंत्र भी भारतीय उर्वरक निगम का ही एक संयंत्र है। उनके उपकरण खराब पड़े हैं; उनका मजदूरों के साथ मन-मुटाव चल रहा है और वहां धन की भी समस्या है। मैं तो कहूंगा कि ऐसे अधिकांश संयंत्र आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम में तथा संभवतः ये समस्याएं हमारे देश में एक विशेष प्रदेश में हैं। मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता। महोदय, यदि चर्चा के दौरान माननीय सदस्य

द्वारा उठाए गए किसी मुद्दे का जवाब मैंने न दिया हो तो रिकार्ड देखने के बाद माननीय सदस्यों को उनके जवाब भेज दूंगा।

श्री अमर रायप्रधान (कूच बिहार) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्वतन्त्रता के बाद, देश की आर्थिक प्रगति की नीति पूर्णतः बदल गई हैं। इसका लक्ष्य पूंजीवादी सरकार बनना हो गया है और स्वाभावतः कृषि के क्षेत्र में भी औद्योगिक और वाणिज्यिक बुर्जुआ और पेप्सी-कोला तथा अन्य कई बहु-राष्ट्रीय कम्पनियां हैं जो देश में किसानों के शोषण के लिए अपने भ्रष्ट हाथ फैला रही हैं। पूंजीवादी कुलक उधर उस ओर बैठकर कृषि क्षेत्र पर नियन्त्रण रखे हुए हैं। आप देश पर नजर डालिए। ग्रामीण निर्धन कृषकों, खेतिहर मजदूरों की क्या स्थिति है ? मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि हमारे देश में आप हरित क्रांति से भी बड़ी क्रांति लाने जा रहे हैं और आप ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में सुधार ला रहे हैं ? किन्तु उसका क्या परिणाम निकला है ? 1961 में हुई जनगणना के अनुसार खेतिहर मजदूरों की संख्या 3.6 करोड़ थी। 1871 में यह बढ़कर 4.56 करोड़ हो गई और 1981 में, आपके शासनकाल में यह संख्या 5.54 करोड़ थी। अब इसके आंकड़े ही उपलब्ध हीं नहीं है। 1991 में हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि वास्तविक आंकड़े क्या होंगे, इनकी गणना की जा सकती है तब तक खेतिहर कृषकों तथा उन लोगों की संख्या 7 करोड़ से अधिक होगी। जिन लोगों को नौकरी मिल भी रही है उन्हें एक वर्ष में मात्र 100 दिन नौकरी मिल रही है। अभी-अभी मंत्री महोदय ने श्रीमदन पांडे का उल्लेख किया। श्री मदन पांडे कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं और वह उस संसदीय समिति के नेता थे जिसने खेतिहर श्रमिकों से सम्बन्धित रिपोर्ट पेश की थी ? मैं अन्य उस रिपोर्ट में क्या है ? राज्योंकी बात नहीं करता। मध्य प्रदेश में, जहां कांग्रेस (आई) सत्ता में है, खेतिहर श्रमिकों की स्थिति खराब है। और श्री मदन पांडे की रिपोर्ट में यह कहा गया था कि वहां खेतिहर मजदूरों को वर्ष में केवल 75-80 दिन ही काम मिल रहा है। रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम भी बनाया गया है किन्तु कोई इसका पालन नहीं करता। वहां सरकार उस पर ध्यान ही नहीं देना चाहती। उस रिपोर्ट में क्या लिखा है ? खेतिहर मजदूरों को 8 घंटे से अधिक समय तक काम करने के लिए विवश किया जाता है और उन्हें दो से 4 रुपए तक मजदूरी दी जाती है। यह हम नहीं कह रहे हैं, यह आपका कहना है और हमारे देश की यही स्थिति है।

महोदय, आप ऋणग्रस्तता पर विचार कीजिए। ग्रामीण ऋणग्रस्ता क्या है ? मैं यहां भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट उद्धृत करना चाहता हूं। भारतीय रिजर्व बैंक के सर्वेक्षण के अनुसार 1951 में ग्रामीण ऋणग्रस्तता 900 करोड़ रुपए थी और 1981-82 में किए गए पूंजी-निवेश सर्वेक्षण; की नवीनतम जानकारी के अनुसार किसानों पर कुल बकाया ऋण 5737 करोड़ रुपए था और 1981 में ग्रामीण ऋण की कुल राशि 6193 करोड़ रुपए थी और यहां यह भी उल्लेख करना होगा कि 1981 में ग्रामीण ऋण की प्रति व्यक्ति औसत 3595 रुपए थी और मेरे विचार से इस समय 8 वर्षों के बाद यह ऋण बढ़कर 5000 रुपए प्रति व्यक्ति हो गया होगा। यह स्थिति है। लेकिन एक बात पूरी तरह से भूल गए हैं। भूमि सुधार का क्या हुआ ? आपने कभी भूमि सुधार की बात नहीं की, छठी योजना में आपने भूमि सुधार के बारे में बहुत कुछ कहा था। छठी योजना में आपने जो कहा, मैं छठी पंचवर्षीय योजना, खंड II, पृष्ठ 62 से उद्धृत करता हूं : –

"बटाईदारों को स्वामित्व सौंपने संबंधी विधायी उपाय सभी राज्यों में 1981-82 तक लागू कर दिए जाएंगे, निर्धारित सीमा से अधिक भूमि के अर्जन एवं वितरण का कार्यक्रम 1982-83 तक पूरा कर लिया जाएगा, भूमि रिकार्डों को अद्यतन करने का कार्य चरण-बद्ध रीति से 1985 तक पूरा कर लिया जाएगा। सिंचाई परियोजनाओं के कमांड क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हुए सभी राज्यों में जोतों को समेकित करने के कार्य को 10 वर्षों में पूरा किया जाएगा।"

ये सभी वायदे झूठे सिद्ध हुए हैं ? इसका परिणाम क्या हुआ है ? उसके बाद आपने भूमि सुधार अधिनियम के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए 18 मई, 1985 को राज्य के राजस्व मंत्रियों के साथ बैठक की। उस बैठक में आपने कई अच्छे प्रस्ताव पारित किए। मैं उनमें से एक-दो प्रस्ताव उद्धृत करूंगा। भूमि सीमा के कार्यान्वयन के बारे में आपने एक प्रस्ताव पारित किया था कि लंबित आवेदनों के निपटान के लिए समयबद्ध उपचारात्मक कार्यवाही की जाती चाहिए। किन्तु यह सच है कि आज भी बहुत सारी भूमि, भूमि हथियाने वालों, जमींदारों और सामन्तवादियों के हाथ में है। कुछ भी नहीं किया गया है। चर्चा के दौरान आपने कहा है कि जिन मामलों में मुकदमा चल रहा है। उन्हें शीघ्र निपटाया जाएगा। भूमि सीमा के मामलों के शीघ्र निपटान के लिए संविधान के अनुच्छेद 323(ख) के तहत ट्रिब्यूनल बनाने अथवा उच्च न्यायालय में विशेष न्यायालय/खंडपीठ बनाने पर विचार किया जा सकता है। अब तक आपने क्या कार्यवाही की है ? कोई कार्यवाही नहीं की गई।

आपने एक अन्य प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें 2 वर्ष के भीतर विधायी रूप से या अन्यथा ठोस उपचारात्मक उपाय करके कानून से बचने अथवा उसका उल्लंघन किए जाने के मामलों पर शीघ्र कार्यवाही की जानी थी। मेरे विचार से 1985 के बाद दो वर्ष बीत चुके हैं। आपने क्या कार्यवाही की है ? कुछ भी नहीं।

7वीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में, आपने केवल कुछ पंक्तियां लिखी है। इसमें कहा गया है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार कार्यक्रम को गरीबी दूर करने के अभियान के अंग के रूप में लिया जाएगा। यह कितना हास्यास्पद है ? इसका अर्थ है भूमि सुधार पर एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम जैसे अन्य कार्यक्रमों/उपायों के समान विचार किया जाता है। महोदय, स्वतन्त्रता से पहले भी भूमि सुधार को प्राथमिकता दी गई थी और कांग्रेस-आई के सदस्यों का ही नारा था—'किसानों को भूमि, क्या आपने 1446 के अपने चुनाव घोषणा-पत्र पर ध्यान दिया है। उसमें भी भूमि सुधार का जिक्र है। किन्तु आप वे सब भूल गए हैं। इसका कारण यह है कि ये पूंजीवादी वर्ग, भूमि हथियाने वाले तथा जमींदार अब आपके दल में है। अतः आप इस सबका जिक्र करना नहीं चाहते और आप निर्धन कृषकों का शोषण कर रहे हैं। आप गरीब किसानों, बटाईदारों, भूमिहीन खेतिहर मजदूरों का शोषण कर रहे हैं और इस तरह आप पूंजीपतियों की सहायता कर रहे हैं। इसके क्या कारण हैं ? इसका कारण यह है कि पूंजीवादी वर्ग अब कृषि क्षेत्र में है। आपने तथा आपकी नीतियों ने उन्हें कृषि के क्षेत्र में आने के लिए प्रोत्साहित किया है।

लाभकारी मूल्यों के बारे में बहुत-सी बातें कहीं गई हैं। आपने आयोग का नाम बदल दिया है। कल एक कांग्रेसी सदस्य बता रहे थे इसका नाम शायद ए० पी० सी० अथवा ए० सी० पी० सी० है। आप इसका नाम बदलकर कुछ भी रख दें, यह नई बोतल में पुरानी शराब रखने के समान ही है। यह इसके अलावा और कुछ नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको कम-से-कम नई बोतलें तो मिल रही है। नई बोतल में पुरानी शराब अच्छी होती है।

श्री अमर रायप्रधान : महोदय, यह ए० पी० सी० हो या ए० सी० पी० सी० यह सफेद हाथी ही है।

यह मेरी व्यक्तिगत राय नहीं है बल्कि अर्थशास्त्रियों की यह आम राय है कि लाभकारी मूल्य निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित तीन बातों का होना बहुत आवश्यक है :—

(एक) किसानों के परिश्रम का उचित मेहनताना तथा उनके लाभ का उचित हिस्सा और जोखिम भत्ता तथा विपणन के लिये परिवहन खर्च सहित उत्पादन भाग लागत की पूरी कीमत।

(दो) कृषि उत्पाद और औद्योगिक उत्पादनों के मूल्यों के बीच पूरी समानता।

(तीन) कृषक वर्ग द्वारा चुकाया गया और प्राप्त की गयी कीमत में पूरी समानता।

इसका कुल परिणाम क्या है ? माननीय मंत्री जी, मैं आपका ध्यान इन आंकड़ों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। कृपया आप ध्यान दें कि आप किस प्रकार किसानों को लाभकारी मूल्य दे रहे हैं।

आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, जब 1985-86 के लिये गेहूं का समर्थन मूल्य 137 था, मूल्य वृद्धि 3.3 थोक मूल्य सूचकांक 3.8 और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 5.3 था। यह हमेशा कम रहा है। इस प्रकार से आपको कृषकों को कुछ संरक्षण प्रदान करना होगा। लेकिन आपने संरक्षण नहीं दिया। ऐसा नहीं हो सकता है। अन्य वर्षों के आंकड़े इस प्रकार हैं :—

वर्ष	गेहूं का समर्थन मूल्य रु०/क्विंटल	मूल्य वृद्धि	चावल का समर्थन मूल्य रु०/क्विंटल	मूल्य वृद्धि	थोक मूल्य सूचकांक	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
1986-87	162	3.1	146	2.8	7.2	8.1
1987-88	167	3	150	2.7	8.8	10.2
1988-89	172	4	160	6.1	9.8	आंकड़े उपलब्ध नहीं।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से सम्बन्धित कोई भी आंकड़े आर्थिक सर्वेक्षण में नहीं हैं। बहर-हाल यह हमेशा कम रहा है। इस प्रकार असमानता है और कृषक नुकसान उठा रहे हैं। कृषक वर्ग द्वारा चुकाये गये मूल्यों और प्राप्त किये गये मूल्यों के बीच क्या समानता है ?

वर्ष	प्राप्त किए गए मूल्य रु० पै०	चुकाए गए मूल्य रु० पै०
1980-81	213.6	244.8
1981-82	224.2	270.5
1982-83	237.2	279.9
1983-84	260.4	302.6

(इकोनोमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली) मार्च, 1987)

यह स्थिति है ! आपकी मूल्य निर्धारण नीति बिल्कुल गलत है। कृषि लागत और मूल्य आयोग देश के उद्योगपतियों, पूंजीपतियों और बुर्जुआ वर्ग की इच्छाओं के अनुसार कृषि उत्पादों के मूल्य निर्धारित करता है। सभी किसान नुकसान उठा रहे हैं।

ख्याति प्राप्त अर्थशास्त्रियों, श्री दलीप स्वामी और अशोक गुलाटी के अनुसार, गरीब कृषक वर्ग का कुल नुकसान इस प्रकार है—

वर्ष		रु० (करोड़ में)
1970-71	—	12.480
1980-81	—	45.000 लगभग

प्रचलित दर पर यह लगभग 80,000 करोड़ रु० होगा। कृषकों को नुकसान हो रहा है। यह स्थिति है। उसे आप कहते हैं कि आप हरित क्रान्ति लाने जा रहे हैं। किस प्रयोजन के लिए आप इसे करेंगे ? किसके हित में करेंगे ? यह सब उद्योगपतियों के लिए है। यह सब पूंजीपतियों के लिए है। यह बुर्जुआ वर्ग के लिये है। लेकिन देश के उन गरीब लोगों, बटाईदारों, कृषक वर्ग और कृषक श्रमिकों तथा अन्य लोगों के लिये नहीं है जो खेती का काम करते हैं।

मैं कृषि से सम्बन्धित इस बजट का समर्थन नहीं कर सकता हूं।

[हिन्दी]

श्री डी० पी० यादव (मुंगेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ आंकड़ों की उलझन में न पड़कर अपने निजी अनुभव आपके सामने रखना चाहूंगा और खासकर पूर्वांचल इलाके की कृषि के बारे में अपनी राय देने की कोशिश करूंगा।

हमारे सामने सबसे बड़ी बात है कि जिस मंत्रालय की मांगों पर आज चर्चा हो रही है, उस मंत्रालय का संबंध कृषि उत्पादन से डायरेक्टली कितना है और इन्डायरेक्टली कितना है, मैं समझता हूं कि कृषि स्टेट सब्जेक्ट होने के कारण केन्द्रीय मंत्रालय का संबंध लगभग इन्डायरेक्टली-सा हो जाता है। इनडायरेक्ट भार रहते हुए भी हमारी आकांक्षाओं की पूर्ति कैसे हो, इसमें एक लीडरशिप की आवश्यकता पड़ेगी। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के बारे में मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था।

[अनुवाद]

'भारत के पूर्वी क्षेत्र के कृषि सम्बन्धित नीतियों के अध्ययन समूह की रिपोर्ट—1985, :

[हिन्दी]

प्लानिंग कमीशन ने 1985 में यह रिपोर्ट करवाई है और आपके सामने है। इस्टर्न रीजन के बारे में कहते हैं :

[अनुवाद]

"आगे, इसके द्वारा यह भी देखा गया है कि सम्पूर्ण पूर्वी क्षेत्र की क्षमता वास्तविक उत्पादन के 400 प्रतिशत से कुछ ज्यादा है।"

[हिन्दी]

इस्टर्न रीजन में जैसे आसाम, बिहार, इस्टर्न मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इस्टर्न यू० पी० और वैस्ट बंगाल, इन सारे क्षेत्रों में इनका अनुमान है कि चार सौ परसेंट से ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं। इतने उत्पादन के लिए हमको कौन सी स्ट्रेटेजी फारमुलेट करनी पड़ेगी। मैंने वैज्ञानिकों के साथ अनुभव किया है, मुझको ऐसा लगता है कि "ज्यादा जोगी मठ उजाड़"। कृषि विभाग में राज्य सरकार के अंदर एक जिले में कितने कृषि पदाधिकारियों को रखा गया है, इसका अन्दाजा आपको नहीं होगा। मेरे जिले में बीस सी० डी० ब्लाक्स हैं। इसको देखने के लिए दो क्लास-वन गजेटेड आफिसर, 140 क्लास-II गजेटेड आफिसर्स, 379 क्लास थ्री जिसमें वी० एल० डब्लयू० और इन्सपैक्टर्स आदि तथा 299 क्लास फोर के लोग हैं। इतने सारे लोग केवल बीस सी० डी० ब्लाक्स को ही देख रहे हैं। आठ लाख हैक्टेयर जमीन में अच्छी पैदावार हो सकती है और चार लाख टन गल्ला पैदा कर सकते हैं। अन्य राज्यों में भी यही स्थिति है। इतनी बड़ी फौज को रखने के बाद भी मैंने ऐसा अनुभव किया है कि एक हैक्टेयर जमीन भी ऐसी नहीं है जो सब डिसीज फ्री, आप्टीमम इल्ड और टाप क्लास सीड पैदा करती हो। इतने लोग जो आप रखते हैं ये क्या कर रहे हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सारे भेदभाव छोड़कर हमें मैन-पावर प्लानिंग डिस्ट्रीक्ट और ब्लाक लेवल पर करनी चाहिए। जब तक मैन-पावर प्लानिंग नहीं करेंगे तब तक आपका काम नहीं चलेगा। जितने आपके वैज्ञानिक संस्थान हैं उनका जो एक्सटेन्शन प्रोग्राम है, उनका कोआर्डिनेशन कैसे हो, यह देखना है। एग्रीकल्चर का फारेस्टरी और एनीमल हस्बेन्डरी के साथ क्या संबंध है। इसी तरह शिक्षा, इंजीनियरिंग विभाग और उद्योग के साथ क्या संबंध है। रूरल डवलपमेंट भी इसी तरह आपके यहां है। आपके यहां पांच मंत्री हैं। पांचों मंत्रियों का एक साथ जाना संभव नहीं है।

लेकिन पाँचों विभागों के पाँच वरिष्ठ अधिकारियों को पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार या पश्चिमी बंगाल के किसी एक प्रखण्ड में तीन दिन के लिए भेज दीजिए। किसी गाँव में रहकर वे किसानों से चर्चा करें और सारा इतिहास सुने। भूगोल क्या है, मरीज क्या है, रोग क्या है, दवा क्या है, ये ही पांचों डाक्टर मिलकर उसका इलाज कर देंगे। अपने काउन्टर पार्ट्स को भी वहीं बैठाएं। रूरल डवलपमेंट का कोआर्डिनेशन एग्रीकल्चर के साथ नहीं है। कपाट का पैसा आइ० सी० ए० आर० का नहीं जा रहा है। आइ० सी० ए० आर० स्टार्व कर रहा है। पहले एग्रीकल्चर के पांचों विभागों में फूल कोआर्डिनेशन कराइए और टारगेट ओरियन्टेड स्कीम बनवाइए।

आपको अधिकतम प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना होगा आई० सी० ए० आर० के माध्यम से। मुझे फख्र है कि हमारे देश ने महान कृषि वैज्ञानिक पैदा किये हैं और मैं आपके मंत्रालय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक पदम भूषण का अवार्ड मिला है डॉ० रंधावा को। हमारा एक्सटेंशन प्रोग्राम साइंस और टेक्नोलोजी ओरिएंटेड होना चाहिए और फील्ड ऑफ को-आर्डिनेम का होना चाहिए सीड्स के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। आपने कहा है कि हम बीज का बहुत बड़ा भण्डार बना कर सप्लाई करेंगे, यह सम्भव नहीं है। आपको किसानों को बीज पैदा करने की कला सीखानी होगी। जी० वी० के० राव ने जो रिपोर्ट दी है उसको सामने रखकर प्रोलिफरेशन आफ दी साइंटीफिक एण्ड टेक्नोलोजिकल मैन पावर के माध्यम से एक इंटीग्रेटेड एप्रोच फार रूरल डवलपमेंट पार्टिकुलर्ली एग्रीकल्चर आप चलायें। टी०एन०वी० चलती है, लेकिन उसमें खामी है। आप अपने पांच अधिकारियों को दिखायें कि टी० एन० वी० कितनी पावरफुल है। मेरे क्षेत्र मुंगेर में एक हैक्टेयर जमीन ऐसी नहीं है जिसको हम माडल कह सकें। आपके 140 अधिकारी किस काम आयेंगे, जिनको आपने बिठा रखा है। आर्गेनाइज्ड को-आर्डिनेशन एण्ड थ्रस्ट विद फुल कांफीडेंस के साथ आप काम करें।

श्री मोहम्मद अयूब खां (ऊधमपुर) : मेरे पास समय कम है, इसलिए मैं कुछ पांइट्स आपके सामने रखना चाहता हूं। यह बात अण्डर एस्टीमेट नहीं हो सकती कि कृषि में एक इंकलाब आया है और रिकार्ड पैदावार हुई है। इसमें कांशिएस एफर्ट हुआ है राज्य सरकार की तरफ से, केन्द्र सरकार की तरफ से और हमारे किसानों की तरफ से। इसलिए हमारी सरकार मुबारकबाद की हकदार है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं इस सिलसिले में कि अभी सब कुछ नहीं हुआ जो कुछ होना चाहिए था, अभी गुंजाइश बहुत है। यह पैदावार और बढ़ सकती है, क्योंकि हमारे सामने चीन की मिसाल है। चीन ने इतनी ही काबिल काश्त जमीन पर, साढ़े चार मिलियन टन गल्ला पैदा किया है। इसलिए गुंजाइश है, बहुत कुछ हो सकता है। इस लिए हमारी जो कमियां हैं उनको ठण्डे दिल से देखकर हमें दूर करना चाहिए। क्योंकि कांग्रेस ही वह जमात है जिसने आज तक आजादी हासिल की है और कृषि में भी सबज आजादी हासिल करनी है, अपने देश के लोगों के लिए लोकतांत्रिक ढंग से। इसलिए हमें ऐसे साधन मुहैया करने चाहिएं जिससे हम पैदावार और बढ़ा सकें। इसके साथ सोशल जस्टिस भी आना चाहिए। क्योंकि इसके बिना सब्ज इन्कलाब नहीं आ सकता। हमें यह मानना चाहिए कि भूमि सुधार में कुछ गलतियां हुई हैं, डिस्क्रेंसी रह गयी हैं। जहां-जहां यह गलतियां हैं उनको दुरुस्त करना चाहिए। हमने काम किया उसके लिए क्रेडिट

हासिल कर सकते हैं। जो काम सरकार करे, हो सकता है कि उसके लिए नुक्ताचीनी भी हो। हमने लाखों किसानों को मालिक बनाया, लेकिन जहां-जहां जमींदार किसी और शक्ल में, नए जमींदारों की शक्ल में हैं सैल्फ कल्टीवेशन की पद्धति को बदलना है और उसको यथार्थवादी बनाना है ताकि जो हजारों-लाखों कैनाल जमीन निकलेगी वह बे जमीन किसानों को जायेगी। मेरे पास वक्त नहीं है, हमारे यहां मार्जिनल फारमर्स की तादाद बढ़ रही है···जो मजदूर हैं, खेती-बाड़ी में काम करते हैं उनकी तादाद बढ़ रही है। हमारे यहां बिलो दि पावर्टी लाइन लोगों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। हमें देखना चाहिए कि हमारी योजनाओं का असर क्यों नहीं हो रहा है। हमारे सिस्टम में कहां खराबी है। हम यहां से खाद या कर्जे की सूरत में किसानों को जो कुछ देना चाहते हैं, उसका फायदा इन्फलेंशयल तबके के लोग ले जाते हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम निशानदेही करें, लोगों की आइडैन्टिफिकेशन करें। हमारे पास आज कौन-सी टैकनिक है, जिसके जरिये हम बिलो दि पावर्टी लाइन लोगों की आइडैन्टिफिकेशन करते हैं। हमारे पास जो फीगर्स आ जाती हैं, उन के आधार पर हम मान लेते हैं कि देश में इतने लोग बिलो दि पावर्टी लाइन हैं। मेरा तजुर्बा तो यह है कि, इन दि अल्टीमेट एनैलैसिस, यह काम विलेज लेवल वर्कर्स पर ही पड़ जाता है कि कौन बिलो दि पावर्टी लाइन है, कौन नहीं। यही वजह है कि यहां से आई० आर० डी० पी० आदि स्कीमों के तहत जो पैसा जाता है, सबसिडी जाती है, कर्जे दिए जाते हैं वे गलत हाथों में पहुंच जाते हैं। हमारी इवैल्यूएशन टीम ने भी इस बात की तसदीक की है, इसलिए इस कमी को दुरुस्त किया जाना चाहिये।

चूंकि वक्त नहीं है, इसलिए मैं शार्ट में अपने स्टेट के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे यहां बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म का क्रौपिंग पैटर्न है क्योंकि हमारी इकोलौजिकल, एन्वायरन्मेंटल आबोहवा या टोपोग्राफी देश के दूसरे हिस्सों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसलिये जरूरत इस बात की है कि जम्मू-कश्मीर के मुताल्लिक एक सोश्यो-इकौनामिक सर्वे होना चाहिये। जम्मू में दिलचस्प कुछ एरियाज हैं, जैसे कण्डी एरिया है, मैदानी एरिया है और पहाड़ी एरिया है परन्तु किसी ने आज तक यह नहीं सोचा कि उनमें क्रापिंग पैटर्न क्या होना चाहिये। यहां से जो प्लान बनकर जाते हैं, उन पर ही काम होता है। यही कारण है कि वहां जो प्लान जाते हैं, उनमें हमें उतना फायदा नहीं मिल पाता, जितना कि मिलना चाहिये। मैं चाहता हूं कि आप वहां ग्रासरूट लेवल से उभरें। आप देखें कि वहां क्रौपिंग पैटर्न में किस तरह प्लानिंग करनी चाहिये क्रौपिंग के बारे में कैसी मल्टी-प्लानिंग करनी चाहिये, ड्राइ फारमिंग की कहां जरूरत है, कहां क्या कटाव हो रहा है। हमारे यहां जंगलात के कटान से चारों ओर तबाही हो रही है। जब तक वहां का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का पैटर्न नहीं बदला जाता उस वक्त तक वहां के लाखों लोगों का फ्यूचर नहीं हो सकता। जम्मू में बिल्कुल अलग किस्म की टापोग्राफी है इसलिये वहां सोश्यो-इकौनौमिक सर्वे की खास जरूरत है। हमारे जम्मू-कश्मीर का सेव सारी दुनिया में मशहूर है लेकिन आज वहां का ग्रोअर ग्रैज्यूअली ऐसा महसूस करने लगा है कि वह जो सेव पैदा करता है, उसका उसे कुछ फायदा नहीं मिलता क्योंकि सेव की पेटियों की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गयी है, बौक्सेस के लिए टिम्बर नहीं मिलता और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज दिन-ब-दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। अल्टीमेटली उसे बचता कुछ

नहीं है। इसलिये मेरी गुजारिश है कि आप जम्मू-कश्मीर में फूट प्रोटेक्टिंग प्लांटस बनाइये ताकि वहां के प्रोजक्ट को कुछ फायदा मिल सके। हमारी जितनी सैन्ट्रल स्कीम है, मेरा अनुभव है कि आम तौर पर उन पर बहसा-बहसी में बहुत वक्त जाया होता है। आपको सिस्टम में कुछ तबदीली लानी पड़ेगी, जैसे ही यहां से पैसा जाये, उसके साथ-साथ स्कीम भी जल्दी से जल्दी पास होकर चली आये ताकि वह पैसा वक्ति रहते खर्च किया जा सके। आजकल यह होता है कि साल के आखिरी हिस्से में स्कीमें मंजूर होकर आती हैं, जिससे वह पैसा जाया होता है, या वक्त तकसीम होता है।

इसके अलावा मैं गुजारिश करूंगा कि आपके जितने पंचायत इलाके हैं, हम चूंकि देश की समग्र तरक्की चाहते हैं, हम महसूस करते हैं कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा इम्पावर करें, इसके लिये आपको पंचायती सिस्टम को दोबारा आर्गेनाइज करना पड़ेगा।

पंचायत सिस्टम को दोबारा आर्गेनाइज करना बहुत जरूरी है। यह भी जरूरी है कि जो पंचायतें बहुत लम्बी-चौड़ी हैं, अब-सिरे-नौ उनको तकसीम किया जाए और उनको कायेदत्त बनाया जाए।

क्योंकि वक्त नहीं है, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने समय दिया।

जناب محمد ایوب خاں (اُودھم پور) میرے پاس وقت کم ہے اس لئے میں کچھ نکات ہی آپکے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ بات انڈر اسٹیٹومیٹ نہیں ہوسکتی کہ کرشی میں ایک انقلاب آیا ہے۔ اور ریکارڈ پیداوار ہوئی ہے۔ اس میں کانشیس افرٹ ہوا ہے۔ مرکزی سرکار کی طرف سے۔ اور ہمارے کسانوں کی طرف سے۔ اس لئے ہماری سرکار مبارکباد کی حقدار ہے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس سلسلے میں کہ ابھی سب کچھ نہیں ہوا ہے۔ جو کچھ ہونا چاہیئے۔ تھا۔ ابھی گنجائش بہت ہے۔ چین نے اتنی ہی قابل کاشت زمین پر ساڑھے چار ملین ٹن غلّہ پیدا کیا ہے۔

اس لئے گنجائش ہے کہ ابھی بہت کچھ ہوسکتا ہے اس لئے ہماری جو کمیاں ہیں ان کو ٹھنڈے دل سے دیکھ کر ہمیں دور کرنا چاہئے۔ کیونکہ کانگریس ہی وہ جماعت ہے۔ جس نے آج تک آزادی حاصل کی ہے اور کرشی مین بھی سبز انقلاب لایا ہے۔ اپنے دیش کے لوگوں کے لئے لوک تنتر کے ڈھنگ سے۔ اس لئے ہمیں ایسے ذرائع مہیا کرنے

چاہیئے جس سے ہم پیداوار اور بڑھا سکیں۔ اس کے ساتھ سوشل جسٹس بھی آنا چاہیئے۔ کیونکہ اس کے بنا سبز انقلاب نہیں آسکتا۔ ہمیں یہ ماننا چاہیئے کہ بھومی سدھار کچھ غلطیاں ہوئی ہیں۔ ڈسکرمینیشن ہوئی ہیں۔ جہاں جہاں یہ غلطیاں ہیں ان کو درست کرنا چاہیئے۔ ہم نے کام کیا اس کے لئے کریڈٹ حاصل کرسکتے ہیں۔ جو سرکار کام کرے ہوسکتا ہے کہ اس کے لئے نکتہ چینی بھی ہو۔ ہم نے لاکھوں کسانوں کو مالک بنایا۔ لیکن جہاں جہاں زمیندار کسی اور شکل نئے زمینداروں کو شکل میں ہیں ہمیں سیلف کلٹیویشن کی پدھتی کو بدلنا ہے، اور اس کا پتھارتھوادی بنانا ہے تاکہ جو ہزاروں لاکھوں کنبال زمین اس طرح نکلے گی وہ بے زمین کسانوں کو جائے گی۔

میرے پاس نہیں ہے۔ ہمارے یہاں مارجنل نارمری کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ کھیتی باڑی میں کام کرنے والے مزدوروں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ ہمارے یہاں بلوری پاورٹی لائن لوگوں کی تعداد لگاتار بڑھتی جارہی ہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیئے کہ ہمارے یوجناؤں کا اثر کیوں نہیں ہورہا ہے۔ ہمارے سسٹم میں کہاں خرابی ہے۔ ہم یہاں سے کھاد یا قرضے کی صورت میں کسانوں کو جو کچھ دینا چاہتے ہیں اس کا فائدہ یا اثر طبقے کے لوگ لے جاتے ہیں۔ اس لئے ضرورت اس بات کی ہے ہم نشاندہی کریں اُن لوگوں کی آئڈنیٹی فیکیشن کریں کہ کون سا طبقہ مستحق ہے ہمارے پاس کون سی ٹیکنیک ہے جس کے ذریعے ہم بلودی پاورٹی لائین لوگوں کی آئڈنٹیفیکیشن کرتے ہیں۔ ہمارے پاس جو اعداد وشمار آجاتے ہیں ان کی بنیاد پر ہم مان لیتے ہیں کہ دیش میں اتنے لوگ بلودی پاورٹی لائن ہیں۔ میرا تجربہ تو یہ ہے کہ اِن دی الٹیمیٹ انیلسز۔ یہ کام ویلج لیول ورکرس پر ہی پڑجاتا ہے کہ کون بلودی پاورٹی لائن ہے کون نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں

کے آئی آر ڈی پی وغیرہ اسکیموں کے تحت جو پیسہ جاتا ہے سبسڈی جاتی ہے قرضے دیئے جاتے ہیں وہ غلط ہاتھوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ ہماری ایولیوشن ٹیم نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے۔ اس لئے اس کمی کو دور کیا جانا چاہیئے۔

چونکہ وقت نہیں ہے اس لئے میں مختصر طور پر اسٹیٹ کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں۔ ہمارے یہاں بالکل مختلف قسم کا کراپنگ پیٹرن ہے۔ کیوں۔ کہ ہماری ایکولوجیکل اینوائرمنٹل آب وہوا یا ٹوپوگرافک ڈیش کے دوسرے حصوں سے بالکل مختلف ہے۔ اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ جموں کو کشمیر کے متعلق ایک سوشیو اکانومک سروے ہونا چاہیئے۔ جموں میں بالخصوص کچھ ایریاز ہیں۔ جیسے کنڈی ایریا ہے میدانی ایریا ہے اور پہاڑی ایریا ہے۔ لیکن کسی نے آج تک یہ نہیں سوچا کہ ان میں کراپنگ پیٹرن کیا۔ ہونا چاہیئے۔ یہاں سے جو پلان بن کر جاتے ہیں ان پر ہی کام ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں جو پلان جاتے ہیں ان سے ہمیں اتنا فائدہ نہیں مل پاتا۔ لہٰذا کہ ملنا چاہیئے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ وہاں گراس روٹ لیول سے ابھریں۔ آپ دیکھیں کہ وہاں کراپنگ پیٹرن میں کس طرح پلاننگ کرنی چاہیئے۔ کراپنگ کے بارے میں کیسی ملٹی پلاننگ کرنی چاہیئے۔ ڈرائی فارمنگ کی دھکھان ضرورت ہے کہاں کیا پراہلم ہے۔ کہاں کٹاؤ ہو رہا ہے ہمارے یہاں جنگلات کے کٹان سے چاروں اور تباہی ہو رہی ہے۔ جب تک وہاں کا ایگریکلچر پروڈکشن کا پیٹرن نہیں بدلا جاتا۔ اس وقت تک وہاں کے لاکھوں لوگوں کا فیوچر نہیں ہو سکتا۔

جموں میں بالکل الگ قسم کی ٹوپوگرافی ہے۔ اس لئے وہاں سوشیو ایکانومک سروے کی خاص ضرورت ہے۔ ہمارے جموں وکشمیر کا سیب دنیا بھر میں مشہور ہے لیکن آج وہاں کا گوورنر گریجویلی ایسا محسوس کرنے لگا ہے۔ کہ وہ جو سیب پیدا کرتا ہے۔ اس کا اسے کچھ فائدہ نہیں ملتا کیونکہ سیب کی پیٹیوں کی قیمت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ سیب کی پیٹیوں کے لئے ٹمبر نہیں ملتا اور ٹرانسپورٹ کی اُجرت بڑھتی ہی جارہی ہے۔ الٹی میٹلی اسے بچتا کچھ نہیں ہے۔ اس لئے میری گزارش ہے کہ آپ جموں وکشمیر میں فروٹ پروسیسنگ پلانٹس بنائیے تاکہ وہاں کے فروٹ گوورس کو کچھ فائدہ مل سکے۔ ہماری جتنی سینٹرل اسکیم ہیں میرا تجربہ ہے کہ عام طور پر اس ان پر بحث ومباحثہ میں بہت وقت ضائع ہوتا ہے۔ آپ کو سسٹم میں کچھ تبدیلی لانا پڑے گی۔ تاکہ جیسے ہی یہاں سے پیسہ جائے اس کے ساتھ ساتھ اسکیم بھی جلدی سے جلدی پاس ہوکر چلی جائے تاکہ وہ پیسہ وقت پر خرچ کیا جاسکے۔ آجکل یہ ہوتا ہے۔ کہ سال کے آخری حصہ میں اسکیمیں منظور ہوکر آتی ہیں جس سے وہ پیسہ ضائع ہوتا ہے یا غلط تقسیم ہوتا ہے۔

اس کے علاوہ میں گذارش کروں گا کہ آپ کے جتنے پنچایت حلقے ہیں ہم چونکہ دیش کی ہر طرح سے ترقی چاہتے ہیں: ہم محسوس کرتے ہیں کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اختیار کریں اس کے لئے آپ کو پنچائتی حلقوں کو دوبارہ آرگنائز کرنا پڑے گا۔ جو پنچائتیں بہت لمبی چوڑی ہیں ازسرنو ان کو تقسیم کیا جائے۔ اور ان کو وائیل بنایا جائے۔

کیونکہ وقت نہیں ہے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت دیا۔

[अनुवाद]

*श्री आर० जीवरत्नम (आर्कोनम) : उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 1989-90 के लिये कृषि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के समर्थन में मैं कुछ शब्द कहना चाहूंगा।

एक मिलियन लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। हमारे किसान बहुत गरीब हैं। वे इस व्यवसाय पर ही निर्भर हैं। वे औद्योगिक श्रमिकों की तरह नहीं हैं। औद्योगिक श्रमिकों को अनेक ऐसी सुविधायें प्राप्त हैं जो कृषकों को प्राप्त नहीं है। हमारे देश में अनेक छोटे किसान हैं। छोटे और सीमान्त किसानों की पहचान के लिये एक सर्वेक्षण अवश्य किया जाना चाहिए। 5 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को सभी प्रकार की सुविधायें दी जानी चाहिएं। उन छोटे किसानों को जिनके पास 5 अश्वशक्ति के पम्पसेट हैं, नि:शुल्क विद्युत दी जानी चाहिए।

कम वर्षा के कारण कृषि व्यवस्था प्रभावित हुई है। जमीन पर जल की उपलब्धता का पता लगाने के लिये एक सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। उन सभी के लिये, जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है, सरकारी खर्चे पर कुए खुदवाए जाने चाहिएं। किसानों को स्थायी रूप से वार्षिक आर्थिक राहत दी जानी चाहिए। किसान की मृत्यु हो जाने पर सरकार द्वारा उसके परिवार को 10,000 रु० दिये जाने चाहिए। राज्य सरकारों से परामर्श कर इस उद्देश्य के लिये एक कानून बनाया जाना चाहिए।

किसानों को कम ब्याज पर कृषि-ऋण दिये जाने चाहिएं। शादी-ब्याह आदि परिवारिक कार्यक्रमों के लिये किसानों को सहकारी ऋण समीतियों द्वारा ऋण दिये जाने चाहिएं। किसानों को रियायती मूल्यों पर 5 अश्वशक्ति के पम्पसेट बेचे जाने चाहिए। हमारा देश एक बड़ा देश है इस देश में 75 करोड़ लोग रहते हैं। अधिकांश आबादी किसानों की है। अधिकांश किसान गरीब हैं। वे कठिन परिश्रम करते हैं। मानसून की विफलता के कारण वे कष्ट उठाते हैं। अत: मैं सरकार से सभी नदियों को आपस में जोड़ने और सभी क्षेत्रों में संतुलित रूप से जल की आपूर्ति करने का अनुरोध करता हूं।

तमिलनाडु में अक्सर सूखा पड़ता है। इस वर्ष भी वहां मानसून की वर्षा नहीं हुई है। गंगा और कावेरी को एक वृहत्त योजना के अन्तर्गत अवश्य जोड़ दिया जाना चाहिए। समुद्र के जल को पेयजल में परिणत करने के वैज्ञानिक अनुसंधान का प्रयास अवश्य किया जाना चाहिए। इस प्रकार शुद्ध किया गया जल पीने के साथ-साथ सिंचाई के काम में भी आ सकता है।

तमिलनाडु में कोई भी भारी उद्योग नहीं है। राज्य का मुख्य व्यवसाय कृषि है। राज्य में कृषि के आधुनिकीकरण के लिये प्रयास किये जाने चाहिए। भारी मात्रा में उर्वरक का वितरण कराया जाना चाहिए। मैं उर्वरक विभाग के माननीय मंत्री से राज्य में उर्वरक उद्योग की स्थापना के लिये अनुरोध करता हूं। 5 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को उत्तम किस्म की बीज और उर्वरक नि:शुल्क उपलब्ध कराये जाने चाहिएं और उन किसानों को, जिनके पास 5 एकड़ से अधिक जमीन है, 50% रियायत पर ये उपलब्ध कराये जाने चाहिए। खाद्यानों के उत्पादन में सुधार लाने

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

की दृष्टि से कृषि संबंधी शिक्षा सभी किसानों को दी जानी चाहिए। इसको सिखाने के उद्देश्य से विशेष कर्मचारियों को नियुक्त करना चाहिए। आजकल सभी खाद्यान्नों के उत्पादन का मूल्य बहुत बढ़ गया है। मैं सरकार से चावल और गन्ने के खरीद मूल्यों में वृद्धि करने का अनुरोध करता हूं। उच्च किस्म के गन्ने की फसल के उत्पादन में विकास हेतु मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र बार्कोनम के पालिपत्तु में एक गन्ना अनुसन्धान संस्थान स्थापित किया जा सकता है। वर्तमान समय में सहकारी चीनी उत्पादकों को 50% मूल्य पर उच्च किस्म के गन्ने के पौधे दिये जाते हैं। मैं अनुरोध करता हूं कि उच्च किस्म के गन्ने के पौधे गुड़ बनाने वालों को भी उपलब्ध कराये जायें।

प्लांनटेन वृक्षों की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। अधिक फैलाव वाले पत्तों के उच्च किस्म की प्लांटेन वृक्षों के विकास हेतु एक प्लांटेन अनुसन्धान संस्थान की स्थापना की जानी चाहिए। दक्षिण में रात का खाना प्लांनटेन के पत्तों पर खाया जाता है। इसलिए अधिक पैदावार के प्लांनटेन वृक्षों का विकास किया जाना चाहिए।

प्रत्येक ब्लाक में मुर्गीखाना खोला जाना चाहिए। एन० आर० ई० पी० कार्यक्रम के अन्तर्गत गांवों में तालाबों और पोखरों का विकास किया जा रहा है, इनका उपयोग बत्तख पालन के लिये किया जाना चाहिए। बत्तख के अंडे अच्छा भोजन है। तालाब और पोखरों का उपयोग मत्स्यपालन के लिये भी किया जाना चाहिए। गाँव के बच्चों में प्रोटीन की कमी होती है इसलिये गांवों में बच्चों की मृत्यु दर बहुत अधिक है। इसे रोकने के लिये मत्स्यपालन को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

[हिन्दी]

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया (संगरूर) : डिप्टी स्पीकर सर, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की डिमांड्स में मैं 2-3 बातों पर जोर देना चाहता हूं। मेरा यह पक्का मन है कि यादव जी प्रोक्योरमेंट में अपने टारगेट को इस दफा पा नहीं सके हैं।

श्री श्याम लाल यादव : आप मदद करिए।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : हम मदद कर रहे हैं और आपसे भी मदद करने के लिए कह रहे हैं। आपका 183 रुपये क्विंटल प्रोक्योरमेंट रेट है और 280 रुपए क्विंटल ओपन मार्किट प्राइस है। आप उत्तर प्रदेश को कह रहे हैं कि हम 20 लाख टन दे सकते हैं, पंजाब को कह रहे हैं कि हम 65 लाख टन दे सकते हैं और हरियाणा को कह रहे हैं कि हम 20 लाख टन दे सकते हैं। पंजाब में तो गवर्नर राज है। इस कारण उन्होंने कह दिया कि हम 47 लाख टन दे सकते हैं क्योंकि बाजार में कीमत ज्यादा है। प्रोक्योरमेंट रेट 183 रुपये क्विंटल है तो होर्डिंग तो होगा ही। अब होर्डिंग कैसे रुके। आप मेहरबानी नहीं करते, पंजाब में नैचुरल कैलेमिटीज आई, सरदार गुरदयालसिंह जी और भजन लाल जी वहां गये और वहां की हालत देखकर आये लेकिन नैचुरल कैलेमिटीज के बावजूद कितना अनाज पैदा हो रहा है, यह देखिये। हरियाणा, पंजाब और यू०

पी० तीनों स्टेट्स आपको बहुत अनाज देंगे । पंजाब का डेढ़ परसेन्ट ज्योग्राफिकल एरिया है, 98.5 परसेण्ट बाहर का एरिया है और डेढ़ परसेण्ट एरिया आपको 72.7 परसेण्ट व्हीट सेण्ट्रल पूल में हिस्सा देता है । राइस में पिछली दफा वर्षा के बावजूद 49.1 परसेण्ट और काटन में 21 लाख बेल्स हिस्सा दिया है । जब वर्षा हुई, ट्यूबवैल्स बर्बाद हो गये, फसल बर्बाद हो गई, इसके बावजूद भी इतना दिया जा रहा है तो आपने कोई हैण्डसम बोनस का विचार क्यों छोड़ दिया । 183 और 280 का फर्क बोनस से पूरा होगा वरना गलत होर्डिंग हो जाएगी ।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप बोनस का पैसा नहीं देते मगर 20 लाख टन व्हीट इम्पोर्ट करके फारेन एक्सचेंज दे रहे हैं, देख लीजिए कितना नुकसान हो रहा है । आप अपने ही किसानों को पैसा नहीं दे रहे हैं और 20 लाख टन इम्पोर्ट करके फारेन एक्सचेंज दे रहे हैं । यादव जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस पर गम्भीरता से सोचें और कैबिनेट को मनाकर कुछ करें ।

दूसरी बात, देश की हम सभी को फिक्र है क्योंकि पानी कम होता जा रहा है । सोइल वाटर बहुत कम हो गया है । अभी डा० रणधावा को आपने सम्मान दिया, मेरे मित्र ने जिक्र किया, हमारे देश में साइंसदानों की कमी नहीं है, हमारे देश की पन्तनगर यूनिवर्सिटी, लुधियाना यूनिवर्सिटी में बड़े-बड़े विद्वान हैं । आप दो चीजों पर ध्यान दीजिए, पंजाब, हरियाणा और मेरठ डिवीजन में पानी नीचे जा रहा है क्योंकि हम पानी बहुत निकाल रहे हैं, एक तो साइंसदानों को इन्सेंटिव दीजिए कि वह ऐसी चीजें ईजाद करें जिससे थोड़ा पानी प्रयोग करके, ड्रिप इर्री-गेशन या किसी दूसरे तरीके से थोड़े पानी से ही पौधे को पूरा पानी मिल जाय, हमारा पानी कम बर्बाद हो और पौधे को पूरा पानी मिल जाय, इसके इन्सेंटिव के लिए आप रिसर्च के लिए रकम रखें या साइंसदानों का जो भी इज्जत मान कर सकते हैं, करें । दूसरे, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों को इसलिए इन्सेंटिव दें कि जो आदमी पानी कम खर्च करने के तरीके की मशीनरी का इस्तेमाल करेगा, हम उसको इन्सेंटिव देंगे । हम सभी किसान बैठे हैं, किसान खेत में खुला पानी छोड़ देता है और पानी देने वाला सो जाता है और जब पानी किनारों तक भर जाता है तो दूसरी जगह उस पानी को करता है, इससे बहुत पानी जाया होता है इस लिए मैं इन दो बातों पर जोर दे रहा हूं ताकि पानी कम खर्च हो ।

मैं विपक्ष में खड़ा होकर पोपुलस, सस्ती बात नहीं करना चाहता लेकिन जो आदमी ज्यादा काम करता है उसके लिए कुछ तो करना होगा । एक भैंस 30 किलो दूध देती है और एक भैंस 6 किलो दूध देती है, आप दोनों को एक जैसा चारा डालेंगे तो एक का दिल टूटेगा । पंजाब और हरियाणा ने आपको पूरा अनाज दिया है, हरियाणा के भाई बैठे हैं और पंजाब के भी बैठे हैं···मैं आपसे कर्ज माफ करने के लिए एक सीधा प्रश्न करता हूं । पंजाब और हरियाणा के छोटे किसान जो कि पांच हजार तक के छोटे किसान हैं, उनका कर्जा माफ कर दें इस आधार पर कि उन्होंने केन्द्रीय भंडार में पिछले दस वर्षों से, बीस वर्षों से 80 प्रतिशत से भी कन्ट्रीब्यूशन दिया है ।

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल) : प्रकाश सिंह बादल ने नहीं किया, आप हम से करवाना चाहते हैं ।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : मैंने श्री देवीलाल जी की बात नहीं की । मैंने दूसरे तरीके की कही है । हरियाणा और पंजाब के जो छोटे किसान हैं, जिनका देश के अनाज भंडार में 10-20 वर्षों का कन्ट्रीब्यूशन है, इसलिए पांच हजार के जो छोटे किसान हैं,उनका कर्जा माफ कर दीजिए ।

अगली बात यह है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने भी वैसी मांग की है, वैसी मांग मैंने भी की है । इस पर भी सोचा जाए । आपने स्पेशल फूडग्रेन्स प्रोडक्शन प्रोग्राम के तहत सेन्ट्रली स्पांस्ड स्कीम में कुछ सब्सिडी दी है । मैं कहना चाहता हूं कि उसमें 25 परसेंट स्माल फार्मर्स को दिया जाना था, उस पर कितने पैसे खर्च हुए और कितने छोटे फार्मर्स को उसका लाभ हुआ, इसके बारे में भी आपको बताना चाहिए । एक बात मैं और छोटे किसानों के बारे में कहना चाहता हूं । पांच एकड़ जमीन के जो किसान हैं, उनको क्रॉप लोन मिलता है या और लोन्स मिलते हैं । उनका रेट आफ इन्टरेस्ट भी 11 परसेंट है । आने वाले समय के लिए मैं सरकार से कहूंगा कि पांच एकड़ की जो छोटी जमीन वाले किसान हैं, उनको 11 परसेंट के बजाए 4 परसेंट पर लोन का प्रावधान करना चाहिए ।

आखिर में मैं एक बात कहना चाहता हूं । प्रचार किया जा रहा है कि पैस्टिसाइड्स में जहर है और उसकी वजह से मौतें हो रही हैं । इसमें कहा गया है—

[अनुवाद]

"विश्व में प्रतिवर्ष लगभग 22,000 लोगों की मृत्यु कीटाणुनाशक दवाईयों के जहर से हो जाती है । एक तिहाई लोग भारत में मरते हैं ।"

[हिन्दी]

मैं पूछना चाहता हूं, क्या यह बात सच है या लिखने वाले ने ऐसे ही लिख दिया है । इस बारे में भी देश की तसल्ली करनी चाहिए । मैं अपनी बात समाप्त करते हुए कहना चाहता हूं, किसानों को बोनस और उनको मदद देनी चाहिए । मैं खाली नुक्ता-चीनी की दृष्टि से अपनी बात नहीं कह रहा हूं । इन सब बातों को अगर आप कर दें, तो हम खुशी के साथ कृषि की अनुदान की मांगों का समर्थन करेंगे, अगर नहीं करेंगे, तो मुश्किल होगी ।

श्री अख्तर हसन (कैराना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कृषि मंत्रालय की अनुदान की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । कृषि में राहत प्रदान करने के लिए 1989-90 के लिए 5,173 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है । प्रधान मंत्री जी ने 15 हजार करोड़ रुपए लोन के सूद में कमी करके किसानो को जो सहायता दी है, उसके लिए मैं तहेदिल से शुक्रिया अदा करता हूं । इसके अलावा तीन हजार करोड़ की फसल पैदावार के लिए इमदाद, जवाहर रोजगार योजना, भूमिहीन ग्रामीण लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था की गई है । मैं कृषि मंत्री जी को किसानों को राहत के लिए कुछ सुझाव देना चाहूंगा ।

कृषि उत्पादन के लिए मुल्क में सिंचाई का इन्तजाम अच्छा और मजबूत करने की जरूरत है । जैसे कि नहरों का पानी नीचे के किसानों तक नहीं पहुंच पाता है । ऊपर ही लोग काट लेते हैं और रोक लेते हैं इस पर आपको ध्यान देना निहायत जरूरी है ।

6.00 म० प०

यह पानी आखीर के किसानों तक पहुंच पाए और जहां ट्यूबवैलों से सिंचाई होती है, वहां बिजली काफी दी जाए और ट्रांसफार्मर जो अक्सर फुंक जाते हैं और कर्मचारियों की लापरवाही से खराब हो जाते हैं, इस पर सरकार का ध्यान रहना बहुत जरूरी है क्योंकि ट्यूबवैल बगैर चले कई कई महीने हो जाते हैं और फसल सूख कर खराब हो जाती है। किसानों को बिजली के नये कनेक्शन मिलने में बहुत दिक्कतें होती हैं। इसमें भी सहूलियत होनी चाहिए। लोन और सब्सीडी जो किसानों को दी जाती है, उसके पूरे पैसे किसानों को नहीं मिल पाते हैं। वे भी सही ढंग से पूरे पैसे मिलने चाहिएं। किसानों को कृषि की नई नई खोजों की जानकारी देने के लिए जिला लेविल पर या ब्लाक लेविल पर ट्रेनिंग सेन्टर चलाने चाहिएं, जिससे उनकी जानकारी बढ़े। सरकार कृषि मेलों का आयोजन कर रही है, बड़ी अच्छी बात है लेकिन ये मेले जिले स्तर तक लगवाए जाएं, तो बहुत अच्छा होगा।

पहले 40 किलोमीटर के फासले से कम गन्ने की मिल नहीं लगती थी लेकिन अब हमारे प्रधान मंत्री राजीव गांधी ने उसको घटा कर 25 किलोमीटर कर दिया है। मेरे क्षेत्र कैराना में 80, 90 प्रतिशत गन्ना बोया जाता है। मिलें कम होने की वजह से वहां के किसान गन्ना हरियाणा, दिल्ली वगैरह बेचते हैं, जिससे बहुत परेशानी होती है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि मेरे क्षेत्र का सर्वे करा कर गन्ने की और मिलें बढ़ाई जाएं और सारे देश में इनको स्थापित किया जाए और श्री राजीव गांधी ने जो 25 मिलोमीटर की बात है, उसके हिसाब से सर्वे कराकर वहां पर मिलें लगाई जाएं।

आपने जो मुझे बोलने के लिए समय दिया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री राम नगीना मिश्र (सलेमपुर) : क्या सदन का समय बढ़ा दिया गया है ?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कार्य मंत्रणा समिति में लिये गए निर्णय के अनुसार, सभा की कार्यवाही 7.00 म० प०तक चलेगी। यदि आप सात बजे से अधिक बढ़ाना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : आज सब मैम्बरों को बुलवा लें और कल मंत्री जी का रेप्लाई हो जाए।

श्री तपेश्वर सिंह (विमकगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कृषि मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मैं कुछ बोलूं, उसके पहले मैं कृषि मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। वे एक समर्पित और निर्णय को दृढ़ता से लेने वाले व्यक्ति हैं और उनमें डेडीकेशन है और संयोग से उनको

श्याम लाल यादव जी, शास्त्री जी और प्रभु जी जैसे साथी मिले हैं और इन सब लोगों ने अपने काम को पूरे विभाग के अधिकारियों के साथ तत्परतापूर्वक किया है, जिसका परिणाम यह हुआ कि जो हमारा कृषि उत्पादन का इस्टीमेट 16 करोड़ मीट्रिक टन का था और 89-90 में साढ़े 17 करोड़ मीट्रिक टन होगा, उससे भी ज्यादा हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता का काम जो कृषि के क्षेत्र में हुआ है, उसकी भी चर्चा करना चाहूंगा। जितना एग्रीकल्चर विभाग का इन्फ्रास्ट्रक्चर है, चाहे एन० सी० डी०. सी० हो, चाहे एन० सी० ए० आर० हो, ये जितनी भी संस्थाएं हैं इनका काम बहुत सराहनीय है। खास-कर के कोआपरेटिव के क्षेत्र में।

आप वैसे सारी समस्याओं को जानते हैं और आप मंत्रिगण पूरी जानकारी रखने वाले लोग हैं। मैं केवल उन बातों की चर्चा करूंगा जो को-आप्रेटिव्ज से संबंध रखने वाली हैं।

आप जानते हैं कि सारे देश में को-आप्रेटिव्य में सुपरसेशन की प्रणाली चल रही है और बड़े जोरों से चल रही है। बहुत जगहों पर, मध्य प्रदेश में और आपके राज्य उत्तरप्रदेश में डिस्ट्रिक्ट स्तर के चुनाव हो गये हैं लेकिन राज्य स्तर पर अभी तक चुनाव नहीं हुए हैं। हमारा काम सारे देश में ठीक चल रहा है। आपको जानकारी है कि 17-18 सालों में तमिलनाडु में निचले स्तर पर भी चुनाव नहीं हुए थे, अब हुए हैं। लेकिन वहां स्टेट लेबुल के चुनाव अब तक नहीं हुए हैं। मैं आग्रह करूंगा कि भारत सरकार इस बात की ओर ध्यान दे। जो भी को-आप्रेटिव्ज देश में चल रही हैं उनका चुनाव ठीक समय पर हो जाए। अगर उन्हें सरकार ही चलाती रही तो उनको कोआप्रेटिव नहीं कहा जा सकता, फिर तो उनको कोरपोरेशन कहा जा सकता है।

कोआप्रेटिव के क्षेत्र में जो राज्य स्तर की समितियां निर्वाचित है ने एफीशियेंटली काम कर रही हैं। कोआप्रेटिव्ज में चीनी मिलें 62 परसेंट चीनी का उत्पादन कर रही हैं।

आज देश की सारी कोआप्रेटिव्ज में 15 करोड़ से ज्यादा सदस्य हैं और सारे देश की कोआप्रेटिव्ज के हिस्से में 27 हजार करोड़ रुपये की पूंजी है। इस तरह से कोआप्रेटिव्ज के क्षेत्र में बड़ा व्यापक काम हुआ है। कृषि उत्पादन में कोआप्रेटिव्ज से जो सहायता मिली है उसकी भी सामयिक समीक्षा की जाए। इससे आप पायेंगे कि कोआप्रेटिव्ज के मांध्यम से कृषि के विकास में कितना बड़ा योगदान मिला है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में कृषि मंत्री जी से मांग करता हूं, प्रधान मंत्री जी से मांग करता हूं कि सहकारिता को भी एक सेन्टर बनाया जाए, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर है, जैसे कि पब्लिक सेक्टर है। इससे इस सेक्टर को धनराशि का भी आवंटन हो सकेगा। इस प्रकार सहकारिता सेक्टर इंडस्ट्री और खेती के विकास के काम को और भी अधिक कर सकेगा।

जब हम लोग अपने क्षेत्र में जाते हैं तो हम देखते हैं कि क्राप इंश्योरेंस सारे देश में है। आप क्राप इंश्योरेंस का सारा पैसा किसान से लेते हैं। वह सारा पैसा अपनी पोकेट से देता है। लेकिन जब उसका क्लेम होता है तो उसे वह नहीं मिल पाता है। चाहे तूफान आया हो, चाहे ओले पड़ गये हों, भयानक लाढ़ आ गयी हो, सूखा पड़ गया हो, इन सब के बावजूद भी उसको क्लेम

का पैसा नहीं मिलता है। उसमें एक क्लाज दी गयी है कि उसका डिस्ट्रिक्टवाइज मूल्यांकन किया जाएगा और जो परसेन्टेज बनेगा, वह दिया जाएगा। नतीजा यह होता है कि जब ओले पड़ते हैं, सूखा पड़ता है या प्राकृतिक विपदाएं आती हैं किसी ब्लाक में तो कह दिया जाता है कि जिले का परसेन्टेज नहीं है, इसलिए इसमें कुछ नहीं मिलेगा। मैंने इस बात को कंसल्टेटिव कमेटी में भी कहा था और उसमें तो मंत्री जी ने यहां तक कहा था कि इसकी सीमा जिला स्तर से घटाकर पंचायत स्तर तक बढ़ाने पर विचार किया जाएगा, लेकिन अभी तक उसका कोई नतीजा नहीं निकला है। (व्यवधान)

अंत में एक बहुत जरूरी बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। कृषि विकास के लिए उचित सिंचाई व्यवस्था बहुत जरूरी है। मेरे क्षेत्र में आज से 110 साल पहले सोन नदी के साथ बहुत बड़ा रिजरवायर बनाया था, उससे 300 छोटी नहरें निकालीं और एक नहर 125-130 किलोमीटर की है, करीब 150 डिस्ट्रीब्यूटिंग कैनाल्स हैं, लेकिन आज सारी कैनाल्स की हालत देखिए, सब टूट-फूट गई हैं, नहर की दीवारें टूट गई हैं, नहर पर बनी सड़कें टूट गई हैं। इसके लिए भारत सरकार के सौजन्य से 1200 करोड़ की एक योजना बनाई गई, विश्व बैंक से भी इस को क्लीयर कर दिया गया और बिहार सरकार जो 10-20 करोड़ रुपया साल में इस पर लगाती थी वह भी उसने लगाना बंद कर दिया, लेकिन आज तक उस पर काम शुरू नहीं हुआ है। जिस सड़क पर जीप दौड़ती थी, आज उस पर बैलगाड़ी भी नहीं चल सकती, आदमी का चलना मुश्किल है। सिंचाई का काम नहीं होता, नहरों में सिल्टिंग है, नहर के दोनों किनारे टूटे हुए हैं, अगर इसका समय रहते इंतजाम नहीं किया गया तो भोजपुर, रोहतास नगर, औरंगाबाद, पटना, गया, जहानाबाद जिलों के किसान आंदोलन करेंगे। (व्यवधान)

इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इसकी जानकारी मंगवाएं और किसानों की मदद करें, ताकि उनको बराबर पानी मिलता रहे। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि बिहार में हमारा इलाका फूड ग्रेन्स के मामले में ग्रेनरी है, यहां के किसानों की मदद की जाए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री डी० बी० पाटिल (कोलाबा) : यह हमेशा ही कहा जाता रहा है और उचित ही कहा जाता रहा है कि कृषि हमारी राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था का मुख्य आधार है। लेकिन ऐसा कहने के बाद भी मेरे ख्याल से, इस पर आगे कार्यवाही कुछ नहीं की गयी है। मैं यह इसलिये कह रहा हूं क्योंकि विगत 42 वर्षों से औद्योगिक क्षेत्र की तुलना में कृषि क्षेत्र की सामान्य रूप से और विशेषतः कृषि क्षेत्र के अन्दर भी, सिंचाई क्षेत्र की तुलना में शुष्क भूमि पर खेती की अपेक्षा की गई है। यह आम जानकारी है कि हमारे कृषि क्षेत्र में 75 प्रतिशत खेती शुष्क भूमि पर की जाती है। यदि इस शुष्क भूमि पर खेती पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता, हमारी राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था आत्म-निर्भर नहीं होगी। यह हमेशा कहा गया है कि यदि हम अपनी राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था को आत्म-निर्भर बनाना चाहते हैं तो शुष्क भूमि पर खेती को संरक्षण देकर उसकी देखभाल करनी होगी और उचित सहायता देनी पड़ेगी। अन्यथा इसमें आत्मनिर्भरता प्राप्त नहीं होगी। 70 प्रतिशत जनसंख्या खेती पर निर्भर

है। यदि शुष्क भूमि पर खेती की अपेक्षा की जायेगी तो कृषि पर निर्भर लोगों की क्रयशक्ति में वृद्धि नहीं होगी। यदि आम आदमी की चाहे वह छोटा किसान हो, कृषिमजदूर हो अथवा कृषि पर निर्भर कोई अन्य व्यक्ति हो, क्रय शक्ति में वृद्धि नहीं होगी हमारी तो राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था आत्म-निर्भर नहीं होगी जोकि बहुत महत्त्वपूर्ण है।

अभी तक इसकी उपेक्षा की गयी है इस सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है। रिपोर्ट के पृष्ठ 89 पर इसका उल्लेख किया गया है और सरकार ने भी स्पष्ट रूप से माना है :

> "कृषि विकास में उन सिंचित क्षेत्रों में विशेषरूप से जोर दिया गया है जिनमें तुरंत परिणाम मिलने की सम्भावना है। वर्षा प्रवण क्षेत्रों में किसान विशेषत: छोटे किसान खेती से गुजारा कर रहे हैं।"

इस प्रकार यह माना गया है कि शुष्क भूमि पर खेती की अब तक उपेक्षा की गयी है।

यह बताया गया है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में शुष्क भूमि पर खेती की तरफ ध्यान दिया जा रहा है और इस हेतु उपबन्ध बनाया जा रहा है। परन्तु जहां तक शुष्क भूमि पर खेती का सम्बन्ध है, सातवीं पंचवर्षीय योजना में किया गया उपबन्ध समूची समस्या को हल करने में सक्षम नहीं है।

चूंकि मेरे पास समय कम है इसलिए मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। कृषि नीति की सफलता निम्नलिखित बातों पर निर्भर है—यदि कृषकों को लाभकारी मूल्य नहीं मिलेंगे तो यह सफल नहीं होगी। विपक्ष और सत्तारूढ़ दल के प्रत्येक सदस्य का कहना है कि किसानों को लाभकारी मूल्यनहीं दिये जा रहे हैं। ऐसा क्यों है ? कृषि क्षेत्र की सामान्यरूप से प्रशंसा करने से ही काम नहीं चलेगा और न इससे सहायता होगी। जहाँ तक इस क्षेत्र का सम्बन्ध है, जैसाकि मैंने कहा है कि इसके साथ अन्याय किया जा रहा हैं। जहां लाभकारी मूल्यों का सम्बन्ध है, आज क्या हो रहा है ? इस वर्ष गेहूं और चावल के समर्थन मूल्यों में 10 या 12 रुपये की वृद्धि की गयी है। परन्तु किसान बिचौलियों की दया पर निर्भर है जो समाज के सभी वर्गों का शोषण कर रहे हैं।

जहां तक प्याज के मूल्यों का सम्बन्ध है, महाराष्ट्र में क्या हुआ ? प्याज के मूल्यों में दस पैसे प्रतिकिलो के हिसाब से कमी हुई है। वह किसान किस प्रकार जीवित रह सकता है जो प्याज का उत्पादन करता है। उसने जो ऋण बैंकों या सहकारी समितियों से लिया है उसे कैसे लौटा सकता है तथा सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री दिल्ली आये और कृषि मंत्री तथा सम्बन्धित मंत्रियों से विचार-विमर्श किया। यह घोषणा की गयी है कि 'नाफेड' एक लाख टन प्याज की खरीद करेगी, परन्तु अभी तक अधिक कुछ भी नहीं किया गया है। मूल्य उतने कम हैं जितने मैंने बताये हैं। अब वहां आन्दोलन किया जा रहा है। उसमें अधिक किसान भाग लेंगे। इतनी अधिक संख्या में होंगे कि इसे सेना भी नहीं दबा सकेगी। बड़ा अन्याय किया जा रहा है। क्या आप इतने कम मूल्यों की कल्पना कर सकते हैं ? मेरा सरकार से अनुरोध है कि मूल्यों में इतनी कमी के जिम्मेदार लोगों का पता लगाया जाए। सरकार को कृषकों के हितों की तरफ ध्यान देना है। सरकारी अधिकारियों और सरकार की सहायता से मूल्यों में कमी की गई है।

जहां तक राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था का सम्बन्ध है, कृषि मजदूरों को उचित मूल्य देना बहुत जरूरी है। कृषि मजदूर अधिकांश रूप से कृषि से होने वाली आय पर निर्भर करते हैं। यदि उन्हें पर्याप्त मजदूरी नहीं दी जायेगी तो हमारी समूची अर्थ-व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो जायेगी। इसके अतिरिक्त, अधिकांश कृषि मजदूरों को एक वर्ष में 75 या 100 दिन ही काम मिलता है। यदि ऐसी स्थिति है तो यह देखा जा सकता है कि कृषि मजदूरों का जीवित रहना कितना कठिन है।

यह कहा गया है कि किसानों को अन्य आदान उपलब्ध कराये जायेंगे। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण आदान पानी, संशोधित बीज, उवर्रक और कीटाणुनाशक दवाइयां हैं। पानी का दुरुपयोग और जरूरत से अधिक मात्रा में उपयोग किया जा रहा है। पानी का जरूरत से अधिक उपयोग होने के कारण लाखों एकड़ उपजाऊ भूमि खारी हो गयी है। अत्यधिक उपयोग के कारण पानी मिट्टी में बना रहता है जिससे मिट्टी के पदार्थ ऊपर आ जाते हैं। दूसरा महत्त्वपूर्ण पहलू भूमि सुधार है। यह तर्क दिया गया है कि विगत में भूमि सम्बन्धी कानून थे। ये सभी भूमि सम्बन्धी कानून असफल हो चुके हैं। सत्ताधारी दल की ए० आई० सी० सी० ने इस बात पर ध्यान दिया है। यह कहा गया है कि ए० आई० सी० सी० की बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया है कि भूमि सम्बन्धी नया विधान लाया जाना चाहिए। राज्यों के मन्त्रियों के सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया था कि एक भूमि सम्बन्धी नया विधान लाना चाहिए ताकि भूमि सम्बन्धी कानून प्रभावशाली बन सकें।

अन्त में मैं कहूंगा कि बिचौलियों को पूर्णत: समाप्त किया जाना चाहिए। सरकार की नीति बिचौलियों को समाप्त करने की नही है। किसान उत्पादन करते हैं और बिचौलिये उसे कम कीमत पर खरीद कर भारी लाभ कमाकर उपभोक्ता को बेच देते हैं। सरकार कैसे इसकी अनुमति देती है? लाभ की दर बहुत अधिक है जैसाकि मैं पहले कह चुका हूं कृषि श्रमिकों से प्याज का क्रय मूल्य 10 पैसे प्रति किलो है परन्तु बम्बई तथा अन्य शहरों में उपभोक्ताओं के लिए विक्रय मूल्य 2·50 रुपये प्रति किलो है।

अन्तत: मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि कृषि क्षेत्र की ओर उचित ध्यान दिया जाये। जब तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि कृषि क्षेत्र के साथ न्याय किया गया है।

[हिन्दी]

श्री जनकराज गुप्त (जम्मू) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जिस लगन से, जिस डेडीकेशन से पिछले कुछ सालों से हमारे कृषि विभाग के प्रशासकों, वैज्ञानिकों और दूसरे अधिकारियों ने काम किया और कर रहे हैं इसमें सन्देह नहीं कि जो इसे सदी में पहले पचास साल की अगर उनके साथ तुलना की जाये, आजकल के समय में जो विकास हुआ है कृषि विभाग में, जो फूड ग्रेंस की क्वालिटी और क्वांटीटी बढ़ रही है, मैं समझता हूं यह वाकई मुस्तहिक हैं मुबारकबाद के···में उन्हें मुबारकबाद देता हूं। वर्ष 1988 में इन्होंने फूडग्रेन्स का टारगैट शायद 166 मिलियन टन रखा था लेकिन पैदावार उससे कहीं ज्यादा हुई। अगर

टारगैट एक्सीड कर गया तो इसका मतलब यह नहीं कि इन्हें बिल्कुल तसल्ली हो जाये, अब भी जरूरत है कि हमारे देश में फूडग्रेन्स की ज्यादा-से-ज्यादा पैदावार हो, प्रोडक्शन ज्यादा-से-ज्यादा बढ़े और जितनी ज्यादा फैसिलिटिज हम किसानों को और खेत मजदूरों को दे सकें, वे दी जायें। यह बड़ा जरूरी भी है। मैं समझता हूं कि एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिये, अनाज की पैदावार बढ़ाने के लिए, चार चीजों की मुख्य रूप से आवश्यकता है : खाद, पानी, पेस्टीसाइड्स और अच्छी किस्म के बीज। ये चारों चीजें किसान को समय पर मिलनी चाहियें। इसमें कोई दो रायें नहीं हैं कि कृषि मंत्रालय ने इस दिशा में जितनी कोशिश की है, हर मौके पर सप्लाई भी की गई है, लेकिन मैं सजेस्ट करना चाहता हूं कि जहां तक फर्टिलाइजर का ताल्लुक है, उसके मामले में हमारे छोटे किसान या मार्जिनल फारमर को दिक्कत आती है, वह फर्टिलाइजर की कीमत एफोर्ड नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं कि छोटे मार्जिनल किसानों को दी जाने वाली सबसिडी थोड़ी बढ़ायी जानी चाहिए ताकि उसकी कुछ मदद हो सके, वह ज्यादा मेहनत करे और पैदावार बढ़ा सके। पानी भी खेती के लिए बहुत जरूरी है। हमें हर जगह इरीगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए क्योंकि पिछले दिनों मैंने देखा, देश के अनेक हिस्सों में भयंकर कहर पड़ा, जहां सूखा पड़ा, वहीं फ्लड भी आए, इसका श्रेय तो हमारी सरकार को जाता है कि उसने पूरी तरह से उस स्थिति का मुकाबला किया और ड्राउट या फ्लड में किसी आदमी को तो क्या, एक जानवर तक को भी नहीं मरने दिया। हमारे मंत्रीजी हर जगह खुद गए, प्रधानमन्त्री जी ने खुद जाकर स्थिति देखी, फ्लड और ड्राउट इफैक्टिड दोनों एरियाज में वे गये और खुलकर मदद की ताकि किसी को ऐसा महसूस न हो सके कि उनका कुछ नुकसान हुआ है। मैं चाहता हूं कि सरकार इरीगेशन फेसिलिटीज की तरफ ज्यादा तवज्जह दे और ज्यादा इस मद में खर्चा करे और हर जगह पानी उपलब्ध कराये, चाहे ट्यूबवैल के जरिये हो, लिफ्ट इरीगेशन के जरिये हो, कैनाल इरीगेशन के जरिये हो। तभी ड्राउट जैसी प्रोब्लम का परमानेंट इलाज हो सकता है। मेरी कांसटीटूएंसी जम्मू में, पूंछ का एरिया बड़ा कंडी एरिया है, जहां ड्राई फार्मिंग है, और बौर्डर एरिया तो है ही। वहां इरीगेशन को बढ़ावा देने के लिये काफी स्कोप है लेकिन शायद पैसे की कमी है या कुछ दूसरी दिक्कतें हैं, जिनकी वजह से वहां काफी तरक्की नहीं हो पाई है। ऐसा ही बाकी स्टेटों में भी है। मैं सजैस्ट करना चाहता हूं कि अगर हो सके तो आप इरीगेशन को सैंट्रल सब्जैक्टस में रखिए और सैंट्रल गवर्नमेंट इस काम के लिये खुद पैसा खर्च करे। हर जगह जमीन को पानी या सैलाब दिया जाना बहुत जरूरी है। यदि आप इसे सैंट्रल सब्जैक्ट बना देते हैं तो मेरे ख्याल में हमारा इस समय जो डबल स्टैंडर्ड है कि हम यहां से स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देते हैं, वे फिर इंजीनियर बेलदार या दूसरे लोगों के जरिये उसे खर्च कराने की व्यवस्था करते हैं, इससे फालतू का खर्च भी बच जायेगा और काम भी ज्यादा होगा।

यहां एक बात हमारे स्टेट मिनिस्टर साहब, पुजारी जी ने कही जो लैन्ड रिफार्म्स के बारे में थी। जहां तक हमारे स्टेट का ताल्लुक है, यदि हिन्दुस्तान की सारी स्टेट्स उधर से फौलो करें, जैसाकि 1947 के बाद हमारी स्टेट में, बिना मुआवजा के, सारी जमीन 182 कैनाल छोड़कर फारमर्स को दे दी गयी, जब शेखसाहब का वक्त था···

6.30 म० प०

[श्री शरद दीघे पीठासीन हुए]

और उसके बाद फिर 182 से कम करके 100 कैनाल जमीन मालिक के पास छोड़कर बाकी सब फार्मर्स को दी गई। ये मुझे पता है कि यहां के बड़े-बड़े रिच फारमर्स हैं, वे बड़ी लॉबी रखते हैं। वे आपको नहीं करने देंगे। अगर आप यह कर सके, तो मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको जो अनएम्पलॉयमेंट की प्राब्लम है, रोज आप गरीब आदमी की गुरबत को दूर करने की बात करते हैं, जिसके लिए प्रधानमन्त्री जी दिल से चाहते हैं कि इस देश से गुरबत दूर हो जिसके लिए उन्होंने काफी इन्तजामात भी उठाए हैं। अगर आप यहां पर लैंड रिफॉर्म कर लें और जो सरप्लस जमीन है, अगर आप उसको कल्टीवेटर्स को दे दें, तो मैं समझता हूं कि आपके काफी मसले हल हो जाएंगे। दिक्कतें आएंगी, मुश्किलें काफी हैं, लेकिन मैं आपको इसके लिए भी सजेस्ट करता हूं कि अगर आप यह कर सकें, लैंड रिफॉर्म को अगर आप सेंट्रल सब्जेक्ट रखें और सारी स्टेट्स के लिए एक ही पैमाना रखें, ताकि उससे ज्यादा कोई जमीन अपने पास न रख सके, तो कोई भी आदमी अपना इन्फ्लूएंस आदि नहीं लड़ा सकेगा और जब ऐसा हो जाएगा तो सभी की दिक्कतें दूर हो जाएंगी।

एक अन्य बात, जनाबे वाला मैं यह कहना चाहता हूं कि ड्राई लैंड की फार्मिन्ग के लिए जब तक आप सिंचाई का प्रबन्ध नहीं कर पाते हैं, तब तक आप वहां पर ऐसी खेती कराएं, जो कम पानी के या बिना पानी के हो सके। वैसे आपने इस सम्बन्ध में रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाए हैं। आपने हमारे जम्मू-कश्मीर में भी एक एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी दी है, इसके लिए हम आपके मशकूर हैं और सारे स्टेट के डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स पर उन्होंने अपने आफिस खोल रखे हैं। इसलिए जितनी देर तक आप पानी नहीं दे सकते हैं उतनी देर तक आप बिना वाटर के जो फसल हो सकती हैं, उनके लिए प्रॉविजन करिए। उसी हिसाब से आप वहां के फार्मर्स को फेसिलिटीज दीजिए ताकि वे आगे बढ़ सकें और अपनी पैदावार बढ़ा सकें।

जनाब डिप्टी स्पीकर साहेब, मैं एक बात अब भी कहना चाहता हूं कि जहां फ्रूट्स एण्ड वेजीटेबल्स ज्यादा होते हैं, वहां वे जाया हो जाते हैं। जल जाते हैं, सड़ जाते हैं और किसी काम नहीं आते। अगर आप छोटी-छोटी जगहों में कंडी इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में, छोटे-छोटे फ्रूट्स एण्ड वेजीटेबल्स प्रोसैसिंग यूनिट्स बनाएं, कोल्ड स्टोरेज बनाएं, तो वहां के जो गरीब आदमी हैं, जो 2, 4, 6 एकड़ के मालिक हैं, उनको काफी फायदा हो सकता है और उनकी परचेजिंग पॉवर भी बढ़ सकती है। अगर ऐसा हो जाता है, तो इससे काफी मसले हल हो सकते हैं। चौथी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आप इंडस्ट्रीज को तो इंसेंटिव देते हैं, लेकिन आप खेती को उस हिसाब से इंसेंटिव नहीं देते हैं। आपने यह अंदाजा लगाया होगा कि आजकल के जो नौजवान हैं, मैट्रिक पास हो जाते हैं, खवाह वह किसी फारमर का बेटा है, या अफसर का बेटा है, या किसी बाबू का बेटा है, उसकी हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह जमीन में काम न करे, वह दफ्तर में दो-चार सौ की नौकरी करना पसन्द करता है, लेकिन वह खेती में काम नहीं करना चाहता है। अगर आप वहां पर इंसेंटिव दें, और उनको जब यह पता लगेगा कि इससे हमें ज्यादा आमदनी होने वाली है, तो इससे ट्रेंड बदल सकता है और आपकी परेशानी भी काफी हद तक दूर हो सकती है।

इसके अलावा जनाबे वाला यह बहुत अच्छा काम रूरल डवलपमेंट का चल रहा है। प्रधान मन्त्री जी ने जो इन्दिरा आवास योजना की स्कीम दी है, इसमें गरीबों का बड़ा फायदा है। हमारे इस किस्म के किसान थे जहां एक कमरे में तीन कुटुम्ब रहते थे, लेकिन अब इससे उनको काफी इमदाद, काफी सहूलियत मिली है। लेकिन मैं यह कहूंगा कि आप उनको 7800 रुपए मकान बनाने के लिए देते हैं और 1200 रुपए स्टेट गवर्नमेंट लैट्रिन बनाने के लिए एड करती है तो 9000 रुपये से कोई कमरा नहीं बन सकता है। आप इस रकम को 15,000 रुपए तक बढ़ा सकें ताकि वे लोग अपना मकान बनाकर रह सकें।

पिछले सैशन में भी क्राप इन्श्योरेंस स्कीम बारे में बात आई थी। आपकी इसमें अपनी दिक्कतें हो सकती हैं लेकिन इसमें किसानों को भी बहुत दिक्कतें आ रही हैं। आपने क्राप इन्श्योरेन्स के लिए ब्लाक को एक यूनिट रखा है, लेकिन ब्लाक बहुत बड़े हैं, अगर वहां पर किसी एक आदमी का भी नुकसान हो जाए तो इन्श्योरेन्स वाले कोई मुआवजा देने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर 50 रुपए मुआवजा देना हो तो उसके लिए उसको 100 रुपए खर्च करने पड़ जाते हैं। इसलिए नए बेसिस पर हर व्यक्ति को जिसका नुकसान हो उसको मुआवजा देने के लिए इन्श्योरेन्स का प्रबन्ध रखिए ताकि पंचायत में जिस किसी का नुकसान हो, सबके साथ एकसा बर्ताव हो।

हम प्रधानमन्त्री जी के मशकूर हैं जिनके दिल में नौजवानों और बेरोजगारों के लिए बड़ी लग्न है और जिन्होंने जवाहर रोजगार योजना बनाई है। इसको जल्द ही लागू करना चाहिए।

जहां तक पंचायती राज वाली बात है, हमारे दोस्त अयूब खां साहब कह रहे थे कि जो प्लान बनाते हैं, वह पहले सैक्रेटैरिएट में बनकर नीचे तक चलती है। पंचायती राज बनाने का प्रधानमन्त्री का यही लक्ष्य था कि नीचे से यह प्लान बने ताकि नीचे के लोगों को, जिनको यह पता है कि कौन से गांव में क्या होना है उससे उनको फायदा हो। इसको जल्दी-से-जल्दी लागू किया जाए।

आपने इन्टरैस्ट 15 परसेंट से कम करके 12 परसेंट किया है इसे और कम किया जाना चाहिए और जो पुराने लोन हैं उनका इन्टरैस्ट बिल्कुल खत्म होना चाहिए।

उन्हीं शब्दों के साथ जो आपकी ग्रान्ट्स हैं मैं उनकी ताइद करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप हमेशा दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की करेंगे और लोगों की उन्नति करेंगे।

श्री के० डी० सुल्तानपुरी (शिमला) : चेयरमैन साहब, मैं 1988-89 के लिए केन्द्रीय कृषि मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

सारे राष्ट्र में बहुत बड़ा सूखा पड़ा लेकिन इसके बावजूद भी कृषि मन्त्रालय बधाई का पात्र है कि देश की पैदावार अधिक रही है और कोई आदमी देश में ऐसा नहीं है जो भूख से मरा हो। हमारे कृषि मन्त्री और प्रधानमन्त्री जगह-जगह गए हैं और उन्होंने राहत के कार्यों को देखा है जिससे यह तसल्ली हुई है कि हर जगह लोगों को इसके लिए फायदा पहुंचा है।

मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि हमारे यहां बहुत-सी ऐसी जमीन है जहां पर सिंचाई के साधन नहीं है। पहाड़ी क्षेत्रों के बारे में मैं यह कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश में बहुत से गांव

ऐसे हैं जो 5, 5 और 6, 6 घरों के हैं और दूरदराज गांव में लोगों को बड़ी मुश्किल हो रही है। जो उनकी सूखी भूमि है, जिसकी सिंचाई नहीं हो पाती है, मैं कृषि मंत्रालय को सुझाव दूंगा कि जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है, वहां पहाड़ों पर इरिगेशन के लिए टैंक बनाए जाएं और नई टैक्नोलोजी वहां पर लाई जाए जिससे पहाड़ों की जिस भूमि की सिंचाई नहीं होती है उसके लिए पानी जमा हो सके।

जिस तरह से पंजाब के अंदर पैप्सीकोला के लिए व्यवस्था की है, जितना वहां पर फ्रूट पैदा होगा, उसमें उसकी खपत होगी। हमारे पंजाब के लोग पहले से भी ज्यादा खुशहाल होंगे। हमारे हिमाचल प्रदेश में सेव, आड़ू और आलू की काश्त होती है। आप तो जानते ही हैं कि पहाड़ी क्षेत्र के लोग बड़ी मुसीबत में अपना गुजारा करते हैं। अतः उनके लिए भी इस तरह के कार्यक्रम बनाये जाने चाहिएं ताकि वहां के लोग लाभान्वित हो सकें।

हम प्रधानमन्त्री जी के आभारी हैं कि उन्होंने हमारे यहां पन-बिजली की योजना बनायी जिससे 1500 मेगावाट बिजली पैदा होगी। इसके अलावा 2-3 और प्रोजेक्ट हैं जो हमारी सरकार ने मंजूर किये हैं। इनको मंजूरी मिलने से हमारे यहां जो गरीबी है वह दूर होगी और खुशहाली आयेगी। इसके लिये हमारी भारत सरकार बधाई की पात्र है। हमारे प्रधानमन्त्री जी ने ऐसा कदम उठाकर पहाड़ी क्षेत्र के लोगों की गरीबी को मिटाने का प्रयास किया है। इससे 32 हजार आदमियों को रोजगार प्राप्त होगा। यह भी एक बड़ी भारी उपलब्धि है।

हमारे यहां जो भूमिहीन थे उनको एक एकड़ जमीन हमारी स्वर्गीय प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने दी थी। वह जमीन उन गरीब लोगों को एलाट हो जाने से उनको बहुत फायदा हुआ। लेकिन इसमें एक सुझाव यह देना चाहता हूं भूमिहीनों को जो भूमि एलाट की जायें उसको बेचने का अधिकार उन्हें नहीं होना चाहिये। जो बड़े-बड़े जमींदार होते हैं वह अपने नाम से वह भूमि करवा लेते हैं जिससे उन भूमिहीनों के हाथ से वह जमीन छिन जाती है।

हमारे यहां बहुत-सी ऐसी जमीन है जिसमें न तो कोई दरख्त लगे हुए हैं और न ही ट्राइबल लोग रहते हैं। कहने का मतलब यह है कि बिल्कुल उजाड़पड़ी हुई है। आप ऐसी जमीन पर प्लान्टेशन कर सकते हैं। वैसे कई जगहों में आपने ऐसी जमीन पर प्लांटेशन भी किया लेकिन देखने में यह आया है कि ऐसी जमीनों का उद्घाटन करते समय केन्द्र और राज्य दोनों जगहों से मन्त्री तो चले जाते हैं लेकिन बाद में उनकी देखभाल करने के लिए कोई आगे नहीं आता है। इसका नतीजा यह होता है कि जिस किसी जगह में उद्घाटन के समय जो पौधा लगाया जाता है वह थोड़े दिनों के बाद टूट जाता है। इस तरफ आपको पूरा ध्यान देना चाहिए। मैं एक सुझाव देना चाहूंगा कि जिस जमीन पर काश्त हो सकती है वहां पर आप वृक्ष लगाइए या फलों के पेड़ लगाइए। आप सेव और आड़ू के पेड़ वहां लगा सकते हैं। ऐसी व्यवस्था करने से वहां के स्थानीय लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और सरकार की भी मंशा पूरी होगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप ऐसा पग उठाएंगे तो पहाड़ी क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी।

मैं आपकी जानकारी के लिए यह बताना चाहता हूं कि एक पौध लगाने में सवा रुपए का खर्च आता है। मेरी इस बारे में अपने यहां के लोगों से भी बात हुई है। उन्होंने हमें बताया कि

हमारे सवा रुपए नर्सरी में पौधा तैयार करने में लग जाते हैं। आसपास तार और रखवाली के लिए जो चौकीदार रखा जाता है उन सबको मिलाकर साढ़े तीन रुपए का खर्चा आ जाता है। मेरा यह सुझाव है कि इसमें जो भी खर्चा आए वह सरकार को खुद उठाना चाहिए। अगर हम ऐसी योजनायें बनायेंगे तो गढ़वाल का इलाका और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाके विकसित हो सकेंगे।

अभी हमारे यहां जितना भी सेव और आड़ू का प्रोडक्शन होता है वह सबका सब आजादपुर की मार्किट के आढ़ती लोग खा जाते हैं जिससे हम लोगों को उसका कुछ भी फायदा नहीं मिल पाता है। जो दूर-दराज के पहाड़ी इलाकों में रहते हैं उनकी भाड़े में ही सारी फलों की पेटियां बिक जाती हैं और आलू तक चला जाता है। हम यह चाहते हैं कि सरकार मार्केटिंग का इन्तजाम करे ताकि लोगों को मुनासिब रेट मिल सके, मुनासिब भाव मिल सके। हिमाचल सरकार ने सपोर्ट प्राइस दी है और भारत सरकार ने उसमें मदद दी है। हमारे लोगों को सेव के लिए दो रुपए किलो के हिसाब से सपोर्ट प्राइस मिली है, इसके लिए आपको बहुत-बहुत बधाई। इसी तरह से आलू के लिए सपोर्ट प्राइस मिली है। आढ़तियों के शोषण से हमारे किसान बच सकें, इसके लिए आपको कदम उठाने चाहिएं। इण्डस्ट्रीज के लिए भारत सरकार 25 परसेण्ट सब्सिडी के रूप में पैसा देती है, बैंक उनको पैसा देते हैं, इसी तरह किसानों को भी ज्यादा-से-ज्यादा पैसा मिलना चाहिए ताकि ज्यादा-से-ज्यादा लोग बगीचे लगा सकें। अभी इसमें एक समस्या है कि जिन लोगों के बगीचे पहाड़ पर हैं उनमें सिंचाई के साधन नहीं हैं, इसके लिए सिंचाई के साधन बनाने चाहिए। इसके लिए सर्वे कराकर पहाड़ी क्षेत्र के लोगों की भारत सरकार को मदद करनी चाहिए।

जहां तक बीमारियों का प्रश्न है, आलू में बीमारी लगती है, सेव में बीमारी लगती है, अदरक में बीमारी लगती है, पहले हमारे इलाके में अफीम बोयी जाती थी उससे कोई बीमारी, कोई कीड़ा नहीं लगता था लेकिन हिमाचल प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेम्बली ने 1972-73 में डा० परमार के मुख्यमंत्रित्व काल में इसे बन्द कर दिया। अगर आप हिमाचल प्रदेश के लोगों को अफीम बोने का अख्तियार देंगे तो दवाओं पर सब्सिडी देने की जरूरत नहीं रहेगी, पहले जब नशे वाली अफीम बोते थे तो उससे ही कीड़े मर जाते थे लेकिन अब सृष्टि का कुछ ऐसा प्रकोप हो गया है कि कीड़ों को हटाने में किसानों को लाखों रुपए की दवाइयां खरीद करनी पड़ेंगी, उनकी कैपेसिटी खत्म हो चुकी है इसलिए मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि आपको दवाएं देनी हैं तो सब्सिडी मिलनी चाहिए और किसानों से कोई पैसा नहीं लिया जाना चाहिए। इसी तरह से फर्टिलाइजर भी बहुत महंगा मिलता है। पहाड़ में चारों तरफ जंगल हैं और बन्दर लंगूर वहां सारी फसल को खा जाते हैं इसके लिए किसानों को बीड़ लगाने की सुविधा होनी चाहिए ताकि किसानों का नुकसान नहीं हो सके।

अभी हमारे एक दोस्त ने कहा कि हमारी सरकार नई बोतल में पुरानी शराब फेंकती है, मैं बताना चाहता हूं कि उनके देखने और सोचने का तरीका गलत है। उनको देखना चाहिए कि पुरानी शराब में नई बातें मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी सरकार की हमेशा यह नीति रही है कि गरीब और किसानों को ऊपर उठाने के लिए राष्ट्र के अन्दर काम करना है और आपका

काम उनको भड़काने का है, उनको गलत रास्ते पर लगाने का काम है। हमारे किसी भी प्रधान मन्त्री ने, न इन्दिरा जी ने, न जवाहर लाल नेहरू जी ने इस तरह का अत्याचार किया, जैसा आपकी सरकार ने डेढ़ रुपये क्विंटल गन्ना किसानों का बिकवाकर किया, वह सरकार भी हमारे सामने थी, हमारी सरकार ने हमेशा किसानों के हित के लिए काम किया है।

मैंने पहाड़ी क्षेत्र के लिए जो सुझाव दिये हैं, उन पर हमारे मन्त्री जो पूरी तरह से अमल करेंगे और उनको क्रियान्वित करने की कोशिश करेंगे।

मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

*श्री पी० अप्पालानरसिंहम (अनकापल्ली) : सभापति महोदय, कृषि मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा में भाग लेते हुए मैं सरकार को कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

सरकार बार-बार यह कहती है कि किसान इस देश का आधार है और सरकार कृषि और किसानों को उच्च प्राथमिकता देती है। फिर भी किसानों की दशा सुधारने के लिए इस सरकार द्वारा बहुत कम कार्य किया गया है। किसानों की स्थिति सुधारने के लिए पिछले 42 वर्षों के दौरान शायद ही कोई कार्य किया गया है। यह एक वास्तविकता है।

महोदय, 'सर आर्थर काटन' से लेकर डॉ० के० एल० राव सहित बहुत से प्रसिद्ध व्यक्तियों ने समय-समय पर देश की सभी प्रसिद्ध नदियों जैसे ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी को जोड़ने के लिए एक गारलैंड कैनाल प्रणाली का सुझाव दिया है। यह अवधारणा कोई नई नहीं है। यह प्रस्ताव कई वर्षों से विचाराधीन है। परन्तु फिर भी एक के बाद दूसरी सभी सरकारों द्वारा लगातार इस प्रस्ताव की अपेक्षा की जा रही है। महोदय, यदि हम गरीबी उन्मूलन के बारे में गम्भीर हैं तो देश में गारलैंड कैनाल के निर्माण के अलावा इसका और कोई विकल्प नहीं है। इससे लाखों एकड़ भूमि को खेती योग्य बनाया जा सकता है। इससे खाद्यान्नों के उत्पादन में भारी वृद्धि होगी। यद्यपि विगत में इस प्रणाली के बारे में विभिन्न अध्ययन किये गये परन्तु कोई ठोस कार्यवाही सामने नहीं आई। वर्तमान मांगों में इस बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अत: समय की मांग है कि इस प्रस्ताव के बारे में शीघ्रता से निर्णय लिया जाये।

महोदय, इस देश में किसानों की सदैव उपेक्षा होती रही है। इस सरकार से किसानों को कोई भी प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। सरकार ने खाद्य तेलों और तिलहनों के निर्यात से 1000 करोड़ रुपये से कम धनराशि नहीं कमाई है। परन्तु फिर भी इस आय में से एक पैसा भी किसानों की स्थिति में सुधार के लिए खर्च नहीं किया गया। यह उचित होगा कि इस धनराशि में से आधी धनराशि अथवा कम से कम 200 करोड़ रुपये किसानों के कल्याण कार्यों के लिए लगाये जायें। दुर्भाग्यवश सरकार ने इस विषय में नहीं सोचा है। अत: मैं यह अपील करता हूं कि किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए कम से कम 200 करोड़ रुपये खर्च किये जाने चाहिए। किसानों को उनके उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य नहीं दिये जा रहे हैं। आजकल तम्बाकू उत्पादक सबसे अधिक हानि उठा रहे हैं। वे 20 रुपये प्रति किलो की दर से तम्बाकू बेच रहे हैं फिर भी कोई खरीददार

*मूलतः तेलुगु में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद की हिन्दी रूपान्तर।

नहीं है । उसकी स्थिति अवर्णनीय है । इस गम्भीर स्थिति के बारे में कोई भी व्यक्ति नहीं सोचता । किसी भी व्यक्ति को यह चिन्ता नहीं है कि किसान खेती करने पर कितनी धनराशि खर्च करता है और एक फसल तैयार करने में कितना समय धन और महनत लगती है । तम्बाकू उत्पादकों की स्थिति के बारे में किसी भी व्यक्ति को चिन्ता नहीं है । जो भी धनराशि उनके पास थी उन्होंने तम्बाकू उगाने में उसे खर्च कर दिया है । प्रतिफल के रूप में उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा है । वे आज सड़कों पर हैं और यह सरकार उनकी हालत चुपचाप देख रही है । सरकार को सीधे ही किसानों का उत्पाद खरीदना चाहिए था । परन्तु सरकार ने ऐसा नहीं किया है । तथापि किसानों के पहले से ही ढेर लगे हुए स्टाक को खरीदने में सरकार के लिए अब भी बहुत देरी नहीं हुई है । सरकार इसी तरीके से तम्बाकू उत्पादकों को बचा सकती है । इससे उत्पादकों को उचित मूल्य मिलेगा । मुझे आशा है कि सरकार इस बात को गम्भीरता से लेगी और किसानों से सीधे ही तम्बाकू खरीदने के लिए उचित व्यवस्था करेगी । अत: यदि उन्हें लाभ नहीं मिलेगा तो भी किसानों को उनकी लागत तो मिल सकती है । महोदय, यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यदि किसान को अपने उत्पाद से अच्छी आय मिलेगी तो वह अगली फसल में उसका पुनर्निवेश करेगा । इससे कृषि की उन्नति में सहायता मिलेगी ।

महोदय, कृषि के विकास के लिए सम्पूर्ण देश में कृषि विकास केन्द्रों की स्थापना की गई है । ये केन्द्र उचित प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हैं । इन केन्द्रों में सिखाये गये तरीकों से किसानों को कम फसल मिलती है । इन केन्द्रों पर भारी मात्रा में धनराशि खर्च की जा रही है । ये केन्द्र किसी भी स्थान पर उचित प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हैं । उनकी उचित निगरानी नहीं की जाती है । इन केन्द्रों पर व्यर्थ में करोड़ों रुपये खर्च किए गये हैं । अत: इन केन्द्रों के कार्यकरण की समीक्षा की जानी चाहिए और उचित उपचारात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए ताकि ये केन्द्र कृषि के विकास में प्रभावशाली योगदान दे सकें ।

'नाबार्ड' राज्यों की और अधिक सहायता नहीं कर रहा है । नाबार्ड के माध्यम से वितरित की गई 90 प्रतिशत धनराशि किसानों को मिलती है । यह किसानों के लिए एक वरदान सिद्ध हुआ है । परन्तु यह अजीब बात है कि नाबार्ड ने राज्यों को धन उधार देना बन्द कर दिया है । यह बहुत दुर्भाग्य की बात है । इससे किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । अत: नाबार्ड द्वारा आगे राज्यों को धनराशि दी जानी चाहिए । मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह नाबार्ड को निर्देश दे कि तत्काल धनराशि जारी की जाए ।

महोदय, केन्द्रीय सरकार अब भी किसी न किसी बहाने परियोजनाओं को मंजूरी देने से इन्कार कर रही है । आन्ध्रप्रदेश की पोलावरम जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को भी मंजूरी नहीं दी जा रही है । इस प्रकार की परियोजनाओं को चाहे वे कहीं पर भी स्थापित हों, तुरन्त ही मंजूरी दी जानी चाहिए । इससे लाखों एकड़ भूमि को कृषि योग्य बनाने में सहायता मिलेगी । इससे न केवल सिंचाई क्षमता में वृद्धि होगी, अपितु इससे अधिक विद्युत उत्पादन में भी सहायता मिलेगी । बहुत से राज्यों में बिजली की भारी कमी को दूर किया जा सकता है । अत: मैं यह आग्रह करता हूं कि सरकार के पास लम्बित सभी परियोजनाओं को शीघ्र ही मंजूरी दी जाये ।

महोदय, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। हम किसानों के हितों ही उपेक्षा नहीं कर सकते। कम से कम भविष्य में तो सरकार को किसानों के लिए कोई ठोस कार्यवाही करनी चाहिए। किसान की सम्पन्नता देश की सम्पन्नता है। मुझे यह आशा और विश्वास है कि सरकार भविष्य में किसानों की ओर अपेक्षित ध्यान देगी।

अन्ततः, महोदय, अभी-अभी मानवीय मंत्री जी ने यह कहा है कि आन्ध्र प्रदेश में 50 प्रतिशत बिजली की कटौती की गई है। राज्य में सभी तापीय अथवा पनबिजली परियोजना के निर्माण की केन्द्रीय सरकार द्वारा उपेक्षा की गई है। राज्य में भारी मात्रा में जल संसाधन उपलब्ध हैं। अब राज्य मुख्यतः श्रीशाईलम, माचाकोंडा ऊपरी और निजली सेलेरू परियोजना में उत्पादित जल विद्युत पर निर्भर है। आन्ध्र प्रदेश में तापीय विद्युत केन्द्रों का निर्माण करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। और अब माननीय मंत्री महोदय यह कहते हैं कि बिजली में कटौती के कारण किसानों को नुकसान हो रहा था। यह मुख्यतः केन्द्रीय सरकार की विफलता है। मैं यह अनुरोध करता हूं कि आन्ध्र प्रदेश में ताप विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए कम से कम अब तो कार्यवाही की जानी चाहिए।

महोदय, इन शब्दों के साथ, मुझे भाषण देने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और अपने भाषण को समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री बुद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, कृषि मंत्रालय की 1989-90 की अनुदान की मांगों पर अपने कुछ विचार सदन के समक्ष रखना चाहता हूं।

कृषि की दृष्टि से देश आत्मनिर्भरता की ओर जा रहा है और इसके लिए मैं किसानों को और वैज्ञानिकों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। गत वर्ष का जो सूखा था, वह बहुत ही भंयकर सूखा था और शताब्दी का सबसे भयंकर सूखा था। उस सूखे का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार ने राजस्थान सरकार को, गुजरात सरकार को और दूसरी अन्य सरकारों को जो मदद दी, वह बहुत ही सराहनीय है परन्तु इस वर्ष भी, हमारा यह दुर्भाग्य है कि राजस्थान के अन्दर 4,506 गांव अकाल से प्रभावित हैं और मेरे क्षेत्र, विशेषकर बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, बीकानेर और भीलवाड़ा के क्षेत्र में अकाल की स्थिति अभी भी बनी हुई है और वे अकाल से प्रभावित हैं परन्तु न तो राजस्थान सरकार ने हमारी कोई मदद की और न केन्द्रीय सरकार ने मदद की है और मैं तो यह कहूंगा कि वहां पर स्थिति इतनी खराब हो रही है कि वे भुखमरी की स्थिति में आ रहे हैं और भुखमरी की स्थिति वहां पर पैदा हो गई है। राजस्थान सरकार से बहुत हमने निवेदन किया कि आप हमारी मदद करें। उन्होंने यह कहा कि हमने प्रतिवेदन केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दिया है और केन्द्रीय सरकार ने अभी तक अध्ययन दल नहीं भेजा है। पहली बात तो यह है कि हमारी राजस्थान सरकार को जो प्रतिवेदन जनवरी में भेजना चाहिए था, वह प्रतिवेदन उसने फरवरी के अंत में भेजा और फिर केन्द्रीय सरकार ने अध्ययन दल नहीं भेजा। वह अभी भी कहती है कि हम अध्ययन दल कैसे भेजें, आप जो मार्जिन मनी है, उसको खर्च करें। 31, मार्च 1989 से पहले हमारे पास कोई मार्जिन मनी नहीं थी और हमारी राजस्थान की सरकार ने कोई इस प्रकार की

स्कीम नहीं चलाई। हर साल जनवरी में काम शुरू हो जाता है लेकिन इस वर्ष कोई भी कार्य अभी तक नहीं चला। कुछ कार्य चल रहे हैं और एन० आर० ई० पी० के कुछ कार्य अभी शुरू किये गये हैं और वे भी कुछ क्षेत्रों में शुरू किये गये हैं। स्थिति यह होनी चाहिए थी कि महीने के अन्दर जैसा स्थिति है, उसको देखते हुए 1 लाख मजदूर बाड़मेर के अन्दर, 30 हजार मजदूर जैसलमेर के अन्दर और 75 हजार मजदूरा जोधपुर के अन्दर लगने चाहिए थे और वहां कतई मजदूर लगे हुए नहीं हैं और जो मजदूर लगे हुए हैं वे राष्ट्रीय मार्ग न० 1 पर लगे हुए हैं और जो राष्ट्रीय मार्ग केन्द्रीय सरकार द्वारा मूंजर किया हुआ है उसी पर लगे हुए हैं और दूसरी जगहों पर जो मजदूर लगे हुए हैं, वे बिलकुल कम हैं। मेरा आप से निवेदन है, केन्द्रीय सरकार से निवेदन है कि वहां पर जल्दी से जल्दी अध्ययन दल भेजें और उसको भेज कर हमारी कुछ मदद करें और 100 करोड़ रुपये की अन्तरिम सहायता दें। अगर यह सहायता नहीं दी गई और कार्य शुरू

7.00 म०प०

नहीं किये गये, तो वास्तव में हमारे क्षेत्र में लोग भूखे मरेंगे, बीमारी फैलेगी। उसके बाद आप हमारे यहां केन्द्र से अधिकारी वगैरहः भेजेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि मई और जून के महीने हमारे लिए बहुत भयानक होंगे। इसलिए आप अभी से अध्ययन दल भेजिये और हमारी मदद कीजिए। उससे पहले आप हमें सौ करोड़ रुपये की अन्तरिम सहायता दीजिए।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पहले जो अकाल के लिए हमें सहायता दी जानी थी उसमें भी हमें 58 करोड़ रुपये मिलना चाहिए। वह 58 करोड़ रुपये हमें अभी तक नहीं मिला है। नवम्बर 1987 और मार्च 1988 में सेंट्रल टीम वहां पहुंची थी और उन्होंने 195 करोड़ रुपये राशि की सिफारिश की थी। उसमें से राजस्थान सरकार को 137 करोड़ रुपये ही दिये गये हैं। जबकि हमारी राजस्थान सरकार ने 198 करोड़ रुपये खर्च किये। आपने यह कह कर के हमें यह बकाया राशि नहीं दी कि साढ़े सात रुपये मजदूरी दी गयी है जबकि साढ़े दस रुपये मजदूरी दी गयी थी। आपने हमें साढ़े सात रुपये के हिसाब से हमें राशि दी। इसलिए 58 करोड़ रुपये की राशि हमारी ड्यू है जिसके बारे में हमने आपसे बार-बार रिक्वेस्ट की है। वह राशि हमको जल्दी से जल्दी मिलनी चाहिए।

हमारे यहां जो वेजिज 11 रुपये थे जिनके बारे में हाईकोर्ट ने निर्णय किया है कि 14 रुपये देने होंगे। उसके आधार पर 21·82 करोड़ रुपये और देने की हमने रिक्वेस्ट की है। राजस्थान सरकार ने आप को लिखा है कि उसका 208 करोड़ रुपया ज्यादा खर्च हो गया। इसलिए हमने आपसे 150 करोड़ रुपये नान-प्लेन लोन के रूप में देने की रिक्वेस्ट की है जोकि हमें मिलना चाहिए।

कहने का अर्थ यह है कि अगर केन्द्र सरकार हमारी मदद नहीं करेगी तो राजस्थान सरकार इन विपदाओं का मुकाबला नहीं कर सकती है। इस सम्बन्ध में हमारी जो मांग है, उसको आपको पूरा करना चाहिए।

डेजर्ट डवलपमेंट के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में इसके लिए 245 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जिसमें से केवल सौ करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं। राजस्थान में रेगिस्तान का विस्तार हो रहा है। उस रेगिस्तान को रोकने के लिए डेजर्ट डवलपमेंट प्रोग्राम है। अगर इस प्रोग्राम में कमी की गयी तो डेजर्ट का विस्तार होगा। इसके लिए भी पूरी

राशि का प्रावधान इसी वर्ष करना चाहिए। एक्सप्लोरेशन आफ ट्यूबवेल्स, एनीमल हसबेंडरी और पावर के प्रोग्राम्स जो थे, उन्हें भी करटेल किया गया है। इससे हमारे डेजर्ट डवलपमेंट प्रोग्राम में बहुत बाधा पड़ी है। इन प्रोग्रामों को इसमें शामिल करना चाहिए।

कृषि विज्ञान केन्द्र के लिए हम बार-बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं परंतु वे स्थापित नहीं किये जा रहे हैं। इनके स्थापित न होने के कारण हमारे बाड़मेर और जैसलमेर जिलों को जितना लाभ मिल सकता था वह नहीं मिल पा रहा है।

हमारे बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में शिप ब्रीडिंग सेन्टर भी स्थापित किये जाने चाहिएं। हमारे यहां ऊन पैदा होती है। इन सेन्टरों से ऊन की पैदावार बढ़ाने में वहां मदद मिलेगी।

रूरल वाटर सप्लाई के बारे में मेरा कहना यह है कि हमारे राजस्थान में, विशेषकर रेगिस्तानी क्षेत्रों में पीने का पानी नहीं पहुंचा है। उनके लिए इसी वर्ष पीने के पानी की व्यवस्था करके पानी पहुंचाएं। इसके लिए हमने एक कंटीजेंट प्लान को प्रस्तुत किया है। उस कंटीजेंट प्लान को स्वीकृत करके हमारे यहां पीने का पानी पहुंचाने में भी आप हमारी सहायता करें।

फसल बीमा योजना के बारे में मेरा कहना यह है कि मंत्री महोदय ने हमें विश्वास दिलाया था कि हमारे यहां यह पटवार सर्किल के आधार पर लागू की जाएगी। हमारे राजस्थान में दो वर्ष से फसल बीमा योजना नहीं है। इसको वहां जल्दी से जल्दी स्वीकृत करके लागू किया जाए। आप इसमें पूर्ण सहयोग दें। जवाहर रोजगार योजना के लिए 2100 करोड़ रुपया रखा गया है, जोकि बहुत अपर्याप्त है। गरीबी की रेखा से नीचे प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को रोजी देने के लिए 2100 करोड़ रुपया अपर्याप्त है, इसको बढ़ाकर कम से कम 5000 करोड़ रुपया करना चाहिए ताकि इस योजना से गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले तथा गरीब लोग लाभान्वित हो सकें, उनको रोजगार मिल सके, बेरोजगारी की समस्या में कुछ सुधार हो सके।

इन शब्दों के साथ में कृषि विभाग की अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अभी भी कुछ सदस्यों को बोलना है। हम सभा के समय में कितनी वृद्धि और करें ? क्या एक घंटा पर्याप्त रहेगा ?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां। ताकि सूची में शामिल सभी सदस्यों को बोलने का अवसर मिल सके।

सभापति महोदय : इस प्रकार सभा एक घंटे की अवधि और बढ़ाती है। उपस्थित सदस्यों के नाम अगर सूची में हैं तो उन सबको बोलने का अवसर मिलेगा। मैं सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे संक्षेप में बोलकर इस कार्य में सहयोग करें।

श्री मोहम्मद अयूब खां बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अय्यूब खां (झुन्झुनू) : मोहतरम चेयरमैन साहब, सबसे पहले मैं कृषि

विभाग की मांगों का समर्थन करते हुए मोहतरम प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने किसानों के लिए इतना अच्छा बजट प्रस्तुत किया है। किसान इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी हैं, उनके लिए इतना अच्छा बजट प्रस्तुत करना काबिले तारीफ बात है। साथ ही कृषि मंत्री श्री भजन लाल जी, उनके सहयोगी मंत्री, अधिकारीगण तथा साइंटिस्ट्स, सभी बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने इतनी मेहनत करके इतना अच्छा बजट लाने में मदद की।

सभापति महोदय, राजस्थान में कुछ सालों से लगातार सूखा था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वहां पर हरएक जिले का दौरा किया और अच्छी योजनाएं वहां के लिए बनाई, ताकि राजस्थान का कोई आदमी भूख से न मर सके। इस तरह का वहां पर बंदोबस्त किया गया कि राजस्थान की जनता भीषण अकाल से बच सकी।

राजस्थान में इंदिरा गांधी कैनाल योजना लंबे समय से चल रही है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो 1958 से चल रहा है, लेकिन राजस्थान सरकार इसको कभी पूरा नहीं कर पाएगी। अगर बजट में इसी तरह से प्रावधान चलता रहा तो 30 साल तक भी यह योजना पूरी नहीं हो सकती, इसलिए मेरा अनुरोध है कि केन्द्र सरकार इसको अपने हाथ में ले, इसके पूरा होने से पूरा राजस्थान सरसब्ज होगा और देश में अनाज उत्पादन में भागीदार हो सकेगा।

किसानों को दी जाने वाली सबसिडी के बारे में बहुत कन्फ्यूजन है, इसके लिए इस तरह का बंदोबस्त होना चाहिए कि किसान को डायरेक्ट यह सबसिडी प्राप्त हो। जैसे बिजली का बिल आता है, उसमें कटौती करके उसको सीधा लाभ पहुंचाया जाए, किसान लोन लेता है तो वहां भी उसको सबसिडी सीधी मिले और इन सब बातों का पूरा प्रचार हो, किसान तक लिटरेचर पहुंचे और बैंक के अधिकारियों तक भी सारी इंस्ट्रक्शंस पहुंचे, ताकि किसान जब लोन लेने जाए तो स्कीम के तहत उसको आसानी से लोन प्राप्त हो, उसको कोई गुमराह न कर सके, वह जरूरत के मुताबिक लोन प्राप्त कर सके।

आज तक जो कुछ रिसर्च हुई है वह गेंहू और चावल पर ज्यादातर हुई है, हमारे यहां मोटा अनाज बाजरा, गवार आदि होता है, उसकी तरफ खास तवज्जह नहीं दी गई है। मेरे क्षेत्र झुन्झुनू का किसान बहुत मेहनती है, वहां पर कृषि विज्ञान केन्द्र की मांग बहुत दिनों से चली आ रही है। वहां के लोगों को तालीम देने के लिए, जमीन को उपजाऊ बनाने की जानकारी देने के लिए इस मांग को अवश्य मंजूर किया जाए।

उदयपुरवाटी और खेतड़ी पहाड़ी क्षेत्र हैं जिस तरह से हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र हैं, इसलिए उन लोगों को वही सुविधाएं मिलनी चाहिए जो पहाड़ी क्षेत्र के किसानों को मिलती हैं। वहां की सबसे बड़ी समस्या यह है कि कुओं का पानी काफी नीचे चला गया है और किसानों से 4000 रुपए फ्लैट रेट ले लिया जाता है, जबकि वह 2-3 घंटे ही उसका उपयोग कर पाता है। इसलिए किसान इतना पैसा अदा नहीं कर सकता, अतः इस फ्लैट रेट को हटा कर जितना कुएं का उपयोग हो, उसी हिसाब से राशि उससे ली जानी चाहिए।

कुछ गांव ऐसे हैं जहां छोटे-छोटे बंध बन जाएं तो पानी रुक सकेगा और कुओं का स्तर ऊपर आ सकेगा। एक बाबुली गांव है जहां के किसानों की लगातार मांग यह रही है कि वहां बंध

बन जाए तो पानी का स्तर ऊपर आ जायेगा और किसान खेती कर सकेगा। उसके लिए थोड़ी सी समस्या फारेस्ट की आती है। मुझे उम्मीद है, मंत्री महोदय अवश्य ही इस पर ध्यान देंगे। आपने मेरी पिछली स्पीच के समय यह आश्वासन दिया था कि उदयपुर और चिड़ावा जो डार्क जोन हैं, उनसे मुक्ति मिल जायेगी। डार्क जोन होने की वजह से किसानों को वह सुविधा नहीं मिल पाती जो नार्मल किसान को नार्मल इलाके में मिलनी चाहिए। जो किसान मंजूर किया हुआ पम्प सैट लेने जाता है तो उसको ज्यादा दाम देने पड़ते हैं, अगर बाजार में जाता है तो दो हजार का फर्क होता है। इस तरह से करप्शन को दूर किया जाना चाहिए। हर जगह मजदूरों का ख्याल रखा जाता है, उनकी यूनियनें भी हैं। लेकिन किसान की देखभाल नहीं होती है। उनके लिए ओल्ड-एज पेन्शन की सहूलियत होनी चाहिए। तमाम सहूलियतों के बारे में किसान को मालूम होना चाहिए कि सरकार उसके लिए क्या कर रही है। राजस्थान में बिजली की भयंकर कमी है। वहां के लिए दस घंटे अनाऊंस है लेकिन दो-चार घंटे ही बिजली मिल पाती है। इतनी कम बिजली से किसान कैसे सिंचाई कर पायेगा जबकि कुओं के पानी का स्तर काफी नीचे है। पहले उस स्तर तक पानी लाने के लिए बहुत ही कम एरिया सिंचाई के लिए काबू में आ सकता है। बिजली की समस्या दूर करने के लिए विंड प्लांट और सोलर बिजली प्लांट लगाने की इजाजत दी जानी चाहिए। इंदिरा गांधी कैनाल हमारे बहुत नजदीक से गुजरती है। कम से कम उस क्षेत्र के लिए पीने के पानी हेतु उस नहर का पानी काम में लाया जाना चाहिए। हरियाणा तक जवाहरलाल नेहरू कैनाल गई हुई है लेकिन राजस्थान का पूरा इलाका सूना पड़ा हुआ है। अगर यह कैनाल भी झुन्झुनू के इलाके से दाखिल हो तो किसान को पीने का पानी मिल सकेगा। वह इलाका फौजियों और बिजनैसमैन का इलाका है, कम से कम उनको भी पानी मिल सकेगा। हमारे इलाके में एक मिल्क डेरी प्लांट काफी दिनों से बंद पड़ा हुआ है। वह किसानों का एकमात्र साधन था, इसलिए मेरा आग्रह है कि उस प्लांट को दोबारा चालू किया जाना चाहिए ताकि किसानों को दूध पहुंच सके। भेड़ों के लिए आपने बंदोबस्त किया है। लेकिन हमारे इलाके में बकरी बहुत ज्यादा हैं। बकरी पालन के लिए भी सहायता मिलनी चाहिए ताकि लोग बकरी का बंदोबस्त कर सकें। झुन्झुनू के लिए कृषि विज्ञान केन्द्र की अनुमति भी दिलवाने का कष्ट करें। इन शब्दों के साथ में मांगों का समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : सभापति महोदय, मैं केवल दो-तीन बातें ही कहना चाहता हूं। मैं उस समय नहीं था जब माननीय मंत्री श्री यादव जी ने वक्तव्य दिया था। मैंने उनके वक्तव्य को लाइब्रेरी में बड़े गौर से तीन-चार बार पढ़ा। कभी इच्छा हुई कि बोलूं और कभी इच्छा हुई कि नहीं बोलूं। यादव जी मेरे अच्छे दोस्त हैं, आशा है गलत नहीं समझेंगे। आपने बड़े जोर से कहा कि रेम्युनरेटिव प्राइस और सपोर्ट प्राइस एक नीड है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है कि लोगों को रेम्युनरेटिव प्राइस नहीं मिलता हो। मैं एक जिम्मेदार आदमी हूं और बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि मेरे पास दस-बीस बीघा जमीन है, आप आइये मेरे क्षेत्र में, अपने घर में दिखाकर बताऊं कि खेती आज के समय में लाभकारी नहीं है। आपका फार्मूला मैंने पढ़ा है। उसमें आपने बीज को लिया, खाद को लिया, मजदूरी को लिया, जमीन की मालगुजारी को लिया।

में कहूंगा जमीन की मालगुजारी को न लीजिये, यह पुराना सिद्धांत है। जमीन के दाम को लें या जिस दाम में जमीन खरीदी जाती है उस दाम का ब्याज लें। जैसे पचास हजार रुपये बीघा जमीन है, 15 प्रतिशत के ब्याज से आप उसको लें, जिस हिसाब से लोगों को कर्ज मिलता है, फिर देखें। उसमें सीड को लीजिये, बोरिंग के पानी का खर्च लीजिये, उस पर खाद का खर्च लें तब देखिये जो दाम मिलता है क्या वह लाभकारी है? मैं बहुत विनम्रता से कहता हूं कि लाभकारी नहीं है और यह भयावह समस्या है। मैंने पहले भी सदन में कहा है और आज भी बहुत विनम्रता से कह रहा हूं कि आप इस बात का पता लगायें। और राज्यों की बात छोड़िये, बिहार का पता लगायें कि कितने खेतिहर मजदूर बन गये और वह मजदूर बनने में क्यों लाचार हुए। मंत्रीजी चाहें तो मैं यहीं दिल्ली में दिखा दूंगा ऐसे-ऐसे लोग जिनकी पचास एकड़ जमीन उत्तरी बिहार में थी वे लोग यहां गाजियाबाद, फरीदाबाद, बल्लभगढ़ और चांदनी चौक में आकर दस रुपये रोज पर मजदूरी करते है। कहीं कोई लाचारी होगी जब वे ऐसा करते हैं, कोई शौक से ऐसा नहीं करते हैं। यह एक ऐसी समस्या है जिस पर बड़ी गम्भीरता से विचार करना चाहिए। मैं आपके बयान को नहीं काटता हूं, लेकिन मैं एक प्रार्थना करता हूं कि सारी समस्या पर बड़े गौर से विचार होना चाहिए कि हम कहां पहुंच गये हैं। क्या खेतिहरों का जो काम करते हैं उनको उसका मुआवजा मिलता है या उनको अनाज का भरपूर दाम मिल पाता है। यदि नहीं मिल पाता है तो हम इस बारे में क्या कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं आपने बहुत अच्छा किया है 17 करोड़ टन अनाज पैदा हुआ है, आगे और भी पैदा होगा। लेकिन इस संसार में ऐसे उदाहरण हैं जहां बड़ी तगड़ी फसल हुई है खासकर साउथ-ईस्ट एशियन कंट्रीज में, एक बार बड़ी अच्छी फसल हुई और दूसरी बार अकाल पड़ गया। क्योंकि लोग मुगालते में रहते हैं कि ऐसा ही आगे होगा। इसलिए आप कहेंगे कि ऐसा चलेगा और हमेशा ऐसी ही पैदावार होती रहेगी तो मैं समझता हूं ऐसा नहीं हो सकता है, अगर हो तो बहुत अच्छी बात है। आप ज्यादा से ज्यादा अनाज पैदा करें। अभी भी संसार में अनाज के निर्यात में सम्भावना है। हमें विदेशी मुद्रा की बहुत ज्यादा जरूरत है और आप यदि फूड ग्रेंस का निर्यात कर सकें तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। मैं उत्तर बिहार की बात कहता हूं, हर साल नेपाल की नदियों से बहकर आये पानी से वहां की फसल बेकार हो जाती है। उनकी क्या गलती है। कई बार प्रार्थना की कि नेपाल सरकार से ऐसी बात कीजिए जिससे वहां पर नदियों पर डैम बनाये जा सकें। जिससे लगी-लगाई फसलों की रक्षा हो सके। और नहीं तो कम से कम नेपाल को वार्निंग दे दी कि इसके लिए आप प्रिवेंटिव मेजर्स लें। यदि कोई वार्निंग दी जा सके तो हमारे आदमियों को बहुत बड़ी राहत होगी। अब जब कि नेपाल हमसे सम्बन्ध अच्छे बनाने के लिए उत्सुक है तो यह वक्त है कि हम वहां की नदियों के बारे में उससे कोई समझौता करें जिससे हमारी फसलों की रक्षा हो सके। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि यदि आपने उत्तरी बिहार की बाढ़ से रक्षा कर ली तो उत्तरी बिहार में ही इतना अनाज का भण्डार हो जायेगा कि वह आधे हिन्दुस्तान को खिला सकता है। आप इस बात पर गम्भीरता से सोचिये। यदि पूरे हिन्दुस्तान को नहीं तो आधे हिन्दुस्तान को उत्तरी बिहार खिला सकता है।

मैं एक-दो बातें और कह कर समाप्त करूंगा। इस सदन में मैंने कई बार स्पेशल मैंशन और दूसरे तरीके से चर्चा की कि जिस समय बिहार में भूकम्प आया, उस समय दुर्भाग्यवश सरकारी

कर्मचारी हड़ताल पर थे और आपने यहां से जो सेंट्रल टीम वहां मुआयना करने के लिए भेजी, उस टीम को भूकम्प पीड़ित इलाके दिखाने वाला कोई मौजूद नहीं था। मैंने पहले भी कहा और आज फिर निवेदन करता हूं कि आप यहां से दोबारा एक सेंट्रल टीम भेजिए जो वहां जाकर पता लगाये कि लोगों का किस तरह का नुकसान हुआ है। अच्छी खासी जमीन बंजर हो गयी है, जमीन में बालू आ गयी है। हजारों लोग मर गये हैं और घर तो लाखों लोगो के गिर गये हैं। आप कुछ तो कीजिए। उन लोगों के प्रति इतनी निष्ठुरता मत दिखाइये। आपने लिखकर दे दिया कि यह सम्भव नहीं है, हमने यह कर दिया, वह कर दिया, लेकिन मंत्री जी आप कुछ तो दया कीजिए। भले ही दो आदमियों की टीम भेजिए, लेकिन भेजिवाइए जरूर। आप मेरे साथ चलिए और देखिए उस इलाके में क्या हुआ है। लोग पूरे जाड़ों खुले आसमान के नीचे रहे हैं। पढ़ने-पढ़ाने के लिए उनके पास न स्कूल बचे हैं, न कालेज। मैं तो मीडिया को भी ब्लेम करता हूं कि उन्होंने नौर्थ बिहार के अर्थक्वेक के बारे में कुछ खास नहीं लिखा, कुछ नहीं किया। वहां स्थिति बहुत खराब है। वे भी आपके ही लोग हैं जो हरियाणा और पंजाब में आकर मेहनत करते हैं और अनाज का भरपूर उत्पादन करते हैं। इसलिए आप उन पर मेहरबानी कीजिए। मैं तो कहूंगा कि बिहार में आये पिछले भूकम्प के बारे में आप नए सिरे से सोचिए।

यहां एक वरिष्ठ माननीय सदस्य ने कहा कि हमने जमींदारी प्रथा खत्म कर दी, लोग कैसे कहते हैं कि बिहार में लोगों के पास सैंकड़ों एकड़ जमीन है। मैं उनसे दावे के साथ कहना चाहता हूं कि बिहार में आज भी लोगों के पास हजारों एकड़ भूमि मौजूद है, 10 हजार एकड़ तक जमीन है, लेकिन कुत्ते और बिल्लियों के नाम पर, फिर भी उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती। आपको बताऊं कि मैं अखबारों की दुनिया से पिछले चुनावों में उधर गया था तो एक गृहस्थ के यहां···

श्री राम प्यारे पानिका (राबर्टसगंज) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य जो कुछ कह रहे हैं, उसकी जांच होनी चाहिए क्योंकि यह बड़ा गम्भीर मामला है और जांच होने के बाद कोई न कोई कार्यवाही भी अवश्य होनी चाहिए।

सभापति महोदय : आपने जो कुछ कहना है, अपने भाषण में कहिये।

डा० गौरी शंकर राजहंस : जब मैं एक ग्रहस्थ के यहां गया तो यह सुनकर हैरान रह गया जब एक ने कहा : अरे पार्वती को घास दो। मैंने समझा यहां कोई प्रथा होगी कि पार्वती देवी को घास दी जाती होगी। फिर दूसरे ने कहा : अरे, शंकर को दो डंडे लगाओ। मैं फिर हैरान रह गया तो इस पर मेरे साथ गए लोगों में से एक ने समझाया कि पार्वती नाम की गाय है, और शंकर नाम का बैल है और दोनों के नाम पर काफी बेनामी जमीन है। इससे आप समझ सकते हैं कि बिहार में क्या होता है। यदि मेरे पास मौका रहता तो मैं आपको बहुत कुछ बताता लेकिन मैं दुखी हूं, आप बिहार के लिये कुछ न कुछ अवश्य कीजिए।

श्री राम बहादुर सिंह (छपरा) : सभापति जी, आज भी हमारे देश में बहुत से पढ़े लिखे लोग ऐसे हैं जो इस भ्रम को पाल रखे हैं कि हमारे देश का औद्योगिक विकास के जरिए ही संभव है। यदि मैं कहूं कि विकास की नीति भी इसी भ्रम के अधार पर चलती है तो इसमें

कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मान्यवर, 1951 से लेकर 1985 तक समस्त व्यय का 39.75 प्रतिशत भाग उद्योग, खनन और ऊर्जा पर खर्च किया गया जबकि कृषि के हिस्से 23.11 प्रतिशत भाग ही आया। इसी अवधि में, 69 प्रतिशत श्रम शक्ति जिस कृषि कार्य में लगी हुई है, उनकी आमदनी प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति 400 रुपए से 415 रुपए हुई जबकि अन्य क्षेत्रों में जो लोग लगे हुए हैं, इसी अवधि में उनकी आमदनी 593 रुपए से बढ़कर 1216 रुपए हो गयी। कुल राष्ट्रीय आय में जो हिस्सा कृषि कार्य में लगे हुए 69 प्रतिशत लोगों का है, वह हिस्सा 36 प्रतिशत है। व्यवसाय, व्यापार में और, असंगठित क्षेत्र में जो लोग लगे हुए हैं उनको 25 प्रतिशत हिस्सा मिलता है और जो संगठित उद्योग में हैं, वे 18 प्रतिशत लोग हैं, और उनको 39 प्रतिशत हिस्सा मिलता है। इसका नतीजा है कि हिन्दुस्तान के किसान की हालत रोज-ब-रोज बद से बदतर होती जा रही है जिसका सबूत है कि 1970 से 1975 तक राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान रहा 47.4 प्रतिशत, वह 85 में घटकर के 30.38 प्रतिशत पर आ गया। बड़ी चर्चा हुई सूखे की। मैं मानता हूं कि भयंकर सूखा पड़ा था पिछले तीन वर्षों में और इसका सारा दोष प्रकृति के ऊपर थोप दिया गया, लेकिन इसकी चर्चा किसी ने नहीं की कि 7वीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों में कृषि पर, सिचाई पर और बाढ़ नियंत्रण पर जो खर्चा होने वाला था, उसमें कटौती की गई। श्रीमन, कुल बजट का 16.84 प्रतिशत खर्च होना था कृषि पर, हुआ 15.4 प्रतिशत, यानी 19 सौ करोड़ रुपए की कटौती की गई और केवल सिंचाई पर 13044 करोड़ रुपए की कटौती की गई और जहां 64 लाख हैक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन करना था वहां 55 लाख हैक्टेयर सिंचाई क्षमता का ही सृजन हुआ। यानी 9 लाख हैक्टेयर कम। इस नौ लाख हैक्टेयर में हम कम से कम 30 लाख टन गल्ला पैदा कर सकते थे। फिर उसी तरह से उन्नत बीज का भी बहुत बड़ा हाथ कृषि के विकास में होता है। उन्नत बीज के अभाव में भी अपने यहां पैदावार में कमी होती है। 1986-87 में 75 से 85 लाख क्विंटल उन्नत बीज की आवश्यकता थी, लेकिन 55 लाख टन ही उपलब्ध हुआ, यानी 6.06 करोड़ हैक्टेयर भूमि जिसमें उन्नत बीज डाला जा सकता था नहीं लगाया गया। उन्नत बीज लगाया गया केवल 5.04 करोड़ हैक्टेयर में और इसका एक ही कारण है कि चर्चा तो यहां होती है कि कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए, लेकिन जब प्राथमिकता देने का सवाल खड़ा होता है, तो कृषि को नंबर दो पर रखा जाता है और उद्योग को एक नंबर पर रखा जाता है और कृषि के विरुद्ध भिन्न-भिन्न तरीके से, अनर्गल तर्क दिए जाते हैं कि कृषि में पूंजी लगाने और आधुनिक यंत्रों को खपाने की क्षमता नहीं है। इसलिए कृषि में ज्यादा पूंजी लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस तरह के तर्क देने वाले लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि दुनिया के उन देशों में जहां कृषि का काम होता है, एक कृषि कर्मी औद्योगिक मजदूर की तुलना में ज्यादा साज-सामान लेकर काम करता है। जैसे जापान, दक्षिण कोरिया और ताईवान में। फिर दूसरा तर्क दिया जाता है कि कृषि कार्य में पूंजी ज्यादा लगाने से कृषि का यंत्रीकरण होगा और जितना ज्यादा यंत्रीकरण होगा, उससे रोजगार का क्षेत्र संकुचित होगा, लेकिन पंजाब में सबसे ज्यादा यंत्रीकरण हुआ है, जहां दूसरे राज्यों से मजदूर आते हैं। देश के दूसरे राज्यों से बहुत बड़ी संख्या में मजदूर पंजाब की शरण में जाते हैं। यदि पंजाब इन मजदूरों को शरण देना बंद कर दे, तो बिहार और पूर्वी उत्तरप्रदेश के लाखों मजदूर बेमौत इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे।

पंजाब चूंकि शरण देता है, इसलिए यह कहना कि यंत्रीकरण से कृषि में रोजगार का क्षेत्र संकुचित होगा, यह गलत है। खास कर के उन देशों में, जापान, ताईवान और दक्षिणी कोरिया की चर्चा मैंने की, वहां एक सौ हैक्टेयर में, जितने मजदूर अपने यहां रखे जाते हैं, ठीक उससे दुगुने वहां रखे जाते हैं। इसलिए कृषि का यंत्रीकरण करने से रोजगार का क्षेत्र विकसित होगा, संकुचित नहीं होगा। फिर एक तर्क दिया जाता है कि जब पैदावार बढ़ेगी, तो इस अतिरिक्त पैदावार का क्या होगा? लेकिन वह नहीं जानते हैं कि दुनिया में बहुत बड़े पैमाने पर कृषि पदार्थों का व्यापार होता है और हिंदुस्तान की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि हिंदुस्तान इस मामले में अग्रणी हो सकता है। एक विशेषज्ञ समिति गठित हुई थी जिसकी रिपोर्ट में यह है कि कृषि पदार्थों के व्यापार से 20 हजार करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा हम अर्जित कर सकते हैं यानी कृषि पदार्थों के अतिरिक्त जिन वस्तुओं का व्यापार करके हम जितनी विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं, ठीक उससे दुगुनी हम विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकते हैं।

एक और तर्क दिया जाता है कि अपने यहां जोत का रकबा, एराजी बहुत कम है। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के अनुसार यदि अपने यहां हम 5 आदमी का एक परिवार मान लें तो एक साल में उस परिवार के लिए जितना गल्ला चाहिए, उतनी उपज हम .07 हैक्टेयर भूमि में पैदा कर सकते हैं। अपने यहां सबसे छोटा रकबा सीमान्त किसानों के पास है, उसका रकबा .04 हैक्टेयर है यानी इसके आधे से हम खाने का गल्ला पैदा कर सकते हैं और बाकी जमीन में नकदी फसल उगा सकते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आज जो विकास की नीति चल रही है वह इस गलतफहमी का शिकार है कि देश में उद्योग के विकास से ही देश का विकास हो सकता है। मैं उद्योग का विरोधी नहीं हूं, मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि जिस तरह से एक व्यक्ति के दो पैर होते हैं, उसी तरह से किसी भी देश के विकास के लिए कृषि और उद्योग दो पैर का काम करते हैं लेकिन कृषि का जो अंश होता है, उसको देने का प्रयत्न किया जाए। कृषि का योगदान जो राष्ट्रीय आय में होता है यदि उतना भी कृषि के विकास के लिए दे देंगे तो किसान तो उससे खुशहाल होगा ही, देश का विकास होगा ही साथ ही राष्ट्रीय आय में ड्योढ़ी वृद्धि हो जाएगी। आप इस पर विचार करें।

आपने फसल बीमा योजना लागू करके बहुत अच्छा काम किया है लेकिन आपने उसमें जिले को यूनिट माना है जिसकी वजह से किसानों को लाभ नहीं पहुंच रहा है। मेरे संसदीय क्षेत्र में 9 प्रखण्ड आते हैं जिसमें 5 ऐसे हैं—दिगवाड़ा, सोनपुर, दरियापुर, सदर और गरखा—जहां संयोग से किसी साल ही बाढ़ न आती हो, वरना हर साल बाढ़ आती है लेकिन वहां के किसानों कोई राहत नहीं मिली है। फसल बीमा योजना से उनको मुआवजा नहीं मिलता है, और कोई लाभ नहीं होता है इसलिए कि जिले को आपने यूनिट माना है। आपसे निवेदन है कि जिले के बजाए, आप चाहे पंचायत को नहीं मानिए तो कम-से-कम प्रखंड को यूनिट मानकर फसल बीमा योजना को लागू करने का कष्ट करें।

श्री जनार्दन पुजारी ने बड़ी जुर्रत के साथ कहा कि भूमि हदबन्दी कानून को सख्ती से लागू किए बिना क्षेत्र और देश का विकास नहीं होगा। आज सारे देश में सामाजिक तनाव बना हुआ है, गांव-गांव में खासकर हमारे बिहार में जो नैक्सलाइट आन्दोलन चल रहा है उसका एक-

मात्र कारण यही है कि जो नैक्सलाइट कहे जाते हैं वे चाहते हैं कि उनको ईमान की रोटी और इज्जत की जिन्दगी मिले, लेकिन यह भी मिलेगी जब जमीन का बंटवारा होगा। जिस जुर्रत और दृढ़ता के साथ उन्होंने कहा है, उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं लेकिन मैं आगाह कर देना चाहता हूं कि आज भी बिहार में ऐसे लोग हैं जिनके पास 10 एकड़ नहीं, 100 एकड़ नहीं बल्कि 10 हजार एकड़ बेनामी जमीनें हैं, और वे आपकी बगल में बैठे हुए लोग हैं। इसके लिए आप को हिम्मत करनी होगी, पनिका साहब मैं आपके साथ हूं कि इसकी इन्क्वायरी होनी चाहिए कि कौन से ऐसे ऐसे लोग हैं जो 10, 10 हजार एकड़ जमीन अपने कब्जे में रखे हुए हैं जोकि कुंता, बिल्ली और बैल के नाम पर है, उनकी इन्क्वायरी होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : माननीय सभापति महोदय, खेतीबाड़ी की डिमांड्स का मैं समर्थन करता हूं। पिछले वर्षों में खेती-बाड़ी के क्षेत्र में जो तरक्की हुई उसके लिए हमारी सरकार और हमारे प्रधान मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। राजस्थान में जिन चीजों की कमियां हमें महसूस होती हैं उसकी तरफ मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं मैं लम्बी-चौड़ी प्रशंसा में अपना सारा समय व्यतीत नहीं करना चाहता हूं। मैं जानता हूं समय की कमी है और मैं अगर प्रशंसा करने बैठ गया तो उसमें ही सारा समय निकल जाएगा।

पिछले 4-5 सालों में राजस्थान में भयंकर अकाल पड़ा और इस साल भी करीब पांच हजार गांवों में अकाल की स्थिति है। जहां पांच साल से अकाल पड़ा हो और जिन पांच हजार गांवों में अकाल पड़ा हो ऐसी स्थिति में केवल माजिन मनी की बात करने से कुछ काम नहीं बन सकता है। आपको इसके अलावा भी हमारी कुछ मदद करनी चाहिए। मुझे मालूम नहीं आप वहां कोई यहां से टीम क्यों नहीं भेज रहे हैं। मालूम नहीं कब आपकी हमारे ऊपर कृपा होगी। आपने पिछले वर्ष हमारी जो मदद की उसके लिए हम आपके आभारी हैं। उस मदद से सारे राजस्थान की जनता और वहां के जानवर जिन्दा रह पाये। इसके लिए मैं प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। राजस्थान की सरकार ने 400 करोड़ रुपये की जो सहायता राशि मांगी है उसमें से कुछ न कुछ पैसा आप अवश्य दें जिससे कि वहां कोई कामकाज चल सके। अगर आप राजस्थान को सहायता राशि नहीं देंगे तो वहां के लोग तकलीफ पायेंगे। आप विशेष कृपा करके इस व्यवस्था को करें।

हमारे राजस्थान में पांच साल से अकाल पड़ रहा है। वैसे आपने कई गांवों में हैंडपंप और ट्यूबवैल लगा दिये और कुछ पाइप लाइनें डालकर पीने के पानी की व्यवस्था कर दी लेकिन वह हैंडपंप और ट्यूबवैल अब सूख गये हैं। आप पीने के पानी की व्यवस्था के लिए जो पैसा मंजूर करते हैं उससे ज्यादा पैसा राजस्थान को दें जिससे वहां पानी की समस्या को दूर किया जा सके। यह सारी व्यवस्थायें आपको जल्दी से जल्दी करनी चाहिएं।

आपने जिस प्रकार से गुजरात की डेयरी डेवलपमेंट में बहुत मदद की उसी प्रकार राजस्थान की भी मदद करनी चाहिए। डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम को जितना राजस्थान में बढ़ाया जाएगा उतना लाभ दिल्ली को व अन्य बड़े-बड़े शहरों को होगा क्योंकि राजस्थान के लोग तो ज्यादा दूध पीते नहीं हैं। इस कारण वह सारा का सारा दूध बड़े-बड़े शहरों में भेज देंगे।

अभी यहां जो रूरल डेवलपमेंट के मंत्री आये हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां पर दो कोआपरेटिव सोसाइटियां स्पीनिंग मिल की बनी हुई हैं। हमने इस बारे में अपने टेक्सटाइल मंत्री जी से बात की थी। उन्होंने हम से कहा कि अगर रूरल डेवलपमेंट के मिनिस्टर हमको पैसा दे दें तो किसानों की जो सोसाइटी बनी हुई है उस सोसाइटी के ऊपर स्पीनिंग मिल चला सकते हैं। आप पैसा देते नहीं हैं। भीलवाड़ा जिले में शाहबाद और आसिन्द में दो कोआपरेटिव संस्थायें स्पीनिंग मिल लगाने के लिए बनी हुई हैं। आप हमें पैसा दिलाइए जिससे टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के जरिए से यह मिल लग सके और किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। आपने बम्बई, महाराष्ट्र और अन्य कई जगहों की कोआपरेटिव सोसाइटियों को पैसा दिया है। आप राजस्थान की कोआपरेटिव सोसाइटियों को भी पैसा दें।

भीलवाड़ा जिला एक अच्छा कृषि का क्षेत्र है। वहां पर काफी सिंचित जमीन है। वहां अभी तक कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित नहीं हुआ है। बहुत वर्षों से हम लोग इसकी मांग कर रहे हैं मगर अभी तक इस प्रकार की व्यवस्था नहीं हो पायी है। आप वहां कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने के बारे में विचार करें। लैण्ड रिफार्म्स की तरफ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, हमारे पनिका साहब अभी खड़े होकर कह रहे थे कि इसकी जांच कराई जाय, इसकी जांच कौन करेगा ? हिन्दुस्तान के सबसे बड़े लोगों के पास बहुत जमीनें हैं और हममें, आपमें, चेयरमैन साहब या मंत्री जी में इतनी ताकत है कि वे उनकी जांच करा सकें ? बहुत बड़े-बड़े लोग हिंदुस्तान में बैठे हैं, जिन्होंने हजारों एकड़ जमीन अपने कब्जे में कर रखी है और इसकी जांच कराने की हिम्मत हमारे तुम्हारे में नहीं है क्योंकि उनकी इतनी बड़ी लाबी है कि हमारे जैसा छोटा किसान, छोटे-छोटे कार्यकर्त्ता या कांग्रेस के लोग किसी प्रकार की कोई जांच नहीं करा सकते। विरोधी पार्टियों में भी ऐसे लोग बैठे हुए हैं और अपनी पार्टी में भी बैठे हुए हैं लेकिन उनकी जांच कोई नहीं कर सकता। पुजारी जी ने कह तो दिया कि लैण्ड रिफार्म्स के बारे में व्यवस्था होनी चाहिए मगर क्या आपमें शक्ति है इस बात की कि लैंड रिफार्म्स के बारे में जिस प्रकार के कानून कायदे आपने स्थापित किए हैं, वह लागू करा सकें। यहां पर आपने वेस्ट बंगाल को क्रिटीसाइज कर दिया कि जो खेती करने वाले काश्तकार हैं उनको आपने नाम बैठा दिया इसलिए बहुत बड़ा काम नहीं किया मगर हमने कौनसा बहुत बड़ा काम किया है ? क्या हमने लैंड रिफार्म्स की व्यवस्था को लागू किया है ? मेरे, जैसा कोई काश्तकार था जिसकी सौ दो सौ बीघे जमीन थी उस पर तो आपने सीलिंग लगा दी, मेरी जमीन तो छीन ली लेकिन बड़े-बड़े राजा महाराजा, बड़े-बड़े लैंड लौर्ड के ऊपर क्या आपका कानून लागू हो सकता है ? उन्होंने अपनी जमीन आज तक उसी प्रकार कायम कर रखी है, उनके आज बड़े-बड़े कृषि फार्म्स हैं और उन पर बहुत बड़े-बड़े संगमरमर के महल बने हुए हैं, जो बड़े-बड़े राजा महाराजाओं के पुराने जमाने में भी नहीं थे। आज इतने बड़े-बड़े महल कृषि फार्मों पर बना रखे हैं, उनको आप लीजिए ताकि बहुत बड़ी तादाद में जो बेरोजगारी है उसको दूर किया जा सके और हिन्दुस्तान में हम जो बेरोजगारी को दूर करने की व्यवस्था करना चाहते हैं, वह हो सके।

आपने नेहरू रोजगार योजना दी है और उसी के साथ एन० आर० ई० पी० और आर०

एल० ई० जी० पी० को मिलाया है तो क्या आप महाराष्ट्र की तरह उस योजना को क्रियान्वित नहीं कर सकते, जिसमे एम्प्लायमैण्ट गारण्टी दी गई है। आप तमाम कार्यक्रमों को, चाहे सिंचाई का हो, चाहे पी० डब्ल्यू० डी० का हो, चाहे बिजली का हो, चाहे वाटर वर्क्स का हो, चाहे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का हो आप हिंदुस्तान के बेकार लोगों की ऐसी फौज तैयार कीजिए और उनका एक नैट स्थापित कीजिए और उनके जरिए से काम कराइए, ठेकेदारी प्रथा को खत्म कीजिए और उनको एम्पलायमेंट की गारन्टी दीजिए ताकि हिन्दुस्तान के करोड़ों लोगों को रोजगार मिल सके।

बहुत सी बातें कहनी हैं लेकिन आप घन्टी बजा रहे हैं। धन्यवाद।

इन्हीं शब्दों के साथ में इस डिमाण्ड का समर्थन करता हूं।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : सभापति जी, सबसे पहले मैं कृषि मंत्रालय से सम्बन्धित कृषि मन्त्रियों को, मंत्रालय के अधिकारियों को, कृषि वैज्ञानिकों को और भारतवर्ष के किसानों और खेतिहर मजदूरों को बधाई देता हूं कि उनके अथक परिश्रम से पिछले साल शताब्दी के सबसे कठिन सूखे के वर्ष में सूखे का मुकाबला करते हुए इस वर्ष देश में उत्पादन का कीर्तिमान स्थापित किया है।

इस वर्ष देश में 70 मिलियन टन गल्ले का उत्पादन हुआ है लेकिन विडम्बना है कि अभी भी देश में कुछ हिस्से हैं, अभी हमारे राजस्थान के भाई बोल रहे थे, उन्होंने भी कहा, इस साल मेरी कांस्टीट्वेन्सी खास कर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में अप्रत्याशित सूखे की स्थिति हो गई है और शायद सरकार यह मान बैठी है कि चूंकि देश में गल्ले का काफी बड़ा भंडार हो गया है, सम्पन्नता आई है तो जो छोटे हिस्सों में सूखा पड़ा है, उन पर पिछले वर्ष की भांति ध्यान नहीं दिया जा रहा है। देश में करीब 35 मैट्रोलॉजिकल डिवीजन्स हैं। इस साल करीब दो-तीन मैट्रोलोजिकल डिवीजन में भयंकर सूखा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे जनपद में सोनभद्र और मिर्जापुर में अब तक का सबसे कठिन सूखा पड़ा है। इसके साथ-साथ पेयजल की इतनी कठिनाई हो गई है कि जो इन्होंने हैंडपम्प लगाए थे, पानी का स्तर नीचे होने की वजह से वे बेकार होते जा रहे हैं। अगर एक सप्ताह के अन्दर उत्तर प्रदेश के मेरे निर्वाचन क्षेत्र में सोनभद्र और मिर्जापुर में पानी की व्यवस्था नहीं की गई, तो बहुत कठिन स्थिति पैदा हो जाएगी।

इसके साथ ही मार्जिन मनी जो केन्द्रीय सरकार नेचुरल कैलेमिटीज के लिए देती है। यह एक परम्परा बनी हुई है और मनी देकर वे इतिश्री समझती है, लेकिन मेरे विचार से यह ठीक बात नहीं है। दूसरी स्थिति यह कि जब नेचुरल कैलेमिटीज आती हैं, पुराना नियम बना हुआ है, कहा जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट से मैमोरेंडम आना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि आखिरकार हम लोग भी देश के उन इलाकों का प्रतिनिधित्व करते हैं और वहां की समस्याओं को यहां पर उठाते हैं। मैंने पिछली दो बार यहां पर सदन में प्रश्न उठाया सूखे के बारे में और केन्द्रीय सरकार से निवेदन किया कि आप वहां अपनी सेंट्रल टीम भेजिए। इसी तरह से हमारे दूसरे साथियों ने भी, जैन साहब और अन्य लोगों ने भी कहा कि सेंण्ट्रल टीम भेजनी चाहिए, लेकिन आप नहीं भेजते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्यों आप राज्य सरकारों का इन्तजाम करते हैं कि वे मैमोरेंडम भेजें। क्या हम लोगों को सही

सूचना नहीं मिलती है ? जब हमारी सूचना पर ध्यान नहीं दिया जाता तो सैन्ट्रल मिनिस्ट्री, सेंटर में एम० पी० रहने का क्या वजूद है। हम हर बात के लिए राज्य सरकारों पर निर्भर रहें, यह ठीक नहीं है। मैं जबरदस्त मांग करता हूं कि एक सप्ताह के अन्दर जिन-जिन भागों में सूखा पड़ा है, और उन सबमें मेरा क्षेत्र सोनभद्र और मिर्जापुर में सबसे ज्यादा पड़ा है, राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में पड़ा है, मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में पड़ा है। जब ऐसी स्थिति है, तो इन्तजार करने के कोई मायने नहीं हैं। हम अभी चुनाव में जायेंगे, हमारे कहने पर आप सैन्ट्रल टीम नहीं भेजते हैं, स्टेट गवर्नमेंट का इन्तजार करते है, तो कैसे काम चलेगा। मैं जोरदार शब्दों में मांग करता हूं कि जिन-जिन क्षेत्रों में सैन्ट्रल टीम की मांग की गई है, वहां आप एक सप्ताह के अन्दर भेज दें, नहीं तो वहां की स्थिति बहुत ही भयावह हो जाएगी। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि प्रदेश सरकारें काम का छिपाने के लिए सेन्टर को रिपोर्ट नहीं भेजती हैं। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि आप मिर्जापुर और सोनभद्र में, राजस्थान के जिले और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में सैन्ट्रल टीम भेजें। मेरे विचार से प्रदेश की सरकारों का इन्तजार करना ठीक नहीं है। हम आपके सच्चे सिपाही हैं और हम वहां की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, सही बात आपके सामने रखते हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जिन-जिन इलाकों में सूखा पड़ा है, वहां पर भरपूर सहायता दें। वहां के लोगों के लिए भरपूर काम खोला जाए। इस समय वहां राशन की दुकानों पर गल्ला नहीं है। आप 14 किलो पर-यूनिट के हिसाब से देते हैं। इसलिए जिन इलाकों में सूखा है, उन इलाकों में आप तत्काल राशन की व्यवस्था करायें, पेयजल की व्यवस्था करायें। ऐसी स्थिति में भी किसानों से कर्जे की वसूली की जा रही है, खास कर बैंकों की। इस सूखे की स्थिति में भी बहुत सख्ती से वसूली की जा रही है। मेरा सरकार से निवेदन है कि उन इलाकों में कर्ज की वसूली को स्थगित किया जाए। यदि यह आप नहीं करते हैं तो एक सप्ताह के अन्दर या दस रोज के अन्दर वहां बहुत ही भयानक स्थिति पैदा हो जाएगी।

जहां तक विभिन्न रोजगार कार्यक्रमों का सवाल है, आपने एन० आर० ई० पी०, आर० एल० ई० जी० पी० और आई० आर० डी० पी० तथा कुछ और योजनाओं को मिलाकर जवाहर रोजगार योजना की स्कीम बनाई है। इस योजना में सबसे पहले 120 जिलों को शामिल किया गया था। हमें बड़ी प्रसन्नता है, हम सरकार के बड़े आभारी हैं और खासकर प्रधानमन्त्री जी के, कि उन्होंने निर्णय दिया है कि हम करीब-करीब हर संसदीय क्षेत्र में इसको लागू करने जा रहे हैं।

श्री हरीश रावत : इसमें प्रत्येक जिले को शामिल करना चाहिए।

श्री राम प्यारे पनिका : हम लोग यही कहना चाहते हैं कि हर संसदीय क्षेत्र के किसी जिले को, मान लीजिए मेरी और रावत जी के दो जिलों में कान्स्टीचूयेंसी पड़ती है, एक जिले में कर दिया तो एम० पी० गया। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि यदि दो जिलों में क्षेत्र आता है, तो उसके हिसाब से आवंटन करें। गम्भीरता से आपको यह करना है और जो एजूकेटेड अन-एम्पलायड हैं, उनके लिए निश्चित तौर पर आपको कुछ-न-कुछ परसेन्टेज फिक्स करना चाहिए। जहां आप गांव के बे पढ़े-लिखे लोगों को, खेतिहर मजदूरों को, आर्टीशन्स को काम पर लगाने की बात कर रहे हैं, वहां पर जो लाखों-लाख पढ़े-लिखे लोग बेरोजगार हैं, उनको एबजोर्ब करने की

आपको प्लानिंग करनी चाहिए और खासकर जो हमारे रूरल डेवलपमेंट कमिश्नर साहब हैं, उनको लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए गांवों की तरफ ज्यादा जाना चाहिए। आज जहां पर वालन्ट्री एजेन्सी नहीं बनी हैं, वहां प्रदेश सरकारों को यह काम देना पड़ेगा और आवश्यकता पड़े तो जो आपके एम० पीज हैं, जो आपके विश्वासपात्र हैं, उनसे आप योजना लीजिए लेकिन ऐसा न कहें कि कहीं वालन्ट्री आर्गेनाइजेशन है और कहीं नहीं है, तो यह कैसे किया जाए और अगर उनको ही यह सब काम दे दिया, तो जहां पर वालन्ट्री आर्गेनाइजेशन्स हैं, वहां पर तो आप विकास का पैसा दे देंगे और जहां पर नहीं हैं, वहां पर नहीं देंगे और इससे बहुत-से जिले अछूते रह जाएंगे, हमारे उत्तर प्रदेश के पहाड़ के जो जिले हैं, वे अछूते रह जाएंगे, बुन्देलखंड के जिले अछूते रह जाएंगे और जो इन्टीरियर इलाके हैं जैसा हमारा सोनभद्र और मिर्जापुर का इलाका है, वहां यह नहीं हो पाएगा। आप समान रूप से देश की वालन्ट्री एजेन्सीज को दे दीजिए लेकिन उनसे कहिए कि वे एक जगह कन्फाइन्ड न रहें बल्कि सारे देश में इसको करें और खासकर प्लानिंग कमीशन ने जो छः प्रकार के बैकवर्ड एरियाज माने हैं, हिली एरिया, डेजर्ट एरिया, ट्राइबल एरिया, ड्राउट-प्रोन एरिया और समुद्री तटीय एरिया, इन इलाकों में विशेषकर जो बैकवर्ड इलाके हैं, वहां पर आप विभिन्न प्रकार के रोजगार के कार्यक्रम चलायें।

एक बात मैं भूमि सुधार के बारे में कहना चाहता हूं। सब सदस्य की एक राय है, चाहे वे इधर के हों या उधर के हों कि सीलिंग एक्ट आप लाए और कई एक्ट लाए, लेकिन उनसे कोई व्यावहारिक लाभ नहीं हो रहा है। आवश्यकता यह है कि जमीन के मामले को आप 9वीं शैड्यूल में कर दीजिए ताकि मुकदमे न चलें। आज जो भूमि आपने आवंटित की है, वह लोगों के लिए एक तरह से अभिशाप हो गई है। उनको जमीन भी नहीं मिली और वे मुकदमों के शिकार हो रहे हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि नये सिरे से जमीन की व्यवस्था को देखा जाए। यह दुःख की बात है कि स्वतन्त्रता के 40 वर्ष बाद भी आज लोगों के पास बेहिसाब जमीन है, 10 हजार, 5 हजार, 3 हजार और 2 हजार एकड़ जमीन है। आज गरीबी हटाने का जो महत्वपूर्ण अंग है, वह जमीन है और उस जमीन को आप निकालकर भूमिहीनों में हरिजनों में, गिरिजनों में और अन्य जरूरतमन्द लोगों में बांटें ताकि उनको रोजगार का साधन मिले।

आपने एग्रीकल्चर के सुधार के लिए बहुत से कार्यक्रम चलाए हैं लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि कृषि वैज्ञानिक केन्द्र है, वह आपको हर पार्लियामेंटरी कान्सटीट्युेन्सी में एक-एक देना होगा। अगर आप यह शर्त लगाते हैं कि इसके लिए 50 एकड़ जमीन दो या 30 एकड़ जमीन दो, तब वह खोलेंगे, तो यह ठीक नहीं है। यह आपका काम है और ऐसा न होने से आप उन जगहों पर नहीं खोल पा रहे हैं, जहां इसकी जरूरत है लेकिन जहां जमीन नहीं मिलती है। कौन आपको 30 एकड़ जमीन देगा। तो यह जरूरी है कि केन्द्रीय सरकार जमीन को एक्वायर करके कृषि वैज्ञानिक सेन्टर हर पार्लियामेंटरी कान्सटीट्युेन्सी में खोले। आपने एग्रीकल्चर जोन बनाएं हैं, यह स्वागत-योग्य है और जो उत्पादन बढ़ाने के लिए कार्यक्रम चलाए हैं, वे भी स्वागत-योग्य हैं।

एक बात और कहकर मैं समाप्त करूंगा। कृषि के लिए खेतिहर मजदूर भी काफी महत्व-पूर्ण अंग हैं। खेतिहर मजदूर की मजदूरी राज्य की लेबर मिनिस्ट्री और केन्द्र के संकेत पर होती है

लेकिन केन्द्रीय सरकार का यह देखने का कर्त्तव्य है कि वहां के किसानों में मिनीमम मजदूरी देने की ताकत है या नहीं। आवश्यकता इस बात की है कि किसानों को सब्सिडी दी जाए और इंसेंटिव दिये जाएं। जब आप एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में बड़े-बड़े पूंजीपतियों को सब्सिडी और इन्सेंटिव देते हैं, तो किसानों को भी दीजिए ताकि वे मजदूरों को उचित मजदूरी दे सकें।

इन शब्दों के साथ में कृषि मंत्रालय की अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री एन० टोम्बी सिंह (आंतरिक मणिपुर) : सभापति महोदय, मैं कृषि मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। यह एक बहुत बड़ा विषय है और यह मंत्रालय हमारी जनसंख्या के 75 प्रतिशत से अधिक भाग की देखरेख करता है और इस कम समय में मैं सभी मुद्दों पर नहीं बोल सकता हूं। महोदय, मैं एक या दो मुद्दों तक ही सीमित रहने का प्रयास करूंगा। महोदय, इस वक्तव्य पर कोई मतभेद नहीं होना चाहिए कि हमने कृषि उत्पादन के क्षेत्र में अत्यधिक विकास किया है। लेकिन संपूर्ण राष्ट्रीय पहलू एक बात है। दूसरा पहलू यह है कि इन बड़ी उपलब्धियों के बावजूद हमें अभी भी कुछ क्षेत्रों की कमजोरियों का पता लगाना है। जब हम सारे देश की स्थिति पर गौर करते हैं तो यह पाते हैं कि कतिपय पूर्वोत्तर जैसे क्षेत्र हैं जहां पर कृषि विकास के लिए अभी जांच की जानी है और पर्याप्त उत्पादन लाने के लिए अध्ययन किया जाना है।

इस संबंध में मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन में कहा गया है कि भारत सरकार कृषि-शिक्षा के क्षेत्र में पूर्वोत्तर पहाड़ी क्षेत्र में एक व्यापक कालेज स्थापित करने का प्रयास कर रही है। हमारी मांग है कि यह विश्वविद्यालय होना चाहिए और यह विश्वविद्यालय उपयुक्त स्थान पर होना चाहिए और इसके केन्द्र सभी पूर्वोत्तर राज्यों में होने चाहिएं और यदि संभव हो तो ये इन राज्यों के सभी जिलों में स्थापित होने चाहिएं। मैं अपने ही राज्य का उदाहरण दूंगा। स्थलाकृति, जलवायु और अनेक दृष्टिकोणों से यह अत्यंत विशिष्ट क्षेत्र है। इसका 1/10वां भाग घाटी है और 9/10वां भाग पहाड़ी क्षेत्र है। यहां हमारे पास कृषि के क्षेत्र तथा अन्य मामलों में घाटी का अनुभव है तथा पहाड़ी क्षेत्रों का अनुभव भी हमारे पास है। घाटी की स्थलाकृति इस प्रकार की है कि पानी बहुत जल्दी आता है और बहुत जल्दी ही सूख जाता है इसलिए सूखा और बाढ़ जल्दी-जल्दी आते हैं। हम बार-बार ऐसा अनुभव कर रहे हैं। इस क्षेत्र में कृषि मुख्य कार्य है लेकिन यह घाटी अर्थात् सारे राज्य के 1/10वें भाग तक ही सीमित है और इस राज्य की सारी जनसंख्या कृषि तथा अन्य उद्देश्यों के लिए इस घाटी पर ही निर्भर है। राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार अनेक परियोजनाओं के माध्यम से छोटी तथा बड़ी सिंचाई परियोजनाएं विकसित करने का प्रयास कर रहीं हैं। अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। इस संबंध में, पूर्वोतर राज्यों में एक विश्व-विद्यालय खोलने का भारत सरकार का निर्णय स्वागत योग्य है और विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर मणिपुर जैसे राज्य में होना चाहिए क्योंकि यहां पर शेष पहाड़ी क्षेत्रों जैसी स्थलाकृति और जलवायु है। इससे अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू तथा कश्मीर आदि सभी पहाड़ी क्षेत्रों और देश के ऐसे ही क्षेत्रों को लाभ होगा।

इस संबंध में मैं एक सुझाव देना चाहूंगा कि परिवर्ती खेती के बारे में एक विशेष अध्ययन

किया जाए। मैंने इस सभा में अनेक अवसरों पर यह मांग की है कि भारत सरकार के अन्तर्गत इस मंत्रालय की अनेक इकाइयां, विभाग हैं और उन्हें परिवर्ती खेती की इस अत्यंत हानिकारक परम्परा को रोकने की संभावना पर अध्ययन करना चाहिए। लेकिन सिर्फ कह देना करने की तुलना में बहुत आसान है। हमें यह देखना है कि हम इसे कैसे रोक सकते हैं। हमें लोगों को शिक्षित करना है। हमें वैकल्पिक तरीके उपलब्ध करवाने हैं। इसका एक विकल्प तो सीढ़ीदार खेती है। सारे पहाड़ी क्षेत्र में सीढ़ीदार खेती का रिवाज है और यह काफी कारगर है। लेकिन सभी समुदाय इसे नहीं अपना रहे हैं। कुछ समुदाय इसे सफलतापूर्वक उपयोग में ला रहे हैं और उनका इसमें अत्यधिक विश्वास है।लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादातर आदिवासी लोग सुगम स्थानों पर जाकर वन काटकर अपनी खेती को वहां बदलना पसन्द करते हैं। यह सिर्फ मणिपुर में ही नहीं बल्कि नागालैंड, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश जैसे अन्य क्षेत्रों में भी होता है। इस क्षेत्र में हमें यह सुनिश्चित करना है कि आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की इकाई तथा अन्य अनुसंधान एजेंसियां सही प्रकार से कार्य करें और अनेक दशकों के अनुभव का लाभ उपलब्ध कराएं। अनेक वर्ष बीतने के बाद भी अधिक कार्य नहीं हुआ है और इस क्षेत्र को अधिक लाभ नहीं हो रहा है। मैं समझता हूं कि भारत सरकार यह विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए अध्ययन करने हेतु एक दल भेज रही है।

8.00 म० प०

इस दल को अध्ययन करके यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सारा राज्य इस विश्वविद्यालय से लाभान्वित हो। यदि और परिस्थितियां समान रहें तो इसका परिसर मणिपुर राज्य में स्थित होना चाहिए।

ग्रामीण विकास और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में ग्रामीण लोगों के शामिल होने का उल्लेख किया गया है। जहां तक सहकारिता का संबंध है, प्रधानमंत्री के 20 सूत्री कार्यक्रम में इसका उल्लेख किया गया है और जिम्मेदार प्रशासन पर बल दिया गया है। यह जिम्मेदार प्रशासन एक महत्वपूर्ण पहलू है। जब तक प्रशासन ग्रामीण विकास और सहकारिता के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए जिम्मेदाराना तरीके से कारगर रूप में कार्य नहीं करता है तब तक सभी कार्यक्रम अफसरशाही से ग्रस्त रहते हैं और वे केवल कागजों पर ही रहते हैं और कार्यालयों में एक मेज से दूसरी मेज पर तब्दील होते रहते हैं और अफसरशाही-नियंत्रण विद्यमान रहता है। इन कार्यक्रमों में ग्रामीण जनता को शामिल करने के लिए हमें यह सुनिश्चित करना है कि प्रधानमंत्री के 20 सूत्री कार्यक्रम में शामिल जिम्मेदार प्रशासन हमारा प्रथम प्राथमिकता वाला कार्यक्रम बने और हमें यह सुनिश्चित करना है कि यह कार्यान्वित हो।

इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का समय दिया है।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : माननीय सभापति जी, कृषि मंत्रालय की मांगों पर चर्चा करते हुए मैं कुछ सुझाव रखना चाहता हूं। देश की आत्मा कृषि है, कृषि विकास की रीढ़ है। जब देश के आर्थिक विकास की नीति बनी थी तो वह कृषि पर आधारित थी, लेकिन 42 वर्षों से कृषि की उपेक्षा हुई है, जिसका नतीजा आज देश के सामने बेकारी का दानव है, तब तक कृषि

को आधुनिकतम नहीं बनाया जाएगा, कृषि को उद्योग का दर्जा नहीं दिया जाएगा, तब तक देश से बेकारी दूर नहीं हो सकती। अगर इस तरह का रवैया रहा तो देश के टूटने का भी खतरा बना रहेगा।

कुछ और बातों की ओर भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। सबसे पहली बात बिहार के बारे में है, उत्तरी बिहार, मध्य बिहार और दक्षिणी बिहार, सारा कृषि के मामले में उपेक्षित रहा है। मध्य बिहार जिसमें हम लोग हैं, गंगा से दक्षिण और हजारी बाग से उत्तर कहलाता है, वहां की भूमि उपजाऊ है, लेकिन अभी तक उस कृषि को आधुनिक कृषि का रूप नहीं दिया जा सकता है। आज वहां पर सिंचाई का कोई साधन नहीं है, कृषक को खेती करने से कोई लाभ नहीं मिलता और आज उसके बेटे पढ़ लिख कर नौकरियों की तरफ भाग रहे हैं, जबकि उनके अभिभावकों के पास अच्छी जमीनें हैं, लेकिन असिंचित हैं, उपजाऊ नहीं हैं, जिसकी वजह से आज सारा इलाका सुनसान बना हुआ है। 1987 की बाढ़ आई, उसमें संसदीय क्षेत्र जहानाबाद के कृषकों के पटवन के साधनों का जो नुकसान हुआ, उनको अभी तक राज्य सरकार उपलब्ध नहीं करा पाई है। मजबूरी यह बताई जाती है कि पैसा नहीं है। एक तरफ तो कहा जाता है कि कृषकों के लिए अच्छी योजनाएं बन रहीं हैं, लेकिन जिस लोगों का बाढ़ से जो नुकसान हुआ था, उनको अभी तक पूरे साधन उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। हमारे यहां जो नुकसान हुआ है, उसकी एक लिस्ट मैं दे रहा हूं। उसके मुताबिक आवंटन कराएं या राज्य सरकार पर दबाव डालकर उसकी भरपाई कराएं ताकि किसानों को लाभ हो सके। कृषि में रिकार्ड उत्पादन हुआ है, ऐसा कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है। आपने 17 मिलियन उत्पादन का दावा किया है, क्या यह 34 मिलियन नहीं हो सकता था। पिछले 42 वर्षों में आपने कृषकों के साथ खिलवाड़ किया है। किसी भी चीज में हमारा देश पीछे नहीं रह सकता था अगर हम कृषि को उन्नत बनाते। जितना शहरों पर खर्च कर रहे हैं उतना कृषि पर नहीं कर रहे हैं इसी वजह से शहरों पर दबाव बढ़ता जा रहा है और कृषि से ध्यान हटता जा रहा है। इस ओर अवश्य ध्यान देना चाहिए। लघु और सीमांत किसान भी मजदूर बनते जा रहे हैं इससे मजदूरों की संख्या बढ़ती जा रही है। जनगणना के मुताबिक 1961 में 3.5 करोड़ मजदूर थे, 71 में 4.56 करोड़, 81 में 5.54 करोड़ और ऐसा अन्दाजा है कि अब सात करोड़ से कम नहीं होंगे। यह स्थिति है मजदूरों की जिनको खाना नहीं मिलता है। एक बरस में उनको तीन महीने काम मिलता है। आपने जो काम गारन्टी योजना चलाई है वह सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। एन० आर० ई० पी०, आई० आर० डी० पी० तथा अन्य जिला योजना चलाई हैं लेकिन आपके पास पैसा नहीं है। बिहार सरकार की पांच करोड़ की जिला योजना पास हुई है लेकिन 56 लाख रुपया गया है और चौदह लाख रुपया सचिव ने वापिस मांगा है। हमारे कुछ गांव ऐसे हैं जिनमें 87 के बाढ़ से नुकसान हुआ है और किसान को जोतने के लिए जमीन नहीं है, जैसे घोसी प्रखंड में मुर्गियाचक और माधवपुर। वहां पर एक एकड़ में साठ मन बासमती होता था। नदी के बालू से वह जमीन भरी हुई है और खेती लायक नहीं है। इसी तरह कंगरसराय प्रखंड में कोरथू गांव में खेती लायक जमीन नहीं रही है क्योंकि नदी की बालू भर गई है। एक टीम भेजकर उसकी जांच कराएं। उन किसानों की क्या हालत होगी जिनके पास एक इंच जमीन भी नहीं है। किसानों के लिए फसल बीमा योजना

ब्लाक लेवल पर लागू होनी चाहिए। इसके साथ खाद और बीज समय पर दिया जाना चाहिए। करपी प्रखंड में एक ट्रक गेहूं का बीज आया था जबकि बीज का समय खत्म हो गया था। इसी प्रकार मुंगेर जिला में बड़हीया टाल में डेढ़ लाख एकड़ में दलहन हो सकता है लेकिन उसमें पानी भरा रहता है, उसकी निकासी का प्रबंध किया जाए तो दलहन की समस्या को काफी हद तक दूर किया जा सकता है। मैं आपसे कहूंगा कि आप कृषि पर ध्यान रखना चाहते हैं तो कृषकों को लाभ देने वाली जो बातें हैं उनको लागू करें। जहां तक सहकारिता आन्दोलन की बात है, यह किसानों के लाभ के लिए दिया गया था, लेकिन बिहार में लोग इसको खा गए आज करोड़पति बन गये हैं। वही आदमी आज लोक-सभा में गरजते हैं, विधान सभा में गरजते हैं। वह आपके आदमी हैं जिनको आप पकड़ नहीं सकते हैं। सहकारिता आंन्दोलन हमारे यहां पूरा समाप्त हो गया है।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : पर्वतीय क्षेत्रों में तिलहन विशेष तौर पर सोयाबीन, जैतून और सूरजमुखी के उत्पादन की बहुत सम्भावनायें हैं और इन सम्भावनाओं का अभी तक दोहन नहीं किया गया है। इन एरियाज में तिलहन विकास के लिए सरकार ने योजना लागू की है, विशेषकर उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में। लेकिन यह योजना ज्यादातर कागजों में है, वास्तविक धरातल पर इसका कोई हिस्सा नहीं दिखाई देता। पर्वतीय क्षेत्रों में आज भी न केवल खेती करने के परम्परागत तरीके काम में लाए जा रहे हैं, बल्कि बावजूद हमारी सारी एग्रीकल्चर रिसर्च के उत्पादन की स्थिति में प्रति हेक्टेयर कोई बदलाव नहीं आया है। आई० सी० ए० आर० की बारिश वाले और पर्वतीय क्षेत्रों की एग्रोनोमी के लिए एक कम्प्रीहेंसिव प्लान बनाकर काम करना चाहिए। बहुत दिनों से हम लोग मांग कर रहे हैं कि ऐसा पोर्टेबल ट्रैक्टर बनाया जाये जिसको पर्वतीय क्षेत्रों में जो हिली एरियाज हैं उसमें यूज किया जा सके, लेकिन अभी इस दिशा में कोई काम नहीं हुआ है। खाद के छोटे-छोटे पैकेट पांच-दस किलो के बनाकर पर्वतीय इलाकों में किसानों को दिये जायें, इसके बारे में भी हमने कहा था, लेकिन सरकार की ओर से कुछ नहीं किया गया है। पेस्टीसाइड्स इतना महंगा है हिली एरियाज के लोग उसको यूज नहीं कर सकते। यही कारण है कि आज भी इन एरियाज के अन्दर जो खरपतवार है चाहे त्रिपटिया घास हो या लिटेना घास के रूप में हो उसके विनाश के लिए हम कोई कारगर कदम नहीं उठा पा रहे हैं और हजारों एकड़ जमीन उसके कारण बेकार हो रही है। मैं बहुत दिनों से मांग कर रहा हूं कि पर्वतीय क्षेत्रों में कम से कम हर तहसील में एक-एक सोइल टेस्टिंग प्रयोगशाला होनी चाहिए। जिससे हम किस तरीके के फलों के वृक्षों को लगायें इसके लिए कुछ कर सकें। वहां पर ऐसे बीजों का पैदा करना जरूरी है जो कम पानी के साथ पैदा हो सकें, उसमें सर्वाइवल कर सकें। लेकिन ऐसा बीज हमको वहां पर नहीं मिल पाता। पर्वतीय क्षेत्रों में सोइल कंजर्वेशन को एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में लेना चाहिए। मैदानी क्षेत्र में यदि हम बाढ़ से बचाव चाहते हैं तो जितने भी कैचमेंट एरिया हैं हिल्स के, जहां से नदियां निकलती हैं उन एरियाज में सोइल कंजर्वेशन के काम को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में शुरू करना पड़ेगा। वहां हमें ऐसी घास पैदा करनी है और ऐसे वृक्ष लगाने चाहिए जो किसानों के लिए अनुकूल हों और उनके लिए लाभदायक हो सकें। इसके लिए रिसर्च होनी चाहिए। आज

वहां परम्परागत घास है जो सोइल कंजर्वेशन के काम नहीं आ सकती, वह जानवरों के खाने के विशेषकर पर्वतीय बकरियों के खाने के काम आती है। जहां पर भूमि में भू-कटाव होंगे वहां वह ज्यादा करती हैं और इससे नुकसान करती हैं। मैं बहुत दिनों से मांग कर रहा हूं पर्वतीय क्षेत्रों के लिए जो सीड ब्रीडिंग सेंटर्स हैं उनमें बकरियों की नस्ल सुधार की दिशा में भी काम होना चाहिए। लेकिन जो आपका नेशनल इंस्टीट्यूट फार सीड डवलपमेंट है उसमें कोई कारगर काम उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रो में नहीं किया है। इसकी एक शाखा उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में भी खोली जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं जोशीमठ, मुंशारी, उत्तर काशी वहां पर लोगों के लिए सवारी का बहुत बड़ा साधन है और माल ढोने का भी साधन है, वहां पर रोड नहीं बनी हैं। जो आपका याक डवलपमेंट सेंटर है एटानगर का इसकी एक शाखा उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में भी खोली जानी चाहिए। इन क्षेत्रों के अन्दर टेम्प्रेट फूड्स डवलपमेंट की बहुत सम्भावना है, लेकिन आज के दिन भी हमारे न केवल उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में, बल्कि सारे पर्वतीय क्षेत्रों में सेब का प्रति हेक्टेयर उत्पादन बहुत कम है। हमरे यहां सेब के निर्यात की सम्भावना काफी है इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि ऐसे टेम्प्रेट फूड्स के इंस्टीट्यूट हर पर्वतीय क्षेत्र में खोले जाने चाहिएं। मैं आभारी हूं श्री भजन लाल जी का जिन्होंने हमारे क्षेत्र में नेशनल हार्टिकल्चर टेम्प्रेट फूड इंस्टीट्यूट की एक शाखा खोलने की बात कही है पिथौरागढ़ के अन्दर···मैं चाहता हूं कि इस तरह के इंसटीट्यूट हर पर्वतीय क्षेत्र के हर जोन में खोले जायें। पहाड़ी क्षेत्रों में एक विशेषता यह है कि सब्जियां और विशेषतौर पर बेमौसमी सब्जियां काफी मात्र में उत्पादित की जा सकती हैं। कुल्लू में आपके पास फारमिंग की ऐसी व्यवस्था है जहां पर कन्ट्रोल्ड कण्डीशन्स में सीडलिंग उगाकर किसानों को बांटने का काम बाखूबी किया जाता है। मैं चाहता हूं कि इस प्रोग्राम को आप हिमाचल के अलावा देश के अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में भी फैलाइये, इसे उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में भी फैलाये जाने की जरूरत है। मैं आग्रह करना चाहूंगा कि कन्ट्रोल्ड कण्डीशन्स में बेमौसमी सब्जियों के सीडलिंग्स पैदा करके देश भर में किसानों को सस्ती दर पर उपलब्ध कराये जायें। मशरूम डैवलपमैंट के लिये पालमपुर में इंसटीट्यूट जिस सफलता से काम कर रहा है, हम बहुत दिनों से आग्रह करते आ रहे हैं कि उसकी एक शाखा उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र अल्मोड़ा में खोली जानी चाहिए क्योंकि वहां भी मशरूम्स के ग्रोअर्स काफी बड़ी तादाद में हैं परन्तु उन्हें मशरूम के संवर्धन और उसकी दूसरी जानकारी मिल नहीं पाती। इस दिशा में भी आप मेहरबानी करके कुछ कीजिये। आलू हमारे पर्वतीय क्षेत्रों की नकदी फसल है परन्तु हमें समय पर आलू का अच्छा बीज नहीं मिलता, और हमें मैदानी क्षेत्रों पर निर्भर करना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि सीड डैवलपमैंट प्रोग्राम को इस तरीके से चलाया जाना चाहिये, सीड डैवलपमैंट में आप लेटैस्ट टैक्नोलौजी का इस तरह से उपयोग करें, हिली क्लाइमेट इत्यादि को देखते हुए, ऐसी कण्डीशन्स एक्सप्लाइट करें ताकि वहां नेशनल लेवल पर फार्म स्थापित किये जा सकें, आज पर्वतीय क्षेत्रों में न तो गेहूं पैदा होता है और न कोई दूसरा अनाज पैदा होता है, हम केवल रागी की फसल पर ही निर्भर हैं। हम लोगों को आलू नकदी फसल के रूप में मिल सके, इसकी आप व्यवस्था कीजिये। सैरीकल्चर पर्वतीय क्षेत्रों के लिये वरदान सिद्ध हो सकता है और किसानों के लिये भी वरदान सिद्ध हो सकता है।

इससे भूमि का कटाव रोकने में भी मदद मिल सकती है। इसलिये सॉरिकल्चर डेवलपमेंट के लिये पर्वतीय क्षेत्रों में विशेष प्रबन्ध किये जाने चाहिये। दूसरे, फिशरीज को, खास तौर से कोल्ड वाटर फिशरीज के डेवलपमेंट की भी पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत सम्भावनाएं हैं। हमारी सारी नदियां बरफानी इलाकों से निकलती हैं जहां ट्राउट और दूसरी ठण्डी जलवायु में होने वाली मछलियां काफी अच्छी तरह विकसित की सकती हैं। जापान और दूसरे कई देश इस मामले में रुचि ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक योजना बनाकर केन्द्र सरकार के पास भेजी है। मेरा आप से आग्रह कि आप जापान या विश्व-बैंक की सहायता से इस योजना को वहां जल्दी प्रारम्भ कराइये। औपरेशनल फ्लड टू के अन्तर्गत आपने पर्वतीय क्षेत्रों को शामिल नहीं किया है, केवल नैनीताल को ही शामिल किया है, मैं आग्रह करना चाहूंगा कि अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को भी इस योजना में शामिल किया जाये और वहां इतना पैसा एलाट किया जाये ताकि डीप-फ्रोजन नाइट्रोजन प्लांट हर पर्वतीय जिले में लगाया जा सके और उनके जरिये, आर्टीफीशियल इन्सैमिनेशन के जरिये, गाय और दूसरे पशुओं की नस्ल सुधारी जा सके। जितने भी ग्रेषम सैंटर्स हैं, उनमें भी लैटैस्ट टाइप के इक्विपमेंटस दिये जाने चाहियें।

सभापति महोदय, अभी हमारे कुछ मित्र कह रहे थे कि बीमा योजना को इस तरह से लागू किया जाना चाहिये, लेकिन आपने तो फल और सब्जियों के लिये बीमा योजना अभी तक लागू ही नहीं की है। मैं चाहता हूं कि फल और सब्जियों के लिए भी फसल बीमा योजना लागू की जानी चाहिए, इसके लिये भी सरकार की ओर से सपोर्ट प्राइस फिक्स की जानी चाहिये, क्योंकि फल और सब्जियां सबसे ज्यादा वलनरेवल आइटम्स हैं। अभी तक फल और सब्जियों के लिये कोई सपोर्ट प्राइस फिक्स नहीं की जाती है।

मेरा निवेदन है कि जवाहर रोजगार योजना में देश के समस्त जिलों को सम्मिलित किया जाये और एक स्पष्ट मापदण्ड होना चाहिए, क्योंकि आपने आर० एल० ई० जी० पी० के अन्तर्गत विभिन्न जिलों में जिस तरीके से पैसे की डिस्ट्रीब्यूशन किया है, मैं उससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं और मुझे डर है कि इसमें सारे मानकों को तोड़ते हुए पैसे का आबंटन हुआ है। वैसी ही स्थिति जवाहर रोजगार योजना में नहीं आनी चाहिए जो जवाहर लाल जी के नाम पर प्रारम्भ की जा रही है। उन मानकों के आधार पर जवाहर रोजगार योजना में आबंटन कदापि नहीं होना चाहिए बल्कि सभी जिलों को उसमें सम्मिलित किया जाये।

आई०आर०डी०पी० कार्यक्रम में व्यापक संशोधन की आवश्यकता है। ट्राइसम योजना को भी इस तरीके से व्यावहारिक और फ्लैक्सिबल बनाया जाना चाहिए ताकि हम जैसे गांव के पढ़े-लिखे नौजवानों को भी उसका लाभ मिल सके। अभी तक हमें इस योजना का कोई लाभ नहीं मिला है। डी०पी०ए०पी० कार्यक्रम के अन्तर्गत आप प्लानिंग कमीशन से बातचीत कर के एक टास्कफोर्स बनाइये और उन जिलों को भी शामिल कीजिये जो सूखे से प्रभावित हैं, उनके ब्लाकों को भी डी०पी०ए०पी० में शामिल किया जाये। अभी मेरे दोस्त सुल्तानपुरी जी कह रहे थे कि पर्वतीय क्षेत्रों में बरसाती पानी को रोकने के लिये बहुत काम किया जा सकता है और डी०पी० ए०पी० प्रोग्राम के अन्तर्गत इसकी विशाल सम्भावनाएं हैं।

एक अन्तिम बात मैं यू० पी० के सूखे के विषय में कहना चाहता हूं। यू० पी० गवर्नमैंट को

सूखे में आपने बहुत कम पैसा दिया है और पीने के पानी की स्थिति को सुधारने के लिये तो आपने बहुत ही कम पैसा दिया है। इससे वहां के लोगों में बड़ा असंतोष है।

आपने पंचायती राज की बहुत-सी बातें कहीं हैं। इससे गांव-गांव में एक जागृति आई है। इसके लिये मैं माननीय प्रधानमन्त्री और कृषि मन्त्री को बधाई देना चाहता हूं। पंचायती राज के प्लेन को आपने इतना ऊंचा उठा दिया है कि वह बोइंग की ऊँचाई पर नहीं, बल्कि एयरबस की ऊँचाई पर जा रहा है। कहीं ऐसा न हो कि इस वर्ष उनके लिये कुछ भी न निकल पाये। इसमें आप एक काम तो कर ही सकते हैं। जो डी० आर० डी० ए० का अभिकरण जिले में होता है, उसको जिला परिषद् के अंतर्गत लाया जाना चाहिए और जिला परिषद् के अध्यक्ष को डी० आर० डी० ए० का चेयरमैन बनाया जाना चाहिये।

श्री भीष्म देव दुबे (बांदा) : सभापति महोदय, मैं कृषि मंत्रालय की अनुदान की मांगों का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं एक ऐसे क्षेत्र से आता हूं जो बहुत ही पिछड़ा हुआ है और वहाँ पिछले 40 साल के अन्दर कृषि के क्षेत्र में बहुत कम तरक्की हुई है। कृषि में विशेष साधन जिसकी आवश्यकता होती है, वह है सिचाई। पूरे देश में एक-तिहाई हिस्सा सिंचित है, लेकिन जहाँ से मैं आ रहा हूं उस क्षेत्र का औसत निकाला जाय, तो वह उससे भी आधा है। यानी 15 परसेंट से अधिक सिंचित भूमि वहां नहीं है और इस वर्ष ही नहीं, गत 4 वर्षों से वहाँ बराबर सूखा पड़ रहा है। पनिका जी बोल रहे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वे मेरे क्षेत्र के बारे में बोल रहे हों। सचमुच में इस वर्ष भी वहाँ स्थिति ऐसी है, जो पिछले वर्षों से भी भयावह है और पनिका जी के शब्दों में मैं अपने शब्द जोड़ते हुए कि यहाँ से फौरन केन्द्रीय टीम जानी चाहिये, अध्ययन करने के लिये, मांग करता हूं।

वे तालाब और कुए, जो कभी आज तक नहीं सूखे, वे अब सूख रहे हैं। मैंने वहाँ घूमकर देखा है, वहाँ ऐसी सम्भावनाएं पैदा हो रही हैं कि वहाँ पर कैटल कैम्पस लगाये जाएं जहाँ फाडर पहुँचाया जाएं और उन कैम्पों में सारे गांव के आदमी अपने-अपने जानवरों को लेकर जायें। उत्तर प्रदेश में बुन्देलखण्ड का बांदा जनपद है जिसका मैं प्रतिनिधित्व करता हूं। वहाँ ऐसी स्थिति है। वहाँ के लिये हैंडपम्प मांगे गये हैं, वे अभी तक नहीं पहुँचे हैं। विद्युतीकरण की स्थिति के बारे में मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले साल एक भी गांव सिंचाई के साधन के रूप में बिजली से इनर्जाइज नहीं हुआ है और वहाँ के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर का कहना है कि शायद अगले साल भी कोई गांव इनरजाइज नहीं हो पायेगा। वे हाईकोर्ट से स्टे लेकर बैठे हुये हैं। कोई उनका तबादला भी नहीं कर सकता है। मैं कहता हूं कि इस ओर ध्यान दिया जाये। लिफ्ट इर्रीगेशन रुके हुये हुए हैं। ट्यूब वैल्स फेल पड़े हैं। हैंड पम्प के नीचे के पानी का स्तर गिरता जा रहा है और पिछले तीन-चार सालों से और भी भयावह स्थिति वहां पर है। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे यथासम्भव शीघ्र एक केन्द्रीय टीम भेजकर के वहाँ का सर्वेक्षण कराएं और वहाँ आगे पैदा होने वाली जो स्थिति है, उसको काबू में लाए।

सभापति महोदय, जहां तक कृषि का सम्बन्ध है, मैं आपको बताऊं, इस साल बाँदा जनपद, जहां से मैं आ रहा हूं तीन-चौथाई आदमियों ने तो वहां पर अपने खलिहान डाले ही नहीं हैं। यानी की स्थिति यह है कि वहां कुछ पैदावार हुई ही नहीं, न खरीफ की और न रबी की फसल में कुछ

हुआ है। उन्होंने खलिहान ही नहीं डाले। इसके कारण वहां भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि वहां के लोगों को इस मरने की स्थिति से बचाया जाए। दैवी आपदाएं आती हैं, लेकिन उनसे बचने के लिए पहले से प्रयास होने चाहिएं। सूखा पड़ता है, उससे बचने के लिए सिचाई के साधन होने चाहिएं, ओले पड़ते हैं, बाढ़ आती है, पाला पड़ता है, शीत से फसलें मरती हैं, उनके लिए क्राप इन्शयोरेंस होनी चाहिए। अगर इनसे किसानों को प्रोटैक्ट नहीं किया जाता है उसको पाला नहीं जाता है तो हिन्दुस्तान का किसान जीवित नहीं रह पाएगा। वह देश जिसका 80 परसैंट किसान खेती पर निर्भर है यदि उसको नहीं संभाला जाता है तो 21वीं सदी में हिन्दुस्तान की तस्वीर नहीं बनती है; आज जब किसान का नाम लिया जाता है तो हमारे सामने एक ऐसे आदमी की तस्वीर आंखों में बैठती है जो दुबला है, पतला है, गरीब है, भटे-पुराने कपड़े पहने हुए है, जिसके चेहरे में कोई आभा नहीं है, कोई छवि नहीं है। यदि किसान की यही स्थिति रहती है तो 80 फीसदी किसानों की यही स्थिति होगी और इससे पूरे हिन्दुस्तान की भी वही स्थिति रहेगी। यह बड़े खेद, आश्चर्य और असंतोष की बात है।

मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, वहां पर तमाम इस तरह की योजनाएं हैं जो प्रदेशीय झगड़ों में फंसी पड़ी हुई हैं। मेरा जनपद मध्यप्रदेश का बार्डर है, और मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में झगड़े पैदा हुए हैं जो यहां पर सैंट्रल वाटर कमीशन में पड़े हुए हैं निपटाने के लिए लेकिन निपटाए नहीं जा रहे हैं। सारी नदियां मध्यप्रदेश से आती हैं, बांध वहां बनते हैं, पानी उत्तर प्रदेश में मिलता है। सारा मामला झगड़े में पड़ा हुआ है। इनका निपटारा करना चाहिए।

बहुत सी योजनाएं ऐसी हैं जैसे यू०एन०डी०पी० की योजना जो कि बड़ी बृहद और एम्बीशस योजना है और वह पूरे बुन्देलखंड, इलाहाबाद, वाराणसी और मिर्जापुर के पहाड़ी इलाकों के लिए है। सारी की सारी योजनाएं स्वीकृति के लिए जल संसाधन मंत्रालय में सन् 1980 से पड़ी हुई हैं जिनको छठी पंचवर्षीय योजना में शामिल होना चाहिए था, लेकिन वह छठी योजना और सातवीं योजना में शामिल नहीं हुई, पता नहीं आठवीं योजना में भी शामिल होती हैं या नहीं।

मैं जब से संसद में आया हूं बराबर इस मुद्दे को उठाता हूं, लेकिन उसका कोई असर नहीं हो रहा है, यही कारण है कि अकाल और सूखे की स्थिति बढ़ती जा रही है जिसका हम सामना नहीं कर पा रहे हैं।

हम ड्राई लैंड फार्मिंग की तरफ कंसन्ट्रेट कर रहे हैं, उस पर बड़ा ध्यान दे रहे हैं लेकिन जिस जमीन में नीचे पानी है, आखिर उस पानी को ऊपर क्यों नहीं ला पा रहे हैं? ड्राई लैंड फार्मिंग कैसे हो, इसकी रिसर्च तो कर रहे हैं लेकिन जहां पर पानी है, उसको ऊपर लाकर सिंचाई कर सकते हैं, इसके बारे में भी प्रयास होने चाहिएं।

हरित क्रांति हमारे देश में लाई गई लेकिन ऐसा मालूम होता है कि हम उससे संतुष्ट हो गए हैं। हरित क्रांति एक कंटीनुअस प्रासेस होना चाहिए। देश की बढ़ती हुई आबादी एक समस्या है अगर हम हरित क्रांति का कंटीनुअस प्रासेस नहीं अपनाते हैं तो एक समय ऐसा आजाएगा कि बढ़ती हुई आबादी मुश्किल कर देगी और हमारे पास अन्न का भंडार नहीं रह पाएगा। तो यह

कंटीनुअस प्रासेस, मुसस्सल योजना जरूर चलनी चाहिए, हर प्रान्त में और बड़ी सतर्कता से।

एक-एक शब्द में मैं एक-एक बात कहता हूं। कृषि उत्पादन बढ़ाया जाए सतर्कतापूर्वक, और जो स्थान पिछड़े हुए हैं, जैसे मेरा क्षेत्र, वहां पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। एक केन्द्रीय आयोग बनाया जाए जिससे ऐसे क्षेत्रों का डैवलपमेंट हो सके और उनको सिक यूनिट मानकर, जैसे रुग्ण लड़के का ज्यादा ख्याल किया जाता है, उसी तरह से इस क्षेत्र का ज्यादा ख्याल किया जाए और उसको विकसित किया जाए।

राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा है कि क्षेत्रीय असंतुलन को दूर किया जाएगा। मैं जानना चाहूंगा कि जो कृषि मंत्रालय की मांगें आई हैं, उसमें मेरे क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति जी के उस वादे का क्या समाधान निकाला गया है कि क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त किया जाएगा ? मैं उमीद करूंगा कि मंत्री महोदय अपने जवाब में इस बात का जरूर जिक्र करेंगे।

श्री राम श्रेष्ठ खिरहर (सीतामढ़ी) : सभापति महोदय, मैं कृषि मंत्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जब हम कृषि पर अवलोकन करते हैं तो पाते हैं कि उत्तरोत्तर इसका विकास हुआ है। अन्न के मामले में हमारा देश केवल स्वावलम्बी ही नहीं हुआ बल्कि उससे भी अधिक अन्न उपजाने की क्षमता रखता है। कृषि की हालत को देखें तो उसमें एक बात स्पष्ट यह होती है कि जहां हमने नये बीज, नयी दवाइयों का प्रयोग किया वहीं दूसरी ओर वे हमें सही तौर पर मुहैय्या नहीं हो पाई और वे सही जगह पर सही समय पर उपलब्ध नही हो पाई। कहने का मतलब यह है कि इसमें गति नहीं रही है जिससे फसलों की बहुत क्षति हुई।

कृषि की उन्नति दो बातों पर निर्भर करती है। एक तो समय पर उसकी सिंचाई हो और दूसरा बाढ़ पर नियंत्रण हो। समय पर सिंचाई हो और बाढ़ पर नियंत्रण हो इसकी जिम्मेदारी हमारे दो मंत्रालयों के ऊपर होती है। मेरी जानकारी के अनुसार उन दोनों मंत्रालयों के बीच कोई कोआर्डिनेशन नहीं होता है। ऊपरी स्तर पर कृषि मंत्रालय और जल संसाधन मंत्रालय का आपस में कोआर्डिनेशन होना आवश्यक है।

मैं बिहार से आता हूं। बिहार में तमाम बड़ी-बड़ी योजनाएं सिंचाई और फ्लड कंट्रोल की थीं जिसमें बागमती और गंडक योजनाएं आदि ली गई थीं। लेकिन ये योजनाएं असफल रहीं। वे योजनायें आज तक धरती पर उतरी नहीं हैं। इसकी वजह से ही बिहार में हजारों-हजार मजदूरों का पलायन होता है।

दूसरे पक्ष के मार्क्सवादी सदस्य ने हदबन्दी की बात, सही-सही वितरण न होने की बात जोश-खरोश में आकर कुछ लूट-खसोट और छीना-झपटी जैसे शब्दों का उच्चारण किया। मैं ऐसे शब्दों का उच्चारण तो नहीं करना चाहता लेकिन दावे के साथ यह कह सकता हूं कि बिहार में भूमि की हदबन्दी सही तौर पर लागू नहीं हो पायी है। आज बड़े-बड़े जमींदार बेनामी जमीन को अपने कब्जे में किये हुये हैं। मैं यह मांग करना चाहता हूं कि भूमि की हदबन्दी को सही तौर पर लागू किया जाये। अगर भूमि का सही बंटवारा होगा तो कृषक मजदूरों का पलायन बंद हो जायेगा।

हमारे साथी अभी ऊर्जा के ऊपर बोल रहे थे। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने की बात हम बहुत जोर-शोर से करते हैं जिससे कि वहां सिंचाई का प्रबन्ध किया जा सके। मैं इस बिन्दु पर यह कहना चाहूंगा कि सरकार ने आम जनता की आंख में धूल झोंकी है। अगर सरकार यह कहती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुंचाई गई है तो यह सरासर गलत बात है। अगर कहीं खम्भा है तो उसमें तार नहीं, तार है तो बल्ब नहीं हैं और अगर बल्ब हैं तो बिजली सप्लाई नहीं हो रही है। जब तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी और झूठे आंकड़ों पर हम निर्भर रहेंगे तब तक कृषि में अपेक्षित लाभ जो होना है वह नहीं हो पायेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

*श्री एम० सुब्बा रेड्डी (नन्दयाल) : सभापति महोदय, चर्चा में भाग लेने वाले अनेक माननीय सदस्यों ने अनेक उपयोगी सुझाव दिए। मैं अत्यन्त संक्षेप में बोलूंगा।

महोदय, शहरों में रहने वाले कृषि के बारे में बहुत कम जानते हैं। यह एक कठिन विषय है। कृषि तो जूए की तरह है। किसान अच्छी फसल के लिये प्रकृति पर निर्भर रहता है। यदि फसल के उगने बाद समय पर बारिश न हो या अत्यधिक बारिश हो जाएं तो उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। जहां पर सिंचाई सुविधायें उपलब्ध हैं, यदि वहां बारिश न हो और तालाब खाली रहे तो वे भी अनुपयोगी ही रहेंगे। हर व्यक्ति कृषि के मामले में स्वयं को निपुण मानता है। हर कोई सुधारों की बात करता है। ये तथाकथित सुधार काफी पहले प्रारम्भ किये गये थे। देश में अब सामन्तवाद नहीं है। जमींदार तथा भू-स्वामी काफी पहले ही अपनी भूमि बेच चुके हैं। एक एकड़ भूमि की कीमत कम-से-कम 20 हजार रुपये है। इसी राशि पर कम से कम दो हजार रुपये की आमदनी होती है। अनेक लोग पहले ही अपनी भूमि बेचकर शहरों में आरामदायक जीवन बिता रहे हैं। थोड़े से लोग ही गांवों में कृषि का कार्य कर रहे हैं। चोरियों, सुस्ती और राजसहायता से ग्रामीण जीवन बरबाद हो गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में असंतोष तथा अशांति बहुत हद तक व्याप्त है। लोगों ने अपनी सम्पत्ति बेचना शुरू कर दिया है। उन्होंने अपनी आजीविका के लिये लूटने और चोरी करने के कार्य शुरू कर दिये हैं। नक्सलवादियों का अत्यधिक प्रभाव है। हम काफी हद तक कृषकों को कृषि श्रमिकों में बदलने के लिए जिम्मेदार हैं। क्या कोई एक भी ऐसी परियोजना है जो श्रीमती इन्दिरा गांधी के समय में पूर्ण हुई? यह स्थिति आजकल श्री राजीव गांधी के समय में तो और भी अधिक खराब है।

एक ओर तो जनसंख्या विस्फोट है और दूसरी ओर विकास शून्य है। साथ-साथ आर्थिक विकास होना चाहिए, जनसंख्या में वृद्धि खतरनाक साबित होगी। आज हम एक भी परियोजना बनाने की स्थिति में नहीं हैं। हमारे विदेशी मुद्रा के संसाधन लगातार समाप्त होते जा रहे हैं। आज के समाचार पत्र में एक रिपोर्ट है जिससे प्रतीत होता है कि कितनी तेजी से हमारी आरक्षित निधि समाप्त हो रही है। वर्ष 1977-78 के दौरान हमारी आरक्षित निधि 8000 करोड़ रुपये थीं। यह घट कर 7000 करोड़ और फिर 6000 करोड़ रुपये रह गयी है। श्री भजनलाल के

*मूलतः तेलुगु में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

कार्यकाल के दौरान यह 5000 करोड़ रुपये रह गयी थी और अब यह 3000 करोड़ रुपये है। क्या हमें इसे प्रगति कहना चाहिए ? हमारा खर्च बढ़ता जा रहा है। विलासिता पर धन खर्च किया जा रहा है। कृषि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में धन खर्च नहीं किया जा रहा है। परियोजनायें बनाने के लिए धन खर्च नहीं किया जा रहा है, ना ही उद्योगों में लगाया जा रहा है। हर जगह व्यर्थ में खर्च किया जा रहा है। ऋण चुकाने में हमारी आय का 26 प्रतिशत से कम हिस्सा नहीं जा रहा है। जब तक हम अपने व्यर्थ। के खर्च को नहीं रोकते तब तक हम किसी प्रकार की प्रगति करने की दशा में नहीं होंगे। इस वर्ष जो बजट प्रस्तुत किया गया है वह हमेशा प्रस्तुत किये जाने वाले बजट से अधिक कुछ नहीं है। सिंचाई अथवा उद्योग के विकास के लिए कोई विशेष आवंटन नहीं किया गया है। इस वर्ष देश में एक भी राज्य बेशी बजट तैयार नहीं कर सकता। केन्द्रीय बजट में घाटा निरन्तर बढ़ रहा है। घाटे को कम करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। स्थिति ऐसी है कि विदेशों ने भी ऋण देने से मना करना शुरू कर दिया है। अभी हाल ही में जापान के एक-दल ने देश का दौरा किया है। हमें आशा थी कि हमें मुद्दानूर विद्युत गृह के लिए ऋण मिल जायेगा। इस विद्युत गृह के लिए विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए मैंने माननीय वित्त मंत्री से सम्पर्क किया था। उनका दृष्टिकोण सहानुभूति वाला था। परन्तु जब जापानियों ने ऋण देने से मना कर दिया तो वह कुछ नहीं कर सके। जापनी देश में नाजुक वित्तीय स्थिति को देखते हुये पूंजी निवेश करना या ऋण देना नहीं चाहते थे। उन्होंने इसलिए ऋण नहीं दिया क्योंकि उन्होंने यह सोचा कि हम ऋण चुकाने की स्थिति में नहीं हैं। हमारे पड़ोसी देश, पाकिस्तान की स्थिति कहीं बेहतर है। श्रीमती बेनजीर भुट्टो हाल ही में सत्ता में आई हैं। फिर भी वह बेशी बजट प्रस्तुत करने में सफल रहीं। यहां तक कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 42 वर्ष बाद भी हम एक बार भी बेशी बजट प्रस्तुत नहीं कर सके हैं। देश अब आन्तरिक तथा बाहरी दोनों ओर से ऋण जाल में फस गया है। आज देश में विनाशकारी और भ्रम में डालने वाली स्थिति व्याप्त है। देश के विकास के लिए धन उपलब्ध नहीं है। पंडित नेहरु के योगदान को छोड़ कर विकास शून्य है। एकमात्र विकास जो हर जगह देखा जा सकता है वह निकम्मापन है। विकास की तो बात ही छोड़िए हम अपनी जनसंख्या में वृद्धि पर ही रोक नहीं लगा सके : पाँच साल बाद हम इस बढ़ती हुई जनसंख्या का भरण-पोषण कैसे करेंगे ? खाद्य पदार्थ प्रथम आवश्यकता है। अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए हम पर्याप्त खाद्य पदार्थ पैदा नहीं कर सकते हैं। हम उपहास के पात्र बन गये हैं। कम से कम अब तो समय है कि व्यर्थ के खर्च को रोका जाये और सिंचाई, उद्योग तथा विद्युत के विकास की ओर धन लगाया जाये। केवल तब ही देश खुशहाल हो सकता है और लोग खुश होंगे। देश के अस्तित्व के लिए खाद्य उत्पादन बहुत आवश्यक है और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हर प्रयास किया जाना चाहिए। महोदय, हमारे महाकाव्यों में कहा गया है कि एक बार ऋषि विश्वामित्र को कुत्ते का मांस खाना पड़ा था और फिर उस पाप को धोने के लिए प्रायश्चित करना पड़ा था। इसलिए, मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि किसी भी कीमत पर हमें लोगों का पेट भरने के लिए खाद्यान्नों का उत्पादन करना होगा। देश को भूखों नहीं मरने देना चाहिए। महोदय, राजसहायता नाकाम साबित हुई है। इसमें भ्रष्टाचार व्याप्त है। यहाँ तक कि 30% धनराशि भी लाभ भोगी तक नहीं पहुँच पाती है। विश्व में ऐसी योजना कहीं भी कार्यान्वित नही है। यहाँ तक कि कोरिया जैसा छोटा सा देश भी, जो युद्ध के दौरान नष्ट हो गया था, अब अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख

आर्थिक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया है। वे अब खाद्यान्नों का नियंत्रण कर रहे हैं। अभी माननीय जनार्दन पुजारी ने चर्चा में हस्तक्षेप किया है। उन्हें कृषि पर बोलते हुये सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ था। यह कृषि के बारे में क्या जानते हैं? बंगलौर जैसे शहर का बाशिन्दा होने के कारण वह वास्तव में कृषि के बारे में कुछ नहीं जानते। महोदय, जन्म से लेकर अब तक मैं एक गांव में रह रहा हूं और इसलिये मैं जानता हूं कि कृषि क्या है। 15 एकड़ भूमि वाले किसान की दशा सरकार के चतुर्थ श्रेणी के एक कर्मचारी से भी कहीं बदतर है। एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को 1500 रुपये प्रतिमाह से कम नहीं मिलते जब कि बेचारा किसान इतना भी भाग्यशाली नहीं है कि उसे उतनी निश्चित धनराशि मिल सके। किसानों के बच्चे नौकरियों के पीछे दौड़ रहे हैं। हम, संसद सदस्यों तथा विधान सभा सदस्यों के पास वे सिफारिश के लिए दिन रात आ रहे हैं। इन सब बातों से यह प्रतीत होता है कि कृषि क्षेत्र किस दशा तक गिर गया है। किसान अपनी जमीन बेचकर पास पड़ोस के कस्बों और शहरों में जाने के अधिक इच्छुक हैं। शहरी सम्पत्ति पर कोई प्रभावी सीमा नहीं है। यदि शहरी सम्पत्ति पर प्रभावी सीमा हो तो हम करोड़ों रुपये का कालाधन बरामद कर सकते हैं। हर गुप्त जगह पर धन छुपाया जा रहा है। इसे भूमि के अन्दर छिपाया जा रहा है। देश इतना गरीब नहीं है जितना कि दिखता है। धन केवल कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथों में है। धन को स्विस बैंक में जमा कराया जा रहा है। उस धन को वापस लाने के प्रयास किये जाने चाहियें। महोदय, देश में विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण के लिए उन जमाखातों पर मिलने वाला ब्याज ही काफी है। सुधार के नाम पर केवल गरीबों को ही दबाया जा रहा है जबकि प्रभावशाली लोगों को छूआ तक नहीं जा रहा है। शहरी सम्पत्ति पर अधिकतम सीमा को प्रभावशाली ढंग से लागू किया जाना चाहिए। एक 20 एकड़ भूमि वाले किसान से शहर में एक पान वाला कहीं बेहतर है। कृषि एक जुआ बन गई है। सिंचाई व्यवस्था के अभाव में कृषि से अधिक आशा नहीं रखी जा सकती है। एक अच्छी फसल के लिए वर्षा पर और अधिक निर्भर नहीं रहा जा सकता है। हर वर्ष औसत वर्षा घटती जा रही है। कुछ समय बाद, मुझे डर है, शायद हमें पीने के लिए भी पर्याप्त पानी न मिले। कई प्रमुख परियोजनायें हैं जिनका अभी निर्माण होना है। राज्य सरकारों के पास इतनी धनराशि नहीं हैं कि वे स्वयं परियोजनाओं का निर्माण कर सकें। जल संसाधन मंत्रालय केवल नाममात्र के लिए ही अस्तित्व मे है। मैं उस मंत्रालय की सलाहकार समिति का सदस्य था; जब स्वयं प्रधान मंत्री के पास उस मंत्रालय का कार्यभार था। एक बार मैंने उनको सभी प्रमुख परियोजनाओं के लेने तथा मध्यम और लघु परियोजनाओं को राज्यों के लिए छोड़ने का सुझाव दिया था। इसके लिए एक समिति नियुक्त की गई थी और मुझे इस समिति का सदस्य बनाया गया था। अब, बेशक, समिति नहीं है। मैं एक बार फिर केन्द्र सरकार से प्रमुख परियोजनाओं और प्रमुख उद्योगों को अपने हाथ में लेने के लिए एक निवेदन करता हूं। राज्य सरकारों के पास प्रमुख परियोजनाओं के निर्माण के लिए पैसा नहीं है। महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर बोल रहा हूं और किसी ने भी अभी तक इस विषय को नहीं छुआ है। मेहरबानी करके मुझे दो मिनट और बोलने की अनुमति दीजिए। अतः, कम से कम अब प्रधान मंत्री को सभी प्रमुख परियोजनाओं को अपने हाथ में लेने पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। देश की खुशहाली के लिए सिंचाई, उद्योग, विद्युत का विकास तथा जनसंख्या नियन्त्रण बहुत आवश्यक हैं। जब तक इन क्षेत्रों में हम प्रगति नहीं करते, हमारे अन्य सभी प्रयास निरर्थक होंगे। हम कई

विद्यालय खोल सकते हैं और विद्यार्थियों को छात्रावास की सुविधा प्रदान कर सकते हैं। फिर भी उनका पालन-पोषण करने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता है। काफी समय से हम जल विद्युत पर निर्भर करते आ रहे हैं। देश में ताप विद्युत केन्द्र अधिक नहीं हैं। विद्युत की कमी के कारण बहुत से उद्योग बन्द होने वाले हैं। अतः हमें देश में अधिक ताप विद्युत गृह लगाने पर भी ध्यान देना चाहिए।

महोदय, इन टिप्पणियों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया है।

श्री आई० रामा राव (कासर गोड) : मैं कृषि मंत्रालय की अनुदानों की मांगो का समर्थन करता हूं।

हमारे देश में कृषि एक आधारभूत उद्योग है जो भोजन, रोजगार तथा हमारे उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करता है। हमारे देश की 70% जनसंख्या गांवों में रहती है। हमारे किसान मुख्यरूप से सीमान्त और छोटे किसान हैं जिनके पास बिना जल संसाधन या सिंचाई सुविधाओं के दो या ढ़ाई एकड़ भूमि है। गांवों में रहने वाले 70 प्रतिशत लोगों की यह दशा है। यह कहा जाता है कि वास्तविक भारत ग्रामीण भारत है। जब तक आप इन लोगों का विकास नहीं करते तब तक हमारे देश का भविष्य उज्जवल नहीं होगा। जब गांवों में खुशहाली तथा समृद्धि होगी केवल तभी उद्योगों को अपने उत्पादों के लिए बाजार मिलेगा। खेतों में सफलता पर ही कारखानों की सफलता निर्भर करती है।

हमारे ग्रामीण विकास मंत्री यहां उपस्थित हैं। सिंचाई के बारे में इतना कुछ कहा गया है। मैं केवल एक बात कह रहा हूं। पीने के पानी की सुविधायें प्राप्त करने के लिए हम अधिकांश स्थानों पर अन्धा-धुन्ध बोर कुयें खोद रहे हैं। देश के विभिन्न भागों में भिन्न-भिन्न परिस्थितियां हैं। मैं एक ऐसे राज्य से आया हूं जो भारत के पश्चिमी तट पर है जहां वर्षा के मौसम में पानी की बहुतायत होती है। परन्तु हाल ही में उन्होंने यह घोषण कर दी है कि वहां पीने का पानी नहीं है। भाग्यवश, कल वहां अच्छी बरसात हुई थी। मुझे आशा है कि पानी की समस्या हल हो जायेगी। परन्तु मैं यह कह रहा हूं कि पीने के पानी के लिए और कृषि में प्रयोग में लाने के लिए पानी हेतु बोर कुयें खोदने से एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जहां खुले कुओं का पानी भी सूखने लग गया है। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि ग्रामीण विकास मंत्री को कृषि के सिंचाई पहलू को भी लेना चाहिए क्योंकि जलाशय बनाने, छोटे बांध इत्यादि बनाने से भूमिगत जल ऊपर आ जायेगा इस सुझाव को गम्भीरता से लिया जाना चाहिए। अन्यथा, थोड़े से समय में, केरल जैसे स्थानों पर भी जहां वर्षा अधिक मात्रा में होती है और अब जब उत्तर-पश्चिमी मानसून लुप्त हो रही हैं. शायद हमारा वहां भी जीना दूभर हो जाये।

जहां तक बीजों की अधिक पैदावार वाली किस्मों तथा पौधों की अधिक पैदावार वाली किस्मों के विकास का सम्बन्ध है, हमारे वैज्ञानिकों ने अधिक पैदावार वाले बीजों को खोज निकाला है। परन्तु प्रौद्योगिकी को प्रयोगशाला से खेतों तक ले जाने का कार्य बहुत धीमा है। नकली तथा घटिया

किस्म के बीज बाजार में आने शुरू हो गये हैं। विभिन्न अनुसन्धान केन्द्रों में, विशेषतौर पर सी० पी०सी०आर०आई० कासरगोड़ में वैज्ञानिकों को केरल में नारियल की खेती के क्षेत्र में बहुत अधिक कार्य करना है। ग्रामीण केरलवासियों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह नारियल से प्राप्त आय पर निर्भर करती है। नारियल, खाद्य तेल के साथ-साथ नारियल जटा जैसे उद्योगों में भी काम आता है। परन्तु नारियल पर हाल ही में लग रही बीमारी अर्थात् जड़ सूखने वाली बीमारी ने वहां नारियल की फसल को बहुत नुकसान पहुंचाया है। इस बीमारी को रोकने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किया गया है। जहां तक उत्तक संवर्धन की बात है, अनुसंधान कार्य में लापरवाही की वजह से कोई ज्यादा उपलब्धि नहीं हुई है। पता करने पर यह बताया गया था कि मिशन कार्य के लिए आवश्यक रसायन समाप्त हो गये थे और यह कार्य अगस्त 1988 से रुका हुआ है।

प्रधान मंत्री के खाद्य तेल मिशन के अन्तर्गत दो परियोजनायें, जिनकी वित्तीय व्यवस्था जैव प्रोद्योगिकी विभाग द्वारा की गयी है, अप्रैल 1987 से केन्द्रीय बागान अनुसंधान संस्थान, कासरगोड में चल रही हैं। यह अफवाह है कि यद्यपि इस परियोजना के अन्तर्गत धन और मानवशक्ति उपलब्ध की गयी है लेकिन कई आवश्यक उपकरण जैसे जनित्र, तुला और सूक्ष्मदर्शी खरीदे या चालू नहीं किये गये हैं। एल्कोहल और रसायनों की अनुपलब्धता के कारण ऊतक संवर्धन का लगभग सारा काम बन्द हो गया था और ऊतक संवर्धन का वाणिज्यीकरण तथा अधिक संख्या में पौधों का उत्पादन करने का उद्देश्य बुरी तरह से असफल हुआ है। मैं चाहता हूं कि कृषि मंत्रालय विशेष रूप से शास्त्री जी इस मामले पर गौर करें और इस संबंध में आवश्यक कदम उठायें।

मुझे कल के समाचार पत्र में यह देखकर प्रसन्नता हुई थी कि विशेष खाद्यान्न उत्पादन परियोजना की अवधि 1989-90 तक बढ़ा दी गयी है और उस परियोजना में मेरा राज्य भी शामिल किया गया है। चालू वर्ष में भी ज्यादा जोर अधिक उर्वरक उपयोग, ज्यादा पैदावार देने वाले बीजों की किस्म के उपयोग, खरपतवार निकालने की अच्छी व्यवस्था, कीटों और बीमारियों का समय रहते नियंत्रण, कुशल जल प्रबन्धन, उत्पादन और खरीद के लिए प्रोत्साहन और आसान किस्तों पर फसल ऋण देने पर दिया जायेगा। इन सब उत्साहवर्धक कदमों के कारण 1988-89 में खाद्यानों का उत्पादन 166.57 मिलियन टन से बढ़कर 171 मिलियन टन हो गया है जो कि स्वयं पिछले वर्ष के उत्पादन से 20 प्रतिशत अधिक है।

जहां तक उर्वरक उद्योग की बात है, मैं इस उद्योग के बारे में अधिक नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि मंत्री जी पहले ही हस्तक्षेप कर चुके हैं। इस उद्योग ने हमें हरित क्रांति और अन्य चीजें प्राप्त करने में काफी सहायता दी है। एक बात जो मैं कहना चाहता हूं, यह है कि रासायनिक उर्वरकों ने सूक्ष्म-पोषकों जैसे जस्ता, मैग्नीशियम, लोहा और गन्धक की कमी पैदा कर दी है। जिंक सतफेट उपलब्ध कराने के नाम पर काफी अधिक मात्रा में राजसहायता दी गई है यद्यपि इससे किसान को वास्तविक रूप से लाभ नहीं मिलते हैं। जिंक सल्फेट के सम्बन्ध में सरकार की कोई स्पष्ट नीति नहीं है। उन्हें कई कारखानों का उनकी वास्तविक उत्पादन मात्रा और वास्तविक समस्याओं के संबंध में अध्ययन करना चाहिये। मेरी जानकारी के मुताबिक, हमारे देश में दो सौ से अधिक कारखानें रिकार्ड में हैं लेकिन 20 या 30 से अधिक वास्तविक उत्पादन नहीं कर रहे

हैं और वह भी वर्ष में केवल तीन महीने। जब तक भूमि में सूक्ष्म अवयव सप्लाई नहीं किये जायेंगे, तब तक भूमि में पोषक तत्त्वों की कमी रहने का खतरा है।

आम आदमी के मन में एक प्रश्न उठता है कि यद्यपि कृषि के महत्व के बारे में काफी बात की जाती है और प्रत्येक व्यक्ति इसके महत्व पर जोर देता है परन्तु इस वर्ष बजट आबंटन पिछले वर्ष से भी कम कर दिया गया है। वह प्रश्न प्रत्येक व्यक्ति कहना चाहता था लेकिन किसी ने भी नहीं पूछा है।

जहाँ तक उचित मूल्यों की बात है, यह वैसे ही है जैसे हम लोग यहाँ कृषि मंत्रालय की मांगों पर बोलने के लिये इन्तजार कर रहे हैं। किसान को अपनी वस्तुयें अपने पास ही रखनी पड़ती हैं और फिर उस दिन तक इन्तजार करना पड़ता है जब उसे उचित मूल्य मिल सके। यही इस देश में हो रहा है क्योंकि किसानों को उचित मूल्य देने के लिये कोई योजना नहीं है।

जहाँ तक सहकारी आन्दोलन की बात है मैं कहना चाहूंगा कि मेरे राज्य में यह ठीक तरह से नहीं चल रहा है। वर्तमान केरल सरकार ने स्वयं सहकारी आन्दोलन को लगभग समाप्त कर दिया है क्योंकि जहाँ तक राज्य में सहकारी संस्थाओं का सवाल है, वहाँ स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों जैसी कोई बात नहीं है।

जहाँ तक ग्रामीण विकास की बात है, गामीण विकास विभाग द्वारा पुनः इसमें आसाधारण उपलब्धि प्राप्त करने की बात कही गई है। केन्द्रीय सरकार एन० आर० ई० पी० और आर० एल० ई० जी० पी० के अन्तर्गत केन्द्र 80 प्रतिशत राशि देगी—यही मन्त्री महोदय हाल में कह रहे थे। शेष 20 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। जैसे कि कई सदस्यों ने कहा है मुझे डर है कि राज्य सरकार क्या वास्तव में उन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की इच्छुक है जिन्हें केन्द्र सरकार निर्धन लोगों के लिये बना रही है। जैसे कि कई सदस्यों ने सुझाव दिया है, मैं इसकी कार्यान्वयन संबंधी स्थिति में संसद सदस्यों का सक्रिय सहयोग चाहता हूं।

इन कुछ सुझावों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

चौधरी लच्छी राम (जालौन) : सभापति महोदय, मैं कृषि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। महोदय, मैं बुन्देलखण्ड के पिछड़े इलाके से चुनकर आया हूं। अभी मेरे एक साथी श्री भीष्मदेव दुबे वहाँ की दयनीय स्थिति के सम्बन्ध में बता रहे थे, मैं उन बातों का जिक्र न करते हुये अपने क्षेत्र के संबंध में कुछ महत्त्वपूर्ण बातों की ओर आप का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

महोदय, कृषि विभाग एक ऐसा विभाग है जिसमें देश के 80 करोड़ लोगों की जिन्दगी और मौत बंधी हुई है, इसलिये इस विभाग को सबसे अधिक वरीयता मिलनी चाहिए। इस विभाग को सबसे अधिक साधन और धन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। हमारे कुछ साथियों ने कहा कि कृषि की प्रगति नहीं हुयी है, मैं उनका ध्यान 1947 की ओर ले जाना चाहता हूं जब हमारे देश की आबादी 40 करोड़ थी और हम 5 करोड़ टन गल्ला पैदा नहीं कर पाते थे। 1947 में बंगाल

में 20 लाख आदमी भूख से प्रभावित हुये थे, लेकिन आज हम 80 करोड़ हैं और 80 करोड़ का पेट भरते हैं, 15 करोड़ टन गल्ला पैदा करते हैं। अगले वर्ष के लिये 17 करोड़ टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इसके लिए 97 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है, हमें आशा है कि हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। क्या यह कृषि की प्रगति का प्रतीक नहीं है? आज लोग कृषि विभाग की चिंता नहीं कर रहे हैं, फिर भी प्रतिवर्ष उत्पादन बढ़ रहा है। आबादी भी प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है, उसके लिये हमें अन्न की व्यवस्था करनी है। बढ़ती हुयी आबादी को देखते हुये प्रतिवर्ष हमें अन्न की अधिक पैदावार के लिये व्यवस्था करनी होगी। हमारे देश में भारी मात्रा में नदियां हैं जो बहकर समुद्र में चली जाती हैं और कृषि योग्य भूमि को उनका पानी भरपूर नहीं मिल पाता। 40 वर्षों में बहुत बांध बनाये हैं, फिर भी अभी 50 प्रतिशत भूमि असिंचित है। अगर भूमि की पानी की आवश्यकता को पूरा कर दिया जाय तो हमको आशातीत भोजन मिल सकेगा और आशातीत अन्न उत्पादन में वृद्धि हो सकेगी, कोई यहां पर भूखा नहीं रह सकता।

इसके साथ-साथ हमको खाद के नये कारखाने भी खोलने होंगे। इन दो चीजों के रहते हुये कोई देश में भूखा नहीं रह सकता। हमारे देश में कमजोर वर्ग के लोगों की संख्या बहुत अधिक है, सरकार उन्हें रोजी-रोटी देने के लिये चिंतित है। जबसे खेती का यन्त्रीकरण हुआ है, भारी मात्रा में कृषि मजदूर बेकार हो गये हैं। उनको फसल की कटाई में दो माह काम मिल जाता है, बाकी समय में वे काम की तलाश में घूमते रहते हैं। कमजोर वर्ग के बच्चों को सरकार ने शिक्षा-दीक्षा में भारी सहायता दी है, वे भी भारी संख्या में बेकार घूम रहे हैं, उनकी रोजी-रोटी का प्रबन्ध करना भी सरकार के लिये आवश्यक है, अतः हर जनपद में सरकार की ओर से कम से कम एक बड़ा कारखाना खोला जाना चाहिए और उसमें कमजोर वर्ग के लोगों को वरीयता दी जानी चाहिये। सरकार ने कमजोर वर्ग के लोगों को पड़ती भूमि और सीलिंग से निकली भूमि दी है, प्रधानमन्त्री जी उनको निःशुल्क पानी और उचित मूल्य पर खाद देने की बात भी कर रहे हैं, वे उनकी सहायता करने के लिये चिंतित हैं। उन्होंने पिछले वर्ष जलधारा योजना की घोषणा की थी, उसे शीघ्र आरम्भ किया जाना चाहिये, इससे उनको भारी राहत मिलेगी।

महोदय, अब मैं कुछ आवश्यक समस्याओं की ओर जो मेरे क्षेत्र से संबंधित है, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरा क्षेत्र बुन्देलखण्ड का पिछड़ा क्षेत्र है जिसमें जनपद जालौन, झांसी का गरौठा क्षेत्र आता है। इस क्षेत्र में जमुना, बेतवा, पहूज, घसान और सकेरी नदियां बहती हैं। मध्यप्रदेश की भी तीन नदियां चंबल, कुंवारी और सिंध हमारे क्षेत्र के जगमनपुर स्थान पर जमुना और पहूंज के संगम पर आकर मिल जाती हैं, इस स्थान पर पांच नदियों का संगम होने से पचनद कहते हैं।

9.00 म० प०

हमारे मौजूदा मुख्य मन्त्री माननीय नारायण दत्त जी तिवारी जब दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमन्त्री बन कर आये थे तो इस पचनद पर एक बांध बनाने की योजना स्वीकार की थी और उसके लिए धन भी आवंटित किया था। परन्तु उनके केन्द्र में आ जाने के बाद वह योजना अधूरी पड़ी है। मैंने उसे पूरा करने के लिये मांग की तो सिंचाई मंत्री जी द्वारा धनाभाव के कारण बांध

का काम पुन: चालू करने में कठिनाई बताई गई ।

आपसे अनुरोध हैं कि इस बांध के लिये केन्द्र सरकार धन देकर सहायता करे । कुछ दिन पहले, केन्द्र सरकार ने राजघाट बांध जो दो प्रदेशों के विवाद में फंसा था, सहायता करके उसे बनवाये जाने की व्यवस्था भी की, उसी प्रकार पचनद को भी सहायता प्रदान करे । इससे हमारे जनपद की सिंचाई 23 प्रतिशत से बढ़कर 33 प्रतिशत हो जायेगी, साथ ही हमारे पड़ौसी जिला इटावा को भी सिंचाई की उपलब्धि प्राप्त होगी और बेतवा, लखेरी घसान नदियों पर भी पम्प कैनाल बनाकर गठौर क्षेत्र जो काफी पिछड़ा क्षेत्र है—सिंचाई के साधन दिये जाने चाहिए ।

हमारे जनपद जालौन के बीचोंबीच से कौंच नहर के निकट से हजीरा, बीजापुर, जगदीशपुर गैस पाइप लाइन निकली है, जिसमें दो आउट लेट छोड़ दिये गये हैं । कौंच के पास जो आउट लेट है, वहाँ से होकर बीस फुट चौड़ा पक्का मार्ग निकला है । कौंच तक रेलवे लाइन है । पानी, बिजली भी उपलब्ध है और स्थान तथा समुचित मात्रा में मजदूर व कर्मचारी भी उपलब्ध होंगे । उस स्थान पर एक खाद का कारखाना खोले जाने की हमारी मांग है । 27 फरवरी 1988 को हमारे जनपद में पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री एक किसान रैली सम्बोधित करने गए थे । उन्होंने घोषणा भी की थी कि इस गैस पाइप लाइन पर करोड़ों रुपया लागत वाला कोई उद्योग लगाया जायेगा । आपसे अनुरोध है कि प्लानिंग कमीशन द्वारा यहां एक खाद का कारखाना या बैरलिंग प्लांट या कोई पैट्रो रसायन कारखाना खोले जाने की अनुमति प्रदान करें । इफको खाद विभाग के लोग यहां कारखाना लगाने के इच्छुक हैं । मंत्री जी भी घोषणा करते हैं कि हमारे पास गैस का भंडार समुचित मात्रा में है । इससे हमारे क्षेत्र को खाद तो उपलब्ध होगी ही, जनपद की बढ़ती हुई बेकारी को भी भारी राहत मिलेगी । आशा है हमारे अनुरोध पर गंभीरता से विचार करेंगे । दिनांक 26-3-89 को माननीय श्री हरिकृष्ण शास्त्री जी कृषि राज्य मंत्री, भारत सरकार, हमारे जनपद में टी०वी० टावर का उद्घाटन करने गए थे । वहां के कृषक भाइयों ने उनसे मांग की थी कि हमारा जनपद कृषि पर आधारित है । यहां कृषि महाविद्यालय की स्थापना की जाए ताकि यहां के कृषक परिवारों के बच्चे कृषि तकनीक से अवगत होकर अपनी खेती को उन्नतिशील बना सकें । आशा है, माननीय कृषि मंत्री जी हमारे जनपद जालौन में कृषि महाविद्यालय खोलें जाने की स्वीकृति प्रदान करेंगे । इन शब्दों के साथ कृषि मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं ।

[अनुवाद]

श्री के०एस० राव (मछलीपटनम): सभापति महोदय, मैं पहले प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी और कृषि मंत्रालय को खाद्यान्न का उत्पादन 138 मिलियन टन से 160 मिलियन टन बढ़ाने के लिए, जोकि 20 प्रतिशत वृद्धि है, उनकी नीतियों और इसमें दिखाई गयी रुचि के लिए, भले ही यहां उन्हें प्रकृति का आशीर्वाद मिला हो, बधाई देना चाहता हूं । इससे साफ-साफ पता चलता है कि हमारे लिए खाद्य उत्पादन को इस तरह से बढ़ाने के लिए पर्याप्त अवसर हैं कि हमें किसी भी समय किसी खाद्यान्न को आयात करने की आवश्यकता नहीं पड़े ।

हममें से प्रत्येक जब जनता के पास जाता है तो कहता है कि किसान देश की रीढ़ है और

दुर्भाग्य से किसान की जिन्दगी आज बहुत दयनीय हो गयी है और यह मुख्यत: भारत सरकार द्वारा निर्देशों के कार्यान्वयन नहीं करने के कारण हुआ है क्योंकि कृषि राज्य का विषय है। इस संदर्भ में, मैं भारत सरकार की नीतियों के संबंध में अपने विचार माननीय मंत्री के ध्यान में लाना चाहता हूं। यदि हम खाद्यान्न का आयात कर रहे हैं तो इसका अर्थ है हम बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इस देश की 70 प्रतिशत जनसंख्या पूरी तरह से कृषि पर निर्भर करती है। देश में कुल श्रमिक बल में से 40 प्रतिशत कृषि क्षेत्र से है। इसका अर्थ हुआ कि उद्योग की तुलना में कृषि में प्रति इकाई श्रमिक बल उत्पाद अधिक है। अर्थात् देश के बाहर से खाद्यानों की एक डालर प्रति वस्तु के आयात् से भी हम न केवल अपने लोगों को रोजगार से वंचित रख रहे हैं अपितु हम ऋण भी बढ़ा रहे हैं जिसका एक दिन हमें भुगतान करना पड़ेगा, उस वक्त तक विनिमय मूल्य बढ़ जायेगा और देशवासियों की इस ऋण को चुकाने की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा हो जायेगी।

माननीय मंत्री यह भी जानते हैं कि इस देश में किसान प्रगतिशील हो गये हैं और वे नवीन प्रौद्योगिकी को अपनाने में सक्षम है कि वे जिस चीज की भी आवश्यकता हो उसे भी उगा सकते हैं बशर्ते कि उन्हें उचित मूल्य मिले। सारी परेशानी केवल किसानों को उचित मूल्य देने के संबंध में है। हमारा अनुभव यह भी कहता है कि जब हमने गन्ने की ठीक कीमत दी तो हमने काफी गन्ने का उत्पादन किया और फिर हमें किसी अन्य देश से चीनी के आयात की आवश्यकता नहीं हुई। यही बात कपास और अन्य वस्तुओं के मामले में हुई जहां हमने सही कीमत अदा की। आज यदि हमें लगभग 1000 करोड़ रुपये या अधिक मूल्य का तिलहन आयात करना पड़ा है तो यह केवल इस वजह से है कि हमने उसका उचित मूल्य नहीं दिया था। मैं तो कहूंगा कि भले ही हमारे यहां तेल की कुछ हद तक कमी हो और यदि हम तिलहन का आयात नहीं करते हैं तो स्वत: ही किसान को तिलहन के लिए अच्छी कीमत मिलेगी और वह निश्चित रूप से अधिकाधिक तिलहन का उत्पादन करने पर अपना ध्यान केन्द्रित करेगा। निसंदेह कुछ देशवासियों को पर्याप्त तेल प्राप्त करने में कुछ कठिनाई हो सकती है लेकिन वे अपनी इस खपत को कम कर सकते हैं। परन्तु यदि वह अपरिहार्य ही हो, तो वे कुछ तिलहन आयात कर सकते हैं। परन्तु तिलहन या किसी खाद्यान्न के अत्यधिक आयात पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिए या हम यह भी कर सकते हैं कि कुछ वस्तुओं के आयात पर ही रोक लगा दें। जब 70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है और उचित मूल्य देकर निश्चित रूप से 70 प्रतिशत जनसंख्या को फायदा होता है तो उस मामले में क्या सरकार को उचित मूल्य देने की बात नहीं सोचनी चाहिए। सरकार को यह भी नहीं सोचना चाहिए कि केवल किसान को ही इससे फायदा होता है, खेतिहर मजदूरों को भी इससे लाभ होता है। एक बार यदि ग्रामीण क्षेत्रों में फार्म की वस्तुओं की कीमत बढ़ा दी जायें तो उससे फार्म मजदूर को भी लाभ होगा। इसका तात्पर्य है कि खेतिहर मजदूर, जिन्हें इससे वंचित रखा जाता है या जो ठीक तरह से संगठित नहीं हैं को भी उचित मूल्यों से वृद्धि होने से फायदा होगा। गांव में कृषक समुदाय की दयनीय स्थिति इसलिए है क्योंकि उनकी समाज में बहुत कम इज्जत है। आप सरकारी सेवारत चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के वेतन की तुलना करें जिसे निश्चित रोजगार मिला हुआ है। उसे प्रतिमाह लगभग 2000 रुपये मिलते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि एक किसान को भूमि सीमा अधिनियम के अन्तर्गत अधिकतम भूमि की अनुमति दे दी जाये तो भी वह चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी वाला जीवन

भी नहीं जी सकता है। यहां तक कि सामाजिकजीवन में भी यह देखा जा सकता है कोई भी लड़की 10-15 वर्ष से खेती में लगे हुए किसान से शादी नहीं करना चाहती है और वह किसान के बजाय श्रेणी-4 कर्मचारी से विवाह करने को वरीयता देती है। इसी से हम समझ सकते हैं कि समाज में किसान की क्या हैसियत है।

हम सभी शहरीकरण के बारे में बहुत कुछ कहते हैं। यदि किसान को ही सही मूल्य दिया जाए तो क्या आप सोचते हैं कि किसान शहर की ओर जाएगा ? अत: यदि आपकी रुचि सचमुच शहरीकरण पर नियंत्रण करने, 70% जनसंख्या का जीवन-स्तर सुधारने और ग्रामीण क्षेत्रों में खेतिहर मजदूरों की स्थिति सुधारने में है तो इसका सही तरीका यही है कि किसानों को सिर्फ उपयुक्त लाभकारी मूल्य दिए जाएं। यदि सरकार या जनता यह सोचती है कि ग्रामीण मजदूर उन्हें मिलने वाली खाद्य सामग्री से वंचित हो जाएंगे तो इसके लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। हम निर्धन लोगों, गरीबी-रेखा से नीचे का जीवन-यापन करने वाले लोगों और खेतिहर मजदूरों को हमेशा राज-सहायता और कम मूल्य पर खाद्यान्न दे सकते हैं और इसके साथ-साथ अन्य लोगों को उचित मूल्य भी दिया जा सकता है। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय जरा सोचें कि वह किसानों को खाद्यान्नों का उचित मूल्य देकर कितना अच्छा काम करेंगे। इस तरह हम कई समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि सभी फसलों का बीमा किया जाए क्योंकि निर्धन किसान प्रकृति पर निर्भर है और एक वर्ष फसल न मिलने पर जो हानि उसे होती है उसकी भरपाई वह 4 वर्षों में भी नहीं कर सकता। उद्योगपति को यथानुपात आधार पर भुगतान किया जाता है, यहां तक कि वे निर्मित वस्तुएं के मूल्यों में एक वर्ष में 4 बार वृद्धि कर देते हैं। किन्तु हम कृषि उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि नहीं करते। इस असंगति को दूर किया जाना चाहिए और कृषि तथा खेतिहर मजदूरों की स्थिति महत्त्वपूर्ण समझी जानी चाहिए।

इस संदर्भ में मैं अपने सहयोगी श्री सुब्बा रेड्डी के भाषण का जिक्र करना चाहता हूं जिन्होंने कहा था कि आंध्र प्रदेश में बिलकुल विकास नहीं हुआ है। राज्य में सब जानते हैं कि तेलगू देशम के वर्तमान शासन के पिछले 6 वर्षों के दौरान बिलकुल विकास नहीं हुआ था। माननीय सदस्य भी यह जानते हैं किन्तु वह इस बारे में अपनी अनभिज्ञता जाहिर करना चाहते हैं। वह कह रहे थे कि भारत सरकार को इस ओर अधिक ध्यान देना चाहिए तथा सिंचाई, बिजली और उद्योग के लिए अधिक धनराशि आवंटित करनी चाहिए। मैं भी इसका समर्थन करता हूं किन्तु मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य अपने मुख्य मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाए जिन्होंने निरन्तर इन तीनों बातों की उपेक्षा की है जिस कारण आंध्र प्रदेश की प्रगति रुक गई है। वह कह रहे थे कि राजसहायता योजना उनकी असफलता थी। हम सब जानते हैं कि राजसहायता के रूप में जो हजारों करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं राज्य सरकारें, जोकि मध्यस्थ एजेंसियों के रूप में कार्य कर रही हैं, उस धन का दुरुपयोग कर रही हैं। यदि योजना के कार्यान्वयन में असफलता हुई है तो यह असफलता राज्य सरकार की है न कि केन्द्र सरकार की। माननीय सदस्य इस तथ्य से अवगत हैं किन्तु वह अपनी सरकार की असफलता का आरोप केन्द्र सरकार पर लगाना चाहते हैं।

मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने राज्य के विकास के लिए कुल आवंटन राशि को 2900 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 6,500 करोड़ रुपए कर दिया है। किन्तु मैं इस

बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, एकीकृत ग्रमीण विकास कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम तथा और गरीबी हटाने से संबंधित अन्य कार्यक्रमों पर खर्च करने के लिए जो करोड़ों रुपए दिए गए हैं, उनका आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा किस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है। यह सब जानते हैं। यहां तक कि जो कुछ करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं उनका प्रयोग भी पार्टी के लिए किया जा रहा है। यदि इस धनराशि का लाभ किसी को मिला है तो वह इसी दल के लोगों को मिला है न कि अन्य दलों के लोगों को अथवा उन्हें जो वास्तव में इसके अधिकारी हैं।

जहां तक उर्वरकों का संबंध है कुछ मिनट पहले, मंत्री महोदय श्री प्रभु ने कहा था कि हम उर्वरकों पर प्रति वर्ष 3500 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। इस राजसहायता तथा सरकार द्वारा दी जा रही सहायता की जानकारी किसी किसान को नहीं है। यदि आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने 50 लाख रुपए सहायता के रूप में दिए होते तो उन्होंने उसका खूब प्रचार किया होता और सिर्फ आंध्र प्रदेश में ही इसके प्रचार पर करोड़ों रुपए खर्च करके वह यह बता देते कि अकेले उन्होंने ही किसानों की सहायता की है।

मंत्री महोदय को यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारे द्वारा गरीबी हटाओ कार्यक्रम पर कई करोड़ रुपए खर्च किए जाने के बाद उसका प्रचार नहीं किया गया बल्कि उसके विपरीत आंध्र प्रदेश सरकार भारत सरकार को बदनाम ही कर रही है।

निष्कर्ष के रूप में मैं यही कहूंगा कि मैंने कृषि मंत्री से एक फल व सब्जी अनुसंधान केन्द्र शुरू करने पर विचार करने का अनुरोध किया है क्योंकि आंध्र प्रदेश और विशेषकर कृष्णा-गोदावरी डेल्टा क्षेत्र में सब्जियों, फलों के विकास, दुग्धशाला, मुर्गी-पालन, मछली पालन की बहुत क्षमता है। मैं यहां एक उदाहरण उद्धृत करता हूं। अंडों का मूल्य एक महीने में 68 पैसे से कम हो कर 33 पैसे रह गया है। इससे स्पष्ट है कि विपणन सुविधाओं को बढ़ाना होगा और सरकार ने हस्तक्षेप करके इन सब वस्तुओं का सही मूल्य दिलाने का आश्वासन दिया है। न केवल कृषि क्षेत्र में अपितु अन्य उद्योगों, मुर्गी-पालन और पशु-पालन जैसे कुटीर उद्योगों की ओर भी पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए और इन वस्तुओं के विपणन तथा भंडारण के पर्याप्त प्रावधान किए जाने चाहिए ताकि कृषकों को सही मूल्य मिल सकें।

महोदय, नवीनतम स्थिति यह है कि तम्बाकू उत्पादकों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि व्यापारियों, आयातकर्त्ताओं और उत्पादकों ने उस समझौते का उल्लंघन किया है जिस पर उन्होंने मंत्री महोदय की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए हैं। किसानों को बिजली की आपूर्ति करने के संबंध में राज्य सरकार अत्याधिक असफल रही है और बिजली की निरन्तर कटौती के कारण किसानों को कठिनाई हो रही है। मुख्यमंत्री भूमि सुधार के कार्यान्वयन की ओर भी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं तथा वहां हजारों एकड़ बेकार पड़ी भूमि, जहां कोई पेड़ अथवा फसल नहीं उगाई गई है, पेड़ लगाने के लिए पट्टे पर दी जा सकती थी। मुख्यमंत्री बेकार पड़ी भूमि भी निर्धन लोगों को नहीं बांट सकते। यदि ऐसा किया गया होता तो कुछ फसलों का उत्पादन वर्तमान

उत्पादन से अधिक हुआ होता। देश में यह बात भी सब जानते हैं कि मिलावटी कीटनाशकों की सप्लाई के कारण गुंटाकल और ओंगोल के किसानों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा और उनकी यह परेशानी इस हद तक बढ़ी कि उन्हें अपनी पत्नियों के स्वर्णाभूषण तक बेचने पड़े। यद्यपि इस असफलता के पीछे राज्य सरकार का हाथ है, मुझे तेलगू देशम पार्टी के उन सदस्यों पर दया आती है जो हर क्षेत्र में राज्य सरकार के असफल होने पर भी भारत सरकार की निंदा अथवा आलोचना कर रहे हैं।

महोदय, मैं सभा का अधिक समय लेना नहीं चाहता। मैं कृषि मंत्री जी की सराहना करता हूं कि उन्होंने गोदावरी क्षेत्र में बड़ी योजना शुरू की है और उन्होंने वह योजना कृष्णा जिले में भी शुरू करने का वायदा किया है। ऐसा करने से कृषकों को यह फायदा होगा कि वे उस समय तक अपने कृषि उत्पादों का भंडारण कर पाएंगे जब तक उन्हें उसका सही मूल्य न मिले। इस संदर्भ में मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि वह किसानों को धान से चावल निकाल कर बेचने की अनुमति दें ताकि उन्हें अच्छे मूल्य मिल सकें।

अंततः मैं कृष्णा-गोदावरी निकास प्रणाली के बारे में उल्लेख करना चाहता हूं। यह 130 वर्ष पुरानी है। यहां 200 करोड़ रुपए खर्च करने से हमें प्रति वर्ष 600 करोड़ रुपए की आमदनी हो सकती है। हम 600 करोड़ रुपए तक के कृषि उत्पादकों का उत्पादन कर सकते हैं। अतः मेरा कृषि मंत्री जी से अनुरोध है कि वह भारत सरकार से यह सिफारिश करें कि राज्य सरकार को यह परियोजना शुरु करने के लिए कम से कम 200 करोड़ रुपए ऋण के रूप में दिए जाएं क्योंकि राज्य सरकार के पास कोई संसाधन नहीं है अथवा राज्य सरकार इस बड़ी परियोजना को कार्यान्वित नहीं कर पा रही है। यदि यह योजना कार्यान्वित हो जाए तो इस राज्य तथा वहां की जनता को काफी लाभ हो सकता है।

अंततः मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं कृषि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

[1]श्री जी० एस० बासवराजू (टुमकुर) : माननीय सभापति महोदय, कई माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में काफी रुचि दिखाई है।

इस वर्ष खाद्यान्नों का उत्पादन 40 मिलियन टन तक हुआ है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री, श्री राजीव गांधी तथा भारत सरकार को बधाई देता हूं।

किसानों की प्रगति मूल आधारभूत सुविधाओं पर निर्भर है। ये हैं (1) सिंचाई (2) अच्छे किस्म के बीज (3) उर्वरक (4) कीटनाशक (5) आधुनिक उपकरण (6) बैंक की सहायता (7) बिजली (8) भंडारण सुविधाएं और (9) संसाधन इकाइयां।

काफी भाग में पानी समुद्र की ओर बह रहा है। प्रति वर्ष देश के विभिन्न भागों में भारी वर्षा के बावजूद सिंचित भूमि की प्रतिशतता आज भी 33 प्रतिशत से अधिक नहीं है। हम इस

[1]मूलतः कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तरण।

कमी के लिए मंत्री महोदय या सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकते । इतनी अधिक मात्रा में बेकार जाने के इंजीनियर और अन्य दफ्तरशाह जिम्मेदार हैं । सिंचाई परियोजनाओं के संबध में इंजीनियरों का उत्तर यही होता है "तकनीकी रूप से उपयुक्त किन्तु आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं ।"

राष्ट्रीय बीज निगम का कार्य भी संतोषजनक नहीं है । इस संबंध में मुझे बहुत कटु अनुभव है । मैंने 10 एकड़ भूमि में मक्का बोया था किन्तु वहां पैदावार 10 किलो ग्राम भी नहीं हुई । इसी से पता चलता है कि किसानों को कितने मिलावटी बीज दिए जा रहे हैं । अत: मंत्रालय के लिए यह जरुरी है कि इस मामले की गंभीरता से जांच करे और उन अपराधियों को दंड दे जो बीजों में मिलावट के जिम्मेदार हैं ।

दूर-दराज के गांवों में आधुनिक उपकरण नहीं पहुँच रहे हैं । इन उपकरणों के मूल्य बहुत अधिक हैं । इसके लिए किसानों को भारी उत्पाद-शुल्क देना पड़ेगा । किसानों को ट्रैक्टर, बैल आदि खरीदने के लिए बिना ब्याज ऋण मिलना चाहिए। उत्पाद-शुल्क पर पूर्णत: छूट दी जानी चाहिए । हमारे माननीय मंत्री श्री जनार्दन पुजारी ने देश भर में छोटे और मझले किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए बहुत ही उपयोगी कार्य किया है । आश्चर्यजनक बात यह है कि ऐसे भी उदाहरण देखने में आए हैं जहाँ किसानों ने जून माह में ही उवर्रक खरीद लिए जबकि उनके ऋण बाद में दिसम्बर माह में मंजूर किए गए थे । इस प्रकार बैंक प्राधिकारियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि किसानों को ऋण समय से पूर्व उपलब्ध कराया जाए ।

किसानों को नकली कीटनाशी दवाइयाँ वितरित किए जाने के उदाहरण भी देखने में आए हैं । केन्द्र को कीटनाशी दवाइयों की बिक्री में हो रही काला-बाजारी को रोकने के लिए भी कदम उठाने चाहिएं ।

कर्नाटक राज्य में विद्युत की अत्यधिक कमी है । उद्योगपतियों को उनकी इच्छानुसार विद्युत मिल रही है । किन्तु किसानों को एक दिन में कम से कम चार घण्टे भी विद्युत नहीं मिल रही है ।

सरकार द्वारा किसानों की उपज के लिए अच्छी विपणन सुविधाएँ उपलब्ध करायी जानी चाहिए । निहित स्वार्थों, बिचौलियों आदि को पूर्णत: हटाया जाना चाहिए और किसानों की उपज को अच्छी कीमत दिलाने के लिए उसे सीधा मण्डी में भेजा जाना चाहिए । किसानों को एक किलो ग्राम कपास की 6 से 8 रुपये कीमत मिलेगी । कपास की इतनी ही मात्रा धोती बनाने वाले व्यापारी को लगभग 120 रुपये दिलायेगी । इतना बड़ा अन्तर हमेशा के लिए दूर किया जाना चाहिए । किसानों की बेहतरी के लिए शीतागार और ससाधन एकक उपलब्ध कराये जाने चाहिएं ।

भारतीय कृषि अनुसंधान के पास ऐसे अनेक वैज्ञानिक हैं जो कृषि के क्षेत्र में नियमित प्रगति करने में समर्थ हैं । उन्हें उनके प्रयासों के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ।

मेरे राज्य में आई०ए०एस० अधिकारी उद्यान विभाग का इंचार्ज है । इसकी बजाय इस क्षेत्र में अच्छा ज्ञान और अनुभव रखने वाले व्यक्ति को विभाग का इंचार्ज बनाया जाना चाहिए ।

ग्रामीण विकास के लिए आर्थिक सहायता के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों को करोड़ों रुपया प्रदान किया जाता है। प्रदान की गई 5000 करोड़ रुपये की राशि पर्याप्त नहीं है।

दिल्ली के लिए आपने 1200 करोड़ रुपया मंजूर किया। इसी प्रकार ग्रामीण विकास के लिए भी केन्द्र को आबंटन राशि में वृद्धि करनी होगी।

कर्नाटक मुर्गीपालन, डेरी उद्योग आदि क्षेत्रों में अग्रणी है। मेरे राज्य में रेशम उत्पादन के कार्य में भी बहुत अच्छी प्रगति हो रही है। यदि राज्य सरकार द्वारा धन का उचित रूप से उपयोग किया जाए तो रेशम उत्पादन का कार्य प्रगति के नए युग में प्रवेश कर जाएगा।

केन्द्र द्वारा एन०आर०ई०पी०, आर०एल०ई०जी०पी०, आई०आर०डी०पी० और अन्य कार्यक्रमों पर निगरानी रखी जानी चाहिए। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के एक [redacted] के लिए 60 स्प्रेयर मंजूर किए गए हैं। उस गाँव में केवल साठ परिवार हैं और वे इन स्प्रेयरों [redacted] क्या करेंगे ?

ये सारी गतिविधियाँ एजेंटों की हैं जो पैसा खाने के लिए ऐसा करते हैं। इसे तत्काल रोकना होगा।

अन्धाधुन्ध आयात के लिए अधिकारीतंत्र भी जिम्मेवार हैं। दस हजार टन मूंगफली का तेल और इतनी ही मात्रा में नारियल के तेल का आयात किया गया है। सौ हजार टन चीनी का भी आयात किया गया है। हाल ही में एक लाख टन गेहूं का आयात किया गया है। इस गेहूं की किस्म बहुत खराब है और यह मनुष्य के लिए ठीक नहीं है। मैं ऐसे आयात के खिलाफ हूं। जब हमारे पास अधिक उत्पादन करने की क्षमता है तो हमें आयात क्यों करना चाहिए।

पशुपालन को भी उचित रूप से बढ़ावा दिया जाना चाहिए। हमें मवेशियों की रक्षा करनी चाहिए और पशु-धन का ठीक ढंग से उपयोग किया जाना चाहिए। मुझे विश्वास है कि हमारे माननीय प्रधान मंत्री और माननीय कृषि मंत्री के योग्य मार्गदर्शन में हमारे किसान नियमित रूप से प्रगति करते रहेंगे।

महोदय, इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिए जाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[1]**श्री वी० कृष्ण राव** (चिकबल्लापुर) : सभापति महोदय, मैं कृषि मंत्रालय की वर्ष 1989-90 की अनुदानों की माँगों का समर्थन करता हूं। सर्वप्रथम मैं माननीय प्रधान मंत्री श्री राजीव गाँधी और माननीय कृषि मंत्री श्री भजनलाल का धन्यवाद करता हूं जिनके मार्गदर्शन से हमारे किसान खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्य को पार कर सके। यह बहुत ही सुखद बात है कि इस वर्ष खाद्यान्न उत्पादन 170 मिलियन टन से भी अधिक होगा। देश की 70 प्रतिशत जनसंख्या खेतीहर है और इसका सारा श्रेय उन्हें ही जाना चाहिए।

विश्व के कुल खाद्यान्न उत्पादन का लगभग 15 प्रतिशत भाग अकेले भारत में उत्पादित

[1]मूलत: कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

किया जाता है। वस्तुतः हमारे पास इतना खाद्यान्न उत्पादित करने की क्षमता है जो सम्पूर्ण विश्व के लिए पर्याप्त होगा। हम इस मामले में इसलिए आत्मतुष्ट नहीं हो सकते क्योंकि चीन, जापान आदि जैसे देशों की तुलना में हमारा प्रति व्यक्ति उत्पादन बहुत कम है।

किसानों को अच्छी किस्म के बीज, उर्वरक, वित्त, पानी आदि जैसी आधारभूत आवश्यकताएं प्रदान की जानी चाहिए अन्यथा यह कृषि व्यवसाय, 'मिसाय' बन जाएगा।

देश के बहुत से लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि कृषि सभी तरह से सबसे खराब व्यवसाय है। जैसाकि श्री के० एस० राव ने कहा है यदि हम एक छोटे बीड़ी दुकानदार, चतुर्थश्रेणी के कर्मचारी और किसान की तुलना करें तो उपर्युक्त तथ्य स्पष्ट हो जाएगा। कृषि हमें कपड़ा और दो वक्त का खाना ही दे सकती है। यदि हमें अधिक की आवश्यकता है तो या तो हमें ऋण लेना पड़ेगा या हमें उसके लिए अन्य में जाना होगा। एक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी का जीवन 10 एकड़ भूमि और एक पम्प सेट के मालिक किसान से कहीं अधिक बेहतर है। इसलिए किसानों के जीवन स्तर में सुधार किया जाना अनिवार्य हो गया है। भारत सरकार किसानों की सहायता करने के लिए अच्छे प्रयास कर रही है किन्तु ये प्रयास काफी नहीं हैं। इसलिए, मैं माननीय मंत्री से किसानों की बड़े पैमाने पर सहायता करने की मांग करता हूं।

देश भर में खराब किस्म के बीजों और मिलावटी उर्वरकों की पूर्ति किए जाने के मामले सामने आये हैं। इसके लिए जिम्मेवार लोगों का पता लगाया जाना चाहिए और उन्हें कड़ा दण्ड दिया जाना चाहिए।

जैसाकि श्री सुब्बा रेड्डी ने कहा है कृषि दौड़ की भांति है। मैं इस तथ्य को साबित करने के लिये एक उदाहरण देना चाहूंगा। पिछले वर्ष बागेपाली में धान की बहुत ही बढ़िया फसल पैदा हुई थी। दुर्भाग्य से ओले सहित मूसलाधार वर्षा हुई जिससे कटाई के कुछ दिन पूर्व ही सारी फसल नष्ट हो गई। किसान इस प्रकार स्वयं को असुरक्षित समझते हैं।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में टमाटर की खेती की जाती है किन्तु त्रासदी यह है कि किसानों को परिवहन भाड़ा भी मिलना कठिन हो गया है। इसलिए सरकार को सभी कृषि वस्तुओं की कीमतों में स्थायित्व बनाए रखने के लिए आगे आना चाहिए।

एन० आर० ई० पी०, आई० आर० डी० पी०, आर० एल० ई० जी० पी० आदि कार्यक्रम हमारे गावों के गरीब लोगों के लिए है। किन्तु कर्नाटक में क्या हो रहा है? इस संबंध में आन्ध्र प्रदेश में तेलुगु देशम और कर्नाटक में जनता दल की स्थिति समान है। वे उस दल को खोज रहे हैं जो आय की हो। यदि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हों तो उन्हें कोई सहायता नहीं मिलेगी। केन्द्र द्वारा इस पर रोक लगानी चाहिए। केन्द्र को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जो धन वे प्रदान कर रहे हैं वह सीधे जरूरतमंद लोगों के पास पहुंचना चाहिए।

मुझे खुशी है कि माननीय मंत्री श्री जनार्दन पुजारी यहां उपस्थित हैं। वे गरीबी हटाने के लिए कठिन परिश्रम कर रहे हैं मुझे पूरा विश्वास है। कि वे अपने प्रयास में सफल होंगे।

गांवों में लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है। अधिकतर लोग छोटी-छोटी झोपड़ियों में रहते हैं। मैं माननीय ग्रामीण विकास मंत्री से पक्के घरों के निर्माण के लिये अधिक धन प्रदान करने का अनुरोध करता हूं। बंगलोर में करोड़ों रुपया खर्च करके सड़कों पर गोल चक्कर, सड़कें आदि बनाई गई हैं। इसके बजाय, राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिये धन लगाना अधिक आवश्यक है।

पिछले वर्ष मेरे निर्वाचन क्षेत्र में अभूतपूर्व बाढ़ आई थी। मधुगिरी, गोवरी बिदनूर सबसे अधिक प्रभावित स्थान हैं। चार हजार से अधिक घर नष्ट हो गए थे। किन्तु अभी तक राज्य सरकार लोगों के बचाव के लिए नहीं आई है। सैकड़ों टैंक क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इस संबंध में आज तक कुछ नहीं किया गया है। इसलिए मैं केन्द्र से मामले की जांच करने और किसानों की सहायता करने का अनुरोध करता हूं। केन्द्र ने लगभग 15 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। आश्चर्य है कि यह पैसा गांवों तक नहीं पहुँचा है। इसलिए, मैं केन्द्र से ग्रामीण क्षेत्रों में सभी विकास संबंधी कार्यों पर निगरानी रखने का अनुरोध करता हूं।

अन्त में मैं माननीय कृषि मंत्री से टुमकुर जिले में नारियल अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने की मांग करता हूं।

महोदय, मुझे बोलने का अवसर दिये जाने के लिये मैं आपका धन्यवाद करता हूं और इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : बोलने के इच्छुक माननीय सदस्यों की सूची में अब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, जो बिना बोले रह गया हो। मंत्री महोदय, वाद-विवाद का उत्तर देंगे। सदन कल 11.00 म०प० पर पुनः समवेत होने तक के लिये स्थगित किया जाता है।

9.42 म० प०

तत्पश्चात लोक सभा शुक्रवार, 21 अप्रैल, 1989/1 बैसाख, 1911 (शक) के ग्यारह बजे स० पू० तक के लिए स्थगित हुई।